दशम माला, खण्ड 45, अंक 9

गुरुवार, 7 दिसम्बर, 1995
16 अग्रहायण, 1917 (शक)

# लोक सभा वाद-विवाद

# का

# हिन्दी संस्करण

PARLIAMENT LIBRARY
55
No. D
Date 4.10.96

पन्द्रहवां - सत्र
(दसवीं लोक सभा)

(खण्ड 45 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

लोक सभा के दिनांक 7 दिसम्बर, 1995
के वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण) का शुद्धि-पत्र

| कालम सं. | पंक्ति सं. | के स्थान पर | पढ़िए |
|---|---|---|---|
| विषय सूची | 8 | गैस लीटिड | गैसलीटाड |
| 28 | प्रश्न सं. 173 | भौड्या | मौड्या |
| 34 | प्रश्न सं. 177 | कठौरिया | कठैरिया |
| 44 | नीचे से 5 | इन्दकरन | इन्द्रकरन |
| 67 | 14 | कार्यान्कन | कार्यान्वयन |
| 70 | प्रश्न सं. 1731 | श्री राम सदन | श्री राम बदन |
| 97 | 4 | योजना तथा कार्यक्रम मंत्री | योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री |
| 109 | प्रश्न सं. 1780 | श्री बलराज पानी | श्री बलराज पासी |
| 171 | प्रश्न सं. 1824 | श्री सुखेन्द्र खां | श्री सुखेन्दु खां |
| 171 | प्रश्न सं. 1828 | श्रीमती सुमित्र | श्रीमती सुमित्रा |
| 187 | प्रश्न सं. 1840 | श्री एन.जे. राव्या | श्री एन.जे. राठवा |
| 219 | प्रश्न सं. 1879 | जागड़े | जांगडे |
| 233 | 13 | पी.एम.सईद | श्री पी.एम.सईद |
| 241 | नीचे से 3 | गृह मंत्रालय के राज्यमंत्री | गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री |
| 258 | 11 | पी.एम.सईम | श्री पी.एम.सईद |
| 266 | 17 | वासुदेव | बसुदेव |
| 267 | नीचे से 15 | नारायन | नारायण |
| 267 | 8 | श्री पुष्पदयाल कठौरिया | श्री पुष्पदयाल कठैरिया |
| 268 | 7 | बी.नारायण | जी.नारायण |
| 286 | नीचे से 3 | सी.नारायण | जी.नारायण |
| 328 | 13, 16, 20, 25 | श्री योगेन्द्र झा | श्री भोगेन्द्र झा |
| 363 | 12 | रासिंह | रासा सिंह |
| 371 | नीचे से 14 | मौहम्मद | मौहम्मद |
| 391 | 12 | शीनाथद्विवर | शीनाद्विवर |
| 394 | 17 | रेड्डैया | रेड्डय्या |
| 397 | 20 | चक्को | चाको |

# विषय सूची

दशम माला खंड : 45, पन्द्रहवां सत्र, 1995 / 1917 (शक)

अंक : 9, गुरुवार, 7 दिसंबर, 1995 / 16 अग्रहायण, 1917 (शक)


| विषय | | कालम |
|---|---|---|
| **प्रश्नों के लिखित उत्तर :** | | |
| तारांकित प्रश्न संख्या : | 161 से 180 | 4-37 |
| अतसंकित प्रश्न संख्या : | 1702 से 1923 | 37-260 |
| **मंत्रियों द्वारा वक्तव्य** | | |
| (एक) नामित न्यायालय, पूनामल्ली तथा न्यायमूर्ति जैन जांच आयोग के समक्ष चल रही कार्यवाही की स्थिति | | |
| | श्री पी. चिदम्बरम | 282-283 |
| (दो) भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, धनबाद की गैस लीकिंड खान का जलमग्न हो जाना | | |
| | श्री जगदीश टाइटलर | 287-289 |
| (तीन) आधारभूत दूरसंचार सेवाओं के परिचालन हेतु निजी कंपनियों को लाइसेंस देना - सभा पटल पर रखा गया | | |
| | श्री सुखराम | 359-379 |
| **सभा पटल पर रखे गये पत्र** | | 284-286 और 420 |
| **याचिका समिति** | | |
| तेईसवां प्रतिवेदन - प्रस्तुत | | 286-287 |
| **पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति** | | |
| तेईसवां प्रतिवेदन - प्रस्तुत | | 287 |
| **कार्य मंत्रणा समिति** | | |
| छप्पनवें प्रतिवेदन के संबंध में प्रस्ताव - स्वीकृत | | 293-294 |
| **नियम 377 के अधीन मामले** | | 295-298 |
| (एक) कन्याकुमारी - त्रिवेन्द्रम राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 विशेषत: इसके तमिलनाडु वाले भाग का समुचित रख-रखाव किये जाने की आवश्यकता | | |
| | श्री एन. डेनिस | 295 |
| (दो) केरल के कालीकट हवाई अड्डे पर यात्रियों पर लगाये जा रहे अत्यधिक शुल्क के बारे में जांच-पड़ताल किये जाने की आवश्यकता | | |
| | श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन | 295-296 |
| (तीन) पशुओं के प्रति क्रूरता को रोके जाने की आवश्यकता | | |
| | डा. सत्यनारायण जटिया | 296 |

(चार) बुलन्दशहर को लखनऊ और दिल्ली के सीधे रेल मार्ग से जोड़े जाने की आवश्यकता

डा. छत्रपाल सिंह 296-297

(पांच) बिहार में औद्योगिक विकास केन्द्र शीघ्र स्थापित किये जाने की आवश्यकता

श्री मंजय लाल 297

(छह) उड़ीसा के तटवर्ती जिले जाजपुर में बाढ़ की पुनरावृति रोकने के लिए समुचित कदम उठाये जाने की आवश्यकता

श्री अनादि चरण दास 297

(सात) हरियाणा में बाढ़ से प्रभावित लोगों को शीघ्र राहत पहुंचाने के लिए राज्य सरकार को अधिक धनराशि जारी किये जाने की आवश्यकता

श्री जंगवीर सिंह 297-298

(आठ) बिहार में दरभंगा स्थित अशोक पेपर मिल को पुनः खोले जाने की आवश्यकता

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी 298

नियम 193 के अधीन चर्चा 298-355

और 384

देश की आर्थिक स्थिति

श्री जसवन्त सिंह 298-309

श्रीमती सुशीला गोपालन 309-318

श्री अनादि चरण दास 318-322

श्री मोहन सिंह (देवरिया) 323-328

श्री पी.जी. नारायणन 328-331

श्री मुमताज अंसारी 331-338

श्री भूमेन्द्र झा 338-342

प्रो. रासा सिंह रावत 342-347

श्री रंगराजन कुमारमंगलम 347-352

प्रो. सुशान्त चक्रवर्ती 352-355

और 384-387

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे 388-392

श्री के.पी. रेड्डय्या यादव 392-395

श्री मोहन रावले 396-398

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी 398-406

श्री मनमोहन सिंह 406-420

प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य 356-359

इन्सेट-2सी उपग्रह का प्रक्षेपण

श्री पी.वी. नरसिंह राव 356

# लोक सभा

गुरुवार, 7 दिसंबर 1995/16 अग्रहायण 1917 (शक)
लोक सभा 11 बजे म. पू. पर समवेत हुई।

**[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]**

(व्यवधान)

**[अनुवाद]**

**श्री राम कापसे** (ठाणे) : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्न काल को स्थगित किये जाने हेतु सूचना दी थी ताकि संचार मंत्रालय से संबंधित मामले पर .....(व्यवधान)

**[हिन्दी]**

**श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** (सैदपुर) : यहां पर यह तय हो चुका है कि क्वश्चन ऑवर कभी भी सस्पैण्ड नहीं किया जाएगा, तो इनके क्वश्चन ऑवर सस्पैण्ड कराने के नोटिस की क्या तुक है ? यह पहले तय हो चुका है

**[अनुवाद]**

**श्री राम कापसे** : हम सरकार से वक्तव्य चाहते हैं ..... (व्यवधान)

**श्री वसुदेव आचार्य** (बाकुरा) : महोदय, यह अरबों रूपये का घोटाला है.....(व्यवधान) इस पर चर्चा हेतु प्रश्नकाल स्थगित किया जाना चाहिए.....(व्यवधान) हम चाहते हैं कि इस मामले पर चर्चा हेतु प्रश्नकाल स्थगित किया जाये (व्यवधान) यह इन दिनों हुआ सबसे बडा घौटाला है (व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित किया जायेगा

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : श्री राम कापसे जी पश्न काल सरकार को जवाबदेह ठहराने के लिये हैं। आप सीधे प्रश्न करिये और आपको उनका उत्तर मिलेगा। अब प्रश्नकाल है और अन्य माननीय सदस्यों ने नोटिस दिये हुए हैं।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय:** उन्होंने नोटिस दिये हैं। जानकारी एकत्रित की जा चुकी है। प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उनके उत्तर दिये जा सकते हैं।

**श्री वसुदेव आचार्य:** हम प्रश्न काल को स्थगित किये जाने की मांग कर रहे हैं। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय:** वैसे भी आप एक विद्वान सांसद हैं और किसी भी मामले को उठा सकते हैं।

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**श्री वसुदेव आचार्य:** इसीलिये, हम इस मामले को उठा रहे हैं। (व्यवधान)

**श्री वी. धनंजय कुमार** (मंगलौर): प्रत्येक विद्वान है। नियमानुसार हमने नोटिस दिये हैं। कृपया प्रश्नकाल स्थगित करिये, (व्यवधान)

**श्री राम कापसे:** श्री सुखराम जी की हेरा फेरी से ही सरकार को 65000 करोड रूपये का नुकसान हुआ है। वह सभा में उपस्थिति हैं। उनको स्पष्ट करने हेतु वक्तव्य देना चाहिए। अन्यथा, वह त्यागपत्र दें। कृपया वक्तव्य जारी करिये। हम विचार विमर्श करेंगे (व्यवधान)

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम):** महोदय, समय मिलने पर मैं वक्तव्य दूंगा। आपकी अनुमति मिलने पर मै वक्तव्य देने के लिये तैयार हूँ। परन्तु किसी की बात सुने बिना उसे दोषी नहीं ठहराना चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय:** यह बात सही है।

**श्री सुखराम:** उनको कम से कम मेरी बात तो सुननी चाहिए। . . . .(व्यवधान)

**श्री राम कापसे:** हम आपकी बात सुनने के इच्छुक हैं।

**श्री बसुदेव आचार्य:** आप वक्तव्य दे सकते हैं। हम आपकी बात सुनना चाहते हैं (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय:** श्री बसुदेव आचार्य जी, इस संबंध में एक प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है आप मंत्री से जो भी जानकारी चाहते हैं, उसके लिये मुझे सूचना दीजिये। मंत्री जी ने कहा है कि वह वक्तव्य देने के लिये तैयार हैं। वक्तव्य आपको मिल जाएगा। आप उनको सुनने के पश्चात ही कोई राय बनाइये। परन्तु, अगर आप उन पर कोई दोषारोपण करते हैं तो अन्य सदस्य आप पर भी कोई दोष लगाएंगे। यह सिलसिला खत्म ही नहीं होगा।

(व्यवधान)

**श्री बसुदेव आचार्य:** वह एक स्वत: वक्तव्य दे सकते हैं (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय:** यह कार्यवाही वृत्तान्त में नहीं दिया जाएगा।

(व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय:** श्री कापसे जी, आप एक विद्वान सांसद हैं। आप हमेशा नियमों और विनियमों का उल्लेख करते रहते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं। इस बार भी आप निपयमानुसार उल्लेख कर सकते हैं। मै आपके लिये नियम 353 पढ़ रहा हूँ।

> "किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरूद्ध मानहानिकारक या अपराधारोपक स्वरूप का आरोप नहीं लगाया जायेगा जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष को तथा संबंधित मंत्री को भी पूर्व-सूचना न दे दी हो जिससे कि मंत्री उत्तर के प्रयोजन के लिये विषय की जांच कर सके"

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

क्यों आपने इस प्रक्रिया का पालन किया है।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय:** श्री आचार्य जी, कृपया बैठ जाइये। मै आपको मौका दूंगा।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय:** आपने इस प्रक्रिया का अनुसरण क्यों नहीं किया है ? आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं, उसके लिये आपको अधिकार है। आपको बोलने से नहीं रोका जायेगा। उन्होंने यह भी कहा है कि वह दोषारोपण करना चाहते हैं। क्या मै उनको आप पर दोषारोपण करने की अनुमति दे दूं?

(व्यवधान)

**श्री राम कापसे:** अध्यक्ष महोदय, मैने प्रश्नकाल को स्थगित करने की सूचना दी है।

**अध्यक्ष महोदय:** आपने सूचना तो दी है, परन्तु प्रश्नकाल क्यों स्थगित किया जाये

**श्री राम कापसे:** इस मामले के संबंध में मैने श्री सुखराम जी के वक्तव्य की मांग की है। वह वक्तव्य देने के लिये तैयार हैं। मै नियम 332.....का अनुसरण कर रहा हूं। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय:** परन्तु मुझे इसको जारी रखने देना है क्योंकि दो अलग अलग बातें कही गई हैं आप प्रश्नकाल के स्थगन की मांग कर रहे हैं और अन्य माननीय सदस्य इसको स्थगित न किये जाने की मांग कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने प्रश्नों की सूचनाएं दी है तथा उत्तर चाहते हैं।

आप सभा में उपस्थित अकेले सांसद नहीं हैं। अन्य के अधिकार भी बराबर हैं। आपको मामले को उठाने की अनुमति से वंचित नहीं किया जा रहा है। परन्तु, उचित प्रक्रिया का अनुसरण करिये। आप प्रक्रिया का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। आप अनाधिकार पूर्ण चेष्टा करके उनको प्रश्न पूछने से वंचित करना चाहते हैं। क्या मै उनको अनुमति दूं?

**श्री राम कापसे:** मैने प्रस्ताव को पेश किये जाने हेतु सूचना दी है। आप मतदान कराइये,.....(व्यवधान) मैं पेश करने के लिये तैयार हूं। मै श्री सुखराम जी से त्यागपत्र चाहता हूं।

**कुमारी ममता बनर्जी** (कलकत्ता दक्षिण) : नहीं नहीं। ..... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** यह ठीक नहीं है। आपको उचित रूप से अग्रिम सूचना देनी चाहिये। मंत्री जी के उचित रूप से अग्रिम सूचना मिलनी चाहिये। हम किसी भी बात को समाप्त नहीं करना चाहते हैं। परन्तु अगर, प्रत्येक सदस्य अपनी मन मर्जी से कार्यवाही चलाना चाहता है तो कार्यवाही कैसे चल सकती है ? कृपया प्रक्रिया को समझिये ?

(व्यवधान)

**श्री बसुदेव आचार्य:** महोदय, वह वक्तव्य देने के लिये तैयार हैं। इसलिये, उनको वक्तव्य देने की अनुमति दीजिये। ....(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय:** श्री आचार्य जी, वहां ममता जी कागज लेकर खडी हैं। अब मैं क्या करूं?

(व्यवधान)

**श्री बसुदेव आचार्य:** हम जानना चाहते हैं कि क्या हिमाचल प्रदेश की किसी विशिष्ट कम्पनी के साथ मंत्री जी पक्षपात किया गया है?. .....(व्यवधान)

**श्री राम कापसे:** राजकोष को 65,000 करोड रूपये का नुकसान हुआ है। .....(व्यवधान)

**श्री बसुदेव आचार्य:** मंत्री जी ने उक्त कम्पनी विशेष के साथ पक्षपात क्यों किया है?.....(व्यवधान)

**कुमारी ममता बनर्जी:** महोदय, यह सरकारी दस्तावेज है। आप अगर उनको बोलने की अनुमति देते हैं तो मुझे भी बोलने की अनुमति दी जाऐ। .....(व्यवधान)

**श्री बसुदेव आचार्य:** महोदय, जब मंत्री जी वक्तव्य देने के लिये तैयार हैं , तो आप उनको अनुमति दीजिये .....(व्यवधान)

**कुमारी ममता बनर्जी:** आप सच्चाई से इनकार नहीं कर सकते हैं। अगर आप मामला उठाना चाहते हैं, तो शून्य काल में उठा सकते हैं। आप प्रश्न काल में क्यों उठा रहे हैं? (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय:** सभा दोपहर 12 बजे तक के लिये स्थगित होती है।

---

[अनुवाद]

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

### आतंकवादियों को आर. डी. एक्स. की सप्लाई

*161. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव :**
**श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**
क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 17 सितम्बर 1995 के इंडियन एक्सप्रैस में "पाक सेंड्स हाई ग्रेड आर0 डी0 एक्स0 टू मिलिटेंट्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने भारी मात्रा में उक्त आर0 डी0 एक्स0 के बरामद होने पर पुलिस और आसूचना ऐजेंसियों को सचेत किया है;

(ग) यदि हां, तो उक्त आर0 डी0 एक्स0 की बरामदगी से संबंधित ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसी स्थितियों से निपटने के लिये क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

**गृहमंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण)** : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) जब कभी भी पाकिस्तान की आई. एस. आई. की गतिविधियों के बारे में रिपोर्ट मिलती है तो राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के अलावा संबद्ध सुरक्षा और आसूचना एजेंसियों को सतर्क कर दिया जाता है।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) (क) पंजाब के साथ लगी सम्पूर्ण सीमा तथा राजस्थान सीमा पर एक बडे क्षेत्र में बाड तथा पलड लाईट लगाई दी गई है।

(ख) सीमा सुरक्षा बल को आधुनिकतम उपस्कर उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

(ग) जिन क्षेत्रों में अब तक बाड़ नहीं लगाई गई है उनमें बाड़ और फलड लाईट लगाने का कार्य शुरू किया जा रहा है।

(घ) तटीय सुरक्षा की लगातार पुनरीक्षा की जा रही है तथा उसे बढाया जा रहा है।

(ङ) सीमा सुरक्षा बल में आसूचना तंत्र को और सीमावर्ती राज्यों की राज्य पुलिस को सक्रिय बनाया जा रहा है।

(च) सीमावर्ती क्षेत्रों में सीमा सुरक्षा बल की तैनाती की लगातार संवीक्षा की जाती है।

**विवरण**

14 सितम्बर, 1995 की सुबह सीमा सुरक्षा बल के एक विशेष खोजी दस्ते ने सीमा चौकी संख्या 42/2 एक्स.बी.ओ.पी. रानियां (पंजाब सीमा) के क्षेत्र से शस्त्र/गोला-बारूद की निम्नलिखित सामग्री जब्त की :-

| | | |
|---|---|---|
| पिस्तौल | 8 | नग |
| मैगजीने | 16 | नग |
| गोला बारूद | 660 | राउण्ड |
| आर.डी.एक्स. | 10 | कि. ग्रा. |
| कोरडैक्स | 10 | मीटर |
| फ्यूज | 10 | नग |
| टाईम पेंसिल | 5 | नग |
| स्पूल वायर | 4 | नग |
| टेप सेफ्टी | 2 | नग |
| सेफ्टी पिन | 3 | नग |
| किट बाक्स | 2 | नग |
| माचिस | 4 | नग |

**डाक के थैले**

*162. **श्री इन्द्रजीत गुप्त:**
**श्री सुकदेव पासवान:**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पिछले कुछ माह से बिना छंटनी किए हुए पत्रों के हजारों डाक थैले (बोरे) दिल्ली के रेल डाक सेवा कार्यालयों में पडे हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन पत्रों की तेजी से छंटाई और वितरण के लिये क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम)** : (क) से (ग) जब दिल्ली डाक सर्किल के रेल डाक सेवा के कर्मचारियों ने दिनांक 17 अक्तूबर, 1995 से ओवरटाइम पर काम करने से इंकार कर दिया, तो दिल्ली में बिना खुले डाक के थैले और बिना छंटी हुई डाक रूकी रही। इस आंदोलन का कारण समयोपरि भत्ते के लंबित पडे बिलों का भुगतान होना था। यह भुगतान इस प्रयोजन के लिए धनराशि उपलब्ध न होने के कारण नहीं हो सका था। इस आंदोलन के परिणामस्वरूप मेल प्रोसेसिंग और मेल मूवमेंट में व्यवधान आया। स्टाफ यूनियनों के नेताओं को यह बताया गया कि समयोपरि भत्ते के लंबित बिलों के भुगतान में विलंब होने की समस्या विभाग में सभी स्थानों पर है और यह विभाग के नियन्त्रण से बाहर है। उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि जब भी संशोधित अनुदान में अतिरिक्त धनराशि आवंटित की जाएगी, तो आवंटित धनराशि की सीमा को देखते हुए तदनुसार लंबित दावों का भुगतान कर दिया जाएगा। इस आश्वासन के बाद स्टाफ यूनियनों ने 3 नवम्बर, 1995 को अपना आंदोलन समाप्त कर दिया। इस बीच विशेष व्यवस्था करके इकट्ठा हो गई डाक का और आने वाली डाक का यथासंभव निपटान किया गया। आंदोलन समाप्त होने के पश्चात इकट्ठा हुई डाक का निपटान के लिऐ किए जा रहे प्रयासों में और अधिक तेजी लाई गई। अब स्थिति लगभग सामान्य है।

[हिन्दी]

**कच्चे तेल का उत्पादन**

*163. **श्री दत्ता मेघे** : क्या पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कच्चे तेल के उत्पादन द्वारा कितने प्रतिशत घरेलू मांग पूरी की जा रही है;

(ख) कितनी मात्रा में तेल का आयात किया जा रहा है;

(ग) देश में तेल के उत्पादन में वृद्धि हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं और इस दिशा में अब तक कितनी सफलता प्राप्त हुई है; और

(घ) कच्चे तेल के उत्पादन में भारत के कब तक आत्म निर्भर हो जाने की संभावना है?

**पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के (राज्य मंत्री कैप्टन सतीश कुमार शर्मा)** : (क) पेट्रोलियम उत्पादों की घरेलू मांग के लगभग 52 प्रतिशत को चालू वर्ष के दौरान कच्चे तेल के देशी उत्पादन से पूरा किया जाएगा।

(ख) चालू वर्ष के दौरान 25.475 मि. मी. टन कच्चे तेल के आयात का अनुमान लगाया गया है।

(ग) सरकार द्वारा कच्चे तेल के उत्पादन को बढाने के लिए किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) नये क्षेत्रों का विकास तथा विद्यामान क्षेत्रों का अतिरिक्त विकास

(2) वर्द्धित तेल वसूली (ई० ओ० आर०) योजनाओं का क्रियान्वयन तथा कुछ ई० ओ० आर० योजनाओं को प्रायोगिक चरण से बढ़ाकर पूर्ण स्तरीय क्षेत्रीय अनुप्रयोग तक करना।

(3) वर्द्धित लक्ष्य वेधन, क्षैतिज तथा नालिका छिद्र वेधन जैसी विशिष्ट प्रोद्योगिकीयों को क्रियान्वित करना।

(4) छोटे तथा मध्यम आकार के क्षेत्रों को निजी क्षेत्र द्वारा स्वयं तथा राष्ट्रीय तेल कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम के माध्यम से विकसित करने के लिए प्रस्ताव करना।

उपर्यक्त उपायों के परिणामस्वरूप कच्चे तेल के उत्पादन में गिरावट की प्रवृत्ति 1992 93 में रूक गयी तथा तब से उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई है।

(घ) तेजी से बढती हुई मांग को देखते हुए, क्रूड के उत्पादन में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करने के लिए वृहदाकार नये क्षेत्रों की खोज करनी होगी।

## कृषि क्षेत्र में पूंजी निवेश

*164. **श्री शिवराज सिंह चौहान:**
**श्री रामपाल सिंह :**

क्या योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कृषि क्षेत्र में कम पूंजी निवेश पर गम्भीर चिंता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कम पूंजी निवेश के क्या कारण हैं;

(ग) उपरोक्त क्षेत्र में पूजी निवेश बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष कृषि क्षैत्र में राज्य वार कुल कितना पूंजी निवेश किया गया है; और

(ङ) कुल पूंजी निवेश की तुलना में इसका प्रतिशत कितना है?

**योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)** : (क) और (ख) आर्थिक सर्वेक्षण 1994-95 के अनुसार, हाल ही के वर्षों में कृषि में निवेश की दर में कमी की प्रवृत्ति को बदलने की जरूरत है। कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलापों में 1980-81 की कीमतों पर मापा गया सकल पूंजी निर्माण, जो 1980-81 में 4864 करोड रूपए था, कम होकर 1989-90 में 4792 करोड रूपए रह गया। तथापि, त्वरित अनुमान 1993-94 के अनुसार यह 5228 करोड रूपए तक बढ गया। आर्थिक सर्वेक्षण में इंगित किया गया है कि कृषि में निवेश में कमी चालू व्यय तथा पूंजी निर्माण के बीच असंतुलन के कारण है।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के दौरान तथा बागवानी, मत्सियकी, वर्षा सिंचित खेती, लघु सिंचाई, फसल पश्चात प्रबंधन आदि के लिए अवसंरचना सृजन जैसे सम्बद्ध कार्यकलापों में निवेश के महत्वपूर्ण स्तर का प्रस्ताव है। कृषि के लिए अवसंरचना में निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) में एक नया ग्रामीण अवसंरचनात्मक विकास कोष स्थापित किया गया है। इस कोष में से राज्य सरकारों तथा राज्य के स्वामित्व वाले निगमों का मध्यम तथा लघु सिंचाई, मृदा संरक्षण वाटरशेड प्रबंधन एवं ग्रामीण अवसंरचना के अन्य रूपों से संबंधित चालू परियाजनाओं को पूरा करने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। कुल निवेश में कृषि क्षेत्र का हिस्सा सातवीं योजना में 11.23 प्रतिशत से बढकर आठवीं योजना में 18.65 प्रतिशत हो गया है।

(घ) और (ङ.) कृषि क्षेत्र में किए गए निवेश की राज्यवार सूचना संकलित नहीं की जाती है। गत तीन वर्षों में कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलापों में किया गया कुल निवेश तथा कुल का प्रतिशत हिस्सा निम्नानुसार है:-

1980-81 की कीमतों पर
*(करोड रूपए)*

| | कुल निवेश | | |
|---|---|---|---|
| | सभी उद्योगो | कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलाप | सभी उद्योगों में प्रतिशत हिस्सा |
| 1991-92 | 46053 | 4980 | 10.81 |
| 1992-93 | 49645 | 5120 | 10.31 |
| 1993-94 (त्वरित अनुमान) | 47942 | 5228 | 10.90 |

## टेलीफोनों का स्थानान्तरण

*165. श्री महेश कनोडिया:
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री:

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संसद सदस्यों द्वारा महानगर टेलीफोन निगम लि. के मुख्य महाप्रबंधक को लिख गये पत्रों का समुचित रूप से उत्तर नहीं दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये अथवा उठने का विचार है;

(ग) एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में टेलीफोन स्थानान्तरण के लिए वर्ष 1995 में मुख्य महाप्रबंधक को कितने पत्र प्राप्त हुए तथा कितने मामलों में अभी तक भी टेलीफोनों का स्थानांतरण नहीं हुआ और इसमें अत्यधिक विलम्ब होने के क्या कारण है तथा इन मामलों में तेजी से कार्यवाही कराने हेतु क्या कदम उठाए गए है;

(घ) क्या टेलीफोनों के स्थानांतरण के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है जिसके भीतर टेलीफोन का स्थानांतरण अवश्य हो जाना चाहिए; और

(ङ) यदि हो, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम)** : (क) जी, नहीं। माननीय संसद सदस्यों से प्राप्त सभी पत्रों का उपयुक्त उत्तर दिया जाता है।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) वर्ष 1995 के दौरान, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा टेलीफोन शिफ्ट करने/स्थानांतरण करने के संबंध में माननीय संसद सदस्यों से 131 पत्र प्राप्त हुए थे, जिनमें से केवल 13 मामलों में टेलीफोन शिफ्ट नहीं किए गए है। बिलों का भुगतान न करने, तकनीकी अव्यवहार्यता और उपभोक्ताओं द्वारा औपचारिकताएं पूरी न करने के कारण शेष मामले लम्बित पडे हैं। तकनीकी अव्यवहार्यता के मामलों के संबंध में तब तक निरंतर निगरानी रखी जाती है जब तक वे मामले व्यवहार्य नहीं हो जाते।

(घ) और (ङ). जी, हाँ। तकनीकी रूप से व्यवहार्य मामलों में टेलीफोन शिफ्ट करने की निर्धारित समय-सीमा सात कार्य दिवस है। [अनुवाद]

## कोयले की मांग तथा उत्पादन

*166. डा. (श्रीमती) के. एस. सौन्दरम : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान कोयले के उत्पादन और मांग का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में कोयले की कमी है;

(ग) यदि हां, तो इस कमी को किस तरह पूरा किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) इस समय किन किन देशों से कोयले का आयात किया जा रहा है;

(ङ) क्या आयातित कोयला स्वदेशी कोयले से बेहतर किस्म का है ; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

**कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर)** :(क) कोयले की मांग का मूल्यांकन राज्य-वार नहीं किया जाता है। इसका मूल्यांकन सम्पूर्ण देश के लिये उद्योग-वार क्षेत्र-वार किया जाता है। विगत प्रत्येक 3 वर्षों के लिये, योजना आयोग द्वारा कोयले की मांग के अखिल भारतीय मूल्यांकन को, नीचे दर्शाया गया है :

| वर्ष | मांग (मि. टन में ) |
|---|---|
| 1992-93 | 258.10 |
| | (5.30) |
| 1993-94 | 268.80 |
| | (6.00) |
| 1994-95 | 268.50 |
| | (5.00) |

कोष्ठक में आंकडे मिडलिंस को दर्शाते हैं।

पिछले तीन वर्षों की अवधि में प्रत्येक वर्ष के दौरान हुये कोयले के राज्य-वार उत्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) उत्पादन लक्ष्यों का निर्धारण और मांग का मूल्यांकन योजना आयोग द्वारा किया जाता है, जो कि स्टॉक की स्थिति को ध्यान में रखते हुये, और इस्पात उद्योग द्वारा अपेक्षित कोककर कोयले के आयातों को ध्यान में रखकर किया जाता है। उत्पादन के लक्ष्यों को विगत तीन वर्षों में पूर्णत: पूरा कर लिया गया है। कुछ क्षेत्रों में मांग की तुलना में आपूर्ति में कमी कोयले की कमी होने के कारण उत्पन्न नहीं हुई है, बल्कि यह अन्य घटकों, जैसे कुछ क्षेत्रों में रेल द्वारा कोयले की निकासी करने संबंधी अपर्याप्त सुविधाएं होने, कोयले, आदि के लिए अदायगी न किये जाने के कारण हुई हैं।

जब कोयले की आपूर्ति को विद्युत क्षेत्र को आपातकालीन स्थिति होने पर, जैसे हडताल आदि होने के समय मांग को पूरा किये जाने हेतु स्थानान्तरित किया जाता है तो ऐसी स्थिति में अन्य क्षेत्रों द्वारा कोयले की कमी भी महसूस की जा सकती है।

वर्ष 1995-96 के लिए योजना आयोग ने विभिन्न क्षेत्रों की समग्र मांग 288 मिलियन टन निर्धारित की है। भारत में कोयला कंपनियों के उत्पादन कार्यक्रम को मांग के इस स्तर को पूरा किए जाने हेतु त्वरित किया गया है, जिस पर कि योजना आयोग में सहमति हुई थी। कोयला कंपनियों के लिए किसी क्षेत्र विशेष की मांग के उच्च स्तर को पूरा

किया जाना व्यवहार्य तथा संभव नहीं है। ऐसी मांगों को आयातों के माध्यम से पूरा करना पडेगा, जो कि अब स्वतंत्र रूप में किये जा सकते हैं।

(घ) वर्तमान में देश में कोयले का आयात मुख्यत: आस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, चीन और न्यूजीलैंड आदि से किया जा रहा है।

(ङ) और (च) भारतीय कोयला में अपनी प्रकृति स्वरूप, आयातित कोयले की तुलना में उच्च राख की मात्रा विद्यमान है। देश में उत्पादित कोयले में, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कोयले को छोडकर जहां कि कम राख वाले कोयले का उत्पादन किया जाता है, सामान्यत: 15 से 45 प्रतिशत तक की राख की मात्रा होती है। भारतीय कोयले में सामान्यत: आयातित कोयले की तुलना में उष्मीय (कैलोरिफिक) क्षमता भी कम होती है।

**विवरण**

(आंकडे मिलियन टन में)

| राज्य | 1992-93 | 1993-94 | 1994-95 |
|---|---|---|---|
| 1 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. आन्ध्र प्रदेश | 22.51 | 25.26 | 25.26 |
| 2. असम | 1.10 | 1.20* | 1.19* |
| 3. बिहार | 71.14 | 73.29 | 73.33 |
| 4. जम्मू और कश्मीर | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| 5. मध्य प्रदेश | 70.55 | 72.86 | 74.86 |
| 6. महाराष्ट्र | 19.68 | 20.45 | 21.07 |
| 7. उड़ीसा | 23.12 | 24.30 | 27.33 |
| 8. उत्तर प्रदेश | 12.17 | 12.14 | 13.82 |
| 9. पश्चिम बंगाल | 18.11 | 16.61 | 17.24 |
| 10. जोड़ | 238.49 | 246.14 | 254.50 |
| 11. मेघालय | 3.49 | 2.54 | 3.27** |
| 12. अखिल भारतीय | 241.98 | 248.68 | 257.77 |

* (नार्थ ईस्टर्न कोलफील्डस के अंतर्गत अरूणाचल प्रदेश तथा मेघालय सहित)

** (असंगठित क्षेत्र के संबंध में आंकडे)

**संचार माध्यमों हेतु योजना परिव्यय**

*167. **श्री शान्ताराम पोतदुखे :**

क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1994-95 और 1995-96 के लिये योजनागत और गैर योजनागत परिव्ययों का संचार माध्यमवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन संचार माध्यमों द्वारा वर्ष 1994-95 के दौरान अपनी योजनागत स्कीमों के वास्तविक कार्यान्वयन से प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है ?

**सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) :** (क)वर्ष 1994-95 और 1995-96 के लिए योजनागत और गैर योजना गत परिव्ययों का माध्यमवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) वर्ष 1994-95 के दौरान, योजनागत स्कीमों के वास्तविक कार्यान्वयन के बारे में प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

**विवरण-I**

**वर्ष 1994-95 और 1995-96 हेतु माध्यमवार योजनागत और गैर योजनागत परिव्यय का ब्यौरा।**

करोड रूपयों में

| माध्यम | 1994-95 | | 1995-96 | |
|---|---|---|---|---|
| | योजनागत | गैर योजनागत | योजनागत | गैर योजनागत |
| 1. प्रसारण माध्यम | | | | |
| (1) दूरदर्शन | 256.00 | 652.34 | 313.78 | 775.21 |
| (2) आकाशवाणी | 132.32 | 318.94 | 135.00 | 371.79 |
| 2. सूचना माध्यम | 11.45 | 76.33 | 17.79 | 86.88 |
| 3. फिल्म माध्यम | 25.53 | 22.58 | 28.93 | 23.23 |
| योग | 425.30 | 1070.19 | 495.50 | 1257.11 |

## विवरण-II

**माध्यम एककों द्वारा योजनागत स्कीमों के वास्तविक कार्यान्वयन के बारे में प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा।**

(क). प्रसारण माध्यम

1. दूरदर्शन

| | | 31.3.94 की स्थिति के अनुसार | 31.3.95 की स्थिति के अनुसार | 1994-95 के दौरान वृद्धि |
|---|---|---|---|---|
| 1. | कार्यक्रम निर्माण केन्द्र | 32 | 34 | 2 |
| 2. | उच्च शक्ति ट्रांसमीटर | 70 | 74 | 4 |
| 3. | अल्प शक्ति ट्रांसमीटर | 389 | 478 | 89 |
| 4. | अति अल्प शक्ति ट्रासमीटर | 82 | 100 | 18 |
| 5. | जनसंख्या कवरेज(%) | 84.5 | 85.1 | 0.6 |
| 6. | क्षेत्र कवरेज | 66.6 | 67.8 | 1.2 |
| 7. | चैनलों की संख्या | 6 | 16 | 10 |
| 8. | कार्यक्रम निर्माण (घंटे प्रति सप्ताह) | 921 | 1021 | 100 |

2. आकाशवाणी

| | | 31.3.94 की स्थिति के अनुसार | 31.3.95 की स्थिति के अनुसार | 1994-95 के दौरान वृद्धि |
|---|---|---|---|---|
| I. | प्रसारण केन्द्र | 171 | 177 | 6 |
| | (क) क्षेत्रीय केन्द्र | 102 | 105 | 3 |
| | (ख) स्थानीय रेडियो केन्द्र | 62 | 65 | 3 |
| II. | ट्रांसमीटर | | | |
| | (क) मीडियम वेव | 144 | 146 | 2 |
| | (ख) शार्ट वेव | 43 | 50 | 7 |
| | (ग) वीएचएफ/एफ एम | 83 | 87 | 4 |
| III. | कवर किया गया क्षेत्र(%) | 89.6 | 89.7 | 0.1 |
| | (%) कवर की गई जनसंख्या(%) | 97.0 | 97.1 | 0.1 |

(ख). सूचना माध्यम :

3. पत्र सूचना कार्यालय(पीआईबी)

पत्र सूचना कार्यालय के प्रयासों में समाचार महत्ता के दस्तावेजों के प्रसारण द्वारा सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों से संबंधित सूचना के प्रसार को सुधारने पर मुख्य बल दिया गया था। क्षेत्रीय और शाखा कार्यालयों में फैक्स मशीनें लगाकर कार्यवाही में तेजी लाई गई। पत्र सूचना कार्यालय का एक शाखा कार्यालय 2 अप्रैल, 1994 को नान्देड़ में खोला गया था। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 1 अक्तूबर,1994 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रेस केन्द्र की स्थापना हेतु आधारशिला रखी गई थी।

4. विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय

एक योजनागत स्कीम के अंतर्गत विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा गैट संबंधी सूचना के प्रसार का कार्य हिन्दी और 11 प्रादेशिक भाषाओं में एक विशेष कार्यकलाप के रूप में शुरू किया गया था।

5. प्रकाशन विभाग

महात्मा गांधी के 125 वें जन्म शताब्दी समारोहों की शुरूआत करते हुए माननीय प्रधानमंत्री ने 1.10.94 को सम्पूर्ण गांधी वाडमिंग के 100 वें और अंतिम खण्ड के प्रकाशित ग्रंथ का विमोचन किया।

6. फोटो प्रभाग

वर्ष 1994-95 के दौरान नए प्रसंस्करण उपस्कर/कैमरे लेने के लिए एसटीसी को मांग पत्र दिया था। फोटो प्रभाग के मुख्य कार्यालय तथा बंबई, कलकत्ता, मद्रास और गुवाहाटी स्थिति इसके क्षेत्रीय कार्यालयों में कंप्यूटरीकृति फोटो डाटा बैंक स्थापित किया जा चुका है। फोटोग्राफों की फीडिंग से संबंधित कार्य में प्रगति हुई।

7. भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक का कार्यालय

भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक के कार्यालय ने अपने बंबई क्षेत्रीय कार्यालय को भारतीय समाचार पत्रों ने पंजीयक के मुख्यालय के कंप्यूटरों के साथ जोडना शुरू किया। स्थल सज्जा कार्य सिविल निर्माण स्कंध, आकाशवाणी, बंबई को सौंप दिया गया था तथा हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर उपकरण की खरीद राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के माध्यम से की गई थी।

8. भारतीय जनसंचार संस्थान

(क) छात्रावास भवन के निर्माण कार्य को जारी रखा गया।

(ख) प्रकाशन एकक के लिए फोटो शॉप, क्वार्क एक्सप्रेस एचपी 11 स्कैनर, लेजर राइटर जैसे मुद्रण उपकरण तथा अन्य साज सामान लिए गए थे

(ग) मीडिया लाइब्रेरी के लिए नवीनतम पुस्तकें, संदर्भ सामग्री, टीवी सेट/वीसीआर लिए गए।

(घ) अनुसंधान विभाग ने 7 अनुसंधान अध्ययन पूरे किए।

(ङ) (संस्थान ने अतिथि सदस्यों को नियुक्त किया गया तथा बंजर भूमि पर सफल कहानियों संबंधी अनुसंधान लेखों को प्रकाशित करने के लिए चुने हुए पत्रकारों को शिक्षावृत्ति से सम्मानित किया।

(च) संस्थान ने श्रव्य दृश्य विभाग में प्रसारण सुविधाओं संबंधी अध्यापन में सुधार करने के लिए हाई 8 कामकोर्डर्स, वीडियो कैसेट, संपादन रिकार्डर, यू-मैटिक केसे रिकार्डर, ओवर हैड प्रोजेक्टर जैसे नीवतम उपकरण तथा अन्य साज सामान प्राप्त किए।

(छ) उडीसा में धेनकनाल स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान की शाखा जिसने 1993 से कार्य करना शुरू किया था, ने पत्रकारिता में प्रथम डिप्लोमा पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया तथा शैक्षिक वर्ष अवधि का अगला पाठ्यक्रम शुरू किया। अगला पाठ्यक्रम भी अप्रैल, 1995 में पूरा हो गया था।

9. गीत और नाटक प्रभाग

विभिन्न योजना स्कीमों के तहत, गीत और नाटक प्रभाग ने लगभग 10,500 के करीब कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इन कार्यक्रमों को पंजाब, जम्मू तथा कश्मीर, असम और उत्तर-पूर्व के सीमावर्ती और गड़बड़ी वाले क्षेत्रों में साम्प्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करने के लिए प्रस्तुत किया गया था। मध्यप्रदेश, बिहार, उड़ीसा और राजस्थान के जनजातीय/पहाड़ी/रेगिस्तानी क्षेत्रों में विकास संबंधी कार्यक्रम भी जनजातीय लोक मंडलियों द्वारा प्रस्तुत किए गए। 1994-95 के दौरान उड़ीसा, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश तथा दिल्ली राज्यों में भारत के इतिहास और संस्कृति संबंधी ध्वनि और प्रकाश कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भाव को प्रोत्साहित करने वाले सद्भावना समारोह कर्नाटक, तमिलनाडु, मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल और उत्तर-पूर्व के सभी सात राज्यों में आयोजित किए गए थे।

10. क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय

फिल्म फोचरैट्स तथा स्पॉटस आदि प्राप्त किए गए थे जिससे कि सामाजिक महत्व के संदेशों सहित विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में सूचना लोगों तक सम्प्रेषित की जा सके। क्षेत्रीय प्रचार एककों के संघटन में भी सुधार किया गया था।

11. मुख्य सचिवालय

1994-95 के दौरान सूचना भवन के भाग-3 का शेष कार्य पूरा किया गया। कार्यकलापों में हुई वृद्धि से निपटने के लिए वेतन एवं लेखा कार्यालय को सुदृढ किया गया। "मेकिंग ऑफ महात्मा" फिल्म बनाने के उद्देश्य हेतु गठित दक्षिण अफ्रीकी न्याय के उद्देश्यों से बनने वाली उक्त फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के जरिए 2.50 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई।

ग. फिल्म मीडिया :

12. फिल्म प्रभाग

प्रभाग ने ग्रामीण दर्शकों के लिए विशेष रूप से 16 एम. एम. में विशेष और फोचरैट फिल्मों के निर्माण का कार्य हाथ में लिया। इसने चलचित्रिको उपकरण के उन्नयन और स्थापना संबंधी स्कीम तथा बम्बई स्थित भवन के तीसरे भाग के पुन: निर्माण का कार्य हाथ में लिया। 'चलचित्रों की उपकरणों की उन्नयन तथा परिवर्तन' स्कीम के अंतर्गत प्रभाग ने नागल टेप रिकार्डरों हेतु आर्डर प्रस्तुत किए। इसके अतिरिक्त, प्रभाग ने फिल्म लाइब्रेरी हेतु पैकेज टाइप ऐसी की स्थापना का कार्य तथा विपणन और विक्रय संवर्धन कक्ष के सृजन का कार्य हाथ में लिया। फिल्म प्रभाग परिसर में गुलशन महंत भवन के पुन: निर्माण का कार्य शुरू किया गया। 1994-95 के दौरान, प्रभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में होने वचाले परिस्थितिकीय, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तनों को दर्शाने वाली 6 फोचरैट फिल्में पूरी की। विभिन्न विषयों पर 12 और फिल्में निर्माणाधीन हैं।

13. भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार :

भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार ने 163 फिल्म, 558

पुस्तक, 184 इश्तहार, 1023 स्टिल, 406 स्लाइड, 147 वाल पोस्टर, 374 गीत पुस्तिका तथा 78 वीडियो कैसेट प्राप्त की। अभिलेखागारीय आंकड़ों के कम्प्यूटरीकरण में प्रगति की गई। पुणे में जून-जुलाई, 1995 में 5 सप्ताह का वार्षिक फिल्म मूल्यांकन पाठ्यक्रम आयोजित किया और अन्य केन्द्रों में भी कुछ अल्प कालिक पाठ्यक्रम भी आयोजित किए गए।

**वर्ष 1994–95 के दौरान निम्नलिखित परियोजनाओं का ठेका दिया गया।**

(1) चन्दूलाल शाह– महान अग्रणी निर्माता पर एक मोनोग्राफ–श्री उषा कान्त मेहता, बड़ोदा द्वारा निर्देशित।

(2) "हिस्ट्री ऑफ मराठी फिल्म म्यूजिक"–श्रीमती अरूणा ए. दम्ले, पुणे (शोध शिक्षावृत्ति )

**14. राष्ट्रीय बाल एवं युवा चलचित्र केन्द्र**

एक फीचर फिल्म तथा 2 टी.वी. धारावाहिकों को पूरा किया गया। एक फीचर फिल्म तथा एक लघु फिल्म के निर्माण कार्य में प्रगति हुई। 7 उप–शीर्षकांकन भी पूरे किए। 3 फीचर फिल्में खरीदी गई। आठवें अन्तर्राष्ट्रीय बाल फिल्म समाहरोह से संबंधित बाद के समारोह कार्यकलापों को पूरा किया गया। 9वें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह से संबंधित समारोह के पूर्व कार्यकलापों को शुरू किया गया। वर्ष 1994–95 के दौरान, राष्ट्रीय बाल एवं युवा चलचित्र केन्द्र ने 14 फिल्मों के साथ 17 अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भाग लिया। वीडियो सम्पादन उपकरण के आयात हेतु प्रारंभिक कार्य पूरा किया गया। एक ऐनिमेशन कार्यशाला आयोजित की गई।

**15. फिल्म समारोह निदेशालय**

फिल्म समारोह निदेशालय ने एशियाई फिल्म समारोहों तथा एशियाई सिनेमा से संबंधित समारोहों सहित 55 से अधिक समारोहों में भाग लिया। मिश्र में 'भारतीय दिवस' के भाग के रूप में सांस्कृतिक आदान–प्रदान कार्यक्रमों के अंतर्गत कैरो में 11 भारतीय फिल्में प्रदर्शित की गई। मारीशस तथा ब्राजील में सत्यजीत रे की फिल्मों का सिंहावलोकन किया गया। टोरंटो फिल्म समारोह में "इंडियन नॉव" खण्ड के अंतर्गत 14 फिल्में प्रदर्शित की गई। चीन में भारत महोत्सव के भाग के रूप में सिंघाली में 8 भारतीय फिल्में प्रदर्शित की गई। लन्दन में गुरू दत्त की फिल्मों का सिंहावलोकन आयोजित किया गया। केन्स, मेन्हेइन, म्यूनिख, प्योंग्योंग, सान फ्रांसिस्को, सिडनी, कालोदी वारी तथा फ्यूकोका सहित कई विदेशी फिल्म समारोहों में भारतीय फिल्में शामिल की गई। राष्ट्रीय फिल्म समारोह एवं राष्ट्रीय पुरस्कार समारोह निदेशालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। इसने भारतीय पैनोरमा के प्रदर्शनों को भी व्यवस्था की थी। भारतीय फिल्म सप्ताह कजाकिस्तान ,मोजाम्बिक एवं घाना में आयोजित किए गए थे। सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के अंतर्गत, ब्राजील, श्रीलंका, सीरिया और इटली के फिल्म सप्ताह दिल्ली, भुवनेश्वर एवं हैदराबाद में आयोजित किए गए थे। भारत का अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 1995, 10 से 20 जनवरी, 1995 तक बम्बई में आयोजित किया गया था।

**16. राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम :**

राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने 8 फिल्मों के निर्माण हेतु तथा अपनी सह–निर्माण श्रेणी के अंतर्गत 14 फिल्मों के निर्माण हेतु भी तथा सिनेमा उपकरण के क्रय करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की। इसने 6 थियेटरों के निर्माण एवं टी.वी. और थियट्रीकल प्रकाश दोनों के 60 शीर्षकों के आयात हेतु भी वित्तीय सहायता प्रदान की। निगम ने आधुनिकीकरण की परियोजना एवं नई परियोजनाओं को चालू करने का कार्य हाथ में लिया। निगम ने बम्बई में लॉसेर सब–टाइटलिंग यूनिट एवं नई दिल्ली में ऑडियो डिसप्ले ब्रॉडकास्ट सिस्टम स्थापित किया।

**17. केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड:**

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र को बम्बई में बोर्ड के कम्प्यूटरीकरण के लिए सौंपी गई एक व्यापक स्कीम कार्यान्वित की गई।

**18. भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे :**

भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे ने फिल्म स्कंध के विभिन्न विभागों के लिए मशीनरी। उपकरण एवं आयातित सामान प्राप्त किया। आधुनिक सुविधाओं सहित, एक ध्वनि रिकार्डर थियेटर 1994–95 के दौरान निर्मित किया गया है।

**19. सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कलकत्ता:**

सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान के भवन के लिए प्रारंभिक सिविल निर्माण कार्य शुरू किया गया।

## नई दूर संचार नीति

***168. श्री अशोक आनन्दराव देशमुख : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) राष्ट्रीय दूर–संचार नीति की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ख) इसकी क्रियान्विति के संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री(श्री सुखराम) :** (क) राष्ट्रीय दूरसंचार नीति,1994 की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:-

(i) वर्ष 1997 तक मांग पर टेलीफोन उपलब्ध कराना;

(ii) वर्ष 1997 तक सभी गांवों को दूरसंचार सुविधा प्रदान करना;

(iii) दूरसंचार सेवा की विश्व-स्तरीय गुणवत्ता सुनिश्चित करना;

(iv) वाजिब मूल्य पर ग्राहकों की मांग पूरी करने के लिए सेवा की विस्तृत अनुमत्य रेंज प्रदान करना;

(v) भारत के दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र का विकास करना ताकि

यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश प्रमुख विनिर्माण आधार के रूप में और दूरसंचार उपस्कर के प्रमुख निर्यातक के तौर पर उभर कर सामने आए।

(vi) प्रोद्योगिकी का अन्तर्वाह सरल बनानां और स्वदेशी प्रोद्योगिकी को प्रोत्साहित करना;

(vii) मूलभूत और साथ ही मूल्यवर्धित दूरसंचार सेवाओं के क्षेत्र में भारत में पंजीकृत कंपनियों की भागीदारी और ग्राहक-हितों की सुरक्षा एवं संवर्धन के लिए प्रबंध करना तथा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना;

(ख) दूरसंचार नीति के विभिन्न पहलुओं के कार्यान्वयन की दिशा में काफी प्रगति की गई है अब तक उठाए गए कदमों में निम्नलिखित कदम शामिल हैं:

(i) मूलभूत दूरसंचार सेवाओं में निजी क्षेत्र के प्रवेश संबंधी मार्गनिर्देशों की, सितम्बर, 1994 में घोषणा ;

(ii) भारतीय पंजीकृत कंपनियों से निविदाएं आमंत्रित करना, जिन पर विभिन्न चरणों में कार्रवाई हो रही है; 4 महानगरों (दिल्ली,बम्बई,कलकत्ता और मद्रास) में 8 कम्पनियों को सेल्यूअर संचल सेवाओं के लिए लाइसेंस दिए गए हैं। लगभग सभी सर्किलों के लिए रेडियो पेजिंग हेतु लाइसेंस दिए गए। मूलभूत सेवाओं के लिए अभी तक कोई लाइसेंस जारी नहीं किए गए हैं।

(iii) प्रत्येक सेवा क्षेत्र में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने के बारे में निविदा दस्तावेज में 15 प्रतिशत प्राथमिकता देना।

(iv) देश में इलेक्ट्रोनिक मेल सेवा के प्रचालन के लिए 12 लाइसेंस प्रदान करना।

(v) बंबई, कलकत्ता, मद्रास, बैंगलूर, चंडीगढ, इंदोर, जयपुर, कानपुर, लखनऊ और वारणसी में वॉयस मेल /आडिया टेक्स सेवा के प्रचालन के लिए 5 कंपनियों को लाइसेंस मंजूर करना;

(vi) अखिल भारतीय आधार पर उपग्रह के जरिए 64 टेलीपीएस डाटा सेवा की शुरुआत,

(vii) 23 शहरों में रेडियो पेजिंग सेवा तथा दिल्ली,बंबई,कलकत्ता और मद्रास के सभी 4 महानगरों में सेल्यूलर सचल सेवा की शुरूआत;

(viii) दूरसंचार उपस्कर, उनके कलपुर्जों और उपांगों पर लगने वाले सीमा शुल्क को युक्तिसंगत बनाना ताकि इनके विनिर्माण को प्रोत्साहित किया जा सके;

(ix) भारत से दूरसंचार उपस्कर का निर्यात बढाने के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भारतीय मंडप लगाना, विवरण पुस्तिकाओं के जरिए दूरसंचार उत्पाद का सीधा विपणन व्यापार प्रतिनिधि मंडल आदि भेजना;

(x) पहले तीन वर्षों में प्रयुक्त उपस्कर के कुल मूल्य के अनुपात के तौर पर देश में निर्मित उपस्कर के मूल्य के संबंध में मूलभूत सेवाओं की निविदा में 3 प्रतिशत की प्राथमिकता देकर और उच्च स्तर की विदेशी इक्विटी की अनुमति देकर, भारत में विनिर्माण सुविधाएं स्थापित करने के लिए बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहित करना;

(xi) आठवीं पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षों के दौरान 3.98 मिलियन सीधी एक्सचेंज लाइनों की व्यवस्था करना और वर्ष 1995-96 के दौरान 3 मिलियन सीधी एक्सचेंज लाइनें, वर्ष 1996-97 के दौरान लगभग 3.2 मिलियन सीधी एक्सचेंज लाइनें और निजी टेलीफोन प्रचालकों द्वारा 2.5 मिलियन सीधी एक्सचेंज लाइनें प्रदान करने की योजना है;

(xii) 30.11.95 तक 194848 गांवों में सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा की व्यवस्था और वर्ष 1996-97 के लिए 1,20,000 ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित करना;

(xiii) 1.4.95 तक शहरी क्षेत्रों में 2,52,500 सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करना और वर्ष 1995-96 तथा 1996-97 के लिए क्रमश: 1,00,000 और 1,25,000 सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित करना;

(xiv) टेलीफोन सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए उठाए गए कदमों में निम्नलिखित कदम शामिल हैं:- पुराने, घिसे पिटे और मियाद समाप्त उपस्कर को बदलकर अद्यतन प्रोद्योगिकी का उपस्कर संस्थापित करना, बाहरी संयंत्र का उन्नयन, जेली भरे केबिलों का इस्तेमाल, ऑप्टिकल फाइबर केबिल, जंक्शन तथा केबिल नेटवर्क में सुधार करने के लिए पी. सी. एम. प्रणाली, दोष नियत्रण कार्य, डाइरेक्टरी पूछताछ, बिलिंग आदि का कम्प्यूटरीकरण, बरसात के मौसम में केबिल की खराबियों पर कड़ी निगरानी, केबिल खराबियों को कम करने के लिए केबिल बिछाने हेतु अधिक केबिल डक्टों का इस्तेमाल और कार्यनिष्पादन संबंधी लक्ष्यों को और सार्थक बनाना;

(xv) पट्टा और आस्थगित भुगतान के माध्यम से अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए नवीन साधनों का इस्तेमाल करना, जो आठवीं योजना के लिए 1554 करोड रू. तक की राशि के संसाधन बढाने में सहायक हैं;

(xvi) दूरसंचार अनुसंधान और विकास परियोजनाओं के वित्त-पोषण के लिए अनुसंधान और विकास उप-कर शुरू करने का निर्णय और अनुसंधान और विकास उप-कर के तौर पर मूलभूत सेवाएं प्रदान करने के कारोबार में लाइसेंसधारी प्रचालक द्वारा अर्जित सकल लाभ का 1.5 प्रतिशत अदा करने की अनिवार्यता का मूलभूत दूरसंचार सेवाओं के निविदा दस्तावेज में प्रावधान ।

(xvii) इसके अलावा सरकार ने, दूरसंचार क्षेत्र के और विकास, ग्राहकहितों की सुरक्षा और संवर्धन तथा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानी तंत्र के तौर पर कार्य करने हेतु एक सांविधिक दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का गठन करने का निर्णय

लिया है । इस संबंध में संसद के समक्ष एक विधान प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है ।

**टेलीफोन कनेक्शन लगाने के लिए निर्धारित लक्ष्य**

*169. **श्री राम कृपाल यादव :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान टेलीफोन कनेक्शन लगाने के लिए राज्यवार एवं वर्षवार कोई लक्ष्य निर्धारित किये गये थे,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) बिना बारी के कितने टेलीफोन कनेक्शन राज्य-वार एवं वर्षवार लगाए गए?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) :** (क) जी हां।

(ख) और (ग) गत तीन वर्षों के लिए टेलीफोन कनेक्शनों की संस्थापना हेतु निर्धारित राज्यवार लक्ष्य तथा संस्थापित टेलीफोनों की संख्या, संलग्न विवरण में दी गई है।

**विवरण**

गत तीन वर्षों के दौरान नए टेलीफोन कनेक्शनों के लक्ष्य तथा उपलब्धियाँ।

| क्र.सं. | राज्य | 1992-93 | | 1993-94 | | 1994-95 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 66000 | 63278 | 77000 | 77857 | 82000 | 138278 |
| 2. | असम | 10000 | 11461 | 13000 | 13450 | 10000 | 13103 |
| 3. | बिहार | 23000 | 34389 | 27000 | 37189 | 35000 | 44068 |
| 4. | गुजरात(दीव दादर दमन और नगर हवेली सहित | 94000 | 79275 | 81000 | 82187 | 80500 | 122507 |
| 5. | हरियाणा | 26000 | 23343 | 41000 | 41793 | 22000 | 47008 |
| 6. | हिमाचल | 7000 | 7030 | 10000 | 11009 | 12000 | 21349 |
| 7. | जम्मू एवं कश्मीर | 3500 | 2569 | 7000 | 7047 | 4000 | 4983 |
| 8. | कर्नाटक | 46000 | 59413 | 62000 | 73539 | 79000 | 136000 |
| 9. | केरल (संघ राज्य क्षेत्र लक्ष दीप सहित) | 80000 | 72200 | 53000 | 58936 | 79000 | 90460 |
| 10. | मध्यप्रदेश | 50000 | 72537 | 98000 | 101964 | 57000 | 88619 |
| 11. | महाराष्ट्र गोवा सहित | 116500 | 178062 | 156800 | 245463 | 247000 | 36207 |
| 12. | उत्तर पूर्व अरूणाचल प्रदेश (मणिपुर,मेघालय,मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा सहित) | 7000 | 9200 | 7300 | 8687 | 8000 | 8689 |
| 13. | उड़ीसा | 9000 | 15083 | 26000 | 21021 | 8000 | 13638 |
| 14. | पंजाब (संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ सहित) | 23000 | 33503 | 51000 | 59008 | 70500 | 101059 |
| 15. | राजस्थान | 32000 | 58081 | 62000 | 75135 | 67000 | 34623 |
| 16. | तमिलनाडु (संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी सहित) | 65000 | 63295 | 96700 | 94116 | 152000 | 149899 |
| 17. | उत्तर प्रदेश | 70000 | 92590 | 115000 | 59330 | 82000 | 116290 |
| 18. | पश्चिम बंगाल (सिक्किम सहित) | 37000 | 35952 | 51200 | 47885 | 71000 | 70240 |
| 19. | दिल्ली | 80000 | 83558 | 76600 | 125020 | 260000 | 153090 |
| | जोड़ : | 850000 | 986819 | 1111600 | 1240636 | 1426000 | 1779716 |

[अनुवाद]

**असामाजिक तत्वों द्वारा महिलाओं के साथ बलात्कार**

*170. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या गृहमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 सितम्बर, 1995 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में "सेल्फ हेल्प टर्न रेप विक्टिमूस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और अन्य ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार गत तीन महीनों के दौरान देश के विभिन्न भागों में महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार और उन पर हो रहे अन्य प्रकार के अत्याचारों से संबंधित समाचारों से अवगत है;

(घ) यदि हो, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा महिलाओं, विशेष रूप से कमजोर वर्गों और ऐसे अत्याचारों से शिकार हो सकने वाले वर्गों की महिलाओं को इन अत्याचारों से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

**गृहमंत्री (श्री एस. बी. चव्हाण)** : (क) से (ङ). "वूमैनस इनिसियेटिव फार डवलपमेंट एजूकेशन" नामक स्वयंसेवी संगठन के अन्तर्गत प्रोग्राम को-ओर्डिनेटर के रूप में कार्यरत कुमारी मिनति दास, और उसकी सहयोगी रिबेती होरो 7.9.95 को लगभग 4.00 बजे सांय को जब गांव सुघुगा से थाना लाईकेडा जिला झारसुगुड्डा, उड़ीसा के अंतर्गत सहसपुर में अपने कैम्प को वापस लौट रही थी, तो उनके साथ चार व्यक्तियों ने सामूहिक बलात्कार किया । प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने पर राज्य अपराध शाखा द्वारा जब जांच पड़ताल शुरू की गयी। सभी चारों अभियुक्तों की शिनाख्त कर ली गयी और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनके खिलाफ भा. दं. सं. की धारा 376(2) (छ)/506/379 के अंतर्गत 13.11.95 को न्यायालय में एक आरोप पत्र दायर किया गया ।

1995 के दौरान महिलाओं के साथ हुए अपराधों की घटनाओं का ब्यौरा विवरण I और II में संलग्न हैं। "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं अत: महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों को दर्ज करना, उनकी जांच करना, उनका पता लगाना और उन्हें रोकने के जिम्मेवारी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों की है । महिलाओं के प्रति अपराधों की रोकथाम के लिए कदम उठाने की प्राथमिक जिम्मेवारी भी राज्य सरकारों की है। महिलाओं के प्रति अत्याचारों के संबंध में उठाए जाने वाले निवारात्मक दंडात्मक और पुनर्वास उपायों के बारे में केन्द्र सरकार समय-समय पर संबंधित राज्य सरकारों को लिखती रही है। 'ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास' (डी. डब्ल्यू.ए.सी आर.ए.) कार्यक्रम इत्यादि जैसे अनेक विकास कार्यक्रमों के अलावा,भारत सरकार, इस प्रकार के अपराधों के लिए दिए जाने वाले दण्ड को अधिक सख्त और दण्डात्मक स्वरूप के बनाने हेतु उनमें समय-समय पर संशोधन और परिवर्तन करती रही हैं।

**विवरण I**

**1995 के दौरान उत्पीड़न और छेड़छाड़ की घटनाएं (राज्य और संघ शासित क्षेत्र-वार)**

| क्र.स. | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | उत्पीड़न | छेड़छाड़ | टिप्पणी(ये आंकड़े निम्न महीनों तक के हैं) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 1608 | 1852 | अगस्त |
| 2 | अरूणाचल प्रदेश | 14 | 1 | अगस्त |
| 3. | असम | उ.न. | उ.न. | मई |
| 4. | विहार | 196 | 6 | मई |
| 5. | गोवा | 27 | 6 | सितम्बर |
| 6. | गुजरात | 504 | 24 | जून |
| 7. | हरियाणा | 211 | 205 | जून |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 213 | 19 | सितम्बर |
| 9. | जम्मू एवं कश्मीर | 21 | 34 | मार्च |
| 10. | कर्नाटक | 857 | 95 | अगस्त |
| 11. | केरल | 614 | 14 | सितम्बर |
| 12. | मध्यप्रदेश | 3568 | 674 | जुलाई |
| 13. | महाराष्ट्र | 2287 | 452 | अगस्त |
| 14. | मणिपुर | 23 | 0 | सितम्बर |
| 15. | मेघालय | 10 | 0 | अप्रैल |
| 16. | मिजोरम | 36 | 0 | अगस्त |
| 17. | नागालैंड | 1 | 0 | सितम्बर |
| 18. | उड़ीसा | 374 | 41 | अप्रैल |
| 19. | पंजाब | 37 | 5 | अगस्त |
| 20.. | राजस्थान | 1074 | 20 | जुलाई |
| 21. | सिक्किम | 22 | 0 | अगस्त |
| 22. | तमिलनाडु | 461 | 1049 | जुलाई |
| 23. | त्रिपुरा | 51 | 0 | अगस्त |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 1916 | 2209 | अगस्त |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 499 | 11 | मई |
| | योग (राज्य) | 14624 | 6717 | |
| | **संघ शासित क्षेत्र** | | | |
| 26. | अ. एवं न. द्वीप समूह | 9 | 0 | सितम्बर |
| 27. | चण्डीगढ | 7 | 10 | सितम्बर |
| 28. | दा. एव न. हवेली | 2 | 0 | अगस्त |
| 28. | दमन एवं द्वीव | 0 | 0 | अगस्त |
| 30. | दिल्ली | 395 | 181 | सितम्बर |
| 31. | लक्षद्वीप | 0 | 0 | सितम्बर |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 32. | पांडिचेरी | 5 | 21 | सितम्बर |
| | योग (संघ शासित क्षेत्र) | 418 | 212 | |
| | योग (अखिल भारतीय) | 15042 | 6929 | |

स्त्रोत-मासिक अपराध आंकड़े

टिप्पणी: 1. आंकड़े अन्तिम हैं ।

2. उ. न. का अर्थ उपलब्ध नहीं हैं ।

**विवरण II**

1995 के दौरान बलात्कार की घटनाएं (राज्य और संघ शासित क्षेत्र वार)

| क्र.सं. | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | बलात्कार | | | | टिप्पणी |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | हिरासत में | सामूहिक | अन्य | कुल | (ये आंकडे निम्न महीनों तक के हैं) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 6 | 36 | 531 | 573 | अगस्त |
| 2. | अरूणाचल प्रदेश | 0 | 4 | 9 | 13 | अगस्त |
| 3. | असम | उ.न. | उ.न. | उ.न. | - | - |
| 4. | बिहार | 0 | 11 | 340 | 351 | मई |
| 5. | गोवा | 0 | 0 | 12 | 12 | सितम्बर |
| 6. | गुजरात | 3 | 2 | 116 | 121 | जून |
| 7. | हरियाणा | 2 | 1 | 125 | 128 | जून |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 0 | 1 | 95 | 96 | जून |
| 9. | जम्मू एवं कश्मीर | 0 | 0 | 24 | 24 | मार्च |
| 10. | कर्नाटक | 0 | 6 | 162 | 168 | अगस्त |
| 11. | केरल | 0 | 2 | 183 | 185 | सितम्बर |
| 12. | मध्यप्रदेश | 5 | 23 | 1794 | 1822 | जुलाई |
| 13. | महाराष्ट्र | 3 | 63 | 861 | 927 | अगस्त |
| 14. | मणिपुर | 0 | 0 | 8 | 8 | सितम्बर |
| 15. | मेघालय | 5 | 5 | 5 | 15 | जुलाई |
| 16. | मिजोरम | 1 | 3 | 17 | 21 | अगस्त |
| 17. | नागालैंड | 2 | 0 | 10 | 12 | सितम्बर |
| 18. | उड़ीसा | 4 | 8 | 132 | 144 | अप्रैल |
| 19. | पंजाब | 7 | 0 | 55 | 62 | अगस्त |
| 20. | राजस्थान | 0 | 19 | 575 | 594 | जुलाई |
| 21. | सिक्किम | 0 | 0 | 3 | 3 | अगस्त |
| 22. | तमिलनाडु | 0 | 0 | 160 | 160 | जुलाई |
| 23. | त्रिपुरा | 0 | 7 | 46 | 53 | अगस्त |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 6 | 1 | 1354 | 1361 | अगस्त |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 0 | 43 | 246 | 289 | मई |
| | योग(राज्य) | 44 | 235 | 6863 | 7142 | |
| | संघ शासित क्षेत्र | | | | | |
| 26. | अ. एवं नि. द्वीप समूह | 0 | 0 | 4 | 4 | सितम्बर |
| 28. | चण्डीगढ़ | 0 | 0 | 4 | 4 | सितम्बर |
| 28. | दा. एवं न. हवेली | 0 | 0 | 1 | 1 | अगस्त |
| 29. | दमन एव द्वीव | 0 | 0 | 1 | 1 | अगस्त |
| 30. | दिल्ली | 0 | 2 | 251 | 253 | सितम्बर |
| 31. | लक्षदीप | 0 | 0 | 0 | 0 | सितम्बर |
| 32. | पांडिचेरी | 0 | 0 | 2 | 2 | सितम्बर |
| | योग(संघ शासित क्षेत्र | 0 | 2 | 263 | 265 | |
| | योग (अखिल भारत) | 44 | 237 | 7126 | 7407 | |

स्त्रोत : मासिक अपराध आंकड़े

टिप्पणी: 1. आंकड़े अंतिम हैं ।

2. उ. न. का अर्थ उपलब्ध नहीं हैं।

[हिन्दी]

**रसोई गैस के कनेक्शन**

*171. **श्रीमती भावना चिखलिया :** क्या पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान 30 नवम्बर, 1995 तक की स्थिति के अनुसार हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन और भारतीय तेल निगम के चेयरमैन, प्रबंध निदेशकों, निदेशकों, महाप्रबंधकों, सहायक महाप्रबंधकों, वरिष्ठ प्रबंधकों/प्रबंधकों द्वारा अपनी-अपनी स्वैच्छिक शक्तियों का उपयोग करके रसोई गैस कनेक्शन जारी करने संबंधी अलग-अलग ब्यौरा क्या है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त अवधि के दौरान इन तेल कंपनियों के उक्त अधिकारियों ने अपनी स्वैच्छिक शक्तियों का उपयोग करते हुए संसद सदस्यों की सिफारिशों पर गैस कनेक्शन जारी किये थे ;

(ग) यदि हां, तो इन तेल कंपनियों के अधिकारियों द्वारा जारी किये गये गैस कनेक्शनों संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

**पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) :** (क) एच. पी. सी. तथा आई. ओ. सी. के अधिकारियों द्वारा जारी किए गए एल. पी. जी. कनेक्शनों की संख्या:

एच. पी. सी. एल.

| | | 1993 | 1994 | 1995 (जनवरी से सितंबर 1995) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशक | 804 | 804 | 423 |
| 2. | कार्यकारी निदेशक, महाप्रबंधक तथा उप-महाप्रबंधक | 1212 | 1212 | 468 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 3. | मुख्य/वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक | 1008 | 1008 | 756 |
| 4. | दिल्ली समन्वय अधिकारी | 527 | 537 | 429 |
| | **आई. ओ. सी.** | | | |
| 1. | अध्यक्ष एवं निदेशक | 2031 | 2111 | 1959 |
| 2. | कार्यकारी निदेशक/महाप्रबंधक/ उप-महाप्रबंधक | 1672 | 1606 | 1113 |
| 3. | मुख्य मंडल प्रबंधक/वरिष्ठ मंडल प्रबंधक/मंडल प्रबंधक | 284 | 397 | 270 |
| 4. | मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक/वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक क्षेत्रीय प्रबंधक | 138 | 177 | 121 |

(ख) से (घ) आई. ओ. सी. ने संसद सदस्यों की सिफारिशों पर वर्ष 1993, 1994 एवं 1995 के दौरान 148 कनेक्शन जारी किए हैं। एच. पी. सी. ने यह बताया है कि वे इसके संबंध में अलग कोई रिकार्ड नहीं रखते हैं।

[अनुवाद]

**दूरदर्शन के पास धन की कमी**

*172. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा :**
**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव :**

क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 अक्तूबर, 1995 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "नो मनी इन डी डीज् फिट्टी फॉर साफ्टवेयर" शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है ; और

(ग) दूरदर्शन के पास धन की कमी को पूरा करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

**सूचना तथा प्रसारण मंत्री (श्री पी.ए. संगमा) :** (क) जी हाँ।

(ख) और (ग) सामान्य मध्य बजटीय समीक्षा के एक भाग के रूप में वित्त मंत्रालय से अतिरिक्त धनराशि की मांग की गई है।

**सिंचाई परियोजनाएं**

*173. **श्री धर्मण्णा भौंडय्या सादूल :**
**श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला :**

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देशीय परियोजनाओं संबंधी तकनीकी सलाहकार समिति ने हाल ही में पांच परियोजनाओं को स्वीकृति दी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ये परियोजनाएं किन-किन स्थानों पर स्थापित की जाएगी ; और

(ग) इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत क्या है और इनसे क्या लाभ प्राप्त होने की संभावना है ?

**जल संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :** (क) जी हां। सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुप्रयोजनीय परियोजनाओं की तकनीकी सलाहकार समिति ने 25.8.95 को हुई अपनी बैठक में पांच परियोजनाएं इस शर्त पर स्वीकृत की हैं कि राज्यों द्वारा तकनीकी सलाहकार समिति की कुछ टिप्पणियों की अनुपालना की जाए।

(ख) और (ग) सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

**सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुप्रयोजनीय परियोजनाओं की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा 25.8.95 को हुई इसकी बैठक में अनुमोदित परियोजनाओं का ब्यौरा**

| क्र.स. | परियोजनाओं का नाम | किन राज्य में हैं | अनुमानित लागत (करोड़ रूपये) | लाभ जिनके प्राप्त होने की संभावना है। | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ब्रह्मपुत्र नदी के कटाव से दैनीगांव और इसके आस पास के क्षेत्रों) हतिसाल और नीमति) की सुरक्षा के लिए बाढ़ नियंत्रण योजना | असम | 31.89 | बाढ़ नियंत्रण (27.62 करोड़ रू.) | समिति ने इस परियोजना को स्वीकार्य पाया और निवेश स्वीकृति प्रदान करने के लिये योजना आयोग से सिफारिश की है। |
| 2. | पगलदिया बांध | असम | 479.21 | बाढ़ नियंत्रण | समिति ने इस परियोजना पर |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| | परियोजना | | | (14.00 करोड़ रू.) सिंचाई (54160 हेक्टे.) विद्युत (3 मेगावाट) | विचार किया तथा पर्यावरण और वन मंत्रालय से पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्त पर इसे स्वीकार्य पाया। |
| 3. | चकन मध्यम सिंचाई परियोजना | राजस्थान | 9.5532 | सिंचाई (3377 हेक्टे.) | परियोजना को वन स्वीकृति राज्य वित्त विभाग द्वारा पर्याप्त निधियों के प्रावधान की शर्त पर स्वीकार्य पाया गया। |
| 4. | उड़ीसा जल संसाधन समेकन परियोजना | उड़ीसा | 977.00 | सिंचाई 1(2,62,739) (सुधार) 11 (66740 हेक्टे. (अतिरिक्त) | परियोजना को इस शर्त पर स्वीकार्य पाया गया कि उड़ीसा सरकार पर्यावरण और वन मंत्रालय से औपचारिक स्वीकृति प्राप्त करें। परियोजना को अब सितंबर, 1995 में योजना आयोग द्वारा निवेश स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। |
| 5. | तिपाईमुख बांध परियोजना | मणिपुर/ मिजोरम | 2899.00 | बाढ़ नियंत्रण (27.55 करोड़ रुपये) विद्युत (6x250 मेगावाट) | परियोजना को इस शर्त पर स्वीकार्य पाया गया कि पर्यावरण और वन मंत्रालय से पर्यावरणीय और वन स्वीकृति ले ली जाए तथा शर्त यह है कि परियोजना के लागत और लाभ के बंटवारे के संबंध में तीनों राज्यों अर्थात् असम, मणिपुर और मिजोरम के बीच समझौता होना चाहिए। |

[हिन्दी]

**डाक का कूड़ेदान में फेंका जाना**

*174. **श्री राम टहल चौधरी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को डाकियों द्वारा भारी मात्रा में चिट्ठियां आदि (डाक) कूड़े में फैंके जाने की अनेक घटनाओं की जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के लिए तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है; और

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम)** : (क) से (ग). विभिन्न सर्किलों में, दिनांक 01.01.95 से 15.11.95 तक की अवधि के दौरान, डाकियों द्वारा डाक को फेंक देने की निम्नलिखित घटनाएं ध्यान में आई हैं:-

(1) **दिल्ली डाक सर्किल** : डाक फेंके जाने के दो मामले ध्यान में आए। जनकपुरी रेजीडेंट्स एसोसिएशन के महासचिव, श्री एस.पी. जैन ने दिनांक 01.05.95 को 81 पत्र सौंपे, जो उन्हें एक नाले में पड़े हुए मिले। इन पत्रों को, उनके प्राप्तकर्ताओं को वितरित करने के लिए तत्काल कार्रवाई की गई। डाकिए के विरूद्ध कार्यवाही की गई और उसे दो वर्ष की अवधि के लिए उसके वेतन के टाइम-स्केल में दो स्टेज की कटौती करने का दण्ड दिया गया। अगस्त, 1995 में

फेडरेशन ऑफ पश्चिम विहार वेलफेयर एसोसिएशन को सड़क पर पड़े 18 पत्र मिले। ये पत्र मादीपुर जे.जे. कालोनी के लिए थे। श्री सन्त राम, डाकिए को इसके लिए जिम्मेवार पाया गया। उनके वेतन के टाइम-स्केल में वेतनवृद्धि दो वर्ष की अवधि के रोक दी गई है।

(2) **महाराष्ट्र सर्किल :** महाराष्ट्र सर्किल में डाकिए द्वारा डाक को फेंक देने की एक घटना दिनांक 05.06.1995 को ध्यान में आई, जो बाद में इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित हुई थी। इस मामले में, दिहाड़ी पर नियुक्त एक आउटसाइडर पोस्टमैन द्वारा बसई रोड़ डाकघर क्षेत्र के अन्तर्गत चुलना, रोड़ पर 167 पत्र फेंके गए थे। इन पत्रों को बरामद कर उसी दिन उनके प्राप्तकर्ताओं को वितरित कर दिया गया। आउटसाइडर पोस्टमैन की सेवाएं तत्काल समाप्त कर दी गई।

(3) **पश्चिम बंगाल सर्किल :** मुख्य पोस्टमास्टर जनरल, पश्चिम बंगाल सर्किल कलकत्ता को संबोधित एक शिकायत दिनांक 14.11.95 को प्राप्त हुई, जिसके साथ 200 पत्रों का बंडल भी था। ये पत्र कमालपुर क्षेत्र (डम-डम उप डाकघर) में एचएमवी गेट में एक नाली में फेके गए थे। इस मामले की व्यापक जांच-पड़ताल की जा रही है।

(घ) जिम्मेवार पाए गए कर्मचारियों के विरूद्ध पुलिस कार्रवाई के अलावा, उपयुक्त अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है। पर्यवेक्षी अधिकारियों द्वारा वितरण स्टाफ पर नियमित रूप से नजर रखी जाती है।

**कोयले की चोरी**

*175. **श्री छेदी पासवान :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिमी कोयला क्षेत्र से कोयले की ढुलाई के दौरान कोयले की चोरी होने की घटनाओं का पता चला है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में गत दो वर्षों में तथा चालू वर्ष के दौरान अब तक का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) अपराधियों की कार्यशैली क्या है ;

(घ) क्या ऐसी आशंका है कि पश्चिमी कोयला क्षेत्रों से कोयले की ढुलाई के लिए जिन ट्रांसपोर्टरों को ढुलाई का ठेके मिलते हैं उन्होंने बेहिसाब धन अर्जित किया है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है ;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(छ) कोयले की चोरी को रोकने हेतु क्या ठोस कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

**कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर) :** (क) से (ग). 1995-96 में वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. में परिवहन के दौरान कोयले की चोरी होने संबंधी एक मामले की सूचना मिली है, जिसमें कोयले के 2 ट्रकों को दूसरी ओर स्थानान्तरित किया गया था। पिछले दो वर्षों के दौरान ऐसा कोई मामला नहीं हुआ है।

(घ) इस संबंध में कोल इंडिया लि./वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. को कोई जानकारी नहीं है।

(ङ) और (च) प्रश्न ही नहीं उठता।

(छ) ऐसी चोरियों को रोकने के लिए उठाए गए कदम अथवा प्रस्तावित कदम निम्नलिखित है : -

1. कोयला स्टाकों के चारों ओर घेराबंदी दिवार का निर्माण किया जाना;
2. कोलियरियों को जाने वाली मुख्य सड़कों पर जांच-चौकियों को स्थापित किया जाना ;
3. कोयला के ढेरों की चारों ओर निगरानी-टॉवर स्थापित करना तथा प्रकाश की व्यवस्था करना;
4. आसूचना को संग्रह करना ;
5. स्थानीय पुलिस तथा कोलियरी के सुरक्षा कार्मियों के साथ अचानक जांच करना ;
6. कोलियरी सुरक्षा कर्मियों द्वारा चौबिस घंटे गश्त लगाया जाना;
7. ऐसी घटनाओं का उन्मूलन किए जाने के लिए जिला प्राधिकारियों के साथ बैठक करके कार्य म तैयार करना;
8. स्थानीय पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराना;
9. कोयले की चोरी में अन्तग्रस्त ट्रकों को काली-सूची में रखना।

[अनुवाद]

**शहरी अपशिष्ट पदार्थ प्रबंधन संबंधी योजना**

*176. **डा. राम कृष्ण कुसमरिया :** क्या योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 24 सितम्बर, 1995 के "द स्टेट्समैन में" "प्लानिंग कमीशन मूट्स प्लान फॉर अरबन वेस्ट मैनेजमेंट" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्ययोजना का ब्यौरा क्या है और इसमें केन्द्रीय सरकार की क्या भूमिका होगी; और

(ग) उक्त योजना को कब तक लागू किये जाने की सम्भावना है?

**योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) :** (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) रिपोर्ट तथा सिफारिशें राज्यों के मुख्य मंत्रियों तथा मुख्य सचिवों एवं संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों के सचिवों को उनके विचार और टिप्पणियां जानने के लिए परिचालित कर दी गई है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/केन्द्रीय मंत्रालयों के लिए कार्रवाई आरम्भ करने की कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं की गई।

जनसंख्या वृद्धि तथा तीव्र शहरीकरण के परिणास्वरूप स्वच्छता तथा अपशिष्ट निपटान (सोलिड वेस्ट) में विशेषतया बड़े शहरों में कमी आई है। इसका जनसंख्या पर, विशेषतया शहरी गरीबों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। योजना आयोग द्वारा भारत में शहरी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के सम्बन्ध में एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति सदस्य (स्वास्थ्य) की अध्यक्षता में शहरी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की बहु-आयामों वाली समस्या पर विचार करने तथा उपचारात्मक उपाय सुझाने के लिए अक्तूबर, 1994 में गठित की गई थी। समिति ने विचार-विमर्श के उपरांत अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

**प्रमुख सिफारिशों में शामिल सुझाव इस प्रकार है :**

1. अपशिष्ट में कमी, उपयुक्त प्रौद्योगिकी के प्रयोग के माध्यम से पुन:उपयोग तथा पुन: प्रसंस्करण।
2. एक स्रोत से दूसरे स्रोत को जोखिम अंतरण से बचना।
3. मानव स्वास्थ्य तथा पर्यावरणीय अवक्रमण के सम्भावित जोखिम को कम करना।
4. गैर-पारम्परिक स्रोतों के माध्यम से ऊर्जा का संरक्षण अथवा उसका उत्पादन।
5. उद्योग, अस्पतालों तथा नगर आयोजना के नियमन हेतु उपयुक्त विधान।
6. बड़ी परियोजनाओं के लिए पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन के आधार पर स्वास्थ्य प्रभाव मूल्यांकन।

समिति की सिफारिशें घरेलू, अस्पताल तथा स्थानीय, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय स्तरों पर औद्योगिक ठोस अपशिष्ट सहित शहरी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की जटिल समस्याओं की पहचान करने तथा उनके समाधान हेतु एक सामान्य ढांचा मुहैया कराती है।

समिति द्वारा सुझाई गई शहरी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की राष्ट्रीय कार्य योजना के प्रमुख घटकों में निम्नलिखित शामिल है :-

(1) समुदाय, उद्योग तथा अस्पताल - सभी स्तरों पर जागरूकता पैदा करना।

(2) आई.ई.सी. के जरिए किए गए प्रयासों की पूर्ति तथा समर्थन में कानून बनाना।

(3) शहरी ठोस अपशिष्ट के बेहतर प्रबंधन हेतु मानव संसाधन विकास।

(4) अपशिष्ट प्रबंधन हेतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकसित करने हेतु अनुसंधान तथा विकास।

(5) शहरी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु प्रामाणिक प्रौद्योगिकी विकल्प के उपयोग हेतु प्रयोगिक परियोजनाएं, अधिमानत: संयुक्त क्षेत्र में।

(6) शहरी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु मौजूदा सेवाओं का सुदृढ़ीकरण।

(7) एन.जी.ओ. के सहयोग से कूड़ा-करकट चुनने वालों की सहकारिताओं की स्थापना।

[हिन्दी]

## बदले हुए टेलीफोन नम्बरों के बारे में सूचना देने की कम्प्यूटरीकृत प्रणाली

*177. **श्री पंकज चौधरी :**
**श्री प्रभू दयाल कठेरिया :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में बदले हुए टेलीफोन नम्बरों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए एक नई कम्प्यूटरीकृत प्रणाली आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह प्रणाली देश के अन्य नगरों में भी आरम्भ की जायेगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर अनुमानत: कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है ?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) :** (क) जी हाँ।

(ख) दिल्ली में 15 अगस्त, 95 को कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रणाली चालू की गई थी जिसमें यह व्यवस्था है कि कॉल करने वाले व्यक्ति को, किसी मानव ऑपरेटर के हस्तक्षेप के बिना, कॉल किए गए उपभोक्ता के परिवर्तित नंबर की सूचना मिल जाती है। यह सेवा हिन्दी में 1951 कोड पर और अंग्रेजी में 1952 कोड पर उपलब्ध है।

(ग) जी हाँ। इस प्रणाली को अन्य महानगरों में भी चरणबद्ध रूप में प्रांरभ करने की योजनाएँ है।

(घ) इस उपस्कर को, एक लाख और इससे अधिक लाइनों की क्षमता वाली टेलीफोन प्रणालियों में संस्थापित करने का प्रस्ताव है। प्रणाली पर आने वाली लागत 5 से 10 लाख रूपये तक है। जो इसमें प्रयोग की जाने वाली आधार सामग्री पर निर्भर करती हैं

[अनुवाद]

## बोहरा समिति की रिपोर्ट

*178. **श्री तरित वरण तोपदार :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले सत्र के दौरान सभा पटल पर रखी गई बोहरा समिति की रिपोर्ट के अलावा उसका कोई अन्य भाग भी है जिसे प्रस्तुत नहीं किया गया ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त रिपोर्ट के उस भाग को भी प्रकाशित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक प्रकाशित करा दिए जाने की संभावना है ?

**गृह मंत्री (श्री एस.बी. चव्हाण) :** (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

## सिंचाई क्षमता

*179. **श्री सुरेन्द्रपाल पाठक :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंचाई क्षमता के सृजन और उसके उपयोग में अंतर है ;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार यह अंतर कितना है;

(ग) क्या सरकार ने इस अंतर को समाप्त करने हेतु कोई योजना तैयार की है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए है ?

**जल संसाधन एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) :** (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1993-94 के अंत तक सृजित सिंचाई क्षमता और इसके उपयोग के बीच अन्तर दर्शानेवाला राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) इस अन्तर को कम करने के लिए वर्ष 1974-75 से केन्द्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। आठवीं योजना (1992-97) के दौरान इस कार्यक्रम के लिए 2510.13 करोड़ रुपए का परिव्यव हैं। किए गए अन्य उपाचारात्मक उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ, पुरानी योजनाओं की वास्तविक क्षमता का पुनर्मूल्यांकन करना और वार्षिक कार्य निष्पादन की समीक्षा करनी भी शामिल हैं।

**विवरण**

वर्ष 1993-94 के अंत तक वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं और लघु सिंचाई योजनाओं के जरिए सृजित सिंचाई क्षमता और इसके उपयोग के बीच अन्तर।

(हजार हेक्टेयर में)

| क्रम सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | सृजित सिंचाई क्षमता और उसके उपयोग में अंतर |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 383.37 |
| 2. | अरूणाचल प्रदेश | 9.05 |
| 3. | असम | 186.44 |
| 4. | बिहार | 1041.66 |
| 5. | गोआ | 3.15 |
| 6. | गुजरात | 280.58 |
| 7. | हरियाणा | 290.15 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 24.53 |
| 9. | जम्मू व कश्मीर | 39.22 |
| 10. | कर्नाटक | 266.02 |
| 11. | केरल | 85.26 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 830.29 |
| 13. | महाराष्ट्र | 1302.19 |
| 14. | मणिपुर | 18.24 |
| 15. | मेघालय | 5.94 |
| 16. | मिजोरम | 1.71 |
| 17. | नागालैंड | 9.75 |
| 18. | उड़ीसा | 235.00 |
| 19. | पंजाब | 114.32 |
| 20. | राजस्थान | 272.43 |
| 21. | सिक्किम | 5.32 |
| 22. | तमिलनाडु | (5-) 0.75 |
| 23. | त्रिपुरा | 7.83 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 2705.00 |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 588.90 |
| | कुल राज्य | 8705.60 |
| | कुल संघ राज्य क्षेत्र | 12.45 |
| | कुल योग | 8718.05 |

## दिल्ली के घरों में पाइप द्वारा गैस सप्लाई

*180. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :** क्या पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय गैस प्राधिकरण ने दिल्ली के घरों और वाणिज्यिक इकाइयों को पाइप द्वारा गैस की सप्लाई करने संबंधी अपने पांच वर्ष पुराने प्रस्ताव को पुन: प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित परियोजना की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक लागू कर दिये जाने की संभावना है;

(घ) कुल कितने क्षेत्र में गैस की सप्लाई की जायेगी और कितनी जनसंख्या को पाइप द्वारा गैस की सप्लाई किये जाने से लाभ होगा; और

(ङ) क्या पाइप द्वारा गैस सप्लाई की लागत वर्तमान प्रणाली के अंतर्गत सप्लाई की जा रही है गैस की लागत से अधिक होगी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंध ब्यौरा क्या है ?

**पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा):** (क) से (घ) दक्षिण, मध्य और उत्तरी दिल्ली के भागों में लगभग 230,000 घरेलू तथा वाणिज्यिक इकाइयों को पाइप द्वारा भेजी जाने वाली गैस की आपूर्ति के संबंध में गैस अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड ने एक परियोजना का प्रस्ताव किया है। परियोजना

की अनुमानित लागत 390 करोड़ रुपए हैं। परियोजना के अनुमोदन की तारीख से छः वर्षों के अंतर्गत पूरा कर लिए जाने का प्रस्ताव है।

(ङ) और (च) पाइप द्वारा भेजी जाने वाली गैस की लागत एल. पी. जी. के मूल्य से अधिक होने की आशा नहीं है।

[हिन्दी]

## जनसंख्या में वृद्धि

1702. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच दशकों के दौरान देश के विभिन्न समुदायों की जनसंख्या में कितनी औसत वृद्धि हुई है और 1991 में उसका औसत क्या था ;

(ख) क्या घुसपैठियों का शरणार्थियों के रूप में प्रवेश अभी भी जारी है और इस घुसपैठ को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ;

(ग) क्या प्रत्येक दशक में हिन्दू जनसंख्या में कमी होती जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और किन-किन समुदायों की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामलाल राही)** : (क) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) बंग्लादेश से घुसपैठ को रोकने के लिए कदम उठाए गए हैं। जिनमें सीमावर्ती चौकियों के बीच की दूरी को कम करने के लिए सीमा सुरक्षा बल के विस्तार की योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त बटालियनें गठित करना, भू और तटीय सीमाओं पर गश्त बढ़ाना, सीमावर्ती सड़कों के निर्माण और बाड़ लगाने के कार्यक्रम में तेजी लाना, ओ.पी. टावर की संख्या बढ़ना और निगरानी यंत्रों की व्यवस्था करना शामिल है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न ही नहीं उठता।

### विवरण

* भारत की 1951, 1961, 1971, 1981 और 1991 की जनगणनाओं के अनुसार (अरूणाचल प्रदेश, असम, जम्मू और कश्मीर तथा पाण्डिचेरी को छोड़कर) धर्म-वार आंकड़ों और उनकी दशकीय वृद्धि दर को दर्शाने वाला विवरण।

| भारत | जनगणना वर्ष | कुल जनसंख्या | प्रतिशत दशकीय वृद्धि दर | हिन्दू | | मुस्लिम | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | जनसंख्या | प्रतिशत दशकीय वृद्धि दर | जनसंख्या | प्रतिशत दशकीय वृद्धि दर |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| भारत* | 1991 | 814,497,323 | 23.77 | 671,583,235 | 22.76 | 95,158,064 | 32.74 |
| | 1981 | 658,064,150 | 24.64 | 547,092,309 | 24.08 | 71,686,327 | 30.92 |
| | 1971 | 527,978,650 | 24.48 | 440,924,095 | 23.35 | 54,756,031 | 31.18 |
| | 1961 | 424,130,829 | 21.31+ | 357,446,153 | 20.03 | 41,741,967 | 24.85 |
| | @1951 | 349,510,673 | | 297,793,500 | | 33,432,425 | |

| ईसाई | | सिक्ख | | बौद्ध | | जैन | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| जनसंख्या | प्रतिशत दशकीय वृद्धि दर | जनसंख्या | प्रतिशत दशकीय वृद्धि दर | जनसंख्या | प्रतिशत दशकीय वृद्धि दर | जनसंख्या | प्रतिशत दशकीय वृद्धि दर |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 18,748,542 | 16.53 | 16,242,018 | 25.49 | 6,212,081 | 36.12 | 3,331,527 | 4.41 |
| 16,088,797 | 16.65 | 12,943,209 | 26.15 | 4,563,636 | 22.25 | 3,190,677 | 23.17 |
| 13,791,873 | 32.28 | 10,259,792 | 31.98 | 3,733,000 | 17.20 | 2,590,497 | 28.47 |
| 10,426,447 | 26.66 | 7,773,742 | 25.06 | 3,185,060 | 1762.95 | 2,016,454 | 24.91 |
| 8,231,660 | | 6,216,151 | | 170,969 | | 1,614,285 | |

टिप्पणी :-

1. *अखिल भारतीय स्तर पर आंकड़ों की एकरूपता बनाए रखने के लिए इन आंकड़ों में अरूणाचल प्रदेश, असम, जम्मू और कश्मीर तथा पाण्डिचेरी के आंकड़े सम्मिलित नहीं हैं। जिसके कारण नीचे दिए गए हैं ;
   (i) जम्मू और कश्मीर में 1991 में जनगणना नहीं की गई। अत: धर्मवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इसी प्रकार 1951 के जनगणना के धर्मवार आंकड़े भी उपलब्ध नहीं हैं।
   (ii) असम के 1981 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि उस समय राज्य में जनगणना नहीं की गई।
   (iii) अरुणाचल प्रदेश की 1961 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के धर्मवार ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं। इसी प्रकार राज्य के 1951 के आंकड़े भी उपलब्ध नहीं हैं।
   (iv) पाण्डिचेरी की जनसंख्या के 1951 के धर्म-वार ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।
2. @ पंजाब राज्य के 268,602 व्यक्तियों के धर्म-वार ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं तथा कालम 5 से 16 में दिए गए आंकड़ों में इस जनसंख्या को सम्मिलित नहीं किया गया है।
3. + कालम 4 में भारत के सम्मुख दर्ज 1951-61 की प्रतिशत वृद्धि का हिसाब नागालैण्ड के त्वेन्सांग जिले की जनसंख्या को छोड़कर लगाया गया है क्योंकि 1951 के तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।
4. कालम 3 के अन्तर्गत कुल जनसंख्या में ''अन्य धर्म और सम्प्रदायों'' तथा "धर्म नहीं बताया गया" के आंकड़े भी सम्मिलित हैं।

[अनुवाद]

## स्वायत्त परिषद

1703. डा. जयन्त रंगपी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय गृह मंत्री की मौजूदगी में 1 अप्रैल, 1995 को असम सरकार और असम के स्वायत्त जिलों के आन्दोलनकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के मध्य समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हुए हस्ताक्षर की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो स्वायत्त परिषदों, विशेषकर कारसी अंगलोंग और नाथ कोद्दार हिस्स के बारे में समझौता ज्ञापन, विशेषकर इनकी योजना और वित्त के बारे में ब्यौरा क्या है; और

(ग) समझौता ज्ञापन की धाराओं को लागू करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (सैयद सिब्ते रजी) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) इस समझौता ज्ञापन में संविधान की छठी अनुसूची के अधीन दो स्वायत्तशासी परिषदों को बहुत से विषयों के संबंध में कार्यकारी शक्तियां तथा अतिरिक्त विधायी शक्तियां प्रदत्त करने का प्रावधान है ताकि उन्हें असम राज्य के भीतर अधिक स्वायत्तता प्रदान की जा सके। जहां तक योजना और वित्त का संबंध है, इस समझौता ज्ञापन में प्रावधान है कि सरकार, वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने से पूर्व परिषदों को उनके लिए कुल वित्तीय आबंटन का संकेत देगी। इसके बाद परिषदें अपना बजट स्वयं तैयार करेगी। और उसको पारित करके राज्य के सम्पूर्ण बजट में सम्मिलित करने के लिए राज्य सरकार को भेजेंगी। सामान्य रूप में परिषदों द्वारा यथा प्रस्तावित बजट में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तथापि यदि किसी कारण वश ऐसा करना आवश्यक हो जाता है तो परिषदों के साथ विचार-विमर्श किया जाएगा तथा उन्हें परिवर्तन करने के कारण बताये जाएंगे।

वार्षिक प्लान को अंतिम रूप देने में, योजना आयोग के साथ चर्चा करने के लिए राज्य के प्रतिनिधि मंडल में परिषद के अधिकारियों को शामिल किया जाएगा।

परिषदों के लिए निर्धारित निधियों को राज्य सरकार द्वारा परिषदों को जारी करने के लिए एक उचित तंत्र तैयार किया जाएगा जो उसकी पर्याप्तता और तत्परता का प्रबोधन करेगा।

(ग) जबकि समझौता ज्ञापन को राज्य सरकारों द्वारा व्यापक तौर पर कार्यान्वित किया जाना है फिर भी केन्द्र सरकार ने संसद से संविधान की छठी अनुसूची में संशोधन करने की अनुमति ले ली है ताकि असम राज्य के भीतर ये दो परिषदें और अधिक विधायी शक्तियां प्रयोग कर सकें। इस संशोधन से विशिष्ट रूप से इंगित विषयों के संबंध में असम के राज्यपाल द्वारा विवेकिक शक्तियों का प्रयोग करने का प्रावधान भी हो सकेगा।

[हिन्दी]

## एस.पी.जी. का वार्षिक बजट

1704. श्री मोहन सिंह (देवरिया) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय विशेष सुरक्षा ग्रुप एस.पी.जी. का वार्षिक बजट कितना है ;

(ख) गत दो वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान अब तक अत्यंत विशिष्ट एवं विशिष्ट व्यक्तियों सुरक्षा पर सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि खर्च की गई ;

(ग) क्या सरकार का विचार इन खर्चों में कटौती करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (सैयद सिब्ते रजी) : (क) वर्ष 1995-96 के लिए एस.पी.जी. का वार्षिक बजट 31.90 करोड़ रुपये हैं।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है।

(ग) से (ङ) सुरक्षा की आवश्यकता और सुरक्षा प्रबन्धों के स्केल की सावधिक पुनरीक्षा की जाती हैं। यह एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। सुरक्षा प्रबन्धों में समय-समय पर आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जाता/हटाया जाता है।

## दूरभाष केन्द्रों का बदला जाना

1705. **श्री एन.जे. राठवा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक राज्यवार कितने मैनुअल एक्स-वार दूरभाष केन्द्रों को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में परिवर्तित किया गया है;

(ख) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान दूरभाष सुविधा प्रदान करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या आदिवासी/ग्रामीण/पिछड़े/शहरी क्षेत्रों में एस.टी.डी. सुविधा प्रदान करने के लिए कोई मानदंड निर्धारित किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) :** (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना (1995-97) के शेष दो वर्षों में, देश में लगभग 62 लाख नए टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने की योजना है; बशर्ते, उपस्कर और अन्य संशाधन उपलब्ध हों।

तथापि किसी एक्सचेंज की अवस्थिति, मौजूदा प्रणाली की क्षमता और नई मांग पर निर्भर करती है, और इसका आकलन वर्ष-दर-वर्ष के आधार पर किया जाता है।

(घ) से (च) आठवीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों के अनुसार, देश के एक्सचेंज, एस.टी.डी. नेटवर्क से निम्नलिखित प्राथमिकताओं के आधार पर जोड़े जा रहे हैं :-

(1) सभी जिला मुख्यालयों में एस. टी. डी. सुविधा की व्यवस्था।

(2) 1.4.95 तक, सभी उप-मंडलीय मुख्यालयों/तहसील मुख्यालयों अथवा समकक्ष नगरों तथा 500 लाइनों अथवा इससे अधिक लाइनों की क्षमता वाले सभी एक्सचेंजों में एस. टी. डी. सुविधा की व्यवस्था।

(3) 1.4.95 तक सभी औद्योगिक विकास केन्द्रों, पर्यटक तथा तीर्थ स्थलों में एस. टी. डी. सुविधा की व्यवस्था।

(4) मार्च, 1977 तक देश के सभी एक्सचेंजों को एस. टी. डी. नेटवर्क के साथ जोड़ना।

निधियां, भूमि, भवन, उपस्कर आदि जैसे संसाधन उपलब्ध होने पर, एस.टी.डी. सुविधा का वास्तविक लक्ष्य हासिल किया जाता है।

**विवरण**

**अनुबंध-क**

**मैनुअल, क्रॉसवार एक्सचेंजों को इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलने-संबंधी राज्यवार आंकड़े।**

| संख्या | राज्य का नाम | पिछले तीन वर्षों के दौरान परिवर्तित (1992-95) | 1.4.95 की स्थिति मैनुअल | क्रॉसबार |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 39 | | 14 |
| 2. | असम | 2 | | शून्य |
| 3. | बिहार | 2 | | 2 |
| 4. | गुजरात | 90 | | 25 |
| 5. | हरियाणा | 6 | | 5 |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 15 | | शून्य |
| 7. | जम्मू और कश्मीर | 2 | | 1 |
| 8. | कर्नाटक | शून्य | | 15 |
| 9. | केरल | शून्य | | 14 |
| 10. | मध्य प्रदेश | 26 | | 4 |
| 11. | महाराष्ट्र (बम्बई सहित) | 96 | | 42 |
| 12. | उत्तर पूर्व क्षेत्र | 1 | | शून्य |
| 13. | उड़ीसा | शून्य | | 4 |
| 14. | पंजाब | 44 | | 4 |
| 15. | राजस्थान | 59 | | 3 |
| 16. | सिक्किम | शून्य | | शून्य |
| 17. | तमिलनाडु (मद्रास सहित) | 7 | | 22 |
| 18. | उत्तर प्रदेश | 15 | | 8 |
| 19. | पश्चिम बंगाल (कलकत्ता सहित) | 41 | | 19 |
| 20. | दिल्ली | 2 | | 15 |

## तेल उद्योग का पुनर्गठन

1706. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :** क्या पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तेल उद्योग और इसकी कार्यकरण प्रणाली का पुनर्गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

**पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) :** (क) से (ग) सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र के

शीर्ष प्रबंधन तथा शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थानों के अग्रणी विशेषज्ञों को मिलाकर राष्ट्रीय तेल उद्योग का पुनर्रचना पर एक "नीतिगत योजना दल" का गठन किया गया है। इस दल की रिपोर्ट अभी नहीं मिली है।

[अनुवाद]

**मणिपुर से सीआरपीएफ को हटाया जाना**

1707. **श्री राम नाईक** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी ने मणिपुर और नागालैंड से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की टुकड़ियों को हटाने का फैसला किया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इन दोनों राज्यों ने इस कदम का विरोध किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामलाल साही)** : (क) से (घ). सरकार ने जम्मू व कश्मीर में चुनाव कराने का प्रस्ताव किया था तथा इस संदर्भ में केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों को तैयार करने का निर्णय लिया था। इसके लिए मणिपुर और नागालैण्ड सहित विभिन्न राज्यों से केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को हटाना आवश्यक था। राज्य सरकारों ने बल के हटाए जाने पर अपनी चिंता व्यक्त की थी। तथापि, भारत के निर्वाचन आयोग के फिलहाल चुनाव न कराने के फैसले को देखते हुए मणिपुर और नागालैण्ड से हटाए गए केन्द्रीय रिजर्व-पुलिस बलों को तैनाती के लिए इन राज्यों में वापस भेज दिया गया है।

[हिन्दी]

**अजमेर, राजस्थान में टी.वी. रिले केन्द्र**

1708. **प्रा. रासा सिंह रावत**: क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अजमेर, राजस्थान में प्रस्तावित उच्च शक्ति के टी.वी. रिले केन्द्र की स्थापना के लिए स्थान का चयन कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक किये गए कार्य की क्या प्रगति है और रिले केन्द्र को कब तक स्थापित कर लिए जाने की संभावना है ;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार को इस संबंध में अभ्यावेदन भी प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(च) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

**सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री पी.एम.सईद)** : (क) से (ग) जी, हां। दूरदर्शन ने तारागढ़ फोर्ट हिल पर एक उपयुक्त स्थल पहले ही कब्जे में ले लिया है। तथापि, शिनाख्त स्थल तक पहुंच मार्ग न होने के कारण कार्यान्वयन कार्य को और आगे नहीं चलाया जा सका। राज्य सरकार हाल ही में पहुंच मार्ग बनाने के लिए सहमत हो गई है तथा कार्य प्रगति पर है।

(घ) से (च) इस परियोजना के शीघ्र कार्यान्वयन हेतु विभिन्न क्षेत्रों से समय-समय पर अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं। ट्रांसमीटर की भवन योजनाओं को अंतिम रूप देने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है तथा उपस्करों के लिए आदेश दे दिए गए हैं। सिविल निर्माण कार्य के प्रारंभ होने से, इस तरह की परियोजना के कार्यान्वयन में लगने वाला सामान्य समय लगभग 3 से 4 वर्ष तक होता है।

[अनुवाद]

**"कंसर्ट पैकेट सर्विसेज"**

1709. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश संचार निगम लिमिटेड ने सितम्बर 1995 में कलकत्ता में "कंसर्ट पैकेट सर्विसेज" शुरू की है ;

(ख) यदि हां, तो इन सेवाओं का क्या उपयोग है तथा क्या कलकत्ता में इन सेवाओं की उपयोगिता का आकलन कर लिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन सेवाओं का नई दिल्ली और कलकत्ता में शुरू करने का क्या अनुभव रहा है ?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम)** : (क) जी हाँ।

(ख) "कंसर्ट पैकेट सेवाएं (सीपीएस), "सार्वभौम रूप से व्यवस्थित "डैटा नैटवर्क-सेवा" है। "सी पी एस", व्यावसायिक संगठनों को, कुशलता तथा विश्वसनीयता पूर्वक", सिंगल-वैल्यू-ऐडेड नैटवर्क" पर डैटा-अंतरण हेतु, व्यापक व विश्वसनीय अंतरराष्ट्रीय मंच मुहैया कराता है। यह किसी संगठन के टर्मिनलों और कम्प्यूटरों के अनुरूप सुलभ प्रणालियों की श्रृंखला के माध्यम से लोचशीलता प्रदान करता है। कलकत्ता में "नोड" संस्थापन के निर्णय से पूर्व, इस सेवा की वाणिज्यिक व्यवहार्यता का विधिवत् आकलन कर लिया गया था।

(ग) अनेक ग्राहकों द्वारा एक साथ डायल करने हेतु, इस सेवा का उपयोग किया जा रहा है। विदेश संचार निगम लि. ने पट्टाधारी लाइन के छह ग्राहक नई दिल्ली में तथा एक ग्राहक कलकत्ता में दर्ज किया है। बहुत-सी कम्पनियों ने इस सेवा में गहरी रूचि जताई है तथा इसके अभिदान हेतु हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया में हैं।

**अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनताति के छात्रों को प्रशिक्षण**

1710. **श्री ए. इन्दकरन रेड्डी** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों को मत्स्य पालन में प्रशिक्षण देने के लिए कोई योजना तैयार कर रही है :

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस योजना के लिये कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

**कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी)** : (क) कृषि तथा सहकारिता विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार मत्स्यपालन में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों सहित मत्स्यपालन संबंधी कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य के साथ 1994-95 से मत्स्यपालन प्रशिक्षण तथा विस्तार को एक केन्द्रीय क्षेत्र योजना 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के साथ क्रियान्वयनधीन है।

(ख) इस योजना का उद्देश्य मत्स्यपालन विकास से संबंधित मत्स्यपालन विस्तार अधिकारियों/मत्स्य कृषकों के लिए अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रमों का प्रबंध करना है। इसमें प्रशिक्षणों को 5.- रुपये प्रति दिन की दर से अधिकतम 750/- रुपए प्रति सहभागी की शर्त पर (वृतिका) स्टाइपेंड के भुगतान की परिकल्पना की गई है। इसके अतिरिक्त, वे पात्रता के अनुसार रेलगाड़ी/बस से आने जाने के लिए किराया लेने के लिए भी हकदार होते है।

(ग) आठवीं योजना तथा चालू वित्तीय वर्ष के लिए इस योजना हेतु क्रमश: 200 लाख रुपए तथा 35 लाख रुपए की कुल धनराशि निर्धारित की गई है।

## कोयले की मांग

1711. **श्री जितेन्द्र नाथ दास** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत दो वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल में कोयले की घरेलू और औद्योगिक खपत हेतु पृथक-पृथक कितनी आवश्यकता थी ;

(ख) क्या राज्य में कोयले की सप्लाई इसकी मांग को पूरा नहीं करती ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) राज्य की मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

**कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर)** : (क) से (घ) सम्पूर्ण देश के लिये कोयले की आवश्यकताओं का मूल्यांकन उद्योगवार क्षेत्रवार किया जाता है। इनका मूल्यांकन राज्यवार नहीं किया जाता है। कोयला कंपनियां संबंधित प्रायोजक प्राधिकारियों द्वारा जारी की गई प्रयोजकता के अनुसार उपभोक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किये गये कार्यक्रम के आधार पर कोयले की आपूर्ति करती है। विद्युत एवं सीमेंट उद्योगों को आपूर्ति इन क्षेत्रों के लिये स्थाई संयोजन सीमित द्वारा स्थापित अल्पकालीन संयोजन के आधार पर की जाती है। किन्तु, घरेलू उपयोग के लिये साफ्ट कोक की आपूर्ति की व्यवस्था कोयला कंपनियों द्वारा सरकार के नियतन के अनुसार की जाती है।

कोल इंडिया लि. द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान पश्चिम बंगाल के उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार के आपूर्ति किए गए कोयले की कुल मात्रा नीचे दर्शायी गई है :-

(आंकड़े 000 टन में)

(आंकड़े अनन्तिम)

| वर्ष | घरेलू उपयोग के लिये साफ्ट कोक | घरेलू उपयोग के लिये सिलकोक | पश्चिम बंगाल के उपभोक्ताओं को सभी तरह का कोयला (जिसमें साफ्ट/हार्ड कोक शामिल है।) |
|---|---|---|---|
| 1993-94 | 99.58 | 53.03 | 19,656 |
| 1994-95 | 62.48 | 100.86 | 22,078 |

## बेरोजगारी

1712. **श्री दाऊ दयाल जोशी** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विकलांग एवं सामान्य व्यक्तियों में बेरोजगारी का प्रतिशत कितना-कितना है ;

(ख) विकलांग व्यक्तियों को लाभप्रद रोजगार देने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे है ;

(ग) क्या विकलांग व्यक्तियों को सामान्य व्यक्तियों की अपेक्षा कम पारिश्रमिक दिया जाता है ; और

(घ) यदि हां, तो इस विसंगति को दूर करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

**कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी)** : (क) 31.12.1994 तक की स्थिति के अनुसार रोजगार कार्यालयों द्वारा रखे गए लाइव रजिस्टर के अनुसार भारत में काम नौकरी पाने वालों की स्थापन प्रतिशतता 0.53 है जबकि विकलांगों की प्रतिशतता केवल 1.32 प्रतिशत है।

(ख) लाभदायक रोजगार में विकलांग व्यक्तियों को सभा हित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा संलग्न विवरण में उल्लिखित हैं।

(ग) और (घ) कोई विशिष्ट आंकड़े नहीं रखे जाते हैं, तथापि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों के लिए अलग दरों के निर्धारण का कोई प्रावधान नहीं है।

### विवरण

(1) केन्द्र सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में समूह "ग" और "घ" के पदों में 3 प्रतिशत रिक्तियां शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित की जाती हैं जिनमें से दृष्टि श्रवण और अस्थि विकलांग व्यक्तियों प्रत्येक के लिए 1 प्रतिशत पद आरक्षित की जाती है। कुछ राज्य सरकारों द्वारा भी ऐसे ही आरक्षण किए गए हैं। दृष्टिहीन व्यक्तियों सहित विकलांगों को सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए चिकित्सा मानकों में तथा उपरी आयु सीमा में भी छूट प्रदान की जाती है।

2. विकलांगों को लाभप्रद रोजगार प्राप्त करने में अनन्य रूप से सहायता करने के लिए 35 विशेष रोजगार कार्यालय और 50 विशेष सैल स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त सामान्य रोजगार केन्द्र भी विकलांग व्यक्तियों को उचित रोजगार की तलाश में सहायता करते हैं।

3. विकलांगें की योग्यता का मूल्यांकन करने, उनके प्रशिक्षण का प्रबन्ध करने और उन्हें रोजगार लगाने के लिए सत्रह व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र की स्थापना की गई है।

4. निम्नलिखित के माध्यम से स्व-रोजगार को प्रोत्साहन दिया जाता है :-

(क) बिक्री स्टाल कियोस्क और छोटी दुकानें का आबंटन

(ख) भिन्नात्मक ब्याज दर योजना के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों से मामूली ब्याज पर ऋण।

(ग) सार्वजनिक टेलीफोन बूथों का आबंटन।

(घ) पैट्रोल पम्पों, मिट्टी के तेल के डिपों के वितरण में आरक्षण।

[हिन्दी]

## भू-जल संसाधनों का विकास

1713. **श्री एन.जे. राठवा** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों विशेषकर गुजरात सरकार ने 'पायलट परियोजना' के अंन्तर्गत कुंओं/नलकूपों के लिए स्थानों का पता लगाना और विकास के लिए केन्द्रीय भू-जल बोर्ड के पास कुछ प्रस्ताव स्वीकृति के लिए भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाये गए/उठाये जाने का विचार है ?

**जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू)** : (क) और (ख) केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड ने पूर्वी राज्यों में भूजल संसाधनों के अन्वेषण और विकास के लिए एक केन्द्र प्रायोजित योजना तैयार की है। बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों ने निम्नलिखित भूजल संरचनाओं के निर्माण पर इस योजना के अंतर्गत विचार करने के लिए केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड को प्रस्ताव भेजे हैं :

| क्रम. संख्या. | राज्य का नाम | खुदाई कुएँ | उथले नलकूप | मध्यम नलकूप |
|---|---|---|---|---|
| 1. | बिहार | 2358 | 5625 | - |
| 2. | उड़ीसा | - | 1500 | 500 |
| 3. | उत्तर प्रदेश | - | 1000 | - |

चूंकि यह योजना गुजरात से संबंधित नहीं है, इसलिए इस संबंध में गुजरात राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) इस योजना पर संबंधित अभिकरणों के साथ परामर्श चल रहा है।

[अनुवाद]

## दूरसंचार आयोग द्वारा समझौता

1714. **श्रीमती महेन्द्र कुमारी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार आयोग ने हाल की हड़ताल समाप्त करने के लिए डी.ओ.टी. तथा यूनियनों के संघ के बीच हुए समझौते के संबंध में गठित उच्च स्तरीय समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम)** : (क) जी, हां। समिति ने 4.10.95 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ख) खान समिति को महत्वपूर्ण सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) दूरसंचार विभाग की संरचना से संबंधित सिफारिश अस्वीकार की गई है। समिति की अन्य सिफारिशें विचाराधीन है।

### विवरण

**महत्वपूर्ण सिफारिशें**

1. **मिशन और एस. डब्ल्यू. ओ. टी. विश्लेषण**

दूरसंचार विभाग के लिए मिशन को पुनरपरिभाषित करना और यह सुनिश्चित करना कि सभी कर्मचारियों को मिशन की सूचना दे दी गई है।

2. **गुणवत्ता**

नए वातावरण में दूरसंचार विभाग कुल गुणवत्ता प्रबंध के सिद्धांत पर अमल करें और अपने आप को दूरसंचार गुणवत्ता प्रबंध (टी क्यू एम) के संव्यवहारों के प्रति समर्पित करें। शीर्ष स्तर के प्रबंधकों को दूरसंचार गुणवत्ता प्रबंध (टी क्यू एम) के संव्यवहार के सिद्धान्त से भली-भांति परिचित कराया जाए। दूरसंचार गुणवत्ता प्रबंध को संपूर्ण संगठन पर लागू करने से पहले इसे प्रयोग के तौर पर छोटे पैमाने पर इस्तेमाल किया जाए।

3. सभी स्तर के कर्मचारियों के सभी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में गुणवत्ता प्रबंध के मॉड्यूल्स को शामिल किया जाना चाहिए।

4. देश के भीतर दूरसंचार प्रबंध के संबंधित क्षेत्रों में विशेषतता वाले पाठ्यक्रमों में भाग लेने वालों को खर्च की प्रतिपूर्ति की सिफारिश की जाती है।

5. कार्यस्थल के भौतिक वातावरण में सुधार लाने के प्रति अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। दूरसंचार गुणवत्ता प्रबंध के एक भाग के तौर पर छोटे समूह की गतिविधि शुरू की जानी चाहिए।

6. दूरसंचार कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्टें इस प्रकार बनाई जाएं ताकि वे ग्राहक-संबंध के क्षेत्रों पर अधिक जोर दे सकें,

कार्य की गुणवत्ता के प्रति ध्यान दे सकें और आंतरिक संचार में सफल हो सकें।

7. दूरसंचार विभाग कैजेन अथवा इसी प्रकार की अन्य प्रणाली शुरू कर सकता है।

**वाणिज्यिक बिलिंग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों का सुधार**

8. दूरसंचार विभाग की, वाणिज्यिक अनुभाग का नाम बदलकर विपणन एवं बिक्री समूह कर देना चाहिए। यह समूह दो भागों में बनाया जा सकता है और इसे विशेष कार्य सौंपे जा सकते हैं।

9. ग्राहक सेवाओं से जुड़ी सभी गतिविधियों का स्वचलीकरण तेज किया जाना है और ग्राहक सेवा केन्द्रों के संबंध में एस. टी. डी. /आई. एस. डी. फ्रेंचाइजी को दूरसंचार विभाग के एजेंट के तौर पर काम करना चाहिए।

10. फोटो सहित एक नए आवेदनपत्र फार्म और डिमांड नोट की शुरूआत की जाए।

11. मल्टी-एक्सचेंज शिफ्ट का कार्य करने के लिए क्लियरिंग हाउस की संकल्पना शुरू की जाए।

12. टेलीफोनों की सुरक्षित अभिरक्षा टेलीफोन शिफ्ट करने, स्थाई वसूली के बाद पुन: संस्थापन, फ्रेंचाइजी किस्म के एस. टी. डी., आई. एस. डी., पी. सी. ओ. की आरंभिक प्रतिभूति जमा राशि बढ़ाने के संबंध में प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन शुरू किए जाए।

13. दूरसंचार राजस्व बिलिंग और लेखा प्रणाली को प्राथमिकता पर कम्प्यूटरीकृत किया जाना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए जिन बातों पर विशेष ध्यान दिया जाना है उन्हें विस्तार से बताया गया है।

14. बिल छपे हुए होने चाहिए और उनकी छंटाई पिन-कोडवार की जानी चाहिए। अधिक संख्या में कॉल करने वालों के बिल कोरियर/स्पीड पोस्ट द्वारा भेजे जाएं। बिलों का वितरण करने के लिए तार संदेशवाहकों की सेवाएं इस्तेमाल की जाएं। बड़ी संख्या में कॉल करने वाले उपभोक्ताओं, सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और बड़े व्यापारिक घरानों के बिल फलॉपी में फीड किए जाने चाहिए।

15. डुपलीकेट बिल जारी करने की विधि आसान बनाई जाए। बकाया बिलों के ब्यौरे सूचित करने वाली ऑन-लाइन टेलीफोन पूछताछ सेवा शुरू की जाए।

16. सभी एक्सचेंजों/केन्द्रीय तार घरों/विभागीय तार घरों और ग्रेड-1 के ग्राहक सेवा केन्द्रों में ऑन-लाइन बिल भुगतान पटल खोले जाएं। राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित/सहकारी बैंकों के जरिए बिलों की वसूली, केडिट कार्डो के जरिए भुगतान प्रणाली शुरू की जाए। भारतीय रिजर्व बैंक के जरिए भुगतान की इलेक्ट्रॉनिक निपटान प्रणाली भी शुरू की जाए। भारी संख्या में कॉल करने वालों के बिलों का भुगतान स्वीकार करने के लिए अलग पटल (काउंटर) खोले जाएं। भीड़भाड़ वाले दिनों में तुरंत भुगतान पटल खोले जाएं। विभागीय सचल वसूली केन्द्रों, बार कोड रीडर के जरिए बिलों की वसूली शुरू की जाए।

17. बिल/शिकायतों के तुरन्त निपटान की पद्धति में संशोधन किया जाए।

18. भिन्न-भिन्न किस्म के ग्राहकों के लिए अलग-अलग किस्म की बिलिंग आवृत्ति शुरू की जाए।

19. बकाया बिलों के निपटान के लिए एक संशोधित पद्धति निर्धारित की जाए। दोषी उपभोक्ताओं के लिए कम्प्यूटरीकृत अनुस्मारक सेवा की शुरूआत की जाए।

20. एस. टी. डी./ आई. एस. डी. चाहने वाले उपभोक्ताओं के लिए प्रतिभूति जमा राशि में वृद्धि की जाए ताकि दोषी उपभोक्ताओं की संख्या को कम किया जा सके।

21. दोष मरम्मत सेवा को तुरंत कम्प्युटरीकृत किया जाना चाहिए और इन्हें दोष मरम्मत का नियंत्रण करने में अधिक प्रभावशाली बनाया जाए। इन्टर-एक्टिव वॉयस रिस्पांस प्रणाली की शुरूआत की जाए।

22. निजी वायर, पट्टे पर ली गई लाइनों और डॉटा सर्किटों की दोष रिपीटिंग पर विशेष ध्यान दिया जाए।

23. ग्रामीण टेलीफोनों के उचित अनुरक्षण के लिए संशोधित पद्धति शुरू की जाए।

24. बड़ी मात्रा में टेलीफोन इस्तेमाल करने वालों और क्रीमी लेयर के लिए प्रीमियम सेवा की संकल्पना शुरू की जाए।

25. डाइरेक्टरी छापने के लिए डाइरेक्टरी-सूचना-निहित फ्लापिपां/सी. डी. आर. ओ. एम., निजी पक्षकारों को देना होगा। विभागीय छपाई को बन्द करना होगा।

26. तकनीकी आर्थिक अध्ययन के आधार पर सभी इलेक्ट्रोमैकेनिकल एक्सचेंजों को एक समयबद्ध कार्यक्रम के अन्दर परिवर्तित करना होगा।

27. कम से कम, प्रीमियम ग्राहकों के लिए डब्ल्यू. आई. एल. एल. और आप्टिकल फाइबर तकनीक को शुरूआत की जानी चाहिए।

28. ग्राहक केवल तंत्र की तेजी से उन्त किया जाना चाहिए और तत्पश्चात् अभिलेखों को कम्प्यूटरीकृत किया जाना चाहिए।

29. नए वाहनों के प्रापण हेतु मुख्य महाप्रबंधकों को पूर्ण अधिकार दिए जाने चाहिए।

30. दूरसंचार विभाग की मूल्यवर्धित सेवा के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहिए।

**प्रणाली सपोर्ट**

31. एक समेकित कम्प्यूटरीकृत सपोर्ट प्रणाली के तेजी से कार्यान्वयन के लिए आई. टी. में सुविज्ञ प्रतिष्ठानों की सेवा ली जानी चाहिए।

32. राष्ट्रव्यापी, डाइरेक्टरी सूचना सेवा, सामग्री प्रबंधन, केवल अभिलेखों को कम्प्यूटरीकृत करना, टेलीफोन राजस्व तथा लेखा-कार्य की कम्प्यूटरीकृत करने जैसे कार्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

*33. वाणिज्यिक अभिलेखों को कम्प्यूटरीकृत करने के लिए* आप्टिकल डिस्क पर आधारित डब्ल्यू. ओ. आर. एम. कहलाने वाली कम्प्यूटरीकृत रिकार्डिंग प्रणाली का प्रयोग किया जाना चाहिए।

**मानव संसाधन**

34. कर्मचारियों की अभिप्रेरणा के कार्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके लिए कई उपाय सुझाए गए हैं।

35. सभी पात्र समूह ग और समूह घ कर्मचारियों को पुनर्गठित संवर्गों के लिए प्रशिक्षित किया जाए। फोन मैकेनिक और अन्य पुनर्गठित संवर्गों के लिए मानदण्ड निर्धारित करने के संबंध में कार्य का अध्ययन किया जाए।

36. प्रशिक्षण, बाहर की चुनिंदा एजेंसियों द्वारा आयोजित की जा सकते हैं। ग्राहक की हितरक्षा पर व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने के लिए समूह "ख" और समूह "ग" के एक चुनिंदा समूह को कुछ विकसित देशों में भेजा जाना चाहिए।

37. दूरसंचार विभाग में एक लुभावनी स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति योजना शुरू की जाए।

38. समूह 'घ' कर्मचारियों द्वारा पढ़ाई लिखाई में कुशलता प्राप्त करने के लिए विभाग द्वारा वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाए।

39. कर्मचारियों के आयु-स्वरूप को सही करने के लिए महाप्रबंधकों को एक सीमित सीमा तक नए नवयुवकों की भर्ती करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

40. कनिष्ठ दूरसंचार अधिकारी, टी. ई. एस. समूह 'ख', एस. टी.एस. समूह 'क' सिविल/इलेक्ट्रिकल/आरकीट्रेक्चरल इंजीनियर्स और लेखाधिकारियों के संवर्गों के लिए संवर्ग प्रबंध योजना शुरू की जाए।

41. दूरसंचार विभाग में कर्मचारियों की विशेष भर्ती दिए जाएं।

42. कुशल कर्मचारियों की आवास, परिवहन, आवासीय टेलीफोन और अवकाश विश्राम गृह जैसी अतिरिक्त सुविधाएं दी जाएं ताकि वे विभाग में ही बने रहें।

**विपणन**

43. बाहरी संचार (पी. आर.), आंतरिक संचार और विपणन, ग्राहक-उन्मुख और पी.आर. क्षेत्र में उपयुक्त प्रशिक्षण और अभिमुखीकरण कार्यक्रम से मुक्त विपणन कार्य करने के लिए प्रत्येक सर्किल/गौण स्विचन क्षेत्र में एक नई विपणन संरचना सृजित की जाए। राजस्व प्रतिशत के तौर पर विपणन-बजट निर्धारित किया जाए।

44. नीति-निर्धारण और कार्यान्वयन में विपणन अनुसंधान को एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी होती है ताकि राजस्व में बढ़ोतरी हो सके।

45. एक परामर्शदायी प्रकोष्ठ और एक दूरसंचार विपणन इकाई बनाई जाए।

46. आरम्भ में मूल्यवर्द्धित और बड़ी संख्या के ग्राहकों के हिसाब किताब का कार्य करने के लिए सेवा प्रतिनिधि और सेवा *प्रबंधक की संकल्पना शुरू की जाए।*

**वित्तीय प्रबंध**

47. नए वातावरण में विभाग का अपनी भूमिका और अपने उद्देश्यों के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण होना चाहिए।

48. लेखा जोखा पूर्णतया वाणिज्यिक आधार पर रखने, कार्य निष्पादन और वित्तीय अनुपातों का नियमित विश्लेषण करने की तत्काल आवश्यकता है ताकि भविष्य में प्रभावशाली योजनाएं तैयार की जा सकें।

49. विभाग द्वारा उपस्कर की खरीद सहित खर्च करने की सभी संभावित शक्तियों का सर्किलों में विकेन्द्रीयकरण कर देना चाहिए।

50. विभाग द्वारा व्यावसायिक सामग्री प्रबंध, मालसूची नियंत्रण, भण्डार-लेखा प्रणाली और वस्तुओं तथा सेवाओं की लागत-निर्धारण प्रणाली शुरू की जानी चाहिए। मौजूदा विसंगत और उल्टे टैरिफ ढांचे को तत्काल सही किया जाए।

51. विभाग, परमाणु ऊर्जा आयोग की तरह नियंत्रक कम्पनियों अथवा रेलवे की तरह एक दूरसंचार वित्त निगम की स्थापना पर विचार कर सकता है।

**संरचना**

52. एक वृहत्तर प्रचालक होने के नाते दूरसंचार विभाग के लिए यह आवश्यक है कि वह ब्रिटिश दूरसंचार की तरह अपने आपको एक निजी निकाय में परिवर्तित करने के लिए तैयार रहे।

53. निजी निकाय में परिवर्तन की दिशा में चार उपाय सुझाए जाते हैं।

54. निजी निकाय में परिवर्तन से पहले दूरसंचार विभाग की प्रचालक यूनिट को पहले प्रोटो-निगम के तौर पर बनाया जाए और तदनंतर एक नियंत्रक कंपनी का गठन किया जाए जिसके अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की चार इकाइयां होंगी।

55. मौजूदा दूरसंचार आयोग का विभाजन किया जाना चाहिए और इसका एक भाग अलग किया जाए जो संचार मंत्रालय के अधीन नीति-निर्धारण निकाय के तौर पर कार्य करेगा। इसमें दूरसंचार क्षेत्र के पेशेवर व्यक्ति नियुक्त किए जाएं। इसका एक भाग नियंत्रक कंपनी के प्रबंधक मण्डल के तौर पर कार्य करेगा।

**[हिन्दी]**

**उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों में टेलीफोन और डाकघर सुविधा**

**1715. श्री अर्जुन सिंह यादव :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में टेलीफोन और डाकघर की सुविधा वाले ग्राम पंचायतों की जिलावार संख्या कितनी है ;

(ख) प्रत्येक ग्राम पंचायत में यह सुविधा कब तक उपलब्ध कराई जायेगी ;

(ग) तार सुविधा सम्पन्न डाकघरों की संख्या कितनी है और इस सुविधा के विस्तार के संबंध में सरकार की क्या योजना है ; और

(घ) राज्य के प्रमुख शहरों में 'स्पीड पोस्ट' सेवा उपलब्ध कराने के कार्यक्रमों का जिलावार ब्यौरा क्या है ?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम)** : (क) 31.10.1995 और 31.3.95 की स्थिति के अनुसार सार्वजनिक टेलीफोन और डाक घर की सुविधा-युकत ग्राम पंचायतों की संख्या क्रमश: 22077 और 17,448 है। जिलावार ब्यौरे क्रमश: संलग्न विवरण-I और II में दिए गए हैं।

(ख)(1) सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा उत्तरोत्तर रूप से वर्ष 1997 तक प्रदान करने की योजना बनाई गई है।

(2) जहां तक डाकघर-सुविधा का संबंध है, ऐसी कोई योजना नहीं है। सरकार का उद्देश्य ग्राम-पंचायत ग्रामों में डाकघर प्रदान करने का है, बशर्ते दूरी, जनसंख्या, आय और संसाधनों की उपलब्धता संबंधी निर्धारित मानदण्डों की पूर्ति होती हो।

(ग) 31.10.1995 की स्थिति के अनुसार तार-सुविधायुक्त डाकघरों की संख्या 3813 है। जहां कहीं भी मांग और तकनीकी व्यवहार्यता होती है, सरकार ने इन सार्वजनिक टेलीफोन कनेक्शनों पर तार सुविधा प्रदान करने की नीति अपनाई है।

(घ) स्पीड-पोस्ट प्रदान करने संबंधी कार्यक्रम के ब्यौरों का विनिर्दिष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि स्पीड-पोस्ट सेवा उस स्थिति में शहर/नगर में शुरू की जाती है यदि परियात और सुगम्यता संबंधी मानदण्डों के आधार पर उसका औचित्य बनता हो, जिससे प्रचालनात्मक और वित्तीय व्यवहार्यता सुनिश्चित हो।

**विवरण - I**

**टेलीफोन सुविधायुक्त ग्राम पंचायतों की 31.10.1995 तक की स्थिति**

| क्र.सं. | जिलों के नाम | ग्राम पंचायतें जिन्हें 31.10.95 तक टेलीफोन सुविधाएं प्रदान की गई हैं। |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | इलाहाबाद | 814 |
| 2. | आजमगढ़ | 501 |
| 3. | बलिया | 548 |
| 4. | बस्ती | 328 |
| 5. | बांदा | 320 |
| 6. | बहराइच | 000 |
| 7. | बाराबंकी | 404 |
| 8. | देवरिया | 399 |
| 9. | इटावा | 417 |
| 10. | फैजाबाद | 486 |
| 11. | फर्रूखाबाद | 434 |
| 12. | फतेहपुर | 194 |
| 13. | गोरखपुर | 289 |
| 14. | गोंडा | 495 |
| 15. | गाजीपुर | 312 |
| 16. | हरदोई | 280 |
| 17. | हमीरपुर | 248 |
| 18. | जौनपुर | 550 |
| 19. | झांसी | 271 |
| 20. | जालौन | 259 |
| 21. | कानपुर शहर | 157 |
| 22. | कानपुर देहात | 486 |
| 23. | लखनऊ | 573 |
| 24. | लखिमपुर | 387 |
| 25. | ललितपुर | 95 |
| 26. | मैनपुरी | 207 |
| 27. | मिर्जापुर | 266 |
| 28. | मऊ | 440 |
| 29. | महाराजगंज | 174 |
| 30. | प्रतापगढ़ | 215 |
| 31. | रायबेरेली | 312 |
| 32. | सुल्तानपुर | 527 |
| 33. | सीतापुर | 354 |
| 34. | शाहजहांपुर | 291 |
| 35. | सिद्धार्थनगर | 187 |
| 36. | सोनभद्र | 154 |
| 37. | उन्नाव | 600 |
| 38. | वाराणसी | 784 |
| 39. | गाजियाबाद | 652 |
| 40. | बुलदंशहर | |
| 41. | आगरा | 835 |
| 42. | फिरोजाबाद | |
| 43. | देहरादून | 181 |
| 44. | मुरादाबाद | 408 |
| 45. | मेरठ | 798 |
| 46. | सहारनपुर | 529 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 47. | हरिद्वार | 247 |
| 48. | मुजफ्फरनगर | 697 |
| 49. | अलीगढ़ | 497 |
| 50. | नैनीताल | 374 |
| 51. | बरेली | 255 |
| 52. | चमोली | 61 |
| 53. | उत्तरकाशी | 20 |
| 54. | पौड़ी | 211 |
| 55. | टिहरी | 66 |
| 56. | मथुरा | 394 |
| 57. | एटा | 417 |
| 58. | रामपुर | 76 |
| 59. | बदायूं | 382 |
| 60. | पीलीभीत | 74 |
| 61. | बिजनौर | 374 |
| 62. | अल्मोड़ा | 316 |
| 63. | पिथौरागढ़ | |
| | जोड़ | 7930 |

**विवरण II**

**उत्तर प्रदेश में 31.9.95 की स्थिति के अनुसार डाकघर युक्त ग्राम पंचायतों को जिला-वार संख्या।**

| क्र.सं: | जिलों के नाम | डाकघर युक्त ग्राम पंचायतों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | इलाहाबाद | 470 |
| 2. | अल्मोड़ा | 438 |
| 3. | आगरा | 251 |
| 4. | अलीगढ़ | 270 |
| 5. | आजमगढ़ | 338 |
| 6. | बांदा | 271 |
| 7. | भदोरई | 102 |
| 8. | बरेली | 154 |
| 9. | बदायूं | 228 |
| 10. | बस्ती | 374 |
| 11. | बलिया | 336 |
| 12. | बहराइच | 366 |
| 13. | बिजनौर | 259 |
| 14. | बुलंदशहर | 300 |
| 15. | बराबंकी | 344 |
| 16. | चमोली | 332 |
| 17. | देवरिया | 243 |
| 18. | देहरादून | 102 |
| 19. | एटा | 200 |
| 20. | इटावा | 175 |
| 21. | फतेहपुर | 233 |
| 22. | फरूखाबाद | 251 |
| 23. | फिरोजाबाद | 150 |
| 24. | फैजाबाद | 500 |
| 25. | गाजीपुर | 356 |
| 26. | गोंडा | 474 |
| 27. | गाजियाबाद | 196 |
| 28. | गोरखपुर | 329 |
| 29. | हमीरपुर | 210 |
| 30. | हरदोई | 263 |
| 31. | हरिद्वार | 80 |
| 32. | जौनपुर | 400 |
| 33. | झांसी | 359 |
| 34. | जालौन | 322 |
| 35. | कानपुर (शहर) | 81 |
| 36. | कानपुर (देहात) | 276 |
| 37. | खोरी | 346 |
| 38. | ललितपुर | 150 |
| 39. | लखनऊ | 154 |
| 40. | महोबा (नया जिला आंकड़े हमीरपुर मे दिए गए हैं।) | |
| 41. | मिर्जापुर | 154 |
| 42. | मुजफ्फरनगर | 274 |
| 43. | मेरठ | 310 |
| 44. | मैनपुरी | 215 |
| 45. | मथुरा | 186 |
| 46. | मऊ | 239 |
| 47. | महराजगंज | 243 |
| 48. | मुरादाबाद | 291 |
| 49. | नैनीताल | 227 |
| 50. | प्रतापगढ़ | 337 |
| 51. | पीलीभीत | 128 |
| 52. | पिथौरागढ़ | 266 |
| 53. | पड़रौना | 235 |
| 54. | पौड़ी | 415 |
| 55. | रामपुर | 105 |
| 56. | रायबरेली | 417 |
| 57. | सोनभद्र | 116 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 58. | शाहजहांपुर | 259 |
| 59. | सिद्धार्थनगर | 230 |
| 60. | सहारनपुर | 172 |
| 61. | सुल्तानपुर | 457 |
| 62. | सीतापुर | 349 |
| 63. | टिहरी | 256 |
| 64. | उन्नाव | 247 |
| 65. | उत्तरकाशी | 123 |
| 66. | वाराणसी | 344 |
| | जोड़ | 17448 |

[अनुवाद]

**केरल में डाकघर**

1716. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के प्रत्येक जिले में श्रेणीवार कितने डाकघर कार्य कर रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार को पहाड़ी क्षेत्रों में और डाकघर खोलने तथा डाक सेवा सुविधा बढ़ाने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है या करने का विचार है ?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) :** (क) केरल में कार्य कर रहे डाकघरों की श्रेणीवार और जिलावार संख्या संलग्न विवरण - I में दी गई है।

(ख) जी हां।

(ग) पर्वतीय क्षेत्रों में डाकघर खोलने के लंबित अनुरोध विवरण-II में दिए गए हैं।

(घ) डाकघर योजना स्कीमों के अंतर्गत निर्धारित प्राथमिकताओं के अनुसार खोले जाते हैं, बशर्ते की दूरी, जनसंख्या और आय संबंधी मानदंड पूरे होते हों और संसाधन उपलब्ध रहें। लंबित आवेदनों को इस प्रक्रिया से गुजरना होगा।

**विवरण - I**

**केरल में कार्य कर रहे डाकघरों की श्रेणीवार और जिलावार संख्या**

| क्र. सं. | जिले का नाम | प्रधान डाकघर | विभागीय उप डाकघर | अतिरिक्त विभागीय उप डाकघर | अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | अल्लेपी | 5 | 112 | 64 | 109 | 290 |
| 2. | कालीकट | 4 | 101 | 47 | 266 | 418 |
| 3. | कन्नोर | 3 | 99 | 32 | 244 | 378 |
| 4. | एर्णाकुलम | 5 | 139 | 38 | 199 | 381 |
| 5. | इदुक्की | 2 | 52 | 14 | 233 | 301 |
| 6. | कसारागोड | 2 | 30 | 16 | 186 | 234 |
| 7. | कोट्टायाम | 5 | 124 | 55 | 225 | 209 |
| 8. | मालापुरम | 4 | 97 | 42 | 287 | 430 |
| 9. | पालघाट | 4 | 138 | 43 | 265 | 450 |
| 10. | पथानामिथिट्टा | 3 | 100 | 50 | 157 | 310 |
| 11. | क्वीलोन | 4 | 103 | 55 | 197 | 359 |
| 12. | त्रिवेन्द्रम | 4 | 142 | 23 | 248 | 417 |
| 13. | त्रिचूर | 5 | 166 | 54 | 263 | 488 |
| 14. | वायनाड़ | 1 | 18 | 3 | 139 | 161 |
| | योग | 51 | 1421 | 536 | 3010 | 5026 |

**विवरण - II**

**केरल के पर्वतीय क्षेत्रों में डाकघर खोलने के लिए लंबित अनुरोध जिलेवार**

| क्र.सं. | जिले का नाम | स्थलों के नाम |
|---|---|---|
| 1. | कालीकट | वाकनचेरी, वयाडकुरिचया कालोनी, पी.टी. चाकोनगर, पेरिंगोलम, मनडाड और पेरूमपल्ली। |
| 2. | एर्णाकुलम | पैपरा और नाडुवट्टम। |
| 3. | इदुक्की | मुलुकुवल्ली, स्वर्णविलासम, थेल्लिथोडा, कुरूस्सुमाला आश्रम, पेथामेडु, वाल्लम्बुर, एमईएस कालेज नेडमकंडम, हेवन वैली, कुरिस्सुपारा जंक्शन और ननकूथोट्टी। |
| 4. | इरिंजलकुडा | बन्दुकै |
| 5. | कन्नूर | कुन्नाथुरपाडी, कुनियानाबुझा, चानकुंडु चूल्लीयाड, वानचियाम, कुंप्पाडिथारा, पेरूमपाडावू, बालाथूमकाडावू, नेल्लीयोडी, मुल्लूल और मक्कायमाला |
| 6. | कसारागोड | पेरूमपल्ली थाट्टू, फुलियान्नूर, अट्टाकंडम मोसके (कुरूंगड) |
| 7. | कोट्टायाम | मोसके (कुरूंगड) |
| 8. | पथानमथिट्टा | पेरा मेला, अम्बानाद एस्टेट, रोसेमाला, नेल्लिक्कापारा और काल्लेलीथेट्टम |
| 9. | क्वीलोन | वेनकेल्ला, माइलम-ईस्ट और एडियाम |
| 10. | तेल्लीचेरी | पालूकुन्नू |
| 11. | त्रिवेन्द्रम | अट्टीनपुरम, पुन्नाक्काड और पाचामाला |
| 12. | वादागरा | वलुर-वेस्ट और पुथुरवट्टम |
| 13. | वायनाड | अप्पाड्, पाझुर, चेरूमड और वालनचेरी |

## वकीलों को टेलीफोन

1717. **श्री पवन कुमार बंसल :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि वकील विशेष श्रेणी के अंतर्गत टेलीफोन कनैक्शन प्राप्त करने के लिए हकदार हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने वकीलों को तत्काल टेलीफोन कनैक्शन उपलब्ध कराने हेतु विशेष श्रेणी के अंतर्गत शामिल करने हेतु अखिल भारतीय नीति निर्धारित की है ; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण है ?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) :** (क) से (ग) वकीलों को विशेष श्रेणी टेलीफोन प्रदान करने से संबंधित नीति पर माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय की विवक्षाएं विचाराधीन हैं, जिसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

## स्थानीय रेडियो स्टेशन

1718. **श्री गोपीनाथ गजपति :** क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में स्थानीय रेडियो स्टेशनों की स्थापना के कार्य में प्रगति संतोषजनक नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ; और

(ग) चालू योजनाविधि के दौरान उस संबंध में हुई प्रगति की समीक्षा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

**सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.ए. सईद) :** (क) और (ख) 7वीं और 8वीं योजनाओं में यथा परिकल्पित स्थानीय रेडियो स्टेशनों की अधिकांश स्कीमों को कार्यान्वित कर दिया गया है। तथापि उपयुक्त स्थानों, आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता की कमी, विप्लवी समस्याओं और कठिन भू-भाग अवस्थाओं जैसे विभिन्न कारणों से कुछ परियोजनाओं की प्रगति में बाधा आई है।

(ग) सभी आकाशवाणी परियोजनाओं के समय पर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए पी.ई.आर.टी./सी.पी.एम. को आधुनिक प्रबंधन तकनीकों के जरिए सतत आधार पर प्रयास किए जाते हैं और एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति के माध्यम से मानीटरिंग की जाती है।

## धार्मिक अल्पसंख्यक

1719. **श्री सैयद शहाबुद्दीन :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धार्मिक अल्पसंख्यकों की सघन आबादी वाले जिलों की राज्य-वार वर्तमान सूची क्या है ;

(ख) इन जिलों के चयन के क्या मानदंड है ;

(ग) इन जिलों में धार्मिक अल्पसंख्यकों की जिला-वार वास्तविक जनसंख्या क्या है और इनकी जनसंख्या एवं जिले की जनसंख्या का अनुपात क्या है ;

(घ) इन सभी जिलों में धार्मिक अल्पसंख्यकों की कुल जनसंख्या क्या है और देश में संबंधित सम्प्रदायों की कुल आबादी में इसका क्या अनुपात है ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार प्रत्येक धार्मिक अल्पसंख्यक सम्प्रदाय की आबादी के कम से कम दो तिहाई को सूची में सम्मिलित करने हेतु सूची की समीक्षा करने का है ?

**कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) :** (क) सूचना संलग्न [illegible] में दी गई है।

(ख) अल्पसंख्यक बहुल जिलों की वर्तमान सूची की पहचान के लिए अपनाया गया मानदंड है अल्पसंख्यकों की जनसंख्या का 20 प्रतिशत होना, जो देश में सभी अल्पसंख्यकों की जनसंख्या को इक्ट्ठा करके करना होता है (1971 की जनगणना के अनुसार)।

(ग) सूचना विवरण-II में दी गई है (1981 की जनगणना के अनुसार)।

| (घ) 41 अल्पसंख्यक बहुल जिलों में अल्पसंख्यकों की कुल जनसंख्या (1981 की जनगणना के अनुसार) अनुबन्ध-2 | देश में कुल अल्पसंख्यक जनसंख्या में 41 अल्पसंख्यक बहुल जिलों में अल्पसंख्यक समुदायों की प्रतिशतता (1981 की जनगणना के अनुसार) |
|---|---|
| 3,02,93,231 | 27.65 प्रतिशत |

(ङ) इस सूची की समीक्षा का काम प्रगति पर है। देश में अल्पसंख्यक बहुल जिलों की सूची में संशोधन के लिए 1991 की जनगणना के अतिरिक्त, गरीबी और क्षेत्र का शैक्षिक पिछड़ापन, मार्गदर्शी सिद्धान्त होते है।

### विवरण - I

**शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक बहुल जिलों की सूची**

| राज्य | | जिले |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| उत्तर प्रदेश | 1. | रामपुर |
| | 2. | बिजनौर |
| | 3. | मुरादाबाद |
| | 4. | सहारनपुर |
| | 5. | मुज्जफरनगर |
| | 6. | मेरठ |
| | 7. | बहराइच |
| | 8. | गोण्डा |
| | 9. | गाजियाबाद |
| | 10. | पीलीभीत |
| | 11. | देवरिया |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | 12. | बाराबांकी |
| | 13. | बस्ती |
| पश्चिम बंगाल | 14. | मुर्शिदाबाद |
| | 15. | मालदा |
| | 16. | वेस्ट दिनाजपुर |
| | 17. | बीरभूम |
| | 18. | नदिया |
| | 19. | प्रगना उत्तर |
| | 20. | प्रगना दक्षिण |
| | 21. | कूच बिहार |
| | 22. | हावड़ा |
| केरल | 23. | मालाप्पुरम |
| | 24. | कोजीकोडे |
| | 25. | किन्नौर |
| | 26. | पालाघाट |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | 27. | ग्यांद |
| बिहार | 28. | पूर्णिया |
| | 29. | कटियाहार |
| | 30. | दरभंगा |
| कर्नाटक | 31. | बिदार |
| | 32. | गुलबर्गा |
| | 33. | बिजापुर |
| महाराष्ट्र | 34. | ग्रेटर बंबई |
| | 35. | औरंगाबाद |
| आन्ध्र प्रदेश | 36. | हैदराबाद |
| | 37. | कुरनूल |
| हरियाणा | 38. | गुड़गांवा |
| मध्यप्रदेश | 39. | भोपाल |
| राजस्थान | 40. | जयसलमेर |
| गुजरात | 41. | कच्छ |

विवरण - II

| क्र.सं. | जिला | मुस्लिम | ईसाई | सिख | बौद्ध | यहुदी | अल्पसंख्यकों की कुल जनसंख्या (1981 जनगणना के अनुसार) | जिले की जनसंख्या | जिले की कुल जनसंख्या में अल्पसंख्यों की जनसंख्या का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **उत्तर प्रदेश** | | | | | | | | | |
| 1 | रामपुर | 556532 | 7366 | 41589 | 120 | 1 | 607807 | 1178621 | 51.57 |
| 2 | बिजनौर | 765063 | 1818 | 22494 | 751 | शून्य | 790525 | 1939261 | 40.76 |
| 3 | मुरादाबाद | 1198807 | 6737 | 7939 | 1324 | शून्य | 1215106 | 3149406 | 38.58 |
| 4 | सहारनपुर | 843999 | 3698 | 21188 | 623 | शून्य | 880731 | 2673561 | 32.94 |
| 5 | मुजफ्फरनगर | 653584 | 1770 | 8989 | 565 | शून्य | 665171 | 2274487 | 29.25 |
| 6 | मेरठ | 700144 | 9938 | 6597 | 4241 | शून्य | 721052 | 2767246 | 26.06 |
| 7 | बहराइच | 554404 | 1767 | 3441 | 84 | शून्य | 560013 | 2216245 | 25.27 |
| 8 | गौण्डा | 637222 | 360 | 959 | शून्य | शून्य | 638620 | 2834562 | 22.53 |
| 9 | गाजियाबाद | 390124 | 1606 | 8202 | 1253 | शून्य | 402676 | 1843130 | 21.85 |
| 10 | पीलीभीत | 212938 | 1255 | 39323 | 1 | शून्य | 254358 | 1008312 | 25.23 |
| 11 | देवरिया | 724329 | 1354 | 132 | 102 | शून्य | 725926 | 3496564 | 22.76 |
| 12 | बाराबांकी | 407404 | 572 | 234 | 74 | शून्य | 408300 | 1992074 | 20.50 |
| 13 | बस्ती | 729866 | 1052 | 325 | 457 | शून्य | 731700 | 3578069 | 20.45 |
| **पश्चिम बंगाल** | | | | | | | | | |
| 14 | मुर्शिदाबाद | 2169121 | 3760 | 399 | 81 | शून्य | 2173408 | 3697552 | 58.78 |
| 15 | मालदा | 919918 | 4020 | 127 | 108 | शून्य | 924283 | 2031871 | 45.49 |
| 16 | वेस्ट दिनाजपुर | 860797 | 19481 | 153 | 279 | शून्य | 881927 | 2404947 | 36.67 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | बीरभूम | 469212 | 5010 | 258 | 123 | शून्य | 656420 | 2095829 | 31.32 |
| 18 | नदिया | 713776 | 20504 | 204 | 130 | शून्य | 734721 | 2964253 | 24.79 |
| 19 | प्रगना (एन) | 2563751 | 55381 | 6913 | 4526 | 5 | 2630708 | 10739439 | 24.50 |
| 20 | प्रगना (एस) | | | | | | | | |
| 21 | कूच बिहार | 368176 | 1333 | 14 | 273 | शून्य | 379799 | 1771643 | 21.44 |
| 22 | हावड़ी | 598448 | 4640 | 2476 | 645 | 9 | 606248 | 2916861 | 20.43 |
| **केरल** | | | | | | | | | |
| 23 | मालाप्पुरम | 1573988 | 57217 | 2 | शून्य | शून्य | 1631207 | 2402701 | 67.89 |
| 24 | कौजीकौड | 762207 | 107711 | 30 | 6 | 7 | 869954 | 2245265 | 38.75 |
| 25 | किन्नौर | 720192 | 267710 | 110 | 1 | 4 | 988013 | 2803467 | 35.24 |
| 26 | पालाघाट | 472787 | 76690 | 7 | 7 | शून्य | 549491 | 2044399 | 26.88 |
| 27 | न्यांद | 136091 | 135504 | 64 | 3 | शून्य | 271602 | 554026 | 49.02 |
| **बिहार** | | | | | | | | | |
| 28 | पूर्णिया | 1495557 | 3048 | 645 | 57 | शून्य | 1499434 | 3595707 | 41.70 |
| 29 | कटियाहार | 527379 | 2166 | 1116 | 186 | शून्य | 531024 | 1428622 | 37.17 |
| 30 | दरभंगा | 432751 | 764 | 403 | 8 | शून्य | 433930 | 2008193 | 21.61 |
| **कर्नाटक** | | | | | | | | | |
| 31 | बिदार | 179295 | 29250 | 428 | 20804 | शून्य | 229822 | 996591 | 23.08 |
| 32 | गुलबर्गा | 345638 | 14302 | 203 | 531 | शून्य | 360987 | 2080643 | 17.35 |
| 33 | बीजापुर | 305159 | 2704 | 127 | 20 | 9 | 309105 | 2401782 | 12.87 |
| **महाराष्ट्र** | | | | | | | | | |
| 34 | ग्रेटर बम्बई | 1219930 | 394687 | 51808 | 467716 | 50053 | 2188158 | 8243405 | 26.54 |
| 35 | औरंगाबाद | 388646 | 23972 | 2640 | 192049 | 86 | 607850 | 2433420 | 24.98 |
| **आन्ध्र प्रदेश** | | | | | | | | | |
| 36 | हैदराबाद | 811787 | 62689 | 7848 | 1421 | 391 | 884156 | 2260702 | 39.11 |
| 37 | कुरनूल | 407981 | 69567 | 55 | शून्य | शून्य | 477616 | 2407299 | 19.84 |
| **हरियाणा** | | | | | | | | | |
| 38 | गुडगांवा | 261645 | 658 | 4032 | 94 | शून्य | 266449 | 849598 | 31.36 |
| **मध्य प्रदेश** | | | | | | | | | |
| 39 | भोपाल | 209389 | 10929 | 6765 | 8133 | 10721 | 236485 | 894739 | 26.43 |
| **राजस्थान** | | | | | | | | | |
| 40 | जयसलमेर | 56378 | 124 | 383 | शून्य | शून्य | 169094 | 243082 | 69.56 |
| **गुजरात** | | | | | | | | | |
| 41. | कच्छ | 197164 | 1277 | 929 | 3 | 11 | 199453 | 1050161 | 18.99 |

**प्रेस परिषद**

1720. **श्री एम.वी.वी. एस. मूर्ति :**
**श्री चिरंजीलाल शर्मा :**

क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय प्रेस परिषद ने केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों आदि द्वारा पत्रकारों (सम्पादकों और सम्पादकेत्तर व्यक्तियों) को नकद राशि या वस्तुओं के रूप में दी गई रियायतों, उपहारों और अन्य सुविधाओं की जांच करने हेतु अखिल भारतीय स्तर पर व्यापक अध्ययन कराने के लिए कोई समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस रिपोर्ट को कब तक प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना है ?

**सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री पी.एम.सईद):** (क) और (ख) प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 की धारा 15 के साथ पठित धारा 8 द्वारा भारतीय प्रेस परिषद को प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय प्रेस परिषद ने पत्रकारों (संपादकों तथा संपादकेत्तर व्यक्तियों) को केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों द्वारा नकद राशि या वस्तुओं के रूप में दी गई सभी प्रकार की रियायतों, छूट, उपहारों, सुविधाओं आदि के संबंध में अखिल भारतीय आधार पर व्यापक अध्ययन करने के लिए न्यायाधीश श्री पी.बी. सावन्त, अध्यक्ष, भारतीय प्रेस परिषद की अध्यक्षता में चार अन्य सदस्यों नामत: श्री वी.एन. गाडगिल, डा. एम.वी. पायली, डॉ. हरेन्द्र कुमार दास और श्री प्रकाश पात्र को शामिल करके एक समिति गठित की है। इस समिति के विचारार्थ विषय निम्न है : -

(1) प्रेस के विभिन्न वर्गों को दी गई रियायतों की वांछनीयता/वैधता के बारे में विचार करना;

(2) इस पर विचार करना कि क्या पत्रकारों को रियायत देने से प्रेस के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष कार्य संपादन तथा इसकी विश्वसनीयता पर प्रभाव पड़ता है ;

(3) सार्वजनिक प्राधिकारियों और प्रेस के सदस्यों के बीच संबंधों तथा अन्योन्य क्रिया की सीमा निर्धारित करना;

समिति विगत 10 वर्षों के दौरान के संगत आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए मुद्दों की जांच करेगी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) परिषद ने समिति द्वारा रिपोर्ट को प्रस्तुत किए जाने के बारे में कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित नहीं की है।

## अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुकी जाति को शामिल किया जाना

**1721. श्री याइमा सिंह युमनाम :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को मणिपुर राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुकी जनजाति को शामिल किए जाने के लिए मणिपुर में कुकी समुदाय के प्रतिनिधियों की ओर से कोई ज्ञापन अथवा अभ्यावेदन प्राप्त हुए है : और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

**कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) :** (क) मणिपुर राज्य की अनुसूचित जनजातियों की सूची में कुको जनजाति को शामिल करने के लिए मणिपुर के कुकी समुदाय के प्रतिनिधियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) इन अभ्यावेदनों की जांच अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की सूचियों में प्रस्तावित व्यापक संशोधन के संदर्भ में की जा रही है।

## अनुसूचित जनजातियों की सूची में नायक समुदाय को सम्मिलित किया जाना

**1722. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को कर्नाटक सरकार से कर्नाटक की अनुसूचित जनजाति सूची में नायक सम्प्रदाय को सम्मिलित करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

**कल्याण मंत्री (सीताराम केसरी) :** (क) और (ख) संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1991 के अनुसार 19 अप्रैल 1991 से नायक जनजाति को कर्नाटक की अनुसूचित जनजातियों की सूची में पहले ही शामिल कर दिया गया है।

## सरकारी क्षेत्र संबंधी विनिवेश नीति

**1723. श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**
**मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी :**
**डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :**

क्या **योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने रंगराजन समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकारी क्षेत्र से संबंधित विनिवेश नीति की समीक्षा करने का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार ने उपर्युक्त सिफारिशों को देखते हुए सरकारी क्षेत्र संबंधी विनिवेश नीति के बारे में कोई नया फार्मूला बनाया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) इसको कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए है?

**योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) :** (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

## रोजगार का सृजन

**1724. डा. आर. मल्लु :** क्या योजना तथा कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों के दौरान सृजित किये गये वास्तविक रोजगार में आन्ध्र प्रदेश का भाग कितना है ?

**योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)** : अनुमान है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों के दौरान 11.6 मिलियन अतिरिक्त रोजगार अवसरों का सृजन हुआ है। सृजित हुए ऐसे रोजगार अवसरों के राज्यवार वितरण तैयार नहीं किए गए हैं।

[हिन्दी]

### झारखण्ड क्षेत्र का विकास

1725. **श्री शैलेन्द्र महतो** : क्या योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार झारखण्ड क्षेत्रों के विकास के लिए झारखण्ड स्वायत्त परिषद को सीधे धन देने का है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) परिषद को धन कब तक उपलब्ध करा दिया जाएगा और इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

**योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)** : (क) किसी क्षेत्र की आयोजना तथा विकास करना और इस प्रयोजन के लिए निधियों का आबंटन करना मूलत: सम्बधित राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। योजना आयोग राज्य को समग्र रूप से निधियां जारी करता है। इसके अतिरिक्त सेक्टरवार और स्थानिक आबंटन सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा किए जाते हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

### राजस्थान में विद्युत परियोजना के लिए गैस की आपूर्ति

1726. **श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन को पर्याप्त मात्रा में गैस की आपूर्ति की जा रही है ;

(ख) यदि नहीं, तो पर्याप्त मात्रा में गैस उपलब्ध कराए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इस कमी को कब तक पूरा कर लिया जाएगा ;

(ग) क्या राजस्थान सरकार ने उत्तरी ग्रिड की विद्युत परियोजनाओं की अन्ता, दादरी और औरिया यूनिटों को विद्युत की क्षतिपूर्ति हेतु केन्द्र सरकार से पर्याप्त मात्रा में गैस उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या कार्रवाई की गई?

**पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा)** : (क) 1.75 एम. एम. एस. सी. एम. डी. के आबंटन के प्रति, एन. टी. पी. सी., अंटा को फिलहाल लगभग 1.66 एम. एम. एस. सी. एम. डी. गैस की आपूर्ति की जा रही है।

(ख) और (घ) पश्चिमी अपतटीय क्षेत्रों से हजीरा को गैस की आपूर्ति बढ़ायी जा रही है। हजीरा गैस टर्मिनल तथा एच. बी. जे. पाइपलाईन की क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। इन परियोजनाओं के 1997 तक पूरा हो जाने के साथ ही एच. बी. जे. पाइपलाइन से गैस की कमी नहीं रहनी चाहिए।

(ग) जी, हां।

### परियोजनाओं का पूरा किया जाना

1727. **श्रीमती सुमित्रा महाजन** : क्या जल-संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से नर्मदा सागर, ओंकरेश्वर और महेश्वर परियोजनाओं को नवीं पंच वर्षीय योजना में पूरी करने संबंधी कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस दिशा में क्या कदम उठाए है?

**जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी.रंगय्या नायडू)**: (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

### राज्य विधान सभा का गठन

1728. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की विधान सभा के गठन के बारे में अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह के जनप्रतिनिधियों की ओर से कोई मांग प्राप्त हुई है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामलाल राही)** : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) मामले की जांच की गई है तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए एक राज्य विधान सभा का गठन करना व्यवहारिक नहीं पाया गया है।

### बेरोजगारी

1729. **श्री हरिन पाठक** : क्या योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सन 2000 के अंत तक बेरोजगारी को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ;

(ग) क्या इस दिशा में अब तक संतोषजनक प्रगति हुई है ;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ; और

(ङ) आगामी शेष वर्षों के लिए प्रतिवर्ष रोजगार के अवसरों में कितना प्रतिशत वृद्धि दर निर्धारित किया गया है ?

**योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)** : (क) और (ख) : सन 2000 तक बेरोजगारी

को पूरी तरह से समाप्त करने का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में औसतन 2.6 प्रतिशत से 2.8 प्रतिशत वार्षिक रोजगार संवृद्धि) की दर से अथवा इस अवधि के दौरान अर्थव्यवस्था की 5.6 प्रतिशत संवृद्धि दर के अनुरूप औसतन 8.5 मिलियन अतिरिक्त रोजगार अवसर प्रति वर्ष सृजन करने का प्रावधान है। 1997-2002 की अवधि के दौरान इन्हीं रणनीतियों को जारी रखते हुए अर्थव्यवस्था की इसी संवृद्धि दर से उस अवधि की समाप्ति तक लगभग पूर्ण नियोजन का लक्ष्य प्राप्त होने की उम्मीद है।

(ग) और (घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों (1992-1995) के दौरान 18.78 मिलियन अतिरिक्त रोजगार अवसर पैदा करने का अनुमान है। यह प्रति वर्ष 2.3 प्रतिशत की दर से आर्थिक औसतन 6.26 मिलियन रोजगार संवृद्धि बनती है। 1992-95 के दौरान औसतन 8.5 मिलियन रोजगार अवसर प्रतिवर्ष पैदा करने के लक्ष्य प्रारम्भिक तौर पर आठवीं योजना में प्रस्तावित अर्थव्यवस्था संवृद्धि दर में कमी आने के कारण प्राप्त नहीं हुए।

(ङ) अगले शेष वर्षों के लिए रोज़गार अवसरों में संवृद्धि की कोई वार्षिक प्रतिशत दर निर्धारित नहीं की गई है। रोज़गार संवृद्धि की दर अर्थव्यवस्था की संवृद्धि की गति तथा ऐसी संवृद्धि के फलस्वरूप रोजगार सृजन के अवसरों पर निर्भर करेगी।

[हिन्दी]

**कृषि क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय**

1730. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :**
**श्री रामेश्वर पाटीदार :**

क्या योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दशक के दौरान कृषि क्षेत्र में प्रति व्यक्ति आय में भारी गिरावट आई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है ;

(ग) सरकार द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि क्षेत्र में लगे व्यक्तियों की प्रति आय बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाने का विचार है ; और

(घ) इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ?

**योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)** : (क) तथा (ख) कृषि क्षेत्रक से आय, वर्ष 1980-81 की कीमतों पर उपादान लागत पर सकल घरेलू उत्पाद द्वारा मापने पर, 1980-81 में 42466 करोड़ रुपये से बढ़कर 1990-91 में 60991 करोड़ रुपए हो गई है, इसी अवधि के दौरान जनगणना अनुमानों के अनुसार कृषि में लगे व्यक्तियों की संख्या (कृषक तथा खेतिहर मजदूर) 148 मिलियन (1981 जनगणना) से बढ़कर 185.3 मिलियन (1991 जनगणना) हो गई। अत: प्रति व्यक्ति कृषि आय 1980-81 की कीमतों पर 1980-81 में 2869 रुपये से बढ़कर 1990-91 में 3291 रुपये हो गई।

(ग) आठवीं योजना में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रकों के पक्ष में निवेश में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रस्ताव किया गया है। कृषि, सिंचाई तथा संबद्ध क्षेत्रकों का हिस्सा जो सातवीं योजना में कुल निवेश का 11.23 प्रतिशत था, आठवीं योजना में बढ़ाकर 18.65 प्रतिशत कर दिया गया है।

(घ) आठवीं योजना में कृषि, सिंचाई तथा संबद्ध क्षेत्रकों में वर्ष 1991-92 की कीमतों पर अनुमानत: 148800 करोड़ रुपये का निवेश किये जाने का प्रस्ताव है।

**विकलांग व्यक्ति**

1731 **श्री राम सदन** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में दृष्टिहीन विकलांग लोगों के कल्याण के लिए सरकार ने क्या उपाय किए है ;

(ख) क्या यह सच है कि दृष्टिहीन सहायता केन्द्रों के प्रबन्धक दृष्टिहीन व्यक्तियों पर अत्याचार करते है ;

(ग) क्या उन पर किये जाने वाले अत्याचारों के ऐसे मामलों पर नियंत्रण करने के लिए कोई नई नीति अपनायी जाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) दृष्टिहीन लोगों की सहायता करने के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना में कौन से उपबंध किए गए है ?

**कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंगकाबालू)** : (क) देश में दृष्टिहीन व्यक्तियों सहित विकलांगों के कल्याण संबंधी मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं और कार्यक्रमों का उल्लेख संलग्न विवरण में किया गया है।

(ख) दृष्टिहीन व्यक्तियों पर अत्याचारों से संबंधित कोई विशेष शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) दृष्टिहीन में व्यक्तियों सहित विकलांगों के कल्याण के लिए 111.00 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।

1. विकलांगों के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता

इस योजना के अंतर्गत विकलांगों के कल्याण के क्षेत्र में स्वयंसेवी संगठनों को सहायता प्रदान की जाती है। पुनर्वास के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों तथा शारीरिक मनोवैज्ञानिक, सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्र को शामिल करने के लिए यह एक व्यापाक योजना है। आवर्ती मदों जैसे, कर्मचारी वेतन, अनुरक्षण शुल्क, फुटकर व्यय तथा अनावर्ती मदों जैसे भवन निर्माण, उपस्कर तथा फर्नीचर के लिए कुल परियोजना लागत

का 90 प्रतिशत (ग्रामीण क्षेत्रों में 95 प्रतिशत) वित्तीय सहायता दी जाती है।

परियोजनाओं जैसे व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों, विशेष स्कूलों, परामर्श केन्द्रों, होस्टलों, कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों, स्थापन सेवाओं इत्यादि के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

**2. विशेष विद्यालयों की स्थापना और विकास**

इस योजना में विकलांगता के चार प्रमुख क्षेत्रों अस्थित, श्रवण तथा वाणी दृष्टि तथा मानसिक मंदता में विशेष विद्यालयों की स्थापना तथा उनके स्तर में सुधार के लिए गैर-सरकारी संगठनों को 90 प्रतिशत की सीमा तक सहायता देने की परिकल्पना की गई है। इस योजना के अंतर्गत फिलहाल उन जिलों में विद्यालय स्थापित करने को प्राथमिकता दी जाती है जहां विशेष विद्यालय नहीं हैं। इस मंत्रालय द्वारा आवर्ती तथा अनावर्ती दोनों व्ययों के लिए सहायता दी जाती है।

**(3) प्रमस्तिष्काघात तथा मानसिक मंदता वाले व्यक्तियों के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता।**

इस योजना के अंतर्गत प्रमस्तिष्काघात तथा मानसिक मंदता के क्षेत्र में के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाने हेतु गैर-सरकारी संगठनों को 100 प्रतिशत की सीमा तक ही सहायता दी जाती है।

**(4) कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए संगठनों को सहायता**

इस योजना में पुनर्वास के लिए गैर-सरकारी संगठनों को 98 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(5) राष्ट्रीय संस्थान

विकलांगों की जनसंख्या को बहुआयामी संस्थाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए अपंगता के प्रत्येक प्रमुख क्षेत्र में निम्नलिखित राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना की गई है। ये संस्थान अपने अपने क्षेत्र में प्रशिक्षण, व्यावसायिक मार्गदर्शन, पुनर्वास, अनुसंधान, पुनर्वास उपयुक्त सेवा मॉडलों का विकास जैसे क्षेत्रों में शीर्षस्थ स्तरीय संस्थान हैं। यह संस्थान यंत्रों के विकास और मानकीकरण तथा इलैक्ट्रानिक एवं प्रिंट मीडिया दोनों के लिए सामुदायक चेतना सामग्री तैयार करने के लिए, जिसमें लक्षित श्रोता अभिभावक समुदाय तथा इस क्षेत्र में कार्यरत व्यावसायिकों आदि सहित विकलांगता के अपने सम्बद्ध क्षेत्रों में प्रमुख प्रलेखन और सूचना केन्द्रों के रूप में भी काम करते है।

1. राष्ट्रीय दृष्टिवाधितार्थ संस्थान, देहरादून
2. राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान, कलकत्ता
3. अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, बम्बई
4. राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकन्दराबाद

चार राष्ट्रीय संस्थानों के अतिरिक्त, चलन विकलांगता वाले व्यक्तियों को प्रशिक्षण सुविधाएं तथा पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के क्षेत्र में निम्नलिखित दो संस्थान कार्य करते आ रहे हैं :-

1. विकलांग जन संस्थान, नई दिल्ली।
2. राष्ट्रीय पुनर्वास, प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, ओलटपुर, उड़ीसा

**6. रोजगार**

(1) केन्द्र सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में समूह 'ग' और 'घ' के पदों में 3 प्रतिशत रिक्तियों शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित की जाती है जिनमें से दृष्टि, श्रवण और अस्थि विकलांग व्यक्तियों प्रत्येक के लिए 1 प्रतिशत पद आरक्षित की जाती हैं कुछ राज्य सरकारों द्वारा भी ऐसे ही आरक्षण किए गए हैं। दृष्टिहीन व्यक्तियों सहित विकलांगों को सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए चिकित्सा मानकों में तथा उपरी आयु सीमा में भी छूट प्रदान की जाती है।

(2) विकलांगों की लाभप्रद रोजगार प्राप्त करने में अनन्य रूप से सहायता करने के लिए 35 विशेष रोजगार कार्यालय और 50 विशेष सैल स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त सामान्य रोजगार केन्द्र भी विकलांग व्यक्तियों को उचित रोजगार की तलाश में सहायता करते हैं।

3. विकलांगों की योग्यता का मूल्यांकन करने, उनके प्रशिक्षण का प्रबन्ध करने और उन्हें रोजगार लगाने के लिए सत्रह व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना की गई है।

4. निम्नलिखित के माध्यम से स्व-रोजगार को प्रोत्साहन दिया जाता है :-

(क) बिक्री स्टाल कियोस्क और छोटी दुकानों का आबंटन

(ख) भिन्नात्मक ब्याज दर योजना के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों से मामूली ब्याज दर पर ऋण।

(ग) सार्वजनिक टेलीफोन बूथों का आबंटन।

(घ) पेट्रोल पम्पों, मिट्टी का तेल के डिपों के वितरण में आरक्षण।

**(7) विकलांगों को सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद के लिए सहायता की योजना**

इस योजना का मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को टिकाऊ आधुनिक तथा वैज्ञानिक तरीके से निर्मित सहायक यंत्र और उपकरण खरीदने में सहायता करना है जो उनका शारीरिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक पुनर्वास बढ़ते हैं। यह योजना कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत रजिस्टर्ड कम्पनियों, रजिस्टर्ड समितियों, न्यासों द्वारा चलाए जा रहे केन्द्रों और कल्याण मंत्रालय द्वारा अभिज्ञात किसी अन्य संगठन के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। इस प्रकार योजना के कार्यान्वयन के लिए सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों एजेंसियों कार्यरत हैं।

इस योजना के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों को 3600/- रुपए तक के मूल्य के सहायक यंत्र और उपकरण उन्हें निशुल्क वितरित किए जाते हैं यदि उनकी मासिक आय 1200/- रुपए तक है और यदि आय 1201 रुपए और 2500 रुपए के बीच में है तो यह 50 प्रतिशत लागत पर प्रदान किए जाते है।

[अनुवाद]

**अर्ध-सैनिक बलों द्वारा की गई ज्यादतियां**

1732. **डा. वसंत पवार :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान अर्ध-सैनिक बलों के कार्मिकों द्वारा की गई ज्यादतियों के कितने मामले प्रकाश में आए ;

(ख) यदि हां, तो क्या तथ्यों का पता लगाने के लिए कोई जांच करायी गयी है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और इसके क्या परिणाम निकले ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (सैयद सिब्ते रजी) :** (क) पिछले 2 वर्षों के दौरान अर्ध-सैनिक बलों के कार्मिकों द्वारा की गयी ज्यादतियों के 52 आरोप प्राप्त हुए हैं।

(ख) और (ग) इन मामलों में की गयी कार्रवाई के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

| | | |
|---|---|---|
| (1) | विभागीय कार्यवाही के बाद दिया गया उपयुक्त दंड | 2 मामले |
| (2) | जांच न्यायालय की कार्यवाही प्रगति पर | 2 मामले |
| (3) | विभागीय जांच प्रगति पर | 1 मामला |
| (4) | मामले जिनमें पुलिस जांच पड़ताल प्रगति पर है | 30 मामले |
| (5) | जांच-पड़ताल के बाद पता न लगे के रूप में फाईल | 8 मामले |
| (6) | जांच के बाद मामले झूठे पाए गए | 5 मामले |
| (7) | न्यायालय में आरोप-पत्र दायर किए गए | 4 मामले |
| | | कुल 52 मामले |

**मध्य रेलवे में महिलाओं को परेशान किया जाना**

1733. **श्री राम कापसे :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 8 अगस्त, 1995 के इंडियन एक्सप्रेस में 'वूमेन हैस्सड इन सेन्ट्रल रेलवे' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले है ; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एम. कामसन) :** (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख से (घ) रेलगाड़ियों में होने वाले अपराध को दर्ज करने, उसकी जांच करने, पता लगाने तथा अपराध होने से रोकने का उत्तरदायित्व, राजकीय रेलवे पुलिस (रा.जे.पु.) का है जो कि संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के नियंत्रणाधीन कार्य करती है। रेलगाड़ियों में परेशान करने की विशिष्ट घटनाओं और अन्य अपराधों से संबंधित जानकारी केन्द्र सरकार द्वारा नहीं रखी जाती है।

**कमांड क्षेत्र का विकास**

1734. **श्री प्रवीन डेका :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान, सरकार, असम के कमांड क्षेत्रों के विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित कमांड क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी धनराशि प्रदान की गई और

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान प्राप्त लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है ?

**जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू):** (क) गत तीन वर्षों के दौरान केंद्र प्रायोजित कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत असम सरकार को 548.49 लाख रुपए की राशि अनुदान सहायता के रूप में प्रदान की गई। इसका वर्षवार ब्यौरा इस प्रकार है :

| वर्ष | अनुदान सहायता (लाख रुपए) |
|---|---|
| 1992-93 | 207.99 |
| 1993-94 | 202.61 |
| 1994-95 | 137.89 |
| कुल | 548.49 |

(क्षेत्र : हजार हेक्टेयर)

| | 1992-93 | | 1993-94 | | 1994-95 | | 1992 से 1995 तक की अवधि के लिए संचयी | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि |
| खेत चैनल | 7 | 1.59 | 2.03 | 1.50 | 3.353 | 1.088 | 12.383 | 4.178 |
| खेत नालियां | 4 | 0.31 | 3.80 | 0.64 | 3.341 | 1.48 | 11.141 | 2.43 |
| वाराबंदी | 7 | 7.30 | 2.40 | 1.00 | 1.5 | 0.35 | 10.90 | 8.65 |

(बारी-बारी से जल आपूर्ति)

**पाइपलाइनों द्वारा गैस का वितरण**

1735. **श्री शंकर सिंह वाघेला :** क्या पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ौदा तथ सूरत शहरों में घरेलू उद्देश्य हेतु प्राकृतिक गैस पाइप लाइनों द्वारा वितरित की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या पाइपलाइनों द्वारा प्राकृतिक गैस के वितरण की इस योजना को गुजरात के अहमदाबाद तथा सौराष्ट्र क्षेत्र में शुरू करने का विचार है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ; और

(घ) यदि हां, तो यह योजना वहां पर कब तक शुरू हो जायेगी?

**पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) :** (क) जी, हां।

(ख) से (घ) गुजरात में गैस की अनुमानित उपलब्धता और पहले से की गई वचनबद्धता के मद्देनजर अहमदाबाद आदि में पाइप द्वारा गैस आपूर्ति की। परियोजनाओं के लिए गैस का आबंटन करना व्यवहार्य नहीं है।

**पुरी में स्थानीय रेडियो स्टेशन**

1736. **श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी :** क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चालू वर्ष के बजट में पुरी में एक स्थानीय रेडियो स्टेशन की स्थापना का प्रावधान था ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी परिव्यय क्या है ;

(ग) अब तक कितनी धनराशि व्यय की गई है ;

(घ) क्या उपर्युक्त रेडियो स्टेशन को चालू कर दिया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

**सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम.सईद) :** (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पुरी में एक 3 कि.वा. एफ. एम. ट्रांसमीटर तथा बहु-उद्देशीय स्टुडियों वाले स्थानीय रेडियो स्टेशन के बारे में चालू वर्ष (1995-96) हेतु अनुमोदित परिव्यय 78.50 लाख रुपये है। सितम्बर 1995 तक, इस परियोजना पर 25.68 लाख रुपये का व्यय हो चुका है।

(घ) जी, हां।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

**हड़तालियों पर पुलिस द्वारा अत्याचार**

1737. **श्री विश्वनाथ शर्मा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झांसी, उत्तर प्रदेश में सितम्बर 1994 में अभूतपूर्व हड़ताल हुई थी और कर्फ्यू लगाया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ;

(ग) क्या सरकार का विचार पुलिस द्वारा हड़तालियों पर अत्याचार करने के बारे में कोई जांच पड़ताल की गई थी ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एम. कामसन) :** (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा उसे सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

**उत्तर प्रदेश में आई.एस.आई. की गतिविधियां**

1738. **श्री जगतवीर सिंह द्रोण :**

**श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि आई.एस. आई. की गतिविधियां कश्मीर और पंजाब की अपेक्षा अब उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और दिल्ली में फैल रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (सैयद सिब्ते रजी) :** (क) और (ख) सरकार को पाकिस्तान की आई.एस.आई. के उन नापाक इरादों की जानकारी है जिनके द्वारा पाकिस्तान, देश के विभिन्न भागों में आतंकवाद और विध्वंसकारी गतिविधियां चलवा कर भारत में अस्थिरता फैलाना चाहता है। सरकार स्थिति के प्रति सचेत है तथा इस संबंध में सभी आवश्यक उपाय कर रही है, जिसमें शामिल है - आसूचना तंत्र को सुचारू बनाना, केन्द्रीय और राज्य एजेंसियों द्वारा समन्वित कार्रवाई कराना, अर्ध-सैनिक बलों की तैनाती में वृद्धि करना, गश्त में वृद्धि करना तथा भारत-पाक सीमा के सुभेद्य हिस्सों पर सीमा-बाड़ का निर्माण करना और फ्लड लाईट लगवाना।

**'बुलेट प्रूफ जेकेट'**

1739. **श्री मोहन रावले :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों ने 'बुलेट प्रूफ वेस्टों' और जेकेटों का आयात किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या ऐसे उत्पाद सस्ते दामों पर देश में ही उपलब्ध हैं ;

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (सैयद सिब्ते रजी) :** (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। कुछ राज्यों जैसे अरूणाचल प्रदेश, हरियाणा, नागालैंड, उत्तर प्रदेश, और संघ शासित क्षेत्र और पांडिचेरी ने विगत में बुलैट-प्रूफ जेकेटों का आयात किया था।

(ग) से (ङ.) जी हां, श्रीमान्। तथापि जब लगभग डेढ़ साल पहले ये वस्तुएं देश में उपलब्ध नहीं थी तो राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को इनका आयात करना पड़ा था।

**कोयले की सप्लाई**

1740. **श्री छीतूभाई गामीत :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात राज्य विद्युत बोर्ड को गत तीन वर्षों के दौरान कोयले की कितनी मात्रा में आपूर्ति की गयी है ;

(ख) क्या घटिया किस्म के कोयले की सप्लाई किये जाने की शिकायतें प्राप्त हुई है ; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

**कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर)** : (क) गुजरात राज्य विद्युत बोर्ड के चार तापीय विद्युत गृहों को पिछले प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान कोयले की आपूर्ति की गई कुल मात्रा नीचे दी गई है : -

| | आंकड़े अनन्तिम (लाख टन में) |
|---|---|
| 1992-93 | 110.71 |
| 1993-94 | 111.21 |
| 1994-95 | 112.16 |

(ख) और (ग) कोल इंडिया लि. से प्राप्त सूचना के अनुसार गुजरात विद्युत बोर्ड से कुछ शिकायत प्राप्त हुई है, जो कि मुख्यत: आपूर्ति किये कोयले के आकार तथा गुणवत्ता से सम्बन्धित है।

भारतीय कोयला अभिसाध्य की निहित प्रकृति के कारण उच्च राख प्रतिशतता वाला होता है। अधिकांश मामलों में कोयला सीमें आन्तरिक रूप में पत्थर/स्लेट टुकडों/रेत आदि से जुड़ी होती है। ऐसी वाह्य सामग्री को खनन प्रक्रिया के दौरान निकाला नहीं जा सकता है। किन्तु कोल इंडिया लि. (को.इं.लि.) ने यह सुनिश्चित करने के लिये कदम उठाये हैं कि इस वाह्य सामग्री को घटाकर न्यूनतम किया जाए। इन कदमों में प्रेषण से पूर्व चयनित खनन, चयनित विस्फोटन, बैन्विस साफ रखना, वाह्य सामग्री को पृथक करना तथा हटाना जैसे प्रेषण से पूर्व पत्थर आदि शामिल हैं। तापीय विद्युत गृह, जिनमें गुजरात विद्युत बोर्ड के विद्युत गृह भी शामिल हैं, उन्हें कोयले की गुणवत्ता में और सुधार किये जाने के लिये परिष्करण किये जाने की सलाह दी गई है।

**सीमा सुरक्षा बल की ग्रामवासियों से झडपें**

1741. **श्री सुव्रत मुखर्जी :**
**श्री झराधन राय :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में विभिन्न स्थानों पर केन्द्रीय सुरक्षा बलों के जवानों की ग्रामवासियों के साथ झड़पे हो रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) ऐसी घटनाओं की भविष्य में पुनरावृति को रोकने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामलाल राही)** : (क) सरकार को पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में हुई कुछ घटनाओं की जानकारी है, जिनमें कुछ निहित स्वार्थी तत्वों की झड़प, उस समय सीमा सुरक्षा बल के गश्ती/नाका दलों के साथ हो गयी जब इन दलों ने, निषिद्ध वस्तुओं/ जानवरों की जांच करने/उन्हें जब्त करने की कोशिश की।

(ख) इस प्रकार की घटनाओं की संख्या इस प्रकार है :

| वर्ष | घटनाओं की संख्या |
|---|---|
| 1994 | 9 |
| 1995 | 15 (30.11.1995 तक) |

(ग) इस प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए सीमा सुरक्षा बल ने अनेक कदम उठाए हैं जिनमें सम्मिलित हैं ; सीमा पर तैनात कार्मिकों को सुग्राही बनाना, सीमा चौकियों का अधिकारियों द्वारा बार-बार पर्यवेक्षण, सीमा चौकियों पर तैनात कार्मिकों के लिए 'क्या करें' और 'क्या न करे' संबंधी निर्देश जारी करना और स्थानीय प्रशासन के साथ निकट सम्पर्क बनाए रखना।

**बाढ़ नियंत्रण**

1742. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तरी बंगाल बाढ़ निवारण मास्टर प्लान की वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने उपरोक्त योजना की स्वीकृति दे दी है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

**जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू)**: (क) से (घ) पश्चिम बंगाल सरकार ने उत्तरी बंगाल में बाढ़ की रोकथाम के लिए तीस्ता, तोरसा, रायढक और जलढाका नदियों के लिए मास्टर योजनाएं तैयार की है। इन मास्टर योजनाओं की जांच की गई और टिप्पणियां आवश्यक संशोधन करने के लिए राज्य सरकार को भेजी गई । राज्य सरकार से संशोधित मास्टर योजनाएं प्राप्त नहीं हुई हैं।

**पिछड़ा वर्ग श्रेणी में उत्तराखंड के निवासियों को शामिल किया जाना**

1743. **कुमारी सुशीला तिरिया :**
**श्री गुरुदास कामत :**

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने पिछड़ा वर्ग श्रेणी में उत्तराखंड के सभी निवासियों को शामिल करने का निर्णय लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी)** : (क) और (ख) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने उत्तराखंडियों को पिछड़े वर्गों की श्रेणी में शामिल करने और सेवाओं तथा शिक्षण संस्थानों में लाभ देने के लिए एक अभ्यावेदन प्राप्त किया है जो आयोग के विचाराधीन है। इस मामले को उत्तर प्रदेश राज्य बनाम प्रदीप टण्डन मामले में तथा अनिल कुमार गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के आलोक में विचार करना होगा।

**गंगा नदी के तटों का कटाव**

1744. **श्री जायनल अबेदिन :**
**श्री रूपचंद पाल :**

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के अनेक भागों में गंगा नदी के दोनों तटों पर लगातार कटाव हो रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कटाव को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का विचार है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) : (क) गंगा नदी के तट के साथ-साथ विभिन्न स्थलों पर घटती-बढ़ती मात्रा में तट कटाव की सूचना समय-समय पर मिली है। यह कटाव कछारी नदियों के टेढ़े-मेढ़े बहने के कारण होता है। समस्या से निपटने के लिए स्थान विशिष्ठ आधार पर राज्य सरकार द्वारा कटावरोधी योजनाएं प्रारंभ की जाती हैं।

(ख) राज्य सरकार अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार अपनी स्वयं की योजना निधियों से विशेष कटावरोधी योजनाओं का अन्वेषण, आयोजना और कार्यान्वयन करती है। 1995 की बाढ़ से पहले, राज्य सरकार द्वारा मालदा और मुर्शिदाबाद जिलों में 15 कटावरोधी योजनाएं पूरी की गई।

**टेलीफोन एक्सचेंजों का आधुनिकीकरण**

1745. श्री हाराधन राय : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सभी टेलीफोन एक्सचेंजों का आधुनिकीकरण कर दिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष एवं चालू वर्ष में राज्यवार अब तक कितने टेलीफ़ोन एक्सचेंजों का आधुनिकीकरण किया गया है ;

(ग) राज्य-वार ऐसे टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या क्या है जिनका आधुनिकीकरण किया जाना है ; और

(घ) देश के समस्त टेलीफोन एक्सचेंजो का कब तक आधुनिकीकरण कर दिया जाएगा ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) जी नहीं। आधुनिकीकरण के लिए एक चरणबद्ध कार्यक्रम है।

(ख) और (ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों के अनुसार, सभी मैक्स-3 और मैक्स-2 (लाइन फांइडर टाइप) एक्सचेंजों को मार्च, 1997 तक इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों में परिवर्तित किया जाना है। उपस्कर और अन्य साधनों की उपलब्धता के अध्याधीन, सभी अन्य एक्सचेंजों को उनकी उपयोगिता की मियाद की समाप्ति पर इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों में परिवर्तित किया जाना है।

**विवरण**

**निम्नलिखित वर्षों के दौरान आधुनिकीकृत एक्सचेंजों की संख्या**

| क्र.सं. | राज्य का नाम | 1992-93 | 1993-94 | 1994-95 | शेष जिन्हें अभी आधुनिक बनाना है। |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | आंध्र प्रदेश | 309 | 201 | 316 | 599 |
| 2. | असम | 60 | 4 | 1 | 6 |
| 3. | बिहार | 184 | 13 | 7 | 5 |
| 4. | गुजरात | 300 | 169 | 142 | 72 |
| 5. | हरियाणा | 94 | 45 | 20 | 13 |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 83 | 78 | 29 | 3 |
| 7. | जम्मू एवं कश्मीर | 16 | 14 | 24 | 55 |
| 8. | कर्नाटक | 609 | 298 | 220 | 23 |
| 9. | केरल | 205 | 30 | 37 | 95 |
| 10. | मध्य प्रदेश | 452 | 84 | 18 | 24 |
| 11. | महाराष्ट्र (बम्बई सहित) | 535 | 304 | 242 | 70 |
| 12. | उत्तर पूर्व क्षेत्र | 26 | 20 | 4 | शून्य |
| 13. | उड़ीसा | 199 | 16 | 9 | 6 |
| 14. | पंजाब | 164 | 68 | 46 | 17 |
| 15. | राजस्थान | 267 | 156 | 176 | 13 |
| 16. | सिक्किम | 4 | - | - | - |
| 17. | तमिलनाडु (मद्रास सहित) | 317 | 212 | 271 | 53 |
| 18. | उत्तर प्रदेश | 294 | 173 | 73 | 13 |
| 19. | पश्चिम बंगाल (कलकत्ता सहित) | 113 | 82 | 71 | 32 |
| 20. | दिल्ली | 1 | 2 | 2 | 16 |

**कोचीन तेलशोधक कारखाने को लाभ**

1746. **प्रो. के. वी. थामस** : क्या पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान कोचीन तेलशोधक कारखाने को कितना लाभ हुआ;

(ख) इस तेलशोधक कारखाने में आधुनिकीकरण तथा विस्तार की कौन-कौन सी योजनाएं चल रही हैं;

(ग) क्या कोचीन तेलशोधक, कारखाने में मजदुरों द्वारा दिर्घावधि वेतन समझौते की मांग को लेकर एक आंदोलन किया जा रहा है, और

(घ) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

**पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा)** : (क) कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड का करोपरांत लाभ वर्ष 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान निम्नानुसार था:

(करोड़ रुपये में)

| 1992-93 | 1993-94 | 1994-95 |
|---|---|---|
| 87.12 | 68.25 | 104.77 |

(ख) रिफाइनरी की क्षमता को 450 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर दिसंबर, 1994 में 4.5 मि. मी. टं. प्रति वर्ष से बढ़ाकर 7.5 मि. मी. टं. प्रति वर्ष कर दिया गया है। मई, 1994 में एक नयी डिस्ट्रीब्यूटेड डिजिटल कंट्रोल सिस्टम को शुरु किया गया है। विसड्रेकर इकाई की मरम्मत, पुरानी क्रूड लाइन का प्रतिस्थापन तथा अतिरिक्त उत्पाद टंकेज एवं डीजल अगंधीकरण इकाई को स्थापित करने जैसी अन्य परियोजनाएं प्रस्करण के विभिन्न चरणों में हैं।

(ग) और (घ) सी आर एल में दो मान्यताप्राप्त श्रमिक संगठनों से जुड़े श्रमिक दीर्घावधिक मजदूरी समझौते के लिए आंदोलन कर रहे हैं। इस मामले का समाधान करने के लिए क्षेत्रीय श्रम आयुक्त के समक्ष विचार विमर्श चल रहा हैं।

**वकरोल सिंचाई परियोजना**

1747. **श्री दिलीप भाई संघाणी:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने वकरोल सिंचाई परियोजना से संबंधित विभिन्न तकनीकी-आर्थिक मुद्दों पर केन्द्रीय जल आयोग के साथ बातचीत कर ली है;

(ख) यदि हाँ, तो इस परियोजना को कब तक केन्द्र सरकार से मंजूरी मिल जाएगी; और

(ग) इस परियोजना को मंजूरी दिए जाने में हुए विलम्ब के क्या कारण हैं?

**जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू):** (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नही उठता।

(ग) परियोजना को स्वीकृति इस बात पर निर्भर करती है कि राज्य सरकार कितनी जल्दी केन्द्रीय जल आयोग/अन्य केन्द्रीय मूल्यांकन अभिकरणों को टिप्पणियों को अनुपालना करती है, परियोजना की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता स्थापित करती है तथा पर्यावरणीय/वन/पुनर्स्थापन योजनाओं के संबेंध में पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा कल्याण मंत्रालय से स्वीकृति प्राप्त करती है।

[हिन्दी]

**दूरदर्शन के कार्यक्रम**

1748. **श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव** : क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन के मनोरंजन कार्यक्रमों की अवधि में कमी हुई है तथा विज्ञापनों की अवधि में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) मनोरंजन कार्यक्रमों को बेहतर बनाने तथा दूरदर्शन पर अन्य सुविधाएं प्रदान करने के संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

**सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री पी.एम. सईद):** (क) जी नही,

(ख) प्रश्न नही उठता।

(ग) इस दिशा में उठाए गए कदमों में से एक कदम डीडी-1 और डीडी-2 चैनलों पर कार्यक्रमों की पुनर्संरचना करना है जिससे कि वे एक-दूसरे की आवश्यकताओ की पूर्ति कर सकें।

**निजी क्षेत्र में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों को आरक्षण**

1749. **श्री राम विलास पासवान** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों को निजी क्षेत्र में आरक्षण दिलाने का है ; और

(ख) यदि हाँ, तो सरकार का इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

**कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी)** : (क) तथा (ख) निजी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण के मामले की जांच की जा रही है।

**सिंचित भूमि**

1750. **श्री खेलन राम जांगडे:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में सिंचित भूमि का औसत राष्ट्रीय औसत से कम है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, तथा इसके क्या कारण है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने उन राज्यों को जहां सिंचित भूमि का औसत, राष्ट्रीय औसत से कम है, दिशा निदेश/अनुदेश जारी किये है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उपरोक्त राज्यों में सिंचित भूमि का औसत राष्ट्रीय औसत के बराबर लाने के लिए केन्द्र सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

**जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री पी.वी. रंगय्या नायडू):** (क) और (ख) मध्य प्रदेश में 1991-92 के दौरान कुल कृषि योग्य क्षेत्र में कुल निवल सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत 26.5% के राष्ट्रीय औसत की तुलना में 20.3% था। सिंचित भूमि का प्रतिशत एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न-भिन्न रहता है क्योंकि सिंचाई क्षमता के सृजन में सहायक कारक, जिनमें वित्तीय बाधाएं, जल संसाधनों एवं कृष्य भूमि की उपलब्धता, स्थलाकृति आदि शामिल हैं, भी एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न-भिन्न रहते हैं।

(ग) और (घ) सिंचाई क्षेत्र को अधिक प्राथमिकता देने के लिए, सिंचाई क्षेत्र में कम योजना आबंटन वाले राज्यों को अनुदेश जारी किए गए थे। राज्यों को योजना आयोग में वार्षिक योजना के बारे में होने वाले विचार-विमर्श के समय यह भी सलाह दी जाती है कि सृजित सिंचाई क्षमता के उपयोग में सुधार लाने के लिए आवश्यक उपाय करें। तथापि, उन राज्यों को कोई विशेष अनुदेश जारी नहीं किए गए जिनका सिंचित कृषि भूमि का औसत राष्ट्रीय औसत से कम है।

(ङ) ऐसे राज्यों में सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए प्रमुख उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित पर विशेष जोर देकर आठवीं योजना के दौरान इस क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता देना है (1) बड़ी एवं मझौली परियोजनाओं को पूरा करने को उच्च प्राथमिकता देना है (2) चालू सतही जल लघु सिंचाई योजनाओं को शीघ्र पूरा करना (3) कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाना (4) सतही और भूजल का संयुक्त उपयोग और (5) उपयुक्त अभिकरणों के जरिए जल प्रबंध के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास प्रयासों के माध्यम से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी घटक पर बल देना।

[अनुवाद]

### गोताखोरों/तैराकों की व्यवस्था

1751. **श्री अमर रायप्रधान :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार किन-किन बांधों/जलाशयों पर भारी वर्षा और बाढ़ के कारण इनको होने वाली क्षति का मौके पर आकलन करने हेतु आने वाले सर्वेक्षण दल के अधिकारियों को डूबने के लिए गोताखोरों/तैराकों की व्यवस्था नहीं है; और

(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में आवश्यक व्यवस्था करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

**जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू):** (क) और (ख) परियोजना प्राधिकारियों की सहायता के लिए बांधों पर गोताखोर/तैराक सामान्यत: उपलब्ध रहते हैं। तथापि, दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, नए अनुदेश जारी किए जा रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अधिकारियों द्वारा किए जा रहे निरीक्षणों के समय मौजूद रहें।

[हिन्दी]

### बांधों का निर्माण

1752. **डॉ. सत्यनारायण जटिया :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण के अधिनिर्णय के अनुसार नर्मदा नदी पर बांध निर्माण में क्या प्रगति हुई है;

(ख) इन परियोजनाओं को कब तक पूरा कर लिया जाएगा;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार इन परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल करने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

**जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) :** (क) और (ख) नर्मदा जल विवाद अधिकरण के पंचाट के संदर्भ में नर्मदा नदी पर बांधों के निर्माण के संबंध में प्रगति का राज्यवार ब्यौरा इस प्रकार है :

**मध्य प्रदेश :** नर्मदा जल विवाद अधिकरण ने मध्य प्रदेश को उसके सीमा क्षेत्र में उपयोग के लिए नर्मदा का 18.25 मिलियन एकड़ फुट जल आबंटित किया है। मध्य प्रदेश अपने हिस्से का उपयोग करने तथा सरकार सरोवर परियोजना जो गुजरात में बनाया जा रहा बड़ा टर्मिनल बांध है, की नियमित निमुक्तियां पूरी करने के लिए भी इस राज्य में लगभग 29 बड़े बांधों के निर्माण का विचार कर रहा है। तीन बड़े बांध यानि तवा, बरना और सुकता पूरे हो गए हैं। अन्य 8 परियोजनाएं अर्थात् बारगी, कोलार, मिटीयारी, इंदिरा सागर, ओमकारेश्वर, महेश्वर, मान और जोबत निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। तीन चालू परियोजनाएं अर्थात् बारगी, मिटियारी और कोलार के मुख्य कार्य पूरे हो गए हैं और इन परियोजनाओं की नहर प्रणालियों का निर्माण प्रगति पर है।

**गुजरात :** सरदार सरोवर परियोजना का निर्माण नर्मदा जल विवाद अधिकरण द्वारा गुजरात और राजस्थान को आबंटित नर्मदा जल के हिस्से का उपयोग करने के लिए किया जा रहा है। बांध का निर्माण प्रगति पर है और इसे सन् 2000 तक पूरा किए जाने की आशा है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

**हौज खास और वसंत कुंज में हत्या**

**1753. श्री रवि राय** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 18 नवम्बर, 1995 के "स्टेट्स मैन" में "मर्डर्स रिवील लूपहोल्स इन सिक्यूरिटी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके तथ्य और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एम. कामसन)** : (क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) कथित समाचार में सूचित किए गए मामलों के संक्षिप्त तथ्य और ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) दिल्ली में अपराधों की रोकथाम के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। इनमें सम्मिलित हैं : - गस्त में बढ़ोतरी, महत्वपूर्ण स्थानों पर पिकेट की तैनाती, आसूचना तंत्र को मजबूत बनाना, अपराधियों के छिपने के स्थानों पर बार-बार छापे मारना, निगरानी में वृद्धि पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों के साथ समन्वय बैठकें करना, पुलिस अधिकारियों को आधुनिक हथियारों के प्रयोग में प्रशिक्षण देना, जांच पड़ताल के वैज्ञानिक तरीकों को अपनाना, संचार तंत्र का आधुनिकीकरण इत्यादि।

**हत्या के मामलों का ब्यौरा**

**1. वसन्त कुंज में प्राची खन्ना और ललिता हत्याकांड**

भा. द. संहिता की धारा 302/392 के अधीन मामला प्र.सू. रिपोर्ट संख्या 538/95 दिनांक 17.11.1995, थाना वसन्त कुंज, नई दिल्ली

16/17 नवम्बर, 1995 की रात को एक वर्ष की प्राची खन्ना की और उसकी नौकरानी ललिता, उम्र लगभग 16 वर्ष वसन्त कुंज, नई दिल्ली के नं. 8-1/1088 फ्लैट में मृत पाई गई। उसके माता-पिता एक विवाह समारोह में शामिल होने घर से बाहर गए हुए थे। वापस लौटने पर उन्होंने प्राची और ललिता को मृत, घर को उलट पुलट, आलमारी टूटी हुई और लगभग एक लाख रूपए गायब पाए। कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है।

**2. वसन्त कुंज में बलजीत सिंह टोकस की हत्या का मामला**

भा.द.सं. की धारा 302 के अधीन मामला प्र.सू.रि. संख्या 537/95, दिनिांक 16 नवम्बर, 1995 थाना वसन्त कुंज, नई दिल्ली

16.11.1995 की शाम को एक सूचना मिलने पर थाना वसन्त कुंज की पुलिस भट्टा रोड़ पर पहुंची और मुनीरका निवासी बलजीत सिंह टोकस को अपनी मारूति 1000 सी.सी. में मृत पाया, उनकी दाहिनी कनपटी पर गोली का बड़ा सा घाव था। जांच पड़ताल से पता चला कि अपने एक रिश्तेदार के साथ उनका धन संबंधी विवाद था। इस हत्या के पीछे इसी विवाद के होने का संदेह है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है।

**3. वी.एन.वाचू, सरोज और विनोद हत्याकांड, हौज खास**

भा.द. संहिता की धारा 302/460 के अधीन मामला पु.सु.रि. संख्या 531/95 दिनांक 16.11.1995 थाना हौज खास।

16.11.1995 को श्री वी.एन.वांचू, श्रीमती सरोज वांचू ओर उनका नौकर विनोद कुमार, हौज खास स्थिति उनके निवास पर मृत पाए गए। अपने ही घर में उनका गला घोट दिया/दम घोट दिया गया था। कुछ चीजें भी गायब पाई गई। चार अभियुक्त गिरफ्तार कर लिए गए है।

**4. हौज खास में हरभगवान बहल की हत्या का मामला**

थाना हौज खास में भा.द.सं. की धारा 302/394 के अधीन मामला प्र.सू.रि. संख्या 527/95 दिनांक 13.11.1995

एच-1/14, हौज खास, नई दिल्ली निवासी श्री हरभगवान बहल अपने पलंग पर खड़े हुए पाए गए, उनकी गर्दन बनियान से बंधी हुई थी और उनके मुंह में पाजामा ठूंसा हुआ था, उनके सिर से खून बह रहा था। इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है।

**5. गोविन्दपुरी में किशन सिंह की हत्या का मामला**

भा.दं.सं. की धारा 302/460 के अधीन मामला प्र.सू.रि. संख्या 610/95 दिनांक 9.11.1995 थाना कालकाजी

8/9 नवम्बर, 1995 की रात को अमरजीत कौर ने अपने मकान की सीढ़ियों से किसी के भागने की आवाज सुनी और अपने चाचा किशन सिंह को उनके बिस्तर में खून से लथपथ पाया। वहां पर एक गोली भी पाई गई। इस मामलों में दो अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं।

**वसन्त कुंज में अनीता हत्याकांड**

पुलिस स्टेशन बसन्त कुंज में भा.दं.सं. की धारा 302 के तहत 31.10.1995 को दर्ज मामला पु.सू.रि. सं0 509/95

31.101995 को मकान सं0 बी-5/6-4232, वसन्त कुंज के प्रथम तल पर अनीता, उम्र 24/25 वर्ष, के गले में उसकी साड़ी से फंदा लगा हुआ पाया गया। फ्लैट में जबरन घुसने या किसी प्रकार की हाथापाई या पीड़ित द्वारा घर के अंदर किए गए विरोध का कोई संकेत नहीं मिला और घर के अंदर घुसने वाले सम्भवत: उसको जानते थे। मकान मालकिन श्रीमती कांसर हासमी के बयान के अनुसार मकान के एक वी.सी.आर., एक कैमरा हाथ की घड़ी और लगभग 2000/- रुपये गायब है। इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है।

**7. बदरपुर पैट्रोल पम्प पर कुलबीर सिंह हत्याकांड**

पुलिस स्टेशन बदरपुर में भा.दं.सं. की धारा 302 के अन्तर्गत 24.10.1995 दर्ज मामला प्र.सूं.रि. 495/95

जैसा कि पैट्रौल पम्प के साझेदार श्री संजीत आहूजा ने सूचित किया कुलबीर सिंह 24.10.1995 को आहूजा पैट्रोल पम्प मथुरा रोड, बदरपुर में मृत पाया गया मृतक की हत्या फंदा डाल कर की गयी थी

और उसके चेहरे और सिर पर घाव के कुछ निशान थे। इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गयी।

8. पंचशील पार्क में शीला गोयल हत्याकांड

पुलिस स्टेशन मालवीय नगर में 19.10.1995 को भा.दं.सं. की धारा 397, 302/34 के अंतर्गत दर्ज मामला प्र.सू.रि सं0 674/95

19.10.1995 को लगभग 7.30 बजे सांय जब श्रीमती वीना शर्मा, निवासी 11/3, पांडारा रोड, नई दिल्ली, एस-5 पंचशील पार्क में रह रही अपनी माता से मिलने आयी तो उसने अपनी माता शीला गोयल, उम्र 75 वर्ष को घर के अंदर मृत पड़ा पाया। घर में लूट-पाट की गयी थी। उसे शक हुआ कि इस अपराध में अतर सिंह, नौकर, संलिप्त है। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है।

धर्म के आधार पर आरक्षण

1754: मेंबर जनरल (रिटायर्ड) भुवनचन्द्र खन्डूरी :
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :
श्री लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :
क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में सरकारी सेवाओं तथा शैक्षणिक संस्थानों में धर्म के आधार पर आरक्षण देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो इसका विवरण क्या है;

(ग) क्या सरकार का राजनैतिक पार्टियों के साथ इस मामले पर विचार करने के प्रस्ताव हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) और (ख) सार्वजनिक रोजगार और शैक्षिक संस्थाओं में धर्म के आधार पर अलग से आरक्षण देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के वर्ग जो सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं, को भारत सरकार के अंतर्गत सिविल पदों और सेवाओं में सीधी भर्ती में आरक्षण प्रदान करने के प्रयोजन से अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में शामिल किया गया है।

(ग) और (घ) इस समय इस मामले पर राजनैतिक दलों के साथ विचार विमर्श करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

तेल तथा प्राकृतिक गैस क्षेत्र में निवेश

1755. श्री अमर पाल सिंह : क्या पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम भारत में तेल तथा प्राकृतिक गैस क्षेत्र में निवेश करने पर सहमत हो गया है,

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इन परियोजनाओं की स्थापना हेतु किन-किन स्थानों का चयन किया गया है ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर

1756. श्री मोहन सिंह देवरिया : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ग्रामीण देशों में कितने शाखा डाकघर और उप-डाकघर कार्यरत हैं;

(ख) इनमें से कितने डाकघर लाभ कमा रहे है;

(ग) क्या सरकार वर्तमान में घाटे में चल रहे डाकघरों को बंद करने का विचार रखती है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य कर रहे डाकघरों की श्रेणीवार संख्या इस प्रकार है :-

| श्रेणी | संख्या |
|---|---|
| अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर | 1,22,350 |
| अतिरिक्त विभागीय उप डाकघर | 2,321 |
| विभागीय उप डाकघर | 11.393 |
| कुल | 1,36,064 |

(ख) लाभ में चल रहे डाकघरों की संख्या के बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) विभाग के सामाजिक दायित्वों का ध्यान रखते हुए, सामान्यतया डाकघर बन्द नहीं किए जा रहे हैं और उनकी आय में सुधार करने के स्थानीय रूप से प्रयास किए जाते हैं।

गांवों के लिए टेलीफोन

1757. डॉ. परशुराम गंगवार :
श्री हरिन पाठक :
श्री वसुदेव आचार्य :
क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक राज्यवार कितने गांवों/पंचायतों को टेलीफोन - सुविधा प्रदान करायी गई है,

(ख) इस समय कितने गांवों/पंचायतों में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है,

(ग) ऐसे कौन - कौन से राज्य है, जहां अन्य राज्यों की तुलना में अधिक सुविधाऐं उपलब्ध हैं, और

(घ) सभी गांवों को कब तक टेलीफोन कनैक्शन दे दिये जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) : (क) 31.10.95 तक सार्वजनिक टेलीफोन-सुविधा युक्त पंचायतों सहित ग्रामों की संख्या 193208 है। राज्य-वार ब्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं।

(ख) 31.10.1995 की स्थिति के अनुसार, सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा रहित पंचायतों सहित ग्रामों की संख्या 411717 है। राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा युक्त ग्रामों का प्रतिशत अनुबंध में दिया गया है जो कि अखिल भारतीय स्थिति 31.9 प्रतिशत दर्शाता है। अत: आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और दिल्ली के पास शेष राज्यों की तुलना में अधिक सुविधाएं हैं।

(घ) भारत सरकार ने राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1994 अपनाई है, जिसमें वर्ष 1997 तक उत्तरोत्तर रूप से सभी ग्रामों को सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।

**विवरण**

31.10.1995 की स्थिति के अनुसार, सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा-युक्त और टेलीफोन सुविधा रहित ग्रामों की स्थिति

| क्रम संख्या | राज्य | ग्रामों की कुल संख्या | सार्वजनिक टेलीफोन युक्त ग्रामों की संख्या | सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा से रहित ग्रामों की संख्या | सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा से युक्त ग्रामों का प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 29460 | 16865 | 12595 | 57.24 प्रतिशत |
| 2. | असम | 22224 | 7011 | 15215 | 31.54 प्रतिशत |
| 3. | बिहार | 79208 | 11131 | 68077 | 14.05 प्रतिशत |
| 4. | दादरा और नगर हवेली, दमन और द्वीप सहित गुजरात | 18735 | 12472 | 6263 | 66.57 प्रतिशत |
| 5. | हरियाणा | 7190 | 6203 | 987 | 86.27 प्रतिशत |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 16997 | 3206 | 13791 | 18.86 प्रतिशत |
| 7. | जम्मू एवं कश्मीर | 6447 | 1391 | 5056 | 21.57 प्रतिशत |
| 8. | कर्नाटक | 27024 | 10972 | 16052 | 40.60 प्रतिशत |
| 9. | केरल | 1530 | 1530 | शून्य | 100.00 प्रतिशत |
| 10 | मध्य प्रदेश | 71526 | 26318 | 45208 | 36.79 प्रतिशत |
| 11. | गोवा सहित महाराष्ट्र | 40430 | 20267 | 20163 | 50.12 प्रतिशत |
| 12. | उत्तर पूर्व (मिजोरम, नागालैंड अरूणाचल प्रदेश, मेघालय त्रिपुरा और मणिपुर सहित) | 14197 | 2111 | 12086 | 14.86 प्रतिशत |
| 13. | उड़ीसा | 46989 | 10328 | 36661 | 21.97 प्रतिशत |
| 14 | पंजाब | 13253 | 8395 | 4858 | 63.34 प्रतिशत |
| 15. | राजस्थान | 37889 | 10508 | 27387 | 27.73 प्रतिशत |
| 16. | तमिलनाडु (पांडिचेरी सहित) | 20196 | 13455 | 6741 | 66.62 प्रतिशत |
| 17. | उत्तर प्रदेश | 112568 | 24891 | 87677 | 22.11 प्रतिशत |
| 18. | पश्चिम बंगाल (सिक्किम सहित) | 38337 | 5895 | 32442 | 15.37 प्रतिशत |
| 19 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 534 | 68 | 466 | 12.73 प्रतिशत |
| 20. | एमटीएनएल, नई दिल्ली | 191 | 191 | शून्य | 100.00 प्रतिशत |
| | जोड़ | 604925 | 193208 | 411717 | 31.93 प्रतिशत |

[अनुवाद]

**एफ.एम. रेडियो स्टेशनों की स्थापना**

1758. **श्री बलराज पासी :**
**श्री गोपीनाथ गजपति :**

क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का प्रत्येक राज्य की राजधानी में एफ. एम. रेडियो स्टेशन स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ तो उसका ब्यौर क्या है;

(ग) इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) सभी राज्यों में इस प्रस्ताव का कार्यान्वयन कब तक हो जायेगा?

**सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री पी.एस. सईद) :** (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) 10 राज्यों की राजधानियों में एफ.एम. चैनल पहले ही चालू कर दिए गए हैं। 5 अन्य राज्यों की राजधानियों में एफ. एम. ट्रांसमीटरों की स्थापना का कार्य प्रगति पर है। दो राज्यों की राजधानियों में एफ.एम परियोजनाओं की स्थापना करने का प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया गया है और शेष 9 पर सरकार विचार कर रही है।

(घ) यह प्रस्ताव है कि नौवीं योजना के अंत तक सभी राज्यों की राजधानियों में एफ.एम.चैनल होंगे जो धनराशि, आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

**विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम**

1759. **श्री चार्ल्स फर्नान्डीस :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय में विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित अफसर विदेशी दोनों को स्वीकृति दिलाने वाली किसी भी एजेन्सी से 10 प्रतिशत धनराशि की मांग कर रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, दोषी व्यक्तियों को दंड दिलाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (सैयद सिब्ते रजी) :** (क) जी नहीं, श्रीमान्

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

**तेल क्षेत्र में निवेश**

1760. **श्री चित्तु बसु :** क्या पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम ने हाल ही में देश के विभिन्न भागों में स्थित भिन्न भिन्न परियोजनाओं में लगभग 10,000 करोड़ रूपयों का निवेश करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो ये परियोजनाएं कहां-कहां स्थित हैं तथा इनमें अनुमात: कितनी राशि का निवेश किया जायेगा ?

**पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) :** (क) और (ख) अपने निवेश कार्यक्रम के भाग के रूप में इंडियन आयल कारपोरेशन अनेक परियोजनाएं कार्यान्वयन हेतु अपने हाथ में लेती रही हैं। इस समय आई ओ सी के पास लगभग 10,000 करोड़ रुपये की परियोजनाएं हैं। जिनके लगभग तीन वर्ष की अवधि में पूरी किए जाने की आशा है। अनुमानित लागत (निवेश) और परियोजना के स्थान सहित परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

**विवरण**

| क्रम संख्या | परियोजना का नाम | (करोड़ रूपए) प्रत्याशित लागत (निवेश) | स्थान |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| | **जारी परियोजनाएं** | | |
| 1. | पानीपत रिफाइनरी परियोजना | 2794.00 | पानीपत (हरियाणा) |
| 2. | डिग्बोई रिफाइनरी आधुनिकीकरण परियोजना | 346.34 | डिग्बोई (असम) |
| 3. | डिग्बोई में कैटेलिटिक रिफर्मर इकाई | 112.00 | डिग्बोई (असम) |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|---|---|---|---|
| 4. | बरौनी में कैटेलिटिक रिफार्मर इकाई | 248.11 | बरौनी (बिहार) |
| 5. | मथुरा में कैटेलिटिक रिफार्मर इकाई | 545.00 | मथुरा (उत्तर प्रदेश) |
| 6. | मथुरा में प्रापीलीन रिकवरी इकाई | 47.53 | मथुरा (उत्तर प्रदेश) |
| 7. | बरौनी में पैराफिन मोम का उत्पादन | 41.50 | बरौनी (बिहार) |
| 8. | डिग्बोई में मोम की हाइड्रोफिनिशग | 46.00 | डिग्बोई (असम) |
| 9. | डिग्बोई में नई कोकर | 110.00 | डिग्बोई (असम) |
| 10. | रिफाइनरियों के अंतर्गत डिस्ट्रीब्यूटेड डिजिटल नियंत्रण प्रणाली | 366.00 | विविध स्थान |
| 11. | हल्दिया रिफाइनरी का 1 एम एम टी पी ए तक विस्तार | 45.00 | हल्दिया (पश्चिमी बंगाल) |
| 12. | पानीपत रिफाइनरी में कैमिकल ग्रेड प्रोपालीन का उत्पादन | 45.35 | पानीपत (हरियाणा) |
| 13. | गुजरात रिफाइनरी में एम टी बी ई का उत्पादन | 36.00 | कोयाली (गुजरात) |
| 14. | कांडला-भटिंडा पाइपलाइन परियोजना | 2001.04 | कांडला से भटिंडा तक (क्रासकंट्री पाईपलाइन) |
| 15. | बीरमगाम-चाकस्-पानीपत क्रूड आयल पाइपलाइन | 569.10 | बीरमगाम से पानीपत तक (क्रासकंट्री पाइपलाइन) |
| 16. | सलाया-वीरमगाम परिवर्द्धन | 75.50 | सलाया से वीरमगाम तक (क्रासकंट्री पाइपलाइन) |
| 17. | सलाया में द्वितीय एस बी एम | 98.30 | सलाया (गुजरात) |
| 18. | पानीपत में लाइन बलेन्सिंग टैंक | 30.32 | पानीपत (हरियाणा) |
| 19. | के बी पी एल में टोप्स | 310.00 | कांडला, सीधपुर, जोधपुर, जयपुर, रेवाड़ी, संगरूर भटिंडा। |
| 20. | पानीपत विपणन परिसर चरण-1 और -2 | 347.73 | पानीपत (हरियाणा) |
| 21. | हजीरा में नया टर्मिनल | 40.84 | हजीरा (गुजरात) |
| 22. | पारादीप में लाइट्रेज टर्मिनल | 40.00 | पारादीप (उड़ीसा) |
| 23. | कांडला में एल पी जी आयात टर्मिनल | 160.82 | कांडला (गुजरात) |
| 24. | मुख्य फ्रेम कम्प्यूटर (वितरित प्रंसस्करण) | 34.89 | विविध स्थान |
| 25. | संचार नेटवर्क | 44.18 | विविध स्थान |
| 26. | कलकत्ता में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय परिसर के एच आर एस का विस्तार | 17.04 | कलकत्ता (पश्चिमी बंगाल) |
| 27. | तलोजा बंबई में ल्यूब विशिष्टता परिसर | 46.18 | बम्बई (महाराष्ट्र) |
| 28. | लुमडिंग नौगांव असम में एम जी/बी जी टर्मिनल | 26.44 | लुमडिंग (असम) |
| 29. | 10 स्थानों पर एल पी जी भरत संयंत्र | 293.82 | मदनपुर खादर, अहमदाबाद, त्रिची, आकोला, भाव नगर, बज-बज, बीकानेर, कुडप्पा, इन्दौर, और मनमाड। |
| 30. | गैर योजनागत परियोजनाओं सहित-अन्य | 1000.00 | विविध स्थान |
| | योग | 10007.03 | |

**तेल और प्राकृतिक गैस के भण्डारों की खोज के लिए सर्वेक्षण**

1761. **श्री लाईतन उम्ब्रे : क्या पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अरूणाचल प्रदेश में तेल और प्राकृतिक गैस के भण्डारों का पता लगाने के लिए अब तक कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा)** : (क) जी, हाँ।

(ख) अरूणाचल प्रदेश में 3692 व. कि. मी. भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण तथा 2750 एस एल के एम द्विआयामी भूकंपीय सर्वेक्षण किए गए हैं और उनके आधार पर 35 अन्वेषणी कूपों का वेधन किया गया है। उसके परिणामस्वरूप तेल और तेल समतुल्य गैस की 39.04 एम एम टी मात्र के स्थलगत भंडार सिद्ध हुए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**वी.आई.पी. सुरक्षा के लिए अलग यूनिट**

1762. **श्री चेतन पी. एस. चौहान : क्या गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वी.आई.पी. सुरक्षा के लिए कोई अलग यूनिट स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो इसका विवरण क्या है;

(ग) इस पर कितना अनुमानित वार्षिक व्यय होने का अनुमान है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (सैयद सिब्ते रजी)** : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

**विभागेत्तर (ई. डी.) कर्मचारी**

1763. **श्रीमती सुशीला गोपालन:**
**श्री अमर राय प्रधान :**
क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभागेत्तर कर्मचारियों के मामलों की जांच करने के लिए गठित आयोग ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या आयोग के गठन के समय रिपोर्ट प्रस्तुत करने की कोई समय-सीमा तय की गई थी; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ.) अतिरिक्त विभागीय समिति दिनांक 31 मार्च, 1995 को गठित की गई थी और यह निर्णय लिया गया था कि इसका कार्यकाल एक वर्ष का होगा, जिसे सरकार के विवेकानुसार बढ़ाया जा सकता है। समिति का मूल कार्यकाल समाप्त नहीं हुआ है।

**संपीड़ित प्राकृतिक गैस का वितरण**

1764. **श्री गुरूदास कामत : क्या पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड औद्योगिक इकाइयों को संपीड़ित प्राकृतिक गैस के वितरण संबंधी ब्यौरे को अंतिम रूप नहीं दे सका है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

**पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा)** : (क) से (ग) गेल विभिन्न क्षेत्रों में 200 से अधिक औद्योगिक इकाइयों को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति कर रही है। बम्बई, बड़ौदा और दिल्ली में गेल द्वारा संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सी एन जी) की आपूर्ति वाहन ईंधन के रूप में की जा रही है।
[हिन्दी]

**एच.बी.जे. पाइपलाइन से गैस**

1765. **श्री रामेश्वर पाटीदार :**
**श्रीमती शीला गौतम :**
**श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :**
क्या पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मूल योजना के अंतर्गत किन-किन परियोजनाओं को एच. बी.जे. पाइपलाइन के जरिए गैस आपूर्ति की जानी थी;

(ख) क्या ये सभी परियोजनाएं पूरी हो गई हैं;

(ग) यदि नहीं तो विलंब के क्या कारण हैं तथा इसके कब तक पूरा होने की संभावना है;

(घ) क्या इन परियोजनाओं के लिए निर्धारित गैस का उपयोग अन्य उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है;

(ङ.) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इसके क्या कारण है ?

**पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा)** : (क) मूल योजना के अनुसार, एच बी जे पाइपलाइन को छः उर्वरक संयंत्रों को गैस की आपूर्ति करनी थी।

(ख) और (ग) सभी छः उर्वरक संयंत्र आरंभ हो गए हैं।

(घ) से (च) इन इकाइयों की जरूरतों के पुनः आंकलन तथा इन इकाइयों को स्थापित करने में विलंब की वजह से एच बी जे

पाइपलाइन से एन टी पी सी, आई पी सी एल, जी एस एफ डेसू तथा दिल्ली के आस-पास उद्योगों को आबंटन किया गया है।

### विकास योजनाएं

**1766. श्री रतिलाल वर्मा :** क्या योजना तथा कार्यक्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि योजना आयोग द्वारा गुजरात के लिए गत तीन वर्षों के दौरान स्वीकृत की गयी विकास योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

**योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) :** गुजरात सरकार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य की विकास स्कीमों के संबंध में अपने अपने प्रस्ताव वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के लिए वार्षिक योजना प्रस्तावों के मतौदे के रूप में भेजे थे, जिन पर योजना आयोग द्वारा निर्धारित पद्धति के अनुसार विधिवत रूप से विचार किया गया था। विभिन्न विकास स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए योजना आयोग द्वारा राज्य की वार्षिक योजना 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के लिए क्रमशः 1875 करोड़ रुपये, 2137 करोड़ रुपये और 2240 करोड़ रुपये के परिव्यय अनुमोदित किए गए थे।

### अन्य पिछड़े वर्गों को ऋण प्रदान करना

**1767. श्री मुहीराम सैकिया :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों को विभिन्न प्रकार की औद्योगिक, वाणिज्यिक और ऐसी ही अन्य इकाइयां स्थापित करने के लिए ऋण प्रदान करने हेतु एक निगम की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी संचरना और कार्य संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसकी स्थापना से अब तक विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत प्रदान किये गए ऋणों का ब्यौरा क्या है?

**कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) :** (क) जी, हाँ। भारत सरकार ने 13 जनवरी, 1992 को कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम स्थापित किया है। इस निगम का मुख्य उद्देश्य विभिन्न व्यावसायिक, स्वरोजगार क्रिया-कलापों के माध्यम से पिछड़े वर्गों के सदस्यों को आसान शर्तों पर ऋण मंजूरी करना है।

(ख) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम 200 करोड़ रूपए की प्राधिकृत अंश पूंजी के साथ भारत सरकार द्वारा पूर्णतः धारित एक लाभ न कमाने वाली कम्पनी है। अनुच्छेद 52(1) के अनुसार इस निगम के निदेशक मण्डल में चार से कम तथा 13 से अधिक निदेशक नहीं होने चाहिए। इस समय निगम के पास इसके मण्डल में निम्नलिखित निदेशक हैं :

1. संयुक्त सचिव (अल्पसंख्यक तथा पिछड़ा वर्ग) कल्याण मंत्रालय
2. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, एन एस एफ डी सी
3. प्रबंध निदेशक, ट्राडफेड
4. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, सीडबी
5. महाप्रबंधक, (डी पी डी एफ एस नाबार्ड)
6. प्रबंध निदेशक, एन बी सी एफ डी सी
7. निदेशक, वित्त, एन बी सी एफ डी सी

इस निगम के मुख्य कार्य इस प्रकार है :

(1) विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा नामित पिछड़े वर्ग के सदस्यों को रियायती दर पर ऋण प्रदान करना;

(2) प्रत्याशित लाभार्थियों के लिए कौशल विकास/कौशल उन्नयन तथा परियोजना से जुड़े प्रशिक्षण के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता को प्रशिक्षण अनुदान प्रदान करना।

(3) पिछड़े वर्गों के विकास के लिए परम अग्रता के आधार पर राज्य स्तरीय संगठनों में सहायता करना।

(4) समस्त राज्य माध्यम एजेन्सियों के लिए समन्वय तथा मॉनीटरिंग के लिए शीर्ष संस्थान के रूप में कार्य करना और पिछड़े वर्गों के विकास के लिए सरकारी नीतियों तथा कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में सहायता देना।

(ग) विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत वर्षवार स्वीकृत ऋण के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

### विवरण

### वर्ष वार तथा क्षेत्रवार स्वीकृत धनराशि के ब्यौरे

(रु. लाख में)

| वर्ष | कृषि तथा सम्बद्ध क्षेत्र | उद्योग क्षेत्र | सेवा क्षेत्र | कुल |
|---|---|---|---|---|
| 1992-93 | 635.735 | 402.951 | 2340.978 | 3379.664 |
| 1993-94 | 1231.359 | 946.6233 | 8382.4487 | 10560.393 |
| 1994-95 | 3386.831 | 1630.78 | 7210.087 | 12227.698 |
| 1995-96 | 412.416 | 1377.00 | 299.087 | 2088.801 |
| कुल | 5666.341 | 4357.3543 | 18232.8987 | 28256.556 |

[हिन्दी]

**उत्तर प्रदेश में सूचना विभागों के कार्यालय/इकाइयां**

1768. **डा. साक्षीजी** : क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में किन स्थानों पर आकाशवाणी/दूरदर्शन के कार्यालय/इकाइयां कार्यरत हैं;

(ख) वर्ष 1993-94 और 1994-95 से अब तक इनमें से प्रत्येक इकाईयों द्वारा कितने कार्यक्रम किये गये हैं; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान वर्षवार इन इकाइयों पर कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

**सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद)**: (क) उत्तर प्रदेश में आकाशवाणी केन्द्र

आगरा
इलाहाबाद
अल्मोड़ा
बेरली
फैजाबाद
गोरखपुर
झांसी
कानुपर - वाणिज्यिक प्रसारण सेवा
लखनऊ
मथुरा
मसूरी - रिले केन्द्र
नजीबाबाद
ओबरा
रामपुर
वाराणसी

दूरदर्शन केन्द्र

गोरखपुर
लखनऊ

(ख) और (ग) सूचना संकलित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

**पश्चिमी बंगाल में डाक सेवायें**

1769. **श्री अनिल बसु** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पश्चिम बंगाल में डाक सेवाओं में दिन-प्रतिदिन गिरावट आती जा रही है;

(ख) क्या इन सेवाओं में सुधार लाने हेतु कोई सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम)** : (क) पश्चिम बंगाल में डाक सेवाएं आमतौर पर संतोषजनक हैं। यदा-कदा विशिष्ट शिकायत प्राप्त होने और प्रचालन संबंधी कमियां ध्यान में आने पर, मध्यस्थता के जरिये उनका निराकरण किया जाता है। आधुनिकीकरण के माध्यम से और नई सेवाएं उपलब्ध करा कर सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने के निरन्तर प्रयास किए जाते हैं।

(ख) और (ग) विभाग ने काउंटर सेवाओं और डाक प्रेषण की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए, उपलब्ध सीमित संसाधनों के अन्तर्गत, चरणबद्ध रूप में, एक बहु-आयामी कार्यनीति अपनाई है। अब तक किए गए उपयों में शामिल है: बहुउद्देशीय काउंटर मशीनें उपलब्ध कराना, एक्सप्रेस पार्सल सेवा आरंभ करने के अतिरिक्त राजधानी चैनल, मैट्रो चैनल, बिजनेश चैनल के जरिए डाक को अलग-अलग भेजना। ऐसे स्थानों में, जहां वी-सैट सुविधाएं मौजूद हैं, मीनाआर्डरों के प्रेषण में लगने वाले समय में भी कमी आई है।

**सीमेंट फैक्ट्री को कोयले की आपूर्ति**

1770. **श्री राम निहोर राय** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चुर्क सीमेंट फैक्टरी, उत्तर प्रदेश को केन्द्रीय कोयला क्षेत्रों से कोयला उपलब्ध कराया गया है;

(ख) गत दो वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान अब तक उक्त फैक्टरी को कितना कोयला उपलब्ध कराया गया;

(ग) क्या सी.सी.एल. द्वारा इसकी पूरी मात्र में नियमित रूप से आपूर्ति की जा रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर)** : (क) जी, हाँ।

(ख) कोल इंडिया लि. (को.इ.लि.) से प्राप्त सूचना के अनुसार सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. से अप्रैल-अक्टूबर, 1995 की अवधि के दौरान सीमेंट फैक्ट्रियों को कोयले का कुल प्रेषण 16,600 टन रहा है। सेंट्रल कोलफील्ड्स लि. (से.को.लि.) से स्रोत से वर्ष 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान फैक्ट्री को कोयला प्रेषण तथा क्रमश: 56,000 टन (अनन्तिम) तथा 43,000 टन (अनन्तिम) रहा।

(ग) और (घ) को.इ.लि. ने सूचित किया है कि सें.को.लि. से रेल द्वारा अप्रैल-अक्तूबर, 1995 की अवधि के लिए 19,500 टन संयोजन की तुलना में इस फैक्ट्री द्वारा 16,6000 टन का प्रेषण किया गया। इसके अतिरिक्त, दो रैक आपूर्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसके अलावा, इस कम्पनी से इस अवधि के दौरान सड़क द्वारा 10,500 टन संयोजन के एवज् में सीमेंट संयंत्र द्वारा अभी तक कोयले का कोई भी उठान नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

## इलाहाबाद दूरदर्शन द्वारा प्रसारण

1771. **श्री राम पूजन पटेल** : क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहाबाद दूरदर्शन केन्द्र ने कार्य करना आरम्भ कर दिया;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके कब तक कार्य शुरू करने की संभावना है ?

**सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद)**: (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) इलाहाबाद में एक टी.वी. स्टूडियो को स्थापित करने की स्कीम फिलहाल कार्यान्वित की जा रही है और स्टूडियो भवन के निर्माण का कार्य शुरू कर दिया गया है। वर्तमान संकेतों के अनुसार, इस स्टूडियों के 1997 के दौरान पूरा हो जाने की संभावना है।

[अनुवाद]

## इलाहाबाद डाकघर से चोरी

1772. **श्री दत्तात्रेय बंडारू** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 7 अक्तूबर, 1995 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में "23 लैक्स मिसिंग" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम)** : (क) जी हाँ।

(ख) इस मामले में अब तक की गई विभागीय जांच से पता चला है कि दिनांक 4.10.1995 को प्रात: लगभग 7.00 बजे वरिष्ठ पोस्टमास्टर, इलाहाबाद ने यह पाया कि श्री प्यारे लाल, प्रधान कैशियर अपनी ड्यूटी पर उपस्थित नहीं हुए हैं। उनके घर से पूछताछ करने से यह पता चला कि श्री प्यारे लाल दिनांक 03.10.1995 की शाम को अपने घर से निकले थे और तब से वापस नहीं आए। इस मामले में सूचना तत्काल वरिष्ठ अधीक्षक डाकघर, इलाहाबाद को दी गई जिन्होंने अपर जिला मजिस्ट्रेट से संपर्क किया और उनकी उपस्थिति में तिजोरी को खोला। नकदी गिनने पर 23,53,618.03 रुपये की कमी पाई गई। मामले की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। पुलिस की जांच-पड़ताल अभी भी चल रही है। प्रधान कैशियर फरार है।

(ग) (i) मुख्य अभियुक्त श्री प्यारे लाल फरार है। पुलिस की जांच-पड़ताल अभी चल रही है।

(ii) श्री राम सजीवन, तिवारी, वरिष्ठ पोस्टमास्टर, इलाहाबाद और श्री शिव नाथ तिवारी, ग्रेड "डी" ट्रैजरी, इलाहाबाद को इस यूनिट से स्थानांतरित कर दिया गया है।

## जल निकासी की समस्या

1773. **श्री लोकनाथ चौधरी** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने भारगवी एवं कुशभद्रा नदी .. से जल निकासी की समस्या के समाधान हेतु केन्द्र सरकार को अनुमोदन के लिए योजना भेजी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

**जल संसाधान मंत्रालय में राज्य मंत्री, (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू)** : (क) से (ग) उड़ीसा सरकार ने भारगवी और कुसभद्रा नदियों के कारण हुए आड़े-तिरछे क्षेत्रों में जल निकास समस्या के समाधान से संबंधित बाढ़ प्रबन्ध एवं जल निकास सुधार को तीन योजनाएं भेजी हैं। ये है। :

(1) 16.69 करोड, रूपए की लागत की गोदकुड कटाव परियोजना।

(2) 5.42 करोड़ रूपए की लागत से भारगवी नदी पर बराज का निर्माण।

(3) 114.17 करोड़ रूपए की लागत पर डेल्टा क्षेत्र में महानदी नदी के बाढ़ तटबंध को ऊंचा और सुदृढ़ करना।

इन योजनाओं की जांच की गई और संशोधनों का सुझाव दिया गया। राज्य सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा है।

## आकाशवाणी और दूरदर्शन की परियोजनायें

1774. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत** : क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आकाशवाणी और दूरदर्शन की कुछ परियोजनाओं को चालू करने का हाल ही में निर्णय लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो इन परियोजनाओं की संख्या और ब्यौरो क्या है और उन्हें किन-किन स्थानों पर शुरू किया जाएगा; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक शुरू किये जाने की संभावना है ?

**सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद)** : (क) से (ख) 24 आकाशवाणी ओर 82 दूरदर्शन परियोजनाएं चालू होने के लिए तकनीकी रूप से तैयार हो गयी है। इन परियोजनाओं के स्थल संलग्न विवरण I और V में दिए गए हैं।

(ग) इन परियोजनाओं को चालू करना स्टाफ की उपलब्धता सहित बहुत से कारणों पर निर्भर करता है। अधिकांश मामलों में, स्टाफ स्वीकृत अभी होनी है और दौरे पर अधिकारियों और कर्मचारियों को तैनात करके परियोजनाओं को चालू कर दिया है। यद्यपि, स्टाफ

स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिए हर प्रयास किया जा रहा है, तथापि, चालू करने के लिए एक निश्चित समय सीमा नहीं बताई जा सकती है।

**विवरण- I**

| क्र. सं. | स्थान | |
|---|---|---|
| 1. | दिल्ली (किंग्जवे) | |
| 2. | कुल्लू (हिमाचल प्रदेश) | |
| 3. | किन्नौर (हिमाचल प्रदेश) | |
| 4. | कारगिल (जम्मू और कश्मीर) | |
| 5. | माऊंट आबू (राजस्थान) | |
| 6. | इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) | ट्रांसमीटर की प्रतिस्थापना। |
| 7. | इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) | विविध भारती कार्यक्रम हेतु ट्रांसमीटर। |
| 8. | पौड़ी (उत्तर प्रदेश) | |
| 9. | उत्तर काशी (उत्तर प्रदेश) | |
| 10. | ईटा नगर (अरूणाचल प्रदेश) | |
| 11. | रांची (बिहार) | |
| 12. | जोवई (मेंघालय) | |
| 13. | मोकोक चुंग (नागालैण्ड) | |
| 14. | कोहिमा (नागालैण्ड) | शॉर्ट वेव ट्रांसमीटर। |
| 15. | गंगटोक (सिक्किम) | मीडियम वेव ट्रांसमीटर। |
| 16. | गंगटोक (सिक्किम) | शॉर्ट वेव ट्रांसमीटर। |
| 17. | पणजी (गोवा) | टाईप - 3 स्टूडियो। |
| 18. | पणजी (गोवा) | |
| 19. | परभणी (महाराष्ट्र) | |
| 20. | सांगली (महाराष्ट्र) | |
| 21. | बंगलोर (कर्नाटक) | |
| 22. | कालीकट (केरल) | |
| 23. | नागरकोईल (तमिलनाडु) | |
| 24. | मदुराई (तमिलनाडु) | |

**विवरण- II**

| क्र. सं. | स्थान |
|---|---|
| का. नि.सु. (कार्यक्रम निर्माण सुविधा) | |
| 1. | जलपाईगुड़ी (पश्चिम बंगाल) |
| 2. | पोर्ट ब्लेअर (अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह) |
| | उ.श.ट्रां (उच्च शक्ति ट्रांसमीटर) |
| 3. | बैसलमेंर (राजस्थान) |
| 4. | बाड़मेंर (अंतरिम) (राजस्थान) |
| | अ.श.ट्रां (अल्प शक्ति ट्रांसमीटर) |
| 5. | टोसरा (आंध्र प्रदेश) |
| 6. | कामारेड्डी (आंध्र प्रदेश) |
| 7. | बेल्लमपल्ली (आंध्र प्रदेश) |
| 8. | नारायण पेठ (आंध्र प्रदेश) |
| 9. | पेदांदिपाडु (आंध्र प्रदेश) |
| 10. | कादिरी (आंध्र प्रदेश) |
| 11. | होजाई (असम) |
| 12. | सोनारी (असम) |
| 13. | लुमडिंग (असम) |
| 14. | पटना (डीडी-2) (बिहार) |
| 15. | सुपौल (बिहार) |
| 16. | फूल पारस (बिहार) |
| 17. | दीसा (गुजरात) |
| 18. | ईदर (गुजरात) |
| 19. | मोरवी (गुजरात) |
| 20. | श्यामलाजी (गुजरात) |
| 21. | हरपनहल्ली (कर्नाटक) |
| 22. | सागर (कर्नाटक) |
| 23. | गोकक (कर्नाटक) |
| 24. | हुनगुंड (कर्नाटक) |
| 25. | कुमटा (कर्नाटक) |
| 26. | भतकल (कर्नाटक) |
| 27. | कान्हंगेड (केरल) |
| 28. | गदरवाड़ा (मध्य प्रदेश) |
| 29. | सक्ति (मध्य प्रदेश) |
| 30. | केलारस (मध्य प्रदेश) |
| 31. | भंडेर (मध्य प्रदेश) |
| 32. | कुकडेश्वर (मध्य प्रदेश) |
| 33. | शीरपुर (महाराष्ट्र) |
| 34. | देवरूख (महाराष्ट्र) |
| 35. | म्हाले (महराष्ट्र) |
| 36. | नोहर (राजस्थान) |
| 37. | मांऊंट आबू (राजस्थान) |
| 38. | नीमज (राजस्थान) |
| 39. | सोहेला (उड़ीसा) |
| 40. | कवि सूर्यनगर (उड़ीसा) |
| 41. | पट्टूकोट्टई (तमिलनाडु) |
| 42. | अत्तूर (तमिलनाडु) |
| 43. | कृष्णागिरी (तमिलनाडु) |
| 44. | अरनी (तमिलनाडु) |
| 45. | शंकरनकोविल (तमिलनाडु) |
| 46. | गुडियाट्टम (तमिलनाडु) |
| 47. | मार्थेन्डम (तमिलनाडु) |

48. गंज डुंडवारा (उत्तर प्रदेश)
49. कासगंज, (उत्तर प्रदेश)
50. मऊ रानीपुर (उत्तर प्रदेश)
51. नौगढ़ (उत्तर प्रदेश)
52. न्यू टेहरी (उत्तर प्रदेश)
53. महोबा (उत्तर प्रदेश)
54. कालना (पश्चिम बंगाल)
55. फरक्का (पश्चिम बंगाल)
56. मुर्शिदाबाद (डीडी-2) (पश्चिम बंगाल)
57. सिलवासा (दादर एवं नगर हवेली)
    अ.अ.श.ट्रा (अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर)
58. चिन्तापल्ली (आंध्र प्रदेश)
59. पर्वतीपुरम (आंध्र प्रदेश)
60. दिगबोई (असम)
61. नेतरंग (गुजरात)
62. बांदला (हिमाचल प्रदेश)
63. भारती (हिमाचल प्रदेश)
64. कंजेरापल्ली (केरल)
65. जशपुरनगर (मध्य प्रदेश)
66. कोण्डागांव (मध्य प्रदेश)
67. खेड़ (महाराष्ट्र)
68. भीम (राजस्थान)
69. जवार माइन्स (राजस्थान)
70. टी. रामपुर (उड़ीसा)
71. बडाबाराबिल (उड़ीसा)
72. दुर्गापुर (डड़ीसा)
73. नयागढ़ (उड़ीसा)
74. उदमलपेट (तमिलनाडु)
75. वेल्लूर (तमिलनाडु)
76. बाजापाड़ी (उत्तर प्रदेश)
77. बागेश्वर (उत्तर प्रदेश)
78. डीडीहाट (उत्तर प्रदेश)
79. घंडियाल (उत्तर प्रदेश)
80. कलजिखार (उत्तर प्रदेश)
81. बारतंग (अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह)
82. कटचल (अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह)

## राजस्थान में एस.टी.डी सेवाएं

**1775. श्रीमती वसुन्धरा राजे :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में, विशेषत: झालावाड़ और बांडा जिलों में एस.टी.डी. सेवाओं के कार्य न करने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) :** (क) जी, हाँ।

(ख) बारां, झालावाड़, चौमहला, झलरा पाटन, अकलेरा, छबरा व चीपा बाड़ौद में एस टी डी, सेवाओं की गुणवत्ता संबंधी शिकायतें मिली हैं। इन स्थानों में, "ओवर हैड ऐलाइनमेंट" के जरिए एस टी डी सुविधाएं दी हुई है, जिनमें गड़बड़ी की संभावना होती है। इनमें सीमित निष्पादन व क्षमता होती है।

(ग) सुनियोजित विकास के रूप में, विश्वसनीय पारेषण-प्रणालियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। बारां व झालावाड़ में विश्वसनीय सूक्ष्मतरंगी प्रणालियां पहल से ही मौजूद हैं। अकलेरा, चौमहला, छबरा व चीपा बाडौदा के लिए फाइबर ऑप्टिकल व यू एच एफ रेडियो-सरीखे विश्वसनीय माध्यम की योजना बनाई गई है। झलरा-पाटन, पर्याप्त सर्किटों वाली भूमिगत केबल के जरिए, झालावाड़ से जुड़ा हुआ है।

## आन्ध्र प्रदेश में टेलीफोन

**1776. श्री उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :**
**श्री राम कृष्ण कोताला :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में टेलीफोन कनेक्शन के लिए बनाई गई प्रतीक्षा सूची की अद्यतन जिले वार स्थिति क्या है,

(ख) क्या सरकार का विचार 1995-96 के दौरान और नयी टेलीफोन लाइनें बिछाने का है, और

(ग) यदि हाँ, तो जिलेवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) :** (क) तथा (ग) 31.10.1995 तक प्रतीक्षा सूची के जिले-वार ब्यौरे तथा वर्ष 1995-96 के दौरान अतिरिक्त टेलीफोन लाइनों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए अनुसार हैं।

(ख) जी, हाँ।

### विवरण

| क्रम सं. | जिले का नाम | 31.10.1995 के अनुसार प्रतिक्षा सूची | वर्ष 1995-96 के दौरान प्रदान किए जाने वाले संभावित नए टेलीफोन |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | पैरा (क) पैरा (ग) |
| 1. | अदीलाबाद | 2563 | 3150 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 2. | अनन्तपुर | 3700 | 2520 |
| 3. | चित्तूर | 7141 | 3775 |
| 4. | कड्डप्पा | 1858 | 2270 |
| 5. | ईस्ट गोदावरी | 12241 | 11320 |
| 6. | गुंटूर | 11542 | 7550 |
| 7. | हैदराबाद | 39697 | 57850 |
| 8. | करीमनगर | 4765 | 3775 |
| 9. | खम्मम | 3986 | 3775 |
| 10. | कृष्णा | 8124 | 12580 |
| 11. | कुरनूल | 4077 | 2520 |
| 12. | महबूब नगर | 1575 | 1270 |
| 13. | मेठक | 2227 | 1635 |
| 14. | नालगोंडा | 3016 | 3020 |
| 15. | नेल्लूर | 6324 | 4785 |
| 16. | निजामाबाद | 2753 | 3020 |
| 17. | प्रकासम | 3443 | 3775 |
| 18. | श्रीककुलम | 1604 | 1270, |
| 19. | रंगरेड्डि | 3603 | 5030 |
| 20. | विशाखापट्टनम् | 5335 | 4530 |
| 21. | विजयानगरम | 740 | 1000 |
| 22. | वारंगल | 2828 | 1780 |
| 23. | वेस्ट गोदावरी | 8560 | 6300 |
| | कुल | 141672 | 14500 |

[हिन्दी]

## अंतर्राष्ट्रीय जल विवाद

1777. **श्रीमती शीला गौतम : क्या जल संसाधन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा दिल्ली के बीच अन्तर्राज्जीय जल विवादों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इन विवादों के समाधान में विलम्ब के कारण क्या हैं; और

(ग) इन विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुझलने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाने का विचार है ?

**जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू)**: (क) से (ग) रावी व्यास अधिशेष जल से संबंधित विवाद, अंतर्राज्जीय जल विवाद अधिनियम, 1956 के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा गठित अधिकरण को भेजा गया है। अधिकरण ने अंतरिम रिपोर्ट 30.1.87 को दी थी जिस पर पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान राज्यों और केन्द्र सरकार ने अधिकरण से कुछ मुद्दों पर स्पष्टीकरण और मार्गदर्शन मांगा है। अधिकरण के एक सदस्य ने इसी बीच त्यागपत्र दे दिया था और रिक्त पद किसी न किसी कारणवश भरा नहीं जा सका। सरकार ने रिक्त पद को भरने की कार्यवाही प्रारंभ की है जिससे कि अधिकरण की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जा सके।

हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के मध्य 12 मई, 1994 को इन राज्यों द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार यमुना जल इन राज्यों में विभाजित किया जा रहा है। इस उद्देश्य के लिए गठित अपर यमुना नदी बोर्ड और अपर यमुना पुनरीक्षण समिति द्वारा यमुना जल समझौते का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

[अनुवाद]

## इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड

1778. **श्री रूप चन्द पाल :**

**श्री एo वेंकटेश नायक :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड को कितना लाभ हुआ;

(ख) क्या आई.टी.आई. घाटें में चल रही है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम )** : (क) आई टी आई लि. के पिछले तीन वर्षों की लाभ/हानि के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :

| वर्ष | लाभ/हानि (करोड़ रु0 में) |
|---|---|
| 1992-93 | 85.89 |
| 1993-94 | 84.35 |
| 1994-95 | (-) 81.91 (हानि) |

(ख) और (ग) : 1994-95 के दौरान, आई टी आई लि. द्वारा उठाया गया घाटा उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर में दर्शाया गया है। कंपनी ने 30.9.1995 को समाप्त अवधि तक चालू वर्ष के दौरान 118.02 करोड़ रु. के अनन्तिम घाटे का भी अनुमान लगाया है।

आई टी आई लि. का अब देश में दूरसंचार उपस्कर के विनिर्माण/आपूर्ति पर एकाधिकार नहीं रह गया है, क्योंकि निजी क्षेत्र में कई अन्य कंपनियों ने विनिर्माण-सुविधाएं स्थापित कर ली हैं। अत: आई टी आई को, आर्डर प्राप्त करने में कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा हे। इसके अलावा, कड़ी प्रतिस्पर्धा के कारण दूरसंचार उपस्कर की कीमते काफी नीचे गिर गई हैं।

(घ) कम्पनी के कार्यकलापों की योजना बनाने की बुनियादी जिम्मेदारी कम्पनी के प्रबंधक-मण्डल की है। तथापि, आई टी आई और एच टी एल जैसे अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की

अवसंरचना का अधिकतम उपयोग करने और इन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य बनाए रखने की दृष्टि से, दूरसंचार विभाग एक नीति अपना रहा है/जिसके तहत इन कंपनियों द्वारा विनिर्मित मदों के लिए दूरसंचार विभाग के आर्डरों का 30 से 35 प्रतिशत भाग उनके लिए आरक्षित रखा जाता है। आई टी आई और एच टी एल के लिए आरक्षित आर्डरों के प्रतिशत के अलावा, ये कम्पनियां दूरसंचार विभाग द्वारा जारी निविदाओं में भाग ले सकती हैं ओर निविदाओं में अपने रैंक के आधार पर अतिरिक्त आर्डर भी प्राप्त कर सकती हैं।

उपर्युक्त नीति के अतिरिक्त सरकार ने, (i) आई टी आई की श्रीनगर (जम्मू व कश्मीर) इकाई द्वारा उठाए घाटों की समुचित प्रतिपूर्ति करने और (ii) राष्ट्रीय नवीकरण निधि से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना पर होने वाले व्यय का वित्तपोषण करने के लिए भी कार्रवाई की है।

तथापि, स्थिति को युक्तिसंगत बनाने के प्रयास करना एक सतत् प्रक्रिया है और, इसलिए सरकार, उत्पादों और ग्राहकों के विविधीकरण के लिए आई टी आई के प्रस्तावों का समर्थन करती रहती है।

### नया चैनल

1779. **श्री सुदर्शन राय चौधरी** : क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन का विचार नये चैनल शुरू करने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो दूरदर्शन द्वारा ऐसे कितने चैनल शुरू किये जायेंगे और इन पर किन कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाएगा ?

**सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद)**: (क) और (ख) अतिरिक्त ट्रांसपोन्डर क्षमता का उपयोग करके नए चैनलों को शुरू करने का विचार है जो कि इनसैट-2 सी उपग्रह के जरिए उपलब्ध होंगे। तथापि, फिलहाल, कोई ब्यौरा नहीं दिया जा सकता है।

[हिन्दी]

### उत्तर प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंज

1780. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :**
**श्री बलराज पानी :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के आठ पर्वतीय जिलों में संचार तन्त्र का विस्तार करने के लिए कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय कितने टेलीफोन एक्सचेंज कार्यरत हैं;

(घ) मार्च, 1996 के अन्त तक कितने इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) कितने टेलीफोन उपभोक्ता लाभान्वित होगें ?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम)** : (क) जी हाँ।

(ख) संलग्न विवरण के अनुसार।

(ग) 236

(घ) संलग्न विवरण के अनुसार।

(ङ) इस प्रक्रिया के जरिये 12000 उपभोक्ताओं के लाभान्वित होने की आशा है।

**विवरण**

(ख) 1995-96 के दौरान निम्नलिखित प्रणालियां संस्थापित की जाएंगी :

| | | |
|---|---|---|
| (i) | देहरादून में हब स्टेशन सहित एमसीपीसी वीएसएटी जिसमें से 2 पहले ही संस्थापित किए जा चुके हैं। | 16 |
| (ii) | 10 चैनल यूएचएफ प्रणालियां | 29 |
| (iii) | 30 चैनल यूएचएफ प्रणालियां | 24 |

एक प्रणाली पहले ही संस्थापित की जा चुकी है।

1995-96 के दौरान 17 तहसील मुख्यालयों को एस टी डी सुविधा देने की योजना भी है :-

(घ) 1995-96 के दौरान निम्नलिखित नए एक्सचेजों को चालू करने की योजना है : -

(i) देहरादून में नई प्रोद्यौगिकी वाली 10 हजार लाइनें।

(ii) आई.वाई.पी. देहरादून में 2 के ई-10 बी आरएलयू।

(iii) क्लीमेंट टाऊन, देहरादून में 1 के ई-10 बी आर एल यू (कार्यपूरा हो चुका है।)

(iv) लमगोंडी, जिला चमोली में 128 पीसी-डॉट (कार्य पूरा हो चुका है।)

(v) गंगोत्री, जिला उत्तराकशी में 128 पीसी-डॉट (कार्य पूरा हो चुका है।)

(vi) मैठाण, जिला चमोली में 128 पीसी-डॉट

(vii) गजा, जिला टिहरी में 128 पीसी-डॉट

(viii) जमनीखाल, जिला टिहरी में 128 पीसी-डॉट

(ix) बछेलीखाट, जिला टिहरी में 128 पीसी-डॉट

(x) पौखाल, जिला पौड़ी गढ़वाल में 128 पीसी-डॉट

(xi) कांडाखाल, जिला पौड़ी गढ़वाल में 128 पीसी-डॉट

### सीसा रहित पेट्रोल

1781. **श्रीमती गिरिजा देवी** : क्या पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सीसा रहित पेट्रोल उत्पादन को बढ़ावा देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बिहार में सीसा रहित एक पेट्रोल तेलशोधक कारखाना स्थापित करने को कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

**पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा)** : (क) और (ख) मथुरा (उ.प्र.) बम्बई (महाराष्ट्र) में बीपीसीएल की रिफाइनरी, मद्रास रिफाइनरीज़ लिमिटेड (तमिलनाडु) तथा बी आर पी एल (असम रिफाइनरियों में सीसा रहित पेट्रोल का उत्पादन किया जा रहा है।

(ग) और (घ) बिहार के बरौनी रिफाइनरी में 1997 के बाद सीसा रहित पेट्रोल का उत्पादन करने की योजना है।

[अनुवाद]

## दूरसंचार सलाहकार समितियाँ

1782. **श्री एस.एम. लालजान बाशा :**

**श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गठित की गई टेलीफोन सलाहकार समितियों तथा उनकी संरचना की राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या कुछ टेलीफोन सलाहकार समितियों के पुनर्गठन का समय हो गया है;

(ग) यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है और इन समितियों के लिए चयन/मनोनयन की राज्य-वार प्रक्रिया क्या है;

(घ) इनके कब तक पुन: गठित किये जाने की संभावना है;

(ङ) क्या टेलीफोन आबंटन के लिए सिफारिश करने हेतु सरकार ने इन समितियों के लिए कोई निर्देश जारी किये हैं;

(च) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(छ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन समितियों के सुझावों पर, राज्य-वार कितने टेलीफोन कनेक्शन दिये गये ?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम)** : (क) अब तक 113 टेलीफोन सलाहकार समितियाँ गठित की जा चुकी है। राज्यवार ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं। विभिन्न टेलीफोन सलाहकार समितियों में सामान्यत: नियुक्त सदस्यों की संख्या व उसमें प्रतिनिधित्व के क्षेत्र विवरण-II में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) जी हाँ। ब्यौरे, विवरण -III में दिए गए हैं। संर्किल प्रमुखों सांसदों व विधायकों की सिफारिशों, विभिन्न स्थानीय निकायों, जन-प्रतिनिधियों व व्यक्ति-विशेषों से मिले अन्यावेदनों पर विचार करने के बाद संचार मंत्री द्वारा इन समितियों में सदस्यों को नापित किया जाता है। माननीय सांसदों के नामांकन, संसदीय कार्य-मंत्रालय द्वारा किए जाते हैं।

(घ) उपर्युक्त टेलीफोन सलाहकार समितियाँ शीघ्र ही पुनर्गठित की जाएंगी। टेलीफोन सलाहकार समिति का कार्यकाल दो वर्ष का होने से, यह पुनर्गठन एक सतत् प्रक्रिया है।

(ङ) तथा (च) जी हाँ। टेलीफोन-सलाहकार समिति को, टेलीफोनों की भारी रिलीज के समय, रिलीज होने वाले कुल फोनों के 5 प्रतिशत की सिफारिश का अधिकार है, जो ओ वाई टी सामान्य तथा गैर ओ वाई टी विशेष श्रेणियों के बिना बारी आधार पर दिए जाने वाले 100 फोनों से अधिक न हों।

(छ) टेलीफोन सलाहकार समितियों की सिफारिशों पर गत तीन वर्षों के दौरान कुल 10,161 टेलीफोन कनेक्शन जारी किए गए थे। सर्किलवार ब्यौरे विवरण IV में दिए गए हैं।

**विवरण-I**

**गठित दूरसंचार/टेलीफोन सलाहकार समितियों की सूची।**

| क्र.सं. | राज्य का नाम | तक विधिमान्य |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| **I.** | **आंध्र प्रदेश** | |
| 1. | आंध्र प्रदेश डीएसी | 31.10.96 |
| 2. | एलूरू टीएसी | 31.12.97 |
| 3. | हैदराबाद टीएसी | 31.10.96 |
| 4. | कूरनूल टीएसी | 31.12.95 |
| 5. | चित्तूर (तिरूपति) टीएसी | 31.12.97 |
| **II.** | **अरूणाचल प्रदेश** | |
| 1. | अरूणाचल प्रदेश टीएसी | 31.1.96 |
| **III.** | **असम** | |
| 1. | असम टीएसी | 31.1.96 |
| 2. | गोहावटी टीएसी | 31.1.96 |
| 3. | डिबरूगढ़ टीएसी | 30.11.97 |
| **IV.** | **बिहार** | |
| 1. | बिहार टीएसी | 31.1.96 |
| 2. | पटना टीएसी | 30.4.97 |
| 3. | रांची टीएसी | 31.12.95 |
| **V.** | **गोवा** | |
| 1. | गोवा टीएसी | 30.4.96 |
| **VI.** | **गुजरात** | |
| 1. | अहमदाबाद टीएसी | 31.1.97 |
| 2. | भावनगर टीएसी | 31.1.97 |
| 3. | भुज टीएसी | 30.11.97 |
| 4. | बुलसार (बलसाड़) टीएसी | 30.11.97 |
| 5. | गुजरात टीएसी | 30.11.96 |
| 6. | जामनगर टीएसी | 31.1.97 |
| 7. | राजकोट टीएसी | 31.1.97 |
| 8. | सूरत टीएसी | 31.1.97 |
| 9. | बड़ोदरा (बड़ौदा) टीएसी | 31.1.97 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| **VII.** | **हरियाणा** | |
| 1. | फरीदाबाद टीएसी | 31.1.96 |
| 2. | हरियाणा टीएसी | 31.1.96 |
| 3. | हिसार टीएसी | 31.1.96 |
| 4. | करनाल टीएसी | 31.5.96 |
| 5. | रोहतक टीएसी | 31.1.96 |
| 6. | अम्बाला टीएसी | 30.11.97 |
| **VIII.** | **हिमाचल प्रदेश** | |
| 1. | हिमाचल प्रदेश | 31.8.97 |
| **IX.** | **जम्मू एवं कश्मीर** | |
| 1. | जम्मू एवं कश्मीर टीएसी | 30.4.96 |
| 2. | श्रीनगर टीएसी | 30.4.96 |
| 3. | जम्मू | 30.4.96 |
| **X.** | **कर्नाटक** | |
| 1. | बंगलूर टीएसी | 31.7.96 |
| 2. | हुबली टीएसी | 30.11.97 |
| 3. | कर्नाटक टीएसी | 31.7.96 |
| 4. | मंगलौर टीएसी | 30.9.96 |
| 5. | कोडगू टीएसी | 31.7.96 |
| **XI.** | **केरल** | |
| 1. | कालीकट टीएसी | 30.11.97 |
| 2. | एर्नाकुलम टीएसी | 30.11.96 |
| 3. | केरल टीएसी | 30.6.96 |
| 4. | कोट्टयम् टीएसी | 30.11.97 |
| 5. | पालघाट टीएसी | 30.11.96 |
| 6. | त्रिचूर टीएसी | 30.11.97 |
| 7. | त्रिवेन्द्रम टीएसी | 31.12.96 |
| 8. | कोयलोन टीएसी | 30.11.97 |
| **XII.** | **मध्यप्रदेश** | |
| 1. | इंदौर टीएसी | 31.12.96 |
| 2. | जबलपुर टीएसी | 30.11.97 |
| 3. | मध्य प्रदेश टीएसी | 31.5.96 |
| 4. | रायपुर टीएसी | 31.1.96 |
| **XIII.** | **महाराष्ट्र** | |
| 1. | जलगांव टीएसी | 30.4.97 |
| 2. | कोल्हापुर टीएसी | 28.2.97 |
| 3. | महाराष्ट्र टीएसी | 30.11.97 |
| 4. | नागपुर टीएसी | 31.10.96 |
| 5. | नासिक टीएसी | 30.11.97 |
| 6. | कल्याण टीएसी | 31.12.97 |
| 7. | पूणे टीएसी | 31.10.96 |
| 8. | सतारा टीएसी | 30.11.97 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| **XIV.** | **मणिपुर** | |
| 1. | मणिपुर टीएसी | 31.1.96 |
| **XV.** | **नागालैंड** | |
| 1. | दीमापुर टीएसी | 30.1.97 |
| **XVI.** | **मिजोरम** | |
| 1. | मिजोरम टीएसी | 28.2.97 |
| **XVII.** | **उड़ीसा** | |
| 1. | कटक टीएसी | 30.11.97 |
| 2. | उड़ीसा टीएसी | 30.10.96 |
| 3. | भुवनेश्वर टीएसी | 30.11.97 |
| **XVIII.** | **पंजाब** | |
| 1. | अमृतसर टीएसी | 31.1.96 |
| 2. | फिरोजपुर टीएसी | 30.11.97 |
| 3. | जालन्धर टीएसी | 31.1.97 |
| 4. | लुधियाना टीएसी | 31.1.96 |
| 5. | पटियाला टीएसी | 30.11.97 |
| 6. | पंजाब टीएसी | 30.4.97 |
| 7. | पठानकोट टीएसी | 30.4.96 |
| **XIX.** | **राजस्थान** | |
| 1. | जयपुर टीएसी | 31.5.96 |
| 2. | राजस्थान टीएसी | 30.6.96 |
| 3. | जोधपुर टीएसी | 31.12.95 |
| **XX.** | **सिक्किम** | |
| 1. | सिक्किम टीएसी | 30.6.97 |
| **XXI.** | **तमिलनाडु** | |
| 1. | कोयम्बटूर टीएसी | 30.9.96 |
| 2. | कुड्डालूर टीएसी | 30.9.96 |
| 3. | इरोड टीएसी | 30.10.96 |
| 4. | मदुरै टीएसी | 31.10.96 |
| 5. | सेलम टीएसी | 30.10.96 |
| 6. | तमिलनाडु टीएसी | 31.10.96 |
| 7. | तिरूनेलवेली टीएसी | 31.10.96 |
| 8. | त्रिचूरापल्ली टीएसी | 31.10.96 |
| 9. | वेल्लूर टीएसी | 30.9.96 |
| 10. | तंजोर (थंजावूर) टीएसी | 30.11.97 |
| **XXII.** | **उत्तर प्रदेश** | |
| 1. | आगरा टीएसी | 30.6.97 |
| 2. | इलाहाबाद टीएसी | 31.5.96 |
| 3. | गाजियाबाद टीएसी | 30.6.97 |
| 4. | कानपुर टीएसी | 30.6.97 |
| 5. | लखनऊ टीएसी | 30.6.97 |
| 6. | मेरठ टीएसी | 30.6.97 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 7. | वाराणसी टीएसी | 30.6.97 |
| 8. | महाप्रबंधक (उत्तर) बरेली टीएसी | 30.6.97 |
| 9. | म.प्र. (पूर्व) वाराणसी टीएसी | 30.6.97 |
| 10. | निदेशक (पश्चिम) देहरादून टीएसी | 30.6.97 |
| 11. | निदेशक (मध्य) लखनऊ टीएसी | 30.6.97 |
| 12. | मऊ टीएसी | 30.6.97 |
| **XXIII.** | **पश्चिम बंगाल** | |
| 1. | सिलीगुड़ी टीएसी | 30.11.97 |
| 2. | पश्चिम बंगाल टीएसी | 30.6.96 |
| **XXIV.** | **महानगरीय जिले** | |
| 1. | बम्बई टीएसी | 30.11.97 |
| 2. | कलकत्ता टीएसी | 30.6.96 |
| 3. | दिल्ली टीएसी | 31.12.96 |
| 4. | दिल्ली (पूर्व) टीएसी | 31.12.96 |
| 5. | दिल्ली (पश्चिम) टीएसी | 31.12.96 |
| 6. | दिल्ली (उत्तर) टीएसी | 31.12.96 |
| 7. | दिल्ली (दक्षिण) टीएसी | 31.12.96 |
| 8. | दिल्ली (मध्य) टीएसी | 31.12.96 |
| 9. | मद्रास टीएसी | 30.9.96 |
| **केन्द्र शासित प्रदेश** | | |
| **I.** | **अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह** | |
| | i. अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह टीएसी | 30.4.97 |
| **II.** | **चंडीगढ़** | |
| | i. चंडीगढ़ टीएसी | 30.10.96 |
| **III.** | **दादर एवं नागर हवेली** | |
| | i. दादर नगर हवेली | 28.2.97 |
| **IV.** | **दमन एवं द्वीव** | |
| | i. दमन एवं द्वीव | 28.2.97 |
| **V.** | **लक्षद्वीप एवं मिनीकवाम्** | |
| | i. लक्षद्वीप टीएसी | 30.11.97 |
| **VI.** | **पांडीचेरी** | |
| | i. पांडीचेरी | 30.11.97 |

**विवरण - II**

**दूरसंचार / टेलीफोन सलाहकार समितियाँ - संरचना और प्रतिनिधित्व के क्षेत्र**

| क्र.सं. | प्रतिनिधित्व के क्षेत्र श्रेणी | टेलीफोन सलाहकार समितियाँ बंबई कलकत्ता दिल्ली (मुख्य) | मद्रास की टेली. सलाहकार समितियाँ | चार राज्यों की दूरसंचार सलाहकार समितियाँ | 13 राज्यों की दूरसंचार सलाहकार समितियाँ | महाप्रबंधक के नियंत्रण के 26 टेली. जिलों की टेलीफोन सलाहकार समितियाँ | टी.डी.एम. के नियंत्रण के 78 टेली. जिलों की टेलीफोन सलाहकार समितियाँ | 13 अन्य राज्यों और संघ शासित राज्यों की टेलीफोन सलाहकार समितियाँ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (क) | (ख) | (ग) | (घ) | (ङ) |
| 1. | संसद सदस्य | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 2. | राज्य विधान मंडल | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| 3. | राज्य प्रशासन | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4. | निगम अथवा नागरिक निकार्य | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
| 5. | प्रेस | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 6. | चिकित्सा व्यवसायी | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 7. | विधि व्यवसायी | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 8. | इंजिनियर, वास्तुविद आदि जैसे सभी अन्य व्यवसायी | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 9. | व्यापार, वाणिज्य और उद्योग | 10 | 6 | 10 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| 10. | जनसेवक एवं अन्य | 10 | 7 | 12 | 8 | 5 | 5 | 6 |
| | जोड़ | 40 | 30 | 40 | 30 | 25 | 20 | 20 |

(क) बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओर राजस्थान

(ख) आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, गुजरात, तमिलनाडु, हरियाणा, उड़ीसा, पं. बंगाल, पंजाब, असम, हिमाचल प्रदेश जम्मू व कश्मीर तथा अरूणाचल प्रदेश।

(ग) अहमदाबाद, अमृतसर, बंगलौर, बड़ौदा, कालीकट, कोयम्बटूर, एर्नाकुलम, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, लुधियाना, लखनऊ, मदुरई, मंगलौर, पुणे, राजकोट, सूरत, महाप्रबंधक(एन) बरेली, महाप्रबंधक(ई) वाराणसी, निदेशक (डब्ल्यू) देहरादून, निदेशक(सी) लखनऊ, दिल्ली(सी) दिल्ली(ई) दिल्ली(डब्ल्यू), दिल्ली(एन) और दिल्ली(एस)।

(घ) आगरा, इलाहाबाद, अम्बाला, एलेप्पी, अहमदनगर, अगरतल्ला, आसनसोल, बलसाड़, भुज, भावनगर, बेलगांव, भोपाल, चित्तुर, कन्नानूर, कटक, कुड्डालूर, दिमापुर, इलूरू, इरोड, फरीदाबाद, फिरोजपुर, गुन्टाकल, गोवाहटी, गुन्टूर, गाजियाबाद, हुबली, हिसार, इंदौर, इम्फाल, जूनागढ़, जबलपुर, जामनगर, जलगांव, जलौंधर, कुरनूल, कोटयम, करनाल, कल्याण, मेंहसाणा, मैसूर, मेंरठ, नागपुर, नदियाड, नासिक, पटना, पालघाट, मह, पटियाला, पोर्टब्लेयर, राजमुंदरी, रोहतक, श्रीनगर, सोलापुर, सिंलांग, स्लेम, सिलीगुडी, त्रिवेंद्रम, त्रिचुर, त्रिची, तिरूनेवेली, तंजौर, विजयवाड़ा, वाराणसी, वेल्लूर, क्यूलोन, इटानगर, रांची, जम्मू, कोडाबू, रायपुर, कोल्हापुर, भूवनेश्वर, पठानकोट, जोधपुर और गंगटोक, डिब्रूगढ़ विशाखपट्टनम, सतारा।

(ङ) मणिपुर, मेंघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, गोवा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दमन और दिव्यू, लक्षद्वीप और मिनिकोय, दादर और नागर हवेली, पांडिचेरी।

**विवरण - III**

**गठित की जाने वाली दूरसंचार/टेलीफोन सलाहकार समितियों की सूची**

| क्र.सं. | राज्य का नाम |
|---|---|
| 1 | 2 |
| **I.** | **आन्ध्र प्रदेश** |
| 1. | गुंटाकल टीएसी |
| 2. | गुंटूर टीएसी |
| 3. | राजामुद्री टीएसी |
| 4. | विजयवाड़ा टीएसी |
| 5. | विशाखापट्टनम टीएसी |
| **II.** | **अरूणाचल प्रदेश** |
| 1. | इटा नगर |
| **III.** | **गुजरात** |
| 1. | जूनागढ़ टीएसी |
| 2. | मेंहसाना टीएसी |
| 3. | नाडियाड टीएसी |
| 1 | 2 |
| **IV.** | **कर्नाटक** |
| 1. | बेलगांव टीएसी |
| 2. | मैसूर टीएसी |
| **V.** | **केरल** |
| 1. | अल्लेप्पी टीएसी |
| 2. | कन्नानोर टीएसी |
| **VI.** | **मध्य प्रदेश** |
| 1. | भोपाल टीएसी |
| **VII.** | **महाराष्ट्र** |
| 1. | अमहदनगर टीएसी |
| 2. | शोलापुर टीएसी |
| **VIII.** | **मणिपुर** |
| 1. | इम्फाल टीएसी |
| **IX.** | **मेंघालय** |
| 1. | शिलांग टीएसी |
| 2. | मेंघालय टीएसी |
| **X.** | **नागालैंड** |
| 1. | नागालैंड टीएसी |
| **XI.** | **त्रिपुरा** |
| 1. | अगरतला टीएसी |
| 2. | त्रिपुरा टीएसी |
| **XII.** | **पश्चिम बंगाल** |
| 1. | आसनसोल टीएसी |
| **XIII.** | **सिक्किम** |
| 1. | गंगटोक टीएसी |
| **संघ शासित राज्य** | |
| **I.** | **अंडमान और निकोबार द्वीप समूह** |
| | **i. पोर्ट ब्लेयर** |

**विवरण - IV**

| सर्किल/मैट्रो जिले | पिछले तीन वर्षों में टेलीफोन सलाहकार समितियों की सिफारिश के आधार पर दिए गए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या। |
|---|---|
| 1 | 2 |
| **सर्किल** | |
| अंडमान और निकोबार | शून्य |
| आंध्र प्रदेश | 440 |
| असम | 187 |
| बिहार | - |
| गुजरात | 940 |

| 1 | 2 |
|---|---|
| जम्मू एवं कश्मीर | - |
| केरल | 1015 |
| कर्नाटक | 1081 |
| मध्य प्रदेश | 09 |
| महाराष्ट्र | 1604 |
| उड़ीसा | - |
| हरियाणा | 123 |
| हिमाचल प्रदेश | - |
| पंजाब | 1155 |
| राजस्थान | 1266 |
| उत्तर पूर्व | 87 |
| तमिलनाडु | 1130 |
| उत्तर प्रदेश (पूर्वी) | 38 |
| उत्तर प्रदेश (पश्चिमी) | - |
| पश्चिम बंगाल | - |
| मैट्रो जिले | |
| बम्बई | - |
| दिल्ली | 248 |
| कलकत्ता | 50 |
| मद्रास | 1300 |
| जोड़ | 10601 |

[हिन्दी]

**वृक्षारोपण के लिए स्वयंसेवी संगठनों को मंजूर की गई राशि**

1783. **श्री सोमजी भाई डामोर** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात के जिला पंचमहल में स्वयंसेवी संगठनों की आदिवासी उप-योजना, डाहोड के अन्तर्गत वृक्षारोपण के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी राशि मंजूर की गई तथा इन स्वयंसेवी संगठनों की संख्या कितनी है;

(ख) इन संगठनों द्वारा रोपित किए गए वृक्षों की संख्या कितनी है तथा ये किन किन स्थानों पर लगाए गए;

(ग) इन संगठनों द्वारा अब तक कितने पेड़ लगाए गए तथा उनमें से अब तक कितने हरे भरे है;

(घ) क्या इन संगठनों के खिलाफ पेड़ न लगाए जाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई है; और

(ङ) यदि हाँ, तो इन संगठनों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

**कल्याण मंत्री (सीताराम केसरी)** : (क) से (ङ) : गुजरात राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है तथा उनके प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

**पंचायतों को टेलीफोन**

1784. **श्री रामकृष्ण कोंताला** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में इस समय जिलावार कितनी ग्राम पंचायतों के पास टेलीफोन हैं और कितनी ग्राम पंचायतों के पास नहीं हैं;

(ख) सभी गांवों को टेलीफोन उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं; और

(ग) आन्ध्र प्रदेश में सभी पंचायतों को यह सुविधा कब तक उपलब्ध करा दी जायेगी ?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम)** : (क) आंध्र प्रदेश में 30.11.95 की स्थिति के अनुसार, टेलीफोन सुविधा सहित और टेलीफोन सुविधा रहित ग्राम पंचायतों की संख्या क्रमशः 15,989 और 3544 है। जिला-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) सरकार ने राष्ट्रीय दूरसंचार नीति अपनाई है जिसमें वर्ष 1997 तक उत्तरोत्तर रूप से देश के सभी गांवों में सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा प्रदान करने की परिकल्पना है। चालू वित्त वर्ष के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने हेतु योजनाएं तैयार की गई हैं और जहां तक शेष अवधि का संबंध है जिन ग्रामों को शामिल नहीं किया गया है, उनसे संबंधित चालू तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर योजनाएं तैयार की जाएंगी।

**विवरण**

**आंध्रप्रदेश में 30.11.1995 तक टेलीफोन सुविधा युक्त और टेलीफोन सुविधा रहित ग्राम पंचायतों का जिलेवार ब्यौरा।**

| | नाम | ग्राम पंचायतों की कुल संख्या | टेलीफोन सुविधा युक्त पंचायतों की संख्या | टेलीफोन सुविधा रहित पंचायतों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | अदीलाबाद | 726 | 526 | 200 |
| 2. | अनन्तपुर | 865 | 755 | 110 |
| 3. | चित्तूर | 1,292 | 915 | 377 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 4. | कुड्डापा | 741 | 583 | 158 |
| 5. | पूर्वी गोदावरी | 936 | 853 | 83 |
| 6. | गुन्तूर | 959 | 959 | शून्य |
| 7. | करीमनगर | 1,051 | 747 | 304 |
| 8. | खम्माम | 608 | 529 | 79 |
| 9. | कृष्णा | 933 | 910 | 23 |
| 10. | कुरनूल | 821 | 760 | 61 |
| 11. | महबूबनगर | 1,104 | 931 | 173 |
| 12. | मेंडक | 809 | 711 | 98 |
| 13. | नालगोंडा | 1,011 | 842 | 169 |
| 14. | नेल्लोर | 942 | 777 | 165 |
| 15. | निजामाबाद | 621 | 423 | 198 |
| 16. | प्रकासम | 955 | 731 | 224 |
| 17. | रंगारेड्डी | 583 | 530 | 53 |
| 18. | श्रीकाकुलम | 1,064 | 786 | 278 |
| 19. | विशाखापट्नम | 929 | 632 | 297 |
| 20. | विजयनगरम | 889 | 619 | 270 |
| 21. | वारंगल | 884 | 673 | 211 |
| 22. | पश्चिमी गोदावरी | 810 | 797 | 13 |
| | जोड़ | 19,533 | 15,989 | 3,544 |

**सिंचाई परियोजनाओं के लिए धनराशि का आबंटन**

**1785. श्री हरि सिंह चावड़ा :** क्या योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात की विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई ?

**योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम यादव) :** संविधान के तहत सिंचाई, राज्य का एक विषय होने के कारण सभी प्रकार की सिंचाई परियोजनाओं/स्कीमों की जांच, योजना, निर्माण वित्त पोषण के कार्यान्वयन और अनुरक्षण का उत्तरदायित्व मुख्यत: संबंधित राज्य सरकार का है। केन्द्रीय सहायता राज्य की योजना में ब्लाक ऋण तथा ब्लॉक अनुदान के रूप में दी जाती है। और 'विशेष समस्याएं' मानदण्ड के तहत निर्धारित की गई राशि के अलावा, किसी अन्य परियोजनाओं/कार्यक्रम में जुड़ी नहीं होती है। 1992-95 के दौरान, राज्य की वार्षिक योजना में सिंचाई क्षेत्र के लिए परिव्यय जैसा कि मूल रूप से अनुमोदित किया गया है, नीचे दिया गया है : -

(लाख रुपये में)

| मद | 1992-93 | 1993-94 | 1994-95 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| प्रमुख तथा मध्यम सिंचाई | 40708 | 43708 | 48598 |
| लघु सिंचाई | 5302 | 5302 | 10000 |
| सी.ए.डी. | 1130 | 1130 | 1007.77* |
| बाढ़ नियंत्रण | 160 | 160 | 160 |
| कुल | 47300 | 50300 | 59765.77 |

*पिगट तथा बालदेवा सिंचाई स्कीमों हेतु 82.77 लाख रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता सहित।

**वृद्धाश्रम**

**1786. श्री शरत पटनायक :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वृद्धाश्रमों की राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या क्या है; और

(ख) पिछले तीन वर्ष के दौरान प्रतिवर्ष सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों को देश में वृद्धाश्रम बढ़ाने के लिए कुल कितनी धनराशि प्रदान की गई ?

**कल्याण मंत्री (सीताराम केसरी) :** (क) अपेक्षित सूना दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरा वयोवृद्धों के लिए वृद्धावस्था गृहों को चलाने, दिवा देखभाल केन्द्र, सचल चिकित्सा देखभाल एकक और

वृद्धो के लिए गैर-सांस्थानिक सेवाओं से सम्बन्धित कार्यक्रमों को चलाने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता की योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा स्वयंसेवी संगठनों को प्रदत्त कुल धनराशि इस प्रकार है:-

| वर्ष | (रुपये करोड़ में) |
|---|---|
| 1992-93 | 1.06 |
| 1993-94 | 3.06 |
| 1994-95 | 5.29 |

विवरण

वृद्धों से सम्बन्धित कार्यक्रमों के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता की योजना के अंतर्गत 1994-95 के दौरान वृद्धावस्था गृहों को दी गई सहायता की संख्या

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | वृद्धावस्था गृहों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 68 |
| 2. | असम | 1 |
| 3. | बिहार | 2 |
| 4. | गुजरात | 1 |
| 5. | हरियाणा | 3 |
| 6. | कर्नाटक | 10 |
| 7. | केरल | 3 |
| 8. | मध्य प्रदेश | 7 |
| 9. | महाराष्ट्र | 4 |
| 10. | मणिपुर | 9 |
| 11. | उड़ीसा | 23 |
| 12. | तमिलनाडु | 22 |
| 13. | त्रिपुरा | 2 |
| 14. | उत्तर प्रदेश | 30 |
| 15. | पश्चिम बंगाल | 23 |
| 16. | पांडिचेरी | 1 |
| | कुल | 209 |

रसोई गैस वितरण में निजी पार्टियां

1787. श्री रमैया चेल्लिसत्ता : क्या पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रसोई गैस वितरण में निजी पार्टियों के आने से गैस आपूर्ति की स्थिति में सुधार आया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) रसोई गैस कनेक्शन मिलने में इस समय औसतन कितना समय लगता है; और

(घ) रसोई गैस कनेक्शन मिलने की समयावधि को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) : (क) और (ख) 1993 में एल पी जी की समानांतर विपणन योजना के आरंभ किए जाने के समय से निजी एजेंसियों द्वारा देश में 81 टी एम टी एल पी जी (31.10.1995 तक संचयी) का आयात किया जा चुका है। अतएव लगभग 3.5 एमएमटी की कुल वार्षिक खपत की तुलना में अब तक एल पी जी की कुल उपलब्धता पर केवल सीमान्तक (मार्जीनल) प्रभाव पड़ा है।

(ग) प्रतीक्षा सूचीबद्ध व्यक्तियों को नए एल पी जी कनेक्शन संबंधित डिस्ट्रीब्यूटर के पास उपलब्ध गुंजाइश को ध्यान में रखते हुए उक्त डिस्ट्रीब्यूटर को आबंटित किए जाने वाले नए ग्राहक पंजीकरण के आधार पर संबंधित डिस्ट्रीब्यूटर के पास पंजीकरण क्रम, प्रतीक्षा सूची तथा उक्त वर्ष के लिए उद्योग पंजीकरण योजना के अनुसार जारी किए जाते हैं।

(घ) मौजूदा स्रोतों से अधिकाधिक उत्पादन, नए उत्पाद स्रोत चालू करके तथा आयातों के माध्यम से उच्च उत्पाद उपलब्धता सुनिश्चित करके यथासंभव संख्या में आवेदकों को यथाशीघ्र एल पी जी कनेक्शन जारी करने के लिए प्रयास जारी है।

गाद निकालना

1788. श्री सुधीर सांवत : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के बांधो, नदियों और छोटी नदियों में बड़े पैमाने पर गाद जमा हो गयी है;

(ख) क्या सरकार ने गाद जमा होने के कारण बाढ़, और जल की कमी के खतरों का विश्लेषण किया है; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा बांधों, नदियों और छोटी नदियों में से गाद निकालने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू): (क) से (ग) जलाशयों में गाद का जमा होना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है और गाद को समायोजित करने के लिए जलाशय की भंडारण क्षमता में व्यवस्था की जाती है। देश में बनाए गए विभिन्न बांधों में, जहां गाद जमा होने का पता चला है, गाद जमा होने के कारण जल-संचय में हुई हानि सामान्यत: अनुचित रूप से अधिक नहीं रही है। इसे देखते हुए, इस स्थिति में जलाशयों की गाद निकालने के लिए किसी भी उपाय पर विचार नहीं किया गया है। नदियां अपनी यात्रा के समय एक स्थान से गाद लेकर दूसरे स्थान पर जमा करने के कारण अपने तलों और तटों की निरंतर व्यवस्था चाहती हैं।

नदी घाटी परियोजनाओं के जल-ग्रहण क्षेत्रों में भू-संरक्षण उपायों, वन-रोपण और जल प्रबंध प्रणालियों से जलाशयों में किसी हद तक गाद जमा होने की दर में कमी होने की आशा है।

संकरी खाड़ियों एवं नदियों की गाद, आवश्यकता होने पर, राज्य सरकारों और भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा ड्रेजिंग के जरिए निकाली जाती है।

**रेडलाइन बसों के चालकों और ट्रैफिक पुलिस के बीच सांठगांठ**

**1789. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में सड़कों के चौराहे ट्रफिक पुलिस के लिए सोने की खाने हैं;

(ख) क्या ट्रैफिक पुलिस और भारी वाहन यातायात विशेष रूप से रेड लाइन बसों के चालकों के बीच सांठगांठ के कारण घातक दुर्घटनाओं और सड़क संबंधी सुरक्षा उपायों की अनदेखी की जाती है; और

(ग) यदि हाँ, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एम. कामसन)** : (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान् कदाचार। कदाचार में संलिप्त पाए जाने वाले अधिकारियों के विरूद्ध तुरंत दण्डात्मक कार्रवाई की जाती है। दिल्ली यातायात पुलिस तथा रेडलाइन एवं अन्य बसों के बीच किसी सांठ-गांठ का कोई प्रमाण नहीं है। दिल्ली पुलिस ने 70,000 रेडलाइन बसों तथा 90,000 अन्य बसों के चालान किए हैं, 2,200 बसें जब्त की हैं और 3,000 चालकों को गिरफ्तार किया है। सड़क दुर्घटनाओं और इसके परिणामस्वरूप होने वाली मौतों की संख्या में कमी लाने के लिए दिल्ली पुलिस ने अनेक कदम उठाए हैं।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

**गुजरात में टेलीफोन कनेक्शन**

**1790. डा. अमृतलाल कालिदास पटेल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में ऐसे कितने मामले हैं जहां टेलीफोन कनेक्शनों को मंजूरी दे दी गई है तथा ओ.बी. नम्बर जारी कर दिए गए हैं किन्तु अब तक कनेक्शन दिए नहीं गए हैं, जिला-वार विवरण दें;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन मामलों को कब तक निपटा दिया जाएगा ?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम)** : (क) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) बाह्य संयंत्र की अनुपलब्धता के कारण और उपभोक्ता से संबंधित कारणों से टेलीफोन कनेक्शन प्रदान नहीं किए जा सके।

(ग) सभी विचाराधीन मामले मार्च, 1996 तक निपटा दिए जाएंगे।

**विवरण**

**31.10.1995 तक की स्थिति के अनुसार विचाराधीन बड़े नए टेलीफोन कनेक्शनों की ओ.बी.**

| 1 | जिले का नाम | लंबित ओ.बी.कीसंख्या |
|---|---|---|
| 1. | अहमदाबाद | 4926 |
| 2. | बड़ौदा | 2381 |
| 3. | राजकोट | 956 |
| 4. | सूरत | 3527 |
| 5. | नडियाड | 1094 |
| 6. | मेंहसाणा | 18 |
| 7. | भावनगर | 100 |
| 8. | भुज | 20 |
| 9. | बलसाड़ | 3443 |
| 10. | जामनगर | 4 |
| 11. | जूनागढ़ | 15 |
| 12. | हिम्मतनगर | – |
| 13. | पालनपुर | 56 |
| 14. | सुरेन्द्रनगर | – |
| 15. | भड़ूंच | 145 |
| 16. | गोधरा | 8 |
| 17. | अमरेली | 19 |
| | जोड़ | 16712 |

[हिन्दी]

**घरेलू गैस कनेक्शनों के वाउचरों की वैधता बढ़ाने पर रोक**

**1791. श्री राम प्रसाद सिंह** : क्या पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम लिमिटेड के मंत्रालय द्वारा 1993-94 के दौरान निर्गमित प्राथमिकता वाले घरेलू गैस कनेक्शनों के वाउचरों की वैधता बढ़ाने पर रोक लगा दी है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार का इस रोक को हटाने का कोई विचार है; और

(घ) यदि हाँ, तो कब तक और नहीं तो इसके क्या कारण है ?

**पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा)** : (क) से (घ) जी, नहीं। एल पी जी कनेक्शन वरीयता वाउचर जारी होने के 90 दिन के अन्तर्गत ले लिया जाना चाहिए। तथापि, आवेदन पत्र विशेष पर एल पी जी कनेक्शन से संबंधित वरीयता वाउचर का पुनर्वैधीकरण प्रत्येक मामले के गुण दोष के आधार पर किया जाता है। दैनदिन पुनर्वैधीकरण से कदाचार तथा अनयिमितातायें होंगी।

[अनुवाद]

**जोराला विद्युत परियोजना**

**1792. श्री ए. वेंकटेश नायक** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क)क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने जोराला विद्युत परियोजना का स्वीकृत स्तर से दो फुट स्तर बढ़ा दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इससे कर्नाटक राज्य का हित किसी प्रकार संरक्षित किया जाएगा ?

**जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू):** (क) और (ख) आंध्र प्रदेश सरकार ने गड़वाल, महबूब नगर जिलों में बेंच मार्क के अनुसार 1045 फीट (318.516 मीटर) के पूर्ण जलाशय स्तर के साथ 11.2 हजार मिलियन घन फुट जल इकट्ठा करने के लिए जुराला परियोजना का निर्माण किया है। तथापि, रायचूर में जी टी एस बेंच मार्क के अनुसार दिनांक 7.10.95 को आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों के इंजीनियरों द्वारा किए गए संयुक्त सर्वेक्षण में आंध्र प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार जुराला परियोजना का पूर्ण जलाशय स्तर अधिक बैठता है।

(ग) चूंकि कर्नाटक में जलमग्नता का अनुमान गड़वाल में बेंच मार्क के प्रसंग में 318.516 मीटर के पूर्ण जलाशय स्तर के अनुसार लगाया गया है, अत: कर्नाटक के हितों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

### केरल में एस.डी.ओ.टी. कार्यालय

1793. **श्री के. मुरली धरन् :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कालीकट स्थित पैरम्बरा में एस.डी.ओ.टी. कार्यालय की स्थापना करने में कोई विलम्ब हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) इसकी कब तक स्थापना किए जाने की संभावना है?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) :** (क) जी नहीं। फिलहाल, विभाग के निर्धारित मानदंडों के अनुसार, पैरम्बरा में एस. डी.ओ.टी. कार्यालय की स्थापना करने का कोई औचित्य नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) हालांकि ठीक-ठीक तारीख का उल्लेख नहीं किया जा सकता है, फिर भी एस.डी.ओ.टी. कार्यालय की स्थापना मानदंडों के अनुसार औचित्य सिद्ध होने पर की जाएगी।

### नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में बम विस्फोट

1794. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजधानी के कनॉट प्लेस में 21 नवम्बर, 1995 को हुए बम विस्फोट का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बम विस्फोट की गहराई से जांच की गयी है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम रहे;

(घ) क्या किसी उग्रवादी संगठन ने इस दुखद घटना की जिम्मेदारी ली है;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या बम विस्फोट में हुए घायलों को कोई मुआवजा दिया गया है;

(छ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) दिल्ली तथा देश के अन्य भागों में सुरक्षा व्यवस्थाओं को मजबूत करने हेतु किये गये उपायों का ब्यौरा क्या है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एम. कामसन) :** (क) से (ग) 21 नवम्बर 1995 को करीब 1930 बजे नई दिल्ली में दिल्ली दरबार रेस्तरां के सामने एक बम विस्फोट हुआ था। इससे 24 व्यक्ति घायल हुए, 13 वाहन (जिनमें से 5 वाहन बुरी तरह) क्षतिग्रस्त हुए, 22 दुकानों की खिड़कियों के शीशे टूट गए तथा 11 दुकानें बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। घायल व्यक्तियों को तुरन्त अस्पताल ले जाया गया। आवश्यक चिकित्सा उपचार के बाद उनमें से अधिकांश को उसी दिन तथा शेष को अगले दिन छुट्टी दे दी गई।

दिनांक 21.11.95 को भारतीय दंड संहिता की धारा 307/427 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3/4/5 तथा सार्वजनिक सम्पत्ति का नुकसान से बचाव अधिनियम की धारा 3 के अधीन एक मामला दर्ज किया गया। जांच पड़ताल से पता चला है कि विस्फोटक पदार्थ, एक कि.ग्रा. के टिन के कनस्तर में पैक था, उस टिन पर, "विरका" का लेबल था तथा इसे एक टाइमिंग डिवाईस द्वारा संचालित किया गया था। 22.11.95 को अपराध शाखा के अधिकारियों द्वारा घटनास्थल की पुन: और सम्पूर्ण तलाशी लेने पर घटनास्थल के पास सड़क के किनारे से एक 22.5 से.मी. लम्बी "पैन्सिल टाईमर डिवाईस" बरामद की गई। इसे बम्ब डिस्पोजल दस्ते द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। पाये गए विस्फोटक की जांच करने से पी.ई.टी.एन. (पैंटा एरिथ्रोलेटोल टेट्रा नाइट्रेट) नामक एवं अत्यंत विस्फोटक के होने की पुष्टि हुई। दिल्ली पुलिस द्वारा जांच पड़ताल के अलावा, अन्य कोई जांच नहीं की गई है।

(घ) और (ङ) जम्मू और कश्मीर इस्लामिक फ्रंट ने 21.11.95 को हुए इस विस्फोट की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है। तीन दिनों के बाद, खालिस्तान लिबरेशन टाईगर फोर्स ने भी उपर्युक्त विस्फोट की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने का दावा किया था।

(च) और (छ) जी हाँ, श्रीमान। दिल्ली के उप-राज्यपाल ने घायल हुए सभी 24 व्यक्तियों के लिए 3,000/- रुपये प्रत्येक की दर से अनुग्रह राहत राशि स्वीकृत की है। सभी 24 व्यक्तियों से 4.12.95 को अनुरोध किया गया था। कि वे पुलिस उपायुक्त, दिल्ली के कार्यालय से अपने-अपने चैक ले लें।

(ज) भविष्य में इस प्रकार के बम विस्फोटों को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं : -

(i) भीड़-भाड़ वाले विभिन्न सार्वजनिक स्थानों, जैसे कि रेलवे स्टेशनों हवाई अड्डों, अन्तर राज्य बस अड्डा प्रमुख पूजा स्थलों पर विस्फोट निरोधी सावधानियां बरती जा रही हैं।

(ii) चौकसी बढ़ा दी गई है।

(iii) मीडिया के माध्यम से जनता के लिए जन जागरण अभियान आयोजित किए गए हैं ताकि वे लावारिस/अवांछित सामान के प्रति सावधान रहें और किसी संदिग्ध सामग्री के पाये जाने पर शीघ्रता से पुलिस को सूचित करें।

(iv) मार्केट एसोसियशनों और आवासीय एसोसियशनों से बाजार में और रिहायशी क्षेत्रों में लगातार संदिग्ध दीखने वाली वस्तुओं के प्रति लगातार चौकसी बरतने को कहा गया है।

## पुलिस के विरूद्ध शिकायतें

**1795. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आम जनता में दिल्ली पुलिस के विरूद्ध अक्षमता और भ्रष्टाचार की शिकायतें दर्ज करायी है;

(ख) यदि हाँ, तो दिल्ली पुलिस संगठन में ठोस सुधार लाने के लिए सरकार का क्या कठोर कदम उठाने का विचार है ताकि लोग दिल्ली पुलिस के व्यवहार व उनके द्वारा प्रदत्त सेवा में परिवर्तन महसूस कर सकें;

(ग) पहले दिये गये ऐसे आश्वासनों के संतोषजनक परिणाम न मिलने के क्या कारण हैं; और

(घ) पिछले 12 महीनों के दौरान कितने पुलिसकर्मी अवांछित कार्यों में संलिप्त पाये गये, इन अवांछित कार्यों का ब्यौरा क्या है और उनके विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एम. कामसन) :** (क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) और (ग) अपराध में पुलिसकर्मियों की संलिप्ता को रोकने और इसमें जनता का विश्वास पैदा करने के लिए दिल्ली पुलिस उन सभी मामलों, जिनमें कि पुलिसकर्मी अपराध में संलिप्त पाए जाते हैं, मैं अनुशासनात्मक कार्यवाही सहित निवारक कार्रवाही करती रही है। पुलिसकर्मियों में अपेक्षित व्यवहार संबंधी परिवर्तन लाने के लिए दिल्ली पुलिस "प्रारम्भिक प्रशिक्षण" तथा "पुनश्चर्या पाठ्यक्रम" दोनों के लिए ही प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में संशोधन कर रही है। संपर्क सभाओं के जरिए, बल के सदस्यों को वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा ब्रीफिंग भी दी जाती है। वरिष्ठ अधिकारियों तक जनता की पहुंच होने पर जोर दिया जा रहा है। संदिग्ध निष्ठा वाले पुलिसकर्मियों के आचरण पर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार की सतर्कता शाखा और भ्रष्टाचार निरोधक शाखा द्वारा कड़ी नजर रखी जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों वाली एक उच्चाधिकार प्राप्त निरीक्षण टीम, जनता के साथ पुलिसकर्मियों के दुर्व्यव्यवहार को रोकने के लिए अचानक जांच करती है। हर गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी के बारे में अपने संबंधियों अथवा मित्रें को सूचित करने के लिए थाने के टेलीफोन का प्रयोग करने की अनुमति है। एक केन्द्रीय जांच टीम चौबीस घण्टे कार्य करती है। और यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी को अवैध रूप से निरूद्ध न रखा जाए, थानों/पुलिस चौकियों का अचानक दौरा करती है। गलती करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ की गई कार्रवाई से आमतौर पर संतोषप्रद परिणाम निकले हैं।

(घ) सूचना संलग्न विवरण में दी गई हैं।

**विवरण**

| दर्ज मामलों की संख्या | संलिप्त पुलिस कर्मियों की कुल संख्या | अवांछनीय गतिविधियों की प्रकृति | | | | | की गई कार्रवाई | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | हत्या | हत्या का प्रयास | लूटपाट | बलात्कार | भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम | धोखाधड़ी/ विविध चोरी | जिनके खिलाफ विभागीय जांच चल रही है | जिनके खिलाफ विभागीय जांच पूरी रही हैं। | निलम्बित कार्मिक |
| 138 | 164 | 4 | 4 | 8 | 6 | 23 | 6 | 88 | 52 | बर्खास्त-5<br>सेवा -1<br>अमान्य<br>कुल 6 | 104 |

**नोट :** (i) एक विविध मामले में संसलिप्त एक पुलिस अधिकारी को दोषमुक्त कर दिया गया है।

(ii) एक पुलिस अधिकारी के खिलाफ एक विविध मामला वापस ले लिया गया है।

[हिन्दी]

## राजस्थान में टेलीफोन

1796. **प्रो. रासा सिंह रावत :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने राजस्थान में दूरसंचार प्रणाली में तीव्रता लाने उसका विस्तार करने, उसे प्रभावी बनाने तथा उपयोगकर्त्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिए विगत एक वर्ष के दौरान कितना धन दिया और उनका वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उपरोक्त राज्य में राज्य-वार तथा श्रेणी-वार प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों की संख्या क्या है;

(ग) इस प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों को कब तक कनेक्शन दे दिए जायेंगे; और

(घ) टेलीफोन उपयोगकर्त्ताओं की निरन्तर बढ़ती हुए शिकायतों को दूर करने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं ?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) :** (क) राजस्थान सर्किल के पूंजीगत कार्यों के लिए 1994-95 में 310.03 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे।

(2) 1994-95 में राजस्थान सर्किल के अनुरक्षण कार्यों को करने के लिए 12.29 करोड़ रुपये आबंटित किए गए थे।

(ख) राजस्थान सर्किल में 31.10.1995 की स्थिति के अनुसार, जिलावार और श्रेणीवार प्रतीक्षा-सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) 1995-96 में राजस्थान सर्किल के लिए 1,47,820 सीधी एक्सचेंज लाइनें उपलब्ध कराने का लक्ष्य नियत किया गया है। इससे इस प्रतीक्षा सूची के बहुत से आवेदकों का निपटान हो जाएगा। फिर भी, 1994 में घोषित राष्ट्रीय दूरसंचार नीति में मांग किए जाने पर 1997 तक सारे देश में टेलीफोन उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है।

(घ) अभिदाताओं की शिकायतों को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :

1. खुले तार के स्थान पर भूमिगत केबिल डाले जा रहे हैं।
2. अधिक विश्वसनीयता के लिए जंक्शन नेटवर्क में शीघ्रता से ओ एफसी केबिल का उपयोग किया जा रहा है।
3. दोष मरम्मत सेवाओं का कम्प्यूटरीकरण।

### विवरण

**31.10.1995 को राजस्थान सर्किल में जिलावार और श्रेणीवार प्रतीक्षा सूची**

| क्र.सं. | जिले का नाम | प्रतीक्षा सूची | | |
|---|---|---|---|---|
| | | ओवाईटी | एनओवाईटी | एनओवाईटी |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | अजमेर | 52 | 81 | 10012 |
| 2. | अलवर | 162 | 192 | 7164 |
| 3. | बंसवारा | 8 | 37 | 1063 |
| 4. | बरन | - | 18 | 537 |
| 5. | बाडमेर | 12 | 15 | 1898 |
| 6. | भरतपुर | 39 | 24 | 1907 |
| 7. | भीलवाड़ा | 171 | 95 | 5369 |
| 8. | बीकानेर | 4 | 68 | 5000 |
| 9. | बूंदी | - | - | 690 |
| 10. | चित्तौड़गढ़ | 11 | 28 | 179 |
| 11. | चुरू | 4 | 5 | 2509 |
| 12. | दौसा | - | 1 | 899 |
| 13. | धौलपुर | 2 | - | 419 |
| 14. | डुंगरपुर | - | - | 820 |
| 15. | हनुमानगढ़ | 12 | 27 | 2387 |
| 16. | जयपुर | 1011 | 2453 | 64880 |
| 17. | जैसलमेर | 5 | - | 567 |
| 18. | जालौर | 4 | - | 1153 |
| 19 | झालावार | - | - | 225 |
| 20. | झुनझुनू | 4 | 37 | 3233 |
| 21. | जोधपुर | 102 | 819 | 15100 |
| 22. | कोटा | - | 81 | 10021 |
| 23. | नागौर | 171 | 85 | 3727 |
| 24. | पाली | 3 | 25 | 5407 |
| 25. | राजसमंद | 6 | 7 | 1370 |
| 26. | सवाई माधोपुर | 3 | - | 1916 |
| 27. | सिकर | 5 | 9 | 4186 |
| 28. | सिरोही | 5 | 2 | 1194 |
| 29. | श्रीगंगानगर | 6 | 7 | 4713 |
| 30. | टोंक | - | 7 | 660 |
| 31. | उदयपुर | 16 | 62 | 8450 |

[अनुवाद]

## नौकिया

1797. **श्री सनत कुमार मण्डल :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिनलैण्ड की बहुराष्ट्रीय कम्पनी "नौकिया" ग्रुप के प्रेजीडेन्ट ने भारत में चल टेलीफोन के निर्माण हेतु संयंत्र की स्थापना के लिए संभाव्यता अध्ययन हेतु हाल ही में राजधानी का दौरा किया था ; और

(ख) यदि हाँ, तो "नौकिया" द्वारा भारत में अपनी निर्णय इकाई की स्थापना करने के लिए कितना निवेश किया जाएगा और यह संयंत्र को कहां पर स्थापित किया जाएगा ?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) :** (क) और (ख) अभी हाल ही में फिनलैण्ड के "नौकिया" ग्रुप के अध्यक्ष ने नई दिल्ली

का दौरा किया, और विभिन्न सरकारी अधिकारियों से मिले।

मैसर्स नौकिया ने 10 वर्ष की अवधि के लिए 10 मिलियन यू एस डालर के इक्विटी निवेश के द्वारा सैलुलर सचल फोनों और पैजर्स के निर्माण हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। कपंनी ने अभी तक परियोजना का स्थान नहीं दर्शाया है।

**अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए विद्यालय**

**1798. श्री ए. इन्द्रकरन रेड्डी :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रतिभाशाली छात्रों के विकास हेतु देश में कोई विद्यालय है;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त विद्यालय राज्य-वार एवं संघ राज्य क्षेत्र-वार कहां-कहां स्थित है; और

(ग) इन विद्यालयों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने छात्रों को विशेष शिक्षा प्रदान की गई और अब तक रजिस्टर में कितने छात्रों के नाम दर्ज है ?

**कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) :** (क) कल्याण मंत्रालय अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति छात्रों की प्रतिभा उन्नयन सम्बन्धी एक केन्द्र प्रायोजित योजना का संचालन 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता से कर रहा है। इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों की शैक्षिक कमियों को दूर करते हुए उन्हें आवासीय विद्यालयों में शिक्षा प्रदान करके, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में उनके प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करके ताकि उच्चतर पाठ्यक्रमों तथा वरिष्ठ प्रशासनिक, तकनीकी व्यवसायों में प्रवेश के लिए वे अन्य छात्रों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें, साथ ही उनमें आत्मविश्वास और आत्म-निर्भरता का सृजन करने और उनके सर्वांगीण विकास के लिए सुविधाएं प्रदान करते हुए उनकी प्रतिभा का विकास करना है। चुने हुए स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक कोचिंग प्रदान की जाती है।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**"एक घर आस पास" धारावाहिक का निर्माण**

**1799. श्री दाऊ दयाल जोशी :** क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दूरदर्शन ने विकलांगों की समस्याओं से अवगत कराने हेतु धारावाहिक "एक घर आस पास" के और एपीसोडों के निर्माण की स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त धारावाहिक के स्वीकृत एपीसोडों की संख्या क्या है तथा वर्तमान एपीसोड के निर्माता का नाम क्या है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद):** (क) और (ख) 1993 में प्रसारित इस धारावाहिक के निर्माता ने अप्रैल, 1994 में 13 अन्य प्रकरणों के लिए किए गए दूरदर्शन के प्रस्ताव का कोई जवाब नहीं दिया।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

**विकलांग छात्रों को वित्तीय सहायता**

**1800. श्री ललित उरांव :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा विकलांग छात्रों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) विकलांग छात्रों के कल्याण के लिए कौन-कौन सी विशिष्ट योजनाएं लागू की गई है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में अब तक विकलांग छात्रों के कल्याण के लिए राज्य सरकारों और स्वैच्छिक संगठनों को कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई ?

**कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) :** (क) और (ख) कल्याण मंत्रालय, विकलांग छात्रों सहित सभी श्रेणियों के विकलांग व्यक्तियों की शिक्षा, प्रशिक्षण स्थापन और पुनर्वास के लिए स्वैच्छिक संगठनों को निम्नलिखित योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

1. विकलांग व्यक्तियों के संगठनों को सहायता
2. सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों की सहायता।
3. विशेष स्कूलों की स्थापना हेतु संगठनों को सहायता।

(ग) राज्य सरकार की सिफारिश प्राप्त करने के बाद यह सहायता सीधे ही स्वयंसेवी संगठन को प्रदान की जाती है। पिछले तीन वर्षों में और चालू वर्ष के दौरान प्रदान किए गए अनुदानों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

**विवरण**

(रुपए करोड़ रुपए में)

| क्रम सं. | वर्ष | स्वयंसेवी संगठनों को प्रदान की गई धनराशि |
|---|---|---|
| 1. | 1992-93 | 16.83 |
| 2. | 1993-94 | 19.82 |
| 3. | 1994-95 | 31.98 |
| 4. | 1995-96 | 11.82 (30.9.95 तक) |

**पेट्रोल के खुदरा विक्रय केन्द्र**

**1801. श्री महेश कनोडिया :** क्या पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में बिना बारी के आधार पर पेट्रोल के कितने खुदरा विक्रय केन्द्र स्वीकृत किए गए;

(ख) ऐसे आबंटनों के निर्धारित मानदंड क्या है; और

(ग) बिना बारी के आधार पर पेट्रोल पम्पों के आबंटियों को ब्यौरा क्या है ?

**पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा)** : (क) से (ग) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में दो खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपें श्री पी आर गोहिल तथा श्रीमती कान्ता वर्मा के पक्ष में अनुकंपा आधार पर आबंटित की गई थी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने रि.या.सं. 886/93 में अपने दिनांक 31 मार्च, 1995 के आदेश के अन्तर्गत अनुकंपा आधार पर डीलरशिपों/डिस्ट्री-ब्यूटरशिपों के आबंटन के संबंध में दिशानिर्देश अनुमोदित किए थे जो विवरण के रूप में संलग्न हैं।

विवरण

**अनुकंपा आधार पर डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के विवेकाधीन आबंटनों के संबंध में सरकार द्वारा 3 अप्रैल, 1995 से निम्नांकित दिशानिर्देशों का अनुसरण किया जा रहा है :** -

(1) ऐसे व्यक्ति का आश्रित जिसने देश के लिए उच्चतम बलिदान किया हो, परन्तु जिसका अब तक समुचित रूप से पुनर्वासन नहीं किया गया है।

(2) ऐसे परिवार के सदस्य जो आतंकवादी आक्रमण, भूकंप, बाढ़ आदि जैसी अप्रत्याशित परिस्थितियों का शिकार हुआ हो।

(3) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति।

(4) ड्यूटी के दौरान स्थाई रूप से अपंग हुए रक्षा/अर्ध सैनिक/पुलिस कार्मिक/अन्य केन्द्रीय/राज्य सरकार के कर्मचारी।

(5) असामान्य परिस्थितियों में अपने प्राण गंवाने वालों के निकटतम संबंधी अर्थात् विधवा, माता पिता, बच्चे।

(6) कठिन परिस्थितियों में रह रहे उत्कृष्ट खिलाड़ियों, संगीतकारों, साहित्यकारों आदि जैसे विशिष्ट व्यवसाय में ख्याति प्राप्त व्यक्ति और उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त महिलायें।

(7) बेहद दुख-तकलीफ विशिष्ट मामले, जो सरकारी की राय में अत्यन्त मार्मिक है और किसी उल्लिखित समय पर मामले की विशेष परिस्थितियों को देखते हुए जिन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए।

(8) विवेकाधीन आबंटनों की संख्या सामान्य रूप से औसत वार्षिक विपणन योजना के 10 प्रतिशत से अधीक नहीं होनी चाहिए, जिसमें से पेट्रोलियम उत्पादों के लिए खुदरा बिक्री केन्द्रों के आबंटन सामान्य रूप से पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

विवेकाधीन आबंटन किसी भी उम्मीदवार को निम्नलिखित सामान्य शर्तों के अधीन दिये जाएंगे : -

(1) वह भारत का/कि नागरिक होना/होनी चाहिए।

(2) उसके अथवा निम्न निकट संबंधियों (सौतेले संबंधियों सहित) के पास पहले से ही किसी तेल कम्पनी के पेट्रोलियम उत्पादों की डीलरशिप नहीं होनी चाहिए।

(1) पति/पत्नी

(2) पिता/माता

(3) भाई

(4) पुत्र/पुत्रवधु

[अनुवाद]

स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता

1802. **श्री सुरेन्द्रपाल पाठक** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में स्वयंसेवी संगठनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कल्याण कार्यक्रमों के लिए उत्तर प्रदेश में उन्हें कितनी केन्द्रीय वित्तीय सहायता दी गयी;

(ग) क्या इन संगठनों ने केन्द्र सरकार को अपने लेखे प्रस्तुत कर दिए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंग्का बालू)** : (क) और (ख) विवरण में संलग्न है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.-8409/95]

(ग) और (घ) जी, हाँ। स्वैच्छिक संगठन कल्याण मंत्रालय को आवधिक रिपोर्टें, आय एवं व्यय के लेखा परीक्षित विवरण, भुगतान एवं प्राप्ति तथा तुलन-पत्र और उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रत्येक वर्ष भेज रहे हैं। सामान्यत: वार्षिक सहायतानुदान के दूसरी किस्त की निर्मुक्ति प्रगति रिपोर्टों तथा लेखा परीक्षित लेखा खातों के संतोषजनक मूल्यांकन के बाद की जाती है। लेखा खाते प्रस्तुत न करने वाले गैर-सरकारी संगठनों को दूसरी किस्त की निर्मुक्ति नहीं की जाती।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में टेलीफोन सेवा

1803. **श्री अर्जुन सिंह यादव** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में जिला स्तर और ग्रामीण स्तर पर साधारणतया टेलीफोन खराब रहते हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत इलेक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंजों की कुल संख्या का जिलेवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्य के प्रत्येक गांव में कब तक टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध करा दिए जायेंगे कि तथा टेलीफोन सेवा में व्यापक सुधार लाने के लिए कौन-कौन सी योजनाएं चलायी गयी हैं ?

**संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुखराम)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत इलैक्ट्रॉनिक टेलीफोन एक्सचेंजों की जिला-वार कुल संख्या संलग्न विवरण-I और विवरण-II में दी गई है।

(घ) सरकार ने वर्ष 1994 के दौरान राष्ट्रीय दूरसंचार नीति अपनाई है जिसमें वर्ष 1997 तक उत्तर प्रदेश सहित देश के सभी गांवों में सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।

टेलीफोन प्रणाली में समग्र रूप से सुधार लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं : -

(i) नए इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंजो का पुन: स्थापना।

(ii) पुराने तथा मियाद समाप्त इलैक्ट्रोमैकेनिकल एक्सचेंजें को बंद करना।

(iii) अत: एक्सचेंज जक्शनों के लिए ऑप्टिकल फाइबर और डिजिटल माइक्रोवेव प्रणालियों की पुन: स्थापना।

(iv) वाह्य संयंत्र का उन्नयन।

(v) विभिन्न सेवाओं का कम्प्यूटरीकरण।

(vi) बेहतर ग्राहक अंत: संपर्क।

**विवरण - I**

| क्र.सं. | उत्तर प्रदेश (पूर्व) जिलों का नाम | ग्रामीण क्षेत्र में इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेजों की कुल संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | इलाहाबाद | 34 |
| 2. | आजमगढ़ | 27 |
| 3. | बहराइच | 18 |
| 4. | बलिया | 16 |
| 5. | बांदा | 19 |
| 6. | बराबंकी | 18 |
| 7. | बस्ती | 16 |
| 8. | भदोई | 11 |
| 9. | देवरिया | 11 |
| 10. | इटावा | 5 |
| 11. | फैजाबाद | 31 |
| 12. | फरूखाबाद | 6 |
| 13. | फतेहपुर | 9 |
| 14. | गाजीपुर | 14 |
| 15. | गोण्डा | 18 |
| 16. | गोरखपुर | 22 |
| 17. | हमीरपुर | 5 |
| 18. | हरदोई | 5 |
| 19. | जालौन | 3 |
| 20. | झांसी | 2 |
| 21. | कानपुर | 17 |
| 22. | लखीमपुर | 24 |
| 23. | ललितिपुर | 10 |
| 24. | लखनऊ | 11 |
| 25. | महाराजगंज | 13 |
| 26. | महोबा | 4 |
| 27. | मैनपुरी | 4 |
| 28. | मऊनाथ भंजन | 13 |
| 29. | मिर्जापुर | 13 |
| 30. | पडरौना | 15 |
| 31. | प्रतापगढ़ | 16 |
| 32. | राय बरेली | 12 |
| 33. | शाहजहॉपुर | 11 |
| 34. | सिद्धार्थनगर | 7 |
| 35. | सीतापुर | 10 |
| 36. | सोनभद्र | 8 |
| 37. | सुल्तानपुर | 22 |
| 38. | उन्नाव | 16 |
| 39. | वाराणसी | 30 |
| 40. | जौनपुर | 20 |
| | कुल | 566 |

**विवरण - II**

| क्र.सं. | उत्तर प्रदेश (पश्चिम) जिलों के नाम | ग्रामीण क्षेत्रों में इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंजो की कुल संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | गाजियाबाद | 42 |
| 2. | बुलन्दशहर | |
| 3. | आगरा | 32 |
| 4. | देहरादून | 13 |
| 5. | मेरठ | 29 |
| 6. | मुजफ्फरनगर | 22 |
| 7. | सहारनपुर | 28 |
| 8. | हरिद्वार | |
| 9. | मुरादाबाद | 25 |
| 10. | अलीगढ़ | 31 |
| 11. | बरेली | 18 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 12. | मैनपुरी नैनीताल | 40 |
| 13. | मथुरा | 48 |
| 14. | अल्मोड़ा | |
| 15. | पिथौरागढ़ | 48 |
| 16. | श्रीनगर गढ़वाल (पौढ़ी, टिहरी, उत्तर काशी, चमरेली) | 93 |
| 17. | रामपुर | |
| 18. | पीलीभीत | 37 |
| 19. | बदायूं | |
| 20. | बिजनौर | 29 |
| | कुल | 535 |

[अनुवाद]

## दिल्ली में चण्डीगढ़ प्रशासन का संपर्क कार्यालय

1804. **श्री पवन कुमार बसंल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चण्डीगढ़ प्रशासन ने नई दिल्ली में अपना संपर्क कार्यालय/अतिथि गृह खोला है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) विभिन्न शीर्षो के अन्तर्गत अब तक इस पर कितनी धनराशि व्यय की जा चुकी है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एम. कामसन)** : (क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) सम्पर्क कार्यालय/अतिथि गृह की स्थापना, राजधानी में केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के साथ सम्पर्क में मदद के साथ-साथ आवश्यकता पड़ने पर, दौरे पर आए अधिकारियों को आवास उपलब्ध कराने के लिए पिछले वर्ष की गई है।

(ग) कुल 12,56,920/-रुपये खर्च किए गए हैं जिसमें से 5,94,498/- रुपये बजट शीर्ष 2059 (जन सेवाएं) के अधीन तथा 86,034/- रुपये बजट शीर्ष 2070 (अन्य प्रशासनिक सेवाएं) के अंतर्गत खर्च किए गए और 5,76,388/- रुपये की राशि चंडीगढ़, औद्योगिक पर्यटन विकास निगम द्वारा खर्च किए गए हैं।

## दिल्ली दूरदर्शन पर उड़िया फिल्में

1805. **श्री गोपी नाथ गजपति** : क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान अब तक दिल्ली दूरदर्शन पर विभिन्न चैनलों और विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत दिखायी गई उड़िया फिल्मों के नाम और संख्या क्या है;

(ख) उन फिल्मों के निर्माण के वर्ष और उन्हें दिखाये जाने का औचित्य क्या था;

(ग) क्या दूरदर्शन द्वारा नई और आधुनिक फिल्में दिखाई जाती हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

**सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद)**: (क) और (ख) अपेक्षित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी हाँ।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

**विवरण**

| क्रम संख्या | फिल्म का नाम | निर्माण वर्ष |
|---|---|---|
| 1. | बुलेई हुएना | 1987 |
| 2. | कुरूक्षेत्र | 1988 |
| 3. | क्लान्त अपरन्हा | 1985 |
| 4. | का | 1965 |
| 5. | छमणा अवगुन्या | 1986 |
| 6. | भूखा | 1989 |
| 7. | तारा | 1991 |
| 8. | बधु, निरूपमा | 1987 |
| 9. | अग्नि वीणा | 1990 |
| 10. | पल दमयन्ति | 1977 |
| 11. | तपस्या | 1980 |
| 12. | बसन्त रस | 1984 |
| 13. | प्रतिध्वनि | 1984 |
| 14. | लक्ष्मी | 1962 |
| 15. | धारे आलुआ | 1963 |
| 16. | सस्ती | 1989 |
| 17. | एक संघर्ष | 1990 |
| 18. | तो बिनो अन्य गति नाहीं | 1991 |

ये फिल्में इसलिए प्रसारित की गई क्योंकि ये क्षेत्रीय भाषा फीचर फिल्मों के प्रसारण हेतु उद्दिष्ट दूरदर्शन के राष्ट्रीय नेटवर्क पर रविवार के अपराह्न स्लाट हेतु निर्धारित पात्रता मानदण्डों को पूरा करती थी।

## सफाई कर्मचारियों का पुर्नवास

1806. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सफाई कर्मचारियों के लिए बनाए गए राष्ट्रीय आयोग के गठन का स्वरूप क्या है तथा चालू वर्ष के लिए उन्हें कितना बजट आबंटित किया गया है;

(ख) सफाई कर्मचारियों के पुनर्वास के लिए चालू योजना परिव्यय क्या है तथा मार्च, 31.1.1995 तक राज्य-वार/संघ शासित प्रदेश सुधार कितनी राशि जारी की गई और वास्तव में कितनी व्यय की गई; और

(ग) देश में सफाई कर्मचारी परिवारों की अनुमानित संख्या कितनी है तथा 1 अप्रैल, 1991 तक इनमें से कुल कितने परिवारों को पुनर्वासित किया जा चुका है ?

**कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी)** : (क) आयोग में निम्नलिखित व्यक्ति हैं :

1. श्री मांगी लाल आर्य (अध्यक्ष)
2. श्री आई.पी.डी. सलप्पा (उपाध्यक्ष)
3. श्री वासुदेव राव चांगरे (सदस्य)
4. श्री मंगल राम प्रेमी (सदस्य)
5. श्री ईश्वर भाई पटेल (सदस्य)
6. श्रीमति माया देवी (सदस्य)
7. श्री हनुमान प्रसाद (सदस्य)

वर्ष 1995-96 के लिए 55 लाख रूपए का बजट है।

(ख) चालू आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992-97 के अंतर्गत कल्याण मंत्रालय ने 454 करोड़ रूपए का परिव्यय किया है। जबकि वर्ष 1995-96 के लिए बजट आकलन 80.00 करोड़ रूपए का है। 31 मार्च, 1995 तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार व्यय के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) सम्पूर्ण देश में पहचान किए गए सफाई कर्मचारियों की संख्या 7,77,34 है तथा 1 अप्रैल, 1991 से 31.3.1995 तक पुनर्वासित सफाई कर्मचारियों की संख्या 2,04,809 है।

**विवरण**

(रुपए करोड़ में)

| क्र. सं. | राज्य का नाम | 1992-93 | | 1993-94 | | 1994-95 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | निर्मुक्त निधियां | व्यय | निर्मुक्त निधियां | व्यय | निर्मुक्त निधियां | व्यय |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 2.55 | 1.65 | 4.59 | शून्य | 0.625 | उपलब्ध नहीं |
| 2. | असम | 2.02 | - | - | - | - | |
| 3. | बिहार | 3.13 | - | - | - | - | |
| 4. | गुजरात | 1.86 | 0.79 | 2.00 | - | - | - |
| 5. | हरियाणा | 1.76 | - | 7.14 | पुनर्वैधित | - | - |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 2.53 | 0.08 | सी ए देय नहीं | 0.15 | - | - |
| 7. | जम्मू तथा कश्मीर | 1.00 | - | वहीं | पुनर्वैधित | - | - |
| 8. | कर्नाटक | 3.99 | - | वहीं | 3.99 | - | - |
| 9. | केरल | 0.30 | 0.08 | वही | - | - | 0.13 |
| 10. | मध्य प्रदेश | 13.35 | 8.18 | 12.28 | 11.59 | 15.89 | 17.96 |
| 11. | महाराष्ट्र | 6.59 | 2.15 | 3.76 | 1.90 | 5.00 | 3.99 |
| 12. | उड़ीसा | 0.58 | 0.09 | 1.19 | 1.25 | - | - |
| 13. | पंजाब | 0.58 | 0.03 | देय नहीं | - | - | 0.41 |
| 14. | राजस्थान | 1.01 | 0.25 | 2.27 | 0.82 | - | उपलब्ध नहीं |
| 15. | तमिलनाडु | 0.80 | - | देय नहीं | - | 2.44 | पुनर्वैधित |
| 16. | उत्तर प्रदेश | 14.94 | 5.05 | 37.63 | 8.75 | 45.05 | 35.0 |
| 17. | पश्चिम बंगाल | 3.83 | - | - | - | - | उपलब्ध नहीं |
| 18. | दिल्ली | 0.05 | 0.58 | सी ए देय नहीं | - | - | - |
| 19. | पांडिचेरी | 0.05 | 0.03 | - | - | - | - |
| 20. | नागालैण्ड | - | - | 011 | - | - | - |

**निर्धनों का सामाजिक आर्थिक विकास**

**1807. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस के अवसर परा प्रधान मंत्री द्वारा घोषित की गई निर्धन लोगों और बच्चों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए है; और

(ख) आठवीं और नौवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसके क्रमबद्ध कार्यान्वयन के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

**योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्यवन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव) :** (क) और (ख) प्रधान मंत्री ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर गरीबों और बच्चों के लिए चार सामाजिक आर्थिक विकास स्कीमों की घोषण की थी। ये स्कीमें है। : राष्ट्रीय समाजिक सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी.) ग्रामीण समूह जीवन बीमा स्कीम (आर.सीएल.आई.एस), प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषाहार समर्थन का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन.पी.-एन.एस.पी.ई) और इन्दिरा महिला योजना (आई.एम.वाई.)

एन.एस.ए.पी. में तीन अलग-अलग घटक हैं, अर्थात् (i) राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम, (ii) राष्ट्रीय परिवार लाभ स्कीम, (iii) राष्ट्रीय प्रसूति लाभ स्कीम। यह स्कीम पंचायत/नगर पालिका स्तरीय कार्यकर्ताओं के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। चालू वर्ष 550 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। अब तक, 22 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनकी पहली किश्त आबंटित कर दी गई है, शेष राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को शीघ्र ही आबंटन किया जाएगा।

आर.जी.एल.आई.एस. के अंतर्गत इसके सदस्यों को 60 रुपये (आयु वर्ग 20-40 वर्ष) अथवा 70 रुपये (आयु वर्ग 40-50 वर्ष) के वार्षिक प्रीमियम के भुगतान पर, जो प्रवेश के समय आयु वर्ग पर निर्भर करता है, 5000 रुपये की जीवन सुरक्षा की व्यवस्था है। प्रवेश 20-50 वर्ष की आयु तक सीमित है तथा निकास की आयु 60 वर्ष है। यह स्कीम पंचायतों के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। चालू वर्ष के लिए दो करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। अब तक 9 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने यह स्कीम कार्यान्वित की है। 31 अक्तूबर, 1995 तक आर.जी.एल.आई.एस. के तहत 3498 व्यक्ति कवर किए गए हैं। आशा है कि वर्ष 1996-97 के दौरान इस स्कीम के तहत सभी राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें शामिल हो जाएंगी।

एन.पी.-एन.एस.पी.ई. कास उद्देश्य दाखिले में वृद्धि करके, बच्चों को स्कूलों में बनाए रख कर और उपस्थिति द्वारा तथा साथ ही साथ प्राइमरी कक्षाओं में छात्रों के पोषाहार पर ध्यान देते हुए, प्राइमरी शिक्षा के सार्वभौमीकरण को बढ़ावा देना है। इस कार्यक्रम में 1995-96 से आरम्भ करते हुए एक चरणबद्ध रूप से देश में सभी सरकारी, स्थानीय निकायों और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में प्राइमरी कक्षाओं (I से V) के सभी विद्यार्थियों को शामिल कर लिया जाएगा। 1995-96 में सुधरी हुई सार्वजनिक वितरण प्रणाली (आर. पी. डी. एस.)/रोजगार आश्वासन स्कीम (ई.ए.एस.) के सभी ब्लाको को शामिल कर लिया जाएगा। पंजाब जैसे राज्यों में, जहां आर.पी.डी./ई.ए.एस. ब्लाक नहीं हैं। निम्न महिला साक्षरता (एल.एफ.एल.) वाले ब्लॉकों के बच्चों को शामिल किया जाएगा। 1996-97 में इस कार्यक्रम का शेष एल.एफ. एल. ब्लाकों तक विस्तार किया जाएगा। इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने वाली एजेन्सियां अर्थात स्थानीय निकाय, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं जैसे प्राधिकरणों से आशा की जाती है कि स्थानीय क्षेत्र में इस कार्यक्रम के आरम्भ होने की तारीख से दो वर्ष के अवधि के भीतर पका हुआ/प्रसाधित खाना उपलब्ध कराने के लिए संस्थागत प्रबन्ध विकसित करेगी। बीच की अवधि के दौरान प्राथमिक कक्षाओं में न्यूनतम 80 प्रतिशत उपस्थिति होने पर सभी छात्रों को तीन किलोग्राम प्रति छात्र प्रतिमास की दर से खाद्यान्न (गेहू अथवा चावल) वितरित किया जा सकता है। प्राथमिक कक्षाओं के नामांकन के आधार पर 15 अगस्त से 31 दिसम्बर, 1995 तक की अवधि के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 1,63,680.57 मिट्रिक टन गेहूं और 2,66,263.07 मिट्रिक टन चावल आबंटित किए गए हैं। 1995-96 के लिए 611.79 करोड़ रुपये का बजट प्रावधन किया गया है।

इंदिरा महिला योजना (आई.एम.वाई.) तीन बुनियादी घटकों अर्थात् जागरूकता सृजन, आय सृजन और सेवाओं के बेहतर अनुपालन करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। यह स्कीम एक प्रायोगिक आधार पर देश के 200 ब्लॉकों में क्रियान्वित की जायेगी। सत्रह राज्यों के उन ब्लॉकों का पहले ही पता लगा लिया है, जहां इस स्कीम को कार्यान्वित किया जाना है। चालू वर्ष में आई.एम.वाई के लिए 12 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों को आबंटन की 25 प्रतिशत राशि पहले ही जारी कर चुकी है।

ये स्कीमें आठवीं योजना के अन्तिम वर्ष अर्थात् 1996-97 में जारी रहेगी। नवीं योजना अभी तैयार की जानी है।

[हिन्दी]

**नाबालिग लड़कियों से बलात्कार**

**1808. श्री सुकदेव पासवान :**
**श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरान दिल्ली तथा अन्य राज्यों में नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार की कितनी घटनाएं हुई; और

(ख) बाल शोषण और बलात्कार से जुड़े कानून में संशोधन करने तथा ऐसे मामलों को अलग श्रेणी में पंजीकृत करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एम. कामसन) :** (क) दिल्ली में 1.1.1995 और 28.11.95 के बीच की अवधि के दौरान नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार के 210 आपराधिक मामले सूचित हुए हैं। वर्ष 1995 के दौरान देश में दिल्ली को छोड़कर दर्ज किए ऐसे मामलों की राज्यवार और संघ शासित क्षेत्रवार संख्या राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के पास उपलब्ध नहीं है। तथापि, राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में वर्ष 1991, 1992, 1993 और 1994 के दौरान दर्ज हुए ऐसे मामलों के ब्यौरे संलग्न विवरण I तथा II में दिए गए हैं।

(ख) सरकार ने बच्चों के साथ दुराचार और बलात्कार के लिए कड़े दंड का प्रावधान करते हुए समय-समय पर कानून बनाए हैं। भारतीय दंड संहिता में संशोधन के द्वारा धारा 366 क और 366 ख को शामिल किया गया है। इसके अलावा भा.द.सं. की धारा 372 और 373 में भी बच्चों के साथ दुराचार पर दंड का प्रावधान है।

विवरण - 1

| क्र.सं | राज्य/ संघ शासित क्षेत्र | 10 वर्ष से कम | 10-16 वर्ष | जोड़ | 10 वर्ष से कम | 10-16 वर्ष | जोड़ | 10 वर्ष से कम | 10-16 वर्ष | जोड़ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| राज्य | | | | | | | | | | |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 45 | 166 | 211 | 52 | 251 | 303 | 63 | 238 | 301 |
| 2. | अरूणाचल प्रदेश | 1 | 5 | 6 | 4 | 8 | 12 | 0 | 11 | 11 |
| 3. | असम | 4 | 99 | 103 | 14 | 134 | 148 | 24 | 85 | 109 |
| 4. | बिहार | 10 | 165 | 175 | 11 | 238 | 249 | 8 | 213 | 221 |
| 5. | गोवा | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 77 | 11 |
| 6. | गुजरात | 36 | 75 | 111 | 27 | 85 | 112 | 25 | 779 | 104 |
| 7. | हरियाणा | 16 | 44 | 60 | 18 | 67 | 85 | 31 | 73 | 104 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 7 | 22 | 29 | 9 | 24 | 33 | 8 | 28 | 36 |
| 9. | जम्मू एवं कश्मीर | 1 | 8 | 9 | 0 | 14 | 14 | 6 | 6 | 12 |
| 10. | कर्नाटक | 11 | 48 | 59 | 9 | 37 | 46 | 27 | 72 | 99 |
| 11. | केरल | 16 | 47 | 63 | 15 | 58 | 73 | 10 | 44 | 54 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 232 | 923 | 1155 | 77 | 558 | 635 | 94 | 590 | 684 |
| 13. | महाराष्ट्र | 60 | 277 | 337 | 101 | 306 | 407 | 104 | 371 | 475 |
| 14. | मणिपुर | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 15. | मेंघालय | 4 | 8 | 12 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 |
| 16. | मिजोरम | 6 | 18 | 24 | 9 | 15 | 24 | 7 | 14 | 21 |
| 17. | नागालैंड | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | उड़ीसा | 2 | 35 | 37 | 2 | 25 | 27 | 4 | 53 | 57 |
| 19. | पंजाब | 5 | 15 | 20 | 6 | 13 | 19 | 8 | 24 | 32 |
| 20. | राजस्थान | 18 | 49 | 67 | 14 | 82 | 96 | 35 | 102 | 137 |
| 21. | सिक्किम | 3 | 1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 |
| 22. | तमिलनाडु | 19 | 64 | 83 | 8 | 30 | 38 | 12 | 31 | 43 |
| 23. | त्रिपुरा | 5 | 6 | 11 | 7 | 5 | 12 | 3 | 21 | 24 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 540 | 316 | 856 | 64 | 348 | 412 | 78 | 433 | 511 |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 15 | 137 | 152 | 21 | 138 | 159 | 20 | 122 | 142 |
| | योग | 1060 | 2543 | 3603 | 481 | 2447 | 2928 | 577 | 2621 | 3198 |
| संघ शासित प्रदेश | | | | | | | | | | |
| 26. | अ. एवं नि. द्वीपसमूह | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 27 | चंडीगढ़ | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 |
| 28. | द.एवं न. हेवली | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | दमन एवं द्वीव | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | दिल्ली | 32 | 78 | 110 | 45 | 127 | 172 | 55 | 132 | 187 |
| 31. | लक्ष्यद्वीप | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | पाण्डिचेरी | 4 | 6 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| योग (संघ शासित क्षेत्र) | | 39 | 87 | 126 | 51 | 134 | 185 | 57 | 138 | 195 |
| योग (अखिल भारत) | | 1099 | 2630 | 3729 | 532 | 2581 | 3113 | 634 | 2759 | 3393 |

स्रोत : "क्राइम इन इण्डिया" आंकड़ें।

**विवरण - II**

**वर्ष 1994 में बाल बलात्कार की संख्या (राज्य तथा संघ शासित क्षेत्रवार)**

| क्र.सं. | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | 10 वर्ष | 10-16 से कम | जोड़ वर्ष |
|---|---|---|---|---|
| | **राज्य** | | | |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 72 | 288 | 360 |
| 2. | अरूणाचल प्रदेश | 5 | 12 | 17 |
| 3. | असम | 23 | 119 | 142 |
| 4. | बिहार | ला.न. | ला. न. | - |
| 5. | गोवा | 1 | 2 | 3 |
| 6. | गुजरात | 20 | 93 | 113 |
| 7. | हरियाणा | 29 | 90 | 119 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 9 | 30 | 39 |
| 9. | जम्मू एवं कश्मीर | 3 | 2 | 5 |
| 10. | कर्नाटक | ला.न. | ला. न. | - |
| 11. | केरल | 9 | 53 | 62 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 97 | 712 | 809 |
| 13. | महाराष्ट्र | 92 | 399 | 491 |
| 14. | मणिपुर | 1 | 0 | 1 |
| 15. | मेंघालय | 0 | 7 | 7 |
| 16. | मिजोरम | 2 | 15 | 17 |
| 17. | नागालैंड | 0 | 0 | 0 |
| 18. | उड़ीसा | 14 | 66 | 80 |
| 19. | पंजाब | 8 | 34 | 42 |
| 20. | राजस्थान | 76 | 129 | 205 |
| 21. | सिक्किम | 3 | 1 | 4 |
| 22. | तमिलनाडु | 9 | 23 | 32 |
| 23. | त्रिपुरा | 2 | 3 | 5 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | ला. न. | ला.नं. | - |
| 25. | पश्चिम बंगाल | ला. न. | ला. न. | - |
| | योग (राज्य) | 475 | 2078 | 2553 |
| | **संघ शासित क्षेत्र** | | | |
| 26. | अ. एव नि. द्वीपसमू | 1 | 0 | 1 |
| 27. | चंडीगढ़ | 2 | 1 | 3 |
| 28. | द. एवं न. हवेली | ला. न. | ला.न. | - |
| 29. | दमन एवं द्वीव | ला. न. | ला. न. | - |
| 30. | दिल्ली | 54 | 146 | 200 |
| 31. | लक्ष्य द्वीप | 0 | 0 | 0 |
| 32. | पांडिचेरी | 1 | 2 | 3 |
| | योग (संघ शासित क्षेत्र) | 58 | 149 | 207 |
| | योग (अखिल भारत) | 533 | 2227 | 2760 |

स्त्रोत : "क्राइम इन इण्डिया" आंकड़े

टिप्पणी : 1. (आंकड़े अन्तिम है)

2. ला. न. अर्थ लागू नहीं

**सामाजिक क्षेत्र में नीतियों का पुनर्निर्धारण :**

1809. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :**

**श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :**

क्या योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सामाजिक क्षेत्र में नीतियों का पुनर्निर्धारण किया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या स्वास्थ्य शिक्षा और परिवार कल्याण कार्यक्रम पर प्रमुख बल दिया जायेगा;

(ग) क्या मानव संसाधन विकास के अध्ययन में जहां तक दीर्घ जीवन, साक्षरता, स्कूल शिक्षा, और स्वास्थ्य का संबंध है, भारत चीन जैसे एशिया पूर्व देशों से पीछे हैं;

(घ) क्या चालू वर्ष के दौरान समाज कल्याण का कोई ठोस कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है;

(ड.) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ?

**योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)** : (क) और (ख) जी, हाँ, आठवीं योजना में "मानव विकास" को सभी विकास प्रयासों के एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में स्वीकार किया गया है। योजना के प्राथमिकता वाले क्षेत्र, जो इस उद्देश्य को प्राप्त करने में योगदान देते हैं, इनमें पेयजल, कमजोर वर्गों के लिए आवास और कल्याण कार्यक्रमों सहित स्वास्थ्य, शिक्षा, साक्षरता तथा बुनियादी आवश्यकताएं शामिल हैं।

(ग) जी, हाँ।

(घ) और (ड.) 15 अगस्त, 1995 को कार्यक्रमों के दो सेट आरम्भ किए गए थे।

(1) प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता (एन.एस.पी.ई.) जो सामान्यत: माध्याह्न भोजन योजना के नाम से जाना जाता है:

(2) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी.)

**दक्षिणी राज्यों में घुसपैठ**

1810. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका में हाल की आंतरिक आशान्ति से दक्षिणी तटीय सीमा किसी तरह प्रभावित हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दक्षिणी राज्यों में समुद्र मार्ग से अनियंत्रित आगमन को रोकने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (सैय्यद सिब्ते रज़ी)** : (क) और (ख) श्रीलंका में हाल ही की आंतरिक अशांति के परिणामस्वरूप श्रीलंकाई तमिलों के देश में आगमन की बात ध्यान में नहीं आयी है।

(ग) तमिलनाडु की लम्बी-तटीय सीमा को देखते हुए, सम्भावित घुसपैठ को रोकने के लिए व्यापक प्रबन्ध किए गए हैं। राज्य सरकार ने तटीय सीमा पर सशस्त्र जांच चौकियां स्थापित करने और सचल गश्त शुरू कराके सुरक्षा प्रबन्धों में बढ़ोत्तरी कर दी है इन उपायों के अलावा, नौसेना और तटरक्षक बल द्वारा पाक-खाड़ी में लगातार निगरानी रखी जा रही है।

## कमांड क्षेत्र विकास बोर्ड

**श्री डी. वेंकटेश्वर राव :**

**श्री परसराम भारद्वाज :**

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों की ओर से कमांड क्षेत्र विकास बोर्ड और कृषकों के संघ बनाने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसे राज्यों के नाम सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) कमांड क्षेत्र विकास बोर्ड और कृषक संघों के द्वारा कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कमांड क्षेत्र के विकास के लिए धनराशि कब तक आबंटित किए जाने की संभावना है ?

**जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू)**: (क) जी, हाँ।

(ख) विवरण संलग्न है।

(ग) कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निधियों योजना आयोग के परामर्श से कमान क्षेत्र विकास बोर्डों के जरिए उनके नाम पर आबंटित की जाएगी।

**विवरण**

**कमान क्षेत्र विकास बोर्डों और किसान संघ के निर्माण का ब्यौरा**

| राज्य | कमान क्षेत्र विकास बोर्ड | किसान संघ |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. आंध्र प्रदेश | कमान क्षेत्र विकास बोर्ड बानने की जांच की जा रही है। | सिंचाई कमानों में किसानों की पाइप समितियाँ बनाई गई हैं। ककटिया नहर के लगभग 1250 हैक्टेयर क्षेत्र में किसानों की भागीदारी पर कार्य अनुसंधान कार्यक्रम पूरा हो गया है। राज्य ने सिंचाई प्रबंध में किसानों की भागीदारी को बढ़ाने और किसान-संघ के संवर्द्धन के लिए कार्य योजना पर नीति दस्तावेज का ड्राफ्ट तैयार किया है। |
| 2. अरूणाचल प्रदेश | कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। | कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। |
| 3. असम | असम सरकार सांविधिक कमान क्षेत्र विकास बोर्ड बनाने के लिए सहमत हो गई हैं। राज्य सरकार ने आवश्यक कानून बनाने के लिए कुछ और समय दिए जाने के लिए अनुरोध किया है। | राज्य सरकार किसान संघ बनाने के लिए सहमत हो गई है। सुकला परियोजना में अब तक 25 चक समितियाँ बनाई गई हैं। राज्य सरकार ने सिंचाई के प्रबंध में किसानों की भागीदारी के कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कार्य दल बनाया है। |
| 4. बिहार | कमान क्षेत्र विकास बोर्ड बनाए जाने की जांच की जा रही है। | कार्य अनुसंधान कार्यक्रम के अंतर्गत सोन नहर की पालीगंज वितरणियों के किसान संघ बनाए गए हैं। किसानों की भागीदारी शुरू करने के लिए बिहार सरकार द्वारा चार प्रायोगिक परियोजनाएं प्रारम्भ की गई हैं। |
| 5. गोआ | गोआ सरकार सांविधिक कमान क्षेत्र विकास बोर्ड की स्थापना के लिए सहमत हो गई है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि एक कमान क्षेत्र विकास बोर्ड गोआ में पहले से ही विद्यमान हैं। इस बोर्ड में किसानों और अन्य गैर-सरकारी | अब तक 29 किसान जल वितरण सहकारी समितियाँ बनाई गई हैं। |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | संगठनों का भागीदारी है। राज्य सरकार ने बताया है कि वे उपयुक्त समय पर इसे सांविधिक रूप देने के लिए कानून बनाएंगे। | |
| 6. गुजरात | कमान क्षेत्र विकास बोर्डों की स्थापना की जांच की जा रही है। | राज्य में 71 किसान-संघ बनाए गए हैं। गुजरात सरकार ने बड़े पैमाने पर सिंचाई प्रबंध में भागीदारी प्रारंभ करने के उद्देश्य से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय दल का गठन किया है। राज्य ने विभिन्न क्षेत्रों में किसान-संघ बनाने की सुविधा के लिए 13 प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की हैं। गुजरात सरकार ने सरकारी जल संसाधनों के प्रबंध में किसानों का भागीदारी प्रारंभ करने के लिए दिनांक 1.6.1995 के संकल्प सं. पी जी टी 1093 (8)-"के"-3 के तहत संकल्प पारित किया है। |
| 7. हरियाणा | कमान क्षेत्र विकास बोर्डो। की स्थापना पर विचार चल रहा है। | राज्य में कुल 244 जल उपयोगकर्ता संघ हैं। |
| 8. हिमाचल प्रदेश | कमान क्षेत्र विकास बोर्ड बनाने की प्रकिया चल रही है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि कमान क्षेत्र विकास बोर्ड बनाने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। | राज्य में 1983 से 1992 तक की अवधि के दौरान 868 कृषि विकास संघ निर्मित किए गए। राज्य ने किसानों की भागीदारिता कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कार्य दल का गठन किया है। |
| 9. जम्मू एवं कश्मीर | कमान क्षेत्र विकास बोर्ड बनाने की जांच की जा रही है | राज्य को किसान संघ बनाने के लिए अभी कार्यवाही प्रारंभ करनी है। |
| 10. कर्नाटक | कमान क्षेत्र विकास बोर्ड बनाने की जांच की जा रही है। | कुल 366 किसान संघ बनाए गए हैं। राज्य ने जल उपयोगकर्ता सहकारी समितियों के जरिए जल की आपूर्ति की व्यवस्था के लिए कर्नाटक सिंचाई (बेहतर अंशदान की जा रही एवं जल दर संशोधन) विधेयक, 1995 पारित किया है। |
| 11. केरल | राज्य सरकार ने सूचित किया है कि कमान क्षेत्र विकास बोर्ड बनाने के लिए केरल कमान क्षेत्र विकास अधिनियम का संशोधन करने का उपाय किए जा रहे हैं। | राज्य में कुल 3432 लाभप्राप्तकर्ता किसान-संघ और 29 नहर समितियाँ निर्मित की गई हैं। |
| 12. मध्य प्रदेश | कमान क्षेत्र विकास बोर्डों के निर्माण की जांच की जा रही है। | राज्य में कुल 829 सिंचाई पंचायतें बनाई गई है। |
| 13. महाराष्ट्र | कमान क्षेत्र बोर्ड बनाए जाने पर विचार किया जा रहा है। | कुल 75 किसान संघ बनाए गए हैं। सिंचाई प्रबंध की भागीदारिता के कार्यान्वयन का निगरानी करने के लिए कमान क्षेत्र विकास के सचिव की अध्यक्षता में एक स्थाई समिति कठित की गई है। सरकार ने किसानों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए नीतिगत निर्णय लिया है। |
| 14. मणिपुर | कमान क्षेत्र विकास बोर्ड बनाने के संबंध में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। | राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने 29 किसान संघ बना लिए हैं। |
| 15. मेंघालय | राज्य सरकार ने यह मत व्यक्त किया है कि हो सकता है इस राज्य में कमान क्षेत्र विकास बोर्ड व्यवहार्य न हो क्योंकि राज्य में इस कार्यक्रम के अंतर्गत केवल घाटी परियोजनाएं हैं। | किसान संघ बनाने के संबंध में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 16. नागालैंड | राज्य सरकार ने यह मत व्यक्त किया है कि कमान क्षेत्र विकास बोर्डों का निर्माण आवश्यक नहीं है क्योंकि राज्य में इस कार्यक्रम के अंतर्गत केवल घाटी परियोजनाएं हैं। | किसान संघ बनाने के संबंध में कोई उत्तर प्राप्त नहीं है। |
| 17 उड़ीसा | कमान क्षेत्र विकास बोर्ड बनाने की जांच की जा रही है। | गांववार, कुल 77 किसान संघ बनाए गए हैं। उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि सभी बड़े कमानों में आऊटसेट समितियाँ विद्यमान हैं। |
| 18. राजस्थान | कमान क्षेत्र विकास बोर्ड बनाने की जांच की जा रही है। | राज्य ने किसान संघ बनाने की कार्यवाही की है। अनौपचारिक रूप से कुल 3483 चाक समितियाँ गठित की गई हैं। सिंचाई प्रबंध के भागदारिता करने के लिए कमान क्षेत्र विकास ओर जल उपयोग विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। |
| 19. तमिलनाडु | कमान क्षेत्र विकास बोर्ड बनाने की जांच की जा रही है। | 850 से अधिक किसान संघ पहले ही मौजूद हैं। |
| 20. त्रिपुरा | राज्य, बृहद/मध्यम परियोजनाओं के पूरा न होने के कारण इस समय कमान क्षेत्र विकास बोर्ड बनाने के लिए सहमत नहीं है। | किसान संघ बनाने के लिए अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। |
| 21. उत्तर प्रदेश | कमान क्षेत्र विकास बोर्ड बनाने की जांच की जा रही है। | सारदा सहायक कमान में आऊटलेट से नीचे स्तर की जल प्रबंध समितियाँ गठित की गई हैं। वाल्यूमीटरिक आधार पर जल के वितरण के लिए प्रायोगिक परियोजना के रूप में 1989-90 में एक सिंचाई सहकारी समिति बनाई गई थी। |
| 22. पश्चिम बंगाल | राज्य, कमान क्षेत्र, विकास बोर्ड बनाने के पक्ष में नहीं है। | राज्य, पंचायती राज संस्थानों के अधीन विद्यमान लाभप्राप्तर्ता समितियों को मद्देनजर रखते हुए किसान संघ बनाने के पक्ष में नहीं है। |

## पूर्वोत्तर परिषद की बैठक

**1812. श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 16 नवम्बर, 1995 को दिल्ली में पूर्वोत्तर परिषद की बैठक आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हाँ, तो इसमें भाग लेने वाले प्रतियोगियों का ब्यौरा क्या है; इसमें किन विषयों पर चर्चा की गई और इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) वर्ष 1991 के बाद परिषद की कितनी बैठकें हुई हैं;

(घ) इन बैठकों में क्या निर्णय लिए गए; और

(ङ.) इन बैठकों में लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन की स्थिति क्या है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एम. कामसन) :** (क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) पूर्वोत्तर राज्यों के निम्नलिखित राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों, जो कि परिषद के सदस्य हैं, ने 16 नवम्बर, 1995 को दिलली में हुई परिषद की बैठक में भाग लिया :

(1) श्री माता प्रसाद, राज्य पाल, अरूणाचल प्रदेश (अध्यक्ष), (2) श्री लोकनाथ मिश्र, राज्यपाल असम, (3) श्री एम.एम. जैकब, राज्यपाल (मेंघालय) (4) श्री ओ.एन. श्रीवास्तव, राज्यपाल, नागालैंड, (5) श्री पी.आर. किणिडयाह, राज्यपाल मिजोरम, (6) प्रोफेसर एस. प्रसाद, राज्यपाल, त्रिपुरा, (7) श्री गंगांग अपांग, मुख्य मंत्री, अरूणाचल प्रदेश, (8) श्री हितेश्वर सैकिया, मुख्यमंत्री, असम (9) श्री एस. सी. भराक, मुख्यमंत्री, मेंघालय, (10) श्री रिशांग कीशिंग, मुख्यमंत्री, मणिपुर, (11) श्री लालथन हावला, मुख्यमंत्री, मिजोरम, (12) श्री एस.सी. जमीर, मुख्यमंत्री, नागालैंड, (13) श्री दशरथ देव, मुख्यमंत्री, त्रिपुरा। इसके अलावा श्री एस. बी. चव्हाण, केन्द्रीय गृह मंत्री और प्रोफेसर एम. कामसन, गृह मंत्रालय में गृह राज्य मंत्री ने भी भाग लिया।

बैठक में जिन विषयों पर चर्चा की गई, उनमें अन्य के साथ-साथ एन.ई.सी. प्लान स्कीम 1993-94 और 1994-95 की वास्तविक और वित्तीय पुनरीक्षा, 1995-96 के लिए एन.ई.सी. संशोधित अनुमान, 1996-97 का प्रस्तावित वार्षिक प्लान, परिवहन और संचार, पावर और तकनीकी शिक्षा पर स्टेटस रिपोर्ट तथा नई आर्थिक नीति के संदर्भ में पूर्वोत्तर क्षेत्रों में शुरू की जाने वाली कार्यवाही, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास में एन.ई.सी. की भूमिका, इत्यादि शामिल हैं। बैठक में लिए गए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय/अपनाए गए फैसलों में आठवीं योजना अवधि के दौरान

विशेष रूप से निधि उपलब्ध करवाने के लिए पहचानी गई प्राथमिकता प्राप्त सड़कों को समय से पूरा करना, वर्ष 1996-97 के लिए 712.86 करोड़ रुपये की राशि के वार्षिक प्लान का अनुमोदन, क्षेत्र में हवाई अड्डों के एक कुशल नेटवर्क के विकास के लिए नागर विमानन मंत्रालय के माध्यम से पर्याप्त संसाधनों की व्यवस्था करने की आवश्यकता, राज्यों की राजधानियों को हवाई सेवा के द्वारा गुवाहाटी और दिल्ली से जोड़ने वाली इण्डियन एयरलाइंस की उड़ानों का समय से आपरेशन, सरकार की नई आर्थिक नीति को देखते हुए पूर्वोत्तर क्षेत्र में एक विशेष आर्थिक और आद्योगिक नीति की आवश्यकता, बायो-डाईवर्सिटी और ऐसे ही संरक्षण वाली परियोजनाओं जो कि क्षेत्र में आर्थिक दृष्टि से संभव हो, के संरक्षण के लिए आवश्यक संसाधनों का प्रावधान करने, इत्यादि से संबंधित फैसले शामिल हैं। इण्टरनेशनल फंड फार एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के अधीन अन्तरप्रदेशीय क्षेत्रों के लिए पूर्वोत्तर समुदाय संसाधन प्रबंधन परियोजना हेतु प्रस्ताव को भी अनुमोदित किया गया। कुछ अन्य फैसले, रीजनल इस्टीट्यूट आफ मेडीकल सर्विसिज, इम्फाल, पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय में कृषि कौर संबंद्ध क्षेत्रों को, बागवानी, मत्स्य-पालन और पशु पालन हेतु पूर्णकालिक सलाहकार उपलब्ध करवाकर अधिक महत्व देने तथा पूरे देश से प्रतिभावनों को आकर्षित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन प्रदान करके पूर्वोत्तर परिषद् सचिवालय में अधिकारियों की तैनाती को अधिक आकर्षक बनाने हेतु धन उपलब्ध कराने से संबंधित थे। केन्द्र सरकार से यह आग्रह करने का निर्णय भी लिया गया कि ब्रह्मपुत्र नदी पर जोगी धोपा पुल को जल्दी से पूरा करने को उच्च वरीयता दी जाए।

(ग) 1991 और नवम्बर, 1995 के बीच परिषद की 9 बैठकें हुई।

(ड.) परिषद की 9 बैठकों के दौरान बड़ी संख्या में कार्य सूची की मदों पर चर्चा की गई और फैसले लिए गए। आठवीं योजना अवधि के दौरान क्षेत्रीय और अन्तर-राज्य स्वरूप और महत्ता वाली परियोजनाओं तथा अधार-भूत सुविधाओं के विकास ही परियोजनाओं, विशेष रूप से पावर विकास और सड़कों के निर्माण पर बल दिया गया है। चालू परियोजनाओं के पूरा किए जाने पर भी बल दिया गया है। इसके अलावा, वरीयता प्राप्त 18 अन्तर-राज्य सड़कों, जिनकी पहचान विशेष धन व्यवस्था आबंटन करने के लिए की गई है, तथा जिसके लिए अतिरिक्त धन उपलब्ध करवाने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया गया है, को पूरा करने पर भी बल दिया गया है। पावर सेक्टर की तीन महत्वपूर्ण परियोजनाएं, जिनके लिए परिषद् द्वारा इन वर्षों के दौरान धन की व्यवस्था की गई है -वे हैं रंगा नदी (अरूणाचल प्रदेश) और दोयांग (नागालैण्ड), दोनों पन-बिजली परियोजनाएं, तथा रोखिया (त्रिपुरा), गैस आधारित पावर परियोजना। इसी अवधि के दौरान परिषद ने इस क्षेत्र में मानव संसाधन विकास प्रतिष्ठनों की भी सहायता की है। यह योजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं। केन्द्र सरकार ने पूर्वोत्तर परिषद द्वारा अनुमोदित योजनाओं को महत्व दिया है। 1994-95 और 1995-96 प्रत्येक में 30 करोड़ रुपय की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई गई है ताकि शीघ्रता से पूरी करने के पहचानी वरीयता प्राप्त 18 अन्तर-राज्य सड़कों को पूरा किया जा सके। इसके अलावा पावर परियोजनाओं को पूरा करने के लिए भी अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराई गई। फैसलों और परियोजनाओं का कार्यान्वयन एक सतत् चलते रहने वाली प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

## महाराष्ट्र में संचार तंत्र

1813 **श्री दत्ता मेंघे** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में, विशेषत: विदर्भ तथा मराठवाड़ा में, संचार तंत्र को सुदृढ़ बनाने के संबंध में कोई निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम** : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

## रसोई गैस का पेट्रोल अथवा डीजल के रूप में उपयोग

1814. **श्री शिवराज सिंह चौहान** : क्या पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोल अथवा डीजल के विकल्प के रूप में रसोई गैस का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु कोई प्रयोग किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या कारखाने के लिए रसोई गैस का प्रयोग किया जा रहा है; और

(ग) यदि नहीं; तो इसके क्या कारण हैं ?

**पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा)** : (क) भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड ने वर्ष 1983-94 के दौरान एच एस डी का आंशिक विस्थापन कर एल पी जी का प्रयोग करने के सबंध में महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम, किलोस्कर कम्पनी तथा वाहन अनुसंधान तथा प्रतिष्ठान के साथ सहयोग करके समरूप परीक्षण किए थे। ऐसा परीक्षण/अध्ययन पेट्रोल से चलने वाले वाहनों पर नहीं किया गया।

(ख) और (ग) एल पी जी (प्रयोग पर प्रतिबन्ध) आदेश 1974 के अनुसार देश में एल पी जी का आटोमोटिव प्रयोजन के लिए प्रयोग की अनुमति नहीं है। फिलहाल घरेलू क्षेत्र में एल पी जी की मांग इसकी उपलब्धता से काफी अधिक है। अत: इन बाधाओं के कारण कारों आदि में एल पी जी के उपयोग के लिए अभी तक अनुमति दी गयी है।

[अनुवाद]

**बाढ़ नियंत्रण तथा भूमि कटाव**

**1815. श्री प्रवीन डेका :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या असम सरकार ने बाढ़ नियंत्रण तथा भूमि कटाव को रोकने की कोई योजना केन्द्र सरकार की स्वीकृति के लिए भेजी है ;

(ख) यदि हाँ, तो इसका विवरण क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

**जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगय्या नायडू):** (क) से (ग) वर्ष 1993 से 95 के दौरान 113.97 करोड़ रूपए की लागत पर बाढ़ प्रबन्ध को, कुल मिलाकर, 24 योजनाएं मूल्यांकन के लिए प्राप्त हुई हैं। इनमें से, 9 योजनाएं 47.12 करोड़ रूपए की लागत पर केन्द्र द्वारा तकनीकी-आर्थिक रूप से अनुमोदित की गई हैं। 41.10 करोड़ रूपए की लागत वाली चार योजनाओं पर राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांगे गये हैं। राज्य सरकार से इनको प्रतीक्षा है। 15.10 करोड़ रूपए की लागत वाली 6 योजनाएं केन्द्र को मूल्यांकन सूची से निकाल दी गई हैं क्योंकि दो वर्ष से अधिक समय से राज्य सरकार से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। हाल में यानि अक्तूबर-नवम्बर, 1995 के दौरान प्राप्त 10.65 करोड़ रूपए की लागत वाली 5 योजनाओं का मूल्यांकन इस समय किया जा रहा है।

**महाराष्ट्र में टेलीफोन कनेक्शन**

**1816. श्री राम कापसे :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 सितम्बर, 1995 को महराष्ट्र में टेलीफोन कनेक्शन के लिए स्वीकृति हेतु लंबित आवेदन पत्रों की संख्या कितनी तथा विशेष रूप से थाने जिले में ऐसे आवेदन-पत्र कितने समय से लंबित हैं;

(ख) इन आवेदन-पत्रों को अब तक स्वीकृत न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) लंबित आवेदन-पत्रों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की आशा है ओर इनके पंजीकरण की तिथि संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) :** (क) 30.9.1995 की स्थिति के अनुसार, एम. टी.एन.एल., बंबई सहित महाराष्ट्र में टेलीफोन - कनैक्शनों के 3,31,542 आवेदन लंबित पड़े थे। इनमें, ज़िला ठाणे के 67,286 लंबित आवेदन भी शामिल हैं।

ज़िला ठाणे में, टेलीफोन - कनैक्शन हेतु गैर - ओ वाई टी सामान्य श्रेणी के आवेदनों के पंजीकरण की सबसे पुरानी तारीख 9.10.1986 है तथा ओ वाई टी श्रेणी के अंतर्गत 27.3.1992।

(ख) वित्तीय और भौतिक संसाधनों की कमी।

(ग) विभाग ने, एम टी एन एल, बंबई सहित महराष्ट्र में, 1995-96 के दौरान, लगभग 4.38 लाख टेलीफोन कनैक्शन देने की योजना बनाई हैं उपस्कर व अन्य संसाधन समय पर मिलने पर, मार्च 1996 तक ठाणे व एम टी एल एल, बंबई सहित महाराष्ट्र की मौजूदा प्रतीक्षा-सूची अधिकांशत: समाप्त हो जाने की संभावना है। तथापि, राष्ट्रीय दूरसंचारनीति, 1994 में, महाराष्ट्र सहित समूचे देश में, 1997 तक दूरभाष प्रदान करना परिकल्पित है।

**मद्रास दूरदर्शन के समाचार प्रसारण के समय में परिवर्तन**

**1817. डा. (श्रीमती) के.एस. सौन्दरम :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मद्रास दूरदर्शन पर संक्षिप्त समाचारों और आकाशवाणी, मद्रास द्वारा प्रादेशिक समाचारों के प्रसारण का समय एक ही है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सार्वजनिक हित में संक्षिप्त समाचारों के प्रसारण समय में परिवर्तन करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

**सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद):** (क) आकाशवणी ओर दूरदर्शन, मद्रास के प्रादेशिक समाचार बुलेटिनों को एक ही समय प्रसारित नहीं किया जाता है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

**चालू सिंचाई परियोजनाएं**

**1818. श्री राम कृपाल यादव :**

**श्री कुन्जी लाल :**

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार और राजस्थान में चालू बड़ी तथा मध्यम सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इनमें से कुछ परियोजनाओं की विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा रही है;

(ग) यदि हाँ, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त परियोजनाओं को वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ङ.) इन परियोजनाओं को कब तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है ?

**जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू) :** (क),(घ) और (ङ.) बिहार और राजस्थान में चल रही बड़ी और मझौली सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) राज्यों को केन्द्रीय सहायता एक मुश्त ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाती है और वे किसी परियोजना अथवा विकास के क्षेत्र से संबद्ध नहीं होती है। तथापि, सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत इंदिरा गांधी नहर परियोजना के लिए राजस्थान सरकार को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता निर्मुक्त की जा रही है। राज्य सरकार को निर्मुक्त करने के लिए आठवीं योजना के दौरान मार्च, 1995 तक 164 करोड़ रूपए की राशि अनुमोदित की गई थी। 1995-96 के लिए 60 करोड़ रूपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया है।

**विवरण**

**बिहार और राजस्थान की चल रही बड़ी एवं मझोली सिंचाई परियोजनाओं का ब्यौरा।**

| क्रम संख्या | परियोजना का नाम | अद्यतन अनुमानित लागत | मार्च, 1995 तक अनुमानित व्यय (करोड़ रूपए) | पूरा करने का कार्यक्रम |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | **बिहार** | | | |
| | **बड़ी** | | | |
| 1. | सुवर्णरेखा परियोजना | 1428.89 | 622.61 | आठवीं योजना से आगे |
| 2. | अजॉय बराज (सिकनिया) | 133.11 | 81.41 | वही |
| 3. | ओरंगा जलाशय | 275.00 | 18.40 | वही |
| 4. | बारनार जलाशय | 102.38 | 36.07 | वही |
| 5. | बटेश्वर नाथ पम्प | 136.67 | 21.88 | वही |
| 6. | बागमती सिंचाई | 314.67 | 36.14 | वही |
| 7. | बाणसागर (राज्य का हिस्सा) | 140.00 | 54.36 | वही |
| 8. | दुर्गावती जलाशय | 147.40 | 78.34 | आठवीं योजना |
| 9. | गण्डक फेज- II | 445.23 | 62.43 | आठवीं योजना से आगे |
| 10. | कोनार दिकपरिबर्तन | 225.40 | 81.41 | वहीं |
| 11. | नार्थ कोइल जलाशय | 475.00 | 386.01 | आठवीं योजना |
| 12. | कोसी पूर्वी नहर फेज- II | 123.06 | 53.95 | आठवीं योजना से आगे |
| 13. | पुनासी जलाशय | 145.00 | 39.11 | वहीं |
| 14. | तिलैय्या दिकपरिबर्तन | 121.38 | 21.38 | वहीं |
| 15. | अवर किचुल जलाशय | 71.35 | 66.23 | वहीं |
| 16. | पश्चिमी कोसी नहर | 357.44 | 227.33 | वहीं |
| | **मझौली** | | | |
| 1. | बताने जलाशय | 34.78 | 29.82 | आठवीं योजना |
| 2. | विलासी जलाशय | 12.82 | 9.33 | आठवीं योजना |
| 3. | भैरवा जलाशय | 25.08 | 13.10 | वहीं |
| 4. | बटेश्वर नाथ पम्प फेज-II | 24.23 | 4.59 | आठवीं योजना से आगे |
| 5. | बासुकि सिंचाई एवं जल आपूर्ति | 16.88 | 0.16 | वहीं |
| 6. | धनसिंह तुली जलाशय | 17.10 | 13.08 | आठवीं योजना |
| 7. | डाकरनाला पम्प फेज-I | 79.57 | 50.19 | वहीं |
| 8. | डाकरनाला पम्प फेज-II | 11.48 | 5.43 | आठवीं योजना से आगे |
| 9. | गुनानी जलाशय | 58.42 | 26.48 | वहीं |
| 10. | झरियार जलाशय | 24.50 | 1.96 | आठवीं योजना से आगे |
| 11. | कंजोरे जलाशय | 25.75 | 20.92 | आठवीं योजना |
| 12. | कंत्री जलाशय | 28.64 | 21.18 | वहीं |
| 13. | कंस जलाशय | 18.40 | 11.98 | वहीं |
| 14. | केसो जलाशय | 16.83 | 5.62 | आठवीं योजना से आगे |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 15. | लटराता जलाशय | 41.98 | 37.56 | आठवीं योजना |
| 16. | मलाई सिंचाई | 6.33 | 1.54 | आठवीं योजना से आगे |
| 17. | नकरी जलाशय | 16.99 | 12.97 | आठवीं योजना |
| 18. | ओरनी जलाशय | 32.74 | 30.80 | वही |
| 19. | पंच खेरा जलाशय | 16.85 | 4.47 | आठवीं योजना से आगे |
| 20. | रामरेखा जलाशय | 20.14 | 4.20 | वही |
| 21. | सकरीगली पम्प नहर | 8.43 | 8.49 | आठवीं योजना |
| 22. | सुरंगी जलाशय | 17.55 | 11.50 | वही |
| 23. | सोनआ जलाशय | 37.46 | 22.53 | वही |
| 24. | सिंघवरणी जलाशय | 21.95 | 9.27 | आठवीं योजना से आगे |
| 25. | सुरू जलाशय | 14.83 | 5.04 | वही |
| 26. | सलैया जलाशय | 10.77 | 0.11 | वही |
| 27. | सतपोतका जलाशय | 16.10 | 0.15 | वही |
| 28. | ताराई जलाशय | 56.18 | 19.34 | वही |
| 29. | अपर संख जलाशय | 29.22 | 12.27 | वही |
| 30. | सोन (आधुनिकीकरण योजना) | | | |
| | (क) जमानिया पम्प | - | 4.18 | वही |
| | (ख) कादवान जलाशय | - | 6.89 | वही |
| | (ग) सोन आधुनिकीकरण | 310.93 | 47.81 | वही |
| **राजस्थान** | | | | |
| **बड़ी** | | | | |
| 1. | इन्दिरा गांधी नहर परियोजना चरण-I (विस्तार, नवीकरण, आधुनिकीकरण) | 363.57 | 305.82 | आठवीं योजना |
| 2. | इंदिरा गांधी नहर परियोजना चरण-II | 2463.00 | 963.61 | आठवीं योजना से आगे |
| 3. | माही बजाज सागर परियोजना यूनिट-I (बांध और संबद्ध कार्य) | 59.43 | 56.38 | आठवीं योजना से आगे |
| | माही बजाज सागर परियोजना यूनिट-II चरण-I (नहर प्रणाली) | 324.30 | 243.32 | वही |
| 4. | जाखम | 93.50 | 83.56 | आठवीं योजना |
| | गुड़गांव नहर (हिस्सा लागत) | 35.40 | 22.19 | आठवीं योजना से आगे |
| | नर्मदा (सरदार सरोवर परियोजना) (हिस्सा लागत) | 548.00 | 47.22 | वही |
| 5. | सिदमुख और नोहर | 229.20 | 71.04 | वही |
| 6. | विसलपुर | 186.92 | 66.92 | वही |
| 7. | सोम कमला अम्बा | 178.81 | 123.35 | आठवीं योजना |
| 8. | हरीश चन्द्र सागर | 12.25 | 18.79 | वही |
| **मझौली** | | | | |
| 1. | भीम सागर | 23.21 | 21.45 | आठवीं योजना |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 2. | सीमकागदर | 23.63 | 22.53 | वही |
| 3. | विलास | 18.00 | 16.61 | वही |
| 4. | पंचाना | 47.71 | 38.31 | वही |
| 5. | सावन भादो | 25.00 | 20.24 | वही |
| 6. | चापो | 47.03 | 25.73 | आठवीं योजना |
| 7. | परवाना लिफ्ट | 17.95 | 11.17 | वही |
| 8. | गंग नहर और गंग संपर्क नहर का आधुनिकीकरण | 250.84 | 29.49 | आठवीं योजना से आगे |
| 9. | जायसमंद | 15.00 | 5.98 | वही |
| 10. | गंभारी | 16.71 | 8.10 | वही |
| 11. | मेंजा | 31.62 | 7.36 | वही |
| 12. | मोरेल | 145.76 | 2.64 | वही |
| 13. | माशी | 2.50 | 1.57 | वही |
| 14. | गुढ़ा | 10.50 | 2.15 | वही |
| 15. | अलनिया | 2.77 | 1.66 | वही |
| 16. | परवान | 2.61 | 1.23 | वही |

**डाकघर**

1819. **श्रीमती भावना चिखलिया :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष में शाखा डाकघरों तथा उप-डाकघरों को खोलने हेतु निर्धारित लक्ष्य तथा प्राप्त उपलब्धियों का राज्यवार अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पिछड़े तथा ग्रामीण क्षेत्रों के ग्राम पंचायत मुख्यालयों में शाखा डाकघर तथा उप डाकघर खोलने के संबंध में प्राथमिकता दी जायेगी; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) :** (क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर और विभागीय उप डाकघर खोलने के लिए निर्धारित और प्राप्त लक्ष्यों का डाक सर्किलवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी हाँ।

(ग) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

**विवरण**

**पिछले तीन वर्षों और वर्ष 1995-96 के दौरान अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर/विभागीय उप डाकघर खोलने के लिए निर्धारित किए गए और प्राप्त किए गए लक्ष्य।**

| क्र.सं. | सर्किल का नाम | पिछले तीन वर्षों के दौरान | | | | 1995-96 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | लक्ष्य | | उपलब्धि | | लक्ष्य | | उपलब्धि | |
| | | शाखा डाकघर | उप डाकघर | शाखा डाकघर | उप डाकघर | शाखा डाकघर | उप डाकघर | शाखा डाकघर | उप डाकघर |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 38 | 15 | 18 | 20 | 2 | 5 | - | - |
| 2. | असम | 57 | 10 | 53 | 10 | 4 | 4 | - | - |
| 3. | बिहार | 163 | 27 | 160 | 9 | 10 | 11 | - | - |
| 4. | दिल्ली | - | 21 | - | 18 | - | 10 | - | 2 |
| 5. | गुजरात | 50 | 25 | 45 | 12 | 4 | 12 | - | 1 |
| 6. | हरियाणा | 22 | 20 | 26 | 9 | 2 | 10 | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | हिमाचल प्रदेश | 42 | 9 | 105 | 4 | 7 | 10 | – | 2 |
| 8. | जम्मू व कश्मीर | 10 | 4 | 28 | 1 | – | 2 | – | – |
| 9. | कर्नाटक | 31 | 22 | 31 | 18 | 1 | 10 | – | – |
| 10. | केरल | 33 | 18 | 45 | 15 | 1 | 9 | – | – |
| 11. | मध्य प्रदेश | 95 | 19 | 85 | 16 | 9 | 9 | – | – |
| 12. | महाराष्ट्र | 145 | 27 | 142 | 43 | 9 | 12 | – | – |
| 13. | उत्तर पूर्व | 76 | 10 | 75 | 5 | 4 | 4 | – | – |
| 14. | उड़ीसा | 79 | 13 | 82 | 12 | 4 | 4 | – | – |
| 15. | पंजाब | 23 | 11 | 18 | 11 | 2 | 4 | – | – |
| 16. | राजस्थान | 95 | 23 | 92 | 14 | 5 | 10 | – | 2 |
| 17. | तमिलनाडु | 26 | 16 | 18 | 11 | 2 | 4 | – | 1 |
| 18. | उत्तर प्रदेश | 182 | 41 | 193 | 28 | 12 | 16 | – | – |
| 19. | पश्चिम बंगाल | 113 | 19 | 90 | 6 | 2 | 4 | – | |
| | कुल | 1280 | 350 | 1306 | 262 | 80 | 150 | – | 8 |

**बिहार के गावों में टेलीफोन कनेक्शन**

1820. **श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में छोटा नागपुर क्षेत्र के सभी गांवों को टेलीफोन सुविधा उपलब्ध करा दी गई है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उन गांवों की संख्या क्या है जिनमें अभी यह सुविधा उपलब्ध कराई जानी है;

(ग) क्या 1995-96 के दौरान गांवों को टेलीफोन सुविधा से जोड़ने से संबंधित कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो इसका जिलेवार ब्यौरा क्या है ?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) :** (क) और (ख) जी नहीं। बिहार में छोटा नागपुर क्षेत्र के जिन गांवों में अब भी सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा प्रदान की जानी बाकी है, उनकी संख्या 15361 है। छोटा नागपुर क्षेत्र के गांवों सहित, सभी गांवों को वर्ष 1997 तक उत्तरोत्तर रुप से यह सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी, जिसके लिए तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराये जाने हेतु योजनाएं बनाई जा रही है।

(ग) और (घ) जी हाँ। वर्ष 1995-96 के दौरान इस क्षेत्र के 2675 गांवों को टेलीफोन सुविधा देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जिलावार ब्यौरा निम्नानुसार है :-

| दूरसंचार जिले का नाम | लक्ष्य 1995-96 |
|---|---|
| धनबाद | 315 |
| हजारीबाग | 1020 |
| जमशेदपुर | 740 |
| रांची | 600 |
| जोड़ | 2675 |

[अनुवाद]

**चकमा संबंधी मामले**

1821. **श्री धर्मण्णा मॉडय्या सादल :**
**श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चकमा और अन्य शरणार्थी अरूणाचल प्रदेश में गैर-कानूनी अधिवासी हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इस समस्या को हल करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है / करने का प्रस्ताव है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (सैयद सिब्ते रज़ी) :** (क) और (ख) 1964 में तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर हुई हिंसा के पश्चात् अल्पसंख्यक समुदाय के लगभग 1.40 लाख लोग भागकर असम में आ गए थे। असम की राज्य सरकार, तत्कालीन पूर्वोत्तर सीमान्त एजेंसी (नेफा) प्रशासन और केन्द्र सरकार के बीच परामर्श के पश्चात् 2902 चकमा/हाजोंग शरणार्थी परिवारों को तत्कालीन नेफा, अब अरूणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में बसा दिया गया था। पुनर्वास योजना के एक हिस्से के रूप में इनमें से अधिकांश परिवारों को भूखंड आबंटित किए गए थे और उन्हें पुनर्वास अनुदान भी स्वीकृत किए गए थे। चकमा/हाजोंग शरणार्थियों के बस जाने और उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान किए जाने के मुद्दे को लेकर राज्य में कुछ असंतोष है। इसके कारण कुछ तनाव पैदा हुआ है। राज्य सरकार से कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने और चकमा एवं हजोंग शरणार्थियों सहित राज्य के सभी निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा दायर एक रिट याचिका के

आधार पर उच्चतम न्यायालय ने 2 नवम्बर, 1995 को निर्देश जारी किए हैं कि अरूणाचल प्रदेश में अवस्थित चकमा शरणार्थियों को राज्य से बाहर, ऐसे जोर-जबरदस्ती वाले तरीके अपनाकर, नहीं निकाला जाएगा जो कि विधि-सम्मत न हों। ये निदेश, अनुपालन हेतु तुरन्त ही राज्य सरकार की जानकारी में लाए गए थे।

[हिन्दी]

**सुरक्षा बलों में स्थानीय व्यक्तियों को शामिल करने का सुझाव**

1822. **डा. रामकृष्ण कुसमरिया :**
**श्री राम पाल सिंह :**
**श्री सत्य देव सिंह :**
**क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार को रक्षा बलों के संचालन के बारे में शंका को न्यूनतम करने के लिए रक्षा बलों द्वारा आतंकवादियों से त्रस्त लोगों में जब्ती तथा जांच पड़ताल कार्यों में स्थानीय मैजिस्ट्रेट अथवा पुलिस अधिकारियों को शामिल करने के लिए मानवाधिकार आयोग से कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इस सुझाव के प्रति सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (सैय्द सिब्ते रज़ी)** : (क) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने वर्ष 1994-95 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट में यह कहा कि जिन राज्यों में सिविल प्राधिकारियों की सहायता के लिए सुरक्षा बलों को बुलाया जाता है, वहां पर, चेराबन्दी ओर तलासी अभियान के समय स्थानीय मैजिस्ट्रेट या पुलिस अधिकारी की उपस्थिति, सुरक्षा बलों के कार्मिकों के आचरण के बारे में शंकाओं को दूर करने में काफी मददगार हो सकती है।

(ख) और (ग) जम्मू और कश्मीर राज्य में, घेराबन्दी तलाशी अभियान के दौरान मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकरियों को सुरक्षाबलों के साथ रखने की प्रणाली पहले से ही चालू थी। 1992 से इस प्रणाली को, जिला मजिस्ट्रेटों की अध्यक्षता वाली जिला संवीक्षा एवम् समन्वय समितियों द्वारा सुदृढ़ किया गया, इन समितियों के प्रकार्यों में, अन्य बातों के साथ-साथ शामिल है - इस प्रकार के अभियानों के दौरान प्रारम्भिक पूछताछ के लिए रोके गए सभी संदिग्ध व्यक्तियों की तत्काल संवीक्षा करना। यह प्रणाली अच्छी प्रकार कार्य कर रही है। आतंकवादियों/विघटनकारियों के खिलाफ अभियानों से संबंधित मामलों से निपटने और मानव अधिकारों के क्षेत्र में शिकायतों को दूर करने के लिए आतंकवाद से प्रभावित पूर्वोत्तर के राज्यों को भी क्रमशः मुख्य सचिव ओर जिला मजिस्ट्रेटों की अध्यक्षता में राज्य और जिला स्तर पर एक समन्वय तंत्र स्थापित करने की सलाह दी गयी है, जिनमें पुलिस और सुरक्षा बलों के प्रतिनिधि भी शामिल हों। गंभीर रूप से प्रभावित तीन राज्यों नामतः असम, नागालैण्ड और मणिपुर ने इस प्रकार की समितियाँ पहले ही गठित कर दी हैं जो, अन्य बातों के साथ-साथ, इस प्रकार के अभियानों के दौरान सुरक्षा बलों और सिविल प्रशासन के बीच समन्वय सुनिश्चित करती हैं।

**टेलीफोन बिलों के भुगतान हेतु वाहन**

1823. **श्री पंकज चौधरी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली टेलीफोन बिलों के भुगतान में उपभोक्ताओं को होने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए ''चल वाहन'' शुरू करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो किन-किन क्षेत्रों में चल वाहन शुरू किए जाएंगे, और,

(ग) उक्त प्रस्ताव के कब तक शुरू होने की संभावना है ?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम )** : (क) एम.टी.एन.एल. ने पहले से ही जनवरी, 1995 से दिल्ली में चल वसूली केन्द्र शुरू कर दिए हैं।

(ख) 84 स्थानों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं, जहां 5 चल वसूली केन्द्रों द्वारा वसूली की जाती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**विवरण**

**चल वसूली केन्द्र**

| चल केन्द्र-I (उत्तरी क्षेत्र) | चल केन्द्र-II दक्षिणी-I तथा II | चल केन्द्र-III (यमुना पार) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| अशोक विहार दीप सिनेमा | सफदरजंग एन्कलेव-डीई (ओडी) कार्यालय | आनन्द विहार सी ब्लाक मंदिर |
| त्री नगर बस स्टेण्ड के पास | के पास ग्रेटर कैलाश सी ब्लाक मार्किट | पटपड़गंज, एण्ड्यूस स्कूल मयूर विहार-I , पाकेट-II |
| | ईस्ट ऑफ कैलाश कमर्शियल | |
| वजीरपुर इंडस्ट्रीयल एरिया | सेन्टर बसन्त कुंज, सी-8 कमर्शियल सेन्टर | डाकघर विश्वासनगर, डीसीपी |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| मॉडल टाउन | वसन्त कुंज, सी ब्लाक मार्केट | कार्यालय |
| अल्पना सिनेमा | कल्याण केन्द्र | कड़कड़डुमा चौक, |
| एन डी ब्लॉक मार्केट | अनुपम सिनेमा ई-ब्लाक साकेत | मयूर विहार-II, टेलीफोन एक्सचेंज, |
| पीतमपुरा सी एण्ड | सुखदेव विहार मार्केट , फ्रेड्स | गीता कालोनी, ब्लाक-9 |
| डी ब्लाक पीतमपुरा | कलोनी कर्मसल सेंटर | नियर पोस्ट आफिस |
| रूकमणि देवी स्कूल | ओखला -II; बी-79 | वेस्ट आजादनगर, सरकारी |
| डेसू कालोनी, | मोहन एक्सपोर्ट | स्कूल के पास |
| शालीमार बाग | तुगलकाबाद मार्केट | भोलानाथ नगर, |
| | कालकाजी एक्सटेंशन देनबेसको | बाल विद्यालय के पास |
| शालीमार बाग, रिची | स्कूल के पास | सीलमपुर, पुलिस स्टेशन के |
| रिच रेस्टोरेंट के पास | गोविन्दपुरी मार्केट | पास |
| सरस्वती विहार | चितरंजन मार्केट | मौजपुर चौक |
| सुपर बाजार | अलकनंदा शांपिंग सेन्टर | करवल नगर, बस स्टैण्ड |
| रोहिणी सेक्टर-9 | शेख सराय मार्केट | दिलशाद गार्डन, पाकेट-II |
| एक्सचेंज-बी, ब्लाक | सरिता बिहार, सी-ब्लाक | डी डी ए फ्लैट |
| प्रशान्त विहार, | मार्किट | एल.आई.जी. ब्लाक |
| बुराड़ी, टेलीफोन | ओखला-I ए-I प्रशासन ब्लाक | जी.टी.बी एन्कलेव, |
| एक्सचेंज के पास | पीएसडीआईसी | डेसू कार्यालय |
| केशवपुरम डेसू कार्यालय | श्री निवासपुरी केन्द्रीय विद्यालय | कबूल नगर, तिकोना पार्क |
| बस स्टैंड बवाना गांव | के पास | मेंटरनिटि सेंटर, एमसीडी |
| | | पड़पड़गंज |
| | | मयूर विहार-III |
| | | बस स्टाप, |
| | | त्रिलोकपुरी, चांद सिनेमा |
| | | के पास |

| चल केन्द्र-II<br>(पश्चिम I तथा II क्षेत्र) | चल केन्द्र-I<br>(केन्द्रीय, पूर्वी तथा अन्य क्षेत्र) |
|---|---|
| 1 | 2 |
| सत्यम् सिनेमा शादीपुर | सुन्दर नगर कम्पलेक्स |
| नारायणा विहार कर्मशल सेंटर | आश्रम चौक, नेफेड के पास |
| हरी नगर घंटाघर | लाजपत नगर, डाकघर के पास |
| करौल बाग आर्य समाज रोड | डिफेन्स कालोनी, एसडीओपी कार्यालय |
| न्यू राजेन्द्र नगर | लोधी कालोनी, सीजीओ कम्पलेक्स |
| सुभाष नगर ब्लाक-7 | पटियाला हाउस |
| जनकपुरी, बी-I | सुप्रीम कोर्ट काम्पलेक्स |
| सुपर बाजार विकासपुरी | डी.डी.ए. शॉपिंग काम्पलेक्स |
| सोनिया सिनेमा | प्रीत विहार |
| विकासपुर ऑक्सपोर्ट स्कूल | ए.जी. सी. आर. एन्क्लेव एम.टी.एन.एल |
| खयाला गांव, शीतला मंदिर | कार्यालय |
| उत्तम नगर, डेसू कार्यालय | बैंक एन्कलेव लवली पब्लिक स्कूल |
| नजफगढ़ पावर हाउस | पहाड़गंज आर के मिशन कम्पलेक्स के पास |

| 1 | 2 |
|---|---|
| पश्चिम विहार | सदर बाजार बारा - टूटी |
| ज्वालाहेरी मार्केट | खान मार्केट |
| मंगोल्पुरी एस ब्लाक | मंदिर मार्ग, |
| संजय अस्पताल | |
| नागलोई पुलिस स्टेशन | आर्य समाज के पास |
| के पास | |
| तिलक नगर पुलिस स्टेशन | झंडेवालान एक्सटेंशन, साइकल मार्केट के |
| टेगोर गार्डन कर्मशल सेन्टर | पास |
| नारायण विहार, एच ब्लाक | |

[अनुवाद]

**रसोई गैस एजेन्सियां और पेट्रोल पम्प**

1824. **श्री मोहन रावले :**

**श्री प्रेम धूमल :**

**श्री सुखेन्द्र खां :**

क्या पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष राज्यवार कितने पेट्रोल पम्प और रसोई गैस की एजेन्सियां स्वीकृत की गई हैं;

(ख) उन व्यक्तियों/व्यक्तियों के समूह का ब्यौरा क्या है जिन्हें ये पेट्रोल पम्प और रसोई गैस की एजेन्सियां स्वीकृत की गई हैं, और

(ग) वर्ष 1995-96 के दौरान राज्यवार कितने पेट्रोल पम्प और रसोई गैस की एजेन्सियां आबंटित करने का विचार है ?

**पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) :** (क) और (ख) सरकार की स्वविवेक शक्तियों के अंतर्गत, गत तीन वर्षों 1992-93 से 1994-95 के दौरान 153 खुदरा बिक्री केन्द्र की डीलरशिप तथा 182 एल पी जी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप आबंटित की गयी थीं।

(ग) उद्योग के साध्यता मानकों के आधार पर सरकार ने एल पी जी विपणन योजना 1994-96 तथा खुदरा बिक्री केन्द्र विपणन योजना 1993-94 को अनुमोदित कर दिया है जिसमें 1191 एल पी जी के स्थान तथा 1040 खुदरा बिक्री केन्द्र के स्थान शामिल हैं। इनके लिए आबंटन विज्ञापन तथा राज्य-वार/क्षेत्र-वार तेल चयन बोर्डों द्वारा चयन की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जाएगा। विज्ञापन जारी करने के उपरांत डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप को शुरू करने में सामान्यतया 1 से 2 वर्षों का समय लगता है।

[हिन्दी]

**इन्दौर में डाक-टिकटों की चोरी**

1825. **श्रीमती सुमित्र महाजन :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में इन्दौर में डाक-टिकटों की चोरी के किसी मामले का पता चला है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम ) :** (क) जी हाँ।

(ख) सर्किल स्टैंप डिपो, भोपाल द्वारा दिनांक 19.10.1995 को 6,52,750/- रु. मूल्य की डाक-टिकटें और डाक-लेखन सामग्री 39 स्पेशल बैगों में भोपाल आर एम एस के जरिए भेजी गई थी। ये बैंक दिनांक 24.10.1995 को प्रात: 9 बजे यशवंत रोड, इंदौर प्रधान डाकघर पहुंचे। बैगों को खोलने के पश्चात् सहायक कैशियर श्री सुरेन्द्र कुमार लागले ने बैग नं. 1/39 से 2,10,000 रु. मूल्य की डाक-टिकटें कम प्राप्त होने के बारे में पोस्टमास्टर को सूचित किया।

(ग) (1) विभागीय जांच के अलावा इस मामले की सूचना स्थानीय पुलिस को दे दी गई है। पुलिस ने श्री सुरेन्द्र कुमार लागले, सहायक कैशियर को गिरफ्तार कर लिया है और उनके घर से 10,000 रुपये मूल्य की डाक-टिकटें बरामद की हैं। मामले की आगे जांच की जा रही है।

(2) श्री सुरेन्द्र कुमार लागले, सहायक कैशियर पोस्टमास्टर और उप पोस्टमास्टर को निलंबित कर दिया गया है। भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कदम उठाए गए हैं।

[अनुवाद]

**बाढ़ नियंत्रण**

1826. **श्रीमती गीता मुखर्जी :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में कालीघाई फेज-II स्थित बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग ने उक्त परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ.) उक्त परियोजना को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है ?

**जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. नंगय्या नायडू):** (क) पश्चिम बंगाल में कालेघई बाढ़ नियंत्रण परियोजना चरण-II की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट राज्य सरकार द्वारा गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग को नहीं भेजी गई है।

(ख) से (ङ.) प्रश्न नहीं उठते।

**औद्योगिक एककों को गैस की आपूर्ति**

1827. **कुमारी सुशीला तिरिया :** क्या पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड ने औद्योगिक एककों को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के बारे में नीति को अन्तिम रूप दे दिया है, और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कमार शर्मा) :** (क) और (ख) गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड फिलहाल विभिन्न क्षेत्रों में 200 से अधिक औद्योगिक इकाइयों को गैस की आपूर्ति कर रही है।

**त्रिवेन्द्रम दूरदर्शन में स्टूडियो**

1828. **प्रो. के.वी. थामस :** क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने त्रिवेन्द्रम दूरदर्शन में आधुनिक स्टूडियो की स्थापना हेतु क्या कदम उठाये हैं;

(ख) इस स्टूडियो पर कुल कितनी लागत आएगी; और

(ग) इसे कब तक चालू किये जाने की संभावना है ?

**सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद):** (क) आधुनिक उपस्कर से सुसज्जित एक सर्वांग-पूर्ण टी.वी. स्टूडियो केन्द्र त्रिवेन्द्रम में पहले से ही कार्य कर रहा है।

(ख) 862.91 लाख रुपये की कुल अनुमोदित लागत पर उच्चशक्ति (10 कि.वा.) टी.वी. ट्रांसमीटर सहित सर्वांग पूर्ण स्टूडियो सुविधा स्थापित की गई थी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

**[हिन्दी]**

**दलितों के साथ दुर्व्यवहार**

1829. **श्री राम विलास पासवान :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में पिछले छः महीनों में दलितों की हत्याओं और दलित महिलाओं के साथ हुए दुर्व्यवहार के कई मामलों का पता चला है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है,

(ग) इस संबंध में अब तक कितने व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एम. कामसन) :** (क) से (ग) महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की घटनाओं के बारे में सूचना सरकार द्वारा नहीं रखी जाती है, लेकिन 1995 (जनवरी से जून) के दौरान उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों से संबंधित ''हत्या'' और ''बलात्कार'' के मामलों की उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है। संविधान के अन्तर्गत ''पुलिस'' और ''लोक व्यवस्था'' राज्य के विषय हैं, अत: दर्ज मामलों में न केवल कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाना अपितु ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकथाम के लिए उपाय करने का कार्य भी उत्तर प्रदेश सरकार का है।

**विवरण**

1995 (जनवरी से जून तक) के दौरान उत्तर प्रदेश में दलितों (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) की ''हत्या'' और उनके साथ ''बलात्कार'' की घटनाएं।

| क्रम संख्या | अपराध शीर्ष | जनवरी | फरवरी | मार्च | अप्रैल | मई | जून | कुल (कालम 3 से 8 तक) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **अनुसूचित जाति** | | | | | | | | |
| 1. | हत्या | 13 | 25 | 31 | 13 | 29 | 35 | 146 |
| 2. | बलात्कार | 23 | 28 | 44 | 25 | 25 | 32 | 177 |
| **अनुसूचित जनजाति** | | | | | | | | |
| 1. | हत्या | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | बलात्कार | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**स्रोत : मासिक अपराध आंकड़े।**

टिप्पणी : आंकड़े अन्तिम हैं।

## टेलीफोन पूछताछ सेवा

1830. **श्री खेलन राम जांगड़े :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूछताछ टेलीफोन संख्या सेवा, अर्थात् 180, 101 और 197 की सेवाएं संतोष जनक हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई/ किए जाने का विचार है ?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) :** (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) सभी महानगरों/मुख्यनगरों में "आटोमेंनुअल" सेवाओं का दूरसंचार विभाग के आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंग-रूप में चरण बद्ध तरीके से कम्प्यूटरीकरण किया जा रहा है।

[अनुवाद]

## मद्रास रिफायनरी में आग

1831. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :** क्या पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1995 में मद्रास के पास मद्रास रिफायनरी लिमिटेड में आग लगने की बहुत बड़ी दुर्घटना घटी;

(ख) यदि हाँ,तो इस स्थिति के मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) आग से कुल कितनी हानि पहुंची; और

(घ) परिसर में आग से परिहार के लिए किन उपायों का प्रस्ताव किया गया है ?

**पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) :** (क) ओर (घ) : 18 नवम्बर, 1995 को मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड की क्रूड आसवन इकाई में अग्निकांड हुआ था। अग्निकांड की जांच पड़ताल करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति स्थापित की गई है। रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् ही अगले ब्यौरों तथा किए जाने वाले उपायों की जानकारी मिल पाएगी।

## रसोई गैस का आयात

1832. **श्री जितेन्द्र नाथ दास :** क्या पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पड़ोसी देशों से रसोई गैस का आयात करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो देश में रसोई गैस के संकट से निपटने के लिए क्या योजना बनाई गई है ?

**पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) :** (क) से (ग) इंडियन आयल कार्पोरेशन द्वारा एल पी जी का आयात, स्थल खरीदों के माध्यम से किया जाता है जिनका संबंध सदैव किसी खास देश से नहीं होता है।

## डी. ओ. टी. का परिवर्तन

1833. **श्री रवि राय :**
**श्री एम.वी.वी.एस.मूर्ति :**
**श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी:**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खान समिति ने दूरसंचार विभाग का ब्रिटिश टेलीकाम' के अनुरूप निजी निकाय में परिवर्तन किए जाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हाँ, तो खान समिति की अन्य सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने सभी सिफारिशों पर विचार किया है, और

(घ) यदि हाँ, तो अन्तिम निर्णय को कब तक क्रियान्वित करने की संभावना है ?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम):** (क) जी हाँ।

(ख) खान समिति की महत्वपूर्ण सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं।

(ग) और (घ) दूरसंचार विभाग को एक निजी निकाय में बदलने से संबंधित सिफारिश अस्वीकार की गई है। समिति की अन्य सिफारिशें विचाराधीन हैं।

### विवरण

**महत्वपूर्ण सिफारिशें**

1. **मिशन और एस डब्ल्यू ओ टी विश्लेषण**
   दूरसंचार विभाग के लिए मिशन की पुरपरिभाषित करना और यह सुनिश्चित करना कि सभी कर्मचारियों को मिशन की सूचना दे दी गई है।
2. **गुणवत्ता**
   नए वातावरण में दूरसंचार विभाग कुल गुणवत्ता प्रबंध के सिद्धान्त पर अमल करे और अपने आप को दूरसंचार गुणवत्ता प्रबंध(टी क्यू एम) के संव्यवहारों के प्रति समर्पित करें। शीर्ष स्तर के प्रबंधकों को दूरसंचार गुणवत्ता प्रबंध(टी क्यू एम) के संव्यवहार के सिद्धान्त से भली-भांति परिचित कराया जाए। दूरसंचार गुणवत्ता प्रबंध को संपूर्ण संगठन पर लागू करने से पहले इसे प्रयोग के तौर पर छोटे पैमाने पर इस्तेमाल किया जाए।
3. सभी स्तर के कर्मचारियों के सभी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में गुणवत्ता प्रबंध के मॉड्यूल्स को शामिल किया जाना चाहिए।
4. देश के भीतर दूरसंचार प्रबंध के संबंधित क्षेत्रों में विशेषज्ञता वाले पाठ्यक्रमों में भाग लेने वालों को खर्च की प्रतिपूर्ति की सिफारिश की जाती है।
5. कार्यस्थल के भौतिक वातावरण में सुधार लाने के प्रति अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। दूरसंचार गुणवत्ता प्रबंध के एक भाग के तौर पर छोटे समूह की गतिविधि शुरू की जानी चाहिए।

6. दूरसंचार कर्मचारियों को वार्षिक गोपनीय रिपोर्टें इस प्रकार बनाई जाएं ताकि वे ग्राहक-संबंध के क्षेत्रों पर अधिक जोर दे सकें, कार्य की गुणवत्ता के प्रति ध्यान दे सकें और आंतरिक संचार में सफल हो सकें।

7. दूरसंचार विभाग कैजेन अथवा इसी प्रकार की अन्य प्रणाली शुरू कर सकता है।

**वाणिज्यिक बिलिंग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों का सुधार**

8. दूरसंचार विभाग को,वाणिज्यिक अनुभाग का नाम बदलकर विपणन एवं/बिक्री कर समूह कर देना चाहिए।
यह समूह दो भागों में बनाया जा सकता है और इसे विशेष कार्य सौंपे जा सकते हैं।

9. ग्राहक सेवाओं से जुड़ी सभी गतिविधियों का स्वचलीकरण तेज किया जाना है और ग्राहक सेवा केन्द्रों के संबंध में एस टी डी/आई एस डी फ्रेंचाइजी को दूरसंचार विभाग के एजेंट के तौर पर काम करना चाहिए।

10. फोटो सहित एक नए आवेदन पत्र फार्म और डिमांड नोट को शुरूआत की जाए।

11. मल्टी-एक्सचेंज शिफ्ट का कार्य करने के लिए क्लियरिंग हाउस की संकल्पना शुरू की जाए।

12. टेलीफोनों की सुरक्षित अभिरक्षा,टेलीफोन शिफ्ट करने, स्थाई वसूली के बाद पुन: संस्थापन, फ्रेंचाइजी किस्म के एस टी डी/आई एस डी पी सी ओ की आरंभिक प्रतिभूति जमा राशि बढ़ाने के संबंध में प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन शुरू किए जाएं।

13. दूरसंचार राजस्व बिलिंग और लेखा प्रणाली को प्राथमिकता पर कम्प्यूटरीकृत किया जाना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए जिन बातों पर विशेष ध्यान दिया जाना है उन्हें विस्तार से बताया गया है।

14. बिल छपे हुए होने चाहिए और उनकी छंटाई पिन-कोडवार की जानी चाहिए। अधिक संख्या में कॉल करने वालों के बिल कोरियर/स्पीड पोस्ट द्वारा भेजे जाएं। बिलों का वितरण करने के लिए तार संदेशवाहकों की सेवाएं इस्तेमाल की जाएं। बड़ी संख्या में काल करने वाले उपभोक्ताओं,सरकारी विभागों,सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और बड़े व्यापारिक घरानों के बिल फ्लापी में फीड किए जाने चाहिए।

15. डुपलीकेट बिल जारी करने की विधि आसान बनाई जाए। बकाया बिलों के ब्यौरे सूचित करने वाली ऑन-लाइन टेलीफोन पूछताछ सेवा शुरू की जाए।

16. सभी एक्सचेंजो/केन्द्रीय तार घरों/विभागीय तार घरों और ग्रेड-I के ग्राहक सेवा केन्द्रों में ऑन-लाइन बिल भुगतान पटल खोले जाएं। राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित/सहकारी बैंको के जरिए बिलों की वसूली,क्रेडिट कार्डों के जरिए भुगतान प्रणाली शुरू की जाए। भारतीय रिजर्व बैंक के जरिए भुगतान को इलेक्ट्रानिक निपटान प्रणाली भी शुरू की जाए। भारी संख्या में काल करने वालों के बिलों का भुगतान स्वीकार करने के लिए अलग पटल(काउंटर) खाले जाए। भीड़भाड़ वाले दिनों में तुरंत भुगतान पटल खोले जाएं। विभागीय सचल वसूली केन्द्रों,बार कोड रीडर के जरिए बिलों की वसूली शुरू की जाए।

17. बिल/शिकायतों के तुरन्त निपटान को पद्धति में संशोधन किया जाए।

18. भिन्न-भिन्न किस्म के ग्राहकों के लिए अलग-अलग किस्म की बिलिंग आवृत्ति शुरू की जाए।

19. बकाया बिलों के निपटान के लिए एक संशोधित पद्धति निर्धारित की जाए। दोषी उपभोक्ताओं के लिए कम्प्यूटरीकृत अनुस्मारक सेवा की शुरूआत की जाए।

20. एस टी डी/आई एस डी चाहने वाले उपभोक्ताओं के लिए प्रतिभूति जमा राशि में वृद्धि की जाए ताकि दोषी उपभोक्ताओं की संख्या को कम किया जा सके।

21. दोष मरम्मत सेवा को तुरंत कम्प्यूटरीकृहत किया जाना चाहिए और इन्हें दोष मरम्मत का नियंत्रण करने में अधिक प्रभावशाली बनाया जाए। इन्टरनेएक्टिव वॉयस रिस्पांस प्रणाली की शुरूआत की जाए।

22. निजी वायर, पट्टे पर ली गई लाइनों और डॉटा सर्किटों की दोष रिपोर्टिंग पर विशेष ध्यान दिया जाए।

23. ग्रामीण टेलीफोनों के उचित अनुरक्षण के लिए संशोधित पद्धति शुरू की जाए।

24. बड़ी मात्रा में टेलीफोन इस्तेमाल करने वालों और क्रीमो लेयर के लिए प्रीमियम सेवा की संकल्पना शुरू की जाए।

25. डारेक्टरी छापने के लिए डाइरेक्टरी-सूचना-निहित फ्लापियां/सी डी आर ओ एम, निजी पक्षकारों को देना होगा। विभागीय छपाई को बंद करना होगा।

26. तकनीकी-आर्थिक अध्ययन के आधार पर सभी इलेक्ट्रोमेकेनिकल एक्सचेंजो को एक समयबद्ध कार्यक्रम के अंदर परिवर्तित करना होगा।

27. कम से कम, प्रीमियम ग्राहकों के लिए डब्ल्यू आई एल एल और आप्टिकल फाइबर तकनीकी को शुरूआत की जानी चाहिए।

28. ग्राहक-केवल तंत्र को तेजी से उन्नत किया जाना चाहिए और तत्पश्चात् अभिलेखों को कम्प्यूटरीकृत किया जाना चाहिए।

29. नए वाहनों के प्रामण हेतु मुख्य महाप्रबंधकों को पूर्ण अधिकार दिए जाने चाहिए।

30. दूरसंचार विभाग की मूल्यवर्धित सेवा के क्षेत्र में प्रवेश करना चाहिए।

**प्रणाली सपोर्ट**

31. एक समेकित कम्प्यूटरीकृत सपोर्ट प्रणाली के तेजी से कार्यान्वयन के लिए आई टी में सुविज्ञ प्रतिष्ठानों की सेवा ली जानी चाहिए।

32. राष्ट्रव्यापी डाइरेक्टरी सूचना सेवा,सामग्री प्रबंधन,केवल अभिलेखों को कम्प्यूटरीकृत करना,टेलीफोन राजस्व तथा लेखा-कार्य को कम्प्यूटरीकृत करने जैसे कार्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

33. वाणिज्यिक अभिलेखों को कम्प्यूटरीकृत करने के लिए आप्टिकल डिस्क पर आधारित डब्ल्यू ओ आर एम कहलाने वाली कम्प्यूटरीकृत रिकार्डिंग प्रणाली का प्रयोग किया जाना चाहिए।

**मानव -संसाधन**

34. कर्मचारियों की अभिप्रेरणा के कार्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके लिए कई उपाय सुझाए गए हैं

35. सभी पात्र समूह ग और समूह घ कर्मचारियों को पुनर्गठित संवर्गों के लिए प्रशिक्षित किया जाए। फोन मैकेनिक और अन्य पुनर्गठित संवर्गों के लिए मानदण्ड निर्धारित करने के संबंध में कार्य का अध्ययन किया जाए।

36. प्रशिक्षण, बाहर की चुनिंदा एजेंसियों द्वारा आयोजित किए जा सकते हैं। ग्राहक को हितरक्षा पर व्यावहारिक अनुभव प्राप्त करने के लिए समूह ख और समूह 'ग' के लिए चुनिंदा समूह को कुछ विकसित देशों में भेजा जाना चाहिए।

37. दूरसंचार विभाग में एक लुभावनी स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति योजना शुरू की जाए।

38. समूह 'घ' कर्मचारियों द्वारा पढ़ाई लिखाई में कुशलता प्राप्त करने के लिए विभाग द्वारा वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाए।

39. कर्मचारियों के आयु स्वरूप को सही करने के लिए मध्यप्रबंधकों को एक सीमित सीमा तक नए नवयुवकों की भर्ती करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

40. कनिष्ठ दूरसंचार अधिकारी,टी ई एस समूह'ख' एस टी एम समूह'क' सिविल/इलेक्ट्रिकल/आरकोट्रेक्चरल इंजीनियर्स और लेखाधिकारियों के संवर्गों के लिए संवर्ग प्रबंध योजना शुरू की जाए।

41. दूरसंचार विभाग में कर्मचारियों को विशेष भत्ते दिए जाएं।

42. कुशल कर्मचारियों को आवास परिवहन, आवासीय टेलीफोन और अवकाश-विश्राम गृह जैसी अतिरिक्त सुविधाएं दी जाएं ताकि वे विभाग में ही बने रहें।

**विपणन**

43. बाहरी संचार(पी आर) आंतरिक संचार और विपणन,ग्राहक उन्मुख और पी.आर. क्षेत्र में आयुक्त प्रशिक्षण और अभिमुखीकरण कार्यक्रम से मुक्त विपणन काम करने के लिए प्रत्येक सर्किल/गौण स्विचन क्षेत्र में एक नई विपणन संरचना सृजित की जाए। राजस्व प्रतिशत के तौर पर विपणन-बजट निर्धारित किया जाए।

44. नीति निर्धारण और कार्यान्वयन में विपणन अनुसंधान को एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी होती है ताकि राजस्व में बढ़ोतरी हो सके।

45. एक परामर्शदायी प्रकोष्ठ और एक दूरसंचार विपणन इकाई बनाई जाए।

46. आरम्भ में मूल्यवर्द्धित और बड़ी संख्या के ग्राहकों के हिसाब किताब का कार्य करने के लिए सेवा प्रतिनिधि और सेवा प्रबंधक की संकल्पना की जाए।

**वित्तीय प्रबंध**

47. नए वातावरण में विभाग का अपनी भूमिका और अपने उद्देश्यों के प्रति एक स्पष्ट दृष्टिकोण होना चाहिए।

48. लेखा जोखा पूर्णतया वाणिज्यिक आधार पर रखने,कार्य निष्पादन और वित्तीय अनुपातों का नियमित विश्लेषण करने की तत्काल आवश्यकता है ताकि भविष्य में प्रभावशाली योजनाएं तैयार की जा सकें।

49. विभाग द्वारा उपस्कर की खरीद सहित खर्च करने की सभी संभावित शक्तियों का सर्किलों में विकेन्द्रीकरण कर देना चाहिए।

50. विभाग द्वारा व्यावसायिक सामग्री प्रबंध, मालसूची नियंत्रण, भण्डार लेखा प्रणाली और वस्तुओं तथा सेवाओं की लागत निर्धारण प्रणाली शुरू की जानी चाहिए। मौजूदा विसंगत और उल्टे टैरिफ ढांचे को तत्काल सही किया जाए।

51. विभाग,परमाणु ऊर्जा आयोग की तरह नियंत्रक कम्पनियों अथवा रेलवे की तरह एक दूरसंचार वित्त निगम की स्थापना पर विचार कर सकता है।

**संरचना**

52. एक वृहत्तर प्रयालक होने के नाते दूरसंचार विभाग के लिए यह आवश्यक है कि वह ब्रिटिश दूरसंचार की तरह अपने आपको एक निजी निकाय में परिवर्तित करने के लिए तैयार रहे।

53. निजी निकाय में परिवर्तन की दिशा में चार उपाय सुझाए जाते हैं

54. निजी निकाय में परिवर्तन से पहले दूरसंचार विभाग की प्रचालक यूनिट को पहले प्रोटो-निगम के तौर पर बनाया जाए और तदनंतर एक नियंत्रक कंपनी का गठन किया जाए जिसके अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की चार इकाइयां होंगी।

55. मौजूदा दूरसंचार आयोग का विभाजन किया जाना चाहिए और इनका एक भाग अलग किया जाए जो संचार मंत्रालय के

अधीन नीति-निर्धारण निकाय के तौर पर कार्य करेगा। इसमें दूरसंचार क्षेत्र के पेशेवर व्यक्ति नियुक्त किए जाएं। इसका एक भाग नियंत्रक कंपनी के प्रबंधक मण्डल के तौर पर कार्य करेगा।

[हिन्दी]

**उत्तर प्रदेश में टेलीफोन एक्सचेंजो का बदला जाना**

1834. **डा. परश राम गंगवार** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों, विशेषकर पीलीभीत और शाहजहांपुर जिलों के कितने टेलीफोन एक्सचेंजो को इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजो में बदले जाने की संभावना है; और

(ख) यह कार्य कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम)**: (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

**उत्तराखंड के प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज**

1835. **श्री बलराज पासी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या श्रीनगर गढ़वाल में नवम्बर 1995 में भूख हड़ताल पर बैठे उत्तराखण्ड प्रदर्शनकारियों पर लाठी चार्ज किया गया था;

(ख) यदि हाँ, तो इसमें कितने व्यक्ति घायल हुए और कितने व्यक्तियों की मृत्यु हो गई;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में तथ्यों और दोषी व्यक्तियों का पता लगाने के लिए कोई स्वतंत्र जांच कराने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एम. कामसन)** : (क) पथराव कर रही भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, उत्तर प्रदेश के पौढ़ी गढ़वाल जिले के श्रीनगर कस्बे की बाजार पुलिस चौकी के निकट 10 नवम्बर, 1995 को हल्के लाठी चार्ज का सहारा लेना पड़ा था।

(ख) 47 व्यक्तियों को हल्की चोटें आई जबकि पथराव से 10 पुलिसकर्मी भी घायल हुए।

(ग) और (घ) जी हाँ, श्रीमान्। राज्य सरकार ने अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री बी.पी. सिंह की अध्यक्षता में एक न्यायिक आयोग का गठन, जिला प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई की पर्याप्तता सहित इस घटना तथा इसके बाद की घटनाओं की जांच करने के लिए किया है।

**अमरीका और इज़रायल के राजदूतों का दौरा**

1836. **श्री चित्त बसु** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका और इज़रायल के राजदूतों ने हाल ही में पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया था ;

(ख) यदि हाँ, तो उनके दौरे का क्या प्रयोजन था ;

(ग) क्या सरकार ने इन दोनों राजदूतों से कोई रिपोर्ट मांगी है ; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री( सैयद सिब्ते रज़ी)** : (क) और (ख) अमरीका के राजदूत ने कथित रूप से असम,मणिपुर,नागालैंड और मेंघालय के बारे में जानने के उद्देश्य से 7 अक्टूबर से 12 अक्टूबर,1995 तक वहां का दौरा किया। इज़रायल के राजदूत ने 4 से 9 अगस्त,1995 तक असम और मेंघालय का दौरा किया। उनके दौरे का उद्देश्य नहीं बताया गया।

(ग) और (घ) भारत में मिशनों के राजदूतों से इस प्रकार के दौरों के बारे में केन्द्र सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अपेक्षा नहीं की जाती है।

**कोयला भंडारों का पता लगाने के लिए सर्वेक्षण**

1837 **श्री लाइतू उम्ब्रे** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले के भण्डारों का पता लगाने हेतु अरूणाचल प्रदेश में अब तक उपयुक्त सर्वेक्षण नहीं किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है;

(ग) यदि नहीं, तो किए गए सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है और कितने भण्डारों का पता लगा है;

(घ) क्या राज्य में और सर्वेक्षण कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ.) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री जगदीश टाईटलर)** : (क) से (च) : भारतीय भू-सर्वेक्षण के अनुसार 1.1.1995 की स्थिति के अनुसार अरूणाचल प्रदेश में राज्य में कुल 90.23 मिलियन टन कोयले के भंडार होने का अनुमान लगाया गया है। अन्वेषण संबंधी कार्य, एक निरन्तर स्वरूप की प्रक्रिया का अभ्यास कार्य होने के नाते, जारी है।

**केबल संहिता में संशोधन**

1838. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या** : क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार केबल संहिता में और संशोधन करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं,

(ग) प्रस्तावित संशोधनों का ब्यौरा क्या है,: और

(घ) क्या सरकार राजनैतिक प्रचार के लिए केबल टेलीविजन के दुरूपयोग को रोकने के संबंध में विचार कर रही है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री पी.एम. सईद) : (क) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम 1994 के अंतर्गत निर्धारित की गई कार्यक्रम संहिता को इस प्रयोजनार्थ पर्याप्त समझा गया है जो अन्य बातों के साथ-साथ केबल सेवा में ऐसे कार्यक्रम के प्रसारण पर रोक लगाती है जो :-

(क) सुरूचि या शिष्टता का अतिवर्जन करता है,

(ख) जिसमें भिन्न देशों की आलोचना अन्तर्विष्ट है,:

(ग) जिसमें धर्मों या समुदायों पर आक्षेप या ऐसे दृश्य या शब्द अन्तर्विष्ट है जो धार्मिक समूहों के संबंध में अवमानपूर्ण हैं या जो साम्प्रदायिक रूख को संपवर्तित करता है:,

(घ) जिसमें कोई बात अश्लील, मानहानिकारक, विमर्शित, मिथ्या और व्यंजनापूर्ण गर्भोक्त तथा अर्द्धसत्य अन्तर्विष्ट हैं;

(ङ) जिसमें हिंसा को प्रोत्साहन मिलने या भड़कने की संभावना है या जिसमें कोई बात विधि व्यवस्था की बनाए रखने के विरूद्ध अन्तर्विष्ट है या जो राष्ट्र विरोधी रूख को संप्रवर्तित करता है;

(च) जिसमें राष्ट्रपति और न्यायपालिका की सत्यनिष्ठा के प्रति दोषारोपण अनर्विष्ट है;

(छ) जिसमें कोई ऐसी बात अनर्विष्ट हैं जो न्यायालय अवमान की कोटि में आती है;

(ज) जिसमें राष्ट्र की अखंडता को प्रभावित करने वाली कोई बात अन्तर्विष्ट है;

(झ) जो किसी व्यष्टि को व्यक्तिगत रूप से या कतिपय समूहों, देश के सामाजिक,सार्वजनिक और नैतिक जीवन के खंडों की आलोचना करता है, निंदा करता है या अपमान करता है:

(ञ) जिसमें ऐसे दृश्य या शब्द अन्तर्विष्ट हैं जो कतिपय जातीय,भाषाई और क्षेत्रीय समूहों के चित्रांकन में अपमानजनक,व्यंग्यात्मक और दंभ-भरा रूख प्रतिबिम्बित करते है।

## सिंचाई परियोजनाएं

1839. डा. साक्षीजी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश को कौन-कौन सी बड़ी मझौली और छोटी सिंचाई परियोजनाएं अपनी मूल समय-सारणी से पीछे चल रही हैं;

(ख) इसके परिणामस्वरूप लागत में कितनी वृद्धि हुई है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री पी. वी. रंगय्या नायडू): (क) और (ख) विवरण संलग्न है।

(ग) लागत में वृद्धि होने के कारणों में ये हैं : निधियों का अपर्याप्त प्रावधान, सामग्री और श्रम की लागत में वृद्धि भूमि अर्जन में विलंब, परियोजना के व्यापि क्षेत्र में बदलाव, बड़ी संरचनाओं के अभिकल्पन में बदलाव आदि।

(घ) आठवीं योजना में अपनाई गई नीति में उन निर्माणाधीन परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी है जिनके क्रियान्वयन में काफी प्रगति हुई है। इस संबंध में अन्य उपायों में ये हैं : विभिन्न परियोजनाओं के लिए परिव्यय निर्धारण करना, केंद और राज्यों में मानीटरी संगठनों/प्रकोष्ठों की स्थापना, लागत नियंत्रण प्रकोष्ठों की स्थापना, परियोजना रिपोर्ट को तैयार करने के लिए दिशा-निर्देशों को तैयार करना और उनको परिचालित करना आदि।

### विवरण

उत्तर प्रदेश की उन परियोजनाओं का ब्यौरा जो अपने मूल निर्धारित कार्यक्रम से पीछे चल रही है।

(करोड़ रुपए)

| क्र.सं. | परियोजना का नाम | योजना जिसमें शुरू की गई | योजना आयोग को तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा मूल रूप से अनुमोदित लागत | वार्षिक योजना 94-95 के अनुसार नवीनतम अनुमानित लागत | पूरा करने की संभावित तिथि |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **बड़ी परियोजनाएं** | | | | |
| 1. | पश्चिमी गंडक नहर | तीसरी | 15.47<br>1961 | 158.77 | आठवीं योजना |
| 2. | सारदा सहायक | तीसरी | 64.84<br>1968 | 1064.60 | आठवीं योजना से आगे |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3. | (क)लखवार ब्यासी बांध | पांचवी | 140.97<br>1975 | 369.00 | - वही - |
| | (ख)लखवार ब्यासी जल उपयोग | - | | | - वही - |
| 4. | मध्य गंगा नहर चरण-I | पांचवी | 66.01<br>1976 | 448.19 | आठवीं योजना |
| 5. | सरयू नहर | पांचवी | 78.68<br>1978 | 1256.00 | आठवीं योजना से आगे |
| 6. | पूर्वी गंगा नहर | पांचवी | 48.46<br>1980 | 276.69 | आठवीं योजना |
| 7. | (क)राजघाट बांध | पांचवी | 123.22<br>1980 | 106.83 | आठवीं योजना |
| | (ख)राजघाट नहर | पांचवी | | 126.44 | आठवीं योजना से आगे |
| 8. | जामरानी बांध | पांचवी | 61.25<br>1975 | 194.00 | - वही - |
| 9. | उर्मिल बांध | पांचवी | 8.56<br>1978 | 29.45 | 1993-94 में पूरा किया गया |
| 10. | सोन पम्प नहर | पांचवीं | 5.64<br>1974 | 72.55 | आठवीं योजना |
| 11. | कनहर सिंचाई | पांचवां | - | 150.27 | आठवीं योजना से आगे |
| 12. | बेवार फीडर | वार्षिक योजना 78-79 | - | 33.17 | आठवीं योजना |
| 13. | मउदहा बांध | पांचवीं | - | 92.13 | आठवीं योजना |
| | बाण सागर | | | | |
| | (क) बांध | पांचवीं | 91.31<br>1978 | 112.00 | आठवीं योजना से आगे |
| | (ख) उत्तर प्रदेश में जल वाहन प्रणाली | | | 119.27 | - वही - |
| | (ग) मध्य प्रदेश में जल वाहन प्रणाली | | | 27.12 | - वही - |
| 14. | चित्तौड़गढ़ जलाशय | पांचवीं | - | 30.94 | आठवीं योजना |
| 15. | गयानपुर पंप नहर | पांचवी | 110.51<br>1992 | 111.87 | - वही - |
| 16. | चम्बल लिफ्ट | वार्षिक योजना 78-79 | - | 47.00 | आठवीं योजना से आगे |
| 17. | हिण्डन कृष्णो दोआब में पैडो चैनल | वार्षिक योजना 79-80 | - | 29.82 | - वही - |
| 18. | (क) टिहरी बांध | चौथी | - | 311.88 | - वही - |
| | (ख) टिहरी जल उपयोग | - | - | - | |
| ख | मझौली परियोजनाएं | | | | |
| 1. | गुन्टानाला बांध | पांचवीं | 1.85<br>1976 | 19.44 | आठवीं योजना से आगे |
| 2. | पेढराई बांध | छठी | 12.54<br>1992 | 13.53 | - वही - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| ग. | विस्तार,नवीकरण एवं आधुनिकीकरण योजनाएं | | | | |
| 1. | अपर गंगा आधुनिकीकरण | 84-85 | 467.76<br>1992 | 517.79 | 8वीं योजना |
| 2. | केन नहर का पुनर्निमाण करना | 69-70 | 0.48<br>1973 | 4.91 | - वही - |
| 3. | नारायणपुर पंप नहर की क्षमता बढ़ना | 1/ | 1.00<br>1969 | 61.91 | - वही - |
| 4. | मेंजा बांध को ऊचा करना | 1/ | त.स.स.*<br>3/93 | 52.18 | - वही - |
| 5. | जमानियां पंप नहर की क्षमता बढ़ना | 1/ | 39.81<br>4/92 त.स.स. | 41.92 | पूरी की गई<br>93-94 |
| | नया ताजेवाला बराज | - | अननुमोदित | 25.00 | - |
| 6. | संशोधित क्वानो पंप नहर | 1/ | 0.80<br>1967 | 20.95 | 8वीं योजना |
| 7. | संशोधित टोन्स पंप नहर | 1/ | 75<br>1989 | 31.38 | 1994-95 |
| 8. | चैनलों को पक्का करना | 1/ | अनुमोदित | 48.78 | 8वीं योजना से आगे |
| 9. | आगरा नहर का आधुनिकीकरण | 1/ | अनुमोदित | 36.89 | - वही - |
| 10. | घग्घर नहर का आधुनिकीकरण | 1/ | अनुमोदित | 26.56 | 8वीं योजना |

*तकनीकी सलाहकार समिति

**अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लिए कल्याण योजनाएं**

1840. **श्री एन.जे.राव्या** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषत: गुजरात राज्य में रहने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विभिन्न समुदायों का ब्यौरा क्या है :

(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समुदायों के उत्थान के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार क्रियान्वित की जा रही विभिन्न कल्याण योजनाओं का ब्यौरा क्या है:

(ग) क्या इन कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत गुजरात राज्य को भी शामिल किया गया है: और

(घ) यदि हाँ, तो अब तक आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए इस प्रयोजन हेतु आबंटित निधियों का ब्यौरा क्या है?

**कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी)** : (क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों को संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के अनुसार राष्ट्रपति के सोलह आदेशों के माध्यम से अधिसूचित किया गया है। राष्ट्रपति के आदेशों की एक सूची विवरण* के रूप में संलग्न है (विवरण-I) । गुजरात राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किए गए समुदायों के ब्यौरे विवरण-II* में संलग्न हैं।

(ख) जैसा कि संलग्न विवरण-III* में दिया गया है।

(ग) जी, हाँ।

(घ) केन्द्र/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत निधियों का आबंटन योजना वार होता है न कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार। तथापि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु अभिप्रेत केन्द्र, केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत कुल आबंटन के ब्यौरे दर्शाने वाला विवरण विवरण-IV में संलग्न है।

*(विवरण - I, II, III और IV ग्रंथालय में रखें गए। देखिए संख्या एल.टी. 8533/95)

**एन.सी.एल. में उत्पादन**

1841. **श्री राम निहोर राय** : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एन.सी.एल. की बीना परियोजना में इस संयंत्र की अधिष्ठापित क्षमता से अधिक उत्पादन हो रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एल.सी.एल. की अन्य परियोजनाओं में संयंत्र की अधिष्ठापित क्षमता से कम उत्पादन हो रहा है;

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं : और

(ङ) इन परियोजनाओं में उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

**कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर)** : (क) और (ख) जी, हाँ।

वर्ष 1994-95 में नार्दर्न कोलफील्ड्स लि. की वीना ओपनकास्ट खान द्वारा 4.5 मि. टन प्रति वर्ष की निर्धारित क्षमता की तुलना में 5.4 मि. टन कोयले का उत्पादन किया।

(ग) नार्दर्न कोलफील्ड्स लि. की 10 खानों में से 4 खानें अर्थात् गोरवी, जयंत,दुधीचुआ(चरण-I) और काकरी में वर्तमान में निर्धारित क्षमता से कम उत्पादन किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) इस 4 खानों में कम उत्पादन होने के कारण नीचे दिए गए हैं:

(1) गोरवी खान में कोयले के भंडारों का समापन;

(2) दुधीचुआ खान में हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन द्वारा आपूर्ति डेगलाइन का खराब कार्य निष्पादन;

(3) जयंत खान के मामले में उच्च स्ट्रीपिंग अनुपात; और

(4) काकरी खान के माले में गंभीर जलीय समस्या।

दुधीचुआ परियोजना(चरण-I) में डेगलाइन में सुधार किए जाने हेतु कदम उठाए गए हैं और काकरी परियोजना के क्रियाकलापों की स्थिति में सुधार किए जाने हेतु ओवरहोल के माध्यम से अग्रिम रूप में जल निकासी का कार्य किया जा रहा है। जयंत में तथा जहां भी अपेक्षित था, उक्त स्थल पर पुराने खराब हुए उपकरणों को प्रतिस्थापित किए जाने हेतु कार्रवाई भी की गई है।

### बंगलादेश तथा नेपाल से घुसपैठ

**1842. श्री रामपाल सिंह** : क्या गृहमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 अक्तूबर, 1995 के "राष्ट्रीय सहारा" में "इन्फिल्ट्रेशन आफ टैरोरिस्ट थ्रू बंगलादेश एण्ड नेपाल" संबंधी प्रकाशित समाचार की ओर गया है :

(ख) यदि हाँ, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इस मामले को बंगलादेश और नेपाल की सरकारों के साथ उठाया है; और

(ग) यदि हाँ, तो उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया रही है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद सिब्ते रजी)** : (क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) और (ग) भारत की सुरक्षा संबंधी चिंताओं से नेपाल और बंगलादेश की सरकारों को अवगत करा दिया गया है। बंगलादेश और नेपाल की अपनी यात्रा के दौरान गृह सचिव के स्तर पर किए गए विचार-विमर्श में इन सुरक्षा संबंधी चिंताओं पर प्रकाश डाला गया था।

बंगलादेश के मामले में, सभी बकाया मुद्दों की गहराई से जांच करने और इन्हें हल करने के लिए व्यावहारिक उपाय सुझाने हेतु एक संयुक्त कार्य दल गठित किया गया है।

जहां तक भारत-नेपाल सीमा का संबंध है, आतंकवादियों के क्रिया-कलापों को देखते हुए सरकार ने उत्तर प्रदेश के महराज गंज जिले में सौनौली के निकट एक आतंकवादी-विरोधी जांच चौकी स्थापित की है। थानों, सीमा चौकियों और आप्रवासन जांच चौकियों को कड़ी चौकसी बरतने के लिए सावधान कर दिया गया है। पूरी सीमा पर सीमा सुरक्षा और पुलिस व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। यह भी निर्णय लिया गया है कि भारत-पाक सीमा से सटे सीमावर्ती जिलों के स्थानीय पुलिस/जिला प्रशासन अधिकारियों की टीम, हर तीन महीनें में अपनी बैठक किया करेगी।

[अनुवाद]

### कन्नड़ समाचारों का समय

**1843. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स:** क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बंगलौर दूरदर्शन ने राष्ट्रीय नेटवर्क पर हिंदी तथा अंग्रेजी के समाचारों के समय में परिवर्तन के कारण कन्नड़ समाचारों के अपने समय में भी परिवर्तन कर दिया है,:

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण है; और

(ग) लोगों के बड़े वर्ग के हित में कन्नड; समाचारों के समय को यथावत् बनाए रखने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

**सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद):** (क) और (ख) जी हाँ। अन्य दूरदर्शन केन्द्रों से प्रसारित क्षेत्रीय समाचार बुलेटिन के साथ एक रूपता बनाये रखने के उद्देश्य से दूरदर्शन केन्द्र, बंगलौर पर प्रसारित कन्नड़ समाचार बुलेटिन समय सांय7.30 बजे से सांय 7.00 बजे कर दिया गया है।

(ग) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

### ढांचागत सुविधाओं का विकास

**1844. श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों के सीमांत क्षेत्रों में ढांचागत सुविधाओं का विकास करने के संबंध में सरकार का कोई प्रसताव है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विभिन्न सीमांत राज्यों में विशेष रूप से राजस्थान में इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

**योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री(श्री बलराम सिंह यादव)** : (क) से (ग) सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी ए डी पी) पाकिस्तान तथा बंगलादेश की सीमा से लगने वाले राज्यों के सीमा ब्लॉकों में चल रहा है ताकि सीमा के समीप स्थित दूरस्थ, अगम्य क्षेत्रों का संतुलित विकास सुनिश्चित हो सकें। आधारभूत सुविधाओं के विकास सहित सीमा क्षेत्रों की विशिष्ट समस्याओं के समाधान के लिए तैयार की गई क्षेत्र विशिष्ट स्कीमें, इस कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू की जा सकती हैं।

स्कीमें तैयार करने का काम संबंधित राज्य सरकारों पर छोड़ा गया

है। राजस्थान सरकार बी ए डी पी के अंतर्गत विभिन्न स्कीमें, जैसे कि सड़कों का निर्माण, पेयजल सुविधाएं, चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सुविधाएं, पशु चिकित्सालयों, प्राथमिक विद्यालय भवनों, पंचायत भवनों इत्यादि चला रही है।

**आंध्र प्रदेश में एस.टी.डी./पी.सी.ओ.**

**1845. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में आबंटित किए गए एस.टी.डी./आई.एस.डी./पी.सी.ओ. की जिलावार संख्या कितनी है;

(ख) लम्बित आवेदन पत्रों की संख्या कितनी है; और

(ग) वर्ष 1995-96 में कितने गए पी.सी.ओ. आबंटित करने का विचार है?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) :** (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होने पर यथाशीघ्र सभा पटल पर रख दी जाएगी।

**कोयले का आयात**

**1846. श्री हरिन पाठक :**
**श्री विजय एन. पाटील :**

क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और चालू वर्ष के दौरान अब तक कोयले का श्रेणीवार, कितनी मात्र में आयात किया गया है;

(ख) इनका मूल्य कितना है; और

(ग) कोयले के इस आयात को कम करने और देश में ही अच्छे किस्म के कोयले का उत्पादन करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

**कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) :** (क) और (ख) विदेश व्यापार महानिदेशालय में उपलब्ध सांख्यकीय के अनुसार वर्ष 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 (अप्रैल-सितम्बर,1995) के दौरान देश में विभिन्न प्रकार के आयातित कोयले की कुल मात्र नीचे दर्शायी गयी है:-

(मि.टन में) (आंकड़े अनन्तिम)

| | कोककर कोयला | अकोककर कोयला | अन्य कोयला जिसमें कोयले के विभिन्न कोक आदि शामिल है। | जोड़ | कीमत (करोड़ रु. में) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1993-94 | 6.9 | 0.39 | 0.11 | 7.40 | 1463.29 |
| 1994-95 | 10.16 | 0.58 | 0.65 | 11.39 | 2224.16 |
| 1995-96 (अप्रैल-सितम्बर 95) | उ.न. | उ.न. | उ.न. | 5.89 | 1249.46 |

टिप्पणी : चालू वर्ष के लिये आयातित कोयले के ब्यौरे तत्काल उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) अब कोयले का आयात ओपन जनरल लाईसेंस के अन्तर्गत अनुमोय है। कोयले का आयात उपभोक्ताओं द्वारा अपने वाणिज्यिक उद्देश्यों के ध्यान में रखते हुये किया जाता है।

धातुकर्मी प्रयोजनार्थ अपेक्षित कोककर कोयले के आयात को पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आयातित कोयले को गुणवत्ता की दृष्टि से देशीय कोयले के साथ मिश्रण किया जाना अपेक्षित होता है।

कोककर कोयले की देशज उपलब्धता में वृद्धि किये जाने हेतु उठाये गये कदमों में मुख्यत: निम्न कदम शामिल है:- विद्यमान खानों को पुर्नगठित करके तथा नई खानों का विकास करके कच्चे कोयले की उपलब्धता में वृद्धि किया जाना तथा विद्यमान वाशरियों को नवीनीकृत किया जाना तथा विद्यमान वाशरियों की क्षमता में वृद्धि करने के लिये नई वाशरियों का निर्माण किया जाना।

कोयले के उत्पादन में सुधार किये जाने के लिये उठाये गये कदमों में निम्नलिखित कदम शामिल हैं - नई खानों का खोला जाना और आधुनिकीकरण के माध्यम से नई प्रोद्योगिकी को प्रयोग में लाकर विद्यमान खानों की उत्पादकता तथा क्षमता में वृद्धि किया जाना और आगतों तथा संरचनात्मक सुविधाओं के समय पर उपलब्धता का सुनिश्चय किया जाना। इसके अलावा निजी क्षेत्र को भी विशिष्टि ग्रहित प्रयोगों के लिये कोयला खनन की अनुमति दी जा रही है।

**सार्वजनिक टेलीफोनों से प्राप्त आमदनी**

**1847. डॉ. वसंत पवार :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान सार्वजनिक टेलीफोनों से प्राप्त आमदनी और इन्हें चलाने वाले कर्मियों को दिए गए कमीशन का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सार्वजनिक टेलीफोन आवंटितियों में कोई बाकीदार भी है; और

(ग) यदि हाँ, तो बकाया धनराशि की वसूली के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम):** (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) जी, हाँ।

(ग) बिल जारी करना और उनकी वसूली करना एक सतत प्रक्रिया है। टेलीफोन के बकाया बिलों की वसूली के लिए कार्यविधि निर्धारित की गई है। भुगतान न करने पर लाइनें काट दी जाती हैं और यथा स्थिति आवश्यकता पड़ने पर कानूनी कार्रवाई भी शुरू की जाती है।

**दूरदर्शन के कार्यक्रमों का पुननिर्धारण**

**1848. श्री सुदर्शन राय चौधरी :** क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में दूरदर्शन के कार्यक्रमों का पुनर्निर्धारण किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री पी.एम.सईद):** (क) और (ख) जी, हाँ। कार्यक्रमों के पुन: सारणीकरण में मुख्य सांयकालीन हिन्दी और अंग्रेजी के समय को बदलकर क्रमश: सांय 8.30 बजे और सांय 9.00 बजे करना, डी.डी. -1 और डी.डी.-2 के कार्यक्रमों को एक दूसरे का पूरक बनाना,क्षेत्रीय भाषा सेवा के समय में बढ़ोतरी करना और दूरदर्शन के डी.डी.-3 चैनल को चालू करना शामिल हैं।

## सिंचाई परियोजनाएं

**1849. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने के पश्चात कितनी सिंचाई परियोजनाएं केन्द्र सरकार को मंजूरी के लिये भेजी गई हैं;

(ख) इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) उक्त परियोजनाओं में से कितनी परियोजनाएं आठवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत रखी गई हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार इन परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान करेगी अथवा विश्व बैंक से सहायता लेगी; और

(ड.) यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है?

**जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री पी.वी.रंगय्या नायडू) :** (क) उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाने के बाद कोई सिंचाई परियोजना अनुमोदन के लिए प्रस्तुत नहीं की है।

(ख)से (ड.) प्रश्न नहीं उठते।

## "कलेक्ट काल" सुविधा

**1850. श्रीमती गिरिजा देवी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश में "कलेक्ट काल" सुविधा प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री(श्री सुखराम) :** (क) और (ख) "कलेक्ट-काल" सुविधा, रिवर्स चार्ज ट्रंक काल के रूप में विभाग में पहले से ही उपलब्ध है, जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक टेलीफोन से ट्रंक काल बुक करने के लिए प्राधिकृत है और काल करने वाली पार्टी के बजाय जिस पार्टी को टेलीफोन किया गया है वह पार्टी ट्रंक काल प्रभार वहन करती है।

[अनुवाद]

## अल्पसंख्यकों हेतु 15-सूत्री कार्यक्रम

**1851. श्री एस. एम. लालजान वाशा:** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अल्पसंख्यकों हेतु केन्द्र सरकार के सीधे निरीक्षण में 15-सूत्री कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अल्पसंख्यकों के लिए 15-सूत्री कार्यक्रम को कब तक कार्यान्वित करने की संभावना है?

**कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) :** (क) और (ख) अल्पसख्यकों के कल्याण के लिए 15-सूत्री कार्यक्रम केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। केन्द्रीय पुलिस संगठन सहित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में भर्ती संबंधी मामले,अल्पसख्यकों के आर्थिक विकास के लिए परीक्षा-पूर्व कोचिंग योजना से संबंधित मामले सीधे ही केन्द्र सरकार के अंतर्गत आते हैं। कानून और व्यवस्था, शिक्षा संबंधी मामले,दंगा पीड़ितों को सहायता, वक्फ सम्पत्तियों का अतिक्रमण,राज्य सिविल/पुलिस सेवाओं में भर्ती. इन मुद्दों से संबंधित केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन सीधे ही राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, लेकिन समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा निकटता से मानीटरिंग की जाती है।

(ग) अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए 15-सूत्री कार्यक्रम मई, 1983 से कार्यान्वित किया जा रहा है तथा यह एक सतत प्रक्रिया है।

## आन्ध्र प्रदेश में बी.पी.सी.एल. और आई ओ सी की विस्तार योजना

**1852. श्री रामकृष्ण कौंताला :** क्या पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. और इंडियन आयल कार्पोरेशन ने आंध्र प्रदेश में विस्तार के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हाँ, तो इसका विवरण क्या है;

(ग) क्या विजयवाड़ा और विशाखापत्तनम के बीच पाइप लाइन बिछाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हाँ, तो इसका विवरण क्या है तथा इस परियोजना की अनुमानित लागत क्या है; और

(ड.) यह परियोजना कब तक पूरी हो जाएगी?

**पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) :** (क) जी हाँ।

(ख) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड का विभाग में अपने नए तेल टर्मिनल पर 7.81 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर टैंक

वैगन लदान सुविधाएं जुटाने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार, इण्डियन आयल कारपोरेशन की निम्नांकित परियोजनाएं हैं:-

(1) 15.83 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत पर ओंगोले में 12,500 कि.ली. भण्डार क्षमता तथा सहबद्ध सुविधाओं वाले नए डिपो का निर्माण किया जा रहा है।

(2) स्थानीय मांग को पूरा करने के लिए काकीनाडा में 63,000 कि.ली. टैंकेज वाले एक बन्दरगाह टर्मिनल का निर्माण करने का प्रस्ताव है।

(3) कुड़प्पा में 33.74 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत पर एक एल पी जी भरण संयंत्र पहले ही निर्माणाधीन है।

(4) पेडापल्ली में वारंगल में 9,600 कि.ली. टैंकेज तथा सहबद्ध सुविधाओं वाला एक राहत डिपो प्रस्तावित है।

(ग) से (ङ) 521.61 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत पर विजाग से विजयवाड़ा तक 356 कि.मी. लंबी उत्पाद पाइपलाइन बिछाने के संबंध में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. का एक प्रस्ताव है। परियोजना के 3 वर्ष के अंतर्गत यांत्रिक रूप से पूरे होने का कार्यक्रम है।

## भूमिगत जल संसाधन

1853. **श्री हरि सिंह चावड़ा** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय भूमियत जल बोर्ड ने गुजरात में विशेषकर सुखा-प्रवण क्षेत्रों,बनासकांठा सौराष्ट्र एवं कच्छ में भूमिगत जल क्षेत्रों के विकास के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बोर्ड द्वारा उपरोक्त क्षेत्र में ट्यूबवैलों एवं हैंड पम्पों को लगाने के लिए क्या सुझाव दिए हैं?

**जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू)**: (क) जी हाँ।

(ख) केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा किए गए सर्वेक्षण और अन्वेषण के आधार पर गुजरात राज्य में कुल वार्षिक पुनर्भरणीय भूजल संसाधन 2.03767 मिलियन हेक्टेयर मीटर प्रति वर्ष आंके गए हैं। सूखा प्रवण क्षेत्रों सहित बनासकांठा और कच्छ जिलों एवं सौराष्ट्र क्षेत्र में कुल पुनर्भरणीय भूजल संसाधनों की उपलब्धता का ब्यौरा इस प्रकार है:

| क्रम संख्या | जिले | कुल पुनर्भरणीय भूजल संसाधन (मि.हे.मी/वर्ष) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | बनासकांठा | 0.14502 |
| 2. | कच्छ* | 0.08029 |
| | **सौराष्ट्र क्षेत्र** | |
| 3. | अमरेली* | 0.08227 |
| 4. | भावनगर* | 0.13297 |
| 5. | जामनगर* | 0.09936 |
| 6. | जूनागढ़* | 0.12512 |
| 7. | राजकोट* | 0.13617 |
| 8. | सुरेन्द्र नगर* | 0.08672 |

* सूखा प्रवण क्षेत्र

(ग) बनासकांठा जिले में, राज्य सरकार ने केन्द्रीय भूजल बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार नलकूपों का निर्माण कार्य शुरू किया है। बोर्ड ने राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अन्तर्गत गांवों में जल की आपूर्ति करने के लिए नलकूपों के निर्माण हेतु जामनगर जिले में 70 स्थलों का चयन किया था। 90 प्रतिशत स्थलों पर ड्रिलिंग सफल रही। इसी प्रकार, बोर्ड ने कच्छ जिले में90 समस्याग्रस्त गांवों के लिए नलकूप स्थलों का पता लगाया है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय भूजल बोर्ड ने राज्य सरकार को विस्तृत जिला रिपोर्ट भी उपलब्ध कराई है जिनसे भूजल संसाधनों की आयोजना और विकास में उपयोग करने के लिए जामनगर, जूनागढ़, राजकोट और सुरेन्द्रनगर जिलों में भूजल उपलब्धता का पता चलता है।

## विकलांग बच्चे

1854. **श्री शरत पटनायक**
**श्री शिवराज सिंह चौहान**

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विकलांग बच्चों की राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या कितनी है,:

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा विकलांग बच्चों के कल्याण हेतु तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष शुरू की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है,:

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने विकलांग बच्चों के कल्याण हेतु कोई नई योजना हाल ही में शुरू की है;

(घ) यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन योजनाओं के अंतर्गत विकलांग बच्चों के कल्याणार्थ स्वयंसेवी संगठनों को सहायता अनुदान दिये जा रहे हैं; और

(च) यदि हाँ, तो देश में तथा विशेषरूप से मध्य प्रदेश में इस प्रयोजनार्थ केन्द्र सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त कर रहे स्वयंसेवी संगठनों का ब्यौरा क्या है तथा इन संगठनों की गतिविधियां किन-किन क्षेत्रों में है?

**कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तम्कानालू)** : (क) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में अनुमानित विकलांग बच्चों को राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार संख्या संलग्न के विवरण-I में दी गई है।

(ख और (ग) पहले से ही विद्यमान योजनाओं यथा विकलांग व्यक्तियों के लिए संगठनों को सहायता, सहायक यंत्रों एवं उपकरणों को खरीद करने और लगाने के लिए व्यक्तियों को सहायता तथा कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए संगठनों की सहायता की

योजनाओं के अतिरिक्त केन्द्र सरकार ने 1993-94 के दौरान विशेष स्कूलों की स्थापना व विकास के लिए संगठनों को सहायता नामक एक योजना शुरू की है।

(घ) और (ड.) विकलांग बच्चों के लिए विशेष स्कूलों की स्थापना और विकास हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना के अंतर्गत उन क्षेत्रों में विशेष स्कूलों की स्थापना के लिए जिनमें ऐसे स्कूल विद्यमान नहीं है, मंत्रालय द्वारा अनुमोदित व्यय के 90 प्रतिशत तक सहायता अनुदान दिया जाता है। विद्यमान स्कूलों के उन्नयन के लिए भी सहायतानुदान दिया जाता है।

(च) ब्यौरा विवरण-II में दिया गया है।

विवरण- I

0-14 वर्ष आयु के शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों का प्रति 1000 विवरण ग्रामीण क्षेत्र

| राज्य | दृष्टि | | | श्रवण | | | वाणी | चलन | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 0-14 | 0-4 | 5-9 | 10-14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| आन्ध्र प्रदेश | 5 | 5 | 6 | 9 | 2 | 9 | | 26 | 10 | 7 |
| असम | - | 15 | - | - | 26 | 15 | | - | 88 | - |
| बिहार | 29 | 10 | 14 | 26 | 40 | 35 | | 8 | 29 | 21 |
| गुजरात | 7 | 6 | 13 | 12 | - | - | | 73 | 9 | 24 |
| हरियाणा | 4 | 24 | 4 | - | 7 | 15 | | 102 | 20 | 55 |
| हिमाचल प्रदेश | 4 | - | 5 | - | - | - | | 13 | 4 | 9 |
| कर्नाटक | 4 | - | - | - | 4 | 10 | | 16 | 16 | 4 |
| केरल | 3 | - | 6 | - | 5 | 23 | | 37 | 3 | 12 |
| मध्य प्रदेश | 12 | 6 | 4 | 16 | 2 | 7 | | 29 | 19 | 29 |

0-14 वर्ष आयु के शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों का प्रति 1000 वितरण शहरी क्षेत्र

| राज्य | दृष्टि | | | श्रवण | | | वाणी | | | चलन | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 0-4 | 5-9 | 10-14 | 0-4 | 5-9 | 10-14 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| आन्ध्र प्रदेश | 5 | - | 3 | 8 | 5 | 7 | * | * | * | 6 | 5 | 11 |
| असम | 22 | - | - | - | 24 | - | | | | - | 109 | - |
| बिहार | - | 162 | 30 | - | - | 101 | | | | 09 | 121 | 76 |
| हरियाणा | - | 35 | 13 | - | - | - | | | | - | 80 | - |
| हिमाचल प्रदेश | 36 | - | - | - | - | - | | | | - | - | 38 |
| कर्नाटक | 27 | 12 | 8 | 8 | 23 | 7 | | | | 32 | 6 | 17 |
| केरल | 58 | 31 | 43 | - | 38 | 18 | | | | 68 | 12 | 25 |
| मध्य प्रदेश | - | 7 | 7 | 8 | 8 | - | | | | 28 | 40 | 24 |
| महाराष्ट्र | 6 | 4 | 3 | 10 | - | 8 | | | | 4 | 5 | 6 |
| उड़ीसा | 2 | - | - | - | 10 | - | | | | - | - | - |
| पंजाब | 22 | 6 | - | - | 27 | 13 | | | | 17 | - | 30 |
| राजस्थान | 37 | 47 | 12 | - | 28 | 27 | | | | 30 | 16 | - |
| तमिलनाडु | 6 | - | 8 | 11 | 11 | 11 | | | | 20 | 18 | 10 |
| उत्तर प्रदेश | 15 | 16 | - | - | 9 | - | | | | 22 | - | 12 |
| पश्चिम बंगाल | - | 17 | 9 | 24 | 31 | 21 | | | | 24 | 12 | 24 |
| अखिल भारत | 12 | 15 | 7 | 7 | 13 | 10 | 35 | 39 | 9 | 21 | 16 | 15 |

टिप्पणी:-*प्रभावी नमूना आकार की अपर्याप्तता का ध्यान में रखकर एन एस एस ओ द्वारा राज्यवार परिणाम प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए प्रति 1000 बच्चों में देर से विकसित होने वाले बच्चों की संख्या जिनका विकास धीमा व पिछड़ा होने की सूचना है।

| राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | आयु 1-14 वर्ष | |
|---|---|---|
| | ग्रामीण | शहरी |
| 1 | 2 | 3 |
| आन्ध्र प्रदेश | 25 | 20 |
| अरूणाचल प्रदेश | 54 | 132 |
| असम | 71 | 60 |
| बिहार | 36 | 29 |
| गोवा | 5 | 3 |
| गुजरात | 15 | 20 |
| हरियाणा | 31 | 33 |
| हिमाचल प्रदेश | 22 | 16 |
| जम्मू और कश्मीर | 40 | 31 |
| कर्नाटक | 14 | 17 |
| केरल | 15 | 32 |
| मध्य प्रदेश | 36 | 18 |
| महाराष्ट्र | 31 | 35 |
| मणिपुर | 16 | 3 |
| मेंघालय | 19 | 26 |
| मिजोरम | 9 | 2 |
| नागालैंड | 92 | 83 |
| उड़ीसा | 47 | 21 |
| पंजाब | 49 | 18 |
| राजस्थान | 32 | 25 |
| सिक्किम | 55 | 28 |
| तमिलनाडु | 38 | 20 |
| उत्तर प्रदेश | 22 | 34 |
| पश्चिम बंगाल | 44 | 39 |
| अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 13 | 6 |
| चंडीगढ़ | 1 | 5 |
| दादर और नगर हवेली | 4 | 9 |
| दमन और दीव | 2 | 4 |
| दिल्ली | 2 | 47 |
| लक्षदीप | 21 | 28 |
| पांडिचेरी | 25 | 12 |
| अखिल भारत | 31 | 29 |

**विवरण-II**

**विकलांगों के कल्याण के लिए मध्य प्रदेश में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों की सूची**

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 1. | लायन्स चेरीटेवल ट्रस 26, मोतीलाल नेहरू नगर भिलाई -490022 | स्कूल फार हेरिंग हैंडीकैप्ट |
| 2. | वैलफेयर ऐसोसिएशन फार दि डिसेवल 8 रामबाग इन्दौर-452004 | दृष्टिहीनों के लिए नियोजन सेंवाएं |
| 3. | एम. पी. वेलफेयर ऐसोसिऐशन फार दि ब्लाइंड 23 बी. डी. किला मैदान इन्दौर-452006 | अ लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण<br>दृष्टिहीनों के लिए नियोजन सेवाएं |
| 4. | विकास सेवा भातरी,21 तिलक वार्ड जबलपुर | मानसिक से मंद तथा वाणी और श्रवण विकृति वाले बच्चों के लिए विशेष विद्यालय |
| 5. | दिगदारशिका इन्स्टीच्यूट शिवाजी नगर भोपाल | मानसिक रूप से मद व्यक्तियों के लिए विशेष स्कूल |
| 6. | आशा ग्राम ट्रस्ट, 1, महात्मा गांधी मार्ग मध्य प्रदेश | कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्तियों का पुनर्वास |
| 7. | स्वामी विवेकानंद कुष्ठ मक्त आश्रम भिलाई नगर, म.प्र. | कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्तियों का पुनर्वास |

[हिन्दी]

## गैस का आबंटन

**1855. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या राजस्थान में गैस पर आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए गुजरात गैस ग्रिड से गैस आबंटित करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा कोई अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या और अधिक हाईड्रो-कार्बन स्रोतों के विकास हेतु राजस्थान के जैसलमेर जिले में कोई सर्वेक्षण किये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है?

**पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा)** : (क) और (ख) पश्चिमी अपतटीय क्षेत्रों से राजस्थान की परियोजनाओं को गैस के आबंटन के लिए राजस्थान सरकार से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। उपलब्धता के लिए अनुमानित संपूर्ण गैस आबंटित कर दी गयी है तथा फिलहाल अतिरिक्त आबंटन करना साध्य नहीं है।

(ग) और (घ) ओ एन जी सी तथा ओ आई एल दोनों ही जैसलमेर बेसिन में तेल एवं गैस की खोज में लगे हैं। इसके अतिरिक्त एक ब्लाक शेल को भी दिया गया है जो उस क्षेत्र में भूकंपी सर्वेक्षण तथा अन्वेषण कार्य आरंभ करेंगे।

[अनुवाद]

## केरल में रसोई गैस की आपूर्ति

**1856. श्री रमेश चेन्नित्तला : क्या पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या केरल में रसोई गैस की आपूर्ति और सिलेंण्डरों को पुन: भरने की सुविधा अत्यधिक असंतोषजनक है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो स्थिति को ठीक करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा)** : (क) से (ग) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटरों के पास पंजीकृत केरल के एल पी जी के वर्तमान ग्राहकों की मांग कमोबेश पूर्णत: पूरी की जा रही है। अस्थाई रूप से पैदा हो सकने वाले बकाये को बढ़ाए गए कार्य घंटों में और छुट्टी के दिनों में भरण संयंत्रों के प्रचालन के माध्यम से और आसपास के क्षेत्रों के भरण संयंत्रों से आपूर्तियों की व्यवस्था करके एल पी जी आपूर्तियों में वृद्धि करके पूरा किया जाता है।

## सिंधुदुर्ग और रत्नागिरि में पेट्रोलियम परियोजना

**1857. श्री सुधीर सावन्त : क्या पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग और रत्नागिरि जिलों में स्थापित करने के लिए कोई पेट्रोलियम परियोजना विचाराधीन है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निकट भविष्य में वहां किसी तेल शोधक कारखाने की स्थापना का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा)** : (क) और (ख) वर्तमान में महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले के लिए कोई परियोजना प्रस्ताव नहीं है। तथापि, रत्नागिरि जिले में तेल कंपनियों द्वारा निम्नांकित परियोजना प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है :-

(1) रत्नागिरि में 3.75 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत पर एक विपणन टर्मिनल स्थापित करने के लिए भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. का प्रस्ताव।

(2) रत्नागिरि में 25.00 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत पर लगभग 25000 कि.ली. टैंकेज तथा सहबद्ध सुविधाओं सहित रेल द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले एक डिपो का निर्माण करने के लिए इंडियन आयल कार्पोरेशन का प्रस्ताव।

(ग) और (घ) जी, हाँ। मैसर्स ओमान आयल कंपनी लिमिटेड के साथ एक संयुक्त उद्यम में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा रत्नागिरि जिलान्तर्गत देवगढ़ में 4407 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत पर एक 6 एम एम टी पी ए क्षमता की ग्रास-रूट रिफाइनरी स्थापित करने का प्रस्ताव है।

## सीमा क्षेत्रों में विद्रोह

**1858. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:**

(क) क्या भारत तथा वर्मा (म्यांमार) सीमा क्षेत्रों में विद्रोह की समस्या से संयुक्त रूप से निपटने हेतु सहमत हुए हैं;

(ख) क्या दोनों देशों के असैनिक अधिकारियों के मध्य इस समस्या पर विचार करने हेतु एक बैठक अगस्त, 1995 में हुई थी;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त बैठक के परिणामस्वरूप सीमा क्षेत्रों में विद्रोह की समस्या किस हद तक सुलझा ली गई है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद सिब्ते रजी)** : (क)भारत सरकार और म्यांमार सरकार के बीच जनवरी, 1994 में एम समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विद्रोहियों, नशीले पदार्थों को लाने/ले जाने वालों आदि के सीमा पार

आवागमन जैसी अवैध एवं प्रतिकूल गतिविधियों का प्रबोधन करने तथा इन्हें प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने का निर्णय लिया गया था।

(ख) से (घ) जैसी कि समझौता ज्ञापन में सहमति हुई थी, राष्ट्रीय और सेक्टर स्तरीय सावधिक बैठकें आयोजित की गई हैं। राष्ट्रीय स्तर की पिछली बैठक 16-17 अगस्त, 1995 की नई दिल्ली में आयोजित की गई थी जब कि अन्य मुद्दों के साथ-साथ,हथियारों एवं विद्रोही ग्रुपों के आवागमन सहित सुरक्षा संबंधी मामलों पर विचार विमर्श किया गया था और दोनों पक्ष, हथियारों/विद्रोही ग्रुपों के आवागमन को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए जानकारी का आदान-प्रदान करते रहने पर और विद्रोही तत्वों के सीमा-पार आवागमन को रोकने के लिए अन्य सहायक उपाय करने पर सहमत थे। इन बैठकों से, दोनों पक्षों के सीमा-प्राधिकारियों और बलों के बीच सहयोग में प्रर्याप्त वृद्धि हुई है और इनके सकारात्मक परिणाम निकले हैं।

## गुजरात में तेल की खोज के लिए निविदाएं

1859. **डा. अमृतलाल कालिदास पटेल:** क्या **पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में गुजरात राज्य के तटवर्ती क्षेत्रों में तेल क्षेत्रों में तेल की खोज के लिए सरकार ने विश्वव्यापी निविदाएं आमंत्रित की हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन देशों का नाम क्या है जो तेल खोज का कार्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार करने के इच्छुक हैं;

(घ) क्या इस संबंध में कोई निर्णय लिया गया है; और

(ङ) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा):** (क) और (ख) भारत सरकार ने संयुक्त उद्यम अन्वेषण कार्यक्रम के अंतर्गत मार्च,1995 में गुजरात कच्छ अपतट में 4 ब्लाकों और गुजरात-कच्छ तट में 1 ब्लाक सहित भारत में 28 ब्लाकों में तेल और गैस के अन्वेषण के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बोली प्रक्रिया के माध्यम से भारतीय और विदेशी कंपनियों से प्रस्ताव आमंत्रित किए थे।

(ग) गुजरात-कच्छ अपतट के ब्लाकों के लिए जिन कंपनियों ने बोलियां भेजी थी उनके नाम निम्नलिखित हैं:

1) लार्सन एण्ड ट्ब्रो लि., भारत

2) जोशी टैक्नालाजीस इंक, अमेरिका

3) रिलायंस इंडस्ट्रीज लि.,भारत

(घ) अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ङ) उपर्युक्त (घ) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

## डाक कर्मचारियों की समस्याएं

1860. **श्री राम बदन :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डाक कर्मचारियों की समस्याओं के संबंध में सरकार द्वारा किसी समझौते पर विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) डाक कर्मचारियों की समस्याओं का कब तक समाधान किये जाने की संभावना है?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) :** (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

## ओ. एन. जी. सी. तथा जी. ए. आई. एल. पेट्रोलियम

1861. **श्री. आर. सुरेन्द्र रेड्डी:** क्या **पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर, 1995 के तीसरे सप्ताह के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों संबंधी निवेश बोर्ड द्वारा अनुमोदित ओ. एन. जी. सी. तथा जी.ए. आई. एल. की पेट्रोलियम परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक परियोजना में कितना व्यय होने का अनुमान है और उसमें विदेशी मुद्रा कितनी होगी;

(ग) उपरोक्त परियोजनायें कब तक पूरी होंगी और वे कब तक चालू होंगी;

(घ) क्या निजी तथा बहुराष्टिक कंपनियों को भी उपरोक्त परियोजनाओं के साथ सहयोजित करने का विचार है; और

(ङ) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

**पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) :** (क) से (ग) नवम्बर, 1995 के तीसरे सप्ताह में सार्वजनिक निवेश बोर्ड द्वारा ओ एन जी सी/गेल की निम्नलिखित परियाजनाएं अनुमोदित की गई थी:-

| परियोजना | अनुमानित व्यय | विदेशी मुद्रा घटक | पूरा होने/चालू किए जाने की नियत तारीख |
|---|---|---|---|
| पश्चिमी अपतट में बी-173 ए ढांचे का का विकास | 120.17 करोड रु. (दिसम्बर,1994 के मूल्यों पर) | 99.77 करोड रुपये | सरकार द्वारा अनुमोदन की तारीख से 26 महीने |
| पश्चिमी अपतट में बी-55 का विकास | 376.74 करोड़ रु. (अगस्त,1995 के मूल्यों पर) | 325.90करोड | सरकार द्वारा अनुमोदन की तारीख से 36 महीने |
| गंधार में गैस संसाधन परिसर की स्थापना | 865.76 करोड़ रुपये | 66.11 करोड रुपये | सरकार द्वारा अनुमोदन की तारीख से 36 महीने |

(घ) और (ङ) इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन में भागीदारों के रूप में निजी अथवा बहुराष्ट्रीय कंपनियों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

## राजस्थान में टेलीफोन प्रणाली

1862. **प्रो. रासा सिंह रावत :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में विशेषत: अजमेर में पुरानी क्रास बार टेलीफोन प्रणाली को इलेक्ट्रोनिक प्रणाली में कब तक बदल दिया जाएगा, इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है तथा राज्य में विशेषकर अजमेर में टेलीफोन एक्सचेंजों को वर्तमान तथा प्रस्तावित क्षमता कितनी है;

(ख) अजमेर तथा ब्यावर जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में उन पंचायत मुख्यालयों की संख्या कितनी है। जिनमें टेलीफोन सुविधा प्रदान की गई है तथा शेष गांवों में यह सुविधा कब तक प्रदान कर दी जाएगी; और

(ग) टेलीफोन सेवाओं के खराब रहने के क्या कारण है तथा इसे और अधिक कुशल बनाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) :** (क) क्रासबार एक्सचेंज को बदलने का प्रस्ताव विचाराधीन है और उन्हें 9वीं योजना अवधि के दौरान उत्तरोत्तर रूप से बदल दिया जाएगा।

राज्य में, खासकर अजमेर में टेलीफोन एक्सचेंजो की मौजूदा एवं प्रस्तावित क्षमता निम्नलिखित है:-

| | मौजूदा क्षमता | 1995-96 के दौरान प्रस्तावित अतिरिक्त क्षमता |
|---|---|---|
| राज्य | 535948 लाइनें | 205000 लाइनें |
| अजमेर | 15200 लाइनें | 3800 लाइनें |

अजमेर के संबंध में 1997 में ई-10 बी इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंजों में 22500 लाइनें और नई प्रोद्योगिकी एक्सचेंज में 15000 लाइनें जोड़ने का एक और प्रस्ताव है।

(ख) अजमेर में अजमेर जिले के एक भाग ब्यावर सहित 264 पंचायत मुख्यालों को तार सुविधा प्रदान की गई है।

शेष 12 पंचायत मुख्यालयों को मार्च, 1997 तक टेलीफोन सुविधा प्रदान करने की योजना है।

(ग) राजस्थान में टेलीफोन सेवाएं संतोषजनक हैं। अजमेर में, 15200 लाइनों में से 47 प्रतिशत लाइनें इलेक्ट्रोनिक हैं। सभी एस टी डी उपभोक्ता इलेक्ट्रोनिक एक्सचेंज द्वारा सेवित हैं

तथापि, सेवाओं में और कुशलता लाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :-

1. नेटवर्क में नई प्रोद्योगिकी एक्सचेंज का अधिष्ठापन ।
2. पुराने एवं मियाद समाप्त एक्सचेंजो को बदलना
3. बाह्य संयंत्र का उन्नयन।
4. सेवाओं का कम्प्यूटरीकरण।
5. उच्चतर स्तर पर एक्सचेंजों के कार्य-निष्पादन की निगरानी।
6. कार्य-कौशल में सुधार लाने के लिए स्टाफ हेतु पुनश्चर्या प्रशिक्षण।

[अनुवाद]

## पेजिंग तथा सेल्यूलर सेवाएं

1863. **श्री सनत कुमार मंडल :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में पेजिंग तथा सेल्युलर सेवाओं के प्रभोक्ता, उनके असंतोषजनक सेवा-स्तर से असंतुष्ट है,जैसा कि नई दिल्ली के 14 नवम्बर, 1995 के "फाइनेंशियल एक्सप्रेस" (मानिटर) में प्रकाशित किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) हाल ही में शुरू की गई इन सेवाओं में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम):** (क)जी, नहीं। "रेडियो पेजिंग तथा सेल्यूलर सचल टेलीफोन-सेवाओं" के विरूद्ध उनके उपभोक्ताओ से कोई विशिष्ट शिकायत नहीं मिली है।

(ख) "सेल्यूलर सचल टेलीफोन व रेडियो-पेजिंग-सेवाएं" उदीयमान स्थिति में हैं। संभावत शीघ्र ही ये सेवाएं सुस्थिर हो जाएंगी।

(ग) सेल्यूलर सचल टेलीफोन-आपरेटरों को चार महानगरों में सेवा शुरू करने हेतु, अनंतिम अनुमति दी गई है। लाइसेंस-धारकों को अतिरिक्त रेडियो ट्रांसमीटरों लगातार, "सेवा-क्षेत्र कवरेज" व सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने को कहा गया है। 'रेडियो पेजिंग' सेवा की में कोई विशिष्ट शिकायत मिलने की स्थिति में उस पर ध्यान दिया जाएगा।

## विकलांग महिलाओं को सुविधा

**1864. श्री दाऊ दयाल जोशी :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि :

(क) क्या विकलांग महिलाओं हेतु कामकाजी महिलाओं के होस्टलों में सुविधाओं का अभाव है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार विकलांग महिलाओं के लिए महिला होस्टलों के निर्माण पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**कल्याण मंत्री (सीताराम केसरी) :** (क) और (ख) कामकाजी महिला होस्टलों में विकलांग महिलाओं के लिए सुविधाओं की कमी होने के संबंध में कोई विशेष ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (घ) दिवा देखभाल केन्द्र सहित कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल भवन निर्माण और विस्तार हेतु सहायता की योजना के अंतर्गत मानव संसाधन विकास (महिलाओं और बाल विकास विभाग) मंत्रालय स्वयं सेवी संगठनों, सार्वजनिक न्यासों, विश्वविद्यालयों, महिला विकास निगमों, सामाजिक कार्य संबधी महाविद्यालयों, विद्यालयों को दिवा देखभाल केन्द्र सहित कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल भवन निर्माण/विस्तार के लिए सहायता अनुदान प्रदान करता है। उस विभाग द्वारा यदि वे प्रस्ताव योजना के दिशानिर्देशें के अनुरूप हों विकलांग कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल भवन के निर्माणर्थ संगठनों/संस्थाओं के आवेदन पत्रों पर भी विचार किया जा सकता है।

[हिन्दी]

## बिहार में टेलीफोन

**1865. श्री ललित उरांव :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) इस समय बिहार में टेलीफोन कनैक्शनों की प्रतीक्षा-सूची में दर्ज व्यक्तियों की जिलावार संख्या कितनी है; और

(ख) प्रतीक्षा-सूची में दर्ज व्यक्तियों को कनेक्शन कब तक दे दिए जाएगें?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) :** (क) 31.10.95 की स्थिति के अनुसार जिला-वार प्रतीक्षा-सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) इस प्रतीक्षा-सूची के, उपस्कर और अन्य संसाधनों को समय पर उपलब्धता के अध्याधीन मार्च, 1996 तक समाप्त हो जाने की आशा है। तथापि, राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 1994 में, बिहार के सभी जिलों सहित देश भर में 1997 तक मांग पर टेलीफोन प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।

### विवरण

बिहार में 31.10.95 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा-सूची के जिलावार ब्यौरे निम्नलिखित है :

| क्र.सं. | जिले का नाम | प्रतीक्षा-सूची |
|---|---|---|
| 1. | बक्सर सहित भोजपुर | 703 |
| 2. | बाँका, मोघयार, शेखपुरा, लखीसराय और जमुई सहित भागलपुर | 2930 |
| 3. | सीवान, गोपालगंज सहित छपरा | 1801 |
| 4. | मधुबनी, समस्तीपुर, बेगुसराय, खगड़िया सहित दरभंगा | 3927 |
| 5. | बोकारो सहित धनबाद | 2969 |
| 6. | देवधर, साहेबगंज, गोड्डा, पाकुर सहित दुमका | 769 |
| 7. | जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा सहित गया | 1442 |
| 8. | जमुरी, तिलइया, छत्रा, गिरिडीह सहित हजारीबाग | 1170 |
| 9. | पश्चिम-सिंहभूम सहित पूर्व-सिंहभूम | 6076 |
| 10. | किशनगंज, पुरनिया, अररिया सहित कटिहार | 899 |
| 11. | पश्चिम-चम्पारन सहित पूर्व-चम्पारन | 1038 |
| 12. | वैशाली, सीतामढ़ी, शेओहर सहित मुजफ्फरपुर | 2742 |
| 13. | नालंदा सहित पटना | 5339 |
| 14. | लोहरदगा, गुमला सहित राँची | 459 |
| 15. | सुपाल, माधोपुर, सहित सहरसा | 216 |
| 16. | महुआ, पालामू, गढ़वा सहित रोहतास | 875 |
| | जोड़ | 33355 |

## गुजरात में डाक व तार घर

**1866. श्री महेश कनोडिया :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि:

(क) 1994-95 के अन्त तक और आज तक गुजरात के ऐसे गांवों की संख्या कितनी है जिनमें डाक व तार घर नहीं है;

(ख) राज्य में विभिन्न श्रेणियों के डाकघरों व तार घरों वाले गांवों की जिलावार संख्या कितनी है; और

(ग) 1995-96 के दौरान खोले जाने वाले डाकघरों और तारघरों की जिलावार ओर श्रेणीवार संख्या कितनी है?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम)** : (क) गुजरात में, वर्ष 1994-95 की समाप्ति तक और आज तक, ऐसे गांवों की संख्या जिनमें डाकघर और तारघर नहीं हैं, 17005 है।

(ख) राज्य में ऐसे गांवों की जिलावार संख्या, जिनमें विभिन्न श्रेणी के डाकघर तथा तारघर मौजूद हैं, क्रमश: संलग्न विवरण- I और II में दी गई है।

(ग) **डाकघर :**

वर्ष 1995-96 के दौरान खोले जाने वाले डाकघरों की जिलावार और श्रेणीवार संख्या संलग्न विवरण III में दी गई है।

**तारघर :**

ऐसा कोई लक्ष्य निधार्रित नहीं किया गया है क्योंकि तार सुविधा मांग और परियात की मात्रा पर आधारित औचित्य के आधार पर प्रदान की जाती है।

**विवरण-I**

उन गांवों की जिलावार संख्या जिनमें विभिन्न श्रेणियों के डाकघर मौजूद हैं।

| क्र. सं. | जिले का नाम | गांवों की संख्या जिनमें डाकघर श्रेणवार मौजूद हैं उप डाकघर | अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर | अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर | कुल |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | अहमदाबाद | 20 | 3 | 398 | 421 |
| 2. | अमरेली | 19 | 3 | 283 | 305 |
| 3. | बनासकांठा | 23 | 1 | 410 | 434 |
| 4. | भरूच | 45 | 4 | 428 | 477 |
| 5. | भावनगर | 22 | - | 403 | 425 |
| 6. | डांग | 5 | - | 51 | 56 |
| 7. | गांधीनगर | 11 | 1 | 49 | 61 |
| 8. | जामनगर | 18 | - | 324 | 342 |
| 9. | जूनागढ़ | 29 | 1 | 442 | 472 |
| 10. | खेड़ा | 82 | 8 | 478 | 568 |
| 11. | कच्छ-भुज | 34 | 2 | 435 | 471 |
| 12. | मेंहसाणा | 36 | 9 | 499 | 544 |
| 13. | पंचमहल | 21 | 4 | 485 | 510 |
| 14. | राजकोट | 30 | 1 | 415 | 446 |
| 15. | साबरकांठा | 38 | 1 | 509 | 548 |
| 16. | सूरत | 35 | 1 | 517 | 553 |
| 17. | सुरेन्द्रनगर | 16 | - | 293 | 309 |
| 18. | बड़ोदरा | 36 | 7 | 566 | 609 |
| 19. | वलसाड़ | 56 | 1 | 473 | 530 |
| | **कुल :** | 576 | 47 | 7458 | 8081 |

**विवरण-II**

**उन गांवों की जिलेवार संख्या जहां विभिन्न श्रेणियों की तार सुविधाएं उपलब्ध हैं**

| क्र. सं. | जिले का नाम | संयुक्त डाक तार घर टेलीप्रिंटर | मोर्स | फोनोकाम आधार पर | संयुक्त डाक तार घरों की कुल संख्या |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | अहमदाबाद | 4 | 6 | 8 | 18 |
| 2. | अमरेली | 1 | 11 | 91 | 103 |
| 3. | बनासकांठा (पालनपुर) | 1 | 9 | 25 | 35 |
| 4. | भरूच | 2 | 12 | 76 | 90 |
| 5. | भावनगर | 5 | 16 | 49 | 70 |
| 6. | गांधीनगर | - | 12 | 42 | 54 |
| 7. | जामनगर | 5 | 6 | 75 | 86 |
| 8. | जूनागढ़ | 4 | 15 | 160 | 179 |
| 9. | खेड़ा नाडियाड | 2 | 18 | 150 | 170 |
| 10. | कच्छ | 4 | 6 | 65 | 75 |
| 11. | मेंहसाणा | 5 | 11 | 128 | 144 |
| 12. | पंचमहल(गोदरा) | 1 | 9 | 110 | 120 |
| 13. | राजकोट | 6 | 11 | 92 | 109 |
| 14. | साबरकांठा (हिम्मतनगर) | - | 12 | 79 | 91 |
| 15. | सूरत | 8 | 31 | 65 | 104 |
| 16. | सुरेन्द्रनगर | 1 | 11 | 74 | 86 |
| 17. | वड़ोदरा | 5 | 22 | 53 | 80 |
| 18. | वलसाड़ | 3 | 25 | 75 | 103 |
| 19. | डांग | 1 | - | 3 | 4 |
| | | 58 | 243 | 1420 | 1721 |

विवरण-III

1995-96 के दौरान खोले जाने वाले संभावित डाकघरों की जिलेवार और श्रेणीवार संख्या।

| क्र. सं. | जिले का नाम | अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर | विभागीय उप डाकघर |
|---|---|---|---|
| 1. | अहमदाबाद | – | 1 |
| 2. | बनासकांठा | 1 | – |
| 3. | जूनागढ़ | – | 2 |
| 4. | मेंहेसाणा | – | 1 |
| 5. | राजकोट | 1 | 1 |
| 6. | साबरकांठा | 1 | 1 |
| 7. | सूरत | | 3 |
| 8. | बड़ोदरा | 1 | 1 |
| 9. | वलसाड | – | 2 |
| | कुल | 4 | 12 |

**मैसूर हिन्दी प्रचार परिषद के कार्यकर्त्ताओं की पिटाई**

1867. **श्री सुरेन्द्रपाल पाठक** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गत माह नई दिल्ली में आयोजित मैसूर हिन्दी प्रचार परिषद के स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर सुरक्षा अधिकारियों ने कुछ व्यक्तियों को निर्दयता से पीटा था;

(ख) यदि हाँ, तो कितने व्यक्ति घायल हुए थे; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं को भविष्य में न होने देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एम. कामसन)** : (क) दिनांक 20.10.95 को नई दिल्ली में हुए मैसूर हिन्दी प्रचार परिषद स्वर्ण जयंती समारोह के दौरान एक व्यक्ति, जिसने कार्यक्रम में बाधा डालने का प्रयास किया था, को पुलिस द्वारा मुख्य हॉल से हटाया गया था। तथापि, जिन सुरक्षा कर्मियों ने उसे वहां से हटाया था, उन्होंने उसकी पिटाई नहीं की थी।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता। [अनुवाद]

**रिक्त पद**

1868. **श्री पवन कुमार बंसल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति/अनूसूचित जनजाति कर्मचारी कलयाण संघ, चंडीगढ़ ने संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन को चंडीगढ़ प्रशासन के अंतर्गत विभिन्न विभागों में बकाया रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में जानकारी दी है; और

(ख) यदि हाँ, तो विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत वर्तमान स्थिति क्या है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एम. कामसन)** : (क) और (ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ, चंडीगढ़ के कुछ प्रतिनिधियों ने, चंडीगढ़ प्रशासन में उच्च पदों पर अनुसूचित जाति श्रेणी के भी अधिकारियों की नियुक्ति चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा न किए जाने के खिलाफ फरवरी 1995 में प्रतिवेदन किया था। अप्रैल, 1995 में ऐसी रिक्तियों का बैकलांग अनुसूचित जाति के लिए समूह 'क' में 27 तथा समूह 'ख' में 20 था और अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए समूह 'क' में 01 तथा समूह 'ख' में 02 था। चंडीगढ़ प्रशासन को अनुदेश जारी किए गए हैं कि वे, समूह 'क' और समूह 'ख' श्रेणियों के लिए चयन/नामांकन करते समय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के कर्मचारियों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने की बात ध्यान में रखें।

**समेंकित जनजातीय विकास एजेंन्सियों की धनराशि का आबंटन**

1869. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या कल्याण मंत्री यह बाताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्त वर्ष के दौरान उड़ीसा में विभिन्न विकास गतिविधियों के लिए समेंकित जनजातीय विकास ऐजेन्सियों को कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार चालू वित्त वर्ष के लिए आबंटन में वृद्धि करने का है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी)** : (क) वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत उक्त राज्य की समेंकित आदिवासी विकास ऐजेन्सियों को विभिन्न विकासात्मक कार्यकलापों के लिए प्रथम किस्त के रूप में 1579.36 लाख रुपये आबंटित किए गए हैं।

(ख) जी, हाँ।

(ग) विशेष केन्द्रीय सहायता योजना के अतर्गत समेंकित आदिवासी विकास एजेन्सियों के प्रयोग के लिए राज्य सरकार को चालू वित्त वर्ष में प्रदान किए जाने हेतु 3142.79 लाख रुपये (पहले निर्युक्त 1579.36 लाख रु. सहित) निर्धारित किए गए हैं जो उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने के अध्ययधीन है। यह पिछले वित्त वर्ष के दौरान निर्युक्त किए गए 2616.95 लाख रुपये की तुलना में अधिक है।

**दंगों के दौरान अनाथ हुए लोग**

1870. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साम्प्रदायिक सद्भावना फाउन्डेशन द्वारा दंगों के दौरान अनाथ हुए कितने लोगों की राज्यवार सहायता की जा रही है;

(ख) योजना के लिये चालू योजनागत कुल कितना आबंटन है तथा चालू वर्ष के बजट में इस योजना के लिये कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ग) इस पर सितम्बर, 1995 तक कितनी धनराशि व्यय की गई ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एम. कामसन)** : (क) राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान ने अब तक विभिन्न राज्यों में 1006 बच्चों की सहायता की है, अर्थात, आंध्र प्रदेश 39, असम 8, बिहार 44, गुजरात 273, कर्नाटक 66, राजस्थान 43, मध्य प्रदेश 145, महाराष्ट्र 255, उत्तर प्रदेश 117 और दिल्ली में 16 ।

(ख) इस योजना के लिए किसी प्रकार का प्लान अथवा बजट आबंटन नहीं किया जाता है। केन्द्र सरकार ने इस प्रतिष्ठान को एक मुश्त 10 करोड़ रुपये की राशि दी है। इस राशि से अर्जित ब्याज और प्राप्त दान का प्रयोग इस योजना पर होने वाले व्यय को पूरा करने के लिए किया जाता है।

(ग) 30 सितम्बर, 1995 तक 84,58,650/-रुपये की राशि रिलीज की गई थी।

## शराब बरामद करना

**1871. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक ट्रक पहले पकड़े जाने के पश्चात् 1995 के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा जगतजीत इण्डस्ट्रीज लि. के शराब से लदे दो ट्रक पकड़े गये थे;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोषी व्यक्तियों के विरूद्व क्या कार्यवाही की गई है ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एम. कामसन)** : (क) से (ग) वर्ष 1995 (18.11.95 तक) के दौरान जगतजीत इण्डस्ट्रीज हमीरा, पंजाब, द्वारा निर्मित शराब से बड़ी मात्रा में भरे हुए चार ट्रकों को दिल्ली पुलिस ने पकड़ा था। उपर्युक्त मामलों के ब्यौरे तथा अभियुक्तों के खिलाफ की गई कार्रवाई संलग्न विवरण में दी गई है।

### विवरण

1. थाना जहांगीर पुरी, दिल्ली में आबकारी अधिनियम, की धारा 61/1/14 के अधीन 17.3.95 को दर्ज मामला प्र.सू. रिपोर्ट संख्या 109/95.

   17.3.95 को पी.सी.आर. स्टाफ ने एक ट्रक नम्बर पी.बी. -08-एच 8802 को हरिजन बस्ती, मलसावा, जहांगीर पुरी में 1344 बोतले, 4800 अद्धे तथा 14,400 एक पाव वाली शराब की बोतलों को उतराते हुए देखा। चार व्यक्तियों को पकड़ा गया।

2. थाना पटेल नगर, नई दिल्ली, में आबकारी अधिनियम की धारा 61/1/14 के अधीन दिनांक 26.7.95 को दर्ज मामला प्र.सू. रि. संख्या 586.

   26.7.95 को दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने विवेक सिनेमा, पटेल नगर, नई दिल्ली के निकट एक मारूति कार नम्बर डी.एल. -1 सी-बी-3564 को पकड़ा और एक व्यक्ति को गिरफ्तार करके कार से बोनी स्काट स्पेशल मान्ट व्हिस्की के 10 कार्टन तथा जगतजीत इण्डस्ट्रीज, कपूरथला, पंजाब में बनी शराब के 10 कार्टन जिसमें 375 अद्धे थे, बरामद किए।

3. थाना इन्दरपुरी, नई दिल्ली, में आबकारी अधिनियम की धारा 61/1/14 और भा. द. सं. की धारा 308/427 के अधीन 19.8.95 को दर्ज मामला प्र.सू.रि. संख्या 184.

   18.8.95 को थाना इन्दरपुरी, के एक छापामार दल ने पी.सी.आर. वैन की मदद से टी-पायंट किशन कुंज, इन्दरपुरी में एक टाटा टैम्पों नम्बर डी.एल. -1 सी.बी. 4806 को रोका। टैम्पों का चालक बचकर भाग निकला जब कि पीछे छोडे गए दो व्यक्तियों को पुलिस ने पकड़ लिया। जगतजीत इण्डस्ट्रीज लिमिटेड हमीरा, पंजाब द्वारा निर्मित बोनी स्काट माल्ट व्हिस्की के 6480 पउए, और 1920 अद्धे बरामद किए गए।

4. थाना वंसत कुंज, नई दिल्ली, में आबकारी अधिनियम की धारा 61/1/14 के अधीन दिनांक 18.9.95 को दर्ज मामला प्र.सू. रि. संख्या 432.

   18.9.95 को दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने महिपाल पुर चैक पोस्ट गुडगांव रोड़, दिल्ली के पास एक एम्बेसडर कार नम्बर डी.एल.-3-9041 को पकड़ा और दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया और जगतजीत इण्डस्ट्रीज द्वारा निर्मित बोनी स्काट स्पेशल माल्ट व्हिस्की के 20 कार्टन 960 बोतलें, और 120 अद्धे बरामद किए।

[हिन्दी]

## पर्वतीय क्षेत्रों का विकास

**1872. श्री दत्ता मेघे** : क्या योजना तथा कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्वतीय क्षेत्रों के विकास के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा महाराष्ट्र को कोई सहायता प्रदान की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार ने इस उद्देशय के लिये और अधिक सहायता की मांग की है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

**योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिहं यादव)**: (क) और (ख) पश्चिमी घाट विकास

कार्यक्रम (डब्ल्यू.जी.डी.पी.) के तहत पहाड़ी क्षेत्र के विकास के लिए महाराष्ट्र को विशेष केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है, चालू वित्तीय वर्ष (1995-96) के दौरान इस कार्यक्रम के तहत महाराष्ट्र को 15.17 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है।

(ग) से (ड.) महाराष्ट्र सरकार ने, पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए आबंटित निधियों में से पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम के तहत निधियों के आबंटन में वृद्धि करने का अनुरोध किया था। किन्तु संसाधनों पर दबावों के कारण, आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक, पहाड़ी क्षेत्र विकास और पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम के बीच निधियों के बंटवारे के वर्तमान फार्मूले को न बदलने का निर्णय लिया गया।

**मध्य प्रदेश के गांवों में टेलीफोन कनेक्शन**

**1873. श्री शिवराज सिहं चौहान :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के विदिशा, राइसेन तथा शिहोर जिले के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार नेटवर्क स्थापित करने तथा इसके रखरखाव हेतु क्या कदम उठाए गए है;

(ख) क्या इन जिलों के अधिकांश गांवों में दूरसंचार नेटवर्क सुविधा उपलब्ध करा दी गई है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) 30 जून, 1995 तक इनमें से कितने गांवों में दूरसंचार नेटवर्क कार्य कर रहा था?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री ( श्री सुखराम** :(क) सरकार ने राष्ट्रीय दूरसंचार नीति, 1994 अपनाई है, जिसका वर्ष 1997 तक मध्य प्रदेश के विदिशा, राइसेन और शिहोर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश के सभी गांवों को सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने की परिकल्पना है। यह भी कि, टेलीफोन एक्सचेंज उन स्थानों पर स्थापित किए जा रहे हैं, जहां भुगतान की गई मांगें दस अथवा अधिक तक हैं।

दूरसंचार नेटवर्क के अनुरक्षण के बारे में, ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन अधिकतर उन रेडियों प्रणालियों पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जो त्रुटि-पूर्ण तार पर आधारित कनैक्शनों का उपयोग नहीं करते है और सैचर ऊर्जा सेलों से शक्ति प्राप्त करते हैं, एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अविश्वसनीय विद्युत आपूर्ति पर निर्भर नहीं करते हैं। प्रतिदिन-रखरखाव की दैनिक आधार पर जांच करने से जैसे भी और जब भी सूचना मिलती है, त्रुटियों का शीघ्र निवारण करना सुनिश्चित किया जाता हैं।

(ख)से (घ) 30.6.1995 को, इन जिलों में लगाए गए ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों के स्तर और उनमें सक्रिय संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

**विवरण**

विदिशा, राइसेन और शिहोर जिलों में लगाएं गए ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोनों का स्तर और 30.6.95 तक उनमें से कार्यरत की संख्या

| क्र. सं. | जिले का नाम | गांवों की सख्या | जिन गांवों को सार्वजनिक टेलीफोन की सुविधा प्राप्त है। | दोषपूर्ण ग्रामीण टेलीफोनों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 1. | विदिशा | 1624 | 621 | 71 |
| 2. | राइसेन | 1509 | 590 | 60 |
| 3. | शिहोर | 1072 | 424 | 11 |

[अनुवाद]

**राज सहायता की मांग**

**1874. डॉ. (श्रीमती) के. एस. सौन्दरम :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेगें कि :

(क) क्या दक्षिणी राज्यों ने पूर्वी कोयला क्षेत्रों से कोयले की ढुलाई पर होने वाले अतिरिक्त खर्च को पूरा करने के लिए राज सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोयले की ढुलाई का खर्च कोयला खानें वहन करेंगी अथवा वे राज्य जो कोयला मंगा रहे हैं; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) :** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीयकृत कोयला कंपनियों द्वारा पिटहैड से लदान स्थल तक तीन किलोमीटर से अधिक की दूरी के कोयले के परिवहन के लिए खरीददारों से निम्नलिखित दर पर प्रभार लिया जाता है :-

| दूरी | दर (रु. में) |
|---|---|
| (1) तीन कि.मी. से अधिक की दूरी के लिए लेकिन 10 कि.मी. से कम | 18/- रु. प्रतिटन |
| (2) 10 कि.मी. से अधिक की दूरी के लिए लेकिन 20 कि.मी. से कम | 35/- रु. प्रतिटन |

सामान्यत: गैर-महत्वपूर्ण क्षेत्र के उपभोक्ताओं के मामले में कोयला कंपनियो द्वारा 20 कि.मी. से अधिक की दूरी के लिए कोयले का परिवहन नहीं किया जाता है। किन्तु, महत्वपूर्ण क्षेत्र के उपभाक्ताओं के मामले में जहां कि कोयले का परिवहन 20 कि.मी. से अधिक की दूरी के लिए लदान स्कूलों तक परिवहन किया जाता है, एसे मामलों में वास्तविक आधार पर देय परिवहन प्रभार खरीददारों द्वारा वहन किया जाता है।

लदान स्थल से गन्तव्य तक परिवहन की लागत खरीददारों द्वारा

वहन की जाती है, जिसमें राज्य सरकार के उपक्रम अथवा संगठन शामिल होते हैं।

**रायसीना रोड़ बम विस्फोट**

**1875. श्री श्रवण कुमार पटेल :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में 11 सितम्बर, 1993 की रायसीना रोड़ पर हुए बम (आर.डी.एक्स.) विस्फोट के संबंध में अब तक कोई जांच की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एम. कामसन) :** (क) से (ग) भा.दं.सं. की धारा 302/ 307/ 323/ 324/ 326/ 427/ 379/ 436/ 120-ख, आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम की धारा 3/ 4/ 5 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4/ 5 तथा "सार्वजनिक सम्पत्ति को क्षति की रोकथाम अधिनियम" की धारा 3, के अंतर्गत, पुलिस स्टेशन, संसद मार्ग में एक मामला दर्ज किया गया था। इस मामले की जांच पूरी कर ली गयी है और मामले का चालान न्यायालय में कर दिया गया है। इस मामलें में दिल्ली पुलिस द्वारा की गयी जांच पड़ताल के अलावा, अन्य कोई जांच नहीं की गयी है।

[हिन्दी]

**टेलीफोन एक्सचेंजो की क्षमता**

**1876. श्रीमति भावना चिखलिया :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि:

(क) देश में, विशेषत: गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले में कार्यरत टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या तथा उनकी क्षमता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन एक्सचेंजों, विशेषत: जनूागढ़ जिले में कार्यरत एक्सचेंजों की क्षमता बढ़ाने का है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) :** (क) 31.9.95 तक के अनुसार टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता के ब्योरे इस प्रकार हैं

| | टेलीफोन एक्वेजों की संख्या | लाइनों की सज्जित क्षमता |
|---|---|---|
| (1) पूरे देश में | 20356 | 12536101 |
| (2) गुजरात के जूनागढ़ जिले में | 80 | 33088 |

(ख) जी, हाँ।

(ग) विभाग ने वर्ष 1995-96 के दौरान गुजरात के जूनागढ़ जिले में 6625 लाइनों सहित देश में 32.8 लाख लाइनों की निवल स्पिच-क्षमता और जोड़ने की योजना बनाई है।

**कोयला मजदूरों को वेतन**

**1877. श्री अर्जुन सिंह यादव :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चौथे वेतन आयोग ने वर्ष 1991 के दौरान कोयला उद्योग के मजदूरों से संबंधित अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो क्या कोयला मजदूरों को धनराशि का भुगतान चौथे वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार किया जा रहा है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या मजदूरों को बकाया धनराशि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हाँ, तो 31 मार्च, 1995 तक कुल कितनी धनराशि बकाया है ओर इस धनराशि का कब तक भुगतान कर दिया जाएगा?

**कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) :** (क) से (घ) चतुर्थ वेतन आयोग अथवा इसकी रिपोर्ट से कोयला कामगारों का कोई संबंध नहीं है। कोयला कामगारों के लिये मजदूरी समझौता, जो कि राष्ट्रीय कोयला मजदूरी समझौता-4 के रूप में जाना जाता है, उस पर दिनांक 27.7.1989 को हस्ताक्षर किये गये थे तथा उक्त समझौते के अनुसार कामगारों को भुगतान किये जाने के लिए कोई राशि बकाया देय नहीं है।

[अनुवाद]

**मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति में संशोधन**

**1878. श्री राम विलास पासवान :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति में संशोधन के लिये कोई प्रस्ताव काफी समय से लंबित पड़ा है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है, और

(ग) इस संशोधन के लिये कितनी वित्तीय सहायता की आवश्यकता होगी ?

**कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी ) :** (क) जी, नहीं। ये दरें अभी हाल ही में 1995-96 से संशोधित की गई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) योजना आयोग, अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के छात्रों की केन्द्रीय प्रायोजित योजना में प्रस्तावित संशोधनों हेतु 1994-95 तक वित्तीय विवशता के कारण अपेक्षित अतिरिक्त धनराशि प्रदान नहीं कर सका। तथापि; 1995-96 के दौरान, इन संशोधनों हेतु अनुमानित अतिरिक्त अपेक्षित 95.27 करोड़ रुपये के मुकाबले में योजना आयोग ने अनुरक्षण भत्ते की दरों हेतु केवल 40 करोड़ रुपये ही प्रदान किए हैं जिससे 1995-96 के लिए 55.27 करोड़ रूपए की राशि की अतिरिक्त आवश्यकता रह गई है।

[हिन्दी]

**कोयले की कमी**

1879. **श्री खेलन राम जागंड़े :**
**श्री लाल बाबू राय :**

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) विभिन्न सहायक कंपनियों में गत तीन वर्षों के दौरान 31 मार्च, 1994 तक कोयले के उत्पादन में कितने घाटे को बट्टे खाते में डाला गया है;

(ख) इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या किसी को इसके लिए दोषी ठहराया गया है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) यदि नहीं; तो इसके क्या कारण हैं ?

**कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर)** : (क) कोल इंडिया लि. (को.इं.लि.) से प्राप्त सूचना के अनुसार, पिछले 3 वर्षों के दौरान, मार्च 1994 तक, को. इं .लि. की सहायक कम्पनियों में कोयले के घाटे को बट्टे खाते डाले जाने की कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

(ख) से (ड.) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

**गरीबी रेखा के नीचे रह रहे व्यक्ति**

1880. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री : क्या योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग देश में गरीबों की संख्या एवं उनके अनुपात संबंधी आकलन तैयार कर रहा है;

(ख) यदि हाँ; तो ऐसे आकलनों का आधार क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार विशेषज्ञ दलों की निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए आकलन के आधार में कोई परिवर्तन लाने का है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों का राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार अद्यतन आकलन क्या है ?

**योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)** : (क) जी हाँ।

(ख) योजना आयोग, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन.एस.एस.ओ.) द्वारा आयोजित घरेलू उपभोक्ता व्यय के संबंध में पंचवर्षीय सर्वेक्षण और योजना आयोग द्वारा गठित प्रभावी खपत मांग और न्यूनतम आवश्यकताओं के प्रक्षेपण के संबंध में कार्य दल में निर्धारित किए गए अनुसार गरीबी रेखा के आधार पर गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों की संख्या व अनुपात के बारे में अनुमान लगाता है, पर भी विचार करता है।

(ग)और (घ) गरीबी के मुद्दे पर और ज्यादा सुविज्ञतापूर्वक विचार-विमर्श करने के लिए गरीबों की संख्या व अनुपात के अनुमान संबंधी विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट परिचालित कर दी गयी है। यह रिपोर्ट कुछेक प्रमुख विशेषज्ञों को भी गरीबी के मुद्दे पर उनके विचार जानने के उद्देश्य से भेजी गयी है। गरीबी के अनुमानों के संबंध में विशेषज्ञ दल को सिफारिशों का अध्ययन किया जा रहा है।

(ड.) वर्ष 1987-88 के लिए फिलहाल उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों की संख्या व अनुपात के संबंध में राज्य/संघ-राज्य क्षेत्रवार अनुमान से संबंधित एक विवरण संलग्न है।

**विवरण**

**वर्ष 1987-88 में राज्यों द्वारा गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत व संख्या**

| | | ग्रामीण | | शहरी | | संयुक्त | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| क्रम.सं. | राज्य | सं. लाख | प्रतिशत | लाख | प्रतिशत | सं. लाख | प्रतिशत |
| (0) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. | आंध्र प्रदेश | 153.1 | 33.8 | 42.6 | 26.1 | 195.7 | 31.7 |
| 2. | असम | 90.4 | 24.5 | 2.5 | 9.4 | 52.9 | 22.8 |
| 3. | बिहार | 300.3 | 42.7 | 36.1 | 30.0 | 336.4 | 40.8 |
| 4. | गुजरात | 56.2 | 21.2 | 17.1 | 12.9 | 73.3 | 18.4 |
| 5. | हरियाणा | 13.5 | 11.7 | 4.7 | 11.7 | 10.2 | 11.6 |
| 6. | हिमाचल प्रदेश | 4.4 | 9.7 | 0.1 | 2.4 | 4.3 | 9.2 |
| 7. | जम्मू व कश्मीर | 8.4 | 15.5 | 1.4 | 8.4 | 9.8 | 13.9 |
| 8. | कर्नाटक | 102.6 | 33.9 | 33.7 | 24.2 | 136.5 | 32.1 |
| 9. | केरल | 37.4 | 16.4 | 11.6 | 19.3 | 49.0 | 17.0 |
| 10. | मध्य प्रदेश | 194.0 | 41.5 | 30.9 | 21.3 | 224.9 | 36.7 |
| 11. | महाराष्ट्र | 166.9 | 36.7 | 47.2 | 17.0 | 214.1 | 29.2 |
| 12. | उड़ीसा | 124.2 | 48.3 | 10.9 | 24.1 | 135.1 | 44.7 |

| (0) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | पंजाब | 9.6 | 7.2 | 4.3 | 7.2 | 13.9 | 7.2 |
| 14. | राजस्थान | 80.5 | 26.0 | 19.0 | 19.4 | 99.5 | 24.6 |
| 15. | तमिलनाडु | 138.4 | 39.5 | 38.5 | 20.5 | 176.9 | 32.8 |
| 16. | उत्तर प्रदेश | 373.1 | 37.2 | 75.2 | 27.2 | 448.3 | 35.1 |
| 17. | पश्चिम बंगाल | 137.2 | 30.3 | 36.3 | 20.7 | 173.5 | 27.6 |
| 18. | राज्य और संघ राज्य क्षेत्र | 9.3 | 11.8 | 4.9 | 4.7 | 14.2 | 7.7 |
| | अखिल भारत | 1959.7 | 33.4 | 417.0 | 20.1 | 2376.7 | 29.9 |

टिप्पणी : (1) उपरोक्त अनुमान 1987-88 की कीमतों पर शहरी क्षेत्रों के लिए 152.1 रु. प्रति व्यक्ति प्रतिमाह और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 131.8 रु. प्रति व्यक्ति प्रतिमाह की गरीबी रेखा का प्रयोग करके निकाले गये हैं, जो वर्ष 1973-74 के लिए क्रमश: 49.1 रु. 56.6 रु. की गरीबी रेखा के अनुरूप है।

(2) गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्तियों की संख्या 1 मार्च, 1988 के अनुसार की जनसंख्या से संबंधित है।

## स्वायत्त परिषदें

**1881. श्री चित्त बसु :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का कोई विचार नागालैंड और मणिपुर से स्वायत्त परिषदों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस दिशा में अब तक क्या कदम उठाये गये हैं ?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (सैयद सिब्ते रज़ी) :** (क)से (ग) नागालैंड में स्वायत्तशासी परिषदों के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है। मणिपुर में "मणिपुर( पर्वतीय क्षेत्र) जिला परिषद अधिनियम, 1971" के अधीन गठित की गई 6 जिला परिषदें इस समय अस्तित्व है।

## संस्कृति पर अतिक्रमण

**1882. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि :

(क) क्या उन्होंने इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से संस्कृति पर अतिक्रमण के संबंध में चिन्ता व्यक्त की है; और

(ख) यदि हाँ, तो भारतीय संस्कृति, जिसे इलेक्ट्रोनिक्स मीडिया द्वारा अनुपयुक्त रूप से परिवर्तित किया गया है, की रक्षा हेतु क्या कार्यक्रम शुरू किये गये है?

**सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम.सईद):** (क) जी, हाँ। विदेशी इलैक्ट्रोनिक मीडिया की चुनौतियों के बावजूद भारतीय मूल्यों और संस्कृति को सुरक्षित रखने की आवश्यकता पर बल दिया गया था।

(ख) विभिन्न प्रारूपों के कार्यक्रमों के जरिए भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं परंपराओं को चित्रित करने वाले कार्यक्रमों को प्रसारित करने के लिए दूरदर्शन निरन्तर प्रयत्न करता है। भारतीय इतिहास एवं संस्कृति को चित्रित करने वाले झाँसी की रानी, अकबर दी ग्रेट, महाभारत, सुरभि, हितोपदेश (संस्कृत में धारावाहिक) आदि जैसे कार्यक्रम वर्तमान में प्रसारित किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, समय-समय पर दूरदर्शन के सांयकालीन राष्ट्रीय समाचार बुलेटिनों के "कला और संस्कृति" कैप्सयूल में भी कला और संस्कृति के बारे में समाचार प्रसारित किए जाते है।

[हिन्दी]

## उत्तर प्रदेश में विकलांग बालिका गृह

**1883. डा. साक्षीजी :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में विकलांग महिलाओं के लिये कुछ केन्द्र (विकलांग बालिका गृह) चलाये जा रहे है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार इन केन्द्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है; और

(घ) यदि हाँ, तो गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक केन्द्र को कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गई है ?

**कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के. वी. तंगकाबालु) :** (क) और (ख) सूचना उत्तर प्रदेश सरकार से एकत्र की जा रही हैं

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

## कल्याण योजनाओं के लिये केन्द्रीय अनुदान

**1884. श्री एन. जे. राठवा :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों से विभिन्न समाज कल्याण योजनाओं के अंतर्गत केन्द्रीय अनुदान हेतु प्रतिवर्ष कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए है;

(ख) इन पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कितने प्रस्तावों के लिए केन्द्रीय अनुदान मंजूर किया गया; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात में विभिन्न संगठनों को प्रतिवर्ष कितनी धनराशि नियत की गई ?

**कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंगकाबालू) :** (क) से (ग) इस मंत्रालय की वयोवृद्ध, किशोर सामाजिक कुसमंजन का नियंत्रण, भिक्षावृत्ति निवारण, निराश्रित बच्चे तथा व्यसनियों की समस्याओं से सम्बन्धित योजनाओं सहित अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों तथा विकलांग व्यक्तियों के लिए योजनाएं हैं। जहां तक विशेष संघटक योजना और आदिवासी उप योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता का सम्बन्ध है, इसे विभिन्न राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों को एक सुपरिचित और सुस्थापित सूत्र के अनुसार आबंटित किया जाता है। जहां तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अन्य योजनाओं का सम्बन्ध है, इनका विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त प्रस्तावों, पहले के अनुदानों के उपयोग, समान शेयर के लिए राज्यों के बजटों में प्रावधानों आदि के अनुसार आबंटन किया जाता है। जहां तक पिछड़े वर्गों के लिए योजनाओं का सम्बन्ध है, उन्हें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम के द्वारा राज्य स्तरीय विकास निगमों और राज्य सरकार/संघ राज्य। क्षेत्र प्रशासनों की अन्य प्राधिकृत एजेंसियों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है और दूसरी पिछड़ी जातियों को राज्य स्तरीय निगमों के माध्यम से विभिन्न राज्य/निगमों से प्राप्त मांगों को ध्यान में रखते हुए ऋण अग्रिम पर दिए जाते हैं। यही स्थिति राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से आर्थिक विकास के लिए दिए गए फण्डों की है। अल्पसंख्यक समुदाय के पिछड़े वर्गों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए परीक्षा-पूर्व कोचिंग की एक योजना है जिसे गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है।

जहां तक विकलांग व्यक्तियों के कल्याण का सम्बन्ध है, ये योजनाएं कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थानों से तथा गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। तथापि, विकलांग व्यक्तियों के रोजगार की एक केन्द्र प्रायोजित योजना है और अनुदान प्राप्त मांग के अनुसार प्रदान किया जाता है और बजट प्रावधान राज्य सरकार द्वारा राज्य का हिस्सा मुहैया कराने के लिए किया जाता है। जहां तक समाज रक्षा योजनाओं का सम्बन्ध है, वे सभी योजनाएं केन्द्र प्रायोजित किशोर सामाजिक कुसमंजन के निवारण तथा नियंत्रण की योजना और भिक्षवृत्ति की योजना को छोड़कर गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है तथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से प्राप्त मांग के अनुसार और उनके द्वारा अपने हिस्से के सम्बन्ध में बजट प्रावधानों तथा पहले ही निर्मुक्त किए गए अनुदानों के उपयोग को भी ध्यान में रखते हुए अनुदान निर्मुक्त किया जाता है।

(घ) गुजरात राज्य सरकार को विभिन्न केन्द्रीय/केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत निर्मुक्त अनुदान के ब्यौरों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

**विवरण**

**1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत गुजरात सरकार को प्रदान की गई धनराशि दर्शाने वाला विवरण।**

| क्र.सं. | योजना का नाम अनुसूचित जाति विकास | (रुपये लांख में) 1992-93 | 1993-94 | 1994-95 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | विशेष संघटक योजना के लिए विशेष संघटक योजना | 908.53 | 796.94 | 956.68 |
| 2. | राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम | 17.82 | 96.07 | 100.07 |
| 3. | मैट्रिकोत्तर. छात्रवृत्ति | 310.87 | 357.951 | 767.239 |
| 4. | मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति | 14.376 | 14.572 | 44.953 |
| 5. | अनुसूचित जाति के लड़कों के लिए होस्टल | - | 39.50 | 99.32 |
| 6. | अनुसूचित जाति लड़कियों के लिए होस्टल | 15.05 | - | - |
| 7. | पुस्तक बैंक | 0.30 | 0.05 | 10.61 |
| 8. | प्रतिभाउन्नयन | - | - | - |
| 9. | कोचिंग एवं संबद्ध योजना | 3.05 | 5.53 | 2.57 |
| 10. | सफाई कर्मचारियों की मुक्ति | 186.00 | 200.00 | - |
| 11. | अनुसूचित जनजाति विकास | 78.33 | 92.94 | 102.11 |
| 12. | अनुसूचित जनजाति की लड़कियों के लिए होस्टल | 18.21 | 19.51 | 4.73 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 13. | अनुसूचित जनजाति के लड़कों के लिए होस्टल | 23.00 | 39.23 | 6.44 |
| 14. | अनुसूचित जनजाति के लिए स्कूल आश्रम | 25.00 | - | - |
| 15. | निम्न साचर पाकेटों में अ.ज.जा.लड़कियों के लिए शैक्षिक परिसर | - | 25.33 | 24.25 |
| 16. | आदिवासी क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण | 26.12 | - | 21.595 |
| 17. | लघु वन उत्पादन कार्य के लिए राज्य आदिवासी विकास सहकारी निगमों को सहायता अनुदान | - | - | 30.00 |
| 18. | अनुसंधान एवं प्रशिक्षण | 2.19 | 0.55 | 6.16 |
| 19. | आदिवासी उपयोजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता | 1855.84 | 2234.77 | 2291.56 |
| 20. | संविधान के अनुच्छेद 275(1) | 356.80 | 668.25 | 675.00 |
| 21. | आदिवासी उप योजना के लिए अतिरिक्त विशेष केन्द्रीय सहायता सामाजिक रक्षा | - | - | 200.00 |
| 22. | किशोर सामाजिक कुसमन्जन नियंत्रण योजना | 40.63 | - | 7.93 |
| 23. | भिक्षावृत्ति निवारण योजना | 8.68 | | - |

[अनुवाद]

### एच. बी. जे. पाईपलाइन की क्षमता

1885. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :** क्या पेट्रोलियम तथा प्रकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एच.बी.जे. पाईपलाइन की क्षमता में वृद्धि करने का काम शुरु कर दिया है;

(ख) यदि हाँ, तो अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) इस पाईपलाईन से उत्तर भारत के किन-किन राज्यों को कितना लाभ मिलने की संभावना है?

**पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा) :** (क) जी हाँ।

(ख) परियोजना के लिए अपेक्षित लाइन पाइपों की अधिप्राप्ति कर ली गई है तथा संपीडित्रों के लिए आदेश दे दिए गए हैं। पाइप बिछाने का कार्य प्रगति पर है।

(ग) उन्नत एच.बी.जे. पाइपलाइन, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में नई परियोजनाओं को गैस की आपूर्ति करेगी।

### मनीआर्डरों को मूल्य

1886. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1000 रु. से कम के मनीआर्डरों की वितरण लागत घटाने का है; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**संचार मत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) :** (क) जी नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

### तेल क्षेत्र में सुधार

1887. **श्री एम.वी.वी.एस. मूर्ति :**

**श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :**

क्या पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सुधारों को कार्यान्वित करने में असफल रहने के कारण भारत सरकार की भर्त्सना की है;

(ख) यदि हाँ, तो तेल क्षेत्र में इन सुधारों के कार्यान्वित न किये जाने के मुख्य कारण क्या है;

(ग) विश्व बैंक ने मुख्य रूप से किन मुद्दों पर आपत्ति प्रकट की है; और

(घ) सरकार ने तेल क्षेत्रों में इन सुधारों को किस स्तर तक कार्यान्वित करना स्वीकार किया है ?

**पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा):** (क) से (घ)जी नहीं। परन्तु, विश्व बैंक ने तेल और गैस के अन्वेषण और उत्पादन के क्षेत्र में विदेशी पूंजी आकर्षित करने के लिए भारत सरकार के प्रयासों पर कुछ टिप्पणियां की है। ये टिप्पणियां मुख्यतया अनाकर्षक संविदा शर्तों और सरकार द्वारा प्रस्तावित निम्न गुणवत्ता वाले रकबों से संबंधित थी। सरकार ने इन टिप्पणियों पर विस्तार से प्रतिक्रिया व्यक्त की है और उक्त बैंक द्वारा व्यक्त विचारों के प्रति असहमति प्रकट की है। यह बताया गया है कि विभिन्न बोली दौरों के दौरान विश्व के अन्य शासनों के साथ तुलनीय संविदा शर्तों पर अत्यन्त सम्भावी क्षेत्रों का प्रस्ताव किया गया है।

## डाकघर

1888. **डा. वसंत पवार :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शाखा/उप डाकघरों की राज्यवार, वर्तमान संख्या कितनी है;

(ख) क्या देश में निकट भविष्य में नए शाखा/उप डाकघर खोले जाने का कोई विचार है; और

(ग) यदि हाँ, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) :** (क) 31.3.95 की स्थिति के अनुसार कार्य कर रहे शाखा डाकघरों और विभागीय उप डाकघरों की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) जी हाँ।

(ग) वार्षिक योजना 1995-96 में 80 शाखा डाकघर और 150 उप डाकघर खोलने का विचार किया गया है। डाकघर खोलने के लिए निर्धारित लक्ष्यों का सर्किलवार ब्यौरा संलग्न विवरण -II में दिया गया है। वास्तविक रूप से डाकघर खोलना संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

### विवरण-I

**भारत में, 31.3.95 की स्थिति के अनुसार, डाकघरों की संख्या (श्रेणीवार)**

| क्र.सं. | राज्य/संघ शासित राज्य का नाम | विभागीय उप डाकघर | अतिरिक्त विभागीय उप डाकघर | अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 2361 | 55 | 13670 |
| 2. | असम | 578 | 36 | 3177 |
| 3. | बिहार | 1422 | 127 | 10179 |
| 4. | दिल्ली | 409 | 22 | 113 |
| 5. | गुजरात | 1353 | 47 | 7456 |
| | दादर एवं नगर हवेली | 2 | - | 32 |
| | दीव एवं दमण | 6 | - | 11 |
| 6. | हरियाणा | 448 | 14 | 2108 |
| 7. | हिमाचल प्रदेश | 438 | 18 | 2253 |
| 8. | जम्मू व कश्मीर | 238 | 31 | 1328 |
| 9. | कर्नाटक | 1757 | 301 | 7658 |
| 10. | केरल | 1421 | 536 | 3018 |
| | लक्षद्वीप | 6 | 3 | 1 |
| 11. | महाराष्ट्र | 2078 | 129 | 10002 |
| | गोवा | 102 | 3 | 142 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 1356 | 98 | 9710 |
| 13. | उत्तर-पूर्व | | | |
| | अरूणाचल प्रदेश | 44 | - | 238 |
| | मणिपुर | 49 | - | 621 |
| | मेंघालय | 60 | 2 | 414 |
| | मिजोरम | 38 | 4 | 340 |
| | नागालैड़ | 38 | - | 260 |
| | त्रिपुरा | 79 | 14 | 605 |
| 14. | उड़ीसा | 1159 | 195 | 6683 |
| 15. | पंजाब | 753 | 10 | 3054 |
| | चण्डीगढ़ | 43 | 1 | 7 |
| 16. | राजस्थान | 1380 | 103 | 8746 |
| 17. | तमिलनाडू | 2742 | 224 | 9019 |
| | पांडिचेरी | 35 | 2 | 66 |
| 18. | उत्तर प्रदेश | 2824 | 458 | 16669 |
| 19. | पश्चिम बंगाल | 1623 | 344 | 6467 |
| | सिक्किम | 17 | 7 | 171 |
| | अडंमान एवं निकोबार | 25 | 7 | 64 |
| | अखिल भारतीय योग | 24884 | 2791 | 124282 |

### विवरण-II

**वर्ष 1995-96 के दौरान अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर और विभागीय उप डाकघर खोलने के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य:**

| क्र. सं. | सर्किल का नाम | लक्ष्य | |
|---|---|---|---|
| | | अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर | विभागीय उप डाकघर |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 2 | 5 |
| 2. | असम | 4 | 4 |
| 3. | बिहार | 10 | 11 |
| 4. | दिल्ली | - | 10 |
| 5. | गुजरात | 4 | 12 |
| 6. | हरियाणा | 2 | 10 |
| 7. | हिमाचल प्रदेश | 7 | 10 |
| 8. | जम्मू व कश्मीर | - | 2 |
| 9. | कर्नाटक | 1 | 10 |
| 10. | केरल | 1 | 9 |
| 11. | मध्य प्रदेश | 9 | 9 |
| 12. | महाराष्ट्र | 9 | 12 |
| 13. | उत्तर पूर्व | 4 | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 14. | उड़ीसा | 4 | 4 |
| 15. | पजांब | 2 | 4 |
| 16. | राजस्थान | 5 | 10 |
| 17. | तमिलनाडू | 2 | 4 |
| 18. | उत्तर प्रदेश | 12 | 16 |
| 19. | पश्चिम बंगाल | 2 | 4 |
| | कुल | 80 | 150 |

[हिन्दी]

**उत्तर प्रदेश में एस.टी.डी./आई.एस.डी. की सुविधा**

**1889. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने एस.टी.डी./आई.एस.डी. और पी.सी.ओ. कार्य कर रहे हैं।

(ख) नये पी.सी.ओ. सेवाओं के आबंटन के लिए जिलेवार कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) इन मामलों के निबटान के लिए क्या कार्रवाई की गई हैं ?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) :** (क)से(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होने पर शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

**विदेशी टी.वी. चैनलों पर प्रसारित कार्यक्रमों में अत्यधिक हिंसा दिखाया जाना**

**1890. श्री एस.एम. लालजान वाशा :** क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि :

(क) सरकार द्वारा विदेशी टी.वी. चैनलों पर प्रसारित कार्यक्रमों में अत्यधिक हिंसा दिखाए जाने को रोकने के लिये क्या कदम उठाए गए है;

(ख) क्या विदेशी टी.वी. कंपनियों को इस संबंध में कोई दिशानिर्देश जारी किए गए है;

(ग) यदि हाँ, तो क्या हिंसा के प्रदर्शन को रोकने के लिये विदेशी टी.वी. कंपनियों के साथ कोई औपचारिक बैठकें की गई हैं, और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (पी.एम. सईद) :** (क) विदेशी उपग्रह टेलीवीजन चैनलों पर प्रसारित कार्यक्रम भारतीय कानून की परिधि में नहीं आते। तथापि, भारत में केबल आपरेटरों से यह सुनिश्चित करने की की अपेक्षा की जाती है कि ऐसे चैनलों पर प्रसारित कार्यक्रम जिनके अभिग्रहण के लिए विशिष्ट गैजिट-डिकोडर के इस्तेमाल की आवश्यकता होती है; केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम, 1994 में निर्धारित कार्यक्रम/विज्ञापन संहिता के उपबंधों के अनुकूल हो।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

**राजस्थान में सीमेंन द्वारा बिछाई गई लाइनें**

**1891. श्री गिरधारी लाल भार्गव :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान में, विशेषकर जयपुर में सीमेंन की प्रौद्योगिकी से टेलीफोन लाइने बिछाई गई है;

(ख) यदि हाँ, तो एक्सचेंजवार इसका विवरण क्या हैं;

(ग) क्या इन लाइनों को सीधे खरीदा गया था अथवा लीज आधार पर लिया गया था, और

(घ) यदि हाँ, तो इसका विवरण क्या है ?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम) :** (क) जी, हाँ।

(ख) सीमेंस प्रोद्योगिकी की 55 हजार लाइनें राजस्थान में कार्यरत हैं। एक्सचेंजवार ब्यौरे संलग्न विवरण -I में दिए गए है।

(ग) और (घ) ये लाइनें सीधी खरीद और पटटे दोनों के आधार पर निम्नलिखित रूप से प्राप्त की गई थी :-

(1) सीधी खरीद - 25000 लाइनें

(2) पट्टे पर आधारित - 30000 लाइनें

**विवरण**

**राजस्थान में सीमेंस की लाइनों के एक्सचेंज-वार ब्यौरे।**

| क्र.सं. | शहर का नाम | एक्सचेज का नाम | क्षमता |
|---|---|---|---|
| 1. | जयपुर | 1. सांगानेरी गेट (मुख्य) | 10.0 हजार |
| | | 2. एम.आई. रोड़ (मुख्य) | 13.0 हजार |
| | | 3. तिलक नगर (आरएसयू) | 4.0 हजार |
| | | 4. जवाहर नगर (आरएसयू) | 3.0 हजार |
| | | 5. बैशली नगर (आरएसयू) | 3.0 हजार |
| | | 6. विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र (आरएसयू) | 3.0 हजार |
| | | 7. झोटवाड़ा (आरएसयू) | 2.0 हजार |
| | | 8. मानसरोवर (आरएसयू) | 3.0 हजार |
| | | 9. मालवीय नगर (आरएसयू) | 4.0 हजार |
| 2. | उदयपुर | 10. उदयपुर (मुख्य) | 6.0 हजार |
| | | 11. कृषि उपज मंडी (आरएसयू) | 4.0 हजार |

[अनुवाद]

**डाक और पेंशन अदालत सत्र**

1892. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक डाक मंडल द्वारा डाक और पेंशन अदालत सत्रों का आयोजन किया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो अब तक कितने सत्रों का आयोजन किया जा चुका है; और

(ग) डाक सेवाओं और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन के संबंध में कितनी शिकायतें अब तक प्राप्त हुई हैं और ऐसी कितनी शिकायतों को अब तक निपटाया गया है ?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम)** : (क) जी हाँ।

(ख) कर्नाटक डाक सर्किल ने डाक अदालतों के 6 और पेंशन अदालतों के 109 सत्र आयोजित किए हैं।

(ग) ऐसे सत्रों के दौरान डाक सेवाओं के बारे में 76 शिकायतों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की 137 शिकायतें प्राप्त हुई। इन शिकायतों में से, प्रशासनिक अपेक्षाओं के कारण, सेवानिवृत्त कर्मचारियों की केवल 7 शिकायतें लंबित है।

**सिंधुदुर्ग और रत्नागिरि में रसोई गैस की ऐजेंसियां**

1893. **श्री सुधीर सावन्त** : क्या पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग और रत्नागिरि जिलों में रसोई गैस की एजेंसियों के आबंटन के लिये आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गये थे; और

(ख) यदि हाँ, तो आवेदकों का साक्षात्कार न करने के क्या कारण है ?

**पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा)**: (क) और (ख) सिंधुदुर्ग जिले में 2 तथा रत्नागिरी जिले में 3, इस प्रकार 5 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें तेल विपणन कंपनियों द्वारा विज्ञापित पुनर्विज्ञापित की गई है। महाराष्ट्र, गोवा, दमन और दीव के लिए गठित तेल चयन बोर्ड, तेल चयन बोर्ड के पुनर्गठन, साक्षात्कार के लिए बड़ी संख्या में लंबित स्थान इत्यादि जैसे अनेक कारणों से उपयुर्क्त स्थानों के संबंध में साक्षात्कार करने में समर्थ नहीं हुआ है।

**राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सिफारिशें**

1894. **श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने विद्रोह और आंतकवाद मे प्रभावित क्षेत्रों में मानवाधिकारों की रक्षा के लिये अनेक उपायों की सिफारिश की हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने मानवाधिकार आयोग द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर विचार किया है; और

(ग) यदि हाँ, तो अब तक कितनी सिफारिशों की क्रियान्वित किया गया है?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (सैयद सिब्ते रज़ी)** : (क) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने, अन्य बातों के साथ-साथ, विद्रोह एवं आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्रों के बारे में निम्नलिखित सिफारिशें की थी:-

(I) उन राज्यों में जिनमें सुरक्षा बलों को सिविल प्राधिकारियों की मदद के लिए बुलाया जाता है, स्थानीय मजिस्ट्रेट तथा/अथवा पुलिस अधिकारियों को भी शामिल किया जाना चाहिए, खास तौर से घेराबंदी एवं तलाशी अभियानों में, ताकि सुरक्षा बल कर्मियों के आचरण के बारे में संशय को दूर किया जा सके तथा अधिकारों के दुरूपयोग को रोका जा सके।

(II) जिला मजिस्ट्रेटों को सुरक्षा बलों की सहभागिता वाली नियमित बैठकों की अध्यक्षता करनी चाहिए और उन्हें, सुरक्षा बलों द्वारा आपरेशनों के बारे में पूरी तरह सूचित रखा जाना चाहिए। अग्रमी गैर-सरकारी अधिकारियों, गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों और अन्य लोगों को भी, यथा संभव, ऐसी बैठकों में संबद्ध किया जाना चाहिए।

(III) उचित राजनेतिक उपाय और पहले की जाए क्योंकि भविष्य में, केवल सुरक्षा बलों पर निर्भर रहने के मुकाबले, इनके परिणाम अधिक चिरकालिक और लाभदायक निकलते हैं।

(ख) और (ग) जहां तक ऊपर (I) और (II) में दी गई सिफारिशों का संबंध है, स्थानीय मजिस्ट्रेट, गांव के बुजुर्गों और पुलिस अधिकारियों को पहले से ही, जम्मू एवं कश्मीर राज्य में घेराबदी और तलाशी अभियानों में साथ लिया जाता रहा है। राज्य सरकार ने इस युक्ति को, अधिक प्रभावी एवं जबाबदेह बनाने के लिए इसे मजबूत बनाया है। प्रत्येक जिले में, संबंधित उपायुक्त की अध्यक्षता में एक संवीक्षा सह-समन्वय समिति होती है और इसमें जिला पुलिस अधीक्षक तथा सुरक्षा बलों के वरिष्ठ स्तर के प्रतिनिधि शामिल होते है। यह समिति अपनी बैठकों में, अन्य बातों के साथ-साथ, तलाशी अभियानों से जुड़े मामलों, लोक व्यवस्था बनाए रखने के लिए सिविल प्राधिकारियों को सैन्य सहायता देने आदि पर विचार करती है; ये बैठकें नियमित रुप से की जाती है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में राज्य सरकारों, खासतौर से उन राज्य सरकारों को जो अपने यहां विद्रोह की स्थिति से निपट रही है, राज्य एवं जिला स्तरों पर एक समन्वय तंत्र स्थापित करने की सलाह दी गई थी (राज्य स्तर पर, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में और जिला स्तर पर उपायुक्त के अधीन तथा जिनमें सुरक्षा बलों, पुलिस और आसूचना एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल हों)। इन समन्वय बैठकों में मानवाधिकार का विषय उठाया जाता है और मानवाधिकारों संबंधी चिंताओं पर विचार किया जाता है। गम्भीर रूप से प्रभावित राज्यों यानि कि असम, नागालैंड और मणिपुर ने पहले ही ऐसी समितियाँ

बना ली हैं जो कि अक्सर बैठकें करती है। समन्वय समितियों द्वारा अपने विचार-विमर्श में व्यक्तियों तथा गैर-सरकारी संगठनों द्वारा की गई शिकायतों और दिए गए सुझावों पर उचित ध्यान दिया जाता है और समुचित सिफारिशें की जाती है।

जहां तक ऊपर (III) में दी गई सिफारिश का सवाल है, तो सरकार का उद्देश्य जल्दी से जल्दी, चुनाव कराके जम्मू एवं कश्मीर राज्य में एक प्रजातांत्रिक सरकार की बहाली करने का है। ऐसी अपेक्षा है कि लोकप्रिय सरकार, राज्य में पूर्णतया सामान्य स्थिति एवं शांति की बहाली की प्रक्रिया में तेजी लाएगी। इस लिए शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के मामले में सरकार की राजनीति, एक ओर तो यह रही है कि हिंसक गतिविधियों में लिप्त लोगों के साथ कड़ाई से निपटा जाए और वहीं दूसरी और, उन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में शमिल होने के लिए प्रोत्साहित करने की भी रही है बशर्ते कि वे हिंसा का परित्याग कर दें और भारत के संविधान के अंतर्गत काम करने के लिए सहमत हो जाएं। इस नीतिगत ढ़ांचे के अंतर्गत ही अनेक समझौते किए गए हैं। तथापि, पूर्वोत्तर राज्यों में सक्रिय कुछ ऐसे विद्रोही ग्रुप/ गिरोह हैं जिन्होंने अभी भी हिंसा छोड़ देने और संविधान के अंतर्गत काम करने की कोई इच्छा नहीं जताई है। इसलिए ऐसे आतंकवादी समूहों द्वारा की जाने वाली हिंसा, मार-धाड़, अगजनी, धन ऐंठने को रोकने के लिए कानून के अंतर्गत अनुज्ञेय सुदृढ़ कानूनी कदम उठाए जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

**गुजरात में टी.वी. ट्रांसमीटरों और आकाशवाणी का प्रसारण क्षेत्र**

**1895. डा. अमृत लाल कालिदास पटेल : क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) गुजरात में कार्य कर रहे टी.वी. ट्रांसमीटरों और आकाशवाणी स्टेशनों की क्षमता और प्रसारण क्षेत्र का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य में उच्च शक्ति के टी.वी. ट्रांसमीटरों की स्थापना के लिये किन-किन स्थानों का पता लगाया गया है;

(ग) उन पर अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(घ) उपर्युक्त स्थानों पर टी.वी. ट्रांसमीटर कब तक स्थापित कर दिये जाने की संभावना है ?

**सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (पी.एम. सईद) :** (क) संलग्न विवरण I और II में दिए अनुसार।

(ख) भुज में उच्च शक्ति ट्रांसमीटर को कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ग) उक्त स्कीम पर 601.27 लाख रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है।

(घ) धनराशि, आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता और पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करते हुए इस परियोजना के 1996-97 के दौरान तैयार हो जाने की संभावना है।

**विवरण-I**

| क्रम.सं. | केन्द्र | ट्रांसमीटर शक्ति | 1000 वर्ग कि.मी. में कवर किया गया क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| 1. | अहमदाबाद | 200 कि.वा. मी.वे. ट्रांसमीटर | 192.2 |
| | | 1 कि.वा.मी.वे. ट्रां (वी.बी.एस.) | 13.6 |
| 2. | बड़ोदा | 1 कि.वा.मी.वे. ट्रां.(वी.बी.एस.) | 5.6 |
| 3. | भुज | 10 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर | 40.3 |
| 4. | राजकोट | 300 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर | 195.6 |
| | | 1 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर | 8.8 |
| 5. | गोधरा | 2x3 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर | 11.3 |
| 6. | सूरत | 2x3 कि.वा.एफ.एम. ट्रांसमीटर | 6.8 |
| 7. | आहवा | 1 कि.वा.मी.वे. ट्रांसमीटर | 1.6 |
| | वी.बी.एस. | विविध भारती सेवा | |

**विवरण-II**

| क्र.सं. | स्थान | क्षमता सहित ट्रांसमीटर | सीमावर्ती सेवाओं सहित क्षेत्र कवरेज (कि.मी. में ) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | अहमदाबाद | उ.श.ट्रां. 10 कि.वा. | 120 |
| 2. | भुज(अंतरिम सैटअप) | उ.श.ट्रां. 1 कि.वा. | 60 |
| 3. | द्वारका | उ.श.ट्रां 10 कि.वा. | 60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 4. | राजकोट | उ.श.ट्रां. 10 कि.वा. | 120 |
| 5. | अहमदाबाद(डीडी-2) | उ.श.ट्रां 1 कि.वा. | 60 |
| 6. | अहवा | अ.श.ट्रां 100 वाट | 25 |
| 7. | अम्बाजी | अ.श.ट्रां 100 वाट | 25 |
| 8. | अमरेली | अ.श.ट्रां 100 वाट | 25 |
| 9. | भाब्बर | अ.श.ट्रां. 100 वाट | 25 |
| 10. | भरूच | अ.श.ट्रां. 100 वाट | 25 |
| 11. | भावनगर | उ.श.ट्रां. 100 वाट | 25 |
| 12. | छोटा उदयपुर | अ.श.ट्रां. 100 वाट | 25 |
| 13. | दण्डी | अ.श.ट्रां. 100 वाट | 25 |
| 14. | देदियापाड़ा | अ.श.ट्रां 100 वाट | 25 |
| 15. | देवगढ़-बारिया | अ.श.ट्रां. 100 वाट | 25 |
| 16. | धरंगधरा | अ.श.ट्रां. 300 वा.(यू.एच.सफ.) | 25 |
| 17. | देवराजी | अ.श.ट्रां. 100 वाट | 25 |
| 18. | दोहाद | अ.श.ट्रां. 100 वाट | 25 |
| 19. | गोधरा | अ.श.ट्रां. 100 वाट | 25 |
| 20. | जामनगर | अ.श.ट्रां. 100 वाट | 25 |
| 21. | जूनागढ़ | अ.श.ट्रां. 100 वाट | 25 |
| 22. | केतडिया कालोनी | अ.श.ट्रां. 100 वाट | 25 |
| 23. | खम्बात | अ.श.ट्रां. 300 वा.(यू.एच.एफ.) | 25 |
| 24. | कोसम्बा | अ.श.ट्रां. 100 वाट | 25 |
| 25. | महुवा | अ.श.ट्रां. 300 वा.(यू.एच.एफ.) | 25 |
| 26. | मंगरोल (जूनागढ़) | अ.श.ट्रां. 300 वा.(यू.एच.एफ.) | 25 |
| 27. | मेंहसाना | अ.श.ट्रां. 100 वाट | 25 |
| 28. | नवसारी | अ.श.ट्रां. 100 वाट | 25 |
| 29. | पालनपुर | अ.श.ट्रां. 100 वाट | 25 |
| 30. | पालिताना | अ.श.ट्रां. 100 वाट | 25 |
| 31. | पतन | अ.श.ट्रां. 100 वाट | 25 |
| 32. | पोरबन्दर | अ.श.ट्रां. 100 वाट | 25 |
| 33. | रापड़ | अ.श.ट्रां. 300 वा.(यू.एच.एफ.) | 25 |
| 34. | संजेली | अ.श.ट्रां. 100 वाट | 25 |
| 35. | सोनगढ़ | अ.श.ट्रां. 100 वाट | 25 |
| 36. | सूरत | अ.श.ट्रां. 100 वाट | 25 |
| 37. | सुरेन्द्र नगर | अ.श.ट्रां. 100 वाट | 25 |
| 38. | थराड | अ.श.ट्रां. 100 वाट | 25 |
| 39. | बड़ोदरा | अ.श.ट्रां. 100 वाट | 25 |
| 40. | वलसाद | अ.श.ट्रां. 100 वाट | 25 |
| 41. | वरावल | अ.श.ट्रां. 100 वाट | 25 |
| 42. | गांधीनगर(डीडी-2) | अ.श.ट्रां. 100 वाट | 25 |
| 43. | ककरांपाड़ | अ.अ.श.ट्रां. 10 वाट | 8 |

कि.वा. = किलो वांट
वा. = वाट
उ.श.ट्रां. = उच्च शक्ति ट्रांसमीटर
उ.श.ट्रं. = अल्प शक्ति ट्रांसमीटर
अ.अ.श.ट्रां. = अति अल्प शक्ति ट्रांसमीटर
यू.एच.एफ. = अति उच्च प्रायिकता

## हल्दिया -बरौनी पाइपलाइन

1896. **श्री सनत कुमार मंडल:** क्या पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगाल की खाड़ी में दिघा हाई पर सबमर्जिबल बॉय मूरिंग (एस.बी.एम.) की व्यवहार्यता के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है,

(ख) यदि हाँ, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं, और

(ग) दिघा की भण्डारण प्रणाली से हल्दिया-बरौनी मुख्य पाइपलाइन को जोड़ने हेतु इस पाइपलाइन को कब तक बिछा दिया जायेगा?

**पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री(कैप्टन सतीश कुमार शर्मा)** : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

## बिहार के जनजातीय क्षेत्रों में साक्षरता

1897. **श्री ललित उरांव:** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क)गत तीन वर्षों के दौरान बिहार के जनजातीय क्षेत्रों में साक्षरता को प्रोत्साहन देने के लिये कितनी-कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई;

(ख) राज्य के जिन क्षेत्रों में साक्षरता को प्रोत्साहन देने संबंधी योजना आरम्भ की गई है उनका ब्यौरा क्या है और यह कब-कब आरंभ की गई; और

(ग) अब तक उन पर कितनी धनराशि खर्च की गई है?

**कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी)** : (क) और (ख) बिहार के चयनित जिलों में साक्षरता बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान की जा रही है जिसमें से 4 जिलों अर्थात रांची, दुमका, धनबाद तथा पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर) आदिवासी उपयोजना क्षेत्र में स्थित है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इन जिलों को प्रदान की गई जिला-वार केन्द्रीय सहायता इस प्रकार है:-

(रूपए लाख में)

| जिला | वर्ष | | |
|---|---|---|---|
| | 92-93 | 93-94 | 94-95 |
| रांची | - | - | 16 -00 |
| दुमका | 25.00 | 115.29 | 50.00 |
| धनबाद | - | 171.96 | - |

पूर्वी सिंहभूम (1990-91) में 49.228 लांख रूपए प्रदान किए गए थे)

**(जमशेदपुर)**

इसके अतिरिक्त, दुमका जिले में साक्षरोत्तर अभियान के लिए 1994-95 में 54.00 लाख रु. की राशि प्रदान की गई थी।

विभिन्न जिलों में जिन तारीखों में पूर्ण साक्षरता अभियान शुरू किया गया था, वे इस प्रकार हैं:-

| | |
|---|---|
| रांची | 10 मार्च, 1995 |
| दुमका | 5 सितम्बर, 1993 |
| धनबाद | 5 जनवरी, 1994 |
| पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर) | दिसम्बर, 1990 |

(ग) कार्यान्वयन एजेन्सियों द्वारा किए गए व्यय के संबंध में सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

[अनुवाद]

## गंगा जल का बंटवारा

1898. **श्री गोपीनाथ गजपति:**
**श्री चन्द्रेश पटेल:**

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गंगा जल बंटवारे के संबंध में भारत बंगलादेश के बीच विपक्षीय बातचीत हुई थी;

(ख) यदि हाँ, तो उक्त बातचीत पिछली बार कब हुई थी;

(ग) इस बैठक में क्या निर्णय लिया गया था;

(घ) क्या उक्त मुद्दे पर निकट भविष्य में कोई नई बातचीत किये जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हाँ, तो यह बातचीत कब होगी और इसके लिए किस स्थान को चुना गया है; और

(च) उक्त विवाद को निपटाने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं?

**जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.वी. रंगय्या नायडू):** (क) से (ग) गंगा जल के बंटवारे पर भारत-बंगलादेश द्विपक्षीय वार्ता पिछली बार मार्च, 1993 के दौरान ढाका में हुई थी। दोनो पक्षों ने गंगा, तीस्ता और अन्य साझी नदियों के प्रवाहों के बंटवारे के लिए एक न्यायसम्मत, दीर्घकालिक तथा व्यापक प्रबंध के लिए गहराई से विचार - विमर्श किया।

(घ) से (च) हमने इस मुद्दे को हल करने के अपने प्रयास में बंगलादेश सरकार को उनकी सुविधानुसार दिल्ली में पुन: विचार-विमर्श शुरू करने का प्रस्ताव किया है। बंगलादेश सरकार से उत्तर की प्रतीक्षा है।

## बाढ़ नियंत्रण योजना

1899. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गंगा बेसिन आयोग द्वारा अंतिम रूप दी गई महानंदा बेसिन बाढ़ नियंत्रण योजना के अनुमानित लागत सहित मुख्य घटक क्या है;

(ख) उपयोजनाओं के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है

विशेषकर अब तक क्रियान्वित की गई और क्रियान्वयनाधीन उपयोजनाएं अथवा परियोजनाएं कौन-कौन सी हैं; और

(ग) योजना पर अब तक कुल कितनी व्यय किया गया है?

**जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री पी.वी. रंगय्या नायडू):** (क) गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग द्वारा अंतिम रूप दी गई महानंदा नदी प्रणाली में बाढ़ प्रबन्ध की व्यापक योजना के मुख्य घटक मौजूदा तटबन्धों को ऊपर उठाना/सुदृढ़ करना,तटबन्धों और भण्डारण बांध का निर्माण करना हैं। वार्षिक योजना 1994-95 के अनुसार महानंदा बाढ़ नियंत्रण योजना की अदयतन अनुमानित लागत 2,062.91 लाख रूपए है।

(ख) और (ग) बिहार में इस योजना के अंतर्गत अब तक लगभग 245 कि.मी. की लंबाई में तटबन्धों का निर्माण किया गया है। इस योजना पर मार्च 1994 तक लगभग 2170 लाख रूपए व्यय हुए हैं। बिहार सरकार द्वारा वर्ष 1994-95 के दौरान इस योजना के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। बिहार सरकार ने 334.29 लाख रूपए की अनुमानित लागत पर विद्यमान तटबन्धों को ऊंचा उठाने/सुदृढ़ करने तथा कटावरोधी योजनाओं को अन्तिम रूप दिया है ताकि उनका निर्माण कार्य 1995-96 के दौरान किया जा सके।

[हिन्दी]

### एल.पी.टी. को एच.पी.टी. में बदलना

**1900. श्री महेश कनोडिया:** क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का कम शक्ति के ट्रांसमीटरों (एल.पी.टी.) को उच्च शक्ति के ट्रांसमीटरों(एच.पी.टी.) में बदलने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके लिए क्या मापदंड अपनाए गए हैं; और

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान और वर्तमान वर्ष में अब तक, राज्यवार, किन-किन स्थानों पर एल.पी.टी. को एच.पी.टी. में परिवर्तित किया गया है?

**सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी.एम.सईद);** (क) और(ख) जी हाँ। मौजूदा अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों के स्थान पर उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों को स्थापित करने के लिए विस्तृत मानदण्डों में कवरेज की सीमा,: पहाड़ी,पिछड़े जनजातीय,सुदूरवर्ती,संवदेनशील और सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए सेवा; मूल आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता,: और संवैधानिक निकायों से आवश्यक अनापत्ति पत्र आदि जैसे विभिन्न कारक शामिल हैं।

(ग) अपेक्षित ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

**विवरण**

उन स्थानों को दर्शाने वाली सूची, जहां देश में विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में 1993-94, 1994-95 तथा 1995-96 (आज तक) मौजूदा अल्पशक्ति ट्रांसमीटरों के स्थान पर उच्च शक्ति ट्रांसमीटर स्थापित किए गए हैं।

| राज्य/संघ शासित क्षेत्र | उच्च शक्ति ट्रांसमीटर |
|---|---|
| गुजरात | भुज (अंतरिम सेट अप) |
| | अहमदाबाद (डीडी-2) |
| हिमाचल प्रदेश | शिमला |
| जम्मू और कश्मीर | लेह |
| केरला | कालीकट (अंतरिम सेट अप) |
| मध्य प्रदेश | जबलपुर |
| मिजोरम | लुंगलेई |
| राजस्थान | बूंदी |
| सिक्किम | गंगटोक |
| तमिलनाडु | रामेश्वरम (अंतरिम सेट अप) |
| उत्तर प्रदेश | मऊ |

[अनुवाद]

### नए कोयला क्षेत्र

**1901. डा. (श्रीमती) के.एस. सौन्द्रम):** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(क) देश में कोयला क्षेत्रों की राज्यवार वर्तमान संख्या क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार नए कोयला क्षेत्रों को विकसित करने का है;

(ग) यदि हाँ, तो उसका राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सन् 2000 तक कोयले के उत्पादन में राज्यवार कितनी वृद्धि होने की संभावना है ?

**कोयला मंत्रालय के मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) :** (क) भारतीय भू-सर्वेक्षण के अनुसार राज्यवार कोयला क्षेत्रों की संख्या के संबंध में ब्योरे को नीचे दर्शाया गया है:-

| | |
|---|---|
| पश्चिम बंगाल | 5 |
| बिहार | 11 |
| मध्य प्रदेश | 18 |
| महाराष्ट्र | 7 |
| उड़ीसा | 2 |
| आंध्र प्रदेश | 1 |
| एन. ई. क्षेत्र | 17 |
| गुजरात | 1 |
| देश में कोयला क्षेत्रों की कुल संख्या | 62 |

(ख) से (घ)केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि., जो कि कोल इंडिया लि. की एक सहायक कंपनी है, नए कोयला क्षेत्रों का पता लगाए जाने के लिए अन्वेषण कर रही है। वर्ष 1995-96

के दौरान 94 ब्लाकों में अन्वेषण किया जा रहा है, जो कि देश के विभिन्न राज्यों में फैले हुए हैं, जिनके संबंध में स्थिति नीचे दर्शायी गयी है :-

| राज्य | ब्लाकों की संख्या |
|---|---|
| पश्चिम बंगाल | 17 |
| बिहार | 27 |
| महाराष्ट्र | 10 |
| मध्य प्रदेश | 29 |
| उड़ीसा | 8 |
| असम | 3 |
| ब्लाकों की कुल संख्या | 94 |

(ङ)वर्ष 2001-2002 तक राज्यवार होने वाले संभावित कोयले के उत्पादन को नीचे दर्शाया गया है:-;

| राज्य | 2001-2002(प्रक्षिप्त) तक उत्पादन (मिलियन टन में) |
|---|---|
| आंध्र प्रदेश | 36.00 |
| पश्चिम बंगाल | 23.33 |
| बिहार | 90.07 |
| उत्तर प्रदेश | 11.30 |
| मध्य प्रदेश | 110.29 |
| महाराष्ट्र | 24.01 |
| उड़ीसा | 43.00 |
| असम | 1.00 |
| जोड़: | 339.00 |

**प्रधान मंत्री की हत्या का षडयंत्र**

1902. **श्री श्रवण कुमार पटेल:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 सितम्बर, 1995 की "एशियन एज" में "लंका अनकवर्स प्लाट टू किल राव,चन्द्रिका" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है:

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अब तक इस षडयंत्र की कोई जांच करायी है;

(घ) यदि हाँ, तो इस जांच के क्या परिणाम निकले हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गये हैं?

**गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री (सैयद सिब्ते रजी):** (क) जी हाँ, श्रीमान।

(ख) से (घ) आसूचना एजेंसियों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, सिन्नादुरई मुहुंदन नामक एक "लिट्टे" कार्यकर्ता को, कोलम्बो में श्रीलंका की राष्ट्रपति के आवास के सामने से,सितम्बर,95 में श्रीलंकाई पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ करने पर मुहुंदन द्वारा, भारत में अति विशिष्ट व्यक्तियों का खात्मा करने की एक योजना रहस्योद्घाटन किया बताया गया है। उसने यह भी बताया कि एक महिला सहित लिट्टे कार्यकर्त्ताओं की एक टीम,इस योजना को तैयार करने के वास्ते भारत भेज दी गई है।

(ङ) चूंकि भारत में कुछ अति विशिष्ट व्यक्तियों और कुछ विशिष्ट व्यक्तियों व सुरक्षा को लिट्टे से स्थाई खतरा है इसलिए सभी सुरक्षा एजेंसियों को सुग्राही बनाया गया है और इस खतरे का मुकाबला करने के उपाय निकाले गए हैं।

[हिन्दी]

**एस.टी.डी./आई.एस.डी. सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र**

1903. **श्रीमती भावना चिखलिया :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय विभिन्न राज्यों विशेषकर गुजरात के जूनागढ़ जिले में कितने एस.टी.डी./आई.एस.डी./सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या सभी सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र संतोषजनक ढंग से कार्य कर रहे हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) देश में विशेषकर जूनागढ़ में ऐसे नये बूथ आबंटित किए जाने हेतु लंबित पड़े आवेदनों की संख्या कितनी हैं; और

(च) इन्हें कब तक आबंटित कर दिए जाने की संभावना है?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम):** (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होने पर यथा शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

**उत्तर प्रदेश/बिहार में शाखा डाकघर**

1904. **श्री अर्जुन सिंह यादव:**
**श्री लाल बाबू राय :**
**श्री हरि केवल प्रसाद:**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश में विशेषरुप से जौनपुर, बलिया, देवरिया तथा मऊ जिलों और बिहार के छपरा जिले में शाखा डाकघर खोलने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस अभ्यावेदनों के लंबित रहने के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए अथवा उठाए जाने का विचार है?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम):** (क) जी हाँ।

(ख) उत्तर प्रदेश के जौनपुर, बलिया, देवरिया और मऊ जिलों तथा बिहार में छपरा जिले में शाखा डाकघर खोलने के लिए सरकार को प्राप्त अभ्यावेदनों और उनकी लंबितता के कारणों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) यदि ये स्थान दूरी, जनसंख्या और आय संबंधी मानदंड पूरे करता हैं, तो डाकघर खोलना निर्धारित प्राथमिकताओं और संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

**विवरण**

उत्तर प्रदेश और बिहार में शाखा डाकघर खोलने के लिए सरकार को प्राप्त अभ्यावेदनों के ब्योरे:-

| क्र.सं. | जिले का नाम | स्थलों के नाम |
|---|---|---|
| **उत्तर प्रदेश** | | |
| 1. | जौनपुर | हरद्वारी, हर्दीपुर, पूरालाल, सलामतपुर, मदरसा रियाज-उल-उलोम, भिगावन सारंग, किशनदासपुर, लालपुर, लखेपुर, रामादाती का पुरा, छिटोदी, पचोखार, अम्वाह, सबोली और खेमापुर |
| 2. | बलिया | इकौना, असली रामपुर, बर्धानी लवाईपट्टी, मझावलिया, कराची, कच्छवान, मालीपुर कैम्प और रामपुर |
| 3. | देवरिया | फरदाह, बरई पाण्डेय, करजहान, अहिल्यापुर, रामचन्द्र शुक्ल बोलिया कालोनी, बुद्धखान, रायबाड़ी और हरखौली |
| 4. | मऊ | अच्छर और हवापुरा |
| **बिहार** | | |
| 1. | छपरा | सरैया बसन्ता, मौजामपुर, दंदासपुर, लहच्छा, अवधपुरा, बरूआ काकोरडीह, मानपुर और मोथेपुर |

इन स्थानों पर डाकघर खोलने के लिए औचित्य की जांच दूरी, आबादी और आय जैसे मानदंडों की दृष्टि की जा रही है।

**सफाई कर्मचारी**

1905. **श्री सुरेन्द्रपाल पाठक : क्या कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत सी राज्य सरकारें सफाई कर्मचारियों तथा उन पर निर्भर लोगों को उस कार्य से विमुक्ति तथा पुनर्वास की राष्ट्रीय योजना में रूचि नहीं ले रही है।

(ख)यदि हाँ, तो उसके क्या कारण है;

(ग) क्या "राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग" ने सरकार का ध्यान सफाई कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के बारे में प्रस्तुत किए गए झूठे आंकड़ों की ओर दिलाया है; और

(घ)यदि हाँ, तो उसके प्रति सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

**कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी)** : (क) और (ख) सफाई कर्मचारियों और उनके आश्रितों की पहचान करने में देरी, राज्य सरकार द्वारा इसे कम प्राथमिकता देने तथा योजना के जिला व राज्य स्तर पर कम मौनीटरिंग करने के कारण कुछ राज्यों में इस योजना के कार्यान्वयन की प्रगति धीमी है। इस योजना के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए कल्याण मंत्री ने मुख्य मंत्रियों को लिखा है। इस योजना की प्रगति की समीक्षा करने के लिए कल्याण मंत्री द्वारा मंत्रियों का क्षेत्रीय सम्मेलन और दिल्ली में मेयरों की एक बैठक बुलाई गई थी। इसके अति शीघ्र कार्यान्वयन तथा विशेष संघटक योजना को विशेष केन्द्रीय सहायता का 10 प्रतिशत सफाई कर्मचारियों के पुनर्वास पर उपयोग करने के लिए प्रधान मंत्री ने भी सभी मुख्य मंत्रियों को पत्र लिखा है। इस योजना को मौनीटर करने के लिए एक केन्द्रीय मौनीटरिंग समिति बनाई गई है। राज्य सरकारों को भी इस योजना की प्रगति रिपोर्ट प्रति मास भेजन के लिए कहा गया है।

(ग) और (घ) इस आयोग ने 1994-95 के लिए अपनी पहली वार्षिक रिपोर्ट 16.11.95 को प्रस्तुत की है जिसकी जांच की जा रही है और इसकी गई कार्रवाई की रिपोर्ट सहित संसद के सभा पटल पर रखा जाएगा।

**पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण संबंधी लाभ**

1906. **श्री राम विलास पासवान: क्या कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जम्मू और कश्मीर में अन्य पिछड़े वर्गों को मंडल आयोग की सिफारिशों के अनुसार आरक्षण के लाभ नहीं मिल रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में केन्द्र सरकार ने क्या कार्यवाही की है; और

(ग) किन-किन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अन्य पिछड़ा वर्गों को आरक्षण के लाभ नहीं मिल रहे हैं?

**कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी)** : (क) और (ख) जी नहीं। जम्मू एवं कश्मीर सरकार सामाजिक तथा शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान कर रही है।

राज्य सरकार ने दिनांक 28 जून,1994 की अधिसूचना सं. एस. आर.ओ. 126 के तहत अन्य पिछड़े वर्गों को राज्य सूची अधिसूचित की है और भारत के राजपत्र, भांग-I खंड-I असाधरण सं.88 दिनांक 25 मई, 1995 के तहत अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची भी अधिसूचित कर दी गई है। राज्य में पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने के लिए 24 मई 1995 को जम्मू एवं कश्मीर विधेयक भी अधिनियमित किया गया है और राज्य सरकार ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन अब कर दिया है।

(ग) उपबन्ध सूचना के अनुसार, निम्नलिखित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान नहीं कर रहे हैं :-

1. अरूणाचल प्रदेश
2. मिजोरम
3. मणिपुर
4. लक्षद्वीप
5. मेंघालय
6. नागालैंड
7. त्रिपुरा
8. अंडमान व निकोबार द्वीप समूह

अरूणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम तथा लक्षद्वीप ने कहा है कि इन राज्यों में मुख्यत: आदिवासी जनसंख्या है।

[अनुवाद]

## लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए सहायता

1907. **श्री वोल्ला बल्ली रामय्या:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए आन्ध्र प्रदेश की केन्द्रीय सहायता देने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है?

**जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री(श्री पी.वी.रंगय्या नायडू):** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

## एस.टी.डी. सुविधा

1908. **श्री एन.जे. राठवा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रत्येक उपमंडलीय और तहसील मुख्यालय में एस.टी. डी. सुविधा प्रदान की गई है;

(ख) यदि नहीं, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं जिन्हें अभी तक एस.टी.डी. सुविधा से नहीं जोड़ा गया है; और

(ग) सुविधा कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री(श्री सुखराम):** (क) जी हाँ।

1159 उपमंडलीय मुख्यालयों में से 1060 में तथा 2539 तहसील मुख्यालयों में से 2199 में एस टी डी सुविधा प्रदान की जा चुकी है।

(ख) जिन स्थानों को अभी एस टी डी सुविधा से जोड़ा जाना है, वे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों के अनुसार, बाकी सभी उपमण्डलीय मुख्यालयों तथा तहसील मुख्यालयों में, निधियां, भूमि,भवन तथा उपस्कर आदि जैसे संसाधन उपलब्ध होने पर 1.4.97 तक एस टी डी सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

**विवरण**

**आन्ध्र प्रदेश**

तहसील मुख्यालय- वानकोडी, कुप्यम, लक्कीरेड्डी पल्ली, कमलापुरम, मुद्दनूर, महादेवपुर, वेंकटपुरम, बरगमपहाड़, कोदगिल, नामपल्ली, निदामनूर, उदयगिरि, विन्जामुरू, वाफड्डू, येरागोण्डापालेम, डारसी, पोडिलो, दीनाकोण्डा, कम्बम, पामुरू, कानोगिरि, कोण्डोपि, मार्तूर, नारायनण खेड, चिंथापल्ली, अराकू, चितयाल, येतुरनगरम, तालुरू (एक्सचेंज नहीं है), भमादेवरापल्लि (एक्सचेंज नहीं है), सुदिमल्ला (एक्सचेंज नहीं है)। के. कोथापाड्डू (एक्सचेंज नहीं है) = 32

**असम**

तहसील मुख्यालय - बालोगाना, बस्का, भोगर, भीरंगुरी, भूरागांव, चमेंरिया, चारिदुआर, डलगाँव, चोगरौघाड़;, होरिसिर्धा, जालान, कदम, महमोरा, मयंग, मिकिरबटा, मोतिया, नागवबेड़ा, नवपोखा, पथरीघाट, रौगुली, सिडली, सिरजंग्राम, सिसबरगांव, सुबांसिरी, = 24 (तहसील मुख्यालयों में एक्सचेंज नहीं है)।

**हिमाचल प्रदेश**

तहसील मुख्यालय - तिस्सा, सलूनी, धुनाग, रोहरू, दोद्रकवार, चिरंगांव, राजगढ़ = 7

उपमंडलीय मुख्यालय - तिस्सारोहरू, रोहरू, दोद्रकवार, राजगढ़ = 4

**जम्मू एवं कश्मीर**

तहसील मुख्यालय- बांदीपुर, बनिहाल, बोरवाह, विजहेड़ा, बिलावर, चदूरा चेनानी, दावर, दीरू, द्रास, गण्डेरबल, गडीह, हंडवारा, कालाकोट, कंगन, कोत्रंक, लुलगाम, मण्डी, मेंन्धर, मोहोर, नौशेरा, पहलगाम, पाम्पोर, पाटन, रामनगर, आर.एस. पुरा, संबल, सुंदरबानी, सूरनकोट, तांगदार, थानामण्डी, थात्री, माल, उरी = 34

उपमण्डलीय मुख्यालय - बदेरवाह, बशीली, दिस्किट, न्यूमा, पदम, काजीगुण्ड, शोपियां = 7

**मध्य प्रदेश**

तहसील मुख्यालय - अनंतगढ़, पाखनजोर(नया) भीपालपटनम, रौन, लहर, पेण्डरारोड, अजयगढ़, पवाई, धरमजयगढ़, मंगज, नेउथर, सिरमौर, रेजली, बैकुण्ठपुर, मनेन्द्रगढ़, रामानुजगंज, सूरजपुर, ब्यौहारी, पुष्पारागंज, देवसर, मझोली, अंतागढ़, भोपालपटनम, रान, डमुआ, कठेरा, लोरमी, पामगढ़, बंडारिया, गौरीहार, तेन्दू खेडा, खाटेगांव, नवागढ़ भाबरे, जोबाट, शाहनगर, बागीचा, कुनपुरी, बिलाईगढ़, देवधोग, गोहारगंज, छुईखदान, मोहला, गढ़, हनुमानगंज, रायपुर करछिलियां, भरतपुर, लूण्डारा, प्रतापपुर, कुसमो, सीतापुर, वद्राफनगर, रामपुर बधलई, नरसुल्लाहगंज, कोटेमा, जयसिंह नगर, खनियांधाना चित्रग्नि, कुसमो (एक्सचेंज नहीं है) रामपुर-नायकिन, सिहावल, पृथ्वीपुर = 59

**मध्यप्रदेश**

उप मण्डलीय मुख्यालय- नाइला, पेण्डरा रोड, अजयगढ़, पवई, धर्म जयगढ़, मऊगंज, त्योथार, सिरमौर, राहली, बैकुण्ठपुर, मनेन्द्रगढ़,

रामानुजगंज, सूरजपुर, ब्योहारी, पुष्पराजगढ़, देवसर, मझोली, निवाड़ी =18

**महाराष्ट्र**

तहसील मुख्यालय- रिसोड़, धरनी, चिखलदरा चंदूर बाजार मोरसी देवरी, सलेकसा, लखनपुर, अर्जुनीमोरगांव, देवलगांव राजा, लोनार, मेंखाकर, सिन्धुखेडराजा, गोडपिम्परी, चिमूर, अक्कानी (धडगांव), सिरोंचा, कुरखेडा, एटापल्ली, अहेरी, हडगांव, पेइंट, सुरगना, कलम्ब, कालामुनरी, संगमेश्वर, जाठ, अश्ती, समुद्रपुर, करंजो, महागांव, रालेगांव, नेड, मोरगांव, पाथुर = 36

उपमण्डलीय मुख्यालय- धरनो, मोरशी, देवरो,मेंहेकर, अहेरी = 5

**उत्तरपूर्व**

**अरूणांचल प्रदेश**

उप मण्डलीय मुख्यालय- लांगडिंग, नाची, चायेंगतेजो, हायुलियांग, टूटिंग, सागली, मेंचुका, कोलरियांग, मरियांग, ग्रिजिंद, योमचा, हुनली, बासर = 13

**मणिपुर**

तहसील मुख्यालय- मोइरांग, ओइनाम, काचिंग, यारीपोक, मयंत्र, वाइकांग, लमसंग, आन्दो, स्वामबुंग, वागोई, सागोलमा, सेकमाई,मोरम, ताइवाइचुंग, ताबुबी, बाबूपाडा, बोरोबबरा, जेसामी, सधिशक, लोटन, चिंगाई, कामजोंग, थनपाट, कांगपोकपी, साईकूल तिपाईमुख, कासेम खुल्तन चापो कारोंग, तमई, ताउसेम, नन्गबा, टेन्गनोवपाल = 32

उपमण्डलीय मुख्यालय : स्वामबंग, वंगोई, जिरीबाम, काचिंग, मोइरांग, कांगपोकपो, ताउसेम, तमेंई, चन्घट, कामजोना, कासुम खुल्ले, फुन्गाधर, चकपीकारोंग, टाडुबो, पदमता, साइकुल, तिपीमुख, नुम्बा, सिंघट, थानलोन, हेंगलेप = 21

**मेंघालय**

उपमण्डलीय मुख्यालय - मेंरंग, आमापाटी, दार्देगिरि, अलमारेम, मॉकोरवट = 5

**मिजोरम**

उपमण्डलीय मुख्यालय - माम्ती, लाग्ध्लै = 2

**नागालैण्ड**

उपमण्डलीय मुख्यालय - मोंगकोलम्बा, नागिनीमोरा, पीजित, लांगलेंग, चम्प्यंग, तोबू, मेंलुरी, फुटसेरी, चाच्नोबा, अधुनाटो, सटाका, किफिरे, भण्डारी, नोकलाक, लांगखोम, सामतोर, त्सेमिन्यो, फुगबोटो = 18

**त्रिपुरा**

तहसील मुख्यालय- अम्बासा, अमरपुर, छामनू, मण्डाछेरा, गंगानगर, कैलाशपुर, कंचनपुर, खोवाई, किल्ला, कुमारघाट, महरानोपुर, मनुघाट, मेंलाघर, मोहनपुरा, ओम्पो, राजनगर, शांतिरबाजार, सिलाछडी, सोनमुपा, तकरजाला, तेलिआमुरा = 21

उपमण्डलीय मुख्यालय : सोनापुरा, कमालपुर, खोवाइ, गण्डाचेरा, अमरपुर = 5

**उत्तरप्रदेश**

तहसील मुख्यालय- चुनार, कर्नलगंज, नरैनी, डलमउ, सालोन, महराजगंज, रूद्रपुर, चकिया, सकलडीहा, बिसवां, लहरपुर, फतेहपुर, बिधूना, डोरापुर, मिसरिख, सिधौली, पोवायां, बाबेरू, बारा, धौरहरा, राधौल, जलालबाद, बिलग्राम, इटावा, डुमरियागंज, तमकुहिराज, मंझनपुर, मंछली शहर, तालबेहट, बीकापुर, रूदौली, मारियाहुं, बदलापुर, लालगंज, भींगा, बिल्होर, चरखारी, दुधी, गरौथा, केसरगंज, केराकट, कुलपहाड, जूंदा, भानपुर, मऊ, महरोनी, मेंजा, निचलौल, रामनगर, रसूलाबाद, सिराथू, तारबगंज, तिलोई, तुलसीपुर, उतरोला, अलीगंज, बागेश्वर, बाह, (जरार), बेहाट, भिखियासेन, बिलासपुर, बिसालपुर, बिसोली, दातागंज, धारी, दीदीहाट, डूंडा, धमकोट, गिन्नौर, इगलास, जलेसर, खेर, खटोमा, कोहा, कतोली, लक्सर, माट, मिलाक, मुसियारी, नगीना, नाकुर, नरिन्दर नगर, पटियाली, प्रतापनगर, पूरनपुर, पुरीला, राजगढी,, सहसवां, शाहाबाद, सियाना, स्वार, थाइलीस्योन, थराली = 95

**सिक्किम**

उपमण्डलीय मुख्यालय - चुंगथांग = 1

(एक्सचेंज नहीं हैं)

[अनुवाद]

## सेल्युलर टेलीफोन शुल्क

**1909. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरों में मंहगी सेल्युलर टेलीफोन सेवा को सस्ता बनाने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम):** (क) और (ख) जी हाँ। सरकार ने सेल्युलर सचल टेलीफोन सेवा के लिए शुल्क की सीमा निर्धारित कर दी है। सेवाप्रदाता ग्राहकों से निर्धारित शुल्क-सीमा के बराबर अथवा उससे कम शुल्क वसूल कर सकता है। चूंकि प्रत्येक महानगर और प्रादेशिक दूरसंचार-सर्किलों में दो-दो सेल्युलर प्रचालक हैं, अत: एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा रहेगी, जिसके परिणामत: वास्तविक शुल्क कम होने की संभावना है। शुल्क सीमा संलग्न विवरण में दी गई है।

**विवरण**

**सचल टेलीफोन सेवा के लिए शुल्क की सीमा**

| | | |
|---|---|---|
| 1. सेवा के लिए मासिक किराया | - | 156.00 रूपए प्रति माह |
| 2. प्रतिभूति जमा | - | 3000.00 रु. |
| 3. संस्थापना प्रभार | - | 1200.00 रु. |
| 4. काल-प्रभार:- | | |

4.1 **सचल उपभोक्ता द्वारा की गयी कालें :**

10 सेकण्ड की प्रतिकाल दर पर हवाई-समय-प्रभार सहित, स्थानीय, एस टी डी और आई एस डी कॉलों के स्थिर नेटवर्क के लिए लागू काल प्रभार 1 एक ही सेल्युलर सेवा क्षेत्र में सचल से सचल कॉलों के लिए केवल हवाई-समय-प्रभार ही वसूल किया जाएगा।

4.2 **सचल उपभोक्ता तक की जाने वाली कालें :**

10 सेकिण्ड की प्रतिकाल दर पर हवाई-समय-प्रभार वसूल किया जाएगा। यदि कोई सचल उपभोक्ता इनकमिंग काल को 5 सेकण्ड के अंदर समाप्त कर देता है, तो सचल उपभोक्ता पर कोई प्रभार नहीं लगाया जाएगा।

5. **शुल्क संबंधी टिप्पणियां:**

5.1 सचल उपभोक्ताओं के लिए काल की अवधि हवाई समय -आधार पर होगी।

5.2 हवाई समय यूनिट काल दूरसंचार विभाग के स्थिर नेटवर्क के उच्चतम स्लैब पर लागू यनिट-दर (इस समय 1.40 रु. प्रति यूनिट) पर प्रभारित की जाएगी। सभी कॉलों के लिए उपरोक्त के अनुसार यूनिट दर लागू होगी और इन पर कोई टेलिस्कोपिक दरें नहीं हैं।

5.3 व्यस्त घण्टों के दौरान हवाई समय के लिए निर्धारित काल प्रभार उपर्युक्त पैरा (4) में निर्धारित दरों के दुगनें से अधिक नहीं होगी। व्यस्त घण्टे प्रतिदिन अधिकतम चार घंटों तक सीमित होंगे। व्यस्त घंटों के दौरान व्यस्त घंटों के और हवाई समय के काल-प्रभार, लाइसेंसधारक द्वारा, दूरसंचार प्राधिकारी के साथ परामर्श करके निर्धारित किए जाएंगे।

5.4 रविवार और तीन राष्ट्रीय छुट्टियों (15 अगस्त,26 जनवरी और 2 अक्तूबर) के दौरान हवाई समय के काल-प्रभार उपर्युक्त पैरा 4 में निर्धारित दरों से आये होंगे।

5.5 सचल उपभोक्ता से स्थिर नेटवर्क तक की गई कालों के लिए लाइसेंसधारक, सचल उपभोक्ता से दूरसंचार प्राधिकारी द्वारा काल के समय और दिन के अनुसार निर्धारित दरों पर प्रभार वसूल करेगा। ऐसी कालों को यूनिट दर दूरसंचार विभाग के स्थिर नेटवर्क को उच्चतम स्लैब- दर (इस समय 1.40 रुपये) होगी। यूनिट दर उपर्युक्त के अनुसार सभी कालों के लिए लागू होगी और इनके लिए कोई टेलिस्कोपिक दरें नहीं होगी।

5.6 हवाई समय के लिए कोई निःशुल्क काल अनुमत्य नहीं है।

5.7 स्थिर नेटवर्क से सचल तक की जाने वाली कालों के लिए सचल उपभोक्ता से हवाई समय प्रभार वसूल किया जाएगा और दूरसंचार विभाग को, सेल्युलर प्रचालक काल किसी प्रकार का कोई अभिगम्यता शुल्क नहीं देना पडेगा। हवाई समय प्रभार सेल्युलर प्रचालक द्वारा वसूल किए जाएंगे।

5.8 सचल से सचल तक को गई काल के लिए काल करने वाला और जिसे काल की गई है, दोनों से प्रभार वसूल किए जाएंगे।

6. सभी प्रभारों में की जाने वाली वृद्धि दूरसंचार प्राधिकारी और/अथवा उसके उत्तराधिकारी की पूर्वानुमति की शर्त अध्यधीन होगी।

7. किरायों में उपभोक्ता के टर्मिनल उपस्कर(सचल हैण्डसेट) की लागत शामिल नहीं है। उपभोक्ता किसी भी स्रोत से टर्मिनल उपस्कर खरीदने के लिए स्वतंत्र है।

## कोयले का आयात

1910. **श्री एम.वी.वी. एस. मूर्ति:** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या आंध्र प्रदेश विद्युत बोर्ड ने अपने ताप विद्युत गृहों को चलाए रखने हेतु सामान्य दर से तीन गुना अधिक कीमत देकर कोयले का आयात करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो राज्य सरकार द्वारा कितनी मात्रा में कोयले का आयात किए जाने का विचार है तथा इसमें कितनी धनराशि खर्च होगी; और

(ग) केन्द्र सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

**कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री(श्री जगदीश टाइटलर):** (क) से (ग) कोयले का आयात वर्तमान आयात नीति के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है, अत: इसका आयात किए जाने हेतु भारत सरकार से कोई लाइसेंस प्राप्त किए जाने/अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं है।

आयात शुल्क में 35 प्रतिशत से 35 प्रतिशत तक की कमी किए जाने से कुछ विद्युत गृह, विशेषकर तटीय क्षेत्रों में स्थित विद्युत गृह, अपनी आवश्यकताओं को देखते हुए तथा अपने स्वयं के वाणिज्यिक हितों को दृष्टिगत करते हुए कोयले का आयात कर सकते हैं।

किन्तु, कोयला कंपनियां देश में तापीय विद्युत गृहों को कोयले की आपूर्ति किए जाने का प्रयास कर रही हैं जिसमें आंध्र प्रदेश विद्युत बोर्ड के विद्युत गृह शामिल हैं, जो कि वर्ष 1995-96 के लिए सहमतिस्तर के आधार पर आपूर्ति की जा रही है। किन्तु, यह आपूर्ति समग्र रूप में निम्न कठिनाइयों के तहत की जाएगी।

परिवहन, कोयले की आपूर्ति संबंधी अदायगी, विद्युत गृह स्थल पर कोयले की उतराई संबंधी कार्य निष्पादन।

## गैर-घरेलू उपभोकताओं को गैस की आपूर्ति

1911. **डा. वसंत पवार:** क्या पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गैर घरेलू उपभोक्ताओं को चरणबद्ध तरीके से गैस की आपूर्ति करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो गैर घरेलू उपभोक्ताओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या उपाय किये जाने के प्रस्ताव है; और

(ग) इससे क्या लाभ मिलेंगे?

**पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री(कैप्टन सतीश कुमार शर्मा):** (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

## टेलीफोन परामर्शदात्री समिति द्वारा आई.एस.डी. एस.टी.डी. केन्द्र

**1912. श्री एस.एम. लालजान वाशा:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टेलीफोन परामर्शदात्री समिति आई.एस.डी./एस.टी.डी. /पी.सी.ओ. केन्द्रों के आवेदकों की जांच तथा चयन करने के लिए प्राधिकृत हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में टेलीफोन परामर्शदात्री समिति को जारी किए गए मार्ग-निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) आई.एस.डी./एस.टी.डी. /पी.सी.ओ. के आबंटन के लिए आवेदकों के चयन के संबंध में क्या कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए जाने का प्रस्ताव है ?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम):** (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) 24.7.1993 से संशोधित एस टी डी / आई एस डी पीसीओ-नीति आरंभ करने के बाद पत्र आवेदकों को फ्रेंचश्ज आधार पर पात्र आवेदकों को एसटीडी/आईएसडी पीसओ के आबंटन के अधिकार प्रत्येक गौण स्विचन क्षेत्र के लिए गठित एसटीडी/आईएसडी पीसीओ आबंटन समितियों को दे दिए गए हैं। प्रत्येक समिति में पांच सदस्य होते हैं, जिनमें से 3 सदस्य गैर सरकारी होते हैं। सार्वजनिक टेलीफोनों के लिए फ्रेचाश्ज-आबंटन जैसे मामले में शिकायतों को पूरी तरह से दूर नहीं किया जा सकता, लेकिन इन समितियों ने स्थानीय स्तर पर निष्पक्ष चयन करने के अपने मूल उद्देश्य की पूर्ति की है।

## सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र

**1913. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शिक्षित बेरोजगार युवकों तथा भूतपूर्व सैनिकों को सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र आबंटित किए जाने के संबंध में सरकार ने कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा तमिलनाडु (मद्रास) में भूतपूर्व सैनिकों को सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलने हेतु स्वीकृति देने के लिए संसद सदस्यों द्वारा सिफारिश के कितने पत्र प्राप्त हुए;

(ग) सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों की स्वीकृति देने में विलंब के क्या कारण है तथा इन्हें शीघ्र स्वीकृति दिए जाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या संसद सदस्यों के पत्रों के उत्तर दिए जाने में अत्यधिक विलंब हो रहा है; और

(ङ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है तथा लंबित बडे सभी पक्षों को शीघ्रता से उत्तर दिए जाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री(श्री सुखराम):** (क) से (ङ) सूचना एकंत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

## तेल अन्वेषण नीति

**1914. श्री सनत कुमार मंडल:** क्या पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और उत्पादन नीति में आमूल चूल परिवर्तन करने का विचार है; और

(ख) यदि हाँ, तो परिवर्तित तेल अन्वेषण नीति की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं?

**पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश कुमार शर्मा):** (क) सरकार ने वर्तमान अन्वेषण और उत्पादन नीति में परिवर्तन करने का कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**[हिन्दी]**

## बिहार के लिए वित्तीय सहायता

**1915. श्री ललित ठरांव :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार के कौन-कौन से संगठन विदेशों से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान, अक्तूबर 1995 तक इन संगठनों द्वारा विभिन्न देशों से प्राप्त की गई वित्तीय सहायता राशि का राष्ट्रवार ब्यौरा क्या है तथा उपरोक्त राशि किस उद्देश्य के लिए प्राप्त की गई; और

(ग) इन संगठनों के कार्यकलापों पर निरन्तर निगरानी रखने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. एम. कामसन) :** (क) और (ख) बिहार में एसोसिएशनों की संख्या और इन एसोसिएशनों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार विदेशी अभिदाय(विनियमन) अधिनियम, 1976 के अधीन इनके द्वारा वर्ष 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान प्राप्त विदेशी अभिदाय की राशि, संबंधी जानकारी नीचे दी गई है :-

| वर्ष | एसोसिएशनों की संख्या | एसोसिएशनों द्वारा सूचित, प्राप्त विदेशी अभिदाय की राशि (करोड रूपयों में) |
|---|---|---|
| 1991-92 (जन., 91 से मार्च, 92 तक) | 340 | 47.78 |
| 1992-93 | 408 | 55.15 |
| 1993-94 | 429 | 55.77 |

अखिल भारतीय आधार पर, प्राप्त विदेशी आभदाय का उद्देश्य-वार और देश-वार विवरण "स्वयंसेवी संगठनों द्वारा विदेशी अभिदाय की प्राप्ति" संबंधी वार्षिक रिपोर्ट में समाविष्ट है जिसकी प्रति संसद पुस्तकालय में पहले ही रखी जा चुकी है। वर्ष 1994-95 के आकड़े संकलित किये जा रहे हैं और उन्हें वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित किया जाएगा। वार्षिक रिपोर्ट की प्रति संसद पुस्तकालय में रख दी जाएगी।

वर्ष 1995-96 के लिए सूचना अभी देय नहीं है।

(ग) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अधीन उन एसोसिएशनों को जो उक्त अधिनियम के अन्तर्गत आती हैं, वित्त बर्ष के आधार पर उनके द्वारा प्राप्त विदेशी अभिदाय की प्राप्ति और इसके उपयोग के बारे में सूचना, किसी चार्टीरित लेखाकार द्वारा विधिवत् अनुप्रमाणित रूप में इस मंत्रालय को भेजनी होती है। सरकार द्वारा स्थापित एक "प्रबोधन इकाई", विदेशी अभिदाय की प्राप्ति, एसोसिएशनों द्वारा रिटर्न दाखिल कराए जाने का प्रबोधन करती है और जहां भी जरूरी होता है, निरीक्षण करती है।

**किराये पर लिए गए भवनों में डाकघर**

1916. **श्री महेश कनोडिया:**
**श्री पंकज चौधरी:**

क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय किराये पर लिए गए भवनों में चल रहे डाकघरों की राज्यवार संख्या कितनी हैं; और

(ख) उनमें से राज्यवार कितने डाकघरों को विभागीय भवनों में स्थानांतरित किया जाएगा?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री(श्री सुखराम):** (क) किराए के भवनों में कार्य कर रहे डाकघरों की डाक सर्किलवार संलग्न विवरण-I संख्या में दी गई है।

(ख) 194 भवन निर्माणाधीन हैं, जैसा कि डाक सर्किलवार ब्यौरा संलग्न विवरण – II में दर्शाया गया है, जिनके तैयार होने पर डाकघरों को उनमें शिफ्ट कर दिया जाएगा।

**विवरण - I**

**31.3.95 की स्थिति के अनुसार, किराए के भवनों में कार्य कर रहे डाकघरों की डाक सर्किल-वार संख्या।**

| क्र.सं. | सर्किल का नाम | किराए के भवनों में कार्य कर रहे डाकघरों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 2184 |
| 2. | असम | 446 |
| 3. | बिहार | 1222 |
| 4. | दिल्ली | 299 |
| 5. | गुजरात | 1204 |
| 6. | हरियाणा | 399 |
| 7. | हिमाचल प्रदेश | 396 |
| 8. | जम्मू व कश्मीर | 220 |
| 9. | कर्नाटक | 1484 |
| 10. | केरल | 1251 |
| 11. | मध्य प्रदेश | 1191 |
| 12. | महाराष्ट्र | 1938 |
| 13. | उत्तर पूर्व | 220 |
| 14. | उडीसा | 1046 |
| 15. | पंजाब | 694 |
| 16. | राजस्थान | 1221 |
| 17. | तमिलनाडु | 2630 |
| 18. | उत्तर प्रदेश | 2596 |
| 19. | पश्चिम बंगाल | 1697 |
| | **योग:** | **23338** |

**विवरण – II**

**निर्माणाधीन डाकघर भवनों की डाक सर्किल - वार संख्या।**

| क्र.सं. | सर्किल का नाम | निर्माणाधीन डाकघर भवनों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 8 |
| 2. | असम | 7 |
| 3. | बिहार | 16 |
| 4. | दिल्ली | 2 |
| 5. | गुजरात | 13 |
| 6. | हरियाणा | 4 |
| 7. | हिमाचल प्रदेश | 18 |
| 8. | जम्मू व कश्मीर | 1 |
| 9. | कर्नाटक | 25 |
| 10. | केरल | 13 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 11. | मध्य प्रदेश | 8 |
| 12. | महाराष्ट्र | 20 |
| 13. | उत्तरपूर्व | 7 |
| 14. | उडीसा | 19 |
| 15. | पंजाब | - |
| 16. | राजस्थान | 8 |
| 17. | तमिलनाडु | 7 |
| 18. | उत्तर प्रदेश | 6 |
| 19. | पश्चिम बंगाल | 12 |
| | योग: | 194 |

[अनुवाद]

## मन्दिरों और देवताओं पर डाक टिकटें

1917. डा. (श्रीमती) के. एस. सौन्दरम : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक कितने मन्दिरों और देवताओं के नाम पर डाक-टिकट जारी किए गए हैं;

(ख) क्या इस संबंध में कोई निवेदन विचाराधीन है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इसके पश्चात् ऐसे अन्य डाक-टिकट जारी किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री(श्री सुखराम): (क) जानकारी इस प्रकार है:-

I. महाबलेश्वर मंदिर
II. श्री हरमंदिर साहिब अमृतसर
III. बोध गया मंदिर
IV. शत्रुंजय मंदिर पालीताना
V. सोमनाथ मंदिर

अभी तक देवताओं पर कोई डाक-टिकट जारी नहीं हुआ है।

(ख) इस संबंध में कोई अनुरोध लंबित नहीं है।

(ग) उपर्युक्त (ख) में दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी नहीं।

(ङ) उपर्युक्त (घ) में दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

## विशेष पोस्ट कार्ड

1918. श्री श्रवण कुमार पटेल: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पोस्ट कार्डों के मुद्रण तथा वितरण सहित पारेषण प्रणाली में प्रतिवर्ष कुल कितनी हानि हुई;

(ख) क्या विशेष रूप से गांवों और ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघरों और केन्द्रों में पोस्टकार्डों का निरन्तर अभाव बना रहता है;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है;

(घ) क्या विभिन्न मनोरंजन कार्यक्रमों तथा सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों द्वारा रेडियो और दूरदर्शन पर प्रायोजित "क्वीज" कार्यक्रमों में पोस्टकार्डों का अत्यधिक प्रयोग किया जाता है; और

(ङ) यदि हाँ, तो इस प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा अलग और विशिष्ट प्रकार के पोस्टकार्ड जारी करने के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री(श्री सुखराम): (क) पोस्टकार्ड पर कुल अनुमानित घाटा 94.13 करोड़ रूपए है।

(ख) ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि गांवों और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित डाकघरों में पोस्टकार्डों की निरंतर कमी रहती है। तथापि, कुछ स्थानों पर थोडे समय के लिए इनकी कमी हुई है।

(ग) यह कमी प्रिंटर्स से पोस्टकार्डों की अपर्याप्त सप्लाई और/अथवा परिवहन में विलंब के कारण होती है।

(घ) सरकार द्वारा विभिन्न मनोरंजक कार्यक्रमों में पोस्टकार्डों के प्रयोग संबंधी कोई विशिष्ट आंकड़े इकट्ठे नहीं किए गए हैं। लेकिन, विभिन्न डाक सर्किलों द्वारा प्राप्त फीड-बैक यह दर्शाता है कि एक बडी संख्या में मीडिया एजेंसियां इस सुविधा का प्रयोग कर रही हैं।

(ङ) विभिन्न मनोरंजक कार्यक्रमों के लिए एक अलग प्रकार का पोस्टकार्ड आरंभ करने का मामला विचाराधीन है।

## कोयले का आयात

1919. श्री राम विलास पासवान : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या 1994-95 में गैर-कोक कोयले पर शुल्क घटाये जाने के कारण इसके आयात में भारी वृद्धि हुई है;

(ख) 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान इनके आयात का ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में कोयला उत्पादन पर इसका क्या प्रभाव पडेगा?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री(श्री जगदीश टाइटलर): (क) और (ख) महानिदेशक विदेश व्यापार की सांख्यिकी के अनुसार कोक्कर कोयला,हार्ड कोक तथा कोयले के अन्य कोकस को छोड़कर, आयात किए गए कोयले का वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 की अवधि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

| वर्ष | मात्रा |
|---|---|
| 1992-93 | 1,68,900 टन |
| 1993-94 | 3,94,963 टन |
| 1994-95 | 5,81,812 टन |

(ग) कोल इंडिया लि. ने सूचित किया है कि अभी तक अकोक्कर कोयले के आयातों से कोयले के उत्पादन पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा है।

## खराब पड़े टेलीफोन

1920. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या:** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तरी राज्यों में सितम्बर महीने के दौरान हुई भारी वर्षा और बाढ़ से तबाही मच गई थी और दिल्ली में लगभग 70,000 टेलीफोन खराब हो गए;

(ख) यदि हा, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं अथवा उठाने का विचार है;

(घ) क्या दिल्ली की तरह कोई अन्य राज्य भी प्रभावित हुआ है;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) भविष्य में इस प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम)** (क) और (ख): जी नहीं, सितम्बर माह में दिल्ली में एक दिन (8.9.1995) के अन्दर खराब टेलीफोनों की अधिकतम संख्या 22,231 थी।

(ग) मानसून के दौरान खराबियों को कम करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

(I) डक्टरों में केवल बिछाना

(II) नई परियोजनाओं के लिए केवल जैली भरे तांबे की केबलों का इस्तेमाल करना और पुरानी एवं मियाद समाप्त "पेपर कोर" केबलों का जैली भरे तांबे की केबलों से बदलना।

(III) निवारक अनुरक्षण के लिए केबल मार्गों की गश्त लगाना

(घ) और (ङ) किसी भी राज्य में पूरी तरह दूरसंचार सेवाएं गंभीर रूप से ठप्प नहीं हुई, तथापि, हरियाणा के कुछ भागों में, जहां बाढ़ का पानी से जलाक्रान्ति हो गई थी, वहां केवल खसब हो गए थे और उनकी मरम्मत में समय लगा।

(च) उपर्युक्त भाग(ग) में दिए गए उत्तर के अनुसार।

## गैर-सरकारी सलाहकार समिति

1921. **श्री एस.एम. लालजान वाशा:**
**श्री हरीश नारायन प्रभु झांट्ये:**
क्या सूचना तथा प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या क्षेत्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड/केंद्रीय सेंसर बोर्ड तथा आकाशवाणी/दूरदर्शन केन्द्र संबंधी सलाहकार समिति का गठन अपेक्षित समय बीतने के बाद भी काफी समय से नहीं किया गया है;

(ख) फिल्म, दूरदर्शन/आकाशवाणी के लिए समिति/स्टेशन-वार पृथक्-पृथक् ब्यौरा क्या है;

(ग) लोगों की बढ़ती हुई आकांक्षाओं को परिलक्षित करने के लिए सरकारी मीडिया के कार्यकरण तथा निगरानी के कार्य में गैर-सरकारी व्यक्तियों की सहभागिता सुनिश्चत करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(घ) दूरदर्शन सलाहकार समिति में गैर-सरकारी सदस्यों का समिति-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) दूरदर्शन/आकाशवाणी पर बनाये तथा प्रसारित किये जाने वाले उच्च स्तर के कार्यक्रमों में सुधार करने हेतु क्या विशिष्ट कदम उठाये जाने का विचार किया जा रहा है ?

**सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (पी.एम. सईद):** (क) और (ख) जी, नहीं। केबल बंगलोर, कलकत्ता और गुवाहाटी स्थित केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों के केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड और सलाहकार पैनलों का पुनर्गठन किया जाना है।

(ग) कई वर्षों से इस मंत्रालय के अंतर्गत विभिन्न पैनलों, समितियों में गैर-सरकारी सदस्यों को शामिल किया जाता रहा है। इस संबंध में कोई परिवर्तन अपेक्षित नहीं है।

(घ) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) आकाशवाणी और दूरदर्शन का अपने श्रोताओं/दर्शकों के व्यापक प्रतिनिधिक समूह की विविध आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से नए कार्यक्रमों और कार्यक्रम प्रारूपों की शुरूआत के जरिए अपने कार्यक्रमों में गुणात्मक सुधार लाने का सतत प्रगति रहता है।

### विवरण

दूरदर्शन केन्द्रों से संबद्ध कार्यक्रम सलाहकार समिति के लिए नामित गैर सरकारी सदस्यों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण।

| क्र. सं. | दूरदर्शन केन्द्र का नाम | गैर सरकारी सदस्यों की संख्या |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | अहमदाबाद | 23 |
| 2. | बम्बई | 38 |
| 3. | भुवनेश्वर | 62 |
| 4. | बंगलोर | 28 |
| 5. | कलकत्ता | 39 |
| 6. | दिल्ली | 28 |
| 7. | गुवाहाटी | 24 |
| 8. | हैदराबाद | 59 |
| 9. | जालंधर | 21 |
| 10. | जयपुर | 36 |
| 11. | लखनऊ | 28 |
| 12. | मद्रास | 60 |
| 13. | तिरूवनन्तपुरम् | 38 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 14. | श्रीनगर | 21 |
| 15. | सम्बलपुर | 10 |

## सिंचित भूमि

1922. **श्रीमती भावना चिखलिया** : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंचाई को विभिन्न प्रणालियों द्वारा इस समय राज्यवार, कुल कितने हैक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई को जा रही है;

(ख) पड़ोसी राज्यों से नदियों/नहरों द्वारा गुजरात को कितना पानी दिया जा रहा है;

(ग) क्या सिंचाई और अन्य प्रयोजनों हेतु इतना जल पर्याप्त है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस प्रकार दिये जाने वाले पानी की मात्रा में वृद्धि करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है/उठाए जाने का विचार है ?

**जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.पी. रंगय्या नायडू)**: (क) बड़ी एवं मझौली परियोजनाओं और लघु सिंचाई योजनाओं के जरिए 1993-94 के अंत में प्रयुक्त सिंचाई क्षमता के संदर्भ में सिंचाई की जा रही राज्यवार कृषि भूमि का कुल क्षेत्र दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) पड़ोसी राज्यों से नदियों/नहरों के जरिए गुजरात को जल निर्मुक्त नहीं किया जा रहा है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

### विवरण

'बड़ी एवं मझौली' सिंचाई परियोजनाओं तथा लघु सिंचाई योजनाओं के जरिए 1993-94 की समाप्ति पर प्रयुक्त कुल सिंचाई क्षमता

| क्रम सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | प्रयुक्त सिंचाई क्षमता (हजार हेक्टेयर में) |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 5548.80 |
| 2. | अरूणाचल प्रदेश | 62.18 |
| 3. | असम | 602.71 |
| 4. | बिहार | 7045.24 |
| 5. | गोआ | 29.17 |
| 6. | गुजरात | 2952.27 |
| 7. | हरियाणा | 3326.42 |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 129.47 |
| 9. | जम्मू एवं कश्मीर | 501.14 |
| 10. | कर्नाटक | 2703.57 |
| 11. | केरल | 911.62 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 3888.50 |
| 13. | महाराष्ट्र | 3355.10 |
| 14. | मणिपुर | 99.76 |
| 15. | मेघालय | 42.06 |
| 16. | मिजोरम | 9.34 |
| 17. | नागालैंड | 56.85 |
| 18. | उड़ीसा | 2513.49 |
| 19. | पंजाब | 5654.58 |
| 20. | राजस्थान | 4284.37 |
| 21. | सिक्किम | 18.24 |
| 22. | तमिलनाडु | 3688.31 |
| 23. | त्रिपुरा | 89.05 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 24842.00 |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 3724.55 |
| | कुल राज्य | 76079.29 |
| | कुल संघ राज्य क्षेत्र | 87.20 |
| | कुल योग | 76166.49 |

## कानपुर टेलीफोन सेवाएं

1923. **श्री तारा सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर दूरसंचार के लगभग तीस हजार उपभोक्ताओं को टेलीफोन सेवाएं पूर्णत: ठप्प हो गई है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(घ) यदि हाँ, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले है; और

(ङ) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए है ?

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम)** : (क) जी हाँ।

(ख) दिनांक 19.11.1995 को अचानक आग लगने के कारण सेवाएं भंग हो गई थी।

(ग) मुख्य महाप्रबंधक, (टीएंडडी) सर्किल, जबलपुर ने आग लगने के कारण का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच के आदेश दे दिए हैं।

(घ) जांच-रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

(ङ) ऊपर भाग (घ) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

11.18 **म.प.**

**लोक सभा 12.00 मध्याह्न तक के लिए स्थगित हुई।**

12.03 म. प.

**लोकसभा 12.03 म.प. पर पुन: समवेत हुई।**

**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**

**[अनुवाद]**

**श्री राम कापसे** (त्रणे) : अध्यक्ष महोदय, मुद्दा यह है कि मूलभूत दूरसंचार सेवाओं के लिए निविदांए आमंत्रित की गई थी। जब निविदाए आमंत्रित की गई, तो मैसर्स एच.एम. सी. मूल उच्चतम बोली द्वारा कम्पनी थी जो 85000 करोड़ रुपये थी, फिर दूरसंचार विभाग ने केपिंग करने का निर्णय लिया। केपिंग के समय भी उनकी बोलिया: दिल्ली और आंध्र प्रदेश में उच्चतम थी जो क्रमश: 15085 करोड़ रुपये, 15,000 करोड़ रुपये तथा 15365 करोड रुपये की थी, जो कुल 45500 करोड़ रुपये थी। लेकिन फिर भी वहां नही दी गई और कम्पनी को चयन करने का अवसर दिया गया था। और उनके द्वारा चयन किए गये परिमंडल दिल्ली, उत्तर प्रदेश (परिकमी) तथा हरियाणा थे और अन्तत: समस्त बोली केवल 20,000 करोड़ रुपये थी। अत: यदि केपिंग स्वीकार की जाती है तो भी हानि 25000 करोड़ रुपये की है और यदि केपिंग स्वीकार नहीं की जाती तो हानि 65500 करोड़ रुपये तक की है। यहां उसके लिए मंत्री को उत्तरदायी ठहराया जाता है क्योंकि सरकार को घाटा हुआ है, जनता को घाटा हुआ है, देश को घाटा हुआ है और इसलिए, श्री सुखराम को ववन्तत्य देना चाहिए और समस्त स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। हम उनसे पूछना चाहते है। जब नगर निगम में निविदा दी जाती है तो यह देखा जाता है कि नगर पालिका को घाटा न हो, लेखापरीक्षक भी यह देखते है। यहा देश को घाटा हुआ है और अन्तत: सरकार को उत्तरदायी ठहराया जाना है :

संबद्ध मंत्री को उत्तरदायी ठहराया जाना है, और उसे त्याग पत्र दे देना चाहिए। मेंरी यही मांग है

**(व्यवधान)**

**श्री बसुदेव आचार्य** (बांकुरा) : हिमाचल फ्यूचूरिसिक कार्पोरेशन को राज्यों का चयन करने के लिए क्यों कहा गया है? जब यह निविदा आयोजित की गई थी, तो शर्तें क्या थी ? उस विशेष कम्पनी का पक्ष क्यों किया गया है, जब कि आठ या नौ राज्यों के किए कम्पनियां है, यह पक्षपात का स्पष्ट मामला है। मंत्री को यह स्पष्ट करना चाहिए उस विशेष कम्पनी का पक्ष क्यों लिया गया है। 25,000 करोड़ रुपये का घाटा क्यों हुआ? क्यो? उन्हे यह स्पष्ट करना चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय** : मेरे विचार से विस्तार बढ़ता जा रहा है। अन्यथा हर कोई प्रश्न पूछेगा।

**(व्यवधान)**

**श्री रुपचन्द पाल** (हुगली) : यह केवल हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कारपोरेशन का ही प्रश्न नहीं है। अन्य ऐसे बोली दाता भी रहे हैं जिनकों इस बोली तथा परिसीमन प्रक्रिया से सरकारी खजाने तथा सार्वजनिक धन की कीमत पर अत्यधिक फायदा हुआ है। जब वे उत्तर दें, तो उसमें यह भी शमिल होना चाहिए।

**श्री निर्मल कान्ति चटर्जी** (दमदम) : उन्होंने 45000 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया है। यह पूर्णतया संभव है। पहली बात यह है कि यदि अन्य क्षेत्रों के लिए बोली में, बोलियों के लिए आरक्षित मूल्य इस हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कारपोरेशन से अन्य हैं, तो इसे शामिल किया जा सकता है। क्या वे इसका आश्वासन देने के लिए तैयार हैं ?

**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय कृपया उन प्रश्नों को नोट करें जो वे उठा रहे हैं ताकि वह उत्तर दे सकें।

**(व्यवधान)**

**श्री निर्मल कान्ति चटर्जी** : संदेह यह उत्पन्न हो रहा है कि इस कम्पनी का कोई पृष्ठाधार नही है और इसके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है और संसाधन वित्तीय संस्थओं से आने है। प्रथमत: अतरंग सौदेबाजी की गई। यह एक संदेह है। अन्यथा, आठ क्षेत्रों में यह बोली इतनी अधिक नही हो सकती थी, और दूसरे, ऐसा हो सकता है कि वित्तीय संस्थाएं भी इस हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्पनी को निधियां प्रदान करने, अथवा वित्तीयन करने में शामिल हैं। अत: ये सभी मुद्दे शामिल है। साधारण समाधान यह होगा कि एक संप्रक संसदीय समिति होनी चाहिए दूसरे सदन ने भी एक समिति गठित करने की मांग की है, हम ऐसा पहले भी कर चुके है। जो कुछ हुआ है, वह उसकी जांच करने के लिए एवं संयुक्त संसदीय समिति होनी चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय** : मेरे विचार से प्रत्येक पार्टी का प्रत्येक सदस्य नहीं बोलना चाहेगा।

**श्री पी. सी. नारायणन** (गोबिचे ट्रिटपालयम) : एक कम्पनी, अर्थत हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कम्पनी को फायदा पहुंचाने के लिए पूरी दूर संचार नीति को विकृत किया गयां है, क्योंकि एक शीर्षस्थ व्यक्ति का कोई स्वार्थ है। इसका कारोबार केवल 200 करोड़ रुपये का है। लेकिन नौ परिमंण्डलों के लिए 85000 करोड़ रुपये के लाइसैंस है। वे उच्च मूल्यों पर कुछ इक्विटी बेच रहे हैं। इस प्रकार लाइसैंस को ही बेचने जैसा है। अत: व्यापक स्तर पर बिक्री हो रही है। सरकार ने घोटाले को रोकने के लिए कोई उपाय नहीं किए हैं। यह बहुत गम्भीर मामला है। यह बहुत बड़ा घोटाला है। इस घोटाले की जांच के लिए एक सदन समिति का गठन किया जाना चाहिए।

**[हिन्दी]**

**श्री शरद यादव** (मधेपुरा) : अध्यक्ष महोदय, मै तीन चीजें इसमें कहना चाहता हूँ। जो परिस्थतियां है, उनसे साफ जाहिर है कि यह कम्पनी हमने पहली बार सुनी है। जहां ये मिनिस्टर साहब चुन कर आये है, वहां की यह कम्पनी है। मै मानता हूँ कि बाकी सूबे इंडस्ट्री में बहुत आगे है। जो हाईस्ट बीडर थे, उसने 9 जगहों के बारे में कहा था। यदि बढिया और बेहतर जगह दी जाती तो 45 हजार करोड़ रुपये का

ऐक्सचेकर को फायदा हो सकता था। इससे नुकसान किस का हुआ ? इन सारी परिस्थितियों में और इन सारी चीजों को देखते हुए मै यह निवेदन करना चाहता हूँ कि मंत्री जी का बयान आने के बाद पूरी बहस जब होगी तो हमें सभी चीजों की जानकारी हो पायेगी और उन पर सफाई मांगने का काम होगा। इसके पहले किसी चीज की मांग करना मै वाजिब नही मानता हूँ। मंत्री जी का बयान आज आना चाहिये। बयान आने के बाद इस पर ठीक-ठाक बहस हो सकती है और हम ठीक बात पर तथा ठीक जगह पर पंहुच सकते है।

[अनुवाद]

**श्री जसवन्त सिहं** (चित्तोड़गढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं हमारी चिन्ताओं को बहुत संक्षिप्त रुप में बताने तथा उन मुद्दों पर ध्यान देने का प्रयास करुगां जिन पर हम, माननीय मंत्री से एक वक्तव्य चाहते हैं। महोदय, हमें चिन्ता इसलिए हो रही है कि दूसरी सभा को इस मामले की जानकारी है और अड़ी हुई है और इसे लेकर डेढ़ दिन से वहां गतिरोध बना हुआ है। अखबारों के समाचारों से हमें एक बड़े घोटाले का पता चला है, और संभवत: यह स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा घोटाला है। अब जब हमें इस घोटाले के आकार तथा उसके परिणामों का पता लगा, तो आज हम सरकार से स्पष्टीकरण चाहते हैं और सरकार हमें तकनीकी बारीकियों में उलझाती है। अत: मैं इस सभा में आज उन मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता महसूस करता हूँ जिन पर सरकार से स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। वे मुद्दे क्या हैं? दूरसंचार में अब संरचना के विकास के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रियाओं में मेरे किए यह विषय महत्वपूर्ण नहीं है कि किसे ठेका मिलता है और किसे नहीं मिलता एक विशेष कम्पनी ऊंची बोली देकर देश के लगभग तीन चौथाई दूरसंचार सर्किलों को प्राप्त करने में सक्षम होती है। यह कम्पनी अन्य कम्पनियों से 80-90 प्रतिशत ऊंची बोली देती है। अत: महोदय, स्वाभविक रुप से जानने की चिन्ता होती है कि यह कम्पनी कौन सी है, इसके पीछे कौन लोग हैं। इस कम्पनी की तकनीकी क्षमता क्या है, इस कम्पनी की वित्तीय क्षमता क्या है, जिसने भारत जैसे उप महाद्वीप में आकर के देश के नौ दूरसंचार परिमण्डलों के लिए बोली दी है। समाचार पत्रों से मुझे जानकारी मिली है कि सहयोगी शायद कुछ इजरायली अथवा कुछ थाई मूल के लोग है। मुझे भी जानकारी दी गई है और मैं प्रसन्न होऊँगा यदि सरकार मेरी इन बातों का निराकरण कर दें।

(व्यवधान)

**श्री निर्मल चटर्जी** : निदेशक मण्डल में कौन लोग हैं।

**श्री जसवंत सिंह** : मैं उस पर चर्चा नहीं करने जा रहा हूँ जिस पर मेरे प्रतिष्ठित तथा विद्वान साथी ने चर्चा नहीं की है।

**शहरी-कार्य तथा रोजगार मंत्रालय (शहरी रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग, मैं राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ) : (श्री एस.एस. अहलूवालिया)** : यह उनका शुगल है

(व्यवधान)

[अनुवाद]

**श्री निर्मल कान्ति चटर्जी** : हम यहां इस हॉबी के कारण है।

**श्री जसवंत सिहं** : स्वाभाविक रुप से हमारी इस बात में रुचि है कि यह इसरयली सहयोगी कौन है और थाइलैड के यह सहयोगी कौन है क्योंकि हमें यह सूचना मिली है कि वास्तव में थाईलैड के इस सहयोगी को कहीं और आपराधिक गतिविधियों के लिए तलाश थी। इससे हम चिन्तित हैं। यदि थाइलैड की इस कम्पनी का नाम काली सूची में है अथवा वास्तव में एक ऐसी कम्पनी नहीं है जो हमारे जैसे एक महान देश के दूरसंचार सर्किलों की निविदाएं प्राप्त करने के लिए ग्राहक है और उसको निविदा केवल इसकी किसी भारतीय भागीदारी के साथ सहयोग के कारण प्रदान की गई है, तो हमें जानने का अधिकार है। यह प्रथम भाग है। दूसरा भाग प्रतिमानों से संबंधित है। सरकार सही ही कहती है और सरकार का यह कहना पूर्णतया ठीक है कि, "हम भारत सरकार के अकुशल टेलीफोन विभाग के एकाधिकार को समाप्त करके किसी निजी कम्पनी का एकाधिकार स्थापित करना चाहते हैं।" अत: वे कहते है कि तीन की केपिंग होगी। तथापि, केपिंग में अपनायी गई प्रक्रिया स्वयं कई बड़े प्रश्न छोड़ देती है। केपिंग यदि वह जारी नहीं रखना चाहता तो केपिंग के लिए अपनाई गई प्रक्रिया उच्चतम बोली दाता को उसे छोडने का विकल्प प्रदान करती है। अत: हमें यह बताया गया है कि इस विशेष कंपनी, जिसका नाम हिमाचल फ्यूचरिस्टिक है अथवा जो भी हो, ने बहुत ऊंची बोली के माध्यम से सर्वाधिक लाभप्रद टेलीफौन सर्किल प्राप्त करने के पश्चात, फिर उन्हें छोड़ देती है और केवल तीन रखती है, अर्थात दिल्ली, हरियाण तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश। मेरे विचार से, जहां तक दूरसंचार का संबंध है, सभी यह स्वीकार करेगें कि दिल्ली, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश अलाभकारी क्षेत्र नहीं है। अत: प्रश्न यह है कि जिन क्षेत्रों को इस कंपनी ने छोड़ा है, नम्बर दो कंपनी जिसकी बोली न्यूनतम से भी कम है, के बारे में उन क्षेत्रों का क्या होगा। क्या नम्बर दो कंपनी को वे विशेष सर्किल उस मूल्य पर मिले जिसकी इसने बोली दी और राष्ट्र के संभावित घाटे का क्या हुआ? ये चिन्तायें हैं। मैं सभी का उल्लेख नहीं करना चाहता। आपने बिल्कुल ठीक ही कहा है कि यह एक व्यादेश है, इस विषय पर वाद-विवाद नहीं है। हमें केवल अपनी चिन्ता पर ध्यान केन्द्रित करना है ताकि सरकार का भी ध्यान केन्द्रित हो, जो आसान कार्य नहीं है। इस सरकार का ध्यान केन्द्रित नहीं होता। ध्यान केन्द्रित करने के लिए उपयुक्त कार्यवाही की आवश्यकता है। उसके पश्चात, हमारा कार्य सरकार को सदन में आगे लाना है ताकि वह उसके पास जो जानकारी है, वह हमें प्रदान करें, हमें संतुष्ट करें। मै आपसे और वास्तव में सरकार से यह अनुरोध करते हुएं अपना भाषण समाप्त करता हूँ कि हमने जो प्रश्न अथवा संसद में जो प्रश्न उठाये गये हैं। उनको स्पष्ट करते हुए एक वक्तव्य के साथ

आगे आयें ताकि इस के संबंध में आशान्ति समाप्त हो सके तथा यह भी कि एक प्रमुख अब सरचंना विकास सरकार की अदक्षता तथा उसके भ्रष्टाचार के कारण आजादी के बाद का सबसे बड़ा घोटाला नोट किए बिना नही जाना चाहिए। अत:, आज एक व्यक्तव्य अवश्य दिया जाना चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय** : मेरे विचार से सदस्यों को इस तरह के प्रश्न पूछने का अधिकार है। मैं यह पूछ रहा हूँ कि क्या आप कोई और प्रश्न पूछना चाहते हैं। क्या मंत्री जी अब वक्तव्य देना चाहते हैं अथवा उन्हे समय चाहिए? ताकि कल मै वक्तव्य दे संकूगा।

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम)** : मुझे समय चाहिए, ताकि कल मैं दे सकूं।

(व्यवधान)

महोदय, मुझे इसी वक्त वक्तव्य देने में कोई परेशानी नहीं हैं, परन्तु समस्या यह है कि आपने कार्यालय में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुरुप अपने तर्क रखने हैं और इसी समय वे दस्तावेज मेरे पास नही है।

(व्यवधान)

**श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा)** : यह किसने उठाया है?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

**श्रीमती भावना चिखलिया (जूनागढ़)** : कल राज्य सभा में भी हुआ है। (व्यवधान)

**जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : महोदय, सरकार इस विषय में आज 6 म.प. व्यक्तव्य देगी। तब तक मंत्री अपना रिकार्ड एकत्रित करेंगे और जानकारी एकत्रित करेगे और 6 म.प. सभा के समक्ष आयेंगे। (व्यवधान) हमने 7 म.प. तक कार्यवाही जारी रखने का निर्णय किया है। एक घंटे का समय रहेगा। 6.म.प. तक माननीय मंत्री के पास सभी तथ्य एकत्रित करने का समय होगा। अब 12.20 बजे है। वह आज 6 म.प. यहां आयेंगे और इस विषय में वक्तव्य देंगे। वे यहां उठाये गये सभी प्रश्नों का उत्तर भी देंगे।

[हिन्दी]

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर)** : अध्यक्ष जी, सब सवाल उठे हैं क्योंकि इस समय तो अध्यक्ष जी के निवेदन पर केवलमात्र सदन की कार्यवाही सामान्य रुप से चलती रहे, इसलिए हम किसी न किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहते थे। जो संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है, साधारणत: उस पर किसी को आपत्ति नहीं हो सकती थी। मैं तो यहां तक कहता हूँ कि अगर मंत्री जी कहते कि कोई सवाल अचानक खड़ा हुआ है, उसके बारे में कहते कि मै कल जवाब दूगा, तो भी आपत्ति नहीं होती। इस मामले में जैसे जसवंत सिंह जी ने ध्यान दिलाया, हम उसके बारे में ऐजिटेटड हुए है, उसका कारण केवल मात्र जो पत्र-पत्रिकाओं में पिछले दिनों में छपता रहा है, वह नहीं है। लेकिन कल से लेकर राज्य संभा में, दूसरे सदन में जो कुछ कार्यवाही हुई है, उसके कारण भी है और उसमें यह बात महत्व की है कि वहां पर एक सवाल था। इस विषय पर सवाल था और प्रश्नोत्तर काल में एक प्रश्न का उत्तर न दे सकने के कारण, यहां सामधानकारक उत्तर न दे सकने के कारण समस्या खड़ी हुई है। कल से लेकर स्वाभाविक रुप से इस बारे में जितना तथ्य है, उनको मंत्रालय एकत्रित करता रहा है और मेरी जानकारी में आज प्रात:काल वह तथ्य दूसरे सदन में रखने की कोशिश भी हुई है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि देर होने का कोई खास कारण है। मुझे इस पर कोई आपत्ति नही होगी अगर सदन के लंच के बाद तीन बजे ही सही, लेकिन यह बयान हो जाए। छ: बजे तक टालना मुझे उचित नही लगता। जहां तक औपचारिक रुप से उत्तर देने की बात है, वह शायद मंत्री जी अभी दे सकते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि सारे तथ्य एकत्रित करके छ: बजे के बजाय तीन बजे कर दें। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : सब अच्छे ढंग से हो रहा है। उसको ऐसे खराब मत करें।

**श्री शरद यादव** : चार बजे कर दें।

**श्री वासुदेव आचार्य** : चार बजे ठीक रहेगा। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस ख्याल का हूं कि जो प्रश्न यहां पर उठाए गए हैं, उन प्रश्नों के बारे में मोटे तौर से मंत्री महोदय अब भी जवाब दे सकते हैं। मगर उसमें से फिर कुछ प्रश्न निकल सकते हैं जिनके उत्तर देने के लिए वह प्रश्नों को लिख रहे है, ऐसा मै समझता हूँ। उसके ऊपर तैयारी करके हाउस चार बजे या तीन बजे इसको लेगा। आप तैयार होकर आ जाएं।

**श्री सुखराम** : मैं तैयार हूँ। चार बजे भी तैयार हूँ। आडवाणी जी ने जो बात कही, मैं उस संबंध में एक निवेदन करना चाहता हूँ। मैं तो इस माननीय सदन का बड़ा आभारी हूँ कि कम से कम मुझको बोलने का मौका तो दे रहा है। जो आपने कहा कि कल प्रश्न का रिप्लाई नही दे सका, ऐसी बात नही है। प्रश्न का रिप्लाई किसी ने सुना नहीं और जो प्रश्न निकला हुआ है वह वन साइडेड है। मुझको बोलने का मौका नही दिया गया इसलिए जो आज प्रेस में निकला हुआ है वह भी वन साइडेड है। मैं चार बजे तैयार हूँ। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : देखिए, मै फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे यहां सभी नेताओं की बैठक में सोच-समझकर यह तय हुआ है कि आज देश के सामने जो बड़ी समस्याएं हैं, उन पर हम सभी लोग मिलकर विचार करेंगे, जिसमें देश की आर्थिक स्थिति, देश की अंतराष्ट्रीय नीति और देश का सीक्योरिटी सिनेरिओ शामिल है और उसके बाद कश्मीर की स्थिति आती है। इन सब समस्याओं पर विचार के बाद आज का दिन आर्थिक नीति नीति पर चर्चा करने के लिये निश्चित किया गया है। इसलिए मेंरी आपसे विनती है कि जब आपके कहने से ऐसा निश्चित किया गया है, उस पर योग्य दृष्टि से चर्चा हो

सके, इस तरह का वातावरण अगर सदन में आप बनाए रखें और अपने विचार रखें तो ठीक रहेगा।

**श्री राम विलास पासवान** (रोसेड़ा) : एक-एक मिनट दूसरे विषयों के लिये भी दीजिये।

**अध्यक्ष महोदय** : जीरो-ऑवर जयादा महत्व का है या देश की आर्थिक नीति ज्यादा महत्व की है, इसके बारे में आप लोग स्वयं फैसला कर लीजिये।

**श्री प्रभु दयाल कठेरिया** (फिरोजाबाद) : जीरो-ऑवर के लिये कम से कम एक घंटा तो मिलना ही चाहिये। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : मैने एक बात और कही थी कि चिदम्बरम् जी सदन में एक बजे अपना स्टेटमैंट देंगे। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : शायद इम्मीडियोटली आफ्टर क्वेशचन ऑवर का समय उनके स्टेटमैंट के लिये रखा गया था। लेकिन जब इस तरह की बातें आती हैं तो उससे पहले से निर्धारित कार्यक्रम में अंतर आ जाता है और हम पहले से सोच-समझकर जो कुछ करना चाहते है, वह नही हो पाता, दूसरे विषय बीच में आ जाते हैं जिससे मुशकिल होती है।

**श्री शरद यादव** : अध्यक्ष जी, मैं बहुत ही संक्षेप में एक ऐसे महत्वपूर्ण सवाल को उठाना चाहता हूँ जो देश में बहुत असंतोष पैदा करने वाला है और कई दिनों से चला आ रहा है। इस देश में आरक्षण का सवाल जातिभेद के कारण एक जबर्दस्त बहस का मसला रहा है। मैं यहां उसके विस्तार में जाना नही चाहता लेकिन किसी के धर्म बदल लेने से उसकी जाति नही बदलती है। यह बात हमारे संविधान में और हम लोगों ने भी (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, शरद जी, यह विषय ऐसा है, जिस पर कुछ अन्य माननीय सदस्य भी बोलना चाहेंगे। आपको मैं कल इजाजत दूंगा, कल आप इस विषय पर बोलिये।

**श्री पी.जी. नारायन** : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सभा का ध्यान लोकसभा तथा विधान सभाओं के चुनाव एक साथ-साथ करवाने के विवाद पर आकृष्ट करना चाहता हूँ। परसों, संसदीय कार्य मंत्री ने एक प्रेस वक्तव्य दियां था कि संसद के चुनाव अलग से हों लेकिन निर्वाचन आयोग का मत यह है कि संसद तथा छः विधान सभाओं के चुनाव साथ-साथ करवाये जायेंगे। प्रशासनीक सुविधा तथा व्यय कम करने के लिए , संसद तथा विधान सभाओं के चुनाव एक साथ किए जाने चाहिए। जब हम अत्यधिक वित्तीय घाटे का सामना कर रहे हैं, तो इस समय संसद तथा विधान सभाओं के अलग-अलग चुनाव करवा कर राष्ट्र के धन की बर्बादी करना बिल्कुल समझदारी नहीं है। महोदय, 1991 में, संसद का चुनाव तमिलनाडु सहित छः राज्य विधान सभाओं के चुनाव के साथ करवाया गया था। अब सरकार इन दो चुनावों को अलग क्यों कर रही है जबकि हम अत्यधिक वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं? राजनैतिक दलों की सहमति के बिना ऐसा वक्तव्य देना संसदीय कार्यमंत्री के लिए ठीक नहीं है। ऐसा वक्तव्य देने से पूर्व उन्हें राजनैतिक दलों की सलाह लेनी चाहिए। अलग चुनाव करवाने से पुलिस तथा प्रशासन को थोडे से समय में दो बार प्रबन्ध करने पड़ेंगे।

**अध्यक्ष महोदय** : श्री नारायनण यदि उन्होंने सभा में वक्तव्य दिया है, तो मैंने यह निर्णय दिया होता कि वे सरकार की ओर से वक्तव्य दे रहे हैं। अब मंत्री ने यह कहा है कि चुनाव साथ-साथ हों अथवा नहीं, हम इस को इतना अधिक महत्व क्यों देते हैं?

**श्री पी. बी. नारायण** : मैं सरकार को प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ। वे चुनाव अलग-अलग करवाना चाहते हैं। ऐसा क्यों हैं? क्या इसके संबंध में कोई विवाद है?

**अध्यक्ष महोदय**: क्या यह वक्तव्य सरकार की ओर से दिया गया था? (व्यवधान)

**श्री पी. जी. नारायणन**: मैं सरकार एक आश्वासन चाहता हूँ। सराकार का प्रस्ताव क्या है ?

**अध्यक्ष महोदय**: आपका कहना ठीक है। आप यह प्रश्न कर सकते हैं।

**श्री पी. जी. नारायणन** : क्योंकि जम्मू-कश्मीर के मामले में सरकार ने निर्वाचन-आयोग के विरुद्ध न्यायालय में जाने का निर्णय किया है। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस विशेष मामले में सरकार का क्या सुझाव है।

**कुमारी ममता बनर्जी** (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, मै एक बहुत महत्वापूर्ण प्रश्न उठाना चाहती हूँ।

[हिन्दी]

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : अध्यक्ष महोदय, यह जो मामला उठा है इस बारे में मै कहना चाहूंगा। यह बात अच्छी है कि चुनाव आयोग ने ही अपनी ओर से यह निर्णय घोषित किया है कि हमारी राय है कि विधान सभा और लोक सभा के चुनाव साथ-साथ होने चाहिए। वर्षों से जब भी चुनाव सुधार पर हम लोगों ने चर्चा की है यहां पर संसदीय समिति में चर्चा हुई, दिनेश गोस्वामी कमेंटी में चर्चा हुई तो हमेंशा इस बात पर ध्यान दिलाया गया कि 1967 तक पहले-पहले चार आम चुनाव लोक सभा और विधान सभा के चुनाव साथ-साथ हुआ करते थे। उसके बाद से लेकर जबसे डिलिकिंग हुई है तो खर्चा बढ़ने का एक कारण यह भी हो गया है। देश के ऊपर खर्चा बढ़ता है, राजनैतिक दलों के ऊपर खर्चा बढता है और खर्चा कम करने का एक तरीका यह होगा कि अधिक से अधिक जहां तक संभव हो लोक सभा और विधान सभा के चुनाव एक साथ कराये जाएं। यह आश्चर्य की बात है कि पिछले दिनों में सरकारी पक्ष के प्रवक्ताओं की ओर से यह बात कही जाने लगी जिसमें एक मंत्री भी थे कि जहां तक 1996 में होने वाले चुनाव है उनमें हम चाहेंगे कि लोक सभा और विधान सभा के चुनाव अलग-अलग हों। यह बात बहुत अच्छी है कि चुनाव आयोग ने इसके खिलाफ अपना मत दिया है क्योंकि साधारण बुद्धिमता साधारण खर्चे की चिन्ता, वित्तीय अवस्था, वह भी यह अपेक्षा करती है कि

जनता के ऊपर दो-तीन महीने की अवधि में दो आम चुनाव नही थोपने चाहिए। इसलिए अच्छा होगा कि उत्तर प्रदेश के बारे में भी सफाई हो जाए। कल की चुनाव आयोग की चर्चा में उत्तर प्रदेश के बारे में जिक्र नही था। मै चाहूंगा कि इसका निर्णय सरकार करे और सरकार इसका निर्णय करके घोषणा करे और साथ-साथ लोक सभा के बारे में जो अनिश्चितता है उसको भी समाप्त करे। चुनाव आयोग की ओर से कहा गया है कि दो संभावनाएं, एक फरवरी में और एक अप्रैल में। (व्यवधान) तारीख भी उन्होंने कही है, 15 अप्रेल से लेकर 30 अप्रैल तक।

मुझे याद है कि चुनाव आयोग ने सभी दलों के प्रतिनिधियों की एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें सरकारी पक्ष को छोडकर बाकी के प्राय: सभी दलों ने यह इच्छा व्यक्त की थी कि फरवरी-मार्च में चुनाव हो जाने चाहिये। मै समझता हूँ कि परीक्षाओं की दृष्टि से भी, स्कूलों की उपलब्धता की दृष्टि से, इलेक्टाल आफिसर्स की उपलब्धि की दृष्टि से 15 मार्च से पहले चुनाव का होना लाभकारक होगा। मौसम की दृष्टि से भी अच्छा होगा। लेकिन इस मामले में अच्छा होगा कि चुनाव आयोग एक बात कहता रहे, सरकार दूसरी बात करती रहे यह स्थिति खत्म करके सरकार अपना मन बना करके इस सत्र की समाप्ति से पहले घोषणा कर दे कि हम चाहते हैं कि चुनाव इस समय होगे।

[अनुवाद]

**कुमारी ममता बनर्जी** : महोदय, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाना चाहती हूँ।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं आपको अनुमति प्रदान करूगां।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह पूछ रहे थे कि क्या सरकार ने राज्यों की विधान संभाओं और लोक सभा के चुनाव साथ-साथ करने में अथवा अलग-अलग करने के बारे में कोई निर्णय लिया है। शुक्ला जी, वे कह रहे थे कि आप ने कोई वक्तव्य दिया था। क्या आप उसे स्पष्ट करना चाहेंगे।

**श्री विद्याचरण शुक्ल** : महोदय, अब तक ऐसा कोई निर्णय नही किया गया हैं।

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : मैने यह नहीं कहा है कि उन्होंने निर्णय लिया है।

**अध्यक्ष महोदय** : आपने बहुत ठीक कहा है कि वे निर्णय करें तथा सभा को सूचित करें।

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : मैने कहा है कि इस अनिश्चितता को समाप्त करना चाहिए और सरकार को इस संबंध में निर्णय करना चाहिए और सभा में इसकी घोषण करनी चाहिए।

**श्री विद्याचरण शुक्ल** : हम यह करेगें।

**श्री पी. जी. नारायणन** : क्या चुनाव साथ-साथ होंगे अथवा अलग-अलग होंगे ?

**अध्यक्ष महोदय** : नही, श्री नारायन जी उन्होंने बहुत स्पष्ट रुप से इसके बारे में बताया है।

[हिन्दी]

**श्री तेज नारायण सिहं** (बक्सर) : माननीय महोदय, बिहार राज्य में सबसे अधिक अगर सिचाई होती हैं, तो सोन नहर से होती है और वह सोन नहर अंग्रेजों ने बनाई थी। उससे 22 लाख हैक्टर की सिचाई होती है, लेकिन इसके दस्तावेज में अंग्रेजों ने भी लिखा था कि इस नहर को यदि एक सौ वर्ष के बाद फिर से नही बनाया जाएगा, तो इससे सिंचाई नहीं हो सकती है। आज 47 साल से ज्यादा देश को आजादी हुए हो गए है, लेकिन आज तक उस सोन नहर की मरम्मत भी नही कराई गई है। कई राज्य सरकारें आई और कई राज्य सरकारें गईं। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : यह नहर मरम्मत का काम राज्य सरकार का है। यहां पर कुछ भी आप कहते चले जाएंगे, यह नहीं चलेगा।

**श्री तेज नारायण सिहं** : अध्यक्ष महोदय, यह सोन नहर का मामला बहुत महत्वपूर्ण मामला है।

**अध्यक्ष महोदय** : बहुत महत्वपूर्ण मामला है, तो भी यह स्टेट गवर्नमेंट को देखना है।

**मेंजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी** (गढ़वाल) : धन्यवाद अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान आपके माध्यम से इस तरफ दिलाना चाहता हूँ कि उ.प्र. सरकार की ओर से सर्वसम्मत प्रस्ताव पास होकर आ चुका है कि उत्तराखंड को अलग राज्य का दर्जा दिया जाए, लेकिन केन्द्र सरकार के पास साढ़े चार साल से यह मामला पड़ा हुआ है। इसके बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है।

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी को मै बतलाना चाहता हूँ कि 27 नवम्बर से लोग जन्तर मन्तर पर दिल्ली में धरने पर बैठें हुंए है। हर रोज लोग बाहर से आ रहे हैं, सीमावर्ती क्षेत्रों से आ रहे हैं। कल और आज पिथौरागढ़ क्षेत्र से लोग आए हैं और उत्तराचल प्रदेश संघर्ष और अन्य संघर्ष समितियों के लोग धरना पर बैठे हुए हैं। हर रोज लोग आ रहे हैं और शान्तिपूर्ण धरना कर रहे हैं, लेकिन आप लोग उनसे इस बात को लेकर न तो कोई वार्ता कर रहे हैं और न कोई निर्णय ले रहे हैं। मैं गृह मंत्री जी से बार-बार निवेदन कर चुका हूँ कि कृपया इस समस्या को टालते मत जाइए और उस सीमावर्ती क्षेत्र की स्थिति को खराब मत होने दीजिए, लेकिन आज साढ़े चार साल से आपके पास उत्तरांचल को अलग राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव लंबित हैं, लेकिन आप उसकी ओर कोई ध्यान नही दे रहे हैं और कोई निर्णय नही ले रहे हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : जो बोल चुके है, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है।

**मैंजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी :** अध्यक्ष महोदय, वहां पर दो नवयुवक पुलिस द्वारा मार दिए गए और उन्हें पानी में फेंक दिया गया। (व्यवधान)

**श्री बलराज पासी** (नैनीताल) : अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार कुछ निर्णय नहीं ले रही है और वहां पर स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। पुलिस द्वारा दो नौजवानों को मार दिया गया। लोगों में बहुत रोष है। (व्यवधान)

**मैंजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी :** अध्यक्ष महोदय, वहां पर दो नवयुवकों को पुलिस ने मार कर अलकनन्दा में फेंक दिया और पुलिस ऐसे कार्रवाई कर रही है जैसे फौज अटैक करती है। वहां आपकी सरकार है। वहां रष्ट्रपति शासन जरूर है, लेकिन राज्यपाल तो आपका बैठाया हुआ है। आपका राज्यपाल है। आपकी सरकार है। अधिकारियों को निलंबित क्यों नही करते हैं। कृपया बताएं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय :** अब से आगे उसका वक्तव्य कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा।*

[हिन्दी]

**कुमारी ममता बनर्जी :** अध्यक्ष जी, लोकतंत्र की जो परम्परा है उसका हमने निर्वाह किया है। जब अपोजीशन ने कोई मसला यहां उठाया, तो हमने उसको ध्यान से सुना है। जो करप्शन का इश्यू है, इसमें कोई आदमी किसी का सपोर्ट नहीं करता है। जो मामला यहां उठाया गया है, उसे मैने अच्छी तरह से सुना है। लेकिन अब मैं एक अच्छे इश्यू को रेज करने जा रही हूँ। (व्यवधान)

मैं हिन्दी में बोलने को कोशिश कर रही हूँ।

**अध्यक्ष महोदय :** मैं हिन्दी में बोलने की कोशिश कर रही हूँ। आप मुझे सपोर्ट करिए। बिहार का आदमी तो मदद करेगा। ये लोग क्यों बीच में बोल रहे हैं। मै एक अच्छी चीज रेज करने जा रही हूँ। जैसे हिन्दू रिलीजन की प्रापटी होती है, उसे हिन्दू धर्मिक सम्पत्ति बोलते है, उसी तरह से मुस्लिम प्रापर्टी को वक्फ प्रापर्टी कहते हैं। जिसको अल्लाह की प्रापर्टी भी कहते हैं, लेकिन सर हमारे देश में, पर्लियामेंट में एक काननू पास हुआ हैं, परन्तु एक बड़े दुख की और बड़ी अजीब बात है और मै जानती हूँ कि मेंरी इस बात में सदन का हर सदस्य मेस साथ देगा कि हजारों करोड़ रुपये की वक्फ-प्रापर्टी आज देश में बेच दी गई है। जो रुल्स के मुताबिक नही बेची जानी चाहिए।

[अनुवाद]

यह कहने पर मुझे खेद है। मैं आपको दस्तावेज दिखा सकती हूँ। सभी दस्तावेज सरकारी दस्तावेज हैं। अल्लाह की सम्पत्ति का अर्थ है खुदा की सम्पत्ति लेकिन मेंरे राज्य में, समिति का एक सदस्य है जो यह कहता है मै खुदा का खुदा हूँ। मै इस पर आश्चर्य चकित हूँ। उर्दू में एक दोहा है :

**"खुदी को कर बुलन्द इतना कि हर तकदीर को लिखने से पहले**
**खुदा बन्दे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है।"**

सर, अल्लाह की जो प्रापर्टी है, उससे जो आमदनी होती है, उससे गरीब लोगों का पालन-पोषण होता है। विडो की देखभाल होती है। इस पैसे से देश भर की गरीब एवं विधवा मुस्लिम महिलाओं की सहायता होती है, लेकिन सर, टीपू सुल्तान मस्जिद, जो सबसे बड़ी मस्जिद है, उसका कामर्श्यल बिल्डिंग बनाने के लिए, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बनाने के लिए पूरी प्रापर्टी दे दी है।

[अनुवाद]

"ब्राईट स्ट्रीट" सम्पत्ति, "लोडेन स्ट्रीट सम्पत्ति", झाऊ तल स्ट्रीट सम्पति', 'लोबर रेंज प्रोपटी', 'टीपू सुल्तान मस्जिद', प्रत्येक संपति बेच दी गई है। यह कानून के बिरुद्व है। इसलिए मैं इस विषय में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा इसकी जांच की मांग करती हूँ। मै जानती हूँ कि सरकार ने कानून पारित कर दिया है।

(व्यवधान)

जो कुछ कह रही हूँ, वह मै पूरे उत्तरदायित्व के साथ कह रही हूं।

मेंरे विचार से गरीब लोगों को न्याय मिलना चाहिए और इस सभा को केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच करने की मांग को स्वीकार करना चाहिए ताकि वक्फ की सम्पत्ति पर किसी विशेष व्यक्ति का अधिकार न हो। महोदय, मैं बडे खेद के साथ कह रही हूँ। आप कृपया विधेयक को देखें। मैं आपको एक सौदे के बारे में दिखाती हूँ। मैं नाम बताना नहीं चाहती।

**अध्यक्ष महोदय :** नहीं, आप इसे ऐसे मत प्रदर्शित कीजिये।

**कुमारी ममता बनर्जी :** महोदय, मैं नाम नहीं बताना चाहती।

**अध्यक्ष महोदय :** नहीं, आपको नहीं बताना चाहिये।

**कुमारी ममता बनर्जी :** महोदय, मैं अध्यक्षपीठ का सम्मान करती हूँ। मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं ले रही हूँ। लेकिन मैं गोपनीय रूप से इसे आपको दिखाऊंगी (व्यवधान) मैं अध्यक्षपीठ का सम्मान करती हूँ। मैने कहा मैं किसी का नाम नहीं ले रहीं हूँ। (व्यवधान)*

**श्री सोमनाथ चटर्जी** (बोलपुर) : महोदय, यह ठीक नहीं है। इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाये।

**अध्यक्ष महोदय :** मैं इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दूंगा।

. . . (व्यवधान) . . .

**कुमारी ममता बनर्जी :** मैंने कहा वे मार्क्सवादी दल के सदस्य है (व्यवधान)। वे भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी की राज्य समिति के सदस्य है। मैं जो कहना चाहती हूँ वह यह है कि बहुत अधिक सम्पत्तियों को बेच गया है। यह कानून के अनुसार नहीं हो सकता। कल्याण मंत्री को इस तरफ ध्यान देना चाहिए जो पूरे देश में हो रहा है, उसे रोका जाये

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

और सरकार को इसे तुरंत रोकना चाहिए। (व्यवधान)

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : महोदय, एक सीमा होनी चाहिए। यदि कानून के विरुद्ध कुछ किया गया है तो कानून के अनुसार कदम उठाये जाने चाहिए। ऐसे आरोप सभा में नही लगाये जाने चाहिए। (व्यवधान)

**कुमारी ममता बनर्जी** : महोदय, इस सम्पत्ति को विकास कार्यों के लिए पुन: प्रयोग किया जाये। यह मेंरी मांग है। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : अब कुमारी उमा भारती बोलेंगी।

[हिन्दी]

**कुमारी उमा भारती (खजुराहो)** : अध्यक्ष महोदय (व्यवधान) महात्मा गांधी की प्रतिमा बनी हुई है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : महोदय, इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाये।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दूंगा

**कुमारी ममता बनर्जी** : मैंने कहा वे मार्क्सवादी दल के सदस्य हैं। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : मै इसे देखूंगा और जिसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा सकता उसे इसमें सम्मिलित नही किया जायेगा। (व्यवधान)

**कुमारी ममता बनर्जी** : महोदय, मैंने कहा कि वे कम्युनिस्ट पार्टी की समिति के सदस्य हैं। (व्यवधान)

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : महोदय, बिना गैर जिम्मेदाराना ढंग से आरोप नहीं लगाने चाहिए।

**कुमारी ममता बनर्जी** : मै पूरे अधिकार के साथ बोल रही हूँ और मै इसे चुनौती दे सकती हूँ। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : कार्यवाही वृत्तांत में ठीक कर दिया जायेगा।

(व्यवधान)

**कुमारी ममता बनर्जी** : यदि आप चाहें तो मैं इसे सभा पटल पर रख सकती हूँ। (व्यवधान)

**श्री मोहम्मद युनूस सलीम (कटिहार)** : महोदय, यदि . . . ने कोई गैर-कानूनी कार्य किया है और वक्फ संम्पत्तियों का गैर कानूनी हस्तांतरण हुआ है, चाहे कोई भी हो, चाहे यह . . . हो, कानून के मुताबिक कार्यवाही की जाये।

**अध्यक्ष महोदय** : आप इसे सदन में उठायें। (व्यवधान)

**श्री मोहम्मद युनूस सलीम** : महोदय, वक्फ संपत्ति के हस्तातंरण के लिए कानून है। यदि कानून का उल्लंघन किया गया है, तो जो कोई व्यक्ति भी इसमें लिप्त है, उसके विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : महोदय, केवल वक्फ सम्पत्ति के बारे में ही कार्यवाही क्यों की जानी चाहिए? प्रत्येक चीज कानून के अनुसार की जानी चाहिये। लेकिन निवारण के उपाय हैं। (व्यवधान)

**श्री मोहम्मद युनूस सलीम** : वक्फ सम्पत्ति के लिए कतिपय नियम है। नियमों का पालन किये बिना कोई भी वक्फ सम्पत्ति का हस्तांतरण नहीं कर सकता है। यदि किसी ने ऐसा किया है तो ऐसा नहीं होना चाहिए था और कार्यवाही की जानी चाहिए।

[हिन्दी]

**कुमारी उमा भारती** : अध्यक्ष जी, जिन महात्मा गांधी जी का पूरा देश आदर करता है, जिनकी प्रतिमा हमने बड़े सम्मान के साथ सदन के बाहर दरवाजे पर लगाई है, उन महात्मा गांधी का कहना था कि भारत को आजादी ऐसी मिलनी चाहिए जिसमें गाय की हत्या न होती हो। उन्होंने यह भी कहा था कि यदि हमें ऐसी आजादी मिलेगी जिसमें गाय की हत्या होती हो तो ऐसी आजादी हमें पसन्द नही आएगी।

संविधान के निर्देशक सिद्धान्तों में यह होते हुए भी कि गाय की हत्या नहीं होनी चाहिए, आजादी के इतने सालों के बाद भी देश में गाय की हत्या के लिए नए-नए कत्ल खाने खुल रहे हैं। इस पूरे देश में प्रतिवर्ष 50 लाख पशुओं को काटने की व्यवस्था है। (व्यवधान) आप तो गाय नही काट रहे हैं, फिर आप क्यों घबरा रहे हैं। यदि आप घबरा रहे है तो इसका मतलब यह है कि आप सब गाय काटने में लगे हुए हैं। (व्यवधान) इस समय पूरे देश में 50 लाख पशुओं को काटने की व्यवस्था है। जिसमें से 80 प्रतिशत सिर्फ गऊ वंश को काटा जा रहा है।

हैदराबाद के पास अल कबीर एक कत्लखाना है जिसमें सारे नियमों को ताक पर रख कर वहां की मैनेजमैंट के लोग लगातार गलत बात कह रहे है कि यहां पर गाय नहीं काटी जाती है। वहां गाय काटी जाती है, जवान बछड़े, बछडियां काटे जाते हैं। दो दिन पहले से उनको भूखा रखा जाता है, फिर उनके ऊपर गर्म पानी फेंका जाता है इतनी निर्दयता के साथ उनको मारा जाता है। हमारे देश की आस्था, संस्कृति, परम्परा, और इसके साथ ही वहां का जो जनमत है, वह इसके खिलाफ है। इस समय वहां पर पशुधन की जो व्यवस्था है, आदमी की आबादी के अनुपात से पशुओं की संख्या का अनुपात भी घट रहा है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि अल कबीर कत्लखाना बन्द हो, देश में गऊ हत्या बन्द हो। गाय हत्या का सवाल सिर्फ आस्था के साथ न जोड़ा जाए। देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हडडी कृषि की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी गाय वंश है। इसलिए देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए इस देश में गऊ हत्या बन्द होनी चाहिए, अल कबीर कत्लखाना बन्द होना चाहिए। मेरा आग्रह है कि सरकार इसके बारे में (व्यवधान) हम डेरा वस्सीवाला भी बन्द करवाएंगे। (व्यवधान) हमारी सरकार ने यू.पी. में तो प्रस्ताव पास किया था कि गाऊ हत्या नहीं होगी। मध्य प्रदेश में भी नहीं हो रही है। (व्यवधान)

**श्री उमराव सिंह (जालन्धर)** : आपने यू.पी. में कब बन्द किया ? (व्यवधान)

**श्रीमती लवली आनंद (वैशाली)** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण मामले को शीतकालीन अधिवेशन जब से शुरू हुआ,

तब से उठना चाहती थी, लेकिन विभिन्न कारणों से मुझे मौका नही मिल पाया। आज आप मुझे मौका दे रहे हैं, इसलिए मुझे काफी खुशी हो रही है।

विगत 17 नवम्बर को मेरी पार्टी के कार्यकर्त्ताओं का सम्मेलन था, जिस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मेरे पति, पूर्व विधायक और पार्टी के प्रेसीडेंट श्री आनंद मोहन जी, हमारी पार्टी के विधायक विजय मंडल जी और पार्टी के और भी गणमान्य नेता लोग भाग लेने के लिए जमशेदपुर जा रहे थे। जमशेदपुर के एस.पी. ने हमारी गाडियों को रोक कर तालशी शुरू कर दिया, यह कहने के बावजूद कि यह गाड़ियां हमारी हैं, सिक्योरिटी भी हमारी है, पी.एस.ओ. को घण्टो रोका गया। हमारी गाड़ी अपनी सिक्योरिटी में जब 3-4 किलोमीटर बढ़ जाती है, तभी हमें पता चलता है कि हमारी सिक्योरिटी को रोक लिया गया है और उसकी छानबीन हो रही है। गाड़ी में कुछ भी नही मिला।

महोदय, हम आप लोगों से यह कहना चाहेंगे कि यह काफी गम्भीर विषय है, इसे गम्भीरता से लें। (व्यवधान)*

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय** : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। लेकिन मैं कहूंगा कि आप दूसरे लोगों के खिलाफ भी उन्हीं नियमों का अनुसरण करें। (व्यवधान)**

[अनुवाद]

**श्रीमती लवली आनंद (वैशाली)** : कार्यकर्ता लोगों को डराने के डर से वह हमारा साथ छोड़ दें। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : यह सब समय पर आप याद रखियेगा। वह रिकार्ड में नहीं जा रहा है। (व्यवधान)

**श्री राम विलास पासवान** : हमारा दूसरा इश्यू है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

**डा. मुमताज अंसारी (कोडरमा)** : अध्यक्ष महोदय, मैं इस आरोप का खंडन करना चाहता हूँ।

**अध्यक्ष महोदय** : महिला सदस्य के बोलने के बाद मैं आपको इसकी अनुमति दूंगा। (व्यवधान)

[हिन्दी]

**श्रीमती भावना चिखलिया** : माननीय अध्यक्ष जी, मैं इस सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण सवाल की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। हमारे देश के सभी सरहदी राज्य हैं।

[अनुवाद]

**डा. मुमताज अंसारी** : महोदय यह एक अधारहीन आरोप है जो राज्य सरकार और मुख्य मंत्री के विरूद्ध गढा गया है। जब यह एक बार कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित कर लिया गया है तो मुझे इस नियम पर बोलने दीजिये और मुझे इसे स्पष्ट करने दीजिये।

महोदय, मैं आपको याद दिलाता हूँ कि राज्य में कानून और व्यवस्था बनाने की जिम्मेदारी मुख्य मंत्री की है। जब हम जाते हैं तो पुलिस विभाग द्वारा हमारी भी जांच पड़ताल की जाती है। सुरक्षा के हित में प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा कर्मियों द्वारा जांच-पड़ताल की जाती हैं, यह राज्य सरकार की ओर से की गई भूल नहीं है और मुख्य मंत्री को इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ये लोग पूरे देश में अराजकता और संदेह का वातावरण बना रहे हैं। उनकी पार्टी पर रोक लगायी जाये। (व्यवधान)*

**अध्यक्ष महोदय** : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। (व्यवधान)**

[हिन्दी]

**श्रीमती लवली आनंद** : अध्यक्ष महोदय, इसकी जांच होनी चाहिए। बिहार में जिस तरह से. . . (व्यवधान)

**श्री उमराव सिहं** : यह पता चल रहा है कि बिहार में क्या हो रहा है।

**अध्यक्ष महोदय** : जिसको हमने निकाल दिया, आपने उसको अन्दर डाल दिया।

**श्रीमती भावना चिखलिया** : माननीय अध्यक्ष जी, मै इस सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण सवाल की ओर आकर्षित करना चाहती हूँ, क्योंकि यह बात सामने आई है कि पाकिस्तान की जो गुप्तचर संस्था है, उसने पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे संवेदनशील राज्यों में त्रासवाद और आंतकवाद बढ़ाने के लिए फिर से एक नया व्यूह शुरू किया है। इसमें वह पकिस्तानी जेलों में जो भारतीय नागरिक हैं, उनको पागल करके या उनको भिखारी बनाकर हमारे देश में वापस लाना चाहते हैं। यह बात भी सामने आई है कि सिर्फ पजांब की सरहद में नौ नई त्रासवादी छावनियां शुरू हुई है।

मै सरकार का ध्यान इसके ऊपर आकर्षित करना चाहूंगी कि अगर इतनी भंयकर बात हो रही है तो सरकार इसके ऊपर विचार करें जल्दी से जल्दी इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करके हमारे सरहदी राज्यों में जो भी आंतकवादी आ रहे हैं या जो कुछ खेल हो रहा है, उसको रोकने के लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। . . . (व्यवधान)

**श्री रवि राय (केन्द्रपाड़ा)** : अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। यहां पर मंत्रीजी चिदम्बरम साहब बैठे हुए हैं, मै चाहता था कि सरकार इस मुद्दे को यहां उठने से पहले ही इस पर बयान देती। सवाल यह है कि वर्ल्ड ट्रेड आर्गेनाइजेशन की सात सदस्यीय बाडी का चयन हुआ। जिसका काम है अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विवादों पर फैसला देना। सबसे शर्मनाक चीज है कि इस चुनाव में धांधलियां हुई हैं और हिन्दुस्तान के नुमाइन्दे

* अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया

** कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलत नहीं किया गया।

* अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया

** कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलत नहीं किया गया।

की जो पराज्य हुई है उसके बारे में मै सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ, गैट में जो हिन्दुस्तान के अम्बेसडर हैं, श्री एस. नारायणन्, उनका बयान मैं यहां पढ़ना चाहता हूँ :-

[अनुवाद]

"मेरे लिए यह हमेंशा ही एक रहस्य रहेगा कि क्यों चयन समिति के छ: व्यक्तियों ने जो अपनी सत्यनिष्ठा योग्यता के लिए प्रसिद्व हैं और बहुपक्षीय निर्णय लेने में जिनका लम्बा खासा अनुभव हैं, चयन प्रक्रिया के बारे में अपने दृढ़ संकल्प को कमजोर हो जाने की अनुमति दी।"

[हिन्दी]

और आगे चलकर वे कहते हैं कि जुत्शी जी जो गैट के पहले हिन्दुस्तान के अम्बेसडर थे उनकी हार में षड़यन्त्र रचा गया था। यह कहा गया कि जुत्शी जी टू इंडिपडेट थे। इस वजह से हिन्दुस्तान की हार हुई और जुत्शी जी हार गये, क्योंकि धांधली हुई हैं। इसलिए मै सरकार को कहना चाहता हूँ और खासतौर से श्री चिदम्बरम को कहना चाहता हूँ कि एपीलेट बाडी में जिस तरीके से हिन्दुस्तान के नुमाइन्दे की हार हुई, उसकी वजह क्या है? उन्हें सभा को विश्वास में लाना चाहिए।

[अनुवाद]

**श्री आर. धनुषकोडी आदित्यन** (तिरूचेन्दूर) : महोदय, पुलिस ने 31.11.95 को चिदम्बरम् जिले में अनुसूचित जाति के एक गांव कोडियनकुलम में लूटपाट की और जिससे निवासियों को काफी मुसीबतें झेलनी पड़ी। जिला प्रशासन ने जानबूझ कर उत्पीड़न किया और समीप के गांवों में भी साम्प्रदायिक हिंसा को रोकने में नाकाम रही। उस दिन गांव में हजारों पुलिसवाले तैनात किए गए और सभी लोगों को निर्ममता से पीटा गया। पुलिस ने सभी 365 घरों को लूटा और घरेलू समान को क्षति पहुंचाई। पुलिस ने टी.वी., वी.सी.आर, पंखें और अन्य इलैक्ट्रॉनिक वस्तुओं, स्टील की आलमारियों आदि को क्षति पहुंचाई। कोई ऐसा घर या कोई ऐसी वस्तु नहीं बची होगी जिसे पुलिस ने क्षति न पहुंचायी हो। राशन की दुकान तक को भी तोड़ दिया गया और पुलिस ने राशन के चावलों और पामोलीन में मिटटी का तेल उड़ेल दिया।

पुलिस की बर्बरता इससे स्पष्ट हो जाती है कि उन्होंने कुएं के पानी में जहर डाल दिया। पुलिस ने गांव में रूकी दो लारियों और दो ट्रैक्टरों को नुकसान पहुंचाया और उनके डीजल टैंक को तोड़ दिया और लारियों और टैक्टरों से डीजल लेकर पीने के पानी के कुएं में उसे उडेल दिया। उन्होनें उर्बरक की दुकान को खोला और यूरिया और कीटनाशक दवाईयों को कुएं में डाल दिया। उन्होंने जानबूझ कर पेय जल को विशाक्त बना दिया। उन्होंने कई लाख रुपयें के आभूषण और नकदी की लूटपाट की। यह हमला सोद्देश्य, मनमाना, अमानवीय और बर्बर था। निर्दोष दलितों पर अमानवीय और बर्बर हमले की एक बड़ी साजिश रची गई थी, . . . (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : यह क्या हो रहा है?

**श्री आर. धनुषकोडी आदित्यन** : दक्षिण जिले में पिछले 40 दिनों तक हिंसा जारी रही, जिसमें 40 से अधिक लोगों की जाने गईं। दो दिन पहले मृतकों की संख्या में 12 की वृद्वि हो गई। क्रिकेट के मैच की तरह, मृतकों की संख्या में हर घंटे वृद्वि हो रही है। . . . (व्यवधान)

**श्री एम.आर. कादम्बूर जनार्दन** (तिरूनेलावेली) : महोदय, हमें इसको उत्तर देने की अनुमति दी जानी चाहिए।

**श्री आर. धनुषकोडी आदित्यन** : महोदय, मै गृह मंत्री से अनुरोध करता हूँ कि वे उस स्थान का दौरा करें और लोगों का सांत्वना दें और राज्य सरकार को अनुसूचित जाति के लोगों की आवश्यक सुरक्षा का निर्देश दें। मेरा सरकार से अनुरोध है कि कोडियनकुलम में दलितों पर हुए हमले की केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा जांच का आदेश दें . . . (व्यवधान)

**श्री पी.जी. नारायणन्** : इसे मुख्य मंत्री के ध्यान में लाया गया था। उन्होने इसके लिए जिम्मेदार पुलिस कर्मियों को नौकरी से हटा दिया है।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं वस्तुत: यह देख कर चकित हूं कि आप अन्य राज्यों में मंत्रियों का बयान कर रहे है, लेकिन जो मंत्री यहां उपस्थित हैं, उनका बचाव नहीं कर रहे हैं।

**श्री आर.धनुषकोड़ी आदित्यन** : उन लोगों को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए जिनका घरेलू सामान नष्ट हो गया है। कोडीयलकुलम में दलित लोगों के प्रयोग के लिए एक नया कुआं खुदवाया जाये।

**श्री पी. जी. नारायणन्** : महोदय, वह कुछ कह रहे हैं कि जिसे हम पंसद नहीं करते।

**श्री आर.धनुषकोडी आदित्यन** : दोषी पुलिसवालों को दंडित किया जाये।

**अध्यक्ष महोदय** : यह क्या हो रहा है ? कृपया अपनी बात अब समाप्त कीजिये।

**श्री आर. धनुषकोडी आदित्यन्** : राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग इस स्थान का दौरा करें, विस्तृत अध्ययन करे और अपनी रिपोर्ट गृह मंत्री को दे।

**श्री एम.आर. कादम्बूर जनार्दनन** : महोदय, मैं इस सभा समेत जो कुछ घटित हुआ उस पर गहरा दु:ख व्यक्त करना चाहता हूँ। दो विशेष समुदायों के बीच जो जाति संघर्ष हुआ, उसके बारे में हम समान रूप से चिंतित है। इन संघर्षों के बारे में सुनकर, वे अपने आंकड़ों को 30.11.95 से सम्बद्व रहे हैं, यह 30.11.95 नहीं था, यह अपने आप में झूठ विवरण है। हमारे मुख्यमंत्री ने मंत्रियों के और महत्वपूर्ण अधिकारियों की एक टीम को कोडियनकुलम, अलन्दा और वल्लनाडु गांवों का दौरा करने का आदेश दिया, जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में पड़ते हैं। जो घटित हुआ वे उसको और बढ़ा-चढ़ा कर बता रहे हैं। मंत्रियों

और अधिकारियों से रिपोर्ट प्राप्त होने पर, मृतक परिवारों जिनके सदस्यों को 10,000 रुपयें समेत 40,000 रुपये की तुरंत अनुग्रह राशि दी गई थी, मुवावजे के पहले चरण में कुल 17.40 लाख रुपये की राशि दी गई थी। इस मामले को जांच के लिये सेवानिवृत्त न्यायाधीश श्री भूपति नायगम की अध्यक्षता में एक जांच आयोग नियुक्त किया गया था।

**अध्यक्ष महोदय** : आपने अपनी बात कर दी है। अत: अब बैठ जाइये।

**श्री एम. आर. कादम्बूर जनार्दनन** (तिरूनेलवेली) : वहां पर निर्माण कार्य जारी है परन्तु टी.वी. और प्रचार माध्यमों के लोग यह सब दिखा रहे हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : श्री चिदम्बरम वक्तव्य दे सकते हैं।

[हिन्दी]

**श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** (सैदपुर) : यह बहुत गम्भीर मामला है और मै आपसे निवेदन करूगां कि पालियामेंट से एक कमेंटी जानी चाहिये और इसकी पूरी जांच होनी चाहिये। यह तो इतना बड़ा गम्भीर मामला है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, पूरा का पूरा गांव जला दिया गया .....(व्यवधान)

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय** : हमने ऐसे कार्य पर एक घंटा लगा दिया है जो कार्य सूची में शामिल नहीं है। कार्य सूची में शामिल कार्य को नहीं लिया जा सकता है और एक घंटा अन्य कार्य को दे दिया गया है। अब कृपया आप बैठ जाइये और मंत्री को वक्तव्य देने दीजिये।

(व्यवधान)

**श्री अर्जुन सिंह** (सतना) : महोदय, मैं आपकी अनुमति से कहना चाहता हूँ कि कल मैंने इस मामले को उठाते वक्त एक निवेदन किया था। ..... (व्यवधान)

[हिन्दी]

**श्री दाऊ दयाल जोशी** (कोटा) : हमारा नम्बर ही नहीं आ रहा है ..... (व्यवधान)

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय** : सिर्फ श्री अर्जुन सिंह जी का निवेदन ही कार्यवाही वृतान्त में शामिल किया जाएगा।

**श्री अर्जुन सिंह** : महोदय, कल शून्य काल में इस मामले को उठाते वक्त मैंने एक विनम्र निवेदन किया था कि उचित होगा कि यदि माननीय प्रधान मंत्री जी से सभा में उपस्थित होने और इस संबंध में वक्तव्य देने के लिये अनुरोध किया जाए। सचिवालय द्वारा प्रचारित एक पत्र मेरे पास हैं जिसमें दर्शाय गया है कि श्री चिदम्बरम् वक्तव्य देने वाले हैं।

1.00 म.प.

उनको वक्तव्य देने के लिये कहा गया है। मैं श्री चिदम्बरम् जी का बहुत सम्मान करता हूँ और वह कोई भी वक्तव्य दें मैं उसका विरोध नहीं करूंगा। परन्तु, इस वक्त मैं विनम्रता पूर्वक यह कहना चाहता हूँ कि माननीय प्रधान मंत्री जी से वक्तव्य देने का निवेदन करने का कुछ आधार है। इसके पीछे उनको मुश्किल में डालना अथवा तंग करने की मंशा नहीं है। महोदय इस संबंध में मैंने आपको एक पत्र भी भेजा है और इसके साथ गृह मंत्रालय द्वारा जैन आयोग के समक्ष दाखिल किये गए शपथ पत्र की अभिप्रमाणित प्रति भी संलग्न की है। मैं आपकी आज्ञा से उस शपथ पत्र से कुछ उद्धत करना चाहता हूँ। गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में कहा गया है कि वर्मा जांच आयोग का गठन 27 जुलाई, 1991 को किया गया था....।

**अध्यक्ष महोदय** : श्री अर्जुन सिंह जी मुझे वक्तव्य की प्रति मिल गई है। मैंने सरकार द्वारा दिये जाने वाले वक्तव्य को पढ़ लिया है ओर मेरे विचार से कल जो कुछ भी आपने कहा था वह झुठलाया नहीं गया है, इसके विपरीत उसको स्वीकार किया गया है।

**श्री अर्जुन सिंह** : यह बहुत अच्छी बात है। मुझे खुशी है कि मुझे आपने पूर्व जानकारी दे दी है। अन्यथा, मुझे इसकी पूर्व जानकारी नहीं है।

**अध्यक्ष महोदय** : आपको वक्तव्य के समय मालूम हो जायेगा।

**श्री अर्जुन सिंह** : इसीलिये, मैं निवेदन करना चाहता हूँ।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं यह कहा रहा हूँ कि आपको शपथ पत्र से उद्धत करने की कोई आवश्यकता नहीं है जब कि आपकी बात को स्वीकार किया जा चुका है कि वैसा शपथ पत्र दाखिल किया गया है।

**श्री अर्जुन सिंह** : महोदय, ठीक है इससे सभा का समय बचेगा।

**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रक्रिया उचित भी है।

**श्री अर्जुन सिंह** : महोदय, बहुत अच्छा, मेंरी बात स्वीकार करने का मतलब है कि कल जो कुछ भी मैंने कहा था वह तथ्यों पर अधारित था। ऐसे महत्वपूर्ण मामले को उठाने के संबंध में अगर तथ्यों को स्वीकार किया जाता है, जिससे प्रधान मंत्री का कार्यालय शामिल है अर्थात उनके निजी सचिव प्रधान मंत्री का कार्यालय सामान्त: नहीं शामिल है - और माननीय प्रधान मंत्री जी इसको अपना ध्यानाकर्षण योग्य नहीं समझते हैं, तो मेरे कहने लायक कुछ भी नहीं है। परन्तु यदि अन्यथा है तो यह उचित ही होगा अगर वह कम से कम इस मामले को स्वयं देखें। अन्य बातों को श्री चिदम्बरम् देख सकते हैं। अपितु, इस मामलें को देखने का कार्य अथवा नकारने का कार्य अथवा व्याख्या करने का कार्य प्रधान मंत्री के अलावा कोई अन्य नहीं कर सकता है। इसीलिये, मैंने यह अनुरोध किया है। मैं आपसे पुन: विनम्रतापूर्वक अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप माननीय प्रधान मंत्री जी को बतायें कि इस सभा को उनकी बात सुनने तथा उनको स्वयं सभा को अपनी बात कहने का अधिकार है। मेरे विचार से इस मामले में देश की चिन्ता तब तक खत्म नहीं होगी जब तक वह सभा में अपनी बात नहीं करते हैं।

मैं अन्य मामलों के संबंध में कहना चाहता हूँ कि श्री चिदम्बरम् उन पर प्रकाश डालेंगे। मैं आशा करता हूँ कि श्री चिदम्बरम् सभी पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे और पिछले वक्तव्य की तरह इसमें कुछ भी छोड़ा नहीं जायेगा। मैं एक विनम्र सांसद के रूप में श्री चिदम्बरम् द्वारा इस मामले में दिये जाने वाले वक्तव्य के ऊपर व्यापक चर्चा कराये जाने की मांग करने के अपने अधिकार को सुरक्षित रखना चाहता हूँ। सर्वप्रथम, आपको पहले अनुरोध पर विचार करना चाहिये और निर्देश देने चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय :** श्री अर्जुन सिंह जी, मैं दोषी व्यक्तियों को सजा दिलवाने की आपकी चिन्ता को समझता हूँ। सम्पूर्ण सभा को मालूम है कि इस मामले में सभी, जिसमें अध्यक्षीय पीठ पर बैठा व्यक्ति भी शामिल है; का क्या दृष्टिकोण है। परन्तु, आप मुझे यह बताएं कि मैं किस प्रकार किसी विशेष मंत्री या सांसद को वक्तव्य देने के लिये मजबूर कर सकता हूँ। आपने अपनी बात पूर्णत: कह दी है। आपके वक्तव्य से निष्कर्ष निकले जायेंगे, परन्तु मुझे अधिकार होना चाहिये। मान लीजिये कि मैं किसी को कुछ करने का आदेश दूं और वह पूछे कि मैं किस प्रावधान के तहत आदेश दे रहा हूँ तो बताइये मैं क्या जबाब दूंगा। इसलिये, इस संबंध में मेरी सहायता कीजिए मैं वही करूंगा।

**श्री अर्जुन सिंह :** महोदय, मैं विनम्रतापूर्वक स्वीकार करना चाहता हूँ कि मेरे पास इस महान सभा के माननीय अध्यक्ष की किसी प्रकार की सहायता करने की कोई शक्ति या क्षमता नहीं है। मैं विनम्रतापूर्वक यह भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप निर्देश न देना उचित समझते हैं, तो इस संबंध में मुझे कोई शिकायत नहीं है।

**अध्यक्ष महोदय :** इस प्रकार के विनम्र निवेदन की कि आप जो कुछ भी करना चाहे करें, इसके भी निहितार्थ हैं। मैं हमेशा ऐसा नहीं करता हूँ। क्योंकि इसके भी निहितार्थ हैं। मैं आपकी और आप मेरी भावनाओं पर आघात क्यों करें?

**श्री अर्जुन सिंह :** अगर मैंने आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, तो मुझे इसका खेद है। ऐसा मैं कभी भी नहीं करूंगा ? आप हमेशा उचित ही करते हैं और जब आप मार्गदर्शन करते है। .....

**अध्यक्ष महोदय :** श्री अर्जुन सिंह जी, जहां तक चर्चा का प्रश्न है आपकी बात ठीक है। प्रत्येक चाहता है कि कुछ किया जाए, परन्तु अगर कोई पूछता है कि किस प्रावधान के तहत मैं यह कर रहा हूँ, चाहे मैं आपने विवेकाधिकार का प्रयोग करूँ, तो क्या यह उचित है ? मेरी स्थिति स्पष्ट होनी चाहिये और आप ठीक ही दबाव डाल रहे हैं, जब आप दबाव डाल रहे हैं, तो अन्य पक्षों के लोग भी दबाव डाल सकते हैं। अगर मुझे निर्णय ही लेना पड़े तो मैं ठीक निर्णय ही लूंगा।

**श्री अर्जुन सिंह :** महोदय, जो कुछ भी हो रहा है मैं उसे खींचना नहीं चाहता हूँ। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे कल के अथवा आज के निवेदनों को सुना है तो आप कहीं भी बीच में नहीं आते। अपितु, माननीय प्रधान मंत्री द्वारा ध्यान न दिये जाने, जो कि उनके सभा में उपस्थित न होने और इसका उत्तर न देने से स्पष्ट है, के विरोध में मैं सभा से वहिगर्मन करता हूँ। यह माननीय प्रधान मंत्री जी के विरोध में है।

1.07 म.प.

**इस समय श्री अर्जुन सिंह और कुछ अन्य सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गये।**

---

## मंत्री द्वारा वक्तव्य

### नामित न्यायालय-1 पूनामल्ली और न्यायमूर्ति जैन जांच आयोग के समक्ष चल रही कार्यवाही की स्थिति

**वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम्) :** इस माननीय सदन में दिनांक 25 अगस्त को अपने निवेदन में मैंने नामित न्यायालय 1, पूनामल्ली के समक्ष चल रही कार्यवाही की स्थिति से सदन को अवगत कराया था। मैने निवेदन किया था कि नामित न्यायालय - 1 में चल रही जांच में उस तारीख तक 183 गवाहों से पूछताछ कर ली गई थी। तब से कुछ गवाहों से पूछताछ की गई है और दिनांक 6 दिसंबर, 1995 की स्थिति के अनुसार, 242 गवाहों से पूछताछ की जा चुकी है। इसके अलावा, 1087 प्रदर्शित वस्तुओं और 759 सामग्री वस्तुओं का इस जांच में चिन्हांकन किया गया है। सुनवाई की अगली तरीख 18 दिसंबर, 1995 है।

नामित न्यायालय में चल रही जांच की गति से संबंध में चिंता व्यक्त की गई है। जब मई, 1995 में यह कार्य मुझे सौंपा गया था, तब तक न्यायालय के 182 सुनवाई दिनों में मुकदमें में 134 गवाहों से पूछताछ की गई थी। उसके हिसाब से औसतन 0.73 गवाही प्रतिदिन बैठती हैं। तब से हमें 86 और सुनवाई दिन मिले और उनमें 108 और गवाहों से इस मुकद्में के संबंध में पूछताछ की गई है। इसके हिसाब से औसतन 1.25 गवाही प्रतिदिन बैठती हैं। अपने पिछले निवेदन में मैंने कहा था, "मैंने इस मुकद्में की ओर से साक्ष्य के निष्कर्ष हेतु बहुत ही व्यस्त समय-सारणी निर्धारित की है ..... मुझे विश्वास है, ईश्वर ने चाहा तो, साक्ष्य का कार्य दिसंबर तक पूरा हो जाएगा" विशेष जांच-दल/केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने मुझे आश्वस्त किया है कि वे कानून के दायरे में इस बात के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि समय-सारणी के अनुसार मुकद्में की ओर से साक्ष्य का कार्य पूरा हो जाए।

न्यायमूर्ति जैन जांच आयोग में चल रहे मुकद्में में अब तक 103 बैठकें हो गई हैं। आयोग ने इस संबंध में जो विनियम निर्धारित किए हैं वह उन्हीं का अनुसरण कर रहा है। सरकार के विभिन्न प्राधिकारियों और अधिकरणों ने आयोग द्वारा अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। किंतु, कुछ मामलों में सरकार ने विशेषाधिकार की मांग की है और इसके साथ ही, यह बिल्कुल ही स्पष्ट किया जाता है कि सरकार को

इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है कि आयोग उन दस्तावेजों का अवलोकन और जांच करे।

आयोग विशेष जांच दल/केन्द्रीय जांच ब्यूरो से यह चाहता था कि वे नामित न्यायालय - 1 द्वारा इस आपराधिक मामले में की जा रही पूछताछ से संबंधित जांच रिकार्ड और केस-डायरियां आयोग में प्रस्तुत करें और इस प्रयोजन के लिए आयोग ने विशष जांच-दल/केन्द्रीय जांच - ब्यूरो को निर्देश दिया कि वे नामित न्यायालय - 1 में एक आवेदन पत्र दाखिल करें। नामित न्यायालय ने दिनांक 27 जुलाई, 1995 को टाडा अधिनियम, 1977 के तहत, किए गए अपने आदेश में आयोग के समक्ष जांच-रिकार्ड और केस-डायरियां प्रस्तुत करने की अनुमति देने से इंकार कर दिया। यह आदेश आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया है।

माननीय सदस्य इस बात से अवगत हैं कि सरकार ने न्यायमूर्ति वर्मा जांच-आयोग 27 मई, 1991 को नियुक्त किया था। न्यायमूर्ति वर्मा आयोग के विचारार्थ विषयों को आयोग की रिपोर्ट के पृष्ट (13) और (14) में पुन: प्रस्तुत किया गया है। जैन आयोग ने सरकार से न्यायमूर्ति वर्मा आयोग के विचारार्थ विषयों से संबंधित फाइल प्रस्तुत करने के लिए कहा था। सरकारी रिकार्ड के अनुसार, गृह मंत्री के अनुदेश पर यह फाइल 27 मई, 1991 को प्रधान मंत्री के तत्कालीन निजी सचिव को भेज दी गई थी। यह फाइल गृह मंत्रालय को नहीं लौटाई गई। जब आयोग ने इस फाइल को प्रस्तुत करने के लिए कहा तो, प्रधान मंत्री कार्यालय में यह फाइल नहीं मिली। इस फाइल को खोजने के लिए अधिकारियों का एक विशेष दल गठित किया गया। इस दल ने, अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की सहायता से प्रधान मंत्री कार्यालय से संबद्ध सभी कार्यालयों, प्रधान मंत्री निवास और गृह मंत्रालय में अच्छी तरह खोज-बीन की। विधि मंत्रालय ने भी खोजबीन की। किंतु भरसक प्रयासों के बावजूद फाइल नहीं ढूंढी जा सकी। तथापि, विधि मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए कागजातों से संबंधित सामग्री से एक नई फाइल बनाई गई और यह नेमी फाइल आयोग को प्रस्तुत की गई। आयोग के समक्ष 5 अक्तूबर, 1995 को गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री शशी प्रकाश द्वारा एक हलफनामा भी प्रस्तुत किया गया जिसमें उन परिस्थितियों को स्पष्ट किया गया है जिनके अन्तर्गत मूल फाइल प्रस्तुत नहीं की जा सकी।

सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि पदनामित न्यायालय - 1 के समक्ष जांच प्रक्रिया बिना किसी कठिनाई अथवा अड़चन के आगे बढ़ें। सरकार की भी भी मंशा है कि वह न्यायमूर्ति जैन जांच आयोग को पूरा सहयोग दें ताकि आयोग जांच कार्य पूरा करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकें।

---

12.09 म.प.

## सभा पटल पर रखे गए पत्र

ट्राइबल कोआपरेटिव मार्केटिग डेवलपमेंट फेडरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1994-95 पुनरीक्षा का वार्षिक प्रतिवेदन तथा सरकार द्वारा उसके कार्यकरण की पुनरीक्षा''

**तंग्कालालू :** श्री सीताराम केसरी की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) ट्राइबल कोआपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) ट्राइबल कोआपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए सं. एल.टी. 8392/95]

**कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.वी. तंग्का बालू) :** श्री बलराम सिंह यादव की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

इंस्ट्यूट आफ एप्लाइड मैनयावर रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा सरकार द्वारा उसके कार्यकरण की पुनरीक्षा :

(1) इंस्ट्यूट आफ एप्लाइड मैनयावर रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) इंस्ट्यूट आफ एप्लाइड मैनयावर रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए सं. एल.टी. 8393/95]

**पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा) :** मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूँ :

इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, बोंगई गांव रिफाइनरी, कोचीन रिफाइनरी लि. तथा पैट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन।

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) : -

(एक) इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 1995-96 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए सं. एल.टी. 8394/95]

(दो) बोगईगांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 1995-96 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए सं. एल.टी. 8395/95]

(तीन) कोचीन रिफाइनरी लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 1995-96 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए सं. एल.टी. 8396/95]

(चार) मद्रास रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 1995-96 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए सं. एल.टी. 8397/95]

(पांच) लुबरीजोल इण्डिया लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 1995-96 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए सं. एल.टी. 8398/95]

(छः) बॉमर लॉरी एण्ड कम्पनी लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 1995-96 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए सं. एल.टी. 8399/95]

(सात) आई0बी0पी. कम्पनी लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 1995-96 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए सं. एल.टी. 8400/95]

(आठ) भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 1995-96 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए सं. एल.टी. 8401/95]

(नौ) भारतीय तेल निगम लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 1995-96 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए सं. एल.टी. 8402/95]

(दस) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच वर्ष 1995-96 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए सं. एल.टी. 8403/95]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) : -

(एक) भारतीय तेल निगम लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय तेल निगम लिमिटड, मुम्बई का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए सं. एल.टी. 8404/95]

**कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर)** : श्री सुखराम की ओर से मैं विदेश संचार निगम लिमिटेड तथा तार संचार विभाग, संचार मंत्रालय के बीच वर्ष 1995-96 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए सं. एल.टी. 8405/95]

[हिन्दी]

रिहेबिलिटेशन प्लान्टेशन प्लान्टेशन्स लिमिटेड, पुनालूर का वर्ष 1994-95 के लिए वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसके कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा आदि।

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री राम लाल राही:** मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :

(1) कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) : -

(एक) रिहेबिलिटेशन प्लान्टेशन्स लिमिटेड, पुनालूर के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) रिहेबिलिटेशन प्लान्टेशन प्लान्टेशन्स लिमिटेड, पुनालूर का वर्ष 1994-95 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए सं. एल.टी. 8406/95]

(2) (एक) रिपेट्रिएट्स कोआपरेटिव फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1994-95 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रिपेट्रिएट्स कोआपरेटिव फाइनेंस एण्ड डेवलपमेंट बैंक लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1994-95 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए सं. एल.टी. 8407/95]

## केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (संशोधन) नियम, 1995

**गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सैयद सिब्ते रजी)** : केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 22 की उपधारा (3) के अंतर्गत केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (संशोधन) नियम, 1995 जो 29 जुलाई, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा0 का0 नि0 352 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उसके हिन्दी संस्करण का एक शुद्धि-पत्र, जो 16 सितम्बर, 1995 की अधिसूचना संख्या सा0 का0 नि0 420 में प्रकाशित हुआ था सभा पटल रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए सं. एल.टी. 8408/95]

---

1.14 म.प.

## याचिका समिति

### तेइसवां प्रतिवेदन

**श्री पी.सी0 नारायणन (गोबिचेट्टिपालयम)** : मैं याचिका समिति का तेइसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

14½ म.प.

## पेट्रोलियम और रसायन संबंधी समिति

### तेइसवां प्रतिवेदन

**श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** (देवगढ़) : मैं "रसायन और उर्वरक मंत्रालय, उर्वरक विभाग की वर्ष 1995-96 की अनुदानों की मांगों" के संबंध में समिति (दसवीं लोक सभा) के 18वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में पेट्रोलियम और रसायन संबंधी स्थायी समिति का तेईसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूँ।

---

1.15 म.प.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

**उपाध्यक्ष महोदय** : मंत्री जी, आप वक्तव्य दीजिए।

1.15½ म.प.

## मंत्री द्वारा व्यक्तव्य

### भारत कोकिंग कोल लि. की गैसलीटांड खान के जलमग्न हो जाना

**कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाइटलर)** : 26 सितम्बर, 1995 के अपराह्न से लगभग अर्ध-रात्रि तक 300 मि0मि0 से अधिक अप्रत्याशित भारी वर्षा होने के कारण (जबकि पिछले 10 वर्षों में एक दिन में अधिकतम 128 मि0मि0 वर्षा होने का रिकार्ड है) धनबाद जिले में कटरी नदी का जल स्तर 3 तटबंधों के ऊपर बहने लगा, जो कि भारत कोकिंग कोल लि. (भा.को.को.लि.) की गैसलीटांड भूमिगत खान की सुरक्षा के लिये निर्मित किए गए थे। जल के अचानक और बड़ी मात्रा में अन्दर आ जाने के कारण भूमिगत खान में थोड़ी ही देर में बाढ़ आ गयी, जिसके कारण खान के अन्दर 64 कामगार फंस गये। चूंकि वर्षा बहुत अधिक तथा अप्रत्याशित रूप में हो रही थी, सम्पूर्ण झरिया-धनबाद क्षेत्र में बाढ़ के कारण जीवन अस्त-व्यस्त हो गया। भा.को.को.लि. की अन्य कई खानें भी जलमग्न हो गईं और चार खानों में 77 व्यक्तियों की जाने गईं, जिसमें गैसलीटांड खान के अन्दर फंसे 64 कामगार भी शामिल हैं।

इस दुर्घटना में सभी तरह की सहायता प्रदान करने हेतु भा.को.लि., कोल इण्डिया लि. (को0इ0लि.) के तथा को0इ0लि. की अन्य सहायक कंपनियों के और खान सुरक्षा महानिदेशालय के वरिष्ठ अधिकारी पर लम्बी दूरी तय करते हुये यथा शीघ्र दुर्घटना स्थल पर पहुंच गये। सभी तरह की सामग्री की सहायता उपलब्ध कराई गई। जल निकासी का कार्य शुरू किए जाने हेतु भा0को0को0लि0 ने व्यक्तियों तथा सामग्री संबंधी सहायता को तत्काल संचालित कर दिया। जिला प्रशासन ने भी खान के आसपास के क्षेत्रों में कानून तथा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अपेक्षित सहायता प्रदान की।

दिनांक 28.9.1995 (पूर्वा0) को मैंने, सूचना एवं प्रसारण मंत्री के साथ दुर्घटना स्थल का दौरा किया और यह देखने में आया कि नदी के किनारे टूट गए हैं और खान में भारी मात्र में जल प्रवेश कर रहा है। मृतक व्यक्तियों के परिवारों, स्थानीय नेताओं, मजदूर संघ के नेताओं, आदि से मिलने के बाद, मैंने मृतक व्यक्तियों के निकटतम आश्रितों को 75,000 रुपये की अतिरिक्त अनुग्रह की राशि की अदायगी किये जाने की घोषणा की। इसके अलावा, बदनसीब कामगारों के प्रतयेक परिवार के एक व्यक्ति को, जिनकी इस दुर्घटना में मृत्यु हो गयी है, रोजगार देने की भी पेशकश की गई। कोयला कम्पनी ने पीड़ितों के परिवारों के लिये अपेक्षित राहत तथा पुनर्वास संबंधी उपाय किये हैं।

जब खान जलमग्न हो गयी तो उस समय गैसलीटांड खान की पिट संख्या 6 में जल स्तर 185 (आर.एल.) तक चढ़ गया। इस पिट का जल स्तर 17 नवम्बर, 1995 की स्थिति के अनुसार 106 मीटर (आर.एल.) तक नीचे आ गया है।

गैसलीटांड में जल निकासी संबंधी क्रियाकलाप दिनांक 28 सितम्बर, 1995 से शुरू किये गये। चूंकि उच्च हेड सबमर्शीबल पम्प देश में उपलब्ध नहीं थे, अत: को.इ.लि. ने तत्काल ऐसे पम्पों को उपलब्ध किए जाने हेतु अन्य देशों से खोजबीन शुरू कर दी। अभी तक प्राप्त किए गए 20 उच्च हैड पम्पों में से, 12 पम्प युक्रेन से तथा 6 चीन से प्राप्त किए गए हैं, जो कि पहले ही दुर्घटना स्थल पर पहुंच गये हैं। इन पम्पों में से 3 पम्पों की स्थापना कर दी गयी है और उन्हें चालू कर दिया गया है। वर्तमान में खान में जल की निकासी लगभग 30 मिलियन गैलन प्रतिदिन की दर से की जा रही है। सभी आयातित पम्पों को चालू किये जाने के बाद जल निकासी की दर में प्रतिदिन लगभग 50 मिलियन गैलन तक की वृद्धि हो जायेगी और इससे खान के जल की तेजी से निकासी किये जाने में सहायता मिलेगी।

खान अधिनियम, 1952 की धारा 24 के अन्तर्गत श्रम मंत्रालय ने पटना उच्च न्यायालय के सेवा-निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस.के. मुखर्जी की अध्यक्षता में एक न्यायिक जांच का गठन कर दिया है, जिसके साथ दो निर्धारक को सहयोजित किया गया है, जिसमें एक निर्धारक तकनीकी पक्ष का और दूसरा मजदूर संघ के पक्ष का होगा, जो कि भा.को. को. लि. की चार कोलियरियों में अर्थात् गैसलीटांड, बेरा, छोटीडीह और साऊथ गोविन्दपुर की कोलियरियों में 77 कामगारों की मृत्यु के संबंध में हुई दुर्घटना के कारणों तथा परिस्थितियों की जांच करेगी।

को.ई.लि. की आंतरिक सुरक्षा संगठन द्वारा दुर्घटना के तत्काल बाद की गई प्रारम्भिक जांच के आधार पर गैसलीटांड कोलियार के चार अधिकारियों तथा चार कामगारों को निलम्बित कर दिया गया है।

इस सदन के सम्मुख इन तथ्यों को प्रस्तुत किये जाने के साथ, मैं माननीय सदस्यों को ये आश्वस्त करना चाहूंगा कि न्यायिक जांच द्वारा, इस दुर्घटना के लिये दोषी पाये गये सभी व्यक्तियों के विरूद्ध, उपयुक्त कार्रवाई की जायेगी।

(व्यवधान)

**श्री बसुदेव आचार्य** (बांकुरा) : महोदय, यह घटना 26 सितम्बर को हुई थी, आज तक एक भी लाश खानों से नहीं निकाली गई है। कोयला खानों में सुरक्षा नियमों का पूर्णतया उल्लघंन किया गया है।" (व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय** : महोदय, श्री विद्याचरण शुक्ल मद संख्या पर प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

(व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप ऐसा नहीं कर सकते। जब मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जाता है तो आप कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं कर सकते।

(व्यवधान)

**श्री बसुदेव आचार्य** : एक भी लाश नहीं निकाली गई है। आप कृपया कुछ स्पस्टीकरण की अनुमति प्रदान कीजिए। मैने उस विशेष खान का व्यक्तिगत रूप से दौरा किया है। मैने देखा है कि कैसे सुरक्षा नियमों का वहां उल्लघंन किया जाता है . . . (व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री आचार्य, माननीय मंत्री ने वक्तव्य दिया है। विशेषकर हमारे सदन में स्पष्टीकरण के लिए कोई क्षेत्र नहीं है।

(व्यवधान)

**श्री बसुदेव आचार्य** : महोदय, पहले भी इस सभा में स्पष्टीकरण की अनुमति के पूर्व उदाहरण रहे हैं। (व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय** : नहीं, सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि लाश निकालने की प्रक्रियाएं चलती रहें।

(व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय** : नहीं कोई क्षेत्र नहीं है;

**श्री बसुदेव आचार्य** : आप कृपया इस पर चर्चा की अनुमति प्रदान कीजिए। यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : इस विषय पर चर्चा करने के लिए आप किसी अन्य तरीके का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अब आपको इसकी अनुमति नहीं है।

(व्यवधान)

**श्री बसुदेव आचार्य** : महोदय, अब तक एक भी लाश निकाली नहीं गई है (व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री आचार्य, यदि आप संतुष्ट नहीं हैं, तो नियमों में कुछ अन्य नियम हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हैं। कृपया इसे एक भिन्न रूप में लाइए। एक सबंद्ध उपबन्ध है।

(व्यवधान)

**श्री बसुदेव आचार्य** : मैं कुछ स्पष्टीकरण चाहता हूँ। आप कृपया इसे उसकी अनुमति प्रदान करें। यह बहुत महत्वपूर्ण है। (व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय** : नहीं यहां इसकी अनुमति प्रदान नहीं की जाती है।

**श्री बसुदेव आचार्य** : चौहत्तर खनिक मारे गये हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : यह सच है। लेकिन जब मंत्री वक्तव्य देता है, विशेषकर इस सभा में, तो स्पष्टीकरण के लिए कोई उपबंध नहीं है।

(व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप एक बहुत अनुभवी सांसद है। आप दूसरे तरीके का प्रयोग कर सकते हैं।

(व्यवधान)

**श्री बसुदेव आचार्य** : महोदय, भूतकाल में हमें मंत्री से स्पष्टीकरण की अनुमति प्रदान की गई थी। (व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय** : कुछ उपबन्ध है।

(व्यवधान)

**श्री बसुदेव आचार्य** : उन्होंने आप वक्तव्य दिया है। (व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री आचार्य, आपको अच्छी तरह पता है कि सब मंत्री वक्तव्य देता हैं . . . (व्यवधान)

**श्री बसुदेव आचार्य** : महोदय, मुझे नियमों की जानकारी है। पूर्व उदाहरण भी थे।

(व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय** : आपको न केवल नियमों की जानकारी है, बल्कि आप ने उनको आत्मसात भी किया है।

(व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय** : हम इसका अनावश्यक रूप से उल्लंघन न करें।

**श्री बसुदेव आचार्य** : महोदय, आपको हमें मंत्री महोदय से कुछ स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति दी जाए। (व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय** : हमने नियम बनाये हैं।

(व्यवधान)

**श्री बसुदेव आचार्य** : लेकिन कुछ दृष्टान्त हैं। कुछ मुद्दों पर हमें कुछ स्पष्टीकरण मांगने की अनुमति दी गई थी . . . (व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री राम नाईक . . . (व्यवधान)

[हिन्दी]

**श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी** (दरभंगा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही सीरियस मामला है और बहुत ही इम्पार्टेंट है। जो स्टेटमेंट आया है उस पर क्वैरी तो कर सकते हैं। इसमें बताया गया है कि जो लोग ट्रैप हो गये . . . (व्यवधान) . . . सेफ्टी डिपार्टमेंट किसलिये हैं ?

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यह सच है,

(व्यवधान)

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : इसके लिए इस तरह अनुमति नहीं दी जा सकती . . .

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : इसकी अनुमति क्यों नहीं दी जा सकती ?

(व्यवधान)

श्री विद्याचरण शुक्ल : इसकी इस तरह अनुमति नहीं दी जा सकती। सदस्य ने जो कुछ भी बोला है, उसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाये। वे आपकी अनुमति के बिना बोले हैं।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : इसकी अनुमति क्यों नहीं दी जा सकती? नियम बनें हैं। दृष्टांत है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपका ध्यान नियम 372 की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। इस नियम के अनुसार :

"अध्यक्ष की सहमति से लोक महत्व के मामले में मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जा सकता है किंतु वक्तव्य देते समय कोई प्रश्न नहीं पूछा जायेगा।"

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : उपाध्यक्ष महोदय, एक मजदूर के मरने पर कोई शोक नहीं होता है जबकि एक बड़ा आदमी मरे तो उसके लिए शोक सभा हो सकती है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया मेरी बात सुनें।

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : यह मंत्रालय और कोल इंडिया की लापरवाही है . . (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप ही ने तो नियम बनाये हैं। आप ही को नियमों की समीक्षा करनी है। यदि आप महसूस करते हैं कि नियम आपको ठेस पहुंचा रहे हैं तो आप इन नियमों में संशोधन करें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हाँ, श्री राम नाईक . . .

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : उपाध्यक्ष महोदय, बी. ए. सी. के चौथे पैराग्राफ में कहा है। जो प्रोपोज़ल आया है . . .।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

उपाध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं उठेगा। इसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यह विषय समाप्त हो गया है। हम अगले विषय पर चर्चा करेंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : मैं कौल और शक्कर को उद्धृत करूंगा।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : जी नहीं।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : आपको मुझे उद्धृत करने की अनुमति देनी होगी।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री महोदय, आप एक वरिष्ठ संसद सदस्य हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : मैं कौल और शक्कर को उद्धृत करना चाहता हूँ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा आपसे अनुरोध है कि आप एक वरिष्ठ संसद सदस्य हैं।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : इसीलिए मैं इसे उठा रहा हूँ। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : इसीलिए, मैं इसके बारे में नियमनिष्ठ हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप नियमों का उल्लंघन करें।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : तो आप मंत्री महोदय द्वारा दिए गए वक्तव्य पर चर्चा करने की अनुमति दें। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा अनुरोध है कि यदि आप माननीय मंत्री महोदय द्वारा दिए गए वक्तव्य से संतुष्ट नहीं हैं, यदि आप वस्तुत: व्यथित हैं और यदि आप यह महसूस करते हैं कि और सत्य प्रकाश में आना चाहिए तो इसके लए एक विशिष्ट उपबंध है। आप नियमों के लिए अधीन जो प्रक्रिया है उसका उपयोग कर सकते हैं। हालांकि, आज सत्र का अंतिम दिन नहीं है, आपके पास पर्याप्त समय है और आप इसे किसी न किसी रूप में सभा में उठा सकते हैं। आपको ऐसा करने से कोई नहीं रोकेगा। आज अंतिम दिन नहीं है और यदि आज सत्र का अंतिम दिन होता तो मैं इसे समझ सकता था।

(व्यवधान)

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : महोदय आप कम से कम उन्हें अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति दे सकते हैं। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : सिफारिश की कोई आवश्यकता नहीं है। वे

स्वयं ऐसा करने में समर्थ हों आप दूसरे नियमों को प्रयोग कर सकते हैं। और इसे किसी न किसी रूप में सभा के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।

(व्यवधान)

**श्री बसुदेव आचार्य** : महोदय, तो मैं आपको एक नोटिस दूंगा और आपको इस पर चर्चा की अनुमति देनी होगी . . . (व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय** : ठीक है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

**श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी** : मंत्री महोदय ने जो स्टेटमेंट दिया, उसके बारे में क्लेरिफिकेशन हो सकता है और पहले भी हुआ है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री आचार्य पर जो कुछ भी लागू होता है, वही आप पर भी लागू होता है।

1.27 म.प.

## कार्यमंत्रणा समिति

### छपनवें प्रतिवेदन संबंधी प्रस्ताव

**जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल)** : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा दिनांक 6 दिसम्बर, 1995 को सभा में प्रस्तुत किये गये कार्य मंत्रणा समिति के छपनवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

'कि यह सभा दिनांक 6 दिसम्बर, 1995 को सभा में प्रस्तुत किये गये कार्य मंत्रणा समिति के छपनवें प्रतिवेदन से सहमत है।'

(व्यवधान)

[हिन्दी]

**श्री राम नाईक** (मुम्बई उत्तर) : बी.ए.सी. का जो प्रपोजल आया है, उसमें चौथे (पैराग्राफ में कहा है कि रोज लंच अवर भी छोड़ देंगे और साथ ही साथ शाम को सात बजे तक काम करेंगे। इसके लिए मैं एक छोटा सा अमेंण्डमेंट देना चाहता हूं कि सात बजे के आगे लिखना चाहिए - "शुक्रवार को छोड़कर।" आप जानते हैं कि शुक्रवार को प्राइवेट मेंम्बर्स बिजनेस चलता है और फिर छः बजे से सात बजे तक ऐसी हालत हो जाती है कि सदस्य भी उपस्थित नहीं रहते हैं। कल हमने सरकार को सहयोग दिया और सदन में 10-12 सदस्य भी नहीं थे, फिर भी कोरम का प्रश्न नहीं उठाया। हमने कहा कि स्पेशल केस के तौर पर हम ऐसा कर सकते हैं लेकिन रोज नहीं कर सकते। तो शुक्रवार के लिए आप यह संशोधन मानें।

[अनुवाद]

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री राम नाईक, संशोधन की आवश्यकता नहीं है। यदि अध्यक्षापीठ सहमत हो तो इस मामले पर शुक्रवार को विचार कर सकते हैं।

**श्री विद्या चरण शुक्ल** : महोदय, इस पर मेरा आपसे एक अनुरोध है। यदि माननीय सदस्य इस पर कोई संशोधन चाहते हैं, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे इसे कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में उठायें, जहां इस प्रश्न के सभी पहलुओं पर विचार-विमर्श और चर्चा की जा सकती है। वे जो कह रहे हैं, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं केवल एक प्रक्रिया सुझा रहा हूं और वह प्रक्रिया यह है कि हम इसे कार्य मंत्रणा समिति की अगली बैठक में उठायेंगे जिसकी बैठक मंगलवार को होनी है। और तब ही हम यह संशोधन करेंगे।

**श्री राम नाईक** : कल के बारे में क्या विचार है ?

**श्री विद्या चरण शुक्ल** : हम कल 6 बजे सभा स्थगित कर [illegible] हैं। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

**श्री राम नाईक** : यदि कल हम सभा 6 बजे स्थगित करते हैं, तो कोई आपत्ति नहीं है।

**श्री विद्या चरण शुक्ल** : हम कल 6 बजे सभा स्थगित कर सकते हैं। अन्य मामलों के बारे में अर्थात् अन्य दो शुक्रवारों के बारे में, जो अभी शेष हैं, हम कार्य मंत्रणा समिति में विचार कर सकते हैं जो कुछ भी निर्णय लेना है, उसे ले लिया जायेगा।

**श्री राम नाईक** : ठीक है, धन्यवाद।

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री राम नाईक इस तरह के निर्णय कार्य मंत्रणा समिति में लिये जाते हैं जहां सभी राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व होता है।

**श्री राम नाईक** : मुझे पता है। तब, हम गणपूर्ति, का प्रश्न उठायेंगे क्योंकि यह निर्णय कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में नहीं लिया जा सकता। हम उनके साथ सहयोग कर रहे हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : यह सच है।

**श्री राम नाईक** : मुझे पता है और इसीलिए मैं यह कह रहा हूं।

**श्री विद्या चरण शुक्ल** : महोदय, हम इस पर सहमत हो गये हैं कि कल सभा 6 बजे स्थगित होगी, दूसरे शुक्रवारों के बारे में हम बाद में विचार करेंगे।

**श्री राम नाईक** : ठीक हैं। धन्यवाद। मुझे यह स्वीकार है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा दिनांक 6 दिसम्बर 1995 को सभा में प्रस्तुत किये गये कार्य मंत्रणा समिति के छपनवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

**प्रस्ताव स्वीकार हुआ।**

---

**जल संसाधन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल)** : महोदय, यदि सदस्यगण सहमत हों, तो नियम 377 के अधीन मामलों पर चर्चा शुरू करने के बजाय, आज हम आर्थिक स्थिति पर

चर्चा प्रारम्भ कर सकते हैं। यह मेरा सुझाव है। आर्थिक स्थिति - जो महत्वपूर्ण विषय है - पर चर्चा करने के लिए हमारे पास पर्याप्त समय होना चाहिए।

**डा0 सत्यनारायण जटिया (उज्जैन)** : इस बात की हमें पहले ही जानकारी दी जा चुकी है। इसकी अनुमति दे दी जाये। इस पर केवल पांच मिनट का समय लगेगा।

**उपाध्यक्ष महोदय** : यह बात ठीक है

01.3 म.प.

## नियम 377 के अधीन मामले

**(एक) कन्याकुमारी-त्रिवेन्द्रम राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 विशेषतः इसके तमिलनाडु वाले भाग का समुचित रख-रखाव किए जाने की आवश्यकता।**

**श्री एन0 डेनिस (नागरकोइल)** : महोदय, कन्याकुमारी-त्रिवेन्द्रम राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 47 जो कि राज्य की राजधानी त्रिवेन्द्रम को राष्ट्रीय टर्मिनल से जोड़ता है - देश की सबसे व्यस्त सड़कों में से एक है तथा इस पर यात्री एवं वाहन यातायात अत्यधिक है। कभी देश में सबसे बढ़िया, लम्बे एवं पक्की सड़क के रूप में विख्यात् इस राजमार्ग की अब अनदेखी की जा रही है तथा इसका कोई रखरखाव नहीं किया जा रहा है। यह राजमार्ग अब यातायात के योग्य नहीं है। इस राजमार्ग के तमिलनाडु में पड़ने वाले हिस्से की स्थिति लम्बे समय से अत्यंत खराब है। बार-बार भारी वर्षा होने से इस सड़क को भारी क्षति पहुंची है। इस पर गड्ढे पड़ गये हैं तथा इसमें दरारें पड़ गई है। इस राजमार्ग के रख रखाव की स्थिति खराब होने के कारण, वाहनों को थोड़ी-सी दूरी तय करने में भी काफी समय लगाना पड़ता है तथा दुर्घटनाएं होती हैं।

अत: मैं केन्द्र सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह इस राजमार्ग की अविलम्ब मरम्मत कराने के लिए तुरंत कदम उठाये।

**(दो) केरल के कालीकट हवाई अड्डे पर यात्रियों पर लगाये जा रहे अत्यधिक शुल्क के बारे में जांच पड़ताल किये जाने की आवश्यकता।**

**श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (कन्नानौर)** : महोदय प्रारम्भ होने के तीन चार वर्षो के थोड़े समय में ही, केरल का कालीकट हवाई अड्डा भारत का सबसे अधिक लाभ अर्जित करने वाले एवं प्रतिष्ठित हवाई अड्डों में शामिल हो गया है। घरेलू सेवाओं के अतिरिक्त, इस हवाई अड्डे से खाड़ी देशों जैसे कि दुबई, आबूधाबी, कुजीराह, मस्कट, शारजहां को भी हवाई सेवाएं संचलित की जा रही हैं। इन खाड़ी देशों में काम करने वाले हजारों केरल वासी एवं उनके परिवार के सदस्य इस हवाई अड्डे का अपने गम्य स्थान तक पहुंचने के लिए उपयोग कर रहे हैं। तथापि, काफी समय से, कालीकट हवाई अड्डे से जाने-आने वाले यात्रियों की संख्या में यहां लगाये जा रहे भारी प्रभारों की वजह से कमी आ रही है।

क्योंकि एयर इण्डिया एवं इण्डियन एयरलाइन्स का कालीकट से संचालित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर एकाधिकार है - ये दोनों सप्ताह में 22 उड़ाने संचालित कर रहे हैं - अत: ये यात्रियों पर भारी प्रभार लगा रहे हैं। खाड़ी देशों से कालीकट तक जो कि खाड़ी देशों से त्रिवेन्द्रम के निकट है - प्रभार लगभग 5000 रुपये अधिक है। ऐसे मनमाने प्रभार दुबई, मुम्बई मद्रास एवं कलकत्ता सहित अन्य किसी हवाई अड्डे पर वसूल नहीं किये जा रहे हैं।

इसके अतिरिक्ति कालीकट हवाई अड्डे पर 500 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से 'प्रयोक्ता प्रभार' वसूल किये जा रहे हैं, जो कि अन्य किसी हवाई अड्डे पर नहीं वसूल किये जाते। इस प्रकार वसूल किया जा रहा प्रभार नियमित एयरपोर्ट कर से 300 रुपये प्रति यात्री अधिक है। इसका बेचारे उन यात्रियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जो कि अपने खून-पसीने से अपनी रोजी-रोटी कमाते हैं।

अत:, मैं नागर विमानन एवं पर्यटन मंत्री महोदय से यह निवेदन करता हूं कि इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करें तथा कालीकट हवाई अड्डे पर यात्रियों को जिन कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है, उनकी कठिनाईयों को समाप्त करें।

**(तीन) पशुओं के प्रति क्रूरता को रोके जाने की आवश्यकता।**

**[हिन्दी]**

**डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन)** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं लोक महत्व के एक विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। देश में अहिंसा के मत से विश्वास और आस्था रखने वाले नागरिकों की भावना को महत्व दिया जाना चाहिये। जीव-दया अर्थात प्राणियों पर अत्याचार को रोकने का उपाय करना आवश्यक है। देश में वधशालाओं में निरीह प्राणियों की हत्या मानव मूल्यों के विपरीत है। मांस निर्यात की नीति भी उचित नहीं है।

अतएव मेरा आग्रह है कि केन्द्र सरकार प्राणियों पर अत्याचार एवं यातनाओं को तत्काल प्रतिबंधित करें।

**(चार) बुलन्दशहर को लखनऊ और दिल्ली के सीधे रेल मार्ग से जोड़े जाने की आवश्यकता।**

**[हिन्दी]**

**डा. छत्रपाल सिंह (बुलन्दशहर)** : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं अपने क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण समस्या की ओर संसद का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मेरा संसदीय क्षेत्र बुलन्दशहर रेल सुविधा के अभाव से एक पिछड़ा क्षेत्र है। यहां की जनता को रेल की सुविधा न मिलने के कारण काफी परेशानियां हो रही है। यहां से न तो देश की राजधानी दिल्ली और न ही प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लिये कोई सीधी रेल सेवा है। यहां की जनता काफी समय से रेल सुविधा की मांग करती आ रही है लेकिन सरकार द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया है। अत: मेरा रेल मंत्री से अनुरोध है कि जनता की उचित मांग को ध्यान में रखते हुए, वहां की जनता की परेशानियों को देखते हुए अति शीघ्र बुलन्दशहर से बाया खुर्जा और हापुड़ होते हुए दिल्ली के लिये

एक गाड़ी की सुविधा तथा प्रदेश की राजधानी लखनऊ को जोड़ने के लिये बुलन्दशहर से एक सीधी रेल सेवा की व्यवस्था करने का कष्ट करे जिससे वहां की जनता भी लाभ उठा सके और रेलवे विभाग को भी आमदनी हो सके।

**(पांच) बिहार में औद्योगिक विकास केन्द्र शीघ्र स्थापित किये जाने की आवश्यकता।**

[हिन्दी]

**श्री मंजय लाल** (समस्तीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, देश में औद्योगिक विकास के लिए 1988 में यह निर्णय लिया गया था कि जो राज्य उद्योग के मामले में पिछड़ा है, वहां, "इंडस्ट्रीयल ग्रोथ सेन्टर" स्थापित किया जाय। बिहार उद्योग के मामले में बहुत पिछड़ा है। वहां 6 इण्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेन्टर खोलने का निर्णय लिया गया था, पर अभी तक कोई भी ग्रोथ सेन्टर खोलने की दिशा में कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया है।

अत: केन्द्र सरकार से मेरा अनुरोध है कि बिहार राज्य के औद्योगिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए बिहार में उपरोक्त 6 इण्डस्ट्रीयल ग्रोथ सेन्टर शीघ्र स्थापित करने के लिए कारगर कदम उठाया जाए।

[अनुवाद]

**(छह) उड़ीसा के तटवर्ती जिले जाजपुर में बाढ की पुनर्रावृति रोकने के लिए समुचित कदम उठाये जाने की आवश्यकता।**

**श्री अनादि चरण दास** (जोजपुर) : महोदय, जाजपुर उड़ीसा का तटवर्ती जिला हैं, जहां कि तूफान, बाढ़ एवं सूखा पड़ने जैसी प्राकृतिक आपदाएं हर वर्ष आती हैं। अत: यहां की जनता की आर्थिक स्थिति दिन-प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। गत तीन वर्षों से ऐसी आपदाओं का प्रकोप बड़े पैमाने पर बढ़ रहा हैं। राज्य सरकार बार-बार इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने में समर्थ नहीं है।

इसके साथ लगने वाले अन्य जिले केंद्रपाड़ा, जगतसिंहपुर, भड़रक एवं बालसौर बाढ़, सूखे एवं तुफान आदि से ग्रस्त हैं तथा यहां की 80 प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर है और उनकी फसलें जल्दी जल्दी नष्ट हो जाती हैं। अत: मैं केंद्र सरकार से यह अनुरोध करता हूँ कि और अधिक धनराशि प्रदान करे , ताकि राज्य सरकार बड़े पैमाने पर बाढ़ रोकने तथा इस क्षेत्र में बेहतर सिंचाई सुविधाएं मुहैया कराने के लिए समुचित कदम उठा सके।

**(सात) हरियाणा में बाढ़ से प्रभावित लोगों को शीघ्र राहत पहुंचाने के लिए राज्य सरकार को अधिक धनराशि जारी किये जाने की आवश्यकता।**

[हिन्दी]

**श्री जंगबीर सिंह** (भिवानी) : आज तक की अभूतपूर्व बाढ़ ने हरियाणा में तबाही मचा दी, खासकर मेरे संसदीय क्षेत्र भिवानी तथा रोहतक में तो विनाश लीला बहुत ही भयानक है, मेरे संसदीय क्षेत्र के 5 विधान सभा क्षेत्र तो पूर्ण रूप से तबाह हो गए हैं। सारी सड़कें, नालियां टूट गई हैं और नलकूप खराब हो गए हैं, मकान में घुसे पानी ने सारा सामान नष्ट कर दिया है। सावन की फसल बिल्कुल नष्ट हो गई तथा रबी की फसल बीजने में भारी दिक्कतें आ रही हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी ने जो 600 करोड़ रूपए की बाढ़ राहत राशि प्रदान की है, उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। पूरा हरियाणा इसके लिए प्रधान मंत्री जी के लिए कृतज्ञ है।

मेंरा केन्द्र सरकार से निवेदन है कि हरियाणा के पुन: उत्थान के लिए यह राशि काफी कम है। अत: मेरा आग्रह है कि कम से कम 400 करोड़ रूपए की और अतिरिक्त राशि बाढ़ राहत के लिए प्रदान करने का कष्ट करे ताकि विकास तेजी से हो सके।

**(आठ) बिहार में दरभंगा स्थित अशोक पेपर मिल को दुबारा खुलवाने की आवश्यकता।**

**श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी** (दरभंगा) : मेरा संसदीय क्षेत्र दरभंगा काफी पिछड़ा इलाका है। यहां एक मात्र कारखाने का नाम अशोक पेपर मिल था , जो कई वर्षों से बंद पड़ा है। पूर्व में सरकार ने मझे सूचित किया था कि इसे शीघ्र ही बी.आई.एफ.आर. में लिया जायेगा, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है ।

मैं भारत सरकार से निवेदन करूंगा कि अशोक पेपर मिल दरभंगा को खुलवाने की दिशा में ठीक कदम उठाया जावे ताकि इस पिछडे इलाके की तरक्की हो सके।

1.39 म.प.

## नियम 193 के अधीन चर्चा

### देश की आर्थिक स्थिति

**उपाध्यक्ष महोदय:** अब हम नियम 193 के अधीन मद संख्या 13 पर चर्चा करेंगे जो देश की आर्थिक स्थिति से सम्बन्धित है। इसके लिए दो घण्टे का समय आबंटित किया गया है। श्री जसवंत सिंह इस पर चर्चा प्रारम्भ कर सकते हैं।

**श्री जसवंत सिंह** (चितौड़गढ): उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आर्थिक स्थिति पर चर्चा प्रारम्भ करते हुए इस बात का विशेषकर इन खाली जगहों को देखकर, अत्यधिक दु:ख है वह भी कि ऐसी चर्चा के दौरान जो आज हमारे देश के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (मिदनापुर): इस सदन में किसी भी महत्वपूर्ण चर्चा की यही विडम्बना है।

**एक माननीय सदस्य:** आप अपने पीछे भी देखिये।

**श्री जसवंत सिंह :** मैंने पीछे भी देखा है।

**उपाध्यक्ष महोदय:** पीछे देखने के पश्चात ही उन्होंने यह टिप्पणी की है।

**श्री जसवंत सिंह :** मेंरी टिप्पणी एक तरफा नहीं है। मैं इस पर

टिप्पणी किए बिना नहीं रह सका। हम ने वास्तव में सरकार से इस विषय पर जबदरदस्ती चर्चा करवाई है क्योंकि हम इस मुद्दे पर अपनी बातें कहना नितान्त आवश्यक समझते हैं।

**श्री शरद दिघे** (मुंबई उत्तर मध्य): आप दूरदर्शन के माध्यम से आज की जनता को सम्बोधित करते हैं।

**श्री जसवंत सिंह** : मैं वास्तव में इस सदन से अपनी बात कहना चाहता हूँ न कि टेलीविजन कैमरों से।

तथापि यह जैसा भी हो, यही हमारी नियति है और हमें इन सबके साथ चलना है। खैर, मैं आशा करता हूं कि हमने अभी-अभी कुछ फाइलें खो जाने की बात सुनी हैं तथा कुछ दिन पूर्व भी हमने घटना से संबंधित एक अधिवक्ता के गुम हो जाने के बारे में भी सुना था। इसलिए क्या मैं संसदीय कार्य मंत्री से यह अनुरोध कर सकता हू कि कम से कम वह इसका ध्यान रखें कि कहीं आर्थिक नीति से संबंधित फाइलें न खो जाएं।

महोदय, मेरे विचार से यह चर्चा अत्यधिक सामयिक है, क्योंकि संसद का कार्यकाल अब समाप्त होने ही वाला है तथा सरकार द्वारा किए गए अथवा न किए गए कार्यों का अथवा हमारी शिकायतों का भी जायजा लेने का उचित समय है। यह चर्चा ऐसे विवाद के बीच हो रही जब आठवी पंचवर्षीय योजना की मध्यावधि मूल्यांकन नहीं किया गया है। सरकार ने इससे संबंधित दस्तावेज अभी तक उपलब्ध नहीं करवाये हैं यद्यपि इस दस्तावेज की प्रतियां, दस्तावेज के कुछ अंश आसानी से उपलब्ध हैं । लेकिन इस सरकार से ऐसी ही अपेक्षा थी क्योंकि जिन चीजों की आवश्यकता नहीं होती उन पर भी निर्णय लेने में अक्षम होती है और इसलिए हमें इस बात का पता लगाना पड़ता है तथा यह सिद्ध करना पड़ता है कि वास्तव में सरकार की मौजूदा स्थिति क्या है तथा उसके लिए क्या करना चाहिए।

महोदय, सत्ताधारी दल जब 1991 में सत्ता में आया तो अपने चुनावी घोषणा पत्र में अन्य चीजों के अतिरिक्त अनेक महत्वपूर्ण वायदे किए थे। उनमें से एक मुख्य वायदा, जो अभी भी उन्हें परेशान कर रहा है, सत्ता में आने के सौ दिन के भीतर कीमतों को 1989 की स्थिति पर ले जाने के बारे में था। मैं आपको वह वायदा, विशेषकर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए , स्मरण कराना चाहता हूँ कि माननीय विदेश मंत्री तथा योजना आयोग के यथोचित: और विधित: उपाध्यक्ष यहां उपस्थित हैं। मै उस बात को कहते हुए उनसे व्यक्तिगत तौर पर यह कहता हूँ कि यदि आठवीं पंचवर्षीय योजना की मध्यावधि मूल्यांकन उपलब्ध होता और यदि श्री प्रणव बाबू इस सदन को अपने विचारों से अवगत कराते तो इस चर्चा में वह हमारे लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होता। हम जानते हैं और अब पूरा देश जानता है कि वित्त मंत्रालय के साथ वास्तव में अधोवस्था के सकल प्रबंधन के संबंध में उनके विचारों में भिन्नता है और यदि हमारे पास यह दस्तावेज उपलब्ध होता तो इस वाद-विवाद के लिए वह लाभप्रद होता ।

तथापि, महोदय, जैसा कि मैं कह रहा था कि इस सरकार को एक बात जो सबसे ज्यादा परेशान कर रही है वह कीमतों को 1989 के स्तर पर ले जाने का वायदा है। यदि उनके वायदे केवल सत्ता पक्ष को ही परेशान करते तो हमारे लिए अत्यधिक चिंता की बात नहीं थी किन्तु इस वायदे का दुर्भाग्यपूर्ण पहलु यह है कि यह जितना उन्हें परेशान कर रहा है उससे अधिक हमें परेशान कर रहा है क्योंकि उनकी अक्षमता की कीमत वास्तव में, शारीरिक और मानसिक तौर पर हमें अदा करनी पड़ रही है। उन्होंने कहा था कि सत्ता में आने के सौ दिन के भीतर हम कीमतों को 1989 के स्तर पर ले जाएंगे लेकिन 1995 की समाप्ति पर अब कुछ मामलों में कीमतें 1989 की बात छोडिये 1991 की स्थिति के अनुसार दो सौ से तीन सौ प्रतिशत बढ़ गयी हैं।

माननीय वित्त मंत्री ने कीमतों पर एक वक्तव्य दिया है। यदि मैं कीमतों से चर्चा आरम्भ करता हूँ तो उन्हीं बातों को ध्यान में रखकर बोलूंगा। महोदय, माननीय वित्त मंत्री जिनका अन्यथा मैं काफी आदर करता हूँ और एक महान व्यावसायिक सत्यनिष्ठा वाले व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा वाले तथा सक्षम व्यक्ति हैं। जब भी मुझे ऐसा कहने का कुछ अवसर मिलेगा मैं ऐसा ही कहूंगा लेकिन कीमतों से संबंधित उनके वक्तव्य से मुझे निराशा हुई है। वास्तव में यह चुनाव को ध्यान में रखकर दिया गया वक्तव्य है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि वह किसी राजनीतिक दल की ओर से चुनाव प्रचार प्रारम्भ कर रहे हैं जिसमें हाल ही मैं उन्होंने प्रवेश किया है। उससे बडी निराशा हुई क्योंकि जहां तक कीमतों का संबंध है, केन्द्रीय वित्त मंत्री की महान क्षमता को ध्यान में रखते हुए हमने इन परिस्थितियों में उनसे कीमतों के मामले में उनसें एक वास्तविकता और सही मूल्यांकन की उम्मीद की थी। उन्हें बताना चाहिए था कि इन परिस्थितियों में क्या संभव है और मूल्य मोर्चे पर चिन्ताजनक बात क्या है। कीमतों में वृद्धि का यही क्षेत्र उनके लिए चिंता का विषय है। इस विशेष क्षेत्र में नियंत्रण का अभाव अर्थव्यवस्था के प्रबंधन का एक ऐसा पहलू है जिसमें हमें और अधिक काम किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने समूचे वक्तव्य को महज एक चुनावी हथकंडा बना दिया है। इससे मुझे निराशा हुई है। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि अब जब उसने चुनावी प्रचार प्रारम्भ कर दिया है तो वे चुनाव की तिथि की भी घोषणा क्यों नहीं कर देते। वे ऐसा क्यों नहीं कहते कि ठीक है कि फरवरी अथवा मार्च में वे चुनाव करवाएंगे और इस अनिश्चितता को समाप्त करेंगे जिससे कि हम सभी को आपके सहित इस बात की जानकारी हो कि हम क्या कर रहे हैं?

डा. मनमोहन सिंह ने अपने पहले बजट भाषण में, अन्य चीजों के अलावा, वित्तीय घाटा कम करने का वायदा किया था। उन्होंने

मुद्रा प्रसार को रोकने का यह वायदा दोहराया भी था। उन्होंने यह भी कहा था कि आर्थिक सुधार कार्यक्रम जिसे गलती से अथवा अति उत्साह से नई आर्थिक नीति कहा गया है के लाभ प्रत्येक व्यक्ति, आम

आदमी आदि तक पहुंचेंगे और वह भुगतान संतुलन तथा विदेशी मुद्रा भण्डार की व्यवस्था कर लेंगे। इसमें यह भी निहित था हालांकि इस बारे में कोई सुस्पष्ट वक्तव्य नहीं दिया गया था कि यह सब बातें संभव हो जायेंगी। यह अर्थव्यवस्था का सुधार नई आर्थिक नीति आदि तभी संभव हो सकेंगे यदि इसके साथ साथ हमारी व्यवस्था में भी सुधार किया जाये। अत: यह व्यापक रूप से हमारा मानदण्ड हो गया है जिसके आधार पर हम इस सरकार के कार्य निष्पादन की जांच करते हैं। वस्तुत: यह उनके पदग्रहण कराने की अवधि के आखिरी वर्ष से पहले का वर्ष है। मेरे विचार से सन 1995 में यही स्थिति जिसमें माननीय वित्त मंत्री गलतियों को ठीक कर सकते हैं। वित्त मंत्री महोदय, मुझे अफसोस है कि यह मुझे आपकी अनुपस्थिति में शुरू करना पडा। लेकिन मैने अपनी बात को व्यक्तिगत तौर पर बडा आदर सम्मान देकर शुरू की थी लेकिन इसके साथ ही मैने जी वायदे आपने किये थे उन पर कुछ टीका टिप्पणी की थी।

महोदय, सन 1995 में रोजगार के अवसर उत्पन्न करने की स्थिति चिन्ताजनक है। यह सरकार के दावों के अनुरूप नहीं है। निर्माण क्षेत्र तथा कृषि क्षेत्र दोनों में ही रोजगार की स्थिति के साथ-साथ मूल्यों की स्थिति जिनके बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं और जिसे मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, चिन्ताजनक है। अत: इन मुद्दों को और आगे बढाये बिना ही मैं यह कहना चाहता हूं कि जब माननीय वित्त मंत्री जवाब दें तो वे इन मुद्दों का जवाब जरूर दें। महोदय जिस बात में हमारी दिलचस्पी है वह यह है कि रोजगार की स्थिति पर वास्तव में इसका क्या प्रभाव पडा है, उसके बारे में हमें वह आंकडे नहीं चाहिए जिस पर आपका मंत्रालय जोर देता रहा है क्योंकि एक अवसर पर आपके प्रति बगैर किसी असम्मान के मैंने कहा था कि महोदय, मैं प्राय: यह सोचता हूं कि वस्तुत: वित्त मंत्रालय वास्तविक मंत्रालय की अपेक्षा काल्पनिक कहीं ज्यादा है। मैं नहीं जानता कि वस्तुत: माननीय वित्त मंत्री अपनी बात को कहां तक सिद्ध कर पायेंगे। यदि इस सरकार की नयी आर्थिक प्रचार नीति ने उस रूप में जिस रूप में देश आशा करता है रोजगार सृजित नहीं किया है तो मैं समझता हूं कि जिस सुधार कार्यक्रम को लेकर आप चल रहे हैं, उसमें आधारभूत रूप से कोई कमी होगी।

मूल्यों के संबंध में मैं पहले ही कह चुका हूं। मैं इस मुद्दे पर और आगे नहीं बोलना चाहता हूं। और न ही मैं इस मुद्दे को दोहराना चाहता हूं, अगला मुद्दा यह है कि मैं राष्ट्र पर बढते ऋण को लेकर बडा चिन्तित हूं। मै इसके विषय में कई तरह से कह सकता था। मैं इसे सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में भी ले सकता हूं। मैं इस ऋण को आंतरिक तथा बाहय ऋण में विभाजित कर सकता हूं जैसा कि थोडी देर ही मैं करूंगा। किसी भी दृष्टि से देखा जाये तो यह स्पष्ट है कि हमारे सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में राष्ट्रीय ऋण के जो कुछ आंकडे मुझे मिले हैं मैं एक अर्थशास्त्री नहीं हूं उससे पता चलता है कि ये बहुत तेजी से बढ रहे हैं। अत: मैं अपने अपुष्ट आंकड़ों को वित्त मंत्री के समक्ष रखे बगैर ही उनसे यह अनुरोध करना चाहूंगा कि वे हमें बतायें कि उनके अनुसार कुल राष्ट्रीय ऋण कितना है। 1991 में जब इस सरकार ने सत्ता संभाली थी तब से लेकर 1995 तक घरेलू सकल उत्पादन की प्रतिशतता के रूप में इस राष्ट्रीय ऋण में कितनी वृद्धि हुई है। आज जो स्थिति है बाकी जो कुछ महीने बचे उनके पास शेष हैं उन में वे इस स्थिति में सुधार, जो असंभव है, किस प्रकार करेंगे? इस बारे में उनकी दीर्घकालिक योजना क्या है?

**श्री निर्मल कांति चटर्जी** (संदस्य): यह सकल घरेलू उत्पाद का 80 प्रतिशत से अधिक है।

**श्री जसवंत सिंह** (चित्तोड़गढ): मैं हमेंशा श्री निर्मल कांति चटर्जी की सांख्यिकीय योग्यता का जिक्र करता रहा हूं। हालांकि मैं इन दो अर्थशास्त्रियों के बीच नहीं आऊंगा। वे कहते हैं कि यह 80 प्रतिशत अथवा 85 प्रतिशत है बल्कि अर्थशास्त्री का कहना तो यह है कि ये आंकड़े पुराने हैं तो बताइये नवीनतम आंकड़े क्या हैं।

महोदय, अब हम गरीबी पर आते हैं। महोदय, मैं तो यही निवेदन करना चाहता हूं कि यह आर्थिक सुधार कार्यक्रम काफी समय पहले आरंभ किया जाना चाहिए था। इस मुद्दे से पीछे हटने का सवाल ही नहीं है , ऐसा हमारे दल के नेता ने सार्वजनिक तौर पर कहा था। देश में इसकी बडी जरूरत थी। पहले बजट में ही जब केन्द्रीय वित्त मंत्री ने इसे पेश किया था तो इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए मेरी पार्टी ने मुझे आगे किया था। उस अवसर पर भी मैंने यह कहा था कि हम इसका स्वागत करते हैं क्योंकि आपने हमारी नीति को स्वीकार किया है। अब भी यही कहता हूं लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह आर्थिक सुधार कार्यक्रम भारतीय उद्योगपतियों के लिए नहीं है। यह बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए नहीं है। आर्थिक सुधार कार्यक्रम अंतत: तथा मूलत: भारत तथा भारतीय नागरिको के लिए है। निस्संदेह आंकड़ों के आधार पर आप बहस कर सकते हैं और यह बता सकते हैं कि भारत वर्ष एक गरीब देश है या नहीं है। लेकिन महोदय, नि:संदेह यह गरीबों का देश है। कोई भी सरकार चाहे वह सभा के किसी भी पक्ष की हो इस देश के गरीब लोगों के बारे में नहीं सोचती। मेरे पास आंकड़े हैं कि मोटे तौर पर मेरे देशवासियों में 40 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं। मुझे मालूम नहीं है कि इन दोनों में कौन सी बात अधिक शर्म की है कि यह बात कि 40 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं अथवा यह बात कि ये आंकड़े मैं सरसरी तौर पर पेश कर रहा हूं। यह बहुत बडा आंकड़ा है और इस सरकार के अनाधिकारपूर्वक लगातार सत्ता में रहने के पांचवें वर्ष में भी इसमें कोई गिरावट, कोई परिवर्तन नहीं आया।

अब मैं सकल घरेलू उत्पादन की वृद्धि के विषय को लूंगा। मैं केवल बडे मुद्दे का ही जिक्र कर रहा हूं। यह कुछ बड़े आर्थिक कुछ मुद्दे हैं। वह दूसरा सूचकांक है जिसे हम यह देखने के लिए अपना

सकते हैं। क्या वस्तुत: सकल राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि हो रही है। इसलिय क्या हम ज्यादा उत्पाद करने वाले राष्ट्र हैं। मैं सोचता हूँ कि कुल राष्ट्रीय तुष्टि नाम से जाने जाने वाला एक अन्य आंकड़ा होना चाहिए क्योंकि यह आर्थिक मानदण्ड नहीं है।.....(व्यवधान)

पहले तो यह कि क्या हमारे सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई है। दूसरी यह कि यदि हमारे सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हुई है तो उस वृद्धि से क्या कुल राष्ट्रीय तुष्टि में वृद्धि हुई है। यदि माननीय वित्त मंत्री इस संबध में यहां अपने विचार हमें बतायें तो मुझे खुशी होगी।

**वित्त मंत्री श्री मनमोहन सिंह:** संतुष्टि तो मनोदशा है।

**श्री जसवंत सिंह:** वह है इसमें कोई शक नहीं .....(व्यवधान)

इस ठण्ड के मौसम में यदि मै यह कोट नहीं पहनूंगा तो मेरी मनोदशा प्रभावित होगी। अत: मनोदशा वस्तु पर निर्भर करती है। दोनो क बीच एक गहरा संबंध होता है...(व्यवधान)

**श्री मनमोहन सिंह:** यह भारतीय परम्परा नहीं है।

**श्री योगेन्द्र झा** (मधुबनी): वे आज परम्परा की बात कर रहे हैं ..(व्यवधान)

**श्री जसवंत सिंह:** जहां तक कृषि की वृद्धि का सवाल है, मैं सोचता हूँ कि इसका श्रेय इस सरकार को जाता हैं, हमारी सरकार को कुछ श्रेय मिलना चाहिए कि हमारे यहां लगातार मानसून रहा। मैं यह नहीं जानता कि उन्होंने इसकी व्यवस्था की है।

**श्री मनमोहन सिंह:** इससे यह पता चलता है कि भगवान भी हमारे साथ है।

**श्री जसवंत सिंह :** हाँ महोदय, जहां तक अच्छी मानूसन के चलने का सवाल है, हम मानते हैं कि भगवान आपके साथ हैं। यदि भगवान आपके साथ थे तो वे हमारे साथ भी थे क्योंकि मानूसन एक जैसा रहा है। लेकिन इसके बावजूद कृषि उत्पादन में केवल 1.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। मुझे खुशी होगी यदि आप इसमें संशोधन कर सकें। लेकिन यदि कुल खाद्यान उत्पादन बढकर मोटे तौर पर 185 अरब टन के स्तर पर टिक गया है अथवा प्रति व्यक्ति खाद्यान्नों की खपत में कमी आई है तो इन बातों से मुझे संतोष नहीं होता है।

मैं नहीं सोचता कि विगत कुछ वर्षों में कृषि उत्पादन बहुत अच्छे मानूसन के अनुरूप रहा है। कृपया इस संबंध में माननीय वित्त मंत्री अपने विचार व्यक्त करें।

मैं रुपये के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य के प्रश्न को किसी भी तरह राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के सूचक के रूप में नहीं लेता हूँ। लेकिन फिर भी रुपये का अवमूल्यन होता है और यदि सरकार केवल यह स्पष्टीकरण अथवा तर्क देती है कि हमारे निर्यात ज्यादा प्रतियोगी हो गये हैं तो वह भी मुझे संतुष्ट नहीं करता है। मैं समझता हूँ कि हाल ही में अक्टूबर में रुपये के मूल्य मे गिरावट आई है, उसमें वस्तुत: दो अथवा तीन चीजों को प्रदर्शित किया है। पहले तो इससे रुपये की नाजुक स्थिति का पता चलता है। दूसरे इससे पता चलता है कि हमारे भुगतान संतुलन के विषय में अनिश्चितता की स्थिति है। तीसरी तथा सबसे कष्टदायी बात यह है कि वस्तुत: इससे इस आवांछित गिरावट को रोकने में भारतीय रिजर्व बैंक तथा अन्य संस्थाओं के अत्यधिक कुप्रबंध का पता चला है।

असल में अक्टूबर के महीने में जो कुछ हुआ है मैं उसका विश्लेषण करना नहीं चाहता हूँ। क्योंकि मुझे इस विषय की पर्याप्त जानकारी नहीं है। क्या कारण है कि इस संकट का सामना करने में भारतीय रिजर्व बैंक इतना अक्षम रहा?

**2.00 म.प.**

मैं माननीय वित्त मंत्री से अपील करूंगा कि वे हमें बताएं कि क्या रिजर्व बैंक या किसी अन्य मुद्रा प्रबंधन अभिकरण ने इस स्थिति का अपेक्षित तत्परता और विशेषज्ञता के साथ समाधान किया है जो हमारे आर्थिक सुधार कार्यक्रम और आधुनिकीकरण के प्रयासों, विश्व स्तर की मांग की पूर्ति हेतु प्रतिस्पर्धा के कारणस्वरूप उत्पन्न हुई है। मेरी आपसे विनती है कि हमें इस बारे में भी जानकारी दें और हमारे साथ निष्पक्षता से सहभागी बनें क्योंकि जब तक हमारी चर्चा में स्पष्टवादिता न होगी तब तक आर्थिक सुधार कार्यक्रम, जिस पर मैं थोडी देर में बोलूंगा, पर झूठी दलीलों और आडम्बर की छाया पडेगी जिसे हम सहन नहीं कर सकते हैं।

मेरे पास कुछ आंकडे, मौजूद हैं, मैं इस समय आंकड़ों की चर्चा नहीं करना चाहता हूँ, जैसा मैंने पहले कहा है कि राष्ट्रीय ऋण और विदेशी ऋण और यदि उसके साथ 30 प्रतिशत की दर से ऋण पर उस ब्याज को भी जोड दें, जिसके बारे में मुझे निर्मल दादा ने अभी-अभी जानकारी दी है तो वह बहुत चिंताजनक आंकड़ा है, आर्थिक सुधार कार्यक्रम के विश्व बैंक के स्मजा और उस जैसे अन्य परामार्शदाताओं ने यही जताया है कि अब हम वास्तव में ऐसी स्थिति में हैं कि देश को आंतरिक ऋण जाल में फंसने का बहुत बडा खतरा है, मैं आंतरिक ऋाण जाल क्यों कहता हूँ क्योंकि यदि इसके कुछ पक्षों के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि सरकार के आंतरिक ऋण में निरन्तर वृद्धि हुई है तथा सरकार का खर्च, जिसके लिए हमारे राजस्व से सबसे ज्यादा धन निकाला जाता है, में निरन्तर वृद्धि हुई है। नि:संदेह माननीय वित्त मंत्री और उनके सहयोगियों की योग्यता के कारण हमारे राजस्व में 15-16 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हुई है, निश्चित रूप से आदर्श स्थिति यह होती कि राजस्व में निरन्तर वृद्धि होती और व्यय में कमी। जबकि हुआ यह कि राजस्व में लगभग 15-16 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हुई तो सही है किंतु व्यय में और अधिक वृद्धि हुई है, इसलिए व्यय में राजस्व से अधिक वृद्धि हुई है, सरकार के व्यय का एक बडा हिस्सा सरकार चलाने पर खर्च हो जाता है। इसलिए सरकार द्वारा बहुत कम पूंजीगत व्यय किया जाता है तथा यदि इस सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय नहीं किया जाता है तो आप देश के भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं। मोटे तौर पर संक्षेप में यही था जिसे मैंने सोचा कि आपको भी बताऊं,

हमारे बजट का सबसे बडा भाग ब्याज अदायगी पर लगता है, ब्याज अदायगी की वास्तव में इस देश के भविष्य को दांव पर लगाना है, इस ब्याज अदायगी के कारण हम आंतरिक ऋण जाल के बारे में चिंतित हैं और इसी कारण विदेशी ऋण की स्थिति भी चिंताजनक है जिसके बारे में मेरे पास कुछ आंकड़े मौजूद हैं, कुल 300000 करोड़ रुपये का विदेशी ऋण है किंतु मेरे आंकड़ों के बजाय मैं जानना चाहता हूं कि आपके पास आंकड़े क्या हैं। क्या वित्त मंत्री आंतरिक और विदेशी ऋण की स्थिति से संतुष्ट हैं? जिस चुनौती का हमें सामना करना पड रहा है उसको लिए जो विधिक प्रबंध प्रणालियां हैं क्या वे उससे संतुष्ट हैं? महोदय, वित्तीय घाटे का एक पक्ष है। मुझे उसे दोहराने दीजिए, वित्त मंत्री जी ने कहा था कि वे अपने कार्यकाल के पांचवें वर्ष में वित्तीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद का 3.5 प्रतिशत या 3.5 प्रतिशत से 4 प्रतिशत कर देंगे। इस समय यह लगभग 6 प्रतिशत या 5.5 से 6 प्रतिशत के बीच है इससे स्वयं वित्त मंत्री जी की संतुष्टि नहीं है। वे इससे इसीलिए संतुष्ट नहीं है कि उनका उस पर नियंत्रण नहीं है। इसीलिए मैंने कहा था कि वित्त मंत्रालय एक मंत्रालय के बजाय एक अवधारणा मात्र लगता है। वित्त मंत्री की कोई नहीं सुनता है। इस समय ऐसी स्थिति ही विद्यमान है। वित्त मंत्री के पास वित्त प्रबंध के सबसे योग्य प्रबंधक होने के बावजूद यदि उन्होंने हमें इस स्थिति तक पहुंचाया है तो मुझे वास्तव में बहुत दुख है कि यह इस सरकार का ध्वजयेत को, यह उनका ध्वजपोत को, इस सरकार का आर्थिक सुधार कार्यक्रम कीमतों पर नियंत्रण और वित्तीय घाटे के प्रबंधन का दावा था इन दोनो बातों के लिए मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि इस संबंध में मुझे फिर से आश्वासन मिलने की आशा नहीं है, दूसरी बात जिसके बारे में मुझे बहुत चिंता है और मैने यह पहले भी कहा है कि यदि आप व्यवस्था में सुधार नहीं करते तो आर्थिक सुधार कार्यक्रम नहीं चलाया जा सकता है। मुझे यह कहते दुख होता है कि आपके शासन के पांचवे वर्ष में नार्थ ब्लाक से कई उद्घोषणायें प्रतिज्ञापित की गई हैं किंतु अधिकारी तंत्र की गतिहीनता, रूढिवादिता या कठोरतापूर्ण रवैये इन उद्घोषणाओं को विफल किया जो अन्यथा बहुत ही उपयुक्त थीं वित्त मंत्री जी मुझे अफसोस के साथ कहना पड रहा है कि शासन व्यवस्था जो अत्यंत महत्वपूर्ण है में एक साथ सुधार करने में आपकी और सरकार की विफलता के कारण अधिकरी तंत्र भारत की प्रगति में निरंतर बाधा डाल रहा है। जब तक अधिकारी तंत्र पर ध्यान नहीं दिया जाता सुधार संभव नहीं है। क्योंकि आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन करने में परिवर्तन संबंधी राजनीतिक व्यवस्था का मूल्यांकन होना चाहिए जिसमें सरकार पूर्णत: विफल रही है। क्योंकि परिवर्तन सबंधी राजनीतिक व्यवस्था में सम्पूर्ण अधिकारी तंत्र भी शामिल है तथा वरिष्ठता क्रम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लाइसेन्स की मामला दर मामले की जांच को लें। आपने कहा कि सरकार ने लाइसेन्सिंग प्रणाली समाप्त कर दी किंतु आपने इस कार्य को एक स्थान पर केन्द्रित कर प्रधान मंत्री कार्यालय को भेज दिया। अब नये उद्योगों क्षमताओं या अवसंरचना या किसी अन्य चीज के लिए लाइसेंस अन्य मंत्रालय नहीं देंगे बल्कि यह कार्य अब प्रधान मंत्री कार्यालय करेगा। इस प्रक्रिया में सरकार ने न तो विकेन्द्रीकरण किया और न ही उदारीकरण। बल्कि भ्रष्टाचार ही नहीं वरन निरंतरित भ्रष्टाचार के लिए केन्द्र स्थापित कर दिया। मैं एक मुद्दों पहलुओं का उल्लेख करूंगा।

महोदय, मैंने अवसंरचना के बारे में बात की है, मुझे प्रसन्नता होती यदि आज मैं यह कह पाता कि उदारीकरण के कारण अवसंरचना चाहे वे परिवहन संचार या सडकें, रेल, विमानपत्तन, और पुल ही क्यों न हो, बहुत वृद्धि हुई है। दुर्भाग्यवश आर्थिक सुधार कार्यक्रम को एक किलोमीटर सड़क के निर्माण तक का भी किया जा सकता है। आपने हाल ही में दूरसंचार क्षेत्र में हुई गडबड़ियों को देखा , वित्त मंत्री के कार्यकाल के पांचवें वर्ष में एक मेंगावाट बिजली अतिरिक्त पैदा करने का श्रेय तक आर्थिक सुधार कार्यक्रम को नहीं जाता है।

सरकार ने देश में खुली आकाश नीति अपनाई है। जिसके कारण हमारे विमान क्षेत्रों में पार्किंग स्थल नहीं है। इस क्षेत्र की घोर अपेक्षा की गई है। क्या वित्त मंत्री यह स्पष्ट करेंगे कि पांच साल तक शासन में रहने के बावजूद भी इस सरकार ने हम सबको और देश को असफलता क्यों दी है।

महोदय, वित्तीय साधनों के बारे में मैं बैंकिंग, बीमा और पूंजी बाजार पर संक्षेप में बोलना चाहता हूं, मैं बैंकिंग और बीमा क्षेत्र के बारे में नहीं बोलूंगा। क्योंकि मैने बहुत अधिक समय ले लिया है। मैं उन सब बातों की पुनरावृत्ति भी नहीं करना चाहता हूं जो मैं पहले ही वित्त मंत्री को लिख चुका हूं। मुम्बई स्टाक एक्सचेंज में जो जाली शेयरों का तमाशा हो रहा है वह सब धोखधडी है। यह सब धोखाधडी इसलिए है कि देश की एक सबसे बडी कम्पनी इसमें सम्मिलित है । इसमें सबसे बडी चिंता की बात यह है कि देश का प्रमुख वित्तीय संस्थान भारतीय यूनिट ट्रस्ट भी इसमें सम्मिलित हैं। अब मैं माननीय वित्त मंत्री से जानना चाहता हूं कि इन जाली शेयरों के मामले की असलियत क्या है ? सच्चाई क्या है? इस विषय पर मैंने माननीय वित्त मंत्री से पत्राचार किया है, मैंने आपको एक पत्र भेजा है तथा यहां इसका संक्षेप में उल्लेख इसलिए किया कि मैं संसद में हूं। मैने आपको बताया कि जब 1991 में इसी कम्पनी के जाली शेयरों को लेकर एक आदमी मेरे पास आया तो मैंने इस बारे में आपको बताया तथा उन जाली शेयरों की सत्यापित प्रतियां आपके पास भेजी थीं जो मुझे 1991 में दी गई थीं। बहुत छोटी राशि के शेयर होने के कारण इस विषय पर मैने आपके साथ चर्चा नहीं की और सोचा कि यह संभव नहीं है, इसलिए मैने इस मुद्दे को लम्बित रखा। भारतीय यूनिट ट्रस्ट ऐसे मामले में कैसे शामिल हुई। क्योंकि यह छोटी मोटी राशि के शेयर नहीं थे, नौ लाख शेयर पकडे गए, और वे उसे बदलते रहते हैं। कुछ शेयर पकडे गए, कुछ कल और कुछ परसों। यह इसी तरह की बात है कि

मै श्री निर्मैल जी के पास जाऊं और कहूं कि यह सौ रुपये का नोट है। निर्मल मेंरी और मुडे और कहें कि यह नकली लगता है और मैं उनसे कहूं कि इसे मुझे वापस दे दो मैं आपको दूसरा लौटा दूंगा। कम्पनी या विधि विभाग किसी प्रक्रिया को अपनाए बिना सामने आती है।

अब मैं आपसे एक अन्य मुद्दे के बारे में चर्चा करूंगा। वह है अपना केनस्टार संयुक्त, संसदीय समिति द्वारा घोषित बदनाम केनरा बैंक वर्ष 1990 या उसके आस पास केनस्टार ने भिन्न भिन्न समय में एक लम्बित अवधि के लिए म्युचुअल फंड देने का वायदा किया था जिसमें यह कहा गया था कि यदि आंप इसमें निवेश करते हैं तो चार वर्ष के पश्चात 15 रूपए, पांच वर्ष पश्चात 17 रूपए तथा और ऐसे ही अनेक वर्षों में हम आपको 20 रूपए देंगे मैं इसका विस्तार से वर्णन नहीं करना चाहता। अब आप यह देखें कि एक सरकारी क्षेत्र के बैंक, केनस्टार द्वारा निवेशकों को कैसे झांसा दिया जाता है। जब कि पुन: प्राप्ति का समय आया तब केनस्टार ने कहा हम इनका भुगतान नहीं कर सकते, हम आपका धन आपको वापस नहीं दे सकते। क्या सरकारी क्षेत्र के वित्तीय संस्थान अपने निवेशकों, से इस सरकार द्वारा पदभार ग्रहण करने के पांचवे वर्ष से, ऐसा व्यवहार करेंगे, क्या नई आर्थिक नीति की भारी सफलता का सूचंकांक यही है? मैने चर्चा यह कहते हुए शुरू की थी कि आर्थिक सुधार कार्यक्रम आम भारतीयों के लिए ही है ये किसी भी बहुराष्ट्रीय कम्पनी अथवा देश के बडे औद्योगिक घरानों और यदि आम भारतीय चाहे वह यूनिट ट्रस्ट के धारक हैं अथवा केन्सटार के और यह महसूस करते हैं कि यूनिट ट्रस्ट रिलायंस उद्योग के सेनानी के रूप में सभी कार्य कर रहा है जिससे केनस्टार के छोटे निवेशक ऐसा महसूस करते हैं कि उनका धन लूट लिया गया है क्योंकि केनस्टार के अनुसार यदि आपके पास पांच हजार या दस हजार से ज्यादा यूनिट हैं तो आप केवल मात्रा तक के लिए हकदार है। छोटे निवेशकों को यही झांसा दिया जा रहा है। मेरे विचार से सदन के प्रति वित्त मंत्री का यह कर्तव्य है कि वह हमें यह बतायें कि क्या हो रहा है, चाहे वह यूनिट ट्रस्ट अथवा केनस्टार अथवा किसी अन्य ऐजेंसी की बातें हो (व्यवधान)

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में हो रहे उसी निवेशन को देखें। संसद में सो जाना कभी असंसदीय नहीं माना गया। लेकिन खर्राटे भरना असंसदीय है।

**उपाध्यक्ष महोदय:** खर्राटों से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए।

**श्री राम नाइक (मुंबई उत्तर):** यह तो इन संवेदनशील माईकों का दोष है।

**जसवंत सिंह:** मैं सरकारी क्षेत्र में विनिवेश के बारे में बोल रहा था। यह एक बहुत ही असंतोषजनक क्षेत्र है। आपने जो प्रक्रिया अपनाई है उस संबंध में मैं कहना चाहता हूँ। एक बार आपने शिष्टता दिखाते हुए हम लोगों से परामर्श किया था। हमने कहा था कि जब न तो उद्योग मंत्रालय और न ही वित्त मंत्रालय इन मामलों में शामिल हैं ? आप इन मामलों में अपने आपको क्यों शामिल करते हैं? इसके लिए एक अलग से विनिवेश आयोग गठित किया जाए तथा यह विनिवेश आयोग यह निर्णय करेगा कि किस कीमत पर तथा कितना निवेश किया जाए? इसकी मर्चेट बैंकर द्वारा व्यावसायिक तौर पर देख रेख की जानी चाहिए। हम जो कहते हैं और सुझाव देते हैं उसे मानने के लिए आप बाध्य नहीं हैं। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, इसी के परिणामस्वरूप हाल ही का विनिवेश असफल रहा है।

इसके साथ ही आप हर प्रकार की व्यवस्था करते हैं। उदाहरण के तोर पर आई.टी.डी.सी. को लें। यह अपने कुल शेयर का दस प्रतिशत भाग टाटा कम्पनी के इंडिया होटल को कौडी के भाव बेच रहा है।

आप आई.टी.डी.सी. के लगभग दस प्रतिशत शेयर जो कि लगभग 50 करोड रूपए के हैं उन्हें बेच रहे हैं। आई.टी.डी.सी. के पास कम से कम तीस या बत्तीस वास्तविक सम्पत्ति स्थल हैं। अशोक होटल की ही कीमत लगभग तीन सौ करोड रूपए की है और आई.टी.डी.सी ग्रुप की दान प्रतिशत शेयर पचास करोड रूपए पर आप टाटा को बेच रहे हैं। आप इसे टाटा को क्यों बेच रहे हैं? टाटा ने आपको क्या फायदा पहुंचाया है। यह कैसी लूट है? चाहे वह रिलायंस हो अथवा टाटा वे भारत को नहीं खरीद सकते, वे भारत की धन सम्पत्ति को खरीद नहीं सकते। आप भारत की सम्पत्ति को, चाहे वह यूनिट ट्रस्ट हो अथवा आई.टी.डी.सी हो अथवा रावा तेल क्षेत्र हो, बेच रहे हैं। रिलायंस अथवा बराज ऐसे कौन से विशेषज्ञ हैं, जिसके फलस्वरूप उन्हें मुंबई हाई के महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र उन्हें दिया जाएं? आप ये क्षेत्र उन्हें यूं ही दे दिये हैं। उससे भी जब आप संतुष्ट नहीं हुए तो आपने बेलाडीला, बस्तर, खानों में सबसे महत्वपूर्ण खान, कुछ एरे-गैरे, नथ्थू खैरे और कुछ रातोरात संचालक को जो कुछेक दिन पहले ही व्यापार क्षेत्र में आये हैं को सौंप दिये हैं। इसी आर्थिक स्थिति के फलस्वरूप मुझे ऐसा कहना पडा तथा मैं पहले भी कह चुका हूँ कि माननीय वित्त मंत्री जी आपके लिए आपकी तकनीकी क्षमता, आपकी व्यक्ति विन्न का मैं सम्मान करता हूं। मुझे इस सभा में या बाहर यह कहते हुए कभी हिचकिचाहट नहीं हुई तथा इस सभा में इसकी पुनर्वृति करने में मुझे हर्ष और आह्लद होता है। महोदय, किन्तु मैं आपको सावधान करता हूँ कि यदि अपने कार्यकाल के पांचवे वर्ष में आपकी सरकार आर्थिक सुधार कार्यक्रम चलाने का प्रयास करती है जबकि आपके सहयोगी मंत्रीगण भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, व्यावसायिक घरानों के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं और भारत को मनमाने तरीके से बेच रहे हैं और यदि भ्रष्टाचार वर्तमान की तरह ही व्याप्त रहता है तो कोई भी आर्थिक कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता तथा कोई अर्थव्यस्था पनप नहीं सकती है।

माननीय वित्त मंत्री जी, मैंने जितना समय लेना था उससे अधिक

समय ले लिया है, आन्तरिक ऋण, बाह्य ऋण पर ब्याज में निरंतर वृद्धि, रुपये की कीमत में गिरावट, तथा विदेशी मुद्रा के आगमन में कमी के कारण उत्पन्न स्थिति हमें बहुत चिंतित करती है, हम इस पंगु और भ्रष्ट सरकार से भी असंतुष्ट है जो अपने ही दुष्कर्मों में डूबी हुई है। यह प्रतिक्रिया शून्य गैर जिम्मेदाराना तथा लापरवाही है। अब आप इसे "चुनाव कार्यक्रम" कह सकते हैं। वह समय की आवश्यकता को पूरा नहीं करेगा और इससे गरीबों और नि:सहाय भारत माता की सेवा भी नहीं होगी, इसने शताब्दियों से अनेक कष्ट झेले हैं कम से कम अब उसके साथ बेहतर बर्ताव किया जाना चाहिए, मैं माननीय वित्त मंत्री जिन्हें मुझे अपना मित्र कहने का गौरव प्राप्त है, को एक सलाह देना चाहता हूँ। इस सलाह को मैंने किसी और से लिया है। दो तरह के वित्त मंत्री होते हैं एक जो समय पर जाने तथा दूसरे गलत पास जाने पर छत्र दिए जाते हैं, यह आपको निर्णय करना है कि आप किस तरह के वित्त मंत्री बनना चाहते हैं। किन्तु जहां तक इस सरकार का संबंध है, इसके प्रति मेरे मन में उदारता या दया की ऐसी कोई भावना नहीं है, इस सरकार ने अब अपना जनाधार खो दिया है। इसे हटना चाहिए, आप चले जाइये। देश की अर्थव्यवस्था के लिए यही सबसे अच्छी बात आप कर सकते हैं।

**श्रीमती सुशीला गोपालन** (चिरामिकिल): उपाध्यक्ष महोदय देश में आर्थिक संकट इस सीमा तक पहुंच गया है कि जीवन असहय बन गया है। मैं एक अर्थशास्त्री नहीं हूं जो देश की अर्थव्यवस्था पर बोलूं।

**उपाध्यक्ष महोदय:** माफ कीजियेगा। मै आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि इस चर्चा के लिए दो घंटे का समय आबंटित है। मैं इस बात को आपके ध्यान में लाना चाहता था जिससे आप उसके अनुरूप समय लें। मैं कहना चाहता हूँ कि चर्चा के लिए कुल दो घंटे का समय ही आबंटित किया गया है।

**श्रीमती सुशीला गोपालन:** धन्यवाद महोदय।

आर्थिक समस्या और अन्य बातों के बारे में हमारे साथी श्री निर्मल कांति चटर्जी बोलेंगे। मैं आम आदमी की समस्याओं के बारे में बोलना चाहती हूँ। आज लोग आर्थिक नीति के दुष्प्रभावों का सामना कर रहे हैं। जब आप सत्ता में आये थे तो आपने क्या कहा था ? चुनाव के दौरान आपका मुख्य मुददा यह था कि कीमतों को 1990 के स्तर तक ले आयेंगे यह बात पुरानी है, लेकिन लोगों के मन में अभी भी ताजी है, भले ही आपके लिए इसका महत्व न हो, इसी समस्या का लोग वास्तव में सामना कर रहे हैं।

वर्ष 1990 में उचित दर की दुकानों पर बिकने वाले चावल की कीमत 2.89 रुपये प्रति किलोग्राम थी। दिसम्बर 1991 में यह 3.37 रुपये प्रति कि.ग्रा. 1993 में, 4.37 रुपये प्रति कि.ग्रा. थी। दिसम्बर 1991 में यह 4.37 रुपये प्रति कि.ग्रा. और इस समय 6.90 रुपये प्रति कि.ग्रा. है। यह कीमत तो उचित दर की दुकानों पर है। वास्तविक कीमत क्या है? वर्ष 1990 में खुले बाजार में चावल की कीमत 4.50 रुपये प्रति कि.ग्रा., मैं केरल में एक दुकान मावेली स्टोर को जानती हूँ जहां पर चावल 3.30 रुपये प्रति कि.ग्रा. की दर से बेचा गया था। उस समय खुले बाजार में यही कीमत थी। आज खुले बाजार में चावल की कीमत 10 रुपये, 11 रुपये या 12 रुपये प्रति किलोग्राम तक है। बासमती और चावल की अन्य किस्मों की कीमत पहुंच से बाहर हैं, 18-19 रुपये प्रति किलोग्राम तक हैं और इसमें वृद्धि हो रही है। गेहूं का क्या मूल्य है? राशन की दुकानों पर गेहूं का मूल्य 2 रु. 34 पैसे से बढकर 4 रु. 20 पैसे प्रति किलो हो गया है। चीनी का मूल्य 5 रूपए 25 पैसे से बढकर 9 रुपये प्रति किलो हो गया है। राशन की दुकानों पर ये मूल्य हैं। आप जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें लोगों को प्रभावित करती हैं। पेट्रोल का मूल्य 9 रु. 84 पैसे प्रति लीटर था और अब यह 16 रु.78 पैसे प्रति लीटर हो गया है। डीजल की कीमत अब 4 रुपये प्रति लीटर से 6 रु. 98 पैसे प्रति लीटर हो गई है। यह लगभग 7 रुपये होता है। ये सभी आवश्यक वस्तुएं हैं जिनके मूल्य बढ गये हैं हाल ही में कीमतें अनियंत्रणीय स्तर पर पहुंच गई है और वे किसी भी नियंत्रण से परे हो गई हैं।

दालों का मूल्य क्या है? जून 1989 से उनके मूल्य में भी बढोत्तरी हुई है? मूंग की धुली हुई दाल 11 रु. 40 पैसे बिकती थी और अब यह खुले बाजार में 24 रुपये बिकती है। उड़द छिलका दाल 10 रु. 10 पैसे बिकती थी और अब इसका 30 रुपये प्रति किलो मूल्य है। धुली उडद की दाल 12 रुपये बिकती थी और अब इसका मूल्य 36 रुपये प्रति किलो है। अरहर की दाल का मूल्य 10 रु. 70 पैसे होता था और अब इसका मूल्य 26 रुपये प्रति किलो है। यही हाल चना दाल का है। सभी वस्तुओं की कीमतें बढ गई हैं।

महोदय, उत्तरी भारत में आम आदमी का भोजन दाल और रोटी होता है। थोडा ज्यादा लेकिन इन सभी चीजों के मूल्य बढ गये हैं। दाल और रोटी की कीमत आदमी की पहुंच से बाहर हो गई है। यह नतीजा है हमारी आर्थिक नीति का।

जब रुपये का अवमूल्यन हुआ था तो हमारे वित्त मंत्री ने दावा किया कि ये एकाएक हो गया और तीन सालों से रुपये के मूल्य में स्थायित्व था। यदि तीन सालों से स्थायित्व था तो इन चीजों के मूल्यों में बढोत्तरी कैसे हुई है मुझे यह तर्क समझ में नहीं आता है। स्थायित्व किस लिए होता है ? क्या यह आम आदमी और देश के लोगों के लिए होता है अथवा नहीं? यदि स्थायित्व था और यह एकाएक गया है तो इसके भी बाजार में विनाशकारी प्रभाव होंगे। लगातार कीमतों में बढोत्तरी हुई है। लेकिन क्या देश के किसी भाग में लोगों की आय में भी इसी तरह बढोत्तरी हुई है। हमारे देश में केवल 10 से 15 प्रतिशत लोगों की आय में ही बढोत्तरी हुई होगी। अन्य वर्ग के लोगों की आय में बढोत्तरी नहीं हुई है। वे यह कह सकते हैं कि कृषि कामगारों की दिहाडी में बढोत्तरी हुई है। शायद यह बढोत्तरी केरल में हुई होगी तथा या वहां हुई होगी जहां कहीं संगठित आंदोलन होता है। लेकिन यह सारे

भारत वर्ष में नहीं हुई है। यदि आप आंतरिक क्षेत्रों में जहां आर.पी. डी. एस. कार्य कर रही है, जायें और देखें कि क्या उन्हें चावल मिल रहा है और क्या वे इसे खरीद रहे हैं?

**श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा** (क्योंझर): उपाध्याय महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न हैं।

**अध्यक्ष महोदय:** आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

**श्री गोविन्द चन्द्र मुण्डा:** महोदय, पूरे भारत के सीमांत के किसान तथा मध्यम दर्जे के किसान भी यह मांग कर रहे हैं कि उनके उत्पाद की कीमतें बढायी जायें। वे चाहते हैं कि यदि उनके उत्पाद की कीमतें नहीं बढायी जातीं तो वे भारत में नहीं जी सकते।

**उपाध्यक्ष महोदय:** मुण्डाजी, इसमें कोई व्यवस्था के प्रश्न की बात नहीं है लेकिन आपकी भावनाओं की कद्र की जाती है।

**श्रीमती सुशीला गोपालन** : देश के किसान अपने उत्पाद की अच्छी कीमत चाहते हैं। सरकार को यह देनी पडती है। आप आम लोगों को सस्ती दरों पर देते हैं ताकि मूल्य स्तर को नियंत्रित किया जा सके। यदि आप यह करेंगे तो आपको कर्मचारियों को अधिक मंहगाई भत्ता नहीं देना पडेगा। आप कीमतों पर नियंत्रण रखें।

**श्री मनमोहन सिंह:** धन कहां है?

**श्रीमती सुशीला गोपालन:** धन बहुत है। लेकिन आप इसे लेने के लिए तैयार नहीं है। इस देश में धनी वर्गों का लाभ दर कितना है ? आप उन पर कर लगाने के लिए तैयार हैं? आप उन्हें अधिक से अधिक रियायतें दे रहे हैं। मै आपको ब्यौरा दे सकती हूँ लेकिन समय बहुत सीमित है इसलिए मैं ब्यौरा नहीं दे सकती हूँ। देश में सभी बडे उद्योगपतियों की मुनाफा दर बढ गयी है। क्या आप उन पर कर लगाने, धन लेने तथा खाद्य सामग्रियों पर आर्थिक सहायता देने के लिए तैयार हैं? इस मामले में आपको मंहगाई भत्ता बढाने की जरूरत नहीं है। मंहगाई भत्ते के कारण आप कितना रूपया खर्च कर रहे हैं? यदि आप कीमतों को कम कर देंगे तो आपको इस पर इतना धन खर्च नहीं करना पडेगा।

आर्थिक नीति के परिणामस्वरूप रुपये का अवमूल्यन हुआ है वित्त मंत्री ने स्वयं कहा है कि वह हस्ताक्षेप करना नहीं चाहते हैं, जब रुपये की कीमत में गिरावट आई और अंत में यह 35 या 37 रुपये प्रति डालर तक पहुच गई तो सरकार ने हस्तक्षेप किया।

**श्री मनमोहन सिंह:** यह केरल के लोगों की सहायता करेगा।

**श्रीमती सुशीला गोपालन:** जी हाँ, यह केरल के लोगों की मदद करेगा। मेरा कहना है कि देश के निर्यातकों को लाभ मिल सकता हैं। किंतु आम आदमी को कोई लाभ नहीं मिलेगा। यह केरल के लोगों के लिए अच्छा हो सकता है किंतु यदि यह सम्पूर्ण भारत के लिए विनाशकारी है तो मैं इसकी पैरवी नहीं करूंगी। इसलिए इसका प्रभाव यह है कि इस नीति के कारण रुपये की कीमत में गिरावट आई है, सरकार ने रुपये का अवमूल्यन जानबूझ कर किया है। सरकार ने इसे रोकने के लिए उचित समय पर हस्तक्षेप नहीं किया है, उससे पहले ही सभी बडे लोगो ने डालरों को खरीद दिया और उन्हें सुरक्षित रख दिया, सरकार ने तब हस्तक्षेप किया जब रुपये की कीमत गिर गई थी, उसका प्रभाव क्या है? विदेशी मुद्रा विनिमय दर में अनिश्चतता और अक्तूबर में डालर की तुलनो में रुपये की दर में काफी गिरावट से वित्तीय व्यवस्था में गम्भीर अस्थिरता की शुरूआत हुई। वस्तुत यह संकट ऐसा था कि दो सप्ताह के अंदर ही विदेशी मुद्रा भण्डार में नाटकीय रूप से 1.5 मिलियन डालर की कमी आई। व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो चालू वित्त वर्ष के आरम्भ अप्रेल में विदेशी मुद्रा भण्डार 20.8 बिलियन डालर था जो 3 नवम्बर, 1995 को गिरकर 17.4 बिलियन डालर रह गया थां।

यह संकट इससे पहले इस वर्ष मैक्सिकों में उनके वित्तीय संकट की भांति है जिसने देश की अर्थव्यवस्था को लडखडा दिया था, यही वास्तविक तथ्य है। अक्तूबर के पहले दो सप्ताह में अमरीकी डालर के मुकाबले भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित रुपए की दर बढकर 33.9 रुपये हो गई, किंतु अंतिम दो सप्ताहों में यह बढकर 35.3 रुपये हो गई। इस अल्प अवधि में रुपये के इतने अवमूल्यन से डालर की खरीद अत्यधिक बढ गई। बाजार की शक्तियों की सर्वोपरि मानने की राव नीति को प्रतिबिंबित करते हुए आरम्भ में भारतीय रिजर्व बैंक ने हस्तक्षेप करने से मना कर दिया। किंतु रुपये की कीमत को स्थिर करने के लिए अक्तूबर के मध्य में सरकार को हस्तक्षेप करना पडा क्योंकि रुपये अवमूल्यन से वित्तीय बाजार तथा भुगतान संतुलन में गंभीर संकट पैदा हो रहा था। यद्यपि कीमतें ....

**उपाध्यक्ष महोदय:** प्रत्येक सदस्य को दस मिनट दिए जाएंगे **(व्यवधान)**..

**श्रीमती सुशीला गोपालन:** बोलने का कोई फायदा नहीं है, सत्तारूढ दल का काई भी सदस्य नहीं बोलता है इसलिए विपक्ष के पास बोलने के लिए पर्याप्त समय है। इस चर्चा के लिए दो घंटे आबंटित किए गए हैं। विपक्ष के बाद उन्हें बोलना था किंतु वे नहीं बोले।

**उपाध्यक्ष महोदय:** सुशीला जी सत्तारूढ दल के कुछ सदस्यों नें भी अपने नाम दिए हैं।

**श्रीमती सुशीला गोपालन:** यद्यपि स्पष्ट अनुमान उपलब्ध नहीं है किंतु एक स्रोत से मिली जानकारी के अनुसार रुपये की कीमत को प्रति डालर 35 रुपये पर स्थिर करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने 3700 करोड रुपये के डालर बेचे। डालर खरीदने की इस होड ने मुद्रा बाजार में नकदी संकट पैदा कर दिया चूंकि सामान्य वित्तीय कारोबार के लिए आवश्यक रूपया डालर खरीदने में लग गया था, इसके परिणामस्वरूप डालर दर जो सितम्बर में 15-20 प्रतिशत थी नवम्बर में बढकर 85 प्रतिशत हो गई थी।

2.32 म.प.

[श्री पी. सी. चाको पीठासीन हुए]

अर्थव्यवस्था पर इसको दो तरह के तात्कालिक प्रभाव हैं। पहला जैसे ही हाजर दर में वृद्धि हुई बैंकों, उत्पादन क्षेत्र और सटटों बाजार से लिए गये संसाधन का उपयोग दूसरी दिशा में होने लगा, दूसरा अर्थव्यवस्था के अनुत्पादक और पराश्रमी कार्मों की उच्च ब्याज दर निश्चित रूप से बढी तथा संपन्न वित्तीय कंपनियों का पक्ष लेती है जो सामाजिक प्राथमिकताओं और उत्पादन संबंधी कार्यकलापों पर कोई ध्यान ही नहीं देती है। अत: ब्याज दर में वृद्धि उत्पादक क्रियाओं और सटटे तथा संपन्न और विपन्न वर्ग के बीच की खाई को और चौडा करने वाला हथियार है। इस पूरे संकट का कारण उदारीकरण की नई आर्थिक नीति है।

विगत चार वर्षों में अभूतपूर्व ऋण के परिणामस्वरूप सरकार को जो भुगतान करना था वह मध्य अक्तूबर तक इस कदर इकटठा हो चुका कि उससे गंभीर नकदी संकट उत्पन्न हो गया थां। वित्तीय बाजार में धन की कमी है। अक्तूबर में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से लिए गए ऋण तथा घरेलू बाजार के लिए गए विदेशी ऋणें पर ब्याज के अतिरिक्त विभिन्न ऋणों पर सरकार को 6000 करोड रूपए से अधिक का ब्याज देना पडा।

इसके साथ-साथ घरेलू बचत दर में भी भारी गिरावट आयी क्योंकि लोग अत्यधिक तेजी से बढती मुद्रा स्फीति के फलस्वरूप व्यय कर रहे थे। 1995-96 के पूर्वार्द्ध में जबकि पिछले वर्ष की उसी अवधि में बैंक जमा वृद्धि दर औसतन 5.5 प्रतिशत थी बैंक जमा में 25 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई। दूसरी ओर, सटटेबाजी से संबंधित कारणों से तथी पूर्व में लिए गए ऋणों के बारे में सरकार की बचनबद्धता के कारण बैंक ऋण की मांग में पर्याप्त वृद्धि हुई।

29 और 31 सितम्बर के बीच भारतीय रिजर्व द्वारा केन्द्रीय सरकार को दिया गया ऋण 29 और 31 सितम्बर के बीच 9000 करोड रूपए से बढकर 14000 करोड रूपए हो गया। अपनी वित्तीय देनदारियों को पूरा करने के लिए सरकार को भातरीय रिजर्व बैंक से ऋण लेना पडा जिसके परिणामस्वरूप सटटे के लिए उपलब्ध धन में कटौती ऐसे समय हुई जब कि रूपए के अवमूल्यन के कारण सटटे के कार्यकलापों में बढोत्तरी हुई थी।

इन सभी गतिविधियों के परिणामस्वरूप वित्तीय संकट उत्पन्न हुआ जैसा कि मेंक्सिकों में हुआ था और जिसके कारण मेंक्सिको बर्बाद हो गया थां।

वास्तव में हमें भी ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड रहा है। देश में हमारी स्थिति क्या है? क्या हम रोजगार का सृजन कर सकते हैं। वास्तव में ज्यादातर लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं।

इस स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अंतर्गत सरकार ने सवयं हजारों, लगभाग 80000 लोगों की छुटटी कर दी। इसके क्या परिणाम निकले ? मैं काफी बोर्ड का उदाहरण प्रस्तुत कर सकता हूँ जहां कुछ लोगों को इस योजना के तहत हटा दिया गया था। इनमें से एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। उसे 80000 या 90000 रूपए मिले थे। इस पैसे वह क्या कर सकेगा ? वह अपनी पत्नी को घर ले गया और वहां एक दुकान खोली, लेकिन वह नहीं चली। वह रोजगार की खोज में दिल्ली आ गया और अन्तत: आत्महत्या कर ली। इनमें दो अन्य पागल हो गए, एक आदमी ने सारे नोटों को फाड डाला और उन्हें ईश्वर को अर्पित कर दिया उसे पता नहीं था कि वह क्या कर रहा था।

कांग्रेस के कुछ लोगों ने महाराष्ट्र में एक सर्वे किया था जहां कपडा निगम के हजारों कर्मचारियों को इस योजना के तहत रोजगार मुक्त कर दिया गया है। उनकी क्या स्थिति है? वे सभी बर्बाद हो चुके हैं। क्या आपने इस संबंध में कोई नीति बनाई है। उन्हें फिर प्रशिक्षण देकर पुन:रोजगार उपलब्ध कराने के लिए क्या किया गया है। वास्तव में संसदीय समिति के हस्तक्षेप के कारण उन्हें कुछ प्रशिक्षण दिया गया है। कितने लोगों को फिर से रोजगार दिया गया है? क्या करेंगे? हजारों लोग इसके फलस्वरूप रोजगार मुक्त हो जाते हैं। चौसठ कम्पनियों के मामले बी. आई.एफ.आर. को भेज दिये हैं। उसके क्या परिणाम हुए। आठ से दस लाख लोग इन कम्पनियों में कार्यरत हैं। आप उनके लिए क्या करने जा रहे हैं ? इस दिशा में क्या कदम उठाये गए हैं? एक बार किसी कम्पनी का मामला यदि बी. आई.एफ.आर. को भेज दिया जाता है तो वह और भी ज्यादा रूग्ण हो जाती है क्योकि बैंक उसे ऋण नहीं देता। वे केवल इन चीजों पर चर्चा कर रहे है और सरकार उनके पुनर्वास के लिए कोई धन उपलब्ध कराने को तैयार नहीं है तो उनका पुनर्वास कैसे किया जा सकता है? मैं ऐसे मामलों को जानता हूँ जब कर्मचारियों ने कार्य कर उत्पादन को तिगुना किया है। इसके बावजूद भी सरकार धन देने को तैयार नहीं है। "इस्को" का क्या हुआ ? इसे भी निजी लोगो को सौंपा जा रहा है। वे 30000 कर्मचारियों पर 1200 करोड रूपए क्यो नहीं व्यय कर सकते ? इसका गंभीर परिणाम यह हुआ कि इसे निजी लोगों के हाथों में सौंप दिया जाएगा। आप निजी लोगो को सब कुछ सौंपे जा रहे हैं। अब इस बेलाडीला खान को भी निजी हाथों में सौंपा जा रहा है, सभी कुछ बेचा जा रहा है। जब आप सत्ता से हट जाएंगे तो हमारे लिए कुछ नहीं बचेगा, सभी कुछ निजी लोगों के लिए ही उपलब्ध होगा, इस देश में सभी चीजों को गिरवी रखा जा रहा है।

हमने उर्वरक उद्योग के संबंध में एक बैठक की थी। वित्त मंत्री भी उस बैठक में उपस्थित थे तथा उन्होने धन देने को कहा था। उसका क्या हुआ? आप इस उर्वरकों के आयात पर तीस करोड रूपए व्यय कर रहे हैं यदि आप इसका आधा धन भी व्यय करते हैं तो सभी उर्वरक कारखानों को पुनस्थापित किया जा सकता है, आप इसका क्या कर रहे हैं? मेरे पास ऐसे कई उदाहरण हैं, परन्तु समय के अभाव के

कारण मैं इनके बारे में कुछ बता नहीं सकता हूं।

सरकार की नीति के कारण कई कम्पनियां संकट से गुजर रही हैं। आयात शुल्क कम कर दिया गया है। हिन्दुस्तान फोटो फिल्म में हजारों व्यक्ति कार्यरत हैं। समस्या क्या है? विदेशों में निर्मित फिल्में यहां आधी कीमत पर बिक रही हैं, क्या सरकार विदेशी वस्तुओं को भारत में न बेचने देने के कानून को लागू करेगी? अब तक ऐसा नहीं किया गया है। वे संकट में हैं। प्रबंधन ने कम्पनी के कार्यकरण हेतु निर्धारित धन को दूसरे कार्यों में लगा दिया है और इसके कारण कम्पनी मुश्किलों का सामना कर रही है, सरकार उनको धन देने के लिए तैयार नहीं है। परोक्ष और अपरोक्ष रूप से कार्यरत हजारों कर्मचारी दु:ख भोग रहे हैं। इस तरह के कई उदाहरण हैं।

पालघाट में एक इन्स्ट्रूमेन्टेशन कारखाना है। इस कम्पनी पर सरकार ने आरंभ में 4.5 करोड रुपये व्यय किये थे, प्रति वर्ष के मुनाफे के रूप में राजकोष में 4 से 5 करोड रूपए जमा कर रहे हैं लेकिन अब यह एक जापानी कम्पनी को सुपुर्द की जा रही है। हजारों व्यक्तियों को रोजगार से हाथ धोना पड रहा है और मुझे जानकारी नहीं है कि सरकार क्या कर रही है। आरम्भ की जाने वाली नई कम्पनियों की रोजगार सृजन क्षमता सीमित है और इसलिए अधिक व्यक्तियों को रोजगार नहीं दिया जा सकता है। यह सच है कि अब तक वे आरम्भ नहीं की गई है। वे लोग पोर्टफोलियो प्रबंधन की बात करते हैं, लेकिन मुझे मालूम नहीं है कि कितनी पूंजी आ चुकी है। अब तक कोई भी कंपनी आरम्भ नहीं की गई है। इसलिए, वहां पर रोजगार के अवसर नहीं हैं। कीमतों में वृद्धि और अन्य कारणों से लोग कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। वहां पर रोजगार के अवसर नहीं है और जो कुछ भी है वह खत्म हो चुका है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को अधिकाधिक रियायतें दी जा रही हैं, इसलिये हम इस बारे में किस प्रकार की कार्यवाही कर रहे हैं?

महोदय, माननीय वित्त मंत्री ने पहला बजट प्रस्तुत करते समय क्या लक्ष्य निर्धारित किये थे? उन्होंने कहा था कि "मैं वित्तीय घाटे को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा हूं।" वास्तव में यह ही देश की सभी समस्याओं का कारण है। उन्होंने यही कहा था, उन्होंने कहा था कि "श्री वी.पी. सिंह वित्तीय घाटे को नियंत्रित नहीं कर पाये थे और मैं नियंत्रित करने जा रहा हूं, यह मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है।" उन्होंने इसके लिए क्या किया ? 1992 में वित्तीय घाटा 36325 करोड रूपए था। वर्ष 1995-96 में अनुमानित वित्तीय घाटा 68484 करोड है। इसी तरह राजस्व घाटा 16261 करोड रुपए से बढकर 355541 करोड रुपये हो गया है। यह आपकी वित्तीय स्थिति का विवरण है। बाहरी और आंतरिक ऋण कितना है? शुद्ध बाजार ऋण लगभग 27000 करोड रुपये है और सकल 41000 करोड रुपये है। अगर इस पर 14 प्रतिशत की दर से ब्याज को लें तो आंतरिक बाजार ऋण लगभग 5 लाख करोड रूपए हो जाएगा। रुपये के अधोचित अवमूल्यन के कारण देश का बाहरी ऋण जो कि मार्च 1995 में 95 बिलियन डालर था, उसमें वृद्धि हो गई। मुझे आशंका है कि हम दिवालियेपन की तरफ बढ रहे हैं। वास्तव में यही हमारी चिन्ता का विषय है। माननीय प्रधान मंत्री ने 5000 करोड रूपए की नई आर्थिक योजना की घोषणा की है। आपने प्रधान मंत्री रोजगार योजना के संबंध में क्या किया है? यह कितनी लागू की गई है? केरल में 15000 लोगों को प्रधान मंत्री रोजगार योजना का लाभ मिल रहा है।

**सभापति महोदय:** महोदया आपने लगभग आधा घन्टा ले लिया है। कृपया खत्म करिये। आपने भाषण 2.20 म.प. पर शुरू किया था। कृपया खत्म करिये।

**श्रीमती सुशीला गोपालन:** सभापति महोदय काफी सिद्धहस्त हैं प्रधान मत्री रोजगार योजना का लाभ 15000 लोगों को मिलना था। 30000 लोगो ने अर्जी दी थी। अंत में 11000 लोगों को स्वीकृति दी गई थी। परन्तु, अब तक सिर्फ 7000 लोगों को धन दिया गया है। यह 1993-94 के संबंध में है। अब यह पुन: किया जा रहा है। इसका क्या फायदा है? क्या बैंक धन उपलब्ध करवा पा रहे हैं?

महिला समृद्धि योजना के तहत क्या लोग धन ले रहे हैं? कृपया डाक प्रणाली को देखिये। आपने देश में डाक प्रणाली का सर्वनाश कर दिया है। वास्तव में धन नहीं दिया जाएगा। केरल सरकार ने हमसे केन्द्र सरकार से डाक घरों में छोटी मात्रा में धन को जमा करने वालों से धन स्वीकार करने हेतु अधिक लोगों की नियुक्ति हेतु अनुरोध किया है। यह कम होता जा रहा है क्योंकि कोई धन स्वीकार करने वाला नहीं है। डाक घरों में कर्मचारी नहीं है। इसलिए उन्होंने केरल के सभी सांसदों से केन्द्र को डाक घरों में अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति किये जाने का अनुरोध किया है। क्या हो रहा है? इन्हीं को महिला समृद्धि योजना का दायित्व सौंपा गया है। धन को स्वीकार करने वाले कर्मचारी कहां हैं? समृद्ध व्यक्ति 300 रुपये जमा करके 75 रुपये ब्याज ले रहे हैं। जरूरत मंद व्यक्तियों को कोई लाभ नहीं मिलेगा। क्या सरकार जमकर्ताओं का सर्वेक्षण करायेगी? देश में उच्च वर्ग के लोगों द्वारा धन जमा कराया जा रहा है। आप कहते हैं कि 300 करोड रूपए जमा हो चुके हैं। परन्तु, निम्न वर्ग के लोग कुछ नहीं कर पायेंगे क्योंकि डाक घरों में कर्मचारी नहीं है। क्या यह सही नहीं है? आप इसके बारे में क्या कह रहे हैं? यह परिणाम हैं। किसी को भी लाभ मिलने वाला नहीं है। पिछडे क्षेत्रों में आर.पी.डी.एस. का क्या हो रहा है। क्या गरीब लोगों को राशन मिल रहा है? यह वास्तव में हो रहा है। महोदय, आपको मालूम होगा कि वायनाड में कितने लोगो की मृत्यु हुई है। क्या गरीब लोगो को आर.पी.डी.एस. का लाभ मिल रहा है? इनके पास कार्य नहीं है। गोदामों में चावल भरा हुआ है। क्या आप कुछ चावलों की आपूर्ति करने जा रहे हैं ताकि आदिवासी क्षेत्रों में रोजगार हेतु कुछ खाद्यान्न दिये जा सके। अन्यथा, वह यह सब खरीद नहीं पायेंगे, देश की आर्थिक स्थिति को स्थिर बनाने के लिये मूल्य कम

करने चाहिए। आवश्यक वस्तुएं 14 हैं। इसकी लागत कुछ भी हो इसको खुदरा राशन की दुकानों से वितरित किया जाना चाहिए। काम के बदले अनाज कार्यक्रम को पुन: चालू किया जाना चाहिए। आप बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की सहायता करने की अपनी नीति को समाप्त करिये, हमको मालूम है क्या हो रहा है? हमको जानकारी है। माननीय संचार मंत्री जी ने क्या किया है? मेरे पास कहने के लिए काफी कुछ है।

**सभापति महोदय:** मै आपको स्मरण कराना चाहता हूँ कि चर्चा आर्थिक स्थिति पर हो रही है। कृपया इन मुददों को मत उठाएं।

**श्रीमती सुशीला गोपालन:** यह सब आर्थिक स्थिति का अंग ही है। हम लोगों की पीड़ा जानते हैं। आर्थिक नीति क्या है? यह मानव जीवन की गाथा का ही अंग है। जब तक लोगों के जीवन में बदलाव नहीं आता है आपकी आर्थिक नीति सफल नहीं होगी। लोग विद्रोह करेंगे और आपको सत्ता से बाहर कर देंगे। स्थिति ऐसी ही है। आपको स्थिति समझकर अपने कार्यक्रमों को बदलना चाहिए। कोई अन्य विकल्प नहीं है। लोगों को फुसलाया जा रहा है। प्रधान मंत्री जी को मालूम है कि बच्चो को दोपहर का भोजन नहीं मिल रहा है। अपने कार्यकाल के अन्त में अब वह दोपहर का भोजन दे रहे हैं। केरल में सत्ता में आने के पश्चात हमने सबसे पहले बच्चों को दोपहर के भोजन का प्रबंध किया है।..(व्यवधान)

**श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (कन्नानोर):** मैं सच्चाई व्यक्त करना चाहता हूँ।यह आपकी सरकार ने नहीं किया था।यह हमारी सरकार ने किया था।...(व्यवधान)

**श्रीमती सुशीला गोपालन:** यह हमने किया था। हो सकता है आपने समाप्त कर दिया हो। श्री नायनार ने सत्ता में आने के पश्चात ऐसा किया था..(व्यवधान)

**श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन:** यह पूर्व में किया गया था।... (व्यवधान)

**श्रीमती सुशीला गोपालन:** आपने समाप्त किया और हमने आरम्भ किया था। जब एल.डी.एफ. की सरकार बनी थी। हमने आरम्भ किया था। अब माननीय प्रधान मंत्री महसूस करते हैं कि लोगों को कुछ चावल मिलना चाहिए।

**सभापति महोदय:** यह अच्छी चरमावस्था है। अब समाप्त करिये।

**श्रीमती सुशीला गोपालन:** अब मैं अन्य कार्यक्रमों के बारे में बोलती हूँ। सरकार 65 वर्ष की आयु से अधिक लोगों को वृद्धावस्था पेंशन दे रही है। मै जानना चाहती हूँ कि क्या इसका लाभ लोगों तक पहुंचेगा? आपका कोई भी कार्यक्रम देश के लोगों तक नहीं पहुंच रहा है। बिचोलियों को लाभ मिल रहा है और गरीब व्यक्ति गरीब ही रहते हैं। सरकार को इस रवैये को बदलना चाहिए। इन सभी कार्यक्रमों को पंचायती राज संस्थाओं के द्वारा लागू करना चाहिए। उनको इनका चयन करना चाहिए। डी.आर.डी.ए. पंचायती राज संस्था के अंतर्गत नहीं है। इस नीति को बदलना चाहिए। अगर सरकार चाहती है कि इनका लाभ गरीबों को मिले तो इन सबको पंचायती राज संस्था द्वारा करवाना चाहिए। बहरहाल, आपकी नीति ने देश को नष्ट कर दिया है। इस विषय पर सत्ता पक्ष से बातचीत करने का कोई लाभ नहीं होने वाला है। मैं आशा करती हूँ कि आगामी चुनावों में देशवासी आपको सत्ता से दूर कर देंगे। सिर्फ इसी से देश की समस्या का समाधान होगा।

**सभापति महोदय:** सुशीला जी बहुत-बहुत धन्यवाद। मै अन्य लोगों के नाम पुकारने के पूर्व याद दिलाना चाहता हूँ कि सिर्फ 50 मिनट शेष हैं और श्री निर्मल कांति चटर्जी सहित 8 अन्य सदस्य भी बोलना चाहते हैं।

**श्री अनादि चरण दास** (जाजपुर): अध्यक्ष जी, आज आर्थिक सवाल पर जो चर्चा हो रही है, मैं इस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ , लेकिन एक बात मुझे याद है, 18 साल पहले मैने अपने घर के सामने जब हम बैठे हुए थे, तो एक गांव का आदमी विहीकल पर चढ कर आ रहा था, तो उससे पूछा कि हाट में कौन सी चीज का भाव कम है?

उन्होंने बोला रुपये पैसे का मूल्य कम होता जा रहा है। जो गरीब, अनपढ लोग हैं, वे भी समझते हैं कि रुपये का मूल्य गिरता जा रहा है। बचपन में जब हम होस्टल में थे तो तीन रुपये लेकर चलते थे लेकिन आज एक हजार रुपये में भी कुछ नहीं होता। इससे पता लगता है कि रुपये का मूल्य कितना गिरा है। इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि जो लोग हमारे देश में स्टैटिस्टिकल सर्वे करते हैं, उनका सर्वे गलत है। हम उनके सर्वेक्षण के मुताबिक प्लान बनाते हैं और सरकार को नोट छापने की इजाजत देते हैं। हमें स्टेटिस्टिक्स को देखना चाहिए।

मैंने इसी सदन में एक बात कही थी कि :

[हिन्दी]

[अनुवाद]

कि आरम्भ से मार्च तक आई.आर.डी.पी. की विभिन्न योजनाओं के तहत 68000 करोड रूपए खर्च किये जा चुके हैं। यह रिकार्ड है। आपने बैंकों सबसिडी दी, स्टेट सैक्टर को मिलाकर वह 68000 करोड़ है। ऐस्टीमेंट कमेंटी दौरे पर गई थी, जिसका मैं भी मेम्बर हूँ। कमेंटी के सदस्यों ने देखा कि 56 प्रतिशत परिवार पावर्टी लाईन के नीचे हैं। आंध्र प्रदेश में भी हमने सर्वे करके इस चीज को देखा। हम गांव में रहते हैं, हमको पता है कि क्या होता है। आंकड़ों के हिसाब से तो सब ठीक दिखाई देता है लेकिन हकीकत में कुछ और ही होता है।. ....(व्यवधान) वैस्ट बंगाल में भी यही हालत है। किसी भी ब्लाक या गांव में दिखा सकते हैं। मैंने प्लानिंग कमिशन से सवाल पूछा था कि कोई भी दस व्यक्ति हमें दिखा दो जो पावर्टी लाइन से ऊपर जीवन व्यतीत कर रहे हो। उन्होंने जवाब दिया कि सर्वे नहीं हुआ है इसलिए

अभी नहीं बता पाएंगे। यदि किसी व्यक्ति को ग्रुप 'डी' में नौकरी मिल जाती है तो आप देखेंगे कि एक दो साल में ही उसके रहन-सहन में परिवर्तन हो जाता है। वह साइकिल खारीद लेता है, अपने घर में सीमेंट करवा लेता है। लेकिन आपके इतना रूपया खर्च करते हुए भी गांव के गरीब लोगों का सुधार नहीं हो पाता है। यह सब आपके गलत सर्वे का ही नतीजा है। आज भी आपने क्या किया है, बताइये। 6 हजार सबसिडी, 6 हजार लोन। एक लाख रुपये की पी.एम. रोजगार योजना थीं। वह रूपया किसको देते हैं? बैंक वाले कहते है कि उनके पास रूपया नहीं है। थोडे दिन पहले हमने पढ़ा था कि काल मनी नहीं थीं, इसलिए एक बैंक ने दूसरे बैंक से इनटरस्ट पर रूपया लेकर डे टू डे पेमेंट का अरेजमेंट किया।

और अभी रिजर्व बैंक ने 2000 करोड रुपये से अधिक सब बैंको को काल मनी के तौर पर लोन दिया है तो यह सब हालत क्यों है? इस वजह से है, क्योंकि हमारे यहां के ब्यूरोक्रेटस ऐसे हैं, जो गांवों में रहते नहीं, दूसरे लोगो को देखते नहीं कि हमारे गांव में ज्यादा पैसा खर्चा हो रहा है या नहीं। एक ब्लाक में एक करोड से ज्यादा रूपया खर्च होता है, हर गांव में एक टीचर है, मनी सर्कुलेशन गांव के अन्दर बहुत होता है, लेकिन यह मनी गांव में नहीं रहता है, यह सीधे शहर में आ जाता है और यहां बिल्डिंग पर बिल्डिंग बन रही है, क्योंकि उस पर सीलिंग आपने नहीं लगाई, बंटवारे की व्यवस्था नहीं की, जो इन्दिरा गांधी जी ने बोला था। जिस वजह से हम लगातार फिफ्थ टर्म में पार्लियामेंट में अब तक हैं, इन्दिरा गांधी ने क्या बोला था? यही बोला था कि :

[अनुवाद]

देश में सभी को समान अवसर मिलने चाहिए।

[हिन्दी]

आज कोई बड़ा हो जाता है, कोई छोटा हो जाता है। लैण्ड रिफार्म्स के बारे में क्या हुआ है, हम उनकी तारीफ करते है, हमने खुद इन लोगों का लैण्ड रिफार्म देखा है। इन्होने हमारे देश में सब को दिखा दिया कि लैण्ड रिफार्म से गरीब लोगों की थोड़ी सी अच्छी हालत होती चली जाती है।

**श्री दाऊ दयाल जोशी** (कोटा): फिर पार्टी छोड़कर उधर क्यों चले गये ? यह सही बोलते हैं, सही आदमी है। ..(व्यवधान)

[अनुवाद]

**सभापति महोदय:** कृपया व्यवधान मत डालिए। आपको भी मौका मिलेगा।

**श्री अनादि चरण दास:** कृपया व्यवधान मत डालिए। कृपया सावधानी पूर्वक व्यवहार कीजिए।

[हिन्दी]

अभी हम इसमें ज्यादा नहीं जानना चाहते हैं। हम दो चार बातें कहना चाहते हैं।

आज आपने एक प्रश्न के जवाब में यह बताया कि :

[अनुवाद]

1994-95 के सर्वेक्षण के अनुसार पिछले कुछ वर्षों के दौरान कृषि में पूंजी निवेश में लगातार गिरावट हो रही है और इसको बदलना चाहिए। मैं दोहराता हूँ कि इसे बदलना चाहिए। वर्ष 1980-81 की कीमतों के आधार पर कृषि और संबंद्ध कार्यों में सकल पूंजी निर्माण 1980-81 में 4864 करोड रुपये था और 1989-90 में बढ़ कर 4792 करोड रुपये हो गया। आपने यह भी बताया था कि अनुमानों के अनुसार 1993-94 में यह बढ़ कर 5228 करोड़ रुपये हो गया। वर्ष 1992-93 में उद्योग में कुल पूंजी निवेश 46053 करोड़ रुपये था और कृषि तथा संबद्ध कार्यों में 4908 करोड रुपये था। वर्ष 1993-94 में औद्योगिक क्षेत्र में पूंजी निवेश 47942 करोड रूपए था जबकि कृषि क्षेत्र में यह 5228 करोड रूपए था।

[हिन्दी]

टोटल इन्वेस्टमेंट आपने जैसे इण्डस्ट्री में कितना किया? इण्डस्ट्री में 1992-93 में 46853 करोड रुपये किया और एग्रीकल्चर एण्ड एलाइड एक्टीविटीज में 4908 करोड किया। इसी तरह 1992-93 में 645 करोड इन्वेस्टमेंट किया और एग्रीकल्चर सैक्टर में 5120 करोड इन्वेस्टमेंट किया, जो 10.31 परसेण्ट होता है। यह एस्टीमेंट के मुताबिक आपने इण्डस्ट्रियल सैक्टर में 47942 करोड इन्वेस्ट किया और एग्रीकल्चर सैक्टर में 5228 करोड रूपया, यानि 10.90 परसेण्ट आपने इन्वेस्टमेंट किया। आज कहिये, एग्रीकल्चर सैक्टर में कितने आदमी काम कर रहे हैं, इन लोगो की हालत क्या है? उनके लिए क्या सिक्योरिटी आपने दे रखी है? कम से कम सालाना 300 दिन तो आप उनको काम दें। आपने क्या प्लानिंग बनाई, कैसे प्लानिंग की है? हमने अब तक कई बार बोला है, आप जाकर देखिये न, हमारे एरिये में कम से कम आई आर डी पी में जो मिलियन वैल स्कीम चलती है, उसमें जनता सरकार 90 परसेण्ट पैसा खा गई। सच, 90 परसेण्ट, अभी-अभी जो बीजू बाबू की जनता सरकार थीं, 90 परसेण्ट पैसा खा गई। मैं लिखते-लिखते थक गया, लेकिन कोई जाता नहीं, कोई देखता नहीं, उस पर अभी तक खर्चा नही होता है। अब खर्च होता है, क्योंकि पैसा गया। करोड़ों रूपया हर ब्लाक में अभी जमा हुआ है।

3.00 म.प.

कोई पैसा खर्च नही होता है। ये लोग पैसा खर्च नहीं करते हैं कहते हैं कि कलेक्टर नहीं है, डी आर डी ए का चेयरमेंन नहीं है, अधिकारी नहीं है। इसके लिए एक वातावरण बनाने की जरूरत है और मुझे उम्मीद है कि वातावरण जरूर बनेगा और पैसा खर्च होगा। हम मंत्री जी से अनुरोध करते है कि आप अपने आदमियो को वहां भेजें। कहा जाता है कि जगह-जगह पानी की व्यवस्था कर दी गई है। पिछले चुनाव में मेरा लड़का खडा हुआ था। मैं भी तब घूमा था और मेरी

आंखें खुल गई यह देखकर कि स्थिति बिल्कुल विपरीत है। लोग हमसे कहते थे कि किसी की भी जमीन हो आप पानी दे दीजिये, इससे काम तो मिलेगा। कई जगह पर मिलियन वैल बन सकते हैं। ट्राइबल एरिया में तो बनाने ही चाहिए। इसके बारे में कहा जाता है कि हमने यह कर दिया है, इतना टार्गेट था और अधिकारियों ने फुलफिल कर दिया है। लेकिन वास्तविकता में कहीं कोई कुआं नही खुदा। गांवों में ज्यादातर लोग कृषि पर निर्भर करते हैं। वहां भी अनुसूचित जाति और जनजाति के 95 प्रतिशत लोग गरीब हैं।

[अनुवाद]

वे दैनिक मजदूर हैं। वे कुछ काम चाहते हैं। आप यह किस प्रकार कह रहे हैं कि रोजगार बढ़ा है?

[हिन्दी]

सिंचाई के लिए पानी नही है, बिजली नही है। बोरिंग के साधन नही हैं, लोगों के पास थोड़ी सी जमीन होती है। ऐसी स्थिति में वे क्या करेंगे।

हमारी एक महिला समृद्धि योजना है। हमने उसकी काफी तारीफ सुनी है। एक ब्लाक में 40 हजार परिवार होते हैं लेकिन आप देखें तो काई फायदा नहीं हुआ है। कहा जाता है कि इतना पैसा लगा दिया। वहां पर लोग 100 रूपया भी 10 प्रतिशत पर लेते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा, कैसे हम विकास करेंगे। आपने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया लेकिन पब्लिक इंवेस्टमेंट बढ़ती जा रही है। उसका कोई ठिकाना नही है। फिर बैंकों को बंद कर देना चाहिए। अभी बताया गया कि 40000 करोड़ रूपया बोगस खाते में है, किसी ने 90000 करोड रुपये की बात कही। यह 40000 करोड रूपया आपका आना नही है। फिर कैसे देश को चलायेंगे और कैसे गरीबों तक सुविधायें पहुचायेंगे। इसलिए जो आप आंकड़े देते हैं, उनमें जो गलतियां होती हैं। उनको सही करें। लोग हमारी बात नहीं सुनते हैं आप भी नही सुनते हैं। मैने कहा था कि चार हजार रूपया जमा कर दो, छः हजार रूपया आप देते हैं। आई. आर. डी. पी. में 16 साल में यह एक लाख रूपया हो जायेगा। मेरा लड़का बडा होगा तो वह मुझे सम्भालेगा। मेरा पैसा बढ़ेगा और मै चाहूं तो उसका इस्तेमाल कर सकता हूं, नही तो ब्याज ही लेकर काम चला सकता हूं, ऐसी योजनायें आपको बनानी चाहिए। लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं।

अभी हमारी एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में यह है कि हमारे आदिवासी एरिया में जितनी वेस्ट लेण्ड है, अभी बड़े-बड़े साहूकार को दे रहे हैं। ये लोग अभी पेड़ लगायेंगे क्योंकि एक हेक्टेयर के अंदर हमने हिसाब दिखाया है कि पांच साल के बीच में ढाई लाख रूपया आ जाता है। इतना प्रोफिटेबल काम आदिवासी को देंगे तो फिर वो लोग भी बड़े हो जायेंगे, फिर आपको कौन पूछेगा ? हम लोग आपको चावल, तेल तथा दाल खिलाते हैं, कपड़ा देते हैं, क्या हम लोग पेड़ नही लगा सकते ? लेकिन अभी यह सुझाव आया है कि अभी 14 तारीख को चर्चा होने वाली है लेकिन यह सुझाव देने वाले कैसे आदमी थे, मेरे को पता नही है, वो गांव को नही देखते। मै आपको यह बताता हूं कि अभी एक वक्त आता है कि अनएम्प्लायमेंट बढ़ता ज्ञाता है। अगर उनके लिए खास सुविधायें यह देश नही देगा तो इस देश में एक बड़ा झंझट शुरू होने वाला है, मारामारी शुरू होने वाली है और जिसकी दुर्गति भी हम लोग देखेंगे। हम लोग, जिनकी उम्र ज्यादा हो गई है, हमारा पत्ता तो पक गया, किसी भी वक्त गिर जायेंगे लेकिन आने वाले यही बोलेंगे कि हम लोग ऐसा करके गये कि आज तक हम रास्ते में आपस में गिरते हैं। उसके लिए आप सारा कार्य ऐसे संभालिये कि गरीब लोगों की बात पहले देखिये कि उनके पास कुछ पैसा हो, उनके पैसे का कैसे इन्वेस्टमेंट हो ताकि उनकी हालत अच्छी हो सके, उनकी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़े, उनके बाल-बच्चों को खाना मिले, उनको पढ़ने के लिए किताब मिले और पहनने के लिए कपड़ा मिले और रहने के लिए आवास भी मिले। हमारी सरकार अगर इतना नहीं कर पायेगी और अगर ऐसा कहते-कहते हमारा समय चला जायेगा तो फिर यह कब होने वाला है?

आज मै मन से दुःख के साथ बताता हूं कि जिस तरह से यह सब हो रहा है, वह मेरे का अच्छा नही लगता। उस पर और चर्चा करिये और हम लोगो को कान्फीडेंस में लीजिये। करने से पहले थोड़ा सा गरीब लोगों से पूछिये। इतना कहते हुए मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

**सभापति महोदयः** दास जी, धन्यवाद।

मैं एक बार फिर माननीय सदस्यगण को याद दिलाना चाहता हूं कि इस चर्चा के लिए हमारे पास केवल 30 मिनट रह गये हैं।

**सभापति महोदयः** मै जानता हूं कि यह एक महत्वपूर्ण विषय है।

[हिन्दी]

**श्री मोहन सिंह** (देवरिया): कम से कम बुलवाइये और सब का नाम पुकारा जाये। यह एक महत्वपूर्ण विषय है। लोग अपनी बात कहना चाहते हैं और सब की भावनाओं को ध्यान रखते में हुए समय बढ़ा दीजिये। लेकिन लोगों के भाषण पर पाबन्दी भी लगाई जाये।

[अनुवाद]

**सभापति महोदयः** मोहन सिंह जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। लेकिन इन सब बातों का निर्णय नेताओं की बैठक में होता है। हमने इसका फैसला कर लिया है। बहुत से महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए लंबित है। कृपया इस बात को समझ लीजिये और मैंने जो कुछ कहा है, उस पर अब कोई चर्चा नही होगी। हमने यह चर्चा एक बज कर सैंतीस मिनट पर शुरू की थीं। आर्थिक नीति के अंतर्गत किसी भी विषय पर चर्चा की जा सकती है। पीठासीन अधिकारी किसी सदस्य पर कोई प्रतिबंध लगाने का प्रयास नहीं कर रहा है। लेकिन नीति के

बजाय, अन्य बहुत सी बातों जैसे विभिन्न योजनाओं पर चर्चा की जा रही है और हम इस पर बिल्कुल नियंत्रण नही कर पा रहे हैं। बहुत से माननीय सदस्य विभिन्न योजनाओं को विस्तार से बता रहे हैं। अत: कृपया अपने आपको विषय तक सीमित रखिये और समय सीमा का ध्यान रखिये। अब श्री मोहन सिंह बोल सकते हैं।

[हिन्दी]

**श्री मोहन सिंह** (देवरिया): धन्यवाद। सभापति महोदय, मैं आपकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए बहुत ही सीमित भाषण करना चाहता हूँ क्योकि हमारे देश की गरीबी, हमारे देश की बेरोजगारी, बढ़ते हुए दामों में वृद्धि, हमारे देश पर बाहर का कर्ज इत्यादि इतना लम्बा विषय है कि इसके लिए बहुत समय चाहिए। लेकिन मै बहुत ही सीमित और संक्षेप में अपनी बात कहना चाहता हूँ। जितना ऊपर से दिखलाई पडता है, पिछले चार-पांच वर्षों में हमारी देश की आर्थिक हालत में काफी सुधार हुआ है। मै ऐसा समझता हूँ कि जो धरातल की वास्तविकता है, वित्त मंत्री जी का यह दावा उसके विपरीत जाता है। हमारे देश में जिस रफ्तार से आबादी बढ रही है, हम आज की तारीख में लेटिन आफ अमरीका के देशों से दुगुनी आबादी वाले देश हो गये हैं। हम अकेले ही सम्पूर्ण अफ्रीका के देशों का मिलाकर डेढ़ गुना आबादी के हो गये हैं।

हर साल एक श्रीलंका और आस्ट्रेलिया हम पैदा कर रहे हैं। जब हमारी 21 वीं शताब्दी आएगी, उस दिन हम एक अरब से अधिक हो जायेंगे। क्या वित्त मंत्री जी और भारत सरकार इस 21 वीं सदी के हर आदमी के भोजन के इन्तजाम की तैयारी कर रही है ? क्या 21वीं शताब्दी की पहली तारीख को जब इस देश में करीब 10 करोड से अधिक पढ़े-लिखे बेरोजगार हो जायेंगे, उनको रोजगार मुहैया कराने की कोई तैयारी कर रही है? जब इस कसौटी पर हम इसको तोलते हैं तो मैं ऐसा समझता हूँ कि हमको निराशा हाथ लगती है।

दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे देश में सबसे अधिक खाद्यान्न की आवश्यकता है। इसलिए भी खाद्यान्न की आवश्यकता है कि हमारी आबादी बढ रही है, लोगो को खिलाना है। खाद्यान्न की आवश्यकता है। इसलिए सबसे अधिक लोगों को रोजगार मुहैया कराने के अवसर कृषि के क्षेत्र में ही है। लेकिन मुझको यह कहते हुए अफसोस हो रहा है कि कृषि के क्षेत्र में जो निवेश है, उसमें निरन्तर कमी हो रही है और उसकी कीमतें लगातार बढ रही है। वित्त मंत्री जी ने तीन साल पहले इस बात को कहा था कि यदि खाद के दाम बढ़ रहे हैं, बिजली की दरों में वृद्धि हो रही है और पानी चलाने के रेट में वृद्धि हो रही है, तो किसान को उसके उत्पाद की कीमतों में वृद्धि करके उसको कम्पेन्सेट करेंगे। एक आश्वासन भारत सरकार के वित्त मंत्री जी की ओर से इसी संसद में मिला था। लेकिन आज स्थिति क्या है? रोज गन्ने की कीमतें बढ रही हैं, लेकिन गन्ना मिल नही रहा है। आज की तारीख में, उत्तर प्रदेश में पानी के चलाने के रेट में वृद्धि हो रही है, तो किसान को उसके उत्पाद की कीमतों में वृद्धि करके उसकी कम्पेन्सेट करेंगे। एक आश्वासन भारत सरकार के वित्त मंत्री जी की ओर से इसी संसद में मिला था। लेकिन आज स्थिति क्या है? रोज गन्ने की कीमतें बढ रही हैं, लेकिन गन्ना मिल नही रहा है। आज की तारीख में मैं उत्तर प्रदेश के बारे में जानता हूँ, करीब 150 करोड रूपया काश्तकारों का उत्तर प्रदेश सरकार पर और खास कर जो केन्द्रीय सरकार की चार मिले हैं, उन पर 30 करोड़ रूपया अकेले बकाया है। कहा जा रहा है कि देने की स्थिति में नही है। जहां तक उर्वरक की बात है, जो सरकारी क्षेत्र में उर्वरक हैं; उसकी कीमतों पर तो नियंत्रण है। सरकार कहती है और अभी तीन दिन पहले वित्त मंत्री जी ने भी स्वीकार किया है कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में सब्सिडी को खत्म करना असंभव बात है, नही कर पायेंगे। जब आप इसको खत्म नही कर पायेंगे, तो जो कृषि में निवेश है, वह दो तरह का उर्वरक है। एक उर्वरक के दाम तो आसमान छू रहे हैं और दूसरी तरह का जो उर्वरक है, उसके ऊपर सरकार का नियन्त्रण है। नतीजा क्या है? नतीजा यह है कि किसान उस असीमित दाम को न देकर जो नियन्त्रित यूरिया है, उसका भारी मात्र में इस्तेमाल कर के कृषि को बर्बाद करने की स्थिति में है। दूसरी चीज जो हमारे कृषि के क्षेत्र में है, वह यह है कि आपने इसको निर्यातोन्मुखी बनाया है। निर्यातोन्मखी होने का सीधा दुष्परिणाम हमारे देश पर यह होने वाला है कि खाद्यान्न की कमी होगी। पिछले तीन वर्षों में सारी कोशिशें करने के बावजूद भी हमारे देश में खाद्यान्न 168 मिलियन टन से बढ कर 185 मिलियन टन हुआ है। लेकिन मेरा कहना यह है कि आने वाले तीन-चार वर्षों में जो खाद्यान्न का दायरा है, जो सीमा है, धीरे-धीरे वह कम होगा, क्योंकि किसान उन्मुख हो रहा है उन चीजों के लिए जिनका निर्यात अभी हो रहा है। फलोरीकल्चर, फ्रटीकल्चर बड़ी तेजी से हमारे देश में बढ रहा है, क्योंकि उसकी बाहर मांग है और किसान को अच्छी पूंजी और पैसा मिलने की संभावना है। नतीजा यह है कि आज की तारीख में साल भर में खाद्य तेलों पर होने वाले नुकसान की 60 करोड़ रूपए की भरपाई की गई है। हमारे देश में खाद्य तेलों की कमी है, क्योंकि उसका दायरा घट रहा है। हमारे देश में तिलहन की कमी है और दलहन की भी कमी है, क्योकि उसका दायरा घट रहा है। हमारे देश का दलहन बाहर गया और हमारे देश के आम आदमी को 30 रूपए किलो भी अरहर और मसूर की दाल खाने के लिए बाजार में नही मिली। एक समय था, जब दो-तीन महीने में 30 रुपए किलो दाल के दाम पहुंच गए थे। इस बारे में वित्त मंत्री जी और आपूर्ति मंत्री जी से अनेक सवाल इस सदन में पूछने पडे। भारत सरकार कहती है कि दुनिया में हम सबसे अधिक आज की तारीख में चीनी पैदा कर रहे हैं। इस के बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ कि दुविधापूर्ण स्थिति है। एक वर्ष, दो वर्ष और तीन वर्ष, तीसरा वर्ष ऐसा आता है, जब चीनी हमारे देश में बहुत ही कम होती है और दाम आसमान छूने लगते हैं।

हमारे देश में हल्ला होता है और सरकार उसे बाहर से ओ.जी.एल. के अंतर्गत चीनी मंगा कर चीनी की आपूर्ति करनी पडती है। इसलिए कृषि में जो असन्तुलन है, एक साल वृद्धि और दूसरे साल कमी, इसके पीछे कारण यही है कि कृषि की समन्वित नीति नहीं है। उसमें उगने वाला जो इनपुट है और उससे जो उत्पादित माल है, इन दोनों के दामों में समन्वय करने की कोई नीति भारत सरकार नहीं बनाती है। इसका नतीजा है कि जिस चीज में किसान को मुनाफा दिखाई पडता है उस चीज का उस साल उत्पादन बढ जाता है। लेकिन अगले साल उसके उत्पादन में कमी आ जाती है। इसके बारे में भारत सरकार को गंभीरतापूर्वक सोचने की जरूरत है।

तीसरा क्षेत्र हमारे देश में लघु उद्योग का है। हमारे देश में जो संगठित क्षेत्र है उसमें 50 फीसदी रोजगार लघु उद्योग के क्षेत्र में लोगों को मिला हुआ है, लेकिन पूंजी संपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र में लगी है। केवल 7 प्रतिशत लघु उद्योगों के क्षेत्र में लगी हुई है, लेकिन आज उनकी स्थिति क्या हैं, इस देश से बाहर हम जितना भी सामान दुनिया को भेजते हैं उसमें से 37 फीसदी हिस्सा लघु उद्योगों का है, लेकिन भारत सरकार की नीति ऐसी हो गई कि सारी चीजों को उदार बना दिया। उन छोटे उद्योगों को भी हमने प्रतियोगिता के क्षेत्र में दौड़ा दिया। दुनिया के अति उन्नतशील उद्योग के सामने और भारत के भारी उद्योगों के सामने नतीजा क्या हो रहा है कि हमारे देश के जो छोटे उद्योग हैं वे लगातार बीमार हो रहे हैं। उनमें जो उत्पादन की क्षमता है उसका क्षय हो रहा है। महोदय, मैं उन आंकड़ों में नही जाना चाहता। भारत सरकार का जो सर्वेक्षण है उसके अनुसार सबसे अधिक बडी तेजी से हमारे देश की जो लघु क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयां है वे बीमार हो रही है। इसलिए लघु औद्योगिक क्षेत्र में खादी ग्रामोद्योग के बारे में भारत सरकार को विशेष ध्यान देने की जरूरत है, यह सुझाव मैं देना चाहता हूं।

महोदय, इसी के साथ-साथ में यह कहना चाहता हूं कि सबसे बुरी हालत हैंडलूम की आज की तारीख में है। सूत मंहगा हुआ। पिछले 3 वर्षों में सूत के दाम 300 परसैट बढे हैं। नतीजा क्या है कि गांव का जो बुनकर है जिसकी सारी जिन्दगी सूत पर आधारित है वह आज भुखमरी के कगार पर है। भारत सरकार ने नीति बना ली कि सूत के ऊपर जो मिलने वाली सब्सिडी है, उसको हम खत्म करेंगे। इस तरह जो कुटीर और हाथ के उद्योग हैं उसमें सबसे अधिक निर्यात के जरिये विदेशी मुद्रा को कमाने की क्षमता है, उसको हम अपनी नीति के चलते धीरे-धीरे बर्बाद कर रहे हैं। इस ओर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उसी के साथ-साथ में चाहता हूं कि हमारे देश की सरकार.

...(व्यवधान)

**श्री उमराव सिंह** (जालन्धर) : बहुत अच्छी है।

**श्री मोहनसिंह** : आपकी नजर में हो सकती है। मै आज उसकी बुराई करने के लिए नही खडा हुआ हूं। आज जो स्थिति है, उसकी समीक्षा करने के लिए खडा हुआ हूं। वित्त मंत्री ने बार-बार इस सदन में और सदन के बाहर इस बात को कहा कि हम जिन चीजों के ऊपर अपने बजट में कर के रूप में छूट दे रहे हैं यदि उसका लाभ उपभेक्ता को नही मिला तो भारत सरकार को इस देश के औद्योगिक घरानों को दी जाने वाली छूट के ऊपर विचार करना पड़ेगा। मै दुख के साथ कहना चाहता हूं कि वित्त मंत्री जी की इस चेतावनी का कोई भी असर इस देश के उत्पादकों के ऊपर नही पडा। इसी तरह से किसी भी चीज की जो औद्योगिक उत्पादित वस्तुयें हैं उनके दामों के बारे में साल भर में चार-चार बार वृद्धि होती है। कभी वित्त मंत्री जी ने इस बात की कोशिश की कि हमारे देश में जो कार उत्पादक है, अभी जो छोटे उपभेक्ता है, उनकी ओर मैं नही जाना चाहता, बड़े उपभोक्ताओ की ओर जाना चाहता हूं। मोटर कारों, जीप गाडियों के दाम साल में चार बार बढ़ते हैं। आपके उत्पादन कर में वृद्धि देने के बावजूद भी आप इनसे पूछते हैं कि यह क्या हो रहा है। साइकिल के दाम बढते हैं। हमारे देश में 300 परसेण्ट दाम बढ़े हैं। पिछले 4-5 साल में दवाओं के ऊपर बढ़े हैं। हिन्दुस्तान का गरीब आदमी इन दवाओ के बढते दाम से आज परेशान है। एक हार्ट पेशेंट को डेढ लाख से पोने दो लाख रुपये चाहिए तब किसी तरह उसका इलाज हिन्दुस्तान में होता है और हमारे देश के मंत्री 35 लाख रुपये में वही इलाज लंदन और अमेरिका के अस्पतालों में जाकर कराते हैं। इनको उस गरीब आदमी की उस परेशानी का ध्यान कैसे होगा जो भारत सरकार के खर्चे से विदेश में इलाज कराने जाते हैं। इसी संसद के भीतर हिन्दुस्तान के चिकित्सकों को बधाई दी जाती है कि एक व्यक्ति का हृदय लगा कर दूसरे आदमी के हृदय में प्रत्यारोपित कर दिया और वह आप्रेशन, शल्य क्रिया सफल हुई। इसके लिए संसद उन्हें बधाई देती है। जिस देश के अंदर सर्जरी इतनी उन्नत हो गई हो उस देश के मंत्री अपना मंहगा इलाज कराने के लिए लंदन और अमेरिका के अस्पताल में जाते हैं। दवाओं के बढते हुए दाम से प्रभावित आम आदमी की चिंता किए बगैर उसको मौत के हवाले कर दिया गया है, इससे बडी दुख की बात और क्या हो सकती है। इसलिए दवाओं के दामों की तरफ भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए।

सभापति महोदय, मेरे पास पूरे आंकड़े नहीं है, लेकिन अपनी सीमित जानकारी के आधार पर मैं माननीय वित्त मंत्री जी का ध्यान विदेश व्यापार में बढ़ते हुए अंतर की और दिलाना चाहूंगा। हमारा निर्यात 16 फीसदी बढा है और आयात 20 फीसदी बढा है। यह भारत सरकार द्वारा दिए गए आंकड़े हैं। उत्पाद शुल्क का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था, आधी छःमाही में उससे 1000 करोड रूपए की उगाही हुई है। इसी तरह से सीमा कर की दरों को कम करके 80 फीसदी से घटा कर 65 फीसदी पर रोकने के बावजूद इसमें 3000 करोड की वृद्धि हुई है। इसके परिणाम स्वरूप विदेशी सामान भारी मात्रा में भारतीय बाजारों में आ गया है। भारत सरकार ने कस्टम एक्ट की धारा 123 में परिवर्तन कर दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप स्मगलिंग

गतिविधियां तेजी से बढ़ी हैं। कस्टम डिपार्टमेंट की क्षमता को कम करने का नतीजा यह है कि आज बाजार में विदेशों वस्तुएं खुले आम नजर आती हैं, जो आज 5-10 साल पहले नजर नही आती थी। पिछले दो तीन वर्षों में सारी उपभोक्ता वस्तुएं विदेशों में बनी हुई बाजार में उपलब्ध हैं। इसका नतीजा है कि हमारे देश में इन वस्तुओं के उत्पादन से जो रोजगार उपलब्ध होता है, उद्योग और व्यापार का विकास होता है, देश की नीति के चलते उसमें भारी कमी आई है। इसलिए मेरा वित्त मंत्री जी से निवेदन है कि माडवेट नीति के चलते बेइमानी बढ़ रही है, तस्कर गतिविधियां बढ रही है। आपने कह दिया है कि 10000 डालर का सामान कोई बाहर से लेकर आएगा तो उसके लिए डिक्लेअर करना जरूरी नहीं है। इसके परिणाम स्वरूप कुछ लोगों ने यह धंधा बना लिया है और बाहर से सामान लेकर आते हैं और जिसकी वजह से हमारे देश में निर्मित सामान को घटिया बता कर यहां के उद्योग को खत्म करने की कोशिश की जा रही है।

इसके साथ-साथ क्षेत्रीय विषमता को भी बढावा दिया जा रहा है। नई नीति के अनुसार बाहर के लोग देश में पूंजी निवेश करेंगे, भारत सरकार निवेश नही करेगी। इसका नतीजा हुआ है, आप पिछले 3 वर्ष के आंकड़े उठा कर देख लीजिए, आंकड़े इस बात का सुबूत है कि बिहार जैसे घनी आबादी वाले राज्य में 79 करोड के मेमोरेडम आफ अंडरस्टैडिंग हुए हैं, उत्तर प्रदेश में 810 करोड़ के और महाराष्ट्र तथा गुजरात में क्रमशः 5700 तथा 5400 करोड़ के तथा बंगाल में 5600 करोड़ के ममोरैंडम आफ अंडरस्टैंडिंग हुए है। इस ही तरह से उडीसा, तमिलनाडु, आदि राज्यों के आंकड़ों से यह सिद्ध होता है कि बाहर के पूंजी निवेशक तटीय राज्यों, जहां पर बंदरगाह हैं और आसानी से सामान आ जा सकता है, उनमें पूंजी निवेश कर रहे हैं। घनी आबादी वाले मध्य क्षेत्र के राज्यों में पूंजी निवेश बाहरी कंपनियों द्वारा नही किया जा रहा है। इसका नतीजा होगा कि आने वाले 10 वर्षों में औद्योगिक उत्पादन कुछ राज्यों में तीव्रता से बढेगा तथा कुछ राज्य बेरोजगारी और दरिद्रता के शिकार हो जाएंगे। इस तरह की क्षेत्रीय विषमता को दूर करने के लिए मै वित्त मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जिन राज्यों में विदेशी पूंजी का निवेश नही हो रहा है, वहां पर राष्ट्रीय पूंजी का निवेश किया जाए तथा वहां की औद्योगिक कमी को पूरा करने की कोशिश की जाए।

इसके साथ-साथ भारत की बडी कंपनियां तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में वित्त मंत्री जी ने स्वयं चिंता प्रकट की है कि वे अपने अधिकारियों तथा कर्मचारियों का वेतन बडी तेजी से बढा रही हैं।

और जब उनके वेतन में बेतहाशा वृद्धि होगी तो उसकी नकल में भारत सरकार अपने कर्मचारियों और अधिकारियों का वेतन नही बढा पायेगी। नतीजा यह होगा कि बडे पैमाने पर ब्रेन ड्रेन होगा, इस देश की वास्तविक बुद्धि और कौशल निजी क्षेत्र में और बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में जायेगा और भारत के सार्वजनिक उद्यम और सरकारी क्षेत्र घाटे और कमजोरी की ओर जायेंगे। मैं इस ओर ध्यान दिलाते हुए माननीय वित्त मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि आपने जो यह कहा कि चीजों के दाम बढ़े हैं तो उसके अनुपात में हम मंहगाई भत्ता भी बढ़ाते है लेकिन पे कमीशन की रिपोर्ट अभी तक नही आ पायी है। यह चुनाव वर्ष है। कम से कम उसके पहले ही अपने ही चुनाव की खातिर उस पे कमीशन की रिपोर्ट को लागू कर अमल करें। ऐसा वित्तीय अनुशासन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और निजी क्षेत्र की कम्पनियों में भी होना चाहिए। जो सरकारी क्षेत्र के उद्यम के अधिकारी हैं, उनके मुकाबले उनके चीफ एक्जीक्यूटिव का वेतन इससे अधिक नही होना चाहिए। ऐसा एक कानून बने वरन आपके ऊपर इतना बड़ा बोझा होगा कि आप उस असंतुलन को दूर नही कर पायेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करते हुए आपको धन्यवाद देता हूँ।

[अनुवाद]

**सभापति महोदय:** श्री पी. जी. नारायणन ..

(व्यवधान)

**श्री योगेन्द्र झा** (मधुबनी) : आपका क्या आदेश है?

**सभापति महोदय:** वह दल के नेता है। मै प्रत्येक सदस्य को क्रम से बुला रहा हूँ।

**श्री योगेन्द्र झा:** मै भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बात कर रहा हूँ।

**सभापति महोदय:** मै यह बात जानता हूँ। आपका नाम यहां पर है लेकिन वह भी तो दल के नेता है। उनकी पार्टी से किसी को भी नही बुलाया गया है।

**श्री योगेन्द्र झा:** मै पार्टी का उप नेता हूँ

**सभापति महोदय:** मै यह जानता हूँ।

**श्री पी.जी. नारायनन** (गोबिचेटिटपालयम): श्रीमती सुशीला गोपालन बोल चुकी हैं।

**अनेक माननीय सदस्य:** वह अलग दल की हैं।

**श्री योगेन्द्र झा:** मै वर्तमान की नहीं, भविष्य की बात कर रहा हूँ।

**सभापति महोदय:** पीठासीन अधिकारी प्राथमिकता का सही-सही अर्थ जानते हैं।

कृपया अपनी बारी की प्रतीक्षा कीजिये।

**श्री पी. जी. नारायणन:** भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 1994-95 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में मूल्य स्थिति, मुद्रास्फीति, बढते हुए बजटीय और मौद्रिक घाटे और घाटे का मुद्रीकरण, बढ़ते हुए सरकारी व्यय, व्यापक बाजार ऋणों, बढते हुए आंतरिक ऋण और उसके परिणामस्वरूप ऋण ब्याज के भारी बोझ पर गंभीर चिंता व्यक्त की है।

अत: सरकार को अकल्पनाशील लेखाकार की तरह कार्य कराने के बजाय देश के प्रति अपने व्यापक दायित्व को समझना होगा। नई आर्थिक नीति लागू करते समय, जिसे काफी समर्थन मिल रहा है, इस बात को नही भुलाया जाना चाहिए कि अधिक रोजगार उत्पन्न करना और क्रय शक्ति बढ़ाना अनिवार्य आवश्यकता है ताकि विवेकपूर्ण मूल्य नीति की कठिनाइयों को समाज झेल सके।

आज हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है। सबसे पहली बात यह है कि सरकार के भंडागारों में खाद्यान्नों का पर्याप्त भंडार अर्थात 23 मिलियन टन हैं। इस खाद्यान्न को बाजार में उपलब्ध कराके हम मूल्य वृद्धि को रोक सकते हैं। दूसरे हमारे पास विदेशी मुद्रा का 14 बिलियन डालर का भंडार है जो वर्तमान आयात दर पर लगभग एक वर्ष के आयातों के भुगतान के लिए पर्याप्त होगा। तीसरे महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्ष 1993-94 के दौरान निर्यात 20 प्रतिशत की दर से बढ रहे हैं। स्पष्ट तौर पर ये काफी अच्छे लक्षण हैं। इसके बावजूद भी हमें मौजूदा आर्थिक प्रवृत्तियों का अनुमान लगाते समय बडे विवेकपूर्ण ढ़ंग से काम लेंना चाहिए। ऐसी स्थिति मूल्य प्रवृत्तियों के फलस्वरूप उत्पन्न हुई है।

गत एक वर्ष से आवश्यक वस्तुओं के मूल्य आसमान छू रहे हैं और सरकार स्थिति से निपटने में बुरी तरह असफल रही है। एक तरफ तो मूल्य बढ रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार दावा कर रही है कि मुद्रा स्फीति की दर घटकर 8 प्रतिशत से कम की गई है। टमाटर के दाम 16 रुपये प्रति किलो है, आलू 8 रुपये किलो है। प्याज 10 रुपये किलो है, दूध 12 रुपये किलो है गिजलि तेल 75 रुपये किलो है, उडद की दाल 30 रुपये प्रति किलो है। जहां आवश्यक वस्तुओं के मूल्य बढ रहे हैं, सरकार सप्ताह दर सप्ताह दावा कर रही है कि आम आदमी के प्रयोग की वस्तुओं के मूल्य घट रहे हैं और मुद्रा स्फीति नीचे जा रही है। इस विरोधाभास की जांच की जानी चाहिए क्योकि ऐसा करके सरकार आम आदमी के जीवन के साथ खिलवाड कर रही है।

जहां सरकार कृषक समुदाय के दबाव में आकर खाद्यान्नों के अधि प्राप्ति मूल्य बढाने की घोषणा करती है, वहां, यह उपभोक्ता समुदाय की परवाह नही करती। उपभोक्ताओं में एकता नही है और इसीलिए सरकार उनका ध्यान नहीं रखती। उदाहरण के लिए वित्त मंत्री, डा. मनमोहन सिंह ने आम आदमी के प्रयोग में आने वाली विभिन्न वस्तुओं पर केन्द्रीय उत्पाद कर से रियायत की घोषणा की है। लेकिन निर्माता उसका लाभ उठा रहे हैं और आम आदमी को उस लाभ से वंचित करते हैं। सरकार यह दावा करती है कि उसके पास इस रियायत का दुरूपयोग करने वाले निर्माताओं पर नियंत्रण रखने के लिए कोई मशीनरी नही है। अगर सरकार के पास कोई उपयुक्त मशीनरी नहीं है तो इस प्रकार रियायतों की घोषणा से कोई उद्देश्य हल होने वाला नहीं है। लेकिन सरकार निर्माताओं को खुश रखना चाहती है। अत: आम आदमी को खुश करने के नाम पर यह धनी निर्माताओं को और अधिक धन प्राप्त करने में मदद कर रही है। अत: मैं मांग करता हूँ कि सरकार द्वारा घोषित उत्पाद रियायतों का निर्माताओं द्वारा किस प्रकार दुरूपयोग किया जाता है, इस बात की जांच करने के लिए एक उच्च स्तरीय संसदीय समिति का गठन किया जाना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार उन राज्य सरकारों के लिए समस्या पैदा कर रही है, जो मूल्यों को नियंत्रित करना चाहती हैं। अच्छी मानूसन और बढ़िया फसल के पश्चात भी खुले बाजार में कीमतें बढ़ रही हैं। उदाहरण के लिए तमिलनाडु सरकार को लीजिये। वे सभी राशन कार्डधारियों को 2 रुपये प्रति किलो मूल्य पर चावल प्रदान कर रहे हैं और आंध्र प्रदेश सरकार ने भी इसी का अनुसरण किया है। लेकिन केन्द्रीय सरकार समय-समय पर प्रशासनिक मूल्यों में वृद्धि करके राज्य सरकारों को दंडित कर रही है। केन्द्रीय सरकार उन राज्य सरकारों की सहायता नहीं करती जो समाज के निर्धन वर्ग को सस्ते मूल्य पर चावल प्रदान करना चाहती हैं। अत: यह आवश्यक है कि चावल और गेहूं के मूल्यों में परिवर्तन करने से पहले वह राज्य सरकारों से विचार-विमर्श कर ले।

महोदय, बजट घाटा वर्ष दर बढ़ता जा रहा है। लेकिन सरकार बजट घाटे को नियंत्रित करने के लिए काई उपाय नहीं कर रही है। अगर बजट घाटा बढ़ता है, तो स्वभावत:, इससे मुद्रा स्फीति का बढ़ना निश्चित है। ये सभी सुधार केवल समृद्ध लागों के लिए हैं। बाजार शक्तियों के नाम पर, गरीब लोगों को कुचला जाता है। गरीब लोगों को बाजार के कुप्रभाव का शिकार होना पड़ता है और उनके लिए कोई संरक्षण नहीं है। संपूर्ण आर्थिक सुधार धनाढ्य लोगों के लिए हैं। आप स्वर्ण भंडारों और विदेशी मुद्रा भंडारों की बात कर रहे हैं। अगर आम आदमी की मुश्किलें दिन प्रति दिन बढ़ रही हैं, तो इसका क्या फायदा है? जिस दर से कीमतें आकाश को छू रही हैं, उसका फल आपको आने वाले चुनावों में मिलेगा। कीमतों को नियंत्रित करने के लिए आप कौन से ठोस उपाय करने जा रहे हैं? लोग घटनाक्रम पर निगरानी रखे हुए हैं और चुनावों के दौरान उचित समय पर वे आपको निश्चित रूप से सबक सिखायेंगे।

चुनावों का समय नजदीक आने के साथ-साथ, आर्थिक सुधारों की गति धीमी हो गई है और इनका भविष्य काफी सीमा तक चुनावों के बाद सत्ता में आने वाली राजनीतिक पार्टी के ऊपर निर्भर होगा। अगर वित्त मंत्री महोदय चुनाव-परिणामों का इंतजार करते हैं तो इससे यह धारणा बनेगी कि उनकी पार्टी को यह विश्वास नहीं कि चुनावों के बाद वह सरकार बना पायेगी। अन्यथा, इस बात पर ध्यान दिए बगैर कि लोग कैसे मतदान करते हैं, भविष्य के लिए योजना बनाना उनका कर्तव्य है। आर्थिक सुधार इसलिए जारी रहे क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था को एक नया बल मिला है। साथ ही सुधारों के कार्यान्वयन में जो त्रुटियां हैं उनमें सुधार किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि डा. मनमोहन सिंह इन सब बातों से अवगत नहीं हैं, बल्कि वह जो भी कदम उठाते हैं, उसके राजनीतिक परिणामों का उन्हें ध्यान रखना पड़ेगा। यह बात स्पष्ट है कि आर्थिक सुधार इस देश में सफल रहे हैं लेकिन अंतत: आर्थिक सुधारों की सफलता को लोगों के जीवन स्तर से मापा जाता है। अत: मुख्य प्रश्न यह है कि आर्थिक सुधार और सामाजिक विकास किस प्रकार साथ-साथ चलने चाहिए।

सभापति महोदय: माननीय सदस्यगण हम ऐसी स्थिति में पहुंचने

वाले हैं, जब इस चर्चा के लिए आबंटित समय लगभग समाप्त होने वाला है। केवल दो मिनट रह गये हैं अत: मैं सभा की सम्मति जानना चाहूंगा। अगर सभा सहमत है तो हम इस चर्चा को और आधे घंटे के लिए बढ़ा सकते हैं..(व्यवधान) इससे अधिक नहीं क्योंकि अन्य कार्य भी हैं। चार बजे किसी मंत्री द्वारा कोई वक्तव्य दिया जाना है। अत: हम इससे आगे नहीं जा सकते हैं। अत: सभा की सहमति से मैं सभा का समय 4 बजे तक बढ़ा देता हूं।

**श्री निर्मल कांति चटर्जी:** महोदय, क्या मैं एक निवेदन कर सकता हू? कल माननीय अध्यक्ष महोदय ने हमें आश्वासन दिया था कि चूंकि यह एक महत्वपूर्ण विषय है और इस पर बहुत से सदस्य बोलना चाहते हैं, इसलिए प्रत्येक सदस्य को बोलने की अनुमति दी जायेगी... (व्यवधान)

**सभापति महोदय:** कृपया अपनी बात शीघ्र समाप्त कीजिए।

**श्री निर्मल कांति चटर्जी:** महोदय, इस समय सीमा की बात को एक तरफ रखिए क्योंकि यह माननीय अध्यक्ष महोदय का आश्वासन था और पीठासीन अधिकारी हमारी सहमति से हमेशा ही ऐसा कर सकते हैं। इस पर सारे दिन चर्चा चलने की सहमति थी। ढाई घंटे की समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। आप यह याद कर सकते हैं या देख सकते हैं कि मेरी बात सही है या नहीं।

**सभापति महोदय:** जी नहीं, ऐसा मत करिये। यह निर्णय कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में लिया गया है। हालांकि बहुत से विषय लंबित हैं और इसे प्राथमिकता इसलिए दी गई क्योंकि यह विषय महत्वपूर्ण है। हमने निर्णय किया था कि चर्चा के लिए दो घंटे लिये जायेंगे। लेकिन प्रत्येक दल के प्रत्येक सदस्य अनावश्यक रूप से निर्धारित समय को बढ़ाते गये हैं। अत: अब हम आधा घंटा बढ़ाने के सिवाय अब हम क्या कर सकते हैं। सभी वक्ताओं को निर्धारित समय में बात पूरी करनी चाहिए। अब श्री मुमताज अंसारी बोलेंगे।

**श्री निर्मल कांति चटर्जी:** आपने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों को नहीं बुलाया।

**सभापति महोदय:** दलों की सदस्य संख्या के अनुसार जनता दल को पहले बुलाया जाना चाहिए था। कृपया इस बात को समझने का प्रयास कीजिये कि मुमताज अंसारी पहले उपस्थित नहीं थे। अब छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखा जा रहा है। जी हाँ, बोलिये।

**डा. मुमताज अंसारी (कोडरमा):** माननीय सभापति महोदय, जहां तक कि देश की आर्थिक स्थिति का संबंध है, यह खतरे का संकेत दे रही है और इस देश के आम आदमी के लिए चिन्ता का विषय बनी हुई है। जहां तक आवश्यक वस्तुओं की कीमतों का संबंध है, ये आकाश को छू रही हैं और वित्त मंत्री का यह दावा है कि वे मूल्यों और मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर रहे हैं। लेकिन इस दावे के बावजूद हम यह देखते हैं कि मुद्रास्फीति की दर तेजी से बढ़ रही है। आजकल यह दर 8.5 प्रतिशत है।

इसी प्रकार यह उनके अपने रिकार्ड से उद्धरित किया गया है कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतें थोक बाजार में स्थिर दर पर हैं। लेकिन, महोदय आप जानते हैं कि आम व्यक्ति का संबंध थोक मूल्य तथा थोक बाजार से नहीं होता है। एक आम आदमी को खुदरा मूल्य तथा बाजार की कीमतों से संबंध होता है। इसलिए, जहां कहीं भी हम जाते हैं, हम देखते हैं कि सभी आवश्यक वस्तुओं, खाद्य पदार्थों खाद्य तेलों और अन्य सभी चीजों जो कि समाज के लिए आवश्यक है, की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। इसलिए यह दावा भी बेकार है। इसलिए सरकार तथा वित्त मंत्री की ओर से यह दावा गलत है कि वे मुद्रास्फीति तथा आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित कर रहे हैं।

जिस तरह से वे सूचकांक की संगणना कर रहे हैं वह बहुत हैरान कर देने वाली हैं। वे बार-बार कह रहे हैं कि यह सूचकांक और यह अमुक-अमुक सूचकांक से लिए गए हैं। इससे यह प्रतीत होता है जैसे वर्तमान कीमतें देश के पक्ष में है।

लेकिन मुझे हैरानी है कि यदि हम खुदरा मूल्यों, श्रम और देश में उपलब्ध कीमतों के आधार पर सूचकांक की संगणना करते हैं तो हम देखते हैं कि कीमतें बहुत चौंका देने वाली हैं और वह आम आदमी के लिए बहुत अधिक हैं।

इसी प्रकार से उचित दर की दुकानों में कतिपय आवश्यक वस्तुओं की कमी है। यहां मंत्रियों की ओर से काफी लम्बा दावा किया जा रहा है कि इन सभी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दर की दुकानों के माध्यम से की जा रही है। लेकिन हम देखते हैं कि जहां कहीं भी इन वस्तुओं की आपूर्ति की जा रही है या तो वे बहुत घटिया किस्म की हैं अथवा आम आदमी के खाने लायक नहीं है। इसलिए यह भी एक मुद्दा है जिस पर वित्त मंत्री को गौर करना चाहिए। देश के दूर दराज के इलाकों में अच्छी किस्म की आवश्यक वस्तुएं भेजी जानी चाहिए। लोग केवल शहरों, नगरों और पोश क्षेत्रों में ही नहीं रहते हैं बल्कि अधिक से अधिक जनसंख्या अर्थात् 80 प्रतिशत से अधिक जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही है और वे परेशान हैं। हम शहरों में कमा रहे हैं। पोश क्षेत्रों में लोग काफी समृद्ध हैं। उनकी आय काफी अधिक है और वह उनकी आय के स्रोतों आनुपातिक नहीं है। कहीं हवाला कांड हुआ है। कहीं काफी बडी संख्या में पैसे के लिए अपराध हो रहे हैं। कहीं घोटाले हो रहे हैं जो कि विभिन्न अन्य संवदेनशील स्थानों में घटित हो रहे हैं। आज ही इस बात का उल्लेख किया गया है कि दूरसंचार क्षेत्र में हुआ घोटाला 65000 करोड रुपये का है। हम संसद सदस्य होने के नाते भी इस बात को समझ नही पाए और 65000 करोड की राशि पर सही तरीके से अपने विचार व्यक्त नहीं कर पाए। तो यह वह राशि है जिसमें हमारे देश के माननीय मंत्री भी फंसे हुए हैं। इसलिए, एक आम आदमी के बारे में सोचिए। एक आम आदमी के दु:खों और समस्याओं के बारे में सोचिए। इसलिए कीमतों के बारे में हम काफी चिंतित हैं।

सामान्यत: हम रोजगार के बारे में भी काफी चिन्तित हैं। पंचवर्षीय आठवीं योजना में यह लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि प्रति वर्ष 2.6 प्रतिशत रोजगार में वृद्धि होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन सभी कोशिशों के बावजूद भी उपलब्धि बहुत कम है। जो कुछ भी मध्यावधि मूल्यांकन लगाए गए हैं, उससे योजना आयोग भी परेशान हुआ है। जो कुछ भी रहस्योद्घाटन योजना आयोग द्वारा किए गए हैं, उन रहस्योद्घाटनों से आपका वित्त मंत्रालय भी काफी परेशान है और प्रधान मंत्री भी काफी परेशान हैं और जिन तथ्यों का योजना आयोग द्वारा रहस्योद्घाटन किया गया है, उनको छिपाने की कोशिश की जा रही है। वे उन्हें जनता के समक्ष रखने की स्थिति में नहीं है। योजना आयोग द्वारा जो कुछ भी रहस्योद्घाटन हुए हैं तथा जो कुछ भी तथ्य सामने आएँ हैं वे उन तथ्यों के साथ सभा के समक्ष आने की स्थिति में नहीं है। इसलिए यह भी चिन्ता का विषय है क्योंकि योजना आयोग भी संतुष्ट नही है। वित्त मंत्रालय तथा प्रधान मंत्री के कार्यालय द्वारा योजना आयोग के सदस्यों को अपमानित किया गया है। वे इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इस मध्यावधि मूल्यांकन को सामने न लाया जाए अथवा सभा पटल पर न रखा जाए अथवा संसद सदस्य इसका बचाव न करें। यह चिन्ता का विषय है।

जहां तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का संबंध है वह बिल्कुल नगण्य है। लोग ग्रामीण क्षेत्रों से, बिहार, उत्तरप्रदेश, उडीसा के दूर दराज के इलाकों से तथा विभिन्न अन्य पिछडे राज्यों से पंजाब तथा अन्य राज्यों की ओर जा रहे हैं अथवा अन्य देशों की ओर जा रहे हैं तथा रोजगार की तलाश में देश से बाहर भी जा रहे हैं। यहां तक कि नगरों में भी गरीब लोग रोजगार की तलाश में तथा दो जून की रोटी के लिए सडकों पर मारे-मारे फिर रहे हैं। गरीब लोगों का यही दु:ख है और देश की यही समस्या है। जो मंत्री जिम्मेवार होंगे और जो जिम्मेवार हैं, उन सब को इन मुद्दों पर विचार करना होगा।

जहां तक कि कृषि का संबंध है, बाल श्रमिको की स्थिति भी बहुत दयनीय है और बहुत दु:खपूर्ण है। उन्हें उनका हक नहीं मिल रहा है। उन्हें उनकी मजदूरी नहीं मिल रही है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित किया गया है और अनेक अधिनियम पारित किए गए हैं लेकिन जो कुछ भी आप ससंद में पारित करते हैं, और उसें वास्तविकता में नहीं बदलते हैं और यदि देश में प्रत्येक कोने में उसे सही मायने में लागू नहीं नहीं करते हैं तब तक हमारी समस्याओं का हल नहीं निकलेगा।

इसी तरह से , दोनों के बीच काफी अन्तर है। कुछ राज्यों के प्रति काफी भेदभाव किया जा रहा है। जहां तक कि बिहार का संबंध है- मै बिहार से संबंध रखता हूँ। हमारी अनेक याचिकाएं, अनुरोध तथा योजनाएं केन्द्र सरकार के पास लम्बित हैं। इन योजनाओं को बार-बार अनुरोध किये जाने के बाद भी स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है।

**सभापति महोदय:** कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

**डा. मुमताज अंसारी:** महोदय, मैं बिजली की स्थिति के संबंध में एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ। वह है कोलकारो परियोजना। यह परियोजना यहां संसद में हमारे समक्ष है। बिजली की स्थिति भी हर समय बदलती रहती है।

**सभापति महोदय:** श्री अंसारी, आपका समय समाप्त हो गया है।

**डा. मुमताज अंसारी :** इसलिए दर में भी परिवर्तन होते रहते हैं जैसा कि श्री आचार्यजी ने कहा है। हमारे राज्य में बिजली की स्थिति बहुत चिंताजनक है। हम इस सरकार पर जोर दे रहे हैं कि जो कुछ भी योजनाएं केन्द्र सरकार को भेजी जा रही हैं उन्हें शीघ्रातिशीघ्र स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए। लेकिन हमारे बार-बार अनुरोध करने पर भी एक योजना, जिसका मैं उदाहरण दे रहा हूँ वह 1979 से लम्बित है। केन्द्र सरकार द्वारा केवल 10 करोड़ रूपए स्वीकृत किए गए थे हमने उनके न्यायपूर्ण निर्णय पर आपत्ति नहीं की। हमने उस पर जोर नही दिया। स्वीकृत राशि के बावजूद भी हमारे मुख्य मंत्री हमारी सरकार, और हमारे ऊर्जा मंत्री बातचीत कर रहे हैं। दिल्ली से बिहार, पटना से दिल्ली वापस आ रहे हैं। लेकिन उनको स्वीकृत राशि नहीं मिल रही है। अब तक उन्होंने केवल 5 करोड़ रूपए की राशि के लिए जोर दिया हैं लेकिन यह छोटी सी राशि भी राज्य सरकार को मंजूर नहीं की गई है। इससे भी समस्या उत्पन्न हो रही है क्योंकि इसमें मात्र 710 मेंगावाट बिजली का उत्पादन ही किया जा सकता है। इससे आवश्यकता पूरी हो सकती है। जब तक कि हम बिजली की स्थिति में सुधार नही लाते ये सभी आधारभूत ढांचे प्राप्त करने में हम असमर्थ रहेंगे।

मेरे भाई श्री मोहन सिंह ने ठीक ही कहा है कि कुछ शहरों में जैसे मुम्बई, दिल्ली, देश के कुछ अन्य शहरों और नगरों में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। एक आधारभूत ढांचा है जो कि पिछले अनेक वर्षों से विद्यमान है क्योंकि आपने सभी शहरों में बडे पैमाने पर निवेश किया है। इसलिए हम कह सकते हैं कि आधारभूत ढांचा विद्यमान है। इस कारण लोग विदेशों से आ रहे हैं। अप्रवासी भारतीय भी अन्य सामाजिक क्षेत्रों में निवेश करने के लिए आगे आ रहे है। क्योंकि काफी लम्बे समय से, पिछले अनेक वर्षों से वहां आधारभूत ढांचा विद्यमान है। लेकिन जहां तक कि बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा का संबंध है, आपने किसी सम्पत्ति, आधारभूत ढांचे का सृजन नहीं किया है। आपने वहां किसी प्रकार की भी सुविधा उपलब्ध नहीं कराई है। आपने निवेश में प्रोत्साहन हेतु भी कोई वातावरण उत्पन्न नहीं किया है और यही कारण है कि विदेशी निवेश नहीं किया जा रहा है। आप कहते हैं कि बिहार, उत्तर प्रदेश तथा उड़ीसा राज्य रूचि नहीं ले रहे है। आप कहते हैं कि यह सभी पिछड़े राज्य पिछड़े हुए हैं क्योंकि वे पिछड़े रहना चाहते हैं। यह वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता यह है कि हम प्रगति करना चाहते हैं।

**सभापति महोदय:** हम आर्थिक स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं। कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

**डा. मुमताज अंसारी:** हम प्रगति करना चाहते हैं। यह वास्तविकता है कि हम विकास करना चाहते है। यह वास्तविकता है कि हम बड़े पैमाने पर निवेश करना चाहते है। लेकिन चूंकि हमारे पास आधारभूत ढांचा नहीं है इसलिए हमारे हाथ खाली हैं। हमें गरीब बना दिया गया है। केन्द्र सरकार द्वारा हमारा शोषण किया जा रहा है। हर सरकारों द्वारा हमारा शोषण किया जा रहा है और इसलिए हम गरीब हैं। आपने हमारी उपेक्षा की है। आपने भेदभाव किया है। आपने निवेश नहीं किया है। आपने विकास नहीं किया है और यही सच्चाई है।

**श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी):** सभापति जी, मैं तो आशा कर रहा था कि आप चले जायेंगे उसके बाद ही मुझे मौका मिलेगा, लेकिन आपने मुझे मौका दे दिया। मै विशेष समय नही लेना चहाता। जो आर्थिक स्थिति है, जो आर्थिक नीति है, मैं उसी के विषय में कुछ कहना चाहूंगा। औद्योगिक नीति, कृषि नीति, मूल्य नीति और विदेश व्यापार नीति इन चार प्रमुख नीतियों पर मैं सारांश मैं कहना चाहता हूं। मालूम पडता है कि इस सरकार की कोई समेंकित नीति है ही नहीं। मै यह नही कह रहा हूं कि जो विपक्ष कह रहा है वह समेंकित नीति सही है।

लेकिन इतना विशाल देश, 92 करोड़ की आबादी का देश, समेंकित नीति के बगैर नही चल सकता है। उद्योग के बारे में हमारा सारा प्रचार-प्रसार माध्यम राजकीय क्षेत्रों पर चोट कर रहा है। जो हजारो करोड़ रुपये हजारों करोड़पतियों ने बैंको के पचा लिये, बिक्री कर का पैसा पचा लिया, आयकर का पैसा पचा लिया और अब भी पचाए जा रहे हैं, उनके गीत गाए जा रहे हैं मंत्रियों द्वारा, सरकार द्वारा और हमारे प्रचार-प्रसार के माध्यम के द्वारा। ये बातें झूठी हैं, कितने हजारों करीड़ रुपये लोगों ने विभिन्न रूपो में पचा लिए, मगर यह उनकी सफलता है। राजकीय क्षेत्र, जिसने हमारे देश को अपने पैरो पर खड़ा किया है, जिसके कारण आज भी अन्तरिक्ष में हमारे अपने यंत्र घूम रहे हैं और संसार में अगली कतार में पहुंचने के लिए अब हम कदम बढ़ा रहे हैं, उसको हमारी विफलता के रूप में देखा जा सकता है।

सभापति महोदय, आजादी के पहले इस देश में सुई भी नही बनती थी और न ब्लेड बनता था। आज आप इस नयी नीति के चलते देश को फिर वही विदेशी ब्लेड वाली स्थिति में ले जा रहे हैं। मै पहले प्रिन्स ब्लेड खरीदता था, वह गायब हो गया। अब इराम्मिक गायब हो रहा है और सेवन ओ क्लाक फिर सबको खरीद कर आ रहा है। खरीद कर क्या सबको पचाकर आ रहा है। इस प्रकार से आप हमारे देश में विभिन्न रूपों में खतरे पैदा कर रहे हैं।

अभी भी मैं जोर दूंगा और कहूंगा कि निजी क्षेत्र की गुंजाइश है। मिश्रित औद्योगिक नीति का आधार पहले भी था और अब भी है, लेकिन जो भारी अभियांत्रिक उद्योग हैं, हटिया रांची का उद्योग अगर खत्म हो जाए जिसमें एक बोकारो पैदा करने की क्षमता प्रति वर्ष है और यदि बोकारो पूर्ण क्षमता में काम करे, तो एक करोड़ टन इस्पात पैदा करेगा और देश की काया पलट कर देगा। यदि उसको हम उपेक्षित छोड़ देंगे और जब आप व्यापार के मायने में, रूपयों के रूप में, व्यापारिक रूप से आमद और खर्च को जोड़ेंगे, तो इतना विशाल देश टिक नहीं सकता। हमारी आर्थिक आजादी भी बन्धक पड़ जाएगी। इसलिए मैं अभी भी जोर दूंगा कि जो मुख्य उद्योग है, उद्योग के पिता हैं, उद्योग की माता जो उद्योग हैं, उनको अभी भी राजकीय क्षेत्र में छोड़ दिया जाए। उन्हें आप खत्म न करें। हमारे वित्त मंत्री और उनके सारे प्रचार-प्रसार के माध्यम कह रहे हैं कि उद्योग घाटे में चल रहे हैं। जब हम घाटे का बजट पेश कर रहे है। जब हमें संसद को चलाने में घाटा सहना पड़ रहा है। तो क्या घाटे से बचने के लिए संसद को भी हम ठेके पर चलवाएंगे किसी टाटा से, बिड़ले से, फोर्ड से या राफेल से? कौन सी चीज में हम उत्पादन का साधन पैदा करते हैं वह प्राथमिकता दिए बगैर हमारी कोई उद्योग नीति सफल नहीं हो सकती है। इसलिए मेरा आग्रह होगा कि हमारे जो भारी उद्योग हैं, मूल उद्योग हैं, उन पर राजकीय क्षेत्र में अभी भी जो घाटे में हैं उनको पुनर्जीवित करे। यह सरकार का जिम्मा है। यह बैंको का जिम्मा है, मजदूर का जिम्मा है, मजदूर यूनियनों का जिम्मा है। यह साहरा नहीं है। यह वह वृक्ष है जिसका फल मजदूर को मिला है। एक कहावत है कि कालिदास पेड़ की जिस शाखा पर बैठा था उसी को काट रहा था, वह मूर्ख था और हम तो वृक्ष को काट देंगे, तो मजदूर यूनियन, यूनियन नहीं है। मै सभी की बात कह रहा हूं। अपनी कायरता के चलते यदि हम इस वृक्ष की रक्षा नही करते हैं, तो यह हमारी ऐसी भूल होगी, जिससे आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेगी। इसलिए उस वृक्ष की रक्षा करो। यह सरकार हमें चुनौती दे रही है। यह सुन्दर मौका है। (व्यवधान)

मैं उधर के लिए भी कह रहा हूं। देश हम सबसे ऊपर है। सरकार तो इस बात को नही समझती है, लेकिन हम समझ लें, तो काम चल जाएगा। इस सरकारी नयी आर्थक नीति ने हमें चुनौती और ऐसा सुअवसर दिया है। हम जिस चीज के लिए पहले लड़ते थे कि प्रबन्धन में मजदूरों की भागीदारी होनी चाहिए। आज जहां उनका प्रबन्धन विफल हो रहा है वहां सरकार को निजी क्षेत्र को मजदूर वर्ग के और आगे आए कि हम इसको चलाएंगे। पुराना घाटा तेरे माथे पर, पुराना कर्जा तेरे माथे पर। आगे एक, दो, तीन, चार और पांच करके इसको हम लाभप्रद बनाएंगे, यह देश भक्ति का तकाजा है। मजदूर वर्ग के लिए भी है और मजदूर यूनियनों के लिए भी है। मै समझ रहा हूं कि आज नहीं, तो कल मजदूर वर्ग को अपना कर्तव्य निभाने के लिए आना ही पड़ेगा और इसीलिए मेरा आग्रह होगा कि "एक उद्योग में एक यूनियन" की नीति को आप चलाएं। गुप्त मतदान से यूनियन का चुनाव कराएं ताकि ऐसा न हो कि गलत मांगों पर हम यूनियन के साथ जाएं और इस प्रकार से भटकने के लिए हम मजबूर हों। उस एक यूनियन के साथ वार्ता हो, उसकी जिम्मेदारी, देश को संभालने की है। जो

मंझोले उद्योग हैं, जो आसान उपभोक्ता सामान बनाते हैं, उनको निजी क्षेत्र में दे दिया जाए।

हमारे मित्र मोहन सिंह और दूसरे साथियों ने लघु उद्योग पर जोर दिया है, जिसको भारत जैसे देश में और भी ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है और इसकी सीमा असीम है। मै खासकर गृह उद्योगों के लिए भी जोर दे रहा हूँ। जहां हमारे 92 करोड़ मस्तक हैं, 184 करोड़ हाथ हैं, मैं उनको काम देने के लिए नही कह रहा, उनसे काम लेने के लिए कह रहा हूँ। उनकी जवानी, हुनर, क्षमता बेकार जा रही है। उनको माकूल तकनीक दे। बड़े की बात मैं नहीं करता, छोटे की बात मैं नहीं करता। माकूल तकनीकी, एप्रोप्रिएट टैक्नोलोजी की बात करता हूँ। आप उनको विद्युत दें।

हम काया पलट कर सकते हैं, बहुत सी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का मुकाबला कर सकते हैं। इसलिए गृह उद्योग, अति लघु उद्योग, मझोले और भारी उद्योग, ये मिलाकर समेंकित और उत्पादन की औद्योगिक नीति की ओर कदम बढ़ाएं। मेरा खासकर इसमें अनुभव हैं, आई. आर. डी. पी. की समेंकित ग्रामीण विकास योजना में जो पैसा खर्च होता, वह उस काम में नहीं जाता। वह दूसरे कामों में चला जाता है। मुझे अनुभव है इसलिए कह रहा हूँ कि बैंक भी खाता है, प्रखंड भी खाता है और जिसको दिया जाता है, वह गरीब बीज ही खा लेता है, पैदा नही करता। अपनी समूहिक कायरता के चलते वोट के नाम पर हम उनसे नही कहते कि भाद्र का बीज आषाढ़ में मत खाओ, अगहन में खाओ। हम यह कहने का साहस नही करते, इसलिए पैसे से मत जोड़िएं। हम जिस काम के लिए पैसा देते हैं, वह उसमें नही जा रहा है। वैसे ही प्रधान मंत्री की रोजगार योजना का मामला है। बैंक वाले अधिकांश पैसा, बिना पैदा किए हुए व्यापार के लिए, दुकान के लिए देते है। वहां भी कायरता के चलते हम जोर नहीं देते। मै इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि मुझे घमासान संघर्ष करना पड़ रहा है। इसलिए जिनके लिए देंगे, उनसे भी और जो बैंक कर्मचारी अपने लिए मांग करेंगे, उस वक्त तो हम ठीक कहेंगे लेकिन जब कहेंगे कि बिना रिश्वत के दो, कड़ाई से करो तो वे समझेंगे कि हमारे लिए कोई राहत नही कर रहे है। हालांकि मैने न किसी व्यक्ति के लिए कहा, न कहता हूँ। मै आम नीति की बात कहता हूँ। आप कृपा करके नीति बनाएं कि सुनियोजित उत्पादन कार्यो के लिए बैंको द्वारा ऋण प्राथमिकता के आधार पर दिया जाए। देश का कायापलट करने में ये छोटे-छोटे काम हमारे लिए मददगार साबित हो सकते हैं।

मैं मूल्य के बारे में कहना चाहता हूँ। सरकारी नीति क्या है? हमारे वित्त मंत्री जी कहते हैं कि हम आपूर्ति करेंगे। आपूर्ति करके विलायती कपड़े से भी काम चलता था। क्या वही आपूर्ति का रास्ता है? हमें यह कहने में शर्म नहीं आती कि हमने बाहर से चीनी मंगा ली है, हमारी चीनी मिलें भले ही बंद रहे। हम चीनी का बाजार थोड़ा सस्ता करेंगे। यह बाद में जाकर बहुत मंहगा पड़ता है। अर्थशास्त्र के नाम पर यदि कोई ऐसा कहे तो और भी शर्म की बात है। इसलिए मेरा आग्रह होगा, कृषि पैदावार के लिए लाभप्रद मूल्य दीजिए, कृषि उत्पादन और कारखाने के उत्पादन के मूल्यों में तालमेंल बिठाइए। कृषि के उत्पादन जैसे बिजली, पानी, उर्वरक, औजार, उन सबको सस्ती दर पर दीजिए ताकि खाद्यान्न ज्यादा मंहगा न हो, उपभोक्ता भी तबाह न हो और जिस मूल्य पर हम किसानों का वास्तविक उत्पादन लेते हैं और जो मूल्य उपभोक्ता को देना पड़ता है, उसमें कोई सीमा तय कीजिए जो 20-25 प्रतिशत से ज्यादा न हो ताकि उपभोक्ता, उत्पादक और राष्ट्रीय हित की हम सेवा कर सकें।

नई आर्थिक नीति ने एक भयंकर खतरा भूमि सुधार पर पैदा कर दिया है। आपके यहां अभी-अभी ग्रामीण विकास रोजगार मंत्रालय से कर्नाटक सरकार के बारे में कहा गया कि वह भूमि हदबंदी की सीमा को तोड़ना चाहती है। हमने उन सबको नवीं अनुसूची में शामिल करवाया था और शायद कर्नाटक सरकार बगावत करने पर उतारू है कि सीमा नहीं रहेगी।...(**व्यवधान**) मुझे तकलीफ है कि बंगाल सरकार ने भी भेजा है। ...(**व्यवधान**) मैं तथ्यों पर कह रहा हूँ। कृपा करके आज के अखबार में पढ़िए ...(**व्यवधान**)

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** (झंझारपुर): कोई प्रमाणिक बात होनी चाहिए...(**व्यवधान**)

**4.00 म.प.**

**श्री भोगेन्द्र झा** (मधुबनी): हमारे पार्लियामेंन्ट जनतंत्र का एक रोग है कि मेरा भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार नहीं है, उनका भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार है। मै गड़बड़ी करूं तो वह गड़बड़ी नहीं है, वह गड़बड़ी करेंगे तो वह गड़बड़ी है। ...(**व्यवधान**) कर्नाटक की सरकार भी कर रही है, बंगाल सरकार ने भी अनुमति के लिए सरकार को भेजा है, मछली के नाम पर, चाय के नाम पर और बागवानी के नाम पर, कि हदबंदी में छूट दीजिए तो यह भयंकर चीज होगी, बे संभाल मामला हो जायेगा। देश में क्रय शक्ति नहीं रहेगी। हम 1950 में पांच करोड़ टन खाद्यान्न पैदा करते थे और आज करीब 19 करोड़ टन पर आये हैं, लेकिन क्रय शक्ति अगर गांवों में नहीं रहेगी तो अनाज पड़ा रहेगा। खाद्यान्न मंत्री कहेंगे कि अनाज फाजिल है, लोग भूखों मरते रहेंगे। इसलिए भूमि सुधार को उलटने का मामला अगर होगा तो गरीब और मझोले किसान विद्रोह का रास्ता लेंगे। यह मत समझिये कि सस्ते रूप में इसको सधा लेंगे, यह एक नये संघर्ष का सूत्रपात होगा, यह दान में नही मिला है, बहुत खून देकर, शहादत देकर भूमि सुधार के कानून पारित कराये गये हैं और यह पलटने की दिशा में दुस्साहस धीरे-धीरे महाराष्ट्र सरकार ने किया है। उसने प्रस्ताव भेजा है। पंजाब सरकार ने भेजा है, यह एक रोग जैसा बढ़ा रहा है। चार राज्य सरकारों का सुझाव में देख चुका हूँ। इसीलिए कह रहा हूँ,

4.02 म.प.

ऐसी स्थिति में मेरा आग्रह होगा कि कृषि के बारे में भी भूमि के वितरण को पूरा करके भूमि की हदबंदी के साथ चकबन्दी भी करें, ताकि उसके साथ हम आधुनिक खेती को माकूल औजार के जरिये आगे बढ़ा सकें।

कुछ हमारी नदी घाटी योजनाएं लम्बित हैं। अभी कोयलकारो की बात हुई है, जिसको लम्बित करने में थोडे हम लोग भी जिम्मेदार हैं, कुछ रोकने में भारत सरकार तो है ही, राज्य सरकार भी है, राज्य के ही हम लोग भी हैं।

[अनुवाद]

श्री राम कापसे (ठाणे): महोदय अब 4 बजे हैं। संचार मंत्री द्वारा एक वक्तव्य दिया जाना है।

श्री वासुदेव आचार्य (बांकुरा): संचार मंत्री कहां हैं?...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मंत्री जी ने मेरे से टलीफोन पर बात की थी। उन्होने बताया कि वक्तव्य का अंग्रेजी संस्करण तैयार है और उसका हिन्दी अनुवाद करवाया जा रहा है। उन्होने 5 म.प. पर वक्तव्य देने की अनुमति मांगी थी और मैने उसकी अनुमति दे दी है। अब श्री भोगेन्द्र झा अपना भाषण जारी रखेंगे।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा: तो यह जो हमारी मानव शक्ति है। उसको स्वनियोजित उत्पादक कार्यों में लगाकर कृषि सुधार को पूर्णतया करके और चकबन्दी के जरिये हम उसको पैदा करेंगे। जापान में पांच एकड़, 7.5 एकड़ की हदबन्दी है और उस पर जापान ने तरक्की की है। हमारे जो देश के मगरमच्छ हैं और विदेशी हैं, वह ज्यादा जमीन हड़पने की नई आर्थिक नीति के रूप में एक बहाना ढूंढ़ रहे हैं और इसके चलते जो हमारे मूल सवाल हैं, उन सब पर यह खतरा पैदा हो रहा है। इसीलिए मैं जोर दे रहा था कि हमारी जो निर्यात और आयात के मामले में देश की हालत है, जिस सफलता की बात वित्त मंत्री जी कहते हैं। भारत सरकार करती है, इसलिए हम निर्यात कर रहे हैं, आयात करने के लिए। आयात किस लिए करते है, निर्यात करने के लिए। आयात के लिए निर्यात, निर्यात के लिए आयात और यह 92 करोड़ लोगों का देश बड़े पैमाने पर बड़े हाथों में और उत्पादन में कितना आगे बढ़ रहा है। इसकी तरफ सरकार की सोच नही है। विदेशी मुद्रा हमें चाहिए, लेकिन, अध्यक्ष जी मैं आपसे अनुमति मांगूंगा, जब हमें गुलाम थे और जिस समय हमने आजादी हासिल की, उस समय हमारी विदेशी मुद्रा विलायत के बैंक में जमा थी, हम बहुत सा स्टर्लिंग बैलेंस फाजिल रखे हुए थें। गुलाम भारत का स्टर्लिंग बैलेंस विदेश में जमा था, इसलिए वही हमारी प्रगति का सबूत नहीं है। सबूत यह है कि हमारा उत्पादन तंत्र, उत्पादन यंत्र, हमारी शक्ति किस तरह से देश को प्रभावित करते हैं और तब हमारा माल, हमारा सामान विदेशों में किस हद तक मुकाबला करके आगे बढ़ता है और इसीलिए जो सरकार इस नीति पर अभी चल रही है, केवल आयात निर्यात चल रहा है कि केवल कारखानो को बेचते जाओ, घर फूंककर तमाशा देख रहे हैं। नारा दिया कि राजकीय क्षेत्र घाटे में चल रहा है,

बेच रहे है मुनाफे वाले क्षेत्र को और वह भी सस्ते दामों पर बेच रहे हैं।

अध्यक्ष जी, मेरा आपसे निवेदन है कि आप एक संसदीय समिति बनायें जो इस बात की जांच करे कि लाभप्रद राजकीय क्षेत्र के कारखानों को सस्ते दामों पर क्यों बेचा गया है, कितना पैसा भीतर से लिया गया है और बाहर से कितना पैसा लिया गया है, तथा यह अधिकार भारत सरकार को किस ने दिया? क्या इन्होंने पिछले चुनाव में यह हक मांगा था कि हम लाभप्रद राजकीय क्षेत्र को बेचेंगे, क्या इनके चुनाव घोषणा-पत्र में यह था कि हम इसको निजी क्षेत्र को दे देंगे या देशी तथा विदेशी पूंजीपतियों को दे देंगे। न तो इन्होंने यह हक मांगा था, न ही इनके चुनाव घोषणा पत्र में यह बात कहीं गई थी। इसलिए यह सरकार मतदाताओं के साथ विश्वासघात कर रही है। ये लोग सरकार से चले जायेंगे, कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन देश को कितना खतरे में डाल देंगे, यह मैं आपको बताना चाहता हूं।

अभी हमारे साथी कीमतों के बारे में बोल रहे थे।..(व्यवधान).. मै कुछ दर्द से कह रहा हूं। उस समय आप नही थे, रास्ते में थे, वही स्टर्लिंग बैलेंस वाले जमाने की बात कह रहा हूं। मेरा आग्रह है कि एक संसदीय समिति बने और इस बात की जांच करे कि मुनाफा कमाने वाले राजकीय क्षेत्र को निजी क्षेत्र को क्यों दिये गये, क्या यह भ्रष्टाचार के चलते हुआ है यहा नहीं? मै मंत्री जी से आग्रह करूंगा और सरकार से भी कि वह खुद साहस करे और ऐसी एक समिति बनाये।

हमारे देश में जो कारखाने घाटे में चल रहे हैं या उसके कारण बंद हो गये हैं, उनको चलाने के लिए सरकार मजदूरों की सहभागिता प्रबंधन के लिए, इस बात का ऐलान करे। इस बात का भी ऐलान करे कि जहां का भी मजदूर वर्ग, चाहे किसी भी यूनियन का हो या न हों, वह उसको स्वावलम्बी बनाने के लिए आगे बढ़े। इसके लिए उनको ऋण और दूसरी सुविधायें दी जाये जिससे वे कारखाने चालू हों। हटाई खत्म होगी तो हम गोल हटाई बना सकेंगे, इतना आसान हमारे लिए नही है। अगर भोपाल खत्म होगा तो विद्युत के लिए कैसे आगे बढ़ेंगे, यह इतना आसान नही है। अभी तो एक एनरान का मामला आया है। इसलिए आप गर्भ पर चोट न करे। इंदिरा गांधी ने ऐसा किया था। उनके प्रधान मंत्री बनने के बाद उनके योजना मंत्री ने अमरीका में जाकर कहा था कि भारत माता का गर्भ अमरीकी पूंजी के लिए खुला है। यही संसद थी, हमने इसके खिलाफ तीन साल संघर्ष किया। देश में योजना नही चली, प्लान हालीडे और विश्व बैंक का हुक्म था और इंदिरा गांधी की सरकार चली। हमने उस समय कांग्रेस को तोड़कर राष्ट्रीयकरण करवाया। देश के लिए गौरव की का काम हुआ। उस

समय 19 सितम्बर 1968 में 14 आदमियो को गोली से मारा गया था, केन्द्र सरकार के कर्मचारियों ने देश को आगे बढ़ाने का काम किया। इंदिरा जी कांग्रेस से निकाली गई, लेकिन देश की नेता बन गई, बैंको का राष्ट्रीयकरण हो गया, नये कारखाने बने 105 कपड़ा मिले जिनकों पूंजीपतियों ने लाश बनाकर रख दिया था, उनका राष्ट्रीयकरण हुआ। भूमि सुधार के कानूनों में संशोधन हुआ, कोयला खदान का राष्ट्रीयकरण हुआ, देश आगे बढ़ा। इसके लिए हमें और संसद को गर्व है। कांग्रेस पार्टी ओल्ड कांग्रेस का नाम लेकर किनारे बैठ गई। वही इंदिरा जी थीं जिन्होंने हमारे उम्मीदवार वी. वी. गिरि को इंदिरा कांग्रेस का वोट दिलाया और अपने उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी को नही दिलवाया।

मैं पुन: आग्रह करूंगा कि देश की जो आर्थक नीति है इस तरफ वालों को मिलाकर उस तरफ वालों को मिलाकर, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र खुशी मनाते थे और आडवाणी जी ने कहा था कि हमारी नीति नरसिंह रावजी ने चुरा ली, अब कुछ नहीं, बोल रहे हैं। बेकारी बढ़ रही है, अब ये चुप है, कहने में हिचक रहे हैं, शरमा रहे हैं। जैसे कोई कुमारी लड़की के बच्चे हो जाये तो वह शर्माती है कि यह बच्चा मेरा नही है, वैसे ही शर्माते हैं।

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय:** भोगेन्द्र झा जी, मै यह जानना चाहता हूँ कि क्या यह संसदीय है।

[हिन्दी]

**श्री फूलचन्द वर्मा** (शाजापुर): बहुत पुराने मेंम्बर है। इसलिए हम इनको कहना नहीं चाहते। लेकिन इस तरह के शब्द इनके मुंह से ठीक नहीं लगते।

**श्री भोगेन्द्र झा:** मैने इनके लिए कुंवारी कहा। अगर विवाहिता होकर इन्होंने किया तब इनको मुबारक हो। मैने तो याद करके कहा था। इनके विवाह को भी नही उकसाया है।

अध्यक्ष जी, इसलिए अब जब इस नीति का परिणाम बेकारी के रूप में, एनरान के रूप में और मंहगाई के रूप में देख रहे हैं तब हमारी नीति पर चल रहे हैं। मनमोहन सिंह जी, नरसिंह राव जी को कहने से हिचक हो रही है। हम यह कहना चाहते हैं कि यह नीति देश के हित के खिलाफ है, जन हित के विरूद्ध है और आर्थिक आजादी के खिलाफ है। एक शब्द के लिए मै फिर आपसे माफी मांगूगा। दुनिया में एक रोग चला आ रहा है।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय:** इसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नही किया जा रहा है।

**श्री भोगेन्द्र झा:** उसी नीति पर यह सरकार चल रही है। देश में नव उपनिवेशवाद का खतरा है। आज अमरीका पाकिस्तान को हथियार दे रहा है। यह ठीक नही है। बड़ा खतरनाक काम हो रहा है मगर उनके लिये बाजार का संकट है, हथियारों के बिकने की आवश्यकता है। हो सकता है कि कल आपको भी कहें कि आप भी लें। तब कुछ लोग कह दें कि हाँ तो, लड़ो, कटो ताकि उनके हथियार का कारखाना चले और उनकी बेकारी में कुछ कमी हो। इसलिये यह उपनिवेशवादी खतरा है। भारत जैसे प्राचीनतम सभ्यता वाले देश में, जहां पर संसार के सभी प्रमुख मजहब और हजारों भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते हैं। जहां पर संसार के सभी नस्ल के लोग रहते हैं, ऐसे यह देश अभी भी संसार के सबसे अधिक देशों को अपने साथ लेकर उपनिवेशवाद का मुकाबला कर सकता है और उस मुकाबले का मुख्य क्षेत्र आर्थिक क्षेत्र है। इसलिए हमें जन-गण को जगा कर और इसमें काम करने वाले औरतों और मर्दों को जगा कर, उनके श्रम का, उनके हुनर का उपयोग करके आगे बढ़ना चाहिए, अपनी नीति में परिवर्तन करना चाहिए। हम स्वदेशी नीति अपनाये। जो हमारे पास हुनर नही है, तकनीक नहीं है, वह हम कहीं से लाये, उस पर हमें ऐतराज नही है मगर हमारी तकनीक को खत्म करने के लिए, स्वाहा करने के लिए जो विदेशी आर्थिक और तकनीकी आक्रमण हो रहा है, उससे भारत को बचायें, इस मिट्टी को बचायें, अपने आने वाली पीढ़ी को बचायें और इसीलिए इस पूरी आर्थिक नीति को देश हित के खिलाफ समझ कर मैं इसका विरोध करता हूँ। हमारी राय में भारत माता का रक्त प्रवाहित हो रहा है। हम सोचें और इस नीति को त्याग कर देश के हित में, राष्ट्रीय उत्थान के हित में औद्योगिकरण की नीति में इस मूल्य नीति को लाकर हम आगे बढ़ें।

**अध्यक्ष महोदय:** देखिये। आर्थिक नीति जैसे बहुत अहम विषय पर चर्चा हो रही है। उसमें अगर कोई खामियां हैं तो उसको दुरूस्त करने के लिए उसके बारे में बोलिये। आपके कुछ सुझाव हैं, दे दीजिये। कहानी के रूप में नही जाइये। बस इतना कहना है।

4.14 म.प.

[श्री तारा सिंह पीठासीन हुए]

**प्रो. रासा सिंह रावत** (अजमेर) : माननीय उपाध्यक्ष, देश की आर्थिक नीति के बारे में मैं कहूंगा कि रोम जल रहा है और नीरो बंसी बजा रहा है। इस सरकार की स्थिति भी ऐसी ही हो गई है। 1991 में नई आर्थिक नीति लागू करते समय जो लक्ष्य निर्धारित किये गये थे, आज 1995 बीत रहा है और उसमें जो परिणाम सामने आये हैं, उन परिणामों से भयावह स्थिति पैदा हो गई है। उससे ऐसा मालूम पड़ता है कि हमने सोचा क्या था और हो क्या गया? इसलिए यदि मैं कहूं कि सरकार कह रही है कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया। मुझे शेर की पंक्तियां याद आ रही हैं तू इधर-उधर की बात न करे। यह बता कि काफिला क्या लूटा। मुझे राहजनी से मतलब नहीं। मतलब तो रहबरी का है। इस सरकार ने जो आर्थिक नीति लागू की और उसके

पालन और क्रियान्वयन का जो प्रश्न आया है और उसके जो दुष्परिणाम आये हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? यह सरकार जिम्मेदार है। इसके लिए मैं दो उदाहरण देना चाहूंगा।

महामहिम राष्ट्रपति जी ने स्वतन्त्रता दिवस की 49वीं वर्षगांठ के अवसर पर देश की आर्थिक नीति के बारे में संकेत दिया था कि देश की आर्थिक नीतियां गरीबों के हित में होनी चाहिए। बार बार इस बात को दोहरा चुके हैं और जब देश का प्रथम पुरूष भी आर्थिक नीतियों से संतुष्ट नहीं हैं, तो इससे बढ़कर प्रमाण-पत्र क्या हो सकता है। मैं इस बारे में एक उदाहरण और देना चाहता हूँ। 6 जुलाई, 1995 को जब योजना आयोग आठवीं पंच वर्षीय योजना के बारे में मध्यावधि मूल्यांकन करना चाहता था और जब वह बैठक स्थगित हो गई तथा जो परिणाम सामने आए, उससे सन्देहास्पद संकेत मिलते हैं कि राष्ट्र की आर्थिक नीति कितनी दयनीय और चिन्तनीय होने जा रही है या देश किस तरफ जा रहा है। इसी सन्दर्भ में हमारे प्रधान मंत्री जी ने 15 अगस्त, 1995 के लालकिले की दीवार से देश को सम्बोधित करते हुए एक बात कही थी। बड़े खुश हुए थे कि गत चार वर्षों के अन्दर 68 करोड़ रूपए का विदेशी मुद्रा का निवेश हुआ है और जिसमें से 80 प्रतिशत आधारभूत क्षेत्रों में हुआ है। यह बात बिल्कुल निराधार और असत्य है। वास्तविकता यह है कि विदेशी निवेश के सन्दर्भ में जितने गैर सरकारी आंकड़े उपलब्ध हैं, उनके मुताबिक आधारभूत क्षेत्रों में केवल 15 से 20 प्रतिशत ही निवेश हुआ है और इसमें भी सड़कें, बिजली, संचार जैसे क्षेत्रों में यह निवेश 6 से 7 प्रतिशत हुआ है। जिन क्षेत्रों में विदेशी निवेश इतना कम हुआ है और उससे पता चलता है कि विदेशी निवेश जिस तरह से आधारभूत ढांचे के अंदर होना चाहिए थां वहां पर नहीं हुआ है।

हिन्दुस्तान के अन्दर एक नारा आज भी लग रहा है- रोटी, कपड़ा और मकान मांग रहा हिन्दुस्तान। आज देश के लाखों गांवों के अंदर पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध नही हो रहा है। आज देश के गांवो के अंदर सम्पर्क सड़कों का अभाव है। आज देश के गांवों के अंदर प्राइमरी विद्यालयों में जो आधारभूत सुविधायें उपलब्ध होनी चाहिए, वे सुविधायें उपलब्ध नही हो रही हैं। आज गांव की झोंपड़ियों के अन्दर अन्धेरा छाया हुआ है; वहां पर बिजली पहुंचानी चाहिए। आज देश की जो आधारभूत आवश्यकताएं हैं उन आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यदि इन आर्थिक नीतियों के परिणाम सामने आते, तो गरीब की आवश्यकता पूरी होती और हमारे गांव स्वावलम्बी होते, हमारे गांवो में लघु-उद्योगों को बढ़ावा मिलता, हमारे गांवो के अन्दर कुटीर-उद्योगों को बढ़ावा मिलता। अगर इस देश में आर्थिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिलता, स्वदेशी की भावना को बढ़ावा मिलता, आत्मनिर्भरता की भावना को अगर बढ़ावा मिलता, स्वदेशी की भावना को बढ़ावा मिलता तो हम समझते कि वास्तव में इस देश की आर्थिक नीतियां सही रास्ते पर चल रही हैं। लेकिन ऐसा मालूम होता है कि हम सोच कुछ



रहे थे और हो कुछ रहा था-"गये थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास।" आप कहेंगे कि इसका उदाहरण क्या है। मै आपको इसके बारे में दो उदाहरण देना चाहूंगा। जब राव सरकार ने शपथ ग्रहण करके शासन की बोगडोर संभाली उस समय हिन्दुस्तान के ऊपर 75.9 बिलियन डालर विदेशी कर्ज था। उसके बाद विकास के बड़े गीत गाए जा रहे है, टी.वी. के ऊपर, रेडियो के ऊपर, ऐसे चमत्कारपूर्ण ढंग से कि जैसे अवतार अवतरित होते हैं। जैसे कि देश की कायापलट हो रही है, लेकिन मेरे विचार से कोरे सपने दिखाए जा रहे हैं। विकास और निर्यात की तमाम बुलंदियों के बाद वर्ष 95 तक 95 अरब डालर हिंदुस्तान के ऊपर विदेशी कर्ज हो गया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश की आर्थिक प्रगति कितनी हुई है। "प्रत्यक्ष किम प्रमाणम" - प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नही होती है। मै आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। सरकार कहती है कि देश के विदेशी मुद्रा भंडार के अंदर निरंतर वृद्धि हो रही है लेकिन अखबार लिख रहे हैं कि विदेशी भंडार के अंदर निरंतर कमी आ रही है। स्वर्ण और विशेष निकासी का अधिकार-एस डी आर को छोड़कर देश के विदेशी मुद्रा भंडार गत मार्च में 20 अरब 80 करोड़ रूपए था जो घटकर 3 नवम्बर 1995 तक 17 अरब 45 करोड़ रूपए रह गया है। इससे पता चलता है कि विदेशी मुद्रा का भंडार भी कम होता जा रहा है। यह तो आंकड़ों के जाल में देश की जनता को मोहित करने का प्रयास कर रहे हैं। देश में मंहगाई सुरसा की तरह बढ़ती जा रही है, दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रही है?

गरीब को पेट भर भोजन नही मिल रहा है, गरीब को सूखी रोटी के साथ दाल नही मिल रही है। गरीब को अपनी दाल छोंकने के लिए जो तेल मिलना चाहिए, वह तेल उसको बाजार में सस्ते भाव पर नहीं मिल रहा है। उसको नमक भी मंहगा मिल रहा है। उस गरीब को आने-जाने के लिए मोटर या रेल का जा भाड़ा है वह भी बढ़ रहा है, उपभोक्ता सामान सस्ता नही मिल रहा है। गरीब किसान के खेत में पैदा होने वाली चीज का भाव जितना उसको मिलना चाहिए, उतना उसको नही मिल रहा है। अगर आपकी आर्थिक नीतियों के चलते देश की मंहगाई कम होती, रुपये का अवमूल्यन नही होता और अगर रुपये की कीमत दुनिया के बाजार में बढ़ती तो हम जानते कि शायद आर्थिक नीति के चलते देश सही दिशा की ओर बढ़ रहा है लेकिन खोदा पहाड़ निकली चुहिया।

मान्यवर, मंहगाई जिस स्थिति में है, वह सामने दिखायी दे रही है। उदारीकरण के बाद 40 प्रतिशत मूल्यों में वृद्धि हुई है। मैं सरकार के बहरे कानों में अपनी आवाज पुरजोर पहुंचाना चाहता हूँ कि आज क्या हो रहा है। आम जनता के काम आने वाली रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है लेकिन जिन चीजों को बड़े-बड़े उद्योगपति या पूंजीपति लोग खरीदते हैं।, उसकी कीमते उस तुलना में नहीं बढ़ी हैं, उनके भाव नही बढ़े हैं। गरीब और मध्यम वर्ग का

आदमी निरन्तर पिसता चला जा रहा है। आखिर इस बढ़ती हुई मंहगाई के लिए कौन जिम्मेदार है, रुपये के अवमूल्यन के लिए बढ़ती हुई बेरोजगारी के लिये, बढ़ती हुई गरीबी के लिए कौन जिम्मेदार है? हमारे साथ चीन ने 1949 में अपना कार्यक्रम शुरू किया था और चीन की हम से ज्यादा आबादी है। चाहे आज चीन ने निर्यात और आयात की दृष्टि से, विदेशी मुद्रा की दृष्टि से, जमा पूंजी की दृष्टि से, राष्ट्रीय घाटा कम करने की दृष्टि से निर्धारित समय में लक्ष्य प्राप्त कर लिये हैं लेकिन उन लक्ष्यों से हमारा देश काफी पीछे रह गया है। मैं इसलिये इस बारे में कह रहा हूँ और इसलिए प्रारम्भ में मैने कहा था कि रोम जल रहा है और नीरो बंशी बजा रहा है। ऐसा मालूम पड़ता है कि इस सरकार ने जो आर्थिक सुधार के कार्यक्रम शुरू किये हैं, इनका भ्रष्टाचार पर, घोटालों पर जो अंकुश होना चाहिए था, चाहे वह प्रतिभूति घोटाला हो, चाहे चीनी या बैंकों का घोटाला हो या नित्य नये उजागर होने वाले घोटाले हों, उनके ऊपर वित्तीय प्रबंधन की जो व्यवस्था करनी चाहिए, सरकारी खर्चों में जो कटौती करनी चाहिए, भ्रष्टाचार को मिटाने की जो बात होनी चाहिए, उन बातों की तरफ इस सरकार का तनिक मात्र भी ध्यान नहीं गया है।

मान्यवर, मुद्रास्फीति की जो दर है, वह भी बड़ी भयावह और चिन्ताजनक स्थिति पैदा कर रही है। इन दिनों में सामाजिक और आर्थिक दोनों मोर्चों पर हमारी यह सरकार असफल रही है और बेरोजगारी तो सुरसा के मुख की भांति दिन दुगुनी रात चौगनी बढ़ रही है। मान्यवर, बचत और विनिमय दर घट रही है। सार्वजनिक क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों के जो वित्तीय कार्य हैं, उनके अंदर कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है। चुनाव सिर पर आ गये हैं और अब चुनाव की मजबूरियों के कारण यह सरकार आर्थिक सुधार की और धीमी गति से चलने लगी है। लोगों को यह दिखावा दिखाने के लिए कि हम इन्दिरा आवास योजना के नाम पर और दोपहर के भोजन के नाम पर प्राथमिक पाठशालाओं में दोपहर के समय बच्चों को भोजन देने की बात इस सरकार ने पिछले समय से लागू की है लेकिन उन स्कूलों में जो खाद्य गोदामों से अनाज पहुंच रहा है, वह अनाज सरकार को 567 रुपये क्विंटल के भाव से पड़ रहा है जबकि उससे बढ़िया किस्म का गेहूं खुले बाजार में 300-400 रुपये में सहज उपलब्ध हो रहा है। यह सरकार के वित्तीय प्रबंधन की कुशलता का नमूना है कि सरकार किस प्रकार से उस पैसे का उपयोग कर रही है। उस पैसे का जिस ढंग से उपयोग होना चाहिए और ध्यान दिया जाना चाहिए, वह नही दिया जा रहा है। खर्च पर जो अंकुश होना चाहिए, वह नही हो रहा है। अगर पंचवर्षीय योजना का जल्द ही मूल्यांकन होता, योजना आयोग के सदस्य विचार करते, अगर आर्थिक विशेषज्ञ विचार करते तो शायद देश को सही दिशा के अन्दर बढ़ाने के लिए सरकार को मार्गदर्शन प्राप्त होता। लेकिन सरकार ने टाल मटोल की। राजकोषीय घाटा कम करने में सरकार असफल रही है और यह घाटा निरंतर बढ़ता जा रहा है। सरकार देश को निरंतर आर्थिक संकट की ओर ले जा रही है। सभापति महोदय, मैने सरकार से पहले भी मांग की थी और आज फिर मांग कर रहा हूँ कि विदेशी कर्जों, देशी कर्जों तथा कितना पैसा प्रति वर्ष ब्याज के रूप में देना होता है, इसके बारे में एक श्वेत पत्र जारी किया जाए और देश को इसकी सही जानकारी मिलनी चाहिए। देश की आर्थिक स्थिति का सही मूल्यांकन हमारे सामने आना चाहिए।

सभापति महोदय आर्थिक संकट से उबने के लिए मै कुछ सुझाव देना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि सरकार को इसके बारे में क्या प्रयास करने चाहिए।

सभापति महोदय, पहले एक आर्थिक सलाहकार परिषद बनी थी, जो प्रधान मंत्री को सलाह देती थी। यह परिषद बहुत दिनों से निष्क्रय पड़ी हुई है। मेरा सुझाव है कि या तो इस परिषद को सक्रिय किया जाए या एक और राष्ट्रीय आर्थिक सुरक्षा परिषद का गठन किया जाए जिसमें अर्थ शास्त्र के ज्ञाताओं, आर्थिक स्थिति में दिलचस्पी रखने वालों, वर्तमान स्थिति की जानकारी रखने वालों को सम्मिलित किया जाए और इस परिषद से देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के बारे में सुझाव देने के लिए कहा जाए। सभापति महोदय, आज केन्द्र में एक दल की सरकार है तथा कई राज्यों में अन्य दलों की सरकारें हैं तथा विदेशी पूंजी निवेश के बारे में इनमें आपस में समन्वय की कमी है। कौन सी चीज कहां पर और किस समय पर होनी चाहिए, यह बताने के लिए भी इस प्रकार की परिषद के गठन की बहुत आवश्यकता है। इसी तरह से जो चीज देश में उत्पादित की जा सकती है, उसके लिए विदेशी कंपनियों को इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। जिन क्षेत्रों में नई तकनीक और हाईटैक की आवश्यकता है, सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों में मल्टी नेशनल्स को इजाजत दी जानी चाहिए।

सभापति महोदय, जनसंख्या नियंत्रण भी बहुत आवश्यक है और सरकार को इसके बारे में गंभीरता से कार्य करना चाहिए। हमारी जनसंख्या तेजी से दिन दुगुनी, रात चौगुनी गति से बढ़ रही है। यह राष्ट्रीय समस्या है और इसके चलते हमारी सारी योजनाएं और नीतियां असफल हो जाएंगी। इसलिए जनसंख्या वृद्धि रोकने की बहुत आवश्यकता है। राजनीतिक, प्रशासनिक, कानूनी, न्यायिक, शैक्षिक, सामाजिक क्षेत्र में व्यापक सुधारों की आवश्यकता है, तभी आर्थिक सुधारो का लाभ जनता तक पहुंच सकता है। न्यूनतम सहमति प्राप्त करना भी सरकार के लिए आवश्यक है। आज अलग-अलग आवाजें सुनाई पड़ रही हैं, इसका यही कारण है। हम भी आर्थिक उदारवाद के समर्थक थे, लेकिन सरकार हर काम मल्टीनेशनल्स को सौंपना चाहती है तथा वर्ल्ड बैंक तथा आई.एम.एफ. के जिम्में हर काम सौपना चाहती है। सरकार कंप्यूटर चिप्स से लेकर अंकल चिप्स विदेशी कंपनियों से बनवाना चाहती है। हर छोटी-बड़ी चीज के निर्माण के लिए विदेशी कंपनियों को आमंत्रित करने का समर्थन हम नही कर सकते। इसलिए सभी राजनीतिक दलों के लोगों की बैठक बुला कर

आर्थिक सुधारों की न्यूनतम सहमति प्राप्त करनी चाहिए। केसरी जी आ गए है, पिछले दिनों 'फिक्की' की एक मीटिंग में इन्होंने कहा था कि हमारी नई आर्थिक नीति ऐतिहासिक है, जन-हितकारी है और कई विशेषज्ञों से नई नीति को सम्मानित किया था। लेकिन सरकार के एकांगी दृष्टिकोण के कारण इसके दुष्परिणाम दिखाई पड़ रहे हैं, गरीबी निरंतर बढ़ रही है, कीमतें निरंतर बढ़ रही हैं, गरीब और मजदूर का जीना दूभर हो रहा है, इस सारी स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ कि हमारी आर्थिक स्थिति चिंतनीय है और इसमें सुधार करने के लिए व्यापक विचार-विमर्श करने की आवश्यकता है।

[अनुवाद]

श्री रंगराजन कुमार मंगलम (सलेम): अध्यक्ष महोदय, पहले आर्थिक स्थिति पर बोलने के लिए मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हमारे पास मूल्य स्थिति पूर्व आर्थिक स्थिति पर नही वित्त मंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य है, यद्यपि इसमें आर्थिक स्थिति के क्षेत्रों का थोड़ा उल्लेख किया गया है।

सर्वप्रथम, मै यह इंगित करना चाहता हूँ कि यह नोट करना रूचिकर है जो उन्होने अपना वक्तव्य पूरा करते हुए या और मै उसको उद्धत करने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूँ।

"हमें यह मानना है कि इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अर्थात मुद्रा स्फीति के उद्देश्य हमें वित्तीय अनुशासन को बढ़ाने, (बहुत महत्वपूर्ण) मोद्रिक वृद्धि को रोकने, आयात नीति को और उदार बनाने तथा हमारे समाज के कमजोर तबको के पक्ष में आधारभूत आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता के लक्ष्य से प्रणालियों को सुदृढ़ बनाने के लिए मिलकर कार्य करना चाहिए। हमें देश में उपभोक्ता आंदोलन को सुदृढ़ करने तथा एकाधिकारी व्यवहारों को रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के लिए भी कार्य करना चाहिए।

यह नोट करना रूचिकर है कि प्राचीन, पुराना यदि मै ऐसा कह सकता हूँ तो उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि की आर्थिक अभिव्यक्ति वक्तव्य में नहीं है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि यह जानबूझकर किया गया है या यह अभिव्यक्ति द्वारा है। मै यह नही कह रहा हूँ कि यह उद्देश्यपूर्ण ढंग से किया गया है। मैंने यह इसलिए नोट किया है क्योकि ये माननीय वित्त मंत्री जी के प्रिय शब्द है। वे उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि के इन शब्दों का सामान्यतया प्रयोग करते हैं, लेकिन फिर वे यहां उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि पर बल देने की अपेक्षा आयात नीति के उदारीकरण पर बल देते हैं।

मुझे विश्वास है, कि वे सहमत होंगे और इस बात से कोई असहमत नही हो सकता कि वर्तमान मूल्य स्थिति गम्भीर है। यह गम्भीर इसलिए है क्योंकि जैसा कि मेरे माननीय मित्र रावत जी ने अभी ठीक ही कहा है, एक समय था जब लोग यह कहा करते थे कि दाल रोटी उत्तर है। यह सामान्यतया पता है कि दाल रोटी गरीब व्यक्तियों निम्न मध्यम वर्ग के लिए उत्तर है। लेकिन आज दाल की कीमतें एक ऐसे चरण पर पहुंच गई हैं जहां ये गरीब व्यक्ति की पहुंच से बाहर चली गई है। दाल वास्तव में एक समय अधिक मंहगे खाद्य उत्पादों से भी मंहगी हो गई हैं....(व्यवधान)....

[हिन्दी]

सिर्फ रोटी खाओ दाल की जरूरत नही है।

[अनुवाद]

**सभापति महोदय:** कृपया कोई अव्यवस्था नहीं।

**श्री रंगराजन कुमार मंगलम:** यह एक बहुत रूचिकर टिप्पणी है। वे कहते हैं कि इसे रोटी और नमक बना दो और नमक के मूल्य में भी वृद्धि कर दो ताकि अन्तत: कुछ भी खाने के लिए उपलब्ध न हो।

यह नोट करना रूचिकर है कि माननीय वित्त मंत्री उपभोक्ता मूल्य सूचांक की अपेक्षा थोक बिक्री मूल्य सूचकांक को विश्वसनीय, स्थिर, अधिक इंगित करने वाला मूल्य सूचकांक है। दुर्भाग्य से भारत के लोग थोक में नही खरीदते हैं। वे खुदरा में खरीदते है, एक बार नही, बल्कि गरीब व्यक्ति कई बार खुदरा में खरीदते हैं। एक उत्पाद के एक आवश्यक वस्तु गरीब व्यक्ति तक पहुचने के तक, कई बिचोलियो के हाथों से गुजरती है। मूल्य आसमान छू रहे हैं। मुझे इस बात की जानकारी नही है। कि क्या ये और अधिक हो सकते हैं।

जब सरकार आई, तब माननीय वित्त मंत्री हम सभी के लिए नये थे, जब डालर का मूल्य 32 रुपये निर्धारित किया गया था, उस समय हमें यह बताया गया था कि यह निर्यातों को प्रोत्साहन देने, भुगतान सन्तुलन स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक है। मुझे विश्वास है कि वित्त मंत्री इस बात से सहमत होंगे कि हमने यह सुनिश्चित करने के लिए कि डालर का स्तर 32 रुपये बनाये रखा जाये, हमने विगत चार वर्षों से भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से बाजार में डालर खरीद कर वास्तव में काफी धनराशि खर्च की है।

काफी निधियां लगाई हैं। दुर्भाग्य यह है कि हमारे पास आंकड़े नहीं है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री से यह अनुरोध करता हूँ कि वे हमें इस संबंध में आंकड़े प्रदान करे कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि रूपया डालर की दर अनुपात 32 रुपये रहे, विगत चार वर्षों में कितने हजार करोड़ रुपये व्यय किए गये है। मैं यह जानना चाहता हूँ। मै यह भी जानना चाहता हूँ कि रुपये डालर दर को 34 रुपये तथा 35 रुपये के बीच रखने के किए विगत चार वर्षों में उन बिलियनस डालरों में कितने मिलियन डालर बेच दिए गये हैं।

यह स्पष्ट है कि सब पैसा बाजार में लगाया जाता है। इसका कारण कुछ भी हो, तो इससे मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी। यह बहुत सामान्य सिद्धान्त है। जितना अधिक पैसा उपलब्ध होगा, उतनी ही वस्तुएं कम उपलब्ध होंगी, स्वभावत: मूल्यों में वृद्धि होगी और मुद्रास्फीति भी होगी। मुझे विशिष्ट आंकड़े चाहिए और मुझे विश्वास

है कि सभा यह जानना चाहती है डालर खरीदने और भारतीय बाजार में रुपये में धनराशि लगाने से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अर्थों में, थोक बिक्री मूल्य सूचकांक में नहीं, मूल्य वृद्धि में कितना योगदान रहा है। थोक मूल्य सूचकांक इंगित करने वाला हो सकता है, हो सकता है मैकरो-अर्थशास्त्र के लिए। मुझे खेद है कि मैकरो स्थिति के बारे में बातें नहीं कर रहा हूँ। एक व्यक्ति के रूप में, जैसा कि प्रत्येक नागरिक करता है, मैं माइक्रो स्थिति के बारे में बातें कर रहा हूँ, जिसका हम दिन प्रतिदिन सामना करते हैं, यहां कीमतें आसमान को छू रही हैं चाहे इंगित करने वाले आंकड़े जो भी हों। मैं इससे अवगत हूँ और मुझे विश्वास है कि सभा को भी विश्वास है कि आंकड़े संतुष्ट करने और आवृत करने के लिए एक बहुत उपयोगी यंत्र है। अब मै यह नही कह रहा हूँ कि इस सभा में जो आंकड़े प्रस्तुत किए गये हैं वे आवश्यक रूप से आवृत है। लेकिन हमारे माननीय वित्त मंत्री डा. मनमोहन सिंह जी जिनको अर्थशास्त्र का बहुत ज्ञान है, वे आंकड़ों में माहिर है।

हम सब यह जानते हैं। जब वे यह कहते हैं कि, 'यह सही अर्थशास्त्र' है, तो हमें उनके प्रति सम्मान के कारण उसे स्वीकार करना पड़ता है। कभी-कभी यहां तक कि निर्मलदा भी, जो आमतौर से काफी कठोर हैं, उन्होंने भी अपनी कठोरता को कम किया है, क्योंकि डा. मनमोहन सिंह एक विशेष कार्य कर रहे हैं। लेकिन मेरे विचार से हमारे लिए यह जानना आवश्यक है कि इसका कारण क्या है, आवश्यक वस्तुएं तथा दिन प्रतिदिन की आवश्यक वस्तुएं इतनी अधिक महंगी क्यो हो गई है।

यह एक तथ्य है कि दिन-प्रतिदिन के प्रयोग की वस्तुओ की कीमतों में पिछले चार वर्षों में चालीस से सत्तर % की वृद्धि हुई है। हमें इसके कारणों को अवश्य जानना चाहिए। मेरे विचार से लोग उपयुक्त समय पर इसका निर्णय कर सकते हैं। लेकिन हमारे लिए यह जानना महत्वपूर्ण है: कि यह क्यों होता है जबकि हमारे पास डा. मनमोहन सिंह जैसे अर्थशास्त्री वित्त मंत्री हैं।

मेरे विचार से इस बारे में निष्कपट अभिस्वीकृति देने के लिए इस सभा और भारत की जनता के आभारी हैं कि ऐसा क्यों हुआ, भ्रांति कहां है, इस मूल्य वृद्धि के क्या कारण हैं ताकि भविष्य में जैसा कि उन्होने अपना वक्तव्य समाप्त करते समय कहा है 'मुद्रास्फीति को काबू किया जा सके' हम मैक्सिको का तरीका नही अपना सकते जहां जीवन लागत में हजारों % वृद्धि की हो जाती है।

सभापति महोदय, मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि सबसे दिलचस्प बात यह है कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हो रही है। योजना आयोग की अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार, जिसे उपलब्ध कराया गया था और जिसे संभवत: विपक्ष के नेता श्री आडवाणी जी ने सभा पटल पर रखा था- स्पष्टत: गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की संख्या के प्रतिशत में वृद्धि हुई है। यह संतोष का सूचक नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि हम कम धनराशि खर्च कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने ठीक ही कहा है कि ग्रामीण विकास और गरीबी-उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए धनराशि के आबंटन में वृद्धि हुई है। चाहे यह वास्तव में हुई है या नहीं हुई है, इसका कोई महत्व नहीं है। इसमें वास्तव में और पर्याप्त रूप से वृद्धि हुई है। यह धनराशि कहां गई ? क्यों यह गरीबों को कुछ सहायता देने के लिए, उन्हें कुछ राहत देने के लिए उपलब्ध नहीं है ? यह धनराशि कहां गई ? क्या यह कुछ लोगों के हाथों में जा रही है ?

मेरे विचार से लोग जिन समस्याओं का आज सामना कर रहे हैं, उनका विश्लेषण करना आवश्यक है। मेरी राय में मुख्य समस्या मूल्यों में वृद्धि की है। जो आंकड़े हम एक दूसरे को देते हैं कुछ भी हो सकते हैं। वास्तविकता यही है जिसे हम सब जानते हैं। यदि हम में से कोई अपनी पत्नी, हमारी पत्नियों या जो घरबार चलाने के लिए जिम्मेदार हैं, व्यक्ति से कोई पूछता है, तो पता चलेगा कि मूल्य वृद्धि से वे नाखुश हैं और हम इससे इंकार नहीं कर सकते। यदि डा. मनमोहन सिंह यही प्रश्न अपनी पत्नी से पूछें तो मैं समझता हूँ कि कि उन्हें जो उत्तर मिलेगा उसकी उन्हें जानकारी हैं। मुझे विश्वास है कि वे इससे वाकिफ हैं। काफी समय से उन्होंने शिकायतों के बारे में सुना होगा जो सौम्यता से उनके सम्मुख रखी जा रही हैं। लेकिन महत्वपूर्ण चीज जो हमें करनी है वह यह है कि उसका जो हमें जो करना है वह यह है कि इस बात का पता लगाया जाए कि जनता क्यों क्षुब्ध हैं। हमें इसमें नहीं पड़ना चाहिए कि नई आर्थिक नीति का क्या नाम था, यह आज क्या हो गया है या इसे क्या होना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि महत्वपूर्ण बात आधारभूत मुद्दे की है अर्थात् भारत के लोगों को क्या प्रभावित करता है। यह है मूल्य वृद्धि और तीव्र गति से बढ़ती बेरोजगारी, यह कम नहीं हो रही है। हाँ, यह सच है कि कतिपय स्तर पर खेती हर मजदूरों की मजदूरी में वृद्धि हुई है किंतु यह कतिपय स्तर पर ही हुई है। इसीलिए खेतीहर मजदूर एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं। सभापति महोदय जानते हैं कि बिहार से खेतिहर मजदूर पंजाब में आ रहे है। खेती के मौसम के दौरान हजारों और लाखों लोग काम के लिए आते हैं क्योंकि पंजाब में मजदूरी यथोचित है और बिहार में मजदूरी कम है। एक राज्य के भीतर भी ऐसा हो रहा है। मेरे गृह राज्य, तमिलनाडु में, मैंने देखा है कि लोग एक जिले से दूसरे जिले में कृषि क्षेत्रों में रोजगार की तलाश में घूम रहे हैं जहां यथोचित मजदूरी मिलती है और यही कारण है कि उन क्षेत्रों में जहां उत्पादकता अधिक है किसान वस्तुत: आज दु:खी हैं। आदानों की कीमतें बढ़ रही हैं और उत्पादों की कीमतें पर्याप्त नहीं हैं। मैं नहीं समझता कि किसी सरकार को आवश्यक वस्तुओं के उपभोक्ता से एक तरफ और किसानों की आवश्यकता से दूसरी तरफ के बीच खेलना चाहिए। सरकार का कर्तव्य दोनों की मांगों में संतुलन बनाये रखना है। मुझे याद है कि पिछले ही सत्र में इस सभा में माननीय प्रधान मंत्री ने कहा था कि खरीदी गई आवश्यक वस्तुओं के बीच

लागत और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए जिस लागत पर इसे बेचा जाता है कृषि उत्पाद की लागत का 60 प्रतिशत और इसकी व्यवस्था करने की लागत का 40 प्रतिशत है। इसकी व्यवस्था की लागत इतनी अधिक क्यों हैं ? इसके बारे में नहीं सुना जाता कि व्यवस्था के कारण आवश्यक वस्तुओं की लागत का 40 प्रतिशत गरीब लोगों को दिया जा रहा है ? तो फिर, हमारी प्रबंधन की प्रणाली और आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था में कोई त्रुटि हैं। हमें इसे ठीक करना है। यह कहना व्यर्थ है कि यह स्थिति है और हम कुछ नहीं कर सकते। मैं यह भी समझता हूं कि हमारे लिए यह समझना आवश्यक है कि कम से कम पूरे देश में सभी कांग्रेसियों ने जिनमें डा. मनमोहन सिंह जी भी थे हमसे वादा किया था कि हम हर वर्ष कम से कम 1 करोड़ नौकरियों का सृजन करेंगे। अब भी, पिछले वर्ष हम 70 लाख नौकरियों के बारे में कह रहे थे।

मैं आशा करता हूं कि पांचवें वर्ष में हम लक्ष्य को पूरा कर लेंगे। मुद्दा यह है कि क्या वर्ष 2,000 तक हम सभी के लिये रोजगार उपलब्ध करवा पाएंगे ? मुझे इसमें संदेह है मेरे विचार में वास्तविक समस्या यह है कि नैतिक मूल्यों का ह्रास हो गया है। डा0 मनमोहन सिंह जी ने सभा में और पहले सभा के बाहर भी उसका उल्लेख किया है। नैतिक मूल्यों के अभाव में हम लोग विदेशी चीजों-सब कुछ विदेशी अच्छा है क्योंकि वह उन्नत राष्ट्र हैं - की नकल करने की कोशिश कर रहे हैं और हम अपनी हर अच्छाई को खोते जा रहे हैं। आज भ्रष्टाचार लगभग कानूनी रूप से मान्य बन गया है। कोई भी भ्रष्टाचार की बुराई नहीं करता है। हम लोग 65,000 करोड़ रुपये, 85,000/- करोड़ आदि की बात करते हैं। सिर्फ भगवान ही जानता है कि क्या भ्रष्टाचार हेतु इतना धन उपलब्ध है ? अगर है तो हम इसके विरूद्ध कोई कार्यवाही क्यों नहीं करते हैं ? ऐसा क्यों है कि एक के बाद एक दूसरा घोटाला प्रकाश में आ रहा है ? परन्तु किसी को भी सजा नहीं दी जा रही है। दण्डाभाव के कारण लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। डा0 मनमोहन सिंह जी की नीतियाँ कुछ भी हों, परन्तु मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि हमारी समस्याएं बनी रहेंगी। क्योंकि भ्रष्टाचार कहीं और नहीं है बल्कि वहीं पर हैं। डा0 मनमोहन सिंह, वित्त मंत्री रहते हुए सभा में यह सब कुछ स्वीकार नहीं कर पायेंगे। मुझे पूर्ण आशा है - मैं आशा करता हूँ कि यह पुन: नहीं होगा - कि अगर ऐसा होता है तो वह अवश्य बताएंगे कि समस्या क्या थी।समस्या है बेईमानी और पारदर्शिता का अभाव। ईमानदारी और पादर्शिता आवश्यक है।

दुर्भाग्यवश एनरॉन के उदाहरण से मालूम होता है कि कोई भी बहुराष्ट्रीय कम्पनी व्यापारिक संगठन अधिकतम लाभ अर्जित करेगा। अगर यह देखना है कि लोग लालच में आकर इनके लिए कुछ भी कराने को तैयार हैं और इससे उन्हें मुनाफा मिलेगा तो वह लाभ अवश्य लेंगे। अगर वह सोचते हैं कि लोग पूर्णत: उनकी जांच कर अपनी पूर्ण संतुष्टि कर उनके साथ अच्छा सौदा करने के लिये तैयार हैं तो वह अच्छा सौदा ही करेगें। मैं सोच नहीं पाता हूँ कि किस आधार पर हम अधिक लागत की बात करते हैं। हम निविदाओं की बात क्यों नहीं करते हैं ? सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न हो गई हैं जब हमको शर्म के कारण सिर झुकाना पड़ रहा है और गौरवान्वित भारतीय की भांति सिर उठा कर कहें कि हमारी सभ्यता विश्व की श्रेष्ठतम सभ्यता है ?

महोदय, हमारे अपने मूल्य हैं। आपके स्थान के ऊपर एक नारा लिखा हुआ है जिसमें धर्मों का कोई उल्लेख नहीं हैं। हालाकि, दूसरी तरफ बैठे मेरे विद्वान साथी कह सकते हैं कि 'धर्म' का अर्थ धर्म है। ऐसा नहीं है। 'धर्म' जीवनशैली है और लोकाचार है। अगर इसको प्रभावशाली बनाना है तो हमें भ्रष्ट और बेईमान लोगों को खत्म करना होगा ओर ईमानदार होना होगा तथा वास्तव में सच्चाई का सम्मान करना होगा, वेदों ने सिर्फ सच्चाई को ही देवता माना है और मैं आशा करता हूँ कि डा0 मनमोहन सिंह जी इसको समझते हैं।

**प्रो. सुशान्त चक्रवर्ती** (हावड़ा) : महोदय, आज भारतीय अर्थव्यवस्था निर्धनता, देनदारी, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों एवं साम्राज्यवादी ताकतों पर निर्भरता के बीच समृद्धि की एक अत्यंत सुन्दर तस्वीर प्रस्तुत करती है।

हालांकि हमारे देश में मानवीय और प्राकृतिक संसाधन दोनों बहुतायत में हैं, उसके बावजूद भी हमारे देश के सपनों के बहुत बड़े सौदागर वित्त मंत्री महोदय यह दावा करते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था उत्साहवर्धक और सुदृढ़ है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट अथवा स्वयं सरकार द्वारा बताये गये आंकड़े एक अलग कहानी बताते हैं। यू.एन.डी.पी. की मानव विकास रिपोर्ट में 173 देशों के सर्वेक्षण में भारत को 134वां दर्जा दिया गया है। भारत 121वीं स्थिति से भी नीचे आ गया है, जिस पर वह वर्ष 1991 में था। इसका क्या तात्पर्य है ? इसका तात्पर्य यह है कि इन तीन वर्षों में, भारत कम से कम नये स्थापित स्वतंत्र देशों से आगे नहीं बढ़ सका है। अत: यह भारत सरकार की गलत आर्थिक नीति का परिणाम है जिससे आर्थिक स्थिति इस तरह की हो गई है। सबसे गंभीर बात रिपोर्ट में की गई टिप्पणी है। रिपोर्ट में कहा गया है और मैं इसे उद्धृत करता हूँ :

"भारत के एक तिहाई लोग, निर्धन लोग सुधारों की कीमत अदा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसके अधिक फायदे नहीं देखे गये।' इससे तथा अन्य आंकड़ो से, जो मैं अभी आपके सामने पेश करूंगा, यह देखा जा सकता है कि इस सरकार का तथा वित्त मंत्री महोदय का यह दावा कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार आयेगा, परिवर्तन आयेगा, वास्तविकता नहीं बल्कि एक कल्पना है, कहानी है। सकल घरेलू उत्पाद के विकास के आंकड़ों को देखिये। व्यापार घाटे, वित्तीय घाटे तथा राजस्व घाटे से संबंधित आंकड़ों पर नजर डालिये। इन सभी मामलों में, जो वायदे किये गये थे, उन्हें वित्त मंत्री जी ने पूरा नहीं

किया है। मेरे विचार में डा. मनमोहन सिंह स्थिति का सही आकलन करने में असफल रहे हैं। बीमारी यह है कि गरीबी बढ़ रही है। बेरोजगारी बढ़ रही है। वित्तीय अनुशासनहीनता है। आपूर्ति में अनियंत्रित वृद्धि हो रही है। मुद्रास्फीति अनियंत्रित है। व्यापार घाटे की स्थिति है। अतिरिक्त आयातों के वित्तपोषण के लिए डालरों की मांग में तेजी आई है, आंतरिक तथा बाहरी ऋण में वृद्धि हुई है, हमारे अनिरूद्ध विदेशी ऋण से उत्पन्न अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय देयता, असीमित ऋण इत्यादि हैं। और अगर किसी व्यक्ति के लिए यह परिवर्तन है, तो मेरी इससे सहमति नहीं होगी।

वर्ष 1992-93 के साथ-साथ वर्ष 1993-94 के सकल घरेलू उत्पाद में 4.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हालांकि केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1994-95 के दौरान सकल घरेलू उत्पाद 5.3 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्शाता है। लेकिन औसतन दर 4.5 प्रतिशत है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में 1992-97 की अवधि के लिए 5.5 प्रतिशत की वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया था। सरकार इसे किस प्रकार प्राप्त करेगी ? मैं इसके बारे में नहीं जानता। मैं सरकार से स्पष्ट उत्तर जानता। । वह लक्ष्य को किस प्रकार प्राप्त करना चाहती है ?

भारत के तुलन-पत्र पर नजर डालिये। केन्द्र सरकार की परिसंपत्तियों और दायित्वों के विवरण को देखने से आश्चर्य होता है। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कि दायित्व परिसंपत्तियों से अधिक हैं, किसी को लेखाकार बनने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां आंकड़े मौजूद हैं। दुःखद तथ्य यह है कि भारत सरकार की संपत्तियां 3,84,805 करोड़ रुपये हैं जबकि दायित्व 6,00,559 करोड़ रुपये है। वास्तव में यह अंतर 2,15,754 करोड़ रुपये के नुकसान के कारण है, जो संपत्तियों के प्रतिशत के रूप में यह नुकसान वर्ष दर वर्ष बढ़ रहा है। सरकार किस प्रकार इसका भुगतान करना चाहती है ? वह इसका भुगतान आंतरिक ऋणों से करना चाहती है या विदेशी ऋण से ?

ब्याज का भुगतान किया जा रहा है। मुझे डा0 मनमोहन सिंह के वर्ष 1991-92 के बजट भाषण का स्मरण हो आता है, जब उन्होंने कहा था :

'केवल ब्याज का भुगतान ही सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 4 प्रतिशत बनता है और यह केन्द्रीय सरकार के कुल व्यय का 20 प्रतिशत है। निर्णयात्मक कार्यवाही के अभाव में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जायेगी, जहां सुधारात्मक कार्यवाही करना संभव नहीं हो सकेगा।''और अब क्या स्थिति है ? अब ब्याज की अदायगी व्यय के 30 प्रतिशत तक जा पहुंची है। क्या सरकार यह मानती है कि वह ऋण जाल में फंस चुकी है ? क्या वह इस बात से सहमत है कि यह स्थिति संभावित उपाचारात्मक कार्यवाही से परे है ? इसके लिए किसे दोषी ठहराया जाए। इसके लिए सरकार की नीति ही जिम्मेदार है। वित्तमंत्री ने वर्ष 1994-95 के आर्थिक सर्वेक्षण में कहा है कि खाद्य पदार्थों का स्तर संतोषजनक है। जी हाँ, ऐसा है 1 जून 1991 को केन्द्र तथा राज्यों के पास खाद्यान्नों का भण्डार 22.45 मिलियन टन था तथा 1 जून, 1994 में यह भंडार बढ़कर 26.57 मिलियन टन हो गया। अब सुरक्षित भंडारों में वृद्धि का मुख्य कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली से कम माल उठाया जाना है। इसे तथ्यों तथा आंकड़ों द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है। वर्ष 1991-92 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से 99.45 लाख टन खाद्यान्न की खपत हुई जबकि वर्ष 1993-94 में यह घटकर 88.84 लाख टन रह गई। इसलिए भारतीय खाद्य निगम के गोदाम भरे हुए हैं परन्तु लोगों के पेट खाली हैं। ऐसा क्यों है ? ऐसा इसलिए है क्योंकि लोगों के पास क्रय शक्ति नहीं है। ऐसा इस लिए है क्योंकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मूल्य और वास्तविक वितरण प्रणाली के मूल्य और वास्तविक बाजार मूल्य लगभग बराबर हैं। भारत में करोड़ों ऐसे लोग हैं जो खरीद नहीं सकते हैं लेकिन खरीदने की इच्छा रखते हैं।

**सभापति महोदय** : आपने दस मिनट ले लिए हैं।

**प्रो. सुशान्त चक्रवर्ती** : ऐसा नहीं हो सकता महोदय, लेकिन मैं अपना भाषण समाप्त करने की कोशिश करूँगा।

जहां तक मुद्रास्फीति की दर का संबंध है अनेक माननीय सदस्यों ने इस पर विस्तारपूर्वक चर्चा की है। इसलिए मुझे ज्यादा विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं है। सरकार के दावे के संबंध में कि मुद्रास्फीति की दर घट रही है, मैं यह कहना चाहूंगा कि वार्षिक थोक मूल्य सूचकांक की औसत सुधार के बाद के वर्षों में 10.7 प्रतिशत तक पहुंच गई जबकि इसकी तुलना में सुधार पूर्व की अवधि में यह औसत 7.2 प्रतिशत थी। इसके लिए कौन जिम्मेवार हैं ? क्या यह नई आर्थिक नीति के कारण नहीं है ? इसी अवधि के दौरान खाद्य-पदार्थों के मूल्यों में 7.3 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में 10.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में 6.6 प्रतिशत की तुलना में 10.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस बात को नोट किया जाए कि वर्ष 1995-96 में 8 प्रतिशत की गिरावट के बाद मुद्रास्फीति की दर 7.2 प्रतिशत से ऊपर रही जो कि सुधार के पश्चात के वर्षों की दर थी। इसलिए, मैं वित्त मंत्री के इस दावे को चुनौती देता हूँ कि मुद्रास्फीति की दर घट रही है। आंकड़े इस प्रकार हैं। मैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा और मैं उन लोगों की भावनाओं को भी व्यक्त नहीं करना चाहता हूँ जो कि बाजार जाते हैं मैं नहीं जानता कि मंत्रीगण स्वयं के लिए सामान खरीदने बाजार जाते हैं। या नहीं। क्या वे सब्जियों, दालों इत्यादि के भाव जानते हैं ? आंकड़े दर्शाते हैं कि देश में खाद्य तेल की उपलब्धता तथा प्रति व्यक्ति खपत उसी अवधि के दौरान कम हुई जब डा0 मनमोहन सिंह ने देश के वित्त मंत्री का कार्यभार संभाला था।

हम आठवीं योजना के अन्तर्गत रोजगार वृद्धि की दर को पाने में भी असफल रहे हैं। इस तथ्य को मध्यावधि मूल्यांकन में पहले ही स्वीकार किया गया है। सरकार लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रही है। वर्ष 1991-92 में 5 मिलियन लोगों को रोजगार की आवश्यकता थी जबकि वर्ष 1992-93 में 2 मिलियन और वर्ष 1993-94 में 3 मिलियन लोगों को रोजगार की आवश्यकता थी। मैं यह आंकड़े योजना आयोग के दस्तावेज से उद्धरित कर रहा हूं। इसलिए इन तीन वर्षों के दौरान ही आठवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 10 मिलियन से भी अधिक पीछे रह गया है। शेष दो वर्षों में सरकार आठवीं योजना के लिए निर्धारित रोजगार का सृजन कैसे करेगी ? मुझे सरकार से इस प्रश्न का उत्तर चाहिए।

पिछले तीन वर्षों के दौरान व्यापार घाटे के तुलनात्मक आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि वर्ष 1993-94 में यह अन्तर केवल 250 मिलियन डालर था, वर्ष 1994-95 में यह अन्तर 798 मिलियन डॉलर हो गया तथा वर्ष 1995-96 में यह अन्तर 1976 मिलियन डालर हो गया है। क्या यही सुधार है जिसकी परिकल्पना की गई थी ? वर्ष 1995-96 में अप्रैल से अगस्त तक आयात में वृद्धि हुई है। इस पांच महीनों के दौरान आयात में 31 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है।

**5.00 म.प.**

**[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]**

इस अवधि में निर्यात केवल 27 प्रतिशत बढ़ा। वित्तीय घाटा जो कि 36,325 करोड़ रु. का था, बढ़कर 68,484 करोड़ रु. होने का अनुमान है। जहां तक विदेशी ऋण का संबंध है, मार्च 1991 में यह 83.8 बिलियन डॉलर थी, और आज यह बढ़कर लगभग 95.3 बिलियन डॉलर हो गया है। हमारा आन्तरिक ऋण लगभग 4,80,000 करोड़ रुपये का है। वर्ष 1995-96 के दौरान हमें 12.3 बिलियन डॉलर का ऋण भुगतान करना है।

अत: विदेशी मुद्रा का भण्डार 20 बिलियन डालर का है क्योंकि ह्रास् के कारण इसमें अतिरिक्त दो मिलियन डालर की कमी हो गई है। अब हमें इसी वर्ष 12.3 मिलियन डालर लौटाने हैं। अत: मैं वित्त मंत्री से पूछता हूं कि इसके बाद हमारे पास कितनी विदेशी मुद्रा रह गई है जिसकी वह डींग मारते हैं।

महोदय, मुझे आपना निवेदन पूरा करने के लिए दस मिनट का समय और चाहिए। क्या मुझे अपनी बात जारी रखनी चाहिए या मैं इसे बाद में कह सकता हूं ?

**अध्यक्ष महोदय** : आप बाद में बोल सकते हैं।

अब, दो वक्तव्य दिए जाने हैं, एक माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा और दूसरा माननीय संचार मंत्री द्वारा। पहले प्रधान मंत्री का वक्तव्य सुनना बेहतर होगा।

**5.02 म.प.**

## प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य

## "इन्सेट - 2 सी" उपग्रह का प्रक्षेपण

**प्रधान मंत्री** (श्री पी. वी. नरसिंह राव) : इस महान सदन को यह सूचित करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि भारतीय अन्तरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा डिजाइन एवं निर्मित इन्सैट-2सी उपग्रह को आज सुबह सफलतापूर्वक प्रमोचित किया गया। इन्सैट-2सी उपग्रह को लेकर एरियाने प्रमोचक राकेट ने फ्रेंच गियाना में स्थित कौरू से भारतीय समयानुसार प्रात: 04.53 बजे उड़ान भरी और उसे 200 कि0मी0 की उपभू कक्षा और 35976 कि0मी0 की अपभू कक्षा के साथ भू-तुल्यकालिक अन्तरण कक्षा में स्थापित किया। उपग्रह अब प्रति साढ़े दस घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। .

कर्नाटक के हासन में स्थित इन्सैट मुख्य नियंत्रण सुविधा ने इन्सैट-2सी के कक्षा में अन्त:क्षेपण के लगभग दो मिनट बाद दूरमिति संकेतों को प्राप्त किया और उपग्रह के स्वास्थ्य के सामान्य होने की पुष्टि की है। उपग्रह को प्रचालनात्मक बनाने के पहले कई युक्तिचालन कार्य आयोजित किये जाने हैं। उपग्रह में रखी द्रव अपभू मोटर की फायरिंग द्वारा इन्सैट-2सी की कक्षा को, भूमध्यरेखीय तल में पृथ्वी से लगभग 36,000 कि0मी0 ऊपर उसकी अन्तिम भू-तुल्यकालिक कक्षा तक, संवर्धित किया जाएगा। उपग्रह द्वारा निकट भू-तुलकालिक कक्षा प्राप्त करने के बाद दो सौर व्यूहों और दो एन्टेनाओं का प्रस्तरण किया जाएगा। तद्नन्तर, उपग्रह पर स्थित सभी नीतभारों की जांच की जाएगी। कक्षा संवर्धन, उपांगों का प्रस्तरण तथा सभी नीतभारों की, प्रारंभिक जांच लगभग तीन सप्ताह में हो जाने की संभावना है।

इन्सैट मुख्य नियंत्रण सुविधा से ये सभी प्रचालन कार्य आयोजित किये जायेंगे और मुझे विश्वास है कि इन्सैट-2सी को राष्ट्र की सेवा में समर्पित करने के उनके मिशन में सम्पूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए इसरों के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को शुभकामनाएं देने के लिए इस सदन के सभी सदस्य मेरा साथ देंगे।

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** (गांधीनगर) : महोदय, मैं भी प्रधान मंत्री के साथ उन वैज्ञानिकों और तकनीशियनों को बधाई देता हूं और प्रशंसा करता हूं जिन्होंने यह सफलता प्राप्त की है और देश को इस गर्व की अनुभूति करवाई है।

**[हिन्दी]**

**श्री शरद यादव** (मधेपुरा) : अध्यक्ष जी, मैं भी इस गौरवशाली काम के लिए प्रधान मंत्री के साथ, जो वैज्ञानिकों, तकनीशियंस और वहां के कर्मचारियों ने बड़ा काम किया है, उसमें अपने आपको सम्मिलित करता हूं।

**[अनुवाद]**

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रधान मंत्री और अन्य

माननीय सदस्यों ने यहां पर जो कुछ कहा उससे अपने आप को और अपने दल को संबद्ध करते हुए मैं बहुत प्रसन्न हूँ।

मैं अपने तकनीशियनों, वैज्ञानिकों और इस परियोजना से जुड़े सभी लोगों को इसके सफलतापूर्वक पूरा होने पर, चाहे वे किसी भी तरह से इससे जुड़े हुए हों, को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। महोदय, इससे पता चलता है कि अवसर दिए जाने पर हमारे वैज्ञानिक और तकनीशियन विश्व स्तर का कोई भी निर्माण पर सकते हैं जिस पर आप गर्व कर सकते हैं। इससे पता चलता है कि अवसर दिए जाने पर और अनुसंधान और विकास की समुचित सुविधाएं दिए जाने पर वे यह सब हासिल कर सकते हैं। जिसके लिए वित्त मंत्री को उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। हम विश्व स्तर की विशेषज्ञता हाँसिल कर सकते हैं जिस पर हम गर्व कर सकते हैं और जो हुआ है उस पर भी हमें गर्व हैं। मैं इससे संबद्ध सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूँ।

[हिन्दी]

**श्री भोगेन्द्र झा** (मधुबनी) : अध्यक्ष जी, जो प्रधान मंत्री ने कहा है उन भावनाओं और शब्दों के साथ मैं भी अपने को पूरी तरह से समाहित करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि जो उपलब्धि हमारे वैज्ञानिकों ने और उससे सम्बन्धित अधिकारियों ने हासिल की है उससे सबक लेकर राष्ट्रीय आत्मविश्वास से भरकर हम सभी लोग देश को आगे बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ाएंगें।

[अनुवाद]

**श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** (विजयवाड़ा) : अपने देश के लिए यह महान प्रतिष्ठा हासिल करने के लिए हम प्रधान मंत्री जी के साथ अपने वैज्ञानिकों को बधाई देते हैं।

[हिन्दी]

**श्री हरि किशोर सिंह** (शिवहर) : भारतीय विज्ञान और तकनीकी विकास के गौरवपूर्ण प्रयासों पर मैं अनेक वैज्ञानिकों और तकनीशियनों को मुबारकबाद देता हूँ और प्रधान मंत्री तथा सदन के अन्य सदस्यों की भावना से अपने को सम्बद्ध करता हूँ।

[अनुवाद]

**मेंजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी** (गढ़वाल) : अध्यक्ष महोदय, जिन उपलब्धियों पर हमें गर्व है और जिनके लिए हम अपने वैज्ञानिकों को बधाई दे रहे हैं उनके संबंध में, मैं इस सरकार को यह भी याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारे वैज्ञानिकों की बहुत सी उपलब्धियां फलीभूत नहीं हुई हैं। इस संबंध में मैं अपने प्रधान मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि अग्नि और पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाए। इस क्षेत्र में आश्चर्यजनक कार्य हुआ है। लेकिन उनकी सहायता के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है। अत: इस देश की बेहतरी के लिए हमारे वैज्ञानिकों के सभी प्रयासों का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा रहा है। और मैं यह बात प्रधान मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूँ।

**श्री ई० अहमद** (मंजेरी) : महोदय, इससे पता चलता है कि हमारे महान देश में विज्ञान के क्षेत्र में एक महान सफलता अर्जित करके एक और उपलब्धि प्राप्त कर ली है, और यह पूरे देश के लिए गर्व की बात है। मैं इस अवसर पर सभी पात्र व्यक्तियों को बधाई देता हूँ। और उनकी प्रशंसा करता हूँ।

**श्री पी. सी० थॉमस** (मुवत्तुपुज्जा) : मैं अपनी और अपने दल की ओर से अंतरिक्ष और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी सफलता हासिल करने के लिए अपने वैज्ञानिकों, तकनीशियनों और सभी संबंधित व्यक्तियों को बधाई देता हूँ। महोदय, ह्यूसटन, यू०एस०ए० में "नासा" अपनी गतिविधियां कम कर रहा है। महोदय, अपनी गतिविधियां बढ़ाने के लिए यह अच्छा समय है। मैं प्रधान मंत्री जी, सरकार और वैज्ञानिकों को एक बार फिर बधाई देता हूँ।

**श्री अर्जुन सिंह** (सतना) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सभा ने एक उत्तेजक..... (**व्यवधान**)..... माननीय अध्यक्ष महोदय, इस समाचार से सभी आनन्दित और उत्साहित हो गए हैं। यह उपलब्धि इस देश के युवा और अनुभवी वैज्ञानिकों के एक दशक से भी अधिक समय से चल रहे अथक और समर्पित प्रयासों के पूर्णत: अनुरूप हैं।

मैं समझता हूँ कि अब समय आ गया है जब हमें केवल उन्हें बधाई ही नहीं देनी चाहिए बल्कि उनकी सलाह की, हमारी अनेक राष्ट्रीय नीतियों चाहे वह नीति रक्षा, संचार या अंतरिक्ष से ही संबंधित ही क्यों न हों, में एक महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए क्योंकि राष्ट्रीय हितों की गति देने, इन कार्यों में देश के हितों को बढ़ावा देने के लिए उनकी स्वतंत्र और स्पष्ट राय है। यही समय है कि उन्हें इन क्षेत्रों में भी मान्यता मिले।

इन शब्दों के साथ मैं इस देश के वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए सदन द्वारा व्यक्त भावनाओं के साथ अपने आप को सम्बद्ध करता हूँ।

[हिन्दी]

**श्री उदय प्रतापसिंह** (मैनपुरी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की भावनाओं के साथ अपने को और अपनी पार्टी को सम्बद्ध करता हूँ और दो पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा कि :

जहां अवतार जन्में हैं, पले हैं वीर ऋषि योगी,
न कोई यह समझ बैठे कि अब यह भूमि परती है,
यहां का हर नया अंकुर अगर पल गया डंग से,
नमूना बनकर जायेगा कि उपजाऊ धरती है।
यह बड़ी उपजाऊ धरती है।

ऐसे लोगों को इस सदन की ओर से भी सम्मान मिलना चाहिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर इन तमाम लोगों को सम्मान देते हुए बैठता हूँ।

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय** : इनसेट-2सी का निर्माण और सफल प्रक्षेपण के

लिए जिम्मेदार वैज्ञानिकों, अभियंता कामगार और योजना बनाने वालों ने हमें गौरान्वित किया है और वे वास्तव में हमारे हार्दिक बधाई के पात्र हैं जो हम उदारतापूर्वक दे चुके हैं। इस सभा की ओर से नेताओ, वैज्ञानिकों, अभियंताओं और कामगारों को इस आशय की बधाई संप्रेषित की जाए।

**श्री पी. वी. नरसिंह राव** : महोदय, हम ऐसा करेंगे।

---

5.04 म.प.

## मंत्री द्वारा वक्तव्य

### मौलिक टेलीकॉम सेवाओं के प्रचालन हेतु निजी कम्पनियों को लाईसेंस दिया जाना

**संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुखराम)** : माननीय अध्यक्ष महोदय.... (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : इस सदन के समय का सदुपयोग बौद्धिक वाद-विवाद के लिए करना चाहिए।

**श्री सुखराम** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं देश के विभिन्न भागों में मौलिक टेलीकाम सेवा के प्रचालन हेतु निजी कम्पनियों को लाइसेंस जारी करने के लिए निविदाओं की स्थिति के दर्जे के संबंध में एक वक्तव्य जारी करना चाहता हूँ। कुछ माननीय सदस्यों द्वारा एक निजी कम्पनी मैसर्स एच. एफ. सी. एल. बेजेक टेलीकॉम लिमिटेड के प्रति दिखाये गये पक्षपात के संबंध में की गई टिप्पणियों को देखते हुए इस प्रकार का वक्तव्य जारी करना आवश्यक हो गया है . . .(व्यवधान)

**श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़)** : अध्यक्ष महोदय, सदन को यह सूचना दी गई थी कि वक्तव्य को चार बजे की अपेक्षा सायंकाल पांच बजे तक रोककर रखा जाये ताकि इसकी पर्याप्त प्रतिलिपियां उपलब्ध हो सकें और इसका हिन्दी अनुवाद जो कि पूरा नहीं हुआ था, उसको भी उपलब्ध किया जा सके।

मुझे विश्वास है कि यह पूर्णतय: एक प्रशासनिक कठिनाई/अड़चन है, परन्तु यदि पर्याप्त प्रतिलिपियों की व्यवस्था हो जाएगी तो इससे हमको सहायता मिलेगी क्योंकि यह एक जटिल मामला है।

**अध्यक्ष महोदय** : क्या सदस्यों को प्रतिलिपियां दे दी गई हैं ?

**श्री सुखराम** : महोदय, अब प्रतिलिपियां तैयार हैं और मैं समझता हूँ कि पांच या दस मिनट में, ये प्रतिलिपियां माननीय सदस्यों को दे दी जायेंगी। . . . . (व्यवधान)

[हिन्दी]

**एक माननीय सदस्य** : जिस कम्पनी का नाम आ रहा है, उस कम्पनी का नाम तो होना चाहिए कि वह कौन सी कम्पनी है ?

**प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर)** : ऐसे मामलों में जान बूझकर लापरवाही करना चाहते हैं . . . (व्यवधान)

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय** : हमारे सदन में हमारे पास मंत्री द्वारा जारी वक्तव्य के अनुपूरक नहीं हैं। अब कृपया मंत्री जी को अपना वक्तव्य जारी करने दें। मुझे कहा गया है कि इसकी प्रतिलिपियां तैयार हो रही हैं, हो सकता है प्रतिलिपियां तैयार हों और सदस्यों को दे दी जाएंगी। सदस्यों को प्रतिलिपियां मिल जाएंगी।

[हिन्दी]

**श्री जसवन्त सिंह** : आपने ही फरमाया था कि हिन्दी ट्रांसलेशन की वजह से . . . . (व्यवधान)

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने उनसे यह बात सुनी थी। हमें यह समझना चाहिए कि यह ऐसा मामला है जो कि शून्य काल में किया गया है।

**श्री जसवन्त सिंह** : महोदय, मैं यह बात जानता हूँ परन्तु ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि उन्होंने स्वयं कहा था कि प्रतिलिपियों की व्यवस्था करेंगे।

[हिन्दी]

**श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल (खलीलाबाद)** : यह हमारा अधिकार है। सरकार क्या कर रही है ? करोड़ों रूपया खर्च कर दिया।

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय** : क्या संसदीय कार्य मंत्री अथवा कोई भी सदसय हिन्दी संस्करण प्रतिलिपियां उपलब्ध करवा देंगे ?

(व्यवधान)

**श्री सुखराम** : महोदय, अंग्रेजी और हिन्दी, दोनों संस्करण दस मिनट में उपलब्ध कर दिये जायेंगे।

[हिन्दी]

**श्री प्रभू दयाल कठेरिया (फिरोज़ाबाद)** : मालूम होता है कि हम अमेरिका की पार्लियामेंट में बैठे हैं। सरे आम हिन्दी की उपेक्षा हो रही है। सरकार कर रही है। हिन्दी की अपेक्षा। हम सदन के माननीय सदस्य हैं ..... (व्यवधान)

[अनुवाद]

**जल संसाधन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल)** : महोदय, हिन्दी अनुवाद में थोड़ा समय लगता है। अत: हिन्दी अनुवाद शीघ्र ही मिल जाएगा।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : आप बैठ जाइए। आप पहले बैठ जाइए।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : देखिए, हिन्दी का वर्जन भी आपको दिया जाएगा। मिनिस्टर यहां पर स्टेटमेंट कर रहे हैं और उसका ट्रांसलेशन भी हिन्दी में हो रहा है। आप सुन लीजिए प्लीज। बाहर ऐसा एम्प्रेशन नहीं जाना चाहिए कि मिनिस्टर को जो कहना है, आप सुन नहीं रहे हैं। आपने जो कहा है, उन्होंने सुना है और उसके बाद दे रहे हैं। कापीज

के लिए उनको टाइम दिया था। वक्त पर आती तो अच्छा था। अब नहीं हुई है, तो सुन लीजिए उसको बाद में पढ़ लीजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय** : आप किसी को भी हिन्दी या अंग्रेजी में बोलने के लिए मजबूर नहीं कर सकते हैं।

[हिन्दी]

आप हैडफोन लगाकर सुन लीजिए, आपको हिन्दी में वर्जन सुनाई देगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय** : इसलिए, महत्वपूर्ण मामलों में आपको नियमों का पालन करना चाहिए और उसके लिए आपको पर्याप्त समय भी देना चाहिए। आपने यह मामला शून्य काल के दौरान उठाया है। मंत्री जी को एक दिन का भी समय नहीं दिया गया हे। आपने उनसे आज ही वक्तव्य जारी करने के लिए कहा और वह अपना वक्तव्य जारी करने के लिए यहां आये हैं। यदि तकनीकी मुद्दों पर आप उनकी बात नहीं सुनते तो यह उचित नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

**अध्यक्ष महोदय** : आप इसको कान में लाइए, आपको हिन्दी में ट्रांसलेशन मिलेगा।

(व्यवधान)

**श्री प्रभू दयाल कठेरिया** (फिरोज़ाबाद) : आपको पूरा अधिकार है, आप कह सकते हैं।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : उनको बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। आप वहां बैठ कर डायरेक्टशन मत दीजिए। मैं आपको डायरेक्ट कर रहा हूँ कि आप चुप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय** : आप सही कह रहे हैं।

[हिन्दी]

**श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल** : हिन्दी में काम नहीं होता .....

(व्यवधान) लोक सभा में हिन्दी में काम नहीं हो रहा है, प्रति नहीं मिल रही है।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : आप बिना वजह मामले को तोड़-मरोड़ कर मत रखिए। अगर तोड़-मरोड़ कर रख रहे हैं, तो वह देश के हित में नहीं है। जो सही बात है, उसको चलने दीजिए।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : आप सुनिएगा, कापिज बाद में दे देंगे।

[अनुवाद]

कृपया आप ईयर फोन से सुनिये। आप को हिन्दी संस्करण सुनाई देगा।

मैं इसीलिए कह रहा हूँ, आप अगर उनको कल का समय दे देते, तो शायद वे कर के ले आते। आप की इच्छा की वजह से उन्होंने दिया है।

[अनुवाद]

**श्री सुखराम** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं देश के विभिन्न भागों में आधारभूत दूरसंचार सेवावओं के संचालन हेतु निजी कम्पनियों को लाईसेंस देने के लिए निविदाओं की स्थिति के सम्बन्ध में एक वक्तव्य देना चाहता हूँ। एक निजी कम्पनी मैसर्स एच.एफ.सी.एल. बेजेक टेलीफोन लिमिटिड के साथ किए गए कथित पक्षपात के संबंध में कुछ माननीय सदस्यों द्वारा की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए वक्तव्य देना आवश्यक भी हो गया है।

मई, 1994 में संसद के समक्ष रखी गई राष्ट्रीय दूरसंचार नीति में अन्य बातों के साथ साथ यह भी प्रावधान था कि आधारभूत दूरसंचार सेवाएं निजी क्षेत्र के लिए भी खोल दी जाएंगी ताकि कम से कम समय में उचित दरों पर सभी को टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध कराने के सरकारी प्रयासों को पूरा किया जा सके। इस नीति के अनुसरण में निजी क्षेत्र के आधारभूत सेवाओं में प्रवेश को नियंत्रित करने हेतु, सितम्बर, 1994 में दिशा निर्देश जारी किए गए थे। इन दिशा निर्देशों में यह प्रावधान किया गया था;

(क) देश के प्रत्येक परिमंडल में दो संचालन होंगे। डी.ओ.टी/एम.टी.एन.एल. और एक निजी संचालक डी.ओ.टी. के संचालन के लिए देश को 21 परिमंडलों में बांटा गया है। अत: निजी संचालनों को 21 लाइसेंस जारी करने का प्रस्ताव है;

(ख) भारतीय कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत भारतीय कम्पनियां ही लाइसेंस के लिए योग्य होंगी।

(ग) ऐसी लाइसेंसधारी कम्पनी में विदेशी इक्विटी 49 प्रतिशत तक ही होगी।।

(घ) अन्तर परिमंडल यातायात पर सरकारी आपरेटर का एकाधिकार रहेगा और इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय यातायात पर विदेश संचार निगम लिमिटिड (भारत सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम का एकाधिकार रहेगा।

16 जनवरी, 1995 को विगत वक्तव्यों और दिशा निर्देशों पर आधारित एक निविदा दस्तावेज जारी किया गया था। निविदादाता कम्पनियों को निविदा में निर्धारित शर्तों के संबंध में स्पष्टीकरण मांगने के लिए आमंत्रित किया गया था। बहुत से स्पष्टीकरण मांगे गए। 27.5.1995 को आवश्यक स्पष्टीकरण जारी किये गए। यह दो चरणों

वाली निविदा प्रक्रिया थी, प्रथम चरण में पूर्व अर्हता प्राप्त कम्पनियों के लिए तकनीकी और व्यावसायिक निविदाएं खोली गई और दूसरे चरण में पूर्व अर्हता प्राप्त कम्पनियों की वित्तीय निविदाएं खोली गई और उनका मूल्यांकन किया गया।

पूर्व अर्हताओं के लिए प्रवेश शर्तें बहुत कड़ी रखी गयी थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल ऐसी कम्पनियां ही निविदा में हिस्सा लें।

(व्यवधान)

**श्री राम कापसे** (ठाणे) : एच.एफ.सी.एल की औकात क्या है।

**अध्यक्ष महोदय** : कापसे जी, कृपया व्यवधान न डालें।

**श्री सुखराम** : धैर्य रखें, मैं इस मुद्दे पर आ रहा हूँ .....

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : यह उचित नहीं है।

[हिन्दी]

**प्रो. रासिंह रावत** (अजमेर) : मान्यवर, एच.एफ.सी.एल. का पूरा नाम क्या है ?

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय** : संक्षेपाक्षरों का प्रयोग न करें। पूरा नाम बोले।

**श्री सुखराम** : इसका पूरा नाम हिमाचल फ्यूचारिस्टिक कम्यूनिकेशन्स लिमिटेड बेजेक टेलीकॉम लिमिटेड है।

पूर्व अर्हताओं के लिए प्रवेश शर्तें बहुत कड़ी रखी गई थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि भारत में अधिकांश परिमंडलों में आधारभूत दूरसंचार सेवाओं के व्यापक संचालन हेतु भारी निवेश करने के लिए केवल वित्तीय, भौतिक तथा तकनीकी रूप से सक्षम कंपनियां ही निविदाओं में भाग लें। प्रवेश शर्तें इस प्रकार थी :

(क) 'क' श्रेणी की कम्पनी की कुल पूंजी 300 करोड़ रुपये से कम नहीं होनी चाहिए, 'ख' श्रेणी की कंपनी की कुल पूंजी 200 करोड़ रुपये से कम नहीं होनी चाहिए और 'ग' श्रेणी की कंपनी की कुल पूंजी 50 करोड़ रुपये से कम नहीं होनी चाहिए।

(ख) निविदाता के पास कम से कम पांच लाख आधार टेलीफोन लाइन संचालन का अनुभव होना चाहिए।

सोलह बोलीदाता कंपनियों ने निविदा में भाग लिया-

ऊपर उल्लेखित अर्हताओं के संदर्भ में सभी कंपनियों को योग्य पाया गया। यह प्रसन्नता का विषय था कि बहुत सी भारतीय लघु प्रतिष्ठ नियमित कंपनियों ओर बहुत सी विश्व की प्रमुख दूरसंचार कंपनियों ने संयुक्त उद्यमों के रूप में निविदा में हिस्सा लिया।

मैसर्स एच.एफ.सी.एल, बेजेक इन कम्पनियों में एक थी प्रवतर्क कंपनियां निम्नलिखित थी : एच.एफ.सी.एल, के.जे.एम.सी., फाईनांसियल सर्विसेज लिमिटेड, कोटल महेन्द्रा फाइनेन्स लि. बीजीक इसरायल और शीनवात्रा इंटरनेशनल पब्लिक कारपोरेशन लिमिटिड, थाईलैंड। इस कंपनी की कुल पूंजी 4622 करोड़ रुपये है। (व्यवधान)

यह तो एक कंसोर्टियम है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

**श्री राम कापसे** : ये जे.पी.सी. वाले ही है न, बैंक घोटाले वाले ही हैं न।

[अनुवाद]

**श्री सुखराम** : मैं उनमें से किसी को नहीं जानता। (व्यवधान)

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय** : ऐसे आपको कैसे जवाब मिलेगा? इसका क्या मतलब है? देखिए आपने अगर किसी के ऊपर एलीगेशन लगाया है वह बोल रहे हैं।

[अनुवाद]

कृपया, कम से कम उनकी बात तो सनु लें। खंडूरीजी, यह ठीक नहीं है। कृपया ऐसा न करें कि यह दोधारी तलवार है।

(व्यवधान)

**श्री सुखराम** : यह एक कंसोर्टियम है। ये कंसोर्टियम सदस्य हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय क्या आप के.जे.एम.सी. का पूरा नाम बता सकते हैं?

**श्री सुखराम** : महोदय, मैं यह सब नहीं जानता। यह कंपनी का नाम है जो निविदा दस्तावेज में दिया गया है। परन्तु मैं इसका पता लगाऊंगा। यदि मुझे इसका पूरा नाम मिल जाता है तो मैं आपको और उनको बता दूंगा।

ये विदेशी कंपनी प्रवर्तक हैं। (व्यवधान)

**श्री राम नाईक** (मुम्बई उत्तर) : ये शिनवात्रा वही मंत्री हैं जिन्हें थाईलैंड में बर्खास्त कर दिया गया है।

**श्री सुखराम** : मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। (व्यवधान)

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** (गांधी नगर) : यह विशिष्ट प्रश्न था। विपक्षी सदस्यों के मनों में जो कुछ गलतफहमियां हैं वे इन्हीं तथ्यों के कारण हैं और उभर कर आए हैं और इसी कारण दूसरे सदन में कार्य नहीं हो रहा है। आपने इस बात की प्रशंसा की थी कि हम आपकी बात सुनने को तैयार हैं। परन्तु अब आप कह रहे हैं कि आप इस बारे में नहीं जानते हैं।

(व्यवधान)

**श्री सुखराम** : मैं इस मुद्दे पर आऊंगा। श्री जसवन्त सिंह ने यह मुद्दा उठाया था। मैं यह पता लगाने की कोशिश करूंगा कि इस कम्पनी की स्थिति क्या है।

(व्यवधान)

**श्री राम कापसे** : शिनवात्रा यह मंत्री हैं जिन्हें थाईलैंकड में बर्खास्त कर दिया गया है।

**श्री सुखराम** : मुझे बताया गया है कि इस कम्पनी के मालिक

थाईलैंड के उप प्रधान मंत्री हैं। इसे काली सूची में नही डाला गया है। थोड़े से समय में मैं यही कुछ पता लगा पाया हूँ। निविदा जांच समिति का कार्य वित्तीय परिस्थितियों और तकनीकी स्थितियों का पता लगाना था। यह उनका कार्य था।

(व्यवधान)

**श्री जसवन्त सिंह :** महोदय यदि आप अनुमति दें तो मैं एक विशिष्ट प्रश्न पूछना चाहता हूँ। अन्यथा मैं बैठ जाता हूँ। सुबह हमारा उद्देश्य यह था कि हम अपने प्रश्न पूछें ताकि मंत्री जी को समय मिल सके। पूछे गए प्रश्नों में यह प्रश्न स्पष्ट था कि इन कम्पनियों के पीछे कौन है ? इन कम्पनियों की सूची बनाना ही काफी नहीं है। इसके बाद मंत्री जी से आपने पूछा था कि के.जी.एम.सी. का पूरा नाम क्या है।

**श्रीराम नाईक :** यह कुछ नही जानते हैं।

(व्यवधान)

**श्री जसवन्त सिंह :** माननीय मंत्री का कहना है कि, "मै नहीं जानता" हम कम्पनियों के नाम नही जानना चाहते। वे जानी मानी हैं। हम इन कम्पनियों के मालिकों के बारे में जानना चाहते हैं। इस कम्पनी का मालिक कौन है ? मैं सीधे कहता हूँ कि इस थाई कम्पनी के विरूद्ध भ्रष्टाचार के आरोप हैं। मंत्री का कहना है कि निविदा जांच समिति ने यह पता लगाने की कोशिश नहीं की।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** चलो देखते हैं।

**सुखराम :** इसीलिए मैं कल तक का समय चाहता था।

(व्यवधान)

**सुखराम :** मैं इनके पूरे नामों का पता लगा कर आपको बता दूंगा ..... (व्यवधान)

[हिन्दी]

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी :** अध्यक्ष महोदय, आप मंत्री महोदय को एडवाइजर करें कि कल स्टेटमेंट दें। (व्यवधान)

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय :** क्या आपको और समय चाहिए।

**श्री सुखराम :** मुझे और समय नहीं चाहिए। मैं पूरी तरह तैयार हूँ। (व्यवधान) मैं आपको नाम दे दूंगा। (व्यवधान)

[हिन्दी]

**श्री रामेश्वर पाटीदार (खारगोन) :** मंत्री जी, कल पूरी तैयारी के साथ आएं तो ठीक रहेगा। (व्यवधान)

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय :** कृपया अपने स्थान ग्रहण कीजिए। मैं यही चाहता था कि मंत्री से वक्तव्य के लिए आप मुझे लिख कर दें। यदि आप मुझे लिखित में दे दें तो मैंने इसकी जांच करके मंत्री से इस सम्बन्ध में वक्तव्य मांग लिया होता और आपके प्रत्येक लिखित प्रश्न के उत्तर के सम्बन्ध में उनसे स्पष्टीकरण मांग लिया होता। आपने इसके लिए गैर-सूचीबद्ध कार्य के लिए आबंटित समय चुना। आपने वक्तव्य दिया और फिर अपने मंत्री को वक्तव्य देने के लिए कहा। मंत्री अपना वक्तव्य देने के लिए राजी थे। उन्होंने मुझसे कहा था और मेरे विचार में वह वक्तव्य देने के लिए तैयार थे। क्योंकि जब उन्होंने मुझसे कहा तो मुझे लगा कि उनके पास इस सम्बन्ध में पूरी जानकारी है। यही कारण है कि दोपहर में मैंने कहा था कि यदि उन्हें वक्तव्य देने के लिए कहा कुछ भी दिया जाता तो वह वक्तव्य दे दते क्योंकि वह आत्म विश्वास के साथ कह रहे थे। जिन्होंने उनकी बात सुनी वे उनसे आश्वस्त हुए। अत: मैंने उन्हें वक्तव्य देने के लिए कहा। कृपया आप यह समझे कि आपने उन पर कुछ आरोप लगाने वाला वक्तव्य दिया है। यह एक बड़े ठेके से सम्बद्ध है। पहले उन्हें अपना वक्तव्य देने दें और फिर यदि आपको कुछ और कहना होगा या आपको कोई प्रश्न पूछना होगा, तो मैं उसे आवश्यक प्रश्न मान कर आपको प्रश्न पूछने की अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

मंत्री जी आडवाणी जी ने कहा कि अगर आपको और समय चाहिए तो आपको दिया जा सकता है। यह शायद सबका आउटलुक है।

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी :** अध्यक्ष जी, मेरे पास इस कांट्रेक्ट के बारे में, इस बिडिंग के बारे में कई सारे डीटेल्स इस समय हैं, जिनका इसमें कोई जिक्र नही है, तो स्वाभिवाक रूप से ये कहेंगे कि आपने यह बात तो कही नहीं थी। इसीलिए मैंने उतना ही प्वांइट-आउट किया आज प्रात: काल हमारी ओर से यह आशंका प्रकट की गई कि इस सारे प्रोसेस में जिस एक कंपनी को फायदा दिया गया, उस पर कंपनी के क्रिडेंशल्स क्या हैं, उसकी बैक - ग्राउंड क्या है, उसमें कौन लोग हैं, ये 2-3-4 स्पेसिफिक बातें मेरे सहयोगी श्री जसवंत सिंह जी ने यहां पर सदन में कहीं। मैंने उस समय आग्रह किया था कि मंत्री जी का स्टेटमेंट 3 बजे हो जाए। आपने 4 बजे का समय एजेस्ट किया, हमने कहा कि कोई आपत्ति नहीं है। जब हम 4 बजे खड़े हुए तो आपने बताया कि मंत्री जी का फोन आया है कि अभी भाषांतर नहीं हो पाया है, इसलिए 5 बजे मंत्री जी आएंगे, हमने कहा कोई आपत्ति नही है। अब जिस विषय की चर्चा सुबह जसवंत सिंह जी ने की थी, उसके बारे में जब हम सवाल उठाते हैं तो मंत्री जी कहते हैं कि मुझे पता नहीं हैं। आपने कहा कि समय बहुत कम रहा तो मंत्री जी और पता लगा लें, मैंने कहा कि कल कर लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इसमें जो और बातें हैं, उनके बारे में जब सवाल पूछेगे, जिनका इसमें कोई जिक्र नही है, तो मंत्री जी कहेंगे कि मुझे पता लगाना पड़ेगा।

[अनुवाद]

महोदय, मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, अत: मेरी प्रार्थना है कि आप उन्हें कल अपना वक्तव्य देने को कहें।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष सभापति महोदय** : मैं इस मामले को इस तरह से हल करना चाहता हूं। दूसरे सदन में वक्तव्य देने के बाद ही सदस्यों को प्रश्न पूछने की और मंत्री से उत्तर देने की अपेक्षा की जाती है। हम यहां पर उस प्रक्रिया का अनुसरण नहीं करते। परन्तु यदि सदस्यों में इस मुद्दे को लेकर कुछ आक्रोश है तो मैं इस मामले को इस ढंग से हल करना चाहूंगा और मुझे आशा है कि आप मेरे साथ सहमत होंगे। यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो कृपया उसे किसी कागज पर लिख कर मुझे दे दें। मैं उसे मंत्री के पास भेज दूंगा और मैं आपके द्वारा उठाए गए मुद्दों के संदर्भ में मंत्री महोदय को एक और वक्तव्य देने की इजाजत दूंगा।

(व्यवधान)

**श्री सुखराम** : मैं, अब आप पूरी तरह तैयार हूं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

**श्री लाल कृष्ण कृष्ण आडवाणी** : अध्यक्ष जी, मुझे इस पर आपत्ति इनकी तैयारी न होने के कारण है। इनका जो एटीट्यूड है ... (व्यवधान) और यह सारा जो प्रोसेस है ....

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : आप लिखित रूप में दें ..... (व्यवधान)

**श्री लालकृष्ण आडवाणी** : मुझे इसमें रूचि नहीं। यह सदन को एक प्रकार .... व्यवधान

**अध्यक्ष महोदय** : प्लीज आडवाणी जी। .... (व्यवधान)

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय** : मैं आपके द्वारा उठाए गए मुद्दों की प्रशंसा करता हूं। मान लो कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनका उत्तर वह नही दे रहे हैं, तो आपको भी उन प्रश्नों के उत्तर पाने के अवसर से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि वह वक्तव्य देंगे जिन प्रश्नों के उत्तर आप चाहते हैं वे लिखित रूप में मुझे दे दें। आपको उनके उत्तर मिल जाएंगे।

(व्यवधान)

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : महोदय वह इसे सभा पटल पर रख सकते हैं।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : आपको उत्तर मिल जाएगा। तब आप सन्तुष्ट होंगे।

(व्यवधान)

**श्री सुखराम** : महोदय मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा हूं।

**श्री वसुदेव आचार्य** : महोदय उन्हें अपना वक्तव्य कल देने को कहें।

**अध्यक्ष महोदय** : वसुदेव आचार्य जी, आप क्या कह रहे हैं। आप शून्यकाल में बोलें और अब भी बोलना चाहते हैं।

(व्यवधान)

**स्कैवड्रन लीडर कमल चौधरी** (होशियारपुर) : महोदय, मेरे विचार से यह सर्वथा अनुचित है। मंत्री को अपना वक्तव्य पूरा करने दिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

**श्री फूलचन्द वर्मा** (शाजापुर) : हम लिखकर देंगे तो आप जवाब दिलवा देंगे।

**श्री शरद यादव** (मधेपुरा) : अध्यक्ष जी, यह बात आपने खुद कही। इसलिए सवाल यह है कि सुबह जब यह सवाल उठाया गया था तो आपने कहा था कि उचित समय पर हम उठाऐंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन आपके बोलने के बाद मंत्री जी खड़े हुए। मंत्री जी ने कहा कि मैं उन सारी चीजों को जानता हूँ और अभी करने को तैयार हूँ। फिर आपने 6 बजे का समय दिया। आडवाणी जी ने 3 बजे का समय दिया। मैंने आडवानी जी को एक घंटा आगे दिलवाया। *

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय** : वह अस्पताल से शल्यचिकित्सा के बाद वापिस लौटे हैं। हमें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

**श्री पवन कुमार बंसल** (चण्डीगढ) : *

**श्री शरद यादव** : मैं समझ रहा हूं, मैं समाप्त कर रहा हूं। मामला बड़ा गंभीर है और हम लोगों के मन में एक शंका है। इस सारे बयान को मैंने पढ़ा है। इस सारे ब्यान के चलने और जिन मुद्दों को हमने सुबह उठाया था वह सारी चीजें इसमें समाप्ति नहीं हैं। मंत्री जी ने साफ-साफ कहा था कि वह तैयार हैं और अभी भी वह कल के लिए कह रहे हैं। ... (व्यवधान) जब भी कोई बात पूछी जा रही है तो वे कल के लिए कह रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैं समझता हूं कि आपने इनको ठीक तरह से कहा था और बेहतर कहा कि वह कल पूरी तैयारी करके आएं और हम भी पूरी तैयार करके आएं।

[अनुवाद]

**श्री सुखराम** : महोदय, मैं केवल एक मिनट लूंगा। ..... (व्यवधान)

कृपया मेरी बात सुनें (व्यवधान)

मैं इसी समय अपना वक्तव्य दे रहा हूं।

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूँ और इससे समस्या हल हो जायेगी। यदि उन्हें किसी कम्पनी के विषय में कोई संदेह है तो मैं कहता हूँ कि हमने उन्हें लाइसेंस जारी नहीं किया है। लाईसेंस जारी करने से पूर्व हम उस कम्पनी की असलियत की जांच करेंगे। यह एक बात है। ..... (व्यवधान)। कृपया मेंरी बात सुनें।

यदि आप नहीं सुनना चाहते हैं तो यह आपकी समस्या है।

**श्री हरि किशोर सिंह** (शिवहर) : क्या आप सदन को पूरी जानकारी देंगे।

**श्री सुखराम** : अवश्यमेंव, मैं यह ऐसा करूंगा। कम्पनी के लेखा परीक्षित खाते.... (व्यवधान)

मैं इसकी जांच करूंगा। (व्यवधान)

महोदय, मैसर्स बीजीक इसरायल लाई .... (व्यवधान)

**श्री सोमनाथ चटर्जी** (बोलपुर): श्री सुखराम जी, कृपया मुझे बोलने दें। कृपया कुछ देर आप आराम कीजिए ..... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री सुखराम ने सभी को यह बताने की कोशिश की है कि उन्हें तथ्यों की जानकारी थी और यह बात उन्होंने स्वयं भी कही है। अत: इस संबंध में कोई शंका नहीं है। अब प्रश्न यह उठा कि के.जे.एम.सी. फाइनैंसियल सर्विसेज का पूरा नाम क्या है। इस नाम के जानने में ही आधे मिनट का समय लग जाता है। अन्यथा उन्हें तथ्यों की जानकारी तो थी। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : सोमनाथ जी, आप उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। यदि आपके पास कुछ और बात पूछने के लिए है तो आप मुझे लिखित में दीजिए। मैं उन्हें भेजकर उत्तर मंगा लूंगा।

(व्यवधान)

**जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल)** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने अभी-अभी इस बात का पता लगाया है कि निविदा दस्तावेज में भी के. जे. एम. सी. नाम का उल्लेख है और पूरे नाम का उपयोग नहीं किया गया है।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : यह बात उन्हें कहने दें।

**श्री विद्याचरण शुक्ल** : यह बात तो मैं कह रहा हूँ।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : उन्हें इस बात का पता नहीं है। उन्होंने यही कहा है कि वे इसका पता लगायेंगे।

**श्री विद्याचरण शुक्ल** : महोदय, वक्तव्य के पश्चात् जब वाद विवाद पूरा होता है तो कम्पनियों के पीछे काम करने वाले व्यक्तियों और कम्पनियों के पूरे नामों सहित माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए सभी प्रश्नों का संतोषजनक ढंग से उत्तर दिया जाएगा। हरेक बात सामने रखी जाएगी। सभा से कोई भी बात घुमाई नहीं जाएगी। सभी बातें बारी-बारी से सामने रखी जाएंगी।

(व्यवधान)

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : नहीं, वे तो यह कहते हैं कि वे इस अवस्था में विश्वसनीयता की जांच करेंगे।

**श्री विद्याचरण शुक्ल** : वाद विवाद का उत्तर देते समय सारी बातें सामने रखी जाएंगी। जब वाद-विवाद पूरा हो जाएगा तो विस्तार से उत्तर दिया जाएगा। किन्तु निविदा दस्तावेज में कम्पनी का पूरा नाम न देकर केवल लघुनाम ही दिया गया है।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय संचार मंत्री ने कहा है कि वे अब कम्पनी के वास्तविक मालिकों का पता लगाएंगे। इसका मतलब यह है कि उन्हें कम्पनी के वास्तविक स्वामी के बारे में जानकारी नहीं है।

**श्री सुखराम** : महोदय, मैं संतुष्ट हूँ।

**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री जी आप व्यर्थ की बातों में न उलझें। सोमनाथ जी, यह कहा गया था कि एक निदेशक को मंत्रालय से हटाया गया था और दूसरा वक्तव्य यह आया है कि वे थाईलैंड के उप प्रधान मंत्री हैं।

(व्यवधान)

**श्री राम कापसे** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को यह पता है कि वे थाइलैंड के उप प्रधान मंत्री हैं। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : मुझे खेद है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उनकी बात नहीं सुनना चाहते।

(व्यवधान)

**श्री हरि किशोर सिह** : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय मंत्री ने पहले ही सुझाव दिया है कि इस पर चर्चा करायी जाए। अत: हम वाद-विवाद कराने की पेशकश को स्वीकार करते हैं।

(व्यवधान)

**श्री सुखराम** : उनका कुल मिलाकर नेटवर्क 4622 करोड़ रुपये है। इस कार्य के लिए आगे आने वाली कंपनी मैसर्स बेजेक इस्राइल के पास आवश्यक अनुभव था। इसे 21 लाख लाईनों का अनुभव था। अत: यह कंपनी प्रवेश संबंधी सभी अर्हताएं पूरी करती है।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : मै आपके प्रश्नों का उत्तर पुन: प्राप्त करुगां।

**श्री सुखराम** : महोदय, मैसर्स बेजेक इस्राइल सहित 16 निविदाएं कंपनी के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में 31.8.95 को खोली गई थीं और बोली के ब्यौरों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया गया था। इनका मूल्यांकन दूरसंचार विभाग के अधिकारियों की एक समिति द्वारा किया गया था जिसके अध्यक्ष दूरसंचार आयोग के ही एक सदस्य थे और इसमें वित्त शाखा का एक प्रतिनिधि था।

**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय, क्या आप इसे सभा पटल पर रखेंगे।

**श्री सुखराम** : महोदय, मै इसे पढ़ूंगा। वैसे इसे सुने या न सुने किन्तु मै इसे पढ़ूंगा। निविदा मूल्यांकन समिति ने घोषणा की कि निविदा प्राप्त किए गए 20 सर्किलों में से 9 के लिए उच्चतम बोली दाता मैसर्स एच.एफ.सी.एल. बेजेक कंपनी है। समिति ने महाराष्ट्र की उच्चतम

बोली सहित इन 9 बोलीयों को स्वीकार करने की सिफारिश की और यह भी सिफारिश की कि अन्य सर्किलों में बोलियां कम हैं और वे अस्वीकार कर दी जाएं। समिति ने यह भी सिफारिश की कि एकाधिकारिक प्रवृत्ति पर नियंत्रण पाने और कई कंपनियों को निवेश का अवसर प्रदान करने तथा संचालन में असफलता की सम्भावनाएं कम करने के विचार से बोलीदाता कंपनी को अधिक से अधिक तीन लाईसेंस प्रदान किए जाएं।

सरकार ने तीन लाईसेंस प्रदान करने संबंधी समिति के सुझाव को स्वीकार कर लिया है। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि अधिक कारोबार और कम निवेश वाले सर्किलों "सी" वर्ग के सर्किलों के संबंध में तीन लाइसेंसों की शर्त लागू किए जाने की जरूरत नहीं है। नौ सर्किलों में से एक सर्किल (अर्थात बिहार) की बोलीदाता एच.एफ. सी.एल. "सी" वर्ग की बोलीदाता है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी :** अध्यक्ष महोदय, हम सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए इस सदन से बहिर्गमन करते है।

5.45 म.प.

**इस समय लालकृष्ण आडवाणी और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।**

**श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव** (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी जो इन्फारमेंशन सदन में देना चाह रहे हैं, हम जानना चाहते हैं कि यह जवाब मोटे तौर पर है या संपूर्ण जवाब है? इस सदन में जो सवाल उठाये जायेंगे, उनका मौटे तौर पर जवाब दिया जायेगा या संपूर्ण जवाब आयेगा? क्या इस समय फिर दूसरा जवाब आयेगा?

5.46 म.प.

**इस समय मोहम्मद अली अशरफ फातमी और कुछ अन्य सदस्य आए और सभापटल के निकट खड़े हो गए।**

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय :** मंत्री महोदय, आप इसे सभा पटल पर रख दीजिए।

**श्री सुखराम :** मैं, देश के विभिन्न भागों में मूलभूत सेवा के प्रचालन हेतु निजी कंपनियों को लाइसेंस देने के लिए निविदाओं की स्थिति के बारे में वक्तव्य देना चाहूंगा। मैं. एच. एफ. सी. बेजेक टेलीकाम लिमिटेड नामक एक निजी कंपनी का कथित रूप से पक्ष लेने के बारे में कुछ माननीय सदस्यों द्वारा की गई टिप्पणियों के संदर्भ में ऐसा वक्तव्य देना आवश्यक हो गया है।

2. राष्ट्रीय दूरसंचार नीति-1994, संसद के समक्ष मई, 1994 में प्रस्तुत की गई थी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह विनिर्दिष्ट किया गया था कि मूलभूत दूरसंचार सेवा निजी क्षेत्र के हाथ में भी दी जाएगी ताकि यथा संभव कम से कम समय में सामर्थ्य के अनुसार कीमतों पर सभी को टेलीफोन सुविधा मुहैया कराने के लिए सहकारी प्रचालक के प्रयासों को प्रोत्साहन मिल सके। इस नीति के अनुसरण में, मूलभूत सेवाएं प्रदान करने के लिए निजी क्षेत्र के प्रवेश को शामिल करने संबंधी मार्ग दर्शी सिद्धान्त सितम्बर, 1994 में किए गए थे। उनमें यह व्यवस्था की गई थी कि :

(क) देश के प्रत्येक सर्किल में दो प्रचालक होंगे-सरकारी प्रचालक (दूरसंचार विभाग/महानगर टेलीफोन निगम लि.) और निजी प्रचालक। दूरसंचार विभाग के प्रचालनार्थ देश को 21 सर्किल में विभाजित किया गया है, इसलिए 21 लाइसेंस निजी प्रचालकों को जारी करने का प्रस्ताव किया गया था।

(ख) अत: भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत केवल भारतीय कंपनियों लाईसेंस मंजूरी की पात्र होंगी।

(ग) ऐसी लाइसेंस शुदा कंपनी में विदेशी इक्विटी को 49 प्रतिशत तक सीमित किया जाएगा।

(घ) अंत: सर्किल परियात पर सरकारी प्रचालक का एकाधिकार बना रहेगा और इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय परियात पर विदेश संचार निगम लि. (भारत सरकार का एक सार्वजनिक उपक्रम, का एकाधिकार रहेगा।

3. नीति संबंधी वक्तव्य और मार्गदर्शी सिद्धांतों पर आधारित एक निविदा दस्तावेज 16 जनवरी, 1995 को जारी किया गया था, बोलीदाता कंपनियों को टेण्डर की शर्तों के संबंध में कोई भी स्पष्टीकरण मांगने के लिए आमंत्रित किया गया था। बड़ी संख्या में पूछताछ की गई थी। 27.5.95 को आवश्यक स्पष्टीकरण जारी किए गए थे। यह एक द्विस्तरीय निविदा प्रक्रिया थी। पहले स्तर में पूर्व-अर्हता प्राप्त बोलीदाता कंपनियों के लिए तकनीकी और वाणिज्यक बोलियां खोली गई थी और दूसरे स्तर में पूर्व-अर्हता प्राप्त कंपनियों को वित्तीय बोलियों खोली गई थीं और उनका मूल्यांकन किया गया था।

4. पूर्व-अर्हताओं के लिए प्रवेश की शर्तें बहुत कड़ी बनाई गई थीं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निविदा में केवल ऐसी कंपनियां भाग ले सकें जिनके पास मूलभूत दूरसंचार सेवाओं को व्यवस्था के लिए भारत में अधिसंख्य सर्किलों द्वारा प्रस्तुत व्यापक प्रचालन के लिए अपेक्षित अधिक निवेश करने हेतु वित्तीय, वस्तुगत और प्रौद्योगिकी संबंधी अपेक्षित सक्षमता है। ये शर्तें इस प्रकार थीं :

(क) कंपनी की निवल पूंजी, "क" श्रेणी के सर्किलों के लिए 300 करोड़ रु., "ख" श्रेणी के सर्किलों के लिए 200 करोड़ रु. और "ग" श्रेणी के सर्किलों के लिए 50 करोड़ रु. से कम नहीं होनी चाहिए।

(ख) बोलीदाता के पास मूलभूत टेलीफोन सेवा का कम से कम 5 लाख लाइनों के प्रचालन का अनुभव होना चाहिए।

5. निविदा में 16 बोलीदाता कंपनियों ने भाग लिया। सभी को ऊपर उल्लिखित पात्रता शर्तों के संदर्भ में पात्र पाया गया। यह देखकर काफी

सुखद अनुभव हुआ था कि भारतीय निगमित क्षेत्र में कई प्रतिष्ठित कंपनियों ने तथा विश्व की कुछ प्रमुख दूरसंचार कंपनियों ने भी उनके द्वारा स्थापित संयुक्त उद्यमों के जरिए निविदा में भाग लिया।

6. इन कंपनियों में से एक कंपनी मै0 एच. एफ. सी. एल. बेजेक थी। इसके निम्नलिखित भारतीय और विदेशी प्रवर्तक थे :

| | |
|---|---|
| 1. एच. एफ. सी. एल. | 1. बैजेक इजराइल |
| 2. के. जे. एम. सी. फाइनेंशियल सर्विसेज लि. | 2. शिन्वात्रा इन्टरनेशनल पब. कार्पो0 लि. थाईलैण्ड |
| 3. कोटक महिन्द्रा फाइनेंस लि. | |

इनकी संयुक्त निवल पूंजी 4622 करोड़ रु. है।

7. मैं0 बैजेक इजराइल ने इस संघ को अपने अपेक्षित अनुभव से परिचित कराया - इसे 21 लाख लाइनों का अनुभव था। इस प्रकार इस कंपनी के पास प्रवेश की पूर्ण अर्हताएं हैं।

8. 16 बोलीदाता कंपनियों की वित्तीय बोलियों को, उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में 31.8.1995 को खोला गया और बोलियों का व्यापक प्रचार किया गया। इनका मूल्यांकन दूरसंचार आयोग के सदस्य के नेतृत्व में वित्त शाखा के एक प्रतिनिधि सहित दूरसंचार विभाग के अधिकारियों की एक समिति ने किया।

9. निविदा मूल्यांकन समिति (टी.ई.सी) ने मै0 एच. एफ. सी. एल. बैजेक को 20 सर्किलों में से 9 में, जिनके लिए बोलियां प्राप्त हुई थीं, उच्चतम बोलीदाता कंपनी घोषित किया। समिति ने, महाराष्ट्र के लिए लगाई उच्चतम बोली सहित इन 9 बोलियों को स्वीकार करने की सिफारिश की और यह सिफारिश भी की कि चूंकि, अन्य सर्किलों के लिए बहुत नीची बोलियां लगाई गई हैं। लिहाजा उन्हें निरस्त कर दिया जाए।। समिति ने यह भी सिफारिश की कि एकाधिकारी प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने की दृष्टि से, बोलीदाता कंपनी को ज्यादा से ज्यादा केवल 3 लाइसेंस ही दिए जाएं और निवेश को कई कंपनियों में बांटा जाए, ताकि प्रचालनों की असफलता की कम संभावना हो।

10. सरकार ने तीन संर्किलों की सीमा के बारे में समिति की सिफारिश स्वीकार की है। समिति ने यह भी सिफारिश की है कि यह सीमा श्रेणी ''ग'' सर्किल के लिए लागू करने की जरूरत नहीं है जहां व्यापार - संभाव्यता और निवेश की लागत कम है। 9 सर्किलों में से एक (अर्थात् उड़ीसा) ''ग'' श्रेणी से संबंधित हैं जिसमें मै0 एच.एफ. सी.एल. ने बोली लगाई थी।

11. मै0 एच. एफ. सी. एल बैजेक को 8 ''क'' और ''ख'' श्रेणी के सर्किलों में से 3 सर्किलों का चयन करने के लिए कहा गया था जो उन्हें मिल गए। उन्होंने दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश (पश्चिम) का चयन किया है। यदि यह सीमा न होती तो यह कम्पनी सभी 9 लाइसेंसों से आबंटन के लिए पूर्णतया पात्र थीं। इन सर्किलों की पूंजी संबंधी आवश्यकता 1950 करोड़ रु. थी जबकि इस कम्पनी और इसके प्रवर्तकों की पूंजी 4622 करोड़ रु. थी।

12. इस बात पर बल देने की आवश्यकता है कि सीमा के निर्धारण करने का आशय जन-हित की रक्षा करना था न कि किसी कम्पनी विशेष का पक्ष लेना। अत: यह ही उचित था कि बोलीदाता कम्पनी को उन तीन सर्किलों के चुनाव करने का विकल्प दिया जाना चाहिए जिनमें वे प्रचालन करना चाहती हैं। विभाग द्वारा ली गई कानूनी राय में भी यह सुझाव दिया गया कि सरकार द्वारा तीन सर्किलों की सीमा थोपे जाने की स्थिति में बोलीदाता कम्पनी को तीन सर्किलों के चुनाव हेतु बाध्य करना कानून तौर पर उचित नहीं होगा। यहां तक कि वाणिज्यिक तर्क यह सुझाव पेश करते हैं कि बोलीदाता को ऐसा विकल्प दिया जाना चाहिए यदि सरकार ने उक्त कम्पनी के संबंध में अपनी पंसद जाहिर की थी, इस संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि इसने केवल ऐसे सर्किलों का चयन किया होता जो इसकी वाणिज्यिक सुविधा के अनुकूल हों तो निर्धारित अर्थदण्ड अदा करके अन्य दो को छोड़ दिया होता। यह भी हो सकता था कि कम्पनी ने सरकार द्वारा उसके लिए चुने गए, सभी सर्किलों को छोड़ दिया हो। ऐसे घटनाक्रमों से समस्त निविदा-प्रक्रिया खटाई में पड़ सकती थी और इसके परिणामत: किसी बोलीदाता को अर्थदण्ड दे1 की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो सकती थी जिसने 20 सर्किलों में से 9 सर्किलों में बढ़ चढ कर बोली लगाई थी। किसी भी दिशा में, सेलुलर सचल फोन और मूलभूत सेवाओं की दो निविदाओं में यह उल्लेख किया गया था कि ऐसी किसी स्थिति में बोलीवाला की प्राथमिकताओं का पता लगाया जाएगा।

यह उल्लेख किया जाता है कि सेलुलर मोबाइल टेलीफोन सेवाओं के लाइसेंसों की मंजूरी हेतु निविदा से उत्पन्न इसी प्रकार की स्थिति में तीन की सीमा से प्रभावित किसी बोलीदाता कम्पनी को ऐसे तीन सर्किलों में से एक सर्किल के चयन का विकल्प दिया गया था जहां उसने दूसरे सबसे बड़े बोलीदाता के रूप में स्थान प्राप्त किया था। इसी प्रकार उसी निविदा के संबंध में एक अन्य कम्पनी, जिसने तीन सर्किलों की निविदाएं हासिल की थीं, लेकिन वह अपनी पूंजी के परिप्रेक्ष्य में केवल दो सर्किलों की पात्र थी, को ऐसे दो सर्किलों के चयन का विकल्प दिया गया था जहां वह प्रचालन करना चाहती थी। अत: 8 सर्किलों में से ऐसे तीन सर्किलों का चयन करने में, एच. एफ. सी. एल. बैजेक को विशेष तरजीह नहीं दी गई है, जहां उसने सबसे अधिक बोली दी थी।

13. यह उल्लेखनीय है कि मैं. एच. सी. एल. बैजेक को जिन चार सर्किलों को आबंटित किये जाने का प्रस्ताव है उनमें यह कम्पनी कुल इतनी लेवी अदा कर रही है जो निविदा मूल्यांकन समिति द्वारा यथा निर्धारित उचित लेवी से दो तीन गुना तक है। इस संबंध में संगत आंकड़े इस प्रकार हैं :

| सर्किल का नाम | उचित लेवी | एस. एफ. सी. एल. द्वारा अदा की जाने वाली लेवी | उचित लेवी उदधृत लेवी का अनुपात |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | 6,088 | 15,085 | 2.5 गुना |
| हरियाणा | 1,321 | 4,060 | 3.0 गुना |
| उत्तर प्रदेश (पश्चिम) | 2,767 | 6,580 | 2.5 गुना |
| उड़ीसा | 692 | 2,065 | 3.0 गुना |
| कुल जोड़ | 10,859 | 27,790 | 2.5 गुना |

14. सेल्यूलर फोन तथा मूलभूत सेवाओं, दोनों की निविदाओं के मामले में, सरकार ने एक बोलीदाता कम्पनी को दिए जाने वाले लाइसेंसों की कुल संख्या की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखा था। दोनों ही मामलों में, सरकार ने जनहित में इस अधिकार का प्रयोग करना आवश्यक समझा।

15. यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि निविदा की शर्तों के तहत किसी बोलीदाता कम्पनी को अपने अग्रिम राशि के जब्त होने के हर्जाने पर कोई भी ऐसा सर्किल छोड़ने की अनुमति थी जिसका उसे लाइसेंस दिया गया हो। यदि यह भी तर्क दिया जाए कि सरकार को इस बोलीदाता कम्पनी को सभी 9 सर्किल आबंटित कर देने चाहिए थे और यह कि उसने वही तीन सर्किल चुने जो उनके पास हैं, फिर भी, उन्हें अधिक से अधिक 175 करोड़ रूपए का घाटा होता।

अत: यह आरोप सही नहीं है कि तीन सर्किलों की अधिकतम सीमा निर्धारित करके सरकार को कई हजार करोड़ रु. का घाटा हुआ है।

16. इन पांच अलग-अलग सर्किलों, जिनका इस कम्पनी ने विकल्प नही दिया हे, मैं अन्य बोलीदाताओं को उच्चतम बोली के बराबर बोली प्रस्तुत करने की छूट थी, परन्तु इनमें से किसी ने भी इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। 10 में से 8 सर्किलों के साथ-साथ, जिनमें उच्चतम बोली बहुत कम पाई गई, इन पांच सर्किलों के लिए सूचीबद्ध 16 बोलीदाता कम्पनियों से दूसरे दौर की वित्तीय बोलियां मांगी गई हैं। इनकी वित्तीय बोलियां 1 जनवरी, 1996 को खोलने जाने का प्रस्ताव है तथा आशा है कि सरकार जनवरी, 1996 के मध्य तक इन बोलियों का मूल्यांकन करके इनके लाइसेंस आबंटित कर देगी। जहां तक राजस्थान और कर्नाटक का संबंध है उच्चतम बोलीदाताओं ने इस आशय का अभ्यावेदन दिया है कि उनकी बोलियां समिति द्वारा निर्धारित उचित मूल्य से अधिक हैं और इनके मूल्यांकन में कुछ त्रुटियां हैं। ये दोनों अभ्यावेदन सरकार के विचाराधीन है। जब तक इन अभ्यावेदनों पर विचार हो, इन दो सर्किलों की वित्तीय बोलियों के दूसरे दौर से निकाल दिया गया है।

17. अंत में, मैं इस बात पर बल देना चाहूंगा कि निविदाओं पर सीधे और स्पष्ट तरीके से कार्यवाही की गई और यह भी कि किसी भी कंपनी का पक्ष नहीं लिया गया है। पहले से ही दिए गए पांच लाइसेंसों से आगामी 15 वर्षों में सरकारी खजाने में लाइसेंस शुल्क के तौर पर 41699 करोड़ रु. आएंगे। अधिक महत्वपूर्ण बात तो यह है कि सरकारी प्रचालक के संसाधनों में सहयोग देने के लिए मूलभूत सेवाएं चलाने के लिए निजी क्षेत्र को शामिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है तथा सरकार यह आशा करती है कि यह प्रक्रिया अगले कुछ हफ्तों में पूरी हो जाएगी। किसी एक कंपनी का पक्ष नहीं लिया गया है और वस्तुत: मै0 एच. एफ. सी. एल. बैजेक को आबंटित चार सर्किलों के संबंध में सरकार को अदा किया जाने वाला लाइसेंस शुल्क विशेषज्ञ समिति द्वारा निर्धारित वाजिब कीमत से 2.5 गुना अधिक है।

18. अंतत: मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं वह वास्तव में अभूतपूर्व हैं। हम अभी एक अनिश्चित मार्ग पर चल रहे हैं। इसमें निश्चित तौर पर गलती की गुंजाइश हो सकती है लेकिन, मैं सदन को यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि यह संपूर्ण प्रक्रिया एक निष्पक्ष तरीके से पूरी की जाएगी।

19. मैं, अध्यक्ष महोदय की अनुमति से माननीय सदस्यों को इस बात के प्रति सावधान भी करना चाहूंगा कि वे स्वार्थी पक्ष द्वारा फैलाई गई अफवाह पर ध्यान न दें। आज देश जिस पर कार्यवाही कर रहा है उसे विश्व की सबसे बड़ी दूरसंचार निविदा बताया गया है। यहां से भी तत्व हैं जो मूलभूत टेलीफोन सेवा में निजी क्षेत्र के प्रवेश का विरोध कर रहे हैं। ऐसे यह भी कम उल्लेखनीय नहीं है कि सरकार द्वारा नीची बोलियों को निरस्त करने में अपने निहित अधिकार का प्रयोग करने के बाद वास्तव में निविदा प्रक्रिया की उद्देश्यपरकता और स्पष्टता का विरोध शुरू हो गया है।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : यदि आप उन्हें सुनना नहीं चाहते, तो उनका वक्तव्य सभा पटल पर रख जाता है।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : यह ठीक नहीं है।

[हिन्दी]

आप प्रश्न पूछेंगे, जवाब नहीं देंगे। लोगों को बदनाम करेंगे, ऐसा नहीं चलेगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया अपनी सीट पर चले जाइए। यह बिल्कुल गलत है। जब आपके मंत्रियों के विरूद्ध कुछ कहा जाता है। आप यहां आ जाते हैं। आप उन पर आरोप लगाते हैं और आप उनका वक्तव्य भी नहीं सुनते हैं। आप सभा का मनमाने ढंग से उपयोग कर रहे हैं।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : आप बिना उनकी बात सुने निर्णय पर पहुंच रहे हैं।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : अब आर्थक स्थिति पर वाद-विवाद शुरू होगा।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : जब कभी मंत्री के विरूद्ध कुछ कहा जाता है तो आप सभा की ओर दौड़ते हैं। इस सभा में आप मंत्री के विरूद्ध आरोप लगा रहे हैं और आप वक्तव्य को सुनने को तैयार नही हैं।

(व्यवधान)

**श्री बसुदेव आचार्य** : महोदय, हम वक्तव्य को सुनना चाहते हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने इसे सभा पटल पर रख दिया है। यदि आप इसे पढना चाहें तो पढ़ लें और नहीं पढ़ना चाहें तो न पढ़ें। सुशांत चक्रवर्ती जी।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया समझने की कोशिश करें, मैंने यही कहा है कि आप वक्तव्य को पढ़ें और यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप लिखित रूप से अपना प्रश्न मुझे दें और मैं इसे मंत्री महोदय को भेज दूंगा। अब हम देश की आर्थिक स्थिति पर चर्चा करने जा रहे हैं। अब उन्हें बोलेने दें।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : हम आर्थिक स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं।।

**श्री सैफुद्दीन चौधरी** : महोदय, वक्तव्य का क्या रहा।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। जिसने पूरे देश के लोगों और दोनों सभाओं के संसद सदस्यों को आंदोलित किया है। महोदय अपने निर्णय में भी यह महसूस किया है कि यह एक ऐसा मामला है जिस पर वक्तव्य किया जाना चाहिए। यदि मंत्री महोदय तैयार नहीं हैं तो वह एक अलग बात है।

**श्री सुखराम** : मैं तैयार हूँ। आपसे यह किसने कहा, "मैं तैयार नहीं हूँ।?

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : अत: क्या हम यह मान लें कि यही पूर्ण वक्तव्य है और उन्हें इस मुद्दे पर और कुछ नहीं कहना है। महोदय, उन्हें यह बात स्वयं स्वीकार करनी चाहिए।

मैं उन्हें इसका हल बताने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। उन्हें कहने दे कि यह एक विस्तृत वक्तव्य है। हम सुधार करने के लिए अवसर प्रदान कर रहे हैं। यदि यही विस्तृत वक्तव्य हो, तो वे ऐसा कहें।

**अध्यक्ष महोदय** : यहां बैठे हुए मैंने दो या तीन बातें कही हैं। जब यह मामला उठाया गया था तो मैंने कहा था, "क्या ये ही वे प्रश्न हैं जो आप पूछना चाहते हैं अथवा आपने कुछ और प्रश्न भी पूछने हैं? शायद कुछ और प्रश्न भी हैं। यदि सदस्यों को और भी प्रश्न पूछने हैं, तो मैं उन्हें नहीं रोक सकता। किन्तु तब मैंने यही कहा था सभा में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर में वक्तव्य देंगे। उनके कहने के अनुसार वे तो उनसे पूछे गए अथवा यहां उठाए गए प्रश्नों के उत्तर में ही अपना वक्तव्य दे रहे हैं। यदि आप कुछ और पूछना चाहते हैं, तो मैं रोकना नहीं चाहूंगा। कृपया उन्हें यह लिखित में दें और मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि उसका उत्तर दिया जाये।

**श्री सैफुद्दीन चौधरी** : उन्होने इसे सभा पटल पर रखा है। वक्तव्य के बारे में क्या होगा ?

**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने इसे सभा पटल पर रखा है।

**श्री सैफुद्दीन चौधरी** : वक्तव्य का क्या होगा ? हम वक्तव्य का क्या करें ?

**अध्यक्ष महोदय** : आप इसे पढ़ें ओर यदि आप इनमें से किसी भी बात से संतुष्ट नहीं है तो आप प्रश्न लिखिये और उनके पास भेजिये तथा मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि आपको उत्तर मिले।

(व्यवधान)

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : वह यह बतायें कि क्या इन प्रश्नों का यह व्यापक उत्तर है अथवा नहीं।

**श्री सुखराम** : मैंने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया है।

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : वह कह रहे हैं कि उन्होंने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया है। अत: हमें इस आधार पर चर्चा आगे करनी चाहिए। हम इस संबंध में आपको आगे कुछ भी कहने की अनुमति नहीं देगें।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया बैठ जाइये, मैं बोल रहा हूँ। मंत्री महोदय, कृपया उत्तर सावधानी पूर्वक दें। क्या आप जो कुछ कहना चाहते हैं उसका निचोड यही है?

**श्री सुखराम** : महोदय, प्रात: उन्होंने जो भी मुद्दे उठाए है मैंने उनका उत्तर दिया है।

**अध्यक्ष महोदय** : आप यह कहते हैं।

**श्री सुखराम** : मुझे प्रश्नों की प्रति मिली है और मैंने सभी प्रश्नों का उत्तर दिया है। किन्तु अब वे उन्होंने उस कंपनी का नाम क्या है और इस तरह के कुछ अन्य प्रश्न उठाए है। कंपनी का नाम हमारे दस्तावेजों में है।

**अध्यक्ष महोदय** : हम यह बात समझ सकते है।

**श्री सुखराम** : के. एफ. एस. एल. के बारे में मुझे पता लगाना है। यह एक कंपनी का नाम है। लेखा परीक्षक ने उसके लेखाओं की लेखा परीक्षा की है, जांच की गई है और उन्हें देखा गया है।

**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय, मैं आपसे एक अनुरोध करता हूँ। यह उन सदस्यों के हित में है, जिन्होंने यह मामला उठाया है और यह मंत्रालय के हित में तथा उन सम्बद्ध व्यक्तियों के हित में है जिनके विरुद्ध कुछ कहा गया हो और उन सभी मुद्दों को स्पष्ट करना सरकार

के भी हित में है, मैंने बहुत सोच-समझकर कहा है कि यहां पर जो मुद्दे उठाए गए हैं आपको उनका उत्तर देना चाहिये। संभवत: आपने उत्तर देने का प्रयास किया है। किन्तु इसके बावजूद.....

(व्यवधान)

**श्री वसुदेव आचार्य** : उन्होंने एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया मेरी बातों में व्यवधान न डालें। मंत्री महोदय, यदि वे आपके उत्तर से सन्तुष्ट नहीं हैं- मैंने उन्हें आपसे प्रश्न पूछने की अनुमति दी है—कृपया उन प्रश्नों का भी उत्तर दें। इससे मामला हल हो जायेगा।

**श्री सुखराम** : मैं सभा को विश्वास दिलाता हूं कि मेरे पास इस माननीय सभा में छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा।

**श्री नीतीश कुमार (बाढ़)** : अब छिपाने के लिए कुछ नहीं है। नैतिक रूप से उनका भंडा फूट चुका है।

[हिन्दी]

**श्री शरद यादव** : अध्यक्ष जी, मैंने आपसे शुरू में विनती की थी कि यह जो सारी परिस्थिति बिगड़ गई, वह आप ठीक से...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : मैं पूरा ब्लेम अपने सिर पर ले लेता हूं।

**श्री शरद यादव** : जितने सवाल क्वेरी में आ गए और मंत्री जी ने जिस तरह से रिस्पोण्ड किया, वह सारी ऐसी बातें थी जो नेगेटिव थीं। ऐसा लगता था कि कुछ छिपाया जा रहा है। यह मामला तो गंभीर है ही, अब इस मामलें को मैं विस्तार से नहीं कहना चाहता। लेकिन जिस केजुअल का मैं और जिस तरह से वह बातों का जवाब दे रहे है, हमें लगता है कि आज का जो वक्तव्य है, यह जल्दबाजी में हो गया है। यह बयान लेकर आएं और टेबल पर ले करके आए, इससे यह चीज खत्म नहीं होगी। मेरा निवेदन है कि वह ढंग से तैयार होकर आएं। इस पर बहुत सवाल हैं जिसके बारे में कहना है। जिस तरह से मंत्री जी बयान को टेबल पर ले कर रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने जवाब दिये हैं, हम उनसे सेटिस्फाइड नहीं हैं और आप जिस तरीके से बयान टेबल पर ले करके भागना चाहते है हम इस बात के प्रोटेस्ट में इस सदन से जाना चाहते हैं, क्योंकि यह वाजिब बात नहीं है। यह हजारों करोड़ रुपए का घपला है। इसको आप जिस तरह से ले रहे हैं, यह ठीक नहीं है, इसलिए हम इस सदन का त्याग कर रहे हैं।

5.55 म.प.

तत्पश्चात श्री शरद यादव तथा कुछ अन्य माननीय सदस्यों सभा भवन से बाहर चले गए।

**श्री विद्याचरण शुक्ल** : माननीय सदस्य ने जवाब पढ़ा नहीं है और कहते है कि कुछ छिपाने की कोशिश की जा रही है और कोई जवाब की आवश्यकता है तो वह जवाब भी दिया जाएगा।....(व्यवधान) क्या प्रोपर जवाब दिया जाए?

[अनुवाद]

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : महोदय, यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और सरकार इसे बहुत सामान्य रूप से ले रही है। मैं समझता हूँ कई मंत्रियों, कैबिनेट मंत्रियों को इस बात की जानकारी नहीं है कि वास्तव में क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? आप इस बात को समझें और यह पता लगाएं कि कौन सी बात सामने नहीं आई है।

**श्री विद्याचरण शुक्ल** : नहीं इसे सामान्य रूप से नहीं लिया गया है। उनके द्वारा उठाए गये सभी प्रश्नों का उत्तर वक्तव्य में दिया गया है, यदि कोई और स्पष्टीकरण देना है, तो हम उन सभी प्रश्नों का पुन: उत्तर दे सकते हैं....(व्यवधान)

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : निविदाओं का भी उल्लेख नहीं किया गया है। बोली लगाने वाले कौन थे? कुछ निविदाओं को स्वीकार तथा कुछ को अस्वीकार क्यों किया गया है?

कोई कंपनी 85,000 करोड़ रुपये की बोली कैसे लगा सकती है? उन्हें धन कहां से मिलता है? (व्यवधान)

**श्री विद्याचरण शुक्ल** : आपने उनका वक्तव्य नहीं सुना है... (व्यवधान)

**श्री सोमनाथ चटर्जी** : महोदय, आपकी पूरी कोशिश के बावजूद उन्हें सद्बुद्धि नहीं आई है। हमें अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिये। उन्हें अपना कार्य करने देना चाहिये। अत: हम सदन से बहिर्गमन करते है....(व्यवधान)

**निर्मल कान्ति चटर्जी** : महोदय, आप इस बात के साक्षी हैं। मंत्री संदेह में है। आप उनके द्वारा उठाए गये सभी प्रश्नों के साक्षी हैं। उन्होंने उनमें से किसी का भी उत्तर नहीं दिया है। यदि वह उठाए गए प्रश्नों का उत्तर नहीं देते हैं, तो हम शांत कैसे रह सकते है?....(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : यह कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं जा रहा है।

(व्यवधान)*

**श्री वसुदेव आचार्य** : उन्होंने सभा में उठाए गये किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। इसलिए हम सदन से बहिर्गमन कर रहे हैं।

5.57 म.प.

इस समय श्री सोमनाथ चटर्जी और कुछ अन्य माननीय सदस्यों में सभा भवन से बाहर चले गए।

[हिन्दी]

**श्री चन्द्रजीत यादव** (आजमगढ़) : अध्यक्ष जी, मुझे अफसोस है कि सदन में आज सवेरे से जो कुछ हो रहा है, मैं उसकी पार्टी हूँ कि हमने आपसे बहुत अनुरोध किया था कि देश की आर्थिक स्थिति के ऊपर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा विषय हमेंशा आम जनता की जिंदगी से संबंधित होता है। उस पर जब चर्चा होती है। तो कोई न कोई उसमें व्यवधान उपस्थित हो जाता है। ठीक है एक मंत्री

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

के ऊपर आरोप लगे थे, आपने नियम के अनुसार सही बात कही है कि आरोप क्यों लगाए जाते हैं? आरोप स्पेसिफिक चेयर को दिया जाए, मंत्री को दिया जाए, उनका प्रोपर नोटिस दिया जाए और वह मंत्री उसका जवाब दे, लेकिन वह नहीं हुआ। इसके बावजूद में आपसे कहना चाहता हूँ कि सदस्यों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आपने इस बात की इजाजत दे दी और आपने कहा कि आज मंत्री बयान दे सकते हैं तो आज दें। यह अपोजिशन की तरफ से मांग की गई कि आज ही दीजिए। फिर कहा कि अभी दो घंटे के बाद दीजिए। अब कहा जा रहा है कि यह बयान सेटिसफैक्ट्री नहीं है इसलिए आप इसको पोस्टपोन कर दीजिए। आधा दिन इसके कारण बर्बाद चला गया। मैं समझता हूँ कि यह हाउस की गरिमा और संचालन तथा हाउस के समय के सदुपयोग के लिए अनुचित बात है।

चाहे जो भी प्रश्न यहां उठाए गए, मुझे याद है आपने उसके बाद अपोजिशन की तरफ देखकर कहा कि किसी को और प्रश्न करना है तो करें। जब किसी ने और प्रश्न नहीं किया तब आपने कहा कि कोई और प्रश्न नहीं है इसलिए जो मुद्दे उठाये गए हैं मंत्री जी उनका जवाब सदन में दें। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है आखिर हम लोग इस सदन के सदस्य हैं और हम इस सदन को मर्यादा से नही चलायेंगे, नियम से नही चलायेंगे और अगर हम इस तरह से आरोप-प्रत्यारोप लगायेंगे तो सदन कैसे चलेगा ? ठीक है कोई अपराधी है, किसी के पास आरोप हैं उसको सिद्ध करने के लिए पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और सजा होनी चाहिए। हम ऐसे ही किसी के ऊपर आरोप लगाकर सदन को चलायेंगे और आपने बार-बार चेतावनी भी दी है कि इधर से भी मेम्बर आरोप लगाना शुरू करेंगे और यही सदन में होगा तो इससे प्रजातंत्र कमजोर होगा। इस देश के अंदर ऐसे लोग जो प्रजातंत्र को मजबूत नहीं करना चाहते हैं उनको इससे ताकत मिलेगी। अगर इस सदन की गरिमा को तोड़ा गया और अगर इसी तरीके से काम होगा तो इससे प्रजातंत्र कमजोर होगा। इससे दुनिया में बहुत जगह प्रजातंत्र टूटा है।

6.00 म.प.

**अध्यक्ष महोदय** : मैं इसलिए आपसे साग्रह अनुरोध कर रहा हूँ।

**अध्यक्ष महोदय** : आप मुझे मेरे चेम्बर में आकर बता दीजिए कि मैं क्या करूं।

**श्री चन्द्र जीत यादव** : मेरा आपसे खाली इतना ही अनुरोध है कि आपने तो बहुत कोशिश की हैं, सभी सदस्यों की भावनाओं को ध्यान में रखा है और यह प्रयास किया है कि ठीक से लोगों की भावनाएं आ जाएं, इन्क्वायरी की बात आ जाए। मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने अभी फिर समय दिया। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि सदस्यों को यदि इस पर संतोष नहीं है, तो मंत्री महोदय का जब स्टेटमेंट आ जाता है तो उसके ऊपर एक बहस करा दी जाए, जो नियमानुसार है। यही मेरा आपसे अनुरोध है।

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय** : हम कार्य मंत्रणा समिति में इस पर चर्चा कर सकते हैं। आपने सही कहा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा है। श्री यादव जी मैं आपका आभारी हूँ।

[हिन्दी]

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर)** : इनती अच्छी बात रिपोर्ट कभी नहीं होगी।

**श्री भोगेन्द्र झा** (मधुबनी) : अध्यक्ष जी, मेरा दुर्भाग्य है कि बहुत ध्यान से सुनने के बाद भी मैं कुछ सुन नहीं सका।

**अध्यक्ष महोदय** : यदि आपने सुना नहीं, तो उसके ऊपर आप टिप्पणी मत लीजिए।

**श्री भोगेन्द्र झा** : अध्यक्ष जी, मैं अपना दर्द आपके सामने रख रहा हूँ। सही हो, गलत हो, लेकिन मैं सुन नहीं सका, समझ नहीं सका। मगर जिस स्थिति में यह हुआ है और मैं समझता हूँ कि जो सुझाव आपने दिया है, श्री चन्द्र जीत यादव जी ने दिया है, मंत्री जी ने अपना स्टेटमेंट दे दिया है और सदन की टेबल पर रख दिया है। मैं उसे पढ़ूंगा।

**अध्यक्ष महोदय** : भोगेन्द्र झा जी, यदि आप समाप्त कर दें, तो इकनोमिक पॉलिसी पर एक-दो मेंम्बरों को बोलने के लिए और समय मिल जाएगा।

**श्री भोगेन्द्र झा** : अध्यक्ष जी, मेरा हो गया। इसीलिए मैं इस हालत में सदन से जाता हूँ। मगर मैं कुछ समझ नही सका, कुछ सुन नहीं सका, इतना ही कहता हूँ और सदन से बाहर जाता हूँ।

**तत्पश्चात् श्री भोगेन्द्र झा सभा भवन से बाहर चले गए।**

[अनुवाद]

**श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** (विजयवाड़ा) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। मैंने माननीय मंत्री द्वारा पढ़े गये वक्तव्य की जांच की है। मैं आपकी जानकारी के लिए महत्वपूर्ण मामले का उल्लेख करता हूँ।

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया ऐसा न करें। मैं अभी इस पर ध्यान नहीं दे सकता हूँ।

**श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : महोदय, मैं बाहर से उद्धृत नहीं कर रहा हूँ।

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया मुझे लिखकर दें। मैं इसे उनके पास भेजूंगा और यदि वे चाहेंगे तो उत्तर देंगे।

**श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : यह माननीय मंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य है।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं आपके तर्क नही सुन रहा हूँ।

**श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : कृपया मेरी बात समझें। इस मूल मुद्दे का स्पष्टीकरण दिया जाना है। अपने वक्तव्य में माननीय मंत्री ने हमें यह समझाने का प्रयास किया है कि एच. एफ. सी. एल.

कन्सयोर्टियम का मूल्य उचित लेवी का दो से तीन गुना था, जैसा कि निविदा मूल्यांकन समिति द्वारा बताया गया है। इसी पृष्ठ 4 में, यह लिखा गया है ....

**अध्यक्ष महोदय** : इस बारे में निष्कर्ष कौन निकालेगा ? मैंने वक्तव्य नही पढ़ा है।

**श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : कृपया मेरी बात सुनिये।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं क्या सुनूं ? मैंने दूसरा विषय ले लिया है।

**श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : मैं आधा मिनट लूंगा।

**अध्यक्ष महोदय** : महत्वपूर्ण मुद्दों को क्यों छोड़ा जा रहा है। आप मुझे लिखित में दीजिए।

**श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : यही मैं कह रहा हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं दुबारा नहीं सुनना चाहता हूं।

**श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : महोदय, आधा मिनट। आपमें सहनशक्ति क्यों नहीं है ? **(व्यवधान)**

**श्री आर0 अन्बारासु** (मद्रास मध्य) : आप भी वहिर्गमन करें। **(व्यवधान)**

**श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : हम वहिर्गमन नहीं करेंगे। हम यहां चर्चा करने के लिए आये हैं। कृपया मेरी बात सुनिये ... **(व्यवधान)** यदि आप ऐसा करेंगे, तो हम आपको भी नहीं बोलेंने देंगे। ..... **(व्यवधान)**

उसी पृष्ट 4 में मंत्री महोदय ने बताया है कि राजस्थान और कर्नाटक के संबंध में सबसे अधिक बोली लागने वालों ने अभ्यावेदन दिया है कि उनकी बोलियां समिति द्वारा निर्धारित उचित मूल्य से अधिक की है। उनके आकलन में कुछ गलती हुई है। दो अभ्यावेदन सरकार के विचाराधीन हैं। विचाराधीन होने के कारण इन दो सर्किलों को दूसरे दौर की वित्तीय बोलियों से अलग किया गया है। मेरा मुद्दा यह है कि आपने स्वयं शंका जाहिर की है कि निविदा मूल्यांकन समिति की ओर से कुछ गलती हो सकती है। कृपया इस माननीय सभा को यह बतायें कि निविदा मूल्यांकन समिति ने क्या प्रकिया अपनाई थी।

**अध्यक्ष महोदय** : जब तक आप लिखित में नहीं देंगे मैं मंत्री महोदय से उनमें से किसी भी मुद्दे का उत्तर देने के लिए नही कहूंगा।

**श्री रंगराजन कुमार मंगलम** (सलेम) : महोदय, क्या मुझे केवल एक मिनट बोलने का अवसर देंगे ?

**अध्यक्ष महोदय** : क्या इस विषय से संबंधित है ?

**श्री रंगराजन कुमार मंगलम** : जी हाँ, अध्यक्ष महोदय, इस गतिरोध के समाधान के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं उसके लिए मैं तहेदिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। किन्तु तथ्य यह है कि एक क्षणिक स्थिति पैदा हुई और उसने एक विकराल रूप-धारण कर लिया है। तथ्य यह है कि हजारों करोड़ों रूपयों का लेन-देन कर रहे हैं। यदि कोई समूची निविदा प्रक्रिया के इतिहास से संबंधित वक्तव्य पर नजर डाले तो बहुत अधिक कहे जाने की आवश्यकता है और उन बातों को कहा जाना चाहिए, जिन्हें नहीं कहा गया है। वक्तव्य ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि लीपा-पोती की गई हो।

अध्यक्ष महोदय, मेरा विरोध आपके द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के विरूद्ध कतई नहीं है। मैं उन सारे प्रश्नों को लिखित में दूंगा, जिन्हें मैं उठाना चाहता हूँ। मैंने इन मुद्दों का विस्तार से अध्ययन किया है और मैं यह जानता हूँ कि क्या हो रहा है। मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि मैं स्वयं और श्री बरार, इस वक्तव्य, जिसमें लीपापोती की गई है, के विरोध में इस सभा की अनुमति ले रहे हैं। हम सदन से वहिगमन कर रहे हैं।

**श्री जगजीत सिंह बरार** (फरीदकोट) : इस मुद्दे पर मैं अपने सहयोगी के विचारों से सहमत हूँ।

**6.00 म.प.**

**इस समय श्री रंगराजन कुमार मंगलम और श्री जगमीत सिंह बरार सभा भवन से बाहर चले गए।**

**श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : हमें प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी गई है और मंत्री महोदय ने उत्तर नहीं दिया है। महोदय, इसके विरोध में हम सदन से वहिगर्मन कर रहे हैं।

**इस समय श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।**

**6.07 म.प.**

## नियम 193 के अधीन चर्चा

### देश में आर्थिक स्थिति : जारी

**अध्यक्ष महोदय** : प्रो. सुशान्त चक्रवर्ती, कृपया अपनी बात जारी रखें।

**श्री पी.सी. थामस** (मुवन्तुपुजा) : कया आप सभा से वहिगर्मन नहीं कर रहे हैं ?

**प्रो. सुशान्त चक्रवर्ती** : मेरे अन्दर विवेक है।

**अध्यक्ष महोदय** : बड़े आश्चर्य की बात है। एक सदस्य के लिए यह कहना उचित नहीं है।

**श्री पी. सी. थामस** : महोदय, उनके दल ने सदन से बहिंगमन करने का निर्णय लिया है।

**प्रो. सुशान्त चक्रवर्ती** : मुझे पता है कि मेरे दल ने क्या निर्णय लिया है। मैं कुछ बेहतर काम करना भी जानता हूँ।

**अध्यक्ष महोदय** : आपके इस प्रकार की भड़काऊ अथवा अपमान जनक टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। यह ठीक नहीं है। वे एक भद्र पुरूष की भांति यहां बैठे हुए थे और अब वे बोल रहे हैं और आप कुछ ऐसी बातें कह रहे हैं।

**प्रो. सुशान्त चक्रवर्ती** : आप सदाचार सीखिए।

**अध्यक्ष महोदय :** प्रो. चक्रवर्ती, कृपया इस बात को लंबी न खींचे। आप अपनी बात जारी रखिए।

**प्रो. सुशान्त चक्रवर्ती :** मैं यह कह रहा था कि कई आर्थिक संकेत जो 1994-95 में वृद्धि दर्शा रहे थे, में 1995-96 में गिरावट अपनी शुरू हो गई है; चाहे वह औद्योगिक उत्पादन हो जो 10 प्रतिशत से भी अधिक से घट कर लगभग 8 प्रतिशत रह गया है, निर्यात वृद्धि 50 प्रतिशत से घटकर 15 प्रतिशत रह गई है; ऋण 20 प्रतिशत से घटा कर 17 प्रतिशत रह गया है।

**[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]**

अत: सभी ओर गिरावट के संकेत हैं। सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में निवेश की कुल दर 1990-91 में 27 प्रतिशत से घट कर 1994-95, अंतिम वर्ष जिसके सी.एस. आकलन उपलब्ध हैं, में 20 प्रतिशत रह गई है। सकल घरेलू व्यय 1990-91 में सकल घरेलू उत्पाद के 5.9 से घट कर 1995-96 में 3.4 प्रतिशत रह गया है।

अत:, इन आंकड़ों को देखते हुए हमारी अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में गिरावट के संकेत हैं, न कि सुधार के, जैसा कि वित्त मंत्री ने कहा है। भारत के विदेशी मुद्रा बाजार में व्याप्त आतंक से, जिसके बारे में मैं विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा। क्योंकि श्री निर्मल कान्ति चटर्जी इस पर बोलेंगे और अन्य सदस्यगण इस पर पहले ही बोल चुके हैं, हमें सावधान हो जाना चाहिए क्योंकि वह आधार ही कमजोर है। जिस पर उदारीकरण कार्यक्रम चल रहा है। वित्त मंत्री की एकमात्र उल्लेखनीय उपलब्धि, जिसका वे बखान करते रहते हैं, हमारा अर्जित विदेशी मुद्रा भंडार है। परन्तु हम सभी जानते हैं कि यह राशि पोर्टपोलियों निवेश, हवाला तथा भुगतान संतुलन के पूंजीगत खाते में अन्य पूंजी की भांति दूसरे रहस्यमय माध्यमों से जुटाई गई है। सात विलियन की पोर्टफोलियों पूंजी में से अन्य पूंजी लगभग चार विलियन है। मात्र 9 विलियन राशि बची है।

महोदय, हमने वित्त मंत्री को आगाह किया था कि हमारे बढ़ते हुए विदेशी मुद्रा भंडार से देश में पूरी आर्थिक और विशेषकर मुद्रा स्थिति पर भार पड़ता है और 1992 के आरंभ में रुपये की आंशिक विनिमेयता तथा बाद में उस वर्ष दोहरी विनियम दर पद्धति समाप्त कर देने जैसे उपायों से रुपये का और अवमूल्यन हुआ। इस पर भी ध्यान नहीं दिया गया। वाणिज्य मंत्री का यह दावा कि नवीनतम संशोधन के पश्चात् रुपये का मूल्य बढ़ेगा और अवमूल्यन के बाद वित्त मंत्री का यह दावा उद्धृत करता हूं - "अब के रुपये के मूल्य में केवल वृद्धि ही होगी; गलत साबित हुए हैं। सरकारी दावों के विपरीत रूपया अभी भी बहुत दबाव में है और 40 रु. प्रति डालर पर इसके स्थिर होने तक इसके और लुढकने की संभावना है।

यह स्थिति है। इस सब का अर्थ यह है कि वृद्धि और विकास के लिए धन राशि अथवा पूंजी की उपलब्धता कम होती जाएगी और लोगों की हालत बिगड़ती जाएगी। यही हमारी प्रमुख चिन्ता है। यदि रुपये का इस प्रकार अवमूल्याकन जारी रहता है और यही अर्थ-व्यवस्था जारी रहती है तो मुद्रास्फीति बढ़ती जाएगी और स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

प्रश्न धन जुटाने का है और इसे सुनियोजित ढंग से विवेकपूर्ण ढंग से खर्च करने का है। निश्चित रूप से मैं यह जानता हूँ वित्त मंत्री यह दावा करेंगे और उनका यह दावा सही होगा कि इस वर्ष कर से धन की उगाही में काफी वृद्धि हुई है। यहां तक कि निगमित कर की उगाही में भी काफी वृद्धि हुई है। हम यह मानते हैं कि निगमित क्षेत्र से कुल कर भुगतान 38 प्रतिशत से अधिक बढ़ा है। जो एक अच्छी बात है। परन्तु इसी अवधि के दौरान कर पूर्व के लाभ में 55 प्रतिशत की भारी वृद्धि हुई हैं। इसके फलस्वरूप बजट पूर्व लाभ में करों का हिस्सा पिछले वर्ष के 24.47 प्रतिशत की तुलना में घट कर अब 21.8 प्रतिशत रह गया हैं। हम किसको लाभन्वित कर रहे हैं? कुछ लोग कर क्यों नहीं देते हैं? रिलायन्स इन्डस्ट्रीज अथवा टाटा स्टील जैसी अनेक बड़ी कंपनियों ने कोई कर नहीं दिया हैं। आपके पास इसका क्या उत्तर हैं? यह भार कौन वहन करेगा? आप किसका गिरेबां पकड़ने जा रहे हैं? गरीब लोग मारे जाएंगे। आप धनी लोगों को धन दे रहे हैं और आम जनता भूखी मर रही हैं। इसी संदर्भ में, इस आर्थिक स्थिति के संदर्भ में मैं माननीय वित्त मंत्री को यह याद दिलाना चाहता हूँ कि महंगाई में भारी वृद्धि आपकी गलती की वजह से हुई है। आप को धन की भारी आपूर्ति पर ध्यान देना चाहिए। मैं इस सम्बन्ध में विस्तार में नहीं जाऊंगा। मैं इसका खुलासा नही करूंगा आपको सार्वजनिक वितरण प्रणाली की तरफ ध्यान देना चाहिए। हम सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पुनर्गठित नहीं कर रहे हैं। यह प्रणाली कैसी चल रही है? क्या आपने देश के गरीब लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से चौदह आवश्यक वस्तुओं के वितरण की ओर कभी ध्यान दिया है? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पास पर्याप्त बफर स्टाक है? वास्तव में, आपूर्ति की कोई कमी नहीं है। परम्परागत रूप से मुद्रास्फीति वह स्थिति है जब थोड़ी सी वस्तुओं के लिए बहुत अधिक पैसे देने पड़ते हैं। परन्तु हमारे देश में माल की कमी नहीं है। यहां पर्याप्त माल है, फिर भी मुद्रास्फीति है। इसलिए माल है, फिर भी कीमतें बढ़ रही हैं। आपको इस ओर ध्यान देना चाहिए। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली से लोगों को बहुत कम सामान उपलब्ध हो पाता है क्योंकि लोगों के पास क्रय-शक्ति ही नहीं है। आपको लोगों की क्रय-शक्ति बढ़ानी होगी। ऐसा कैसे किया जाए? ऐसा करने के लिए आप को भूमि सुधारों का सहारा लेना होगा। आपके ऐसा कहने से कि भूमि सुधार उपायों के लिए कानून पारित किया गया है, हमें कुछ फायदा नहीं होता है। आपके पास इनके कार्यान्वयन हेतु दृढ़ राजनीतिक संकल्प और राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आप इन्हे कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं। आप संसाधनों की कमी की बात कहते

हैं। मैं परियोजना निगरानी प्रभाग की रिपोर्ट का उल्लेख करना चाहता हूँ। 30.6.1994 को परियोजना निगरानी प्रभाग के पास निगरानी के लिए 383 परियोजनाएं थी।

उपाध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री व्यस्त हैं। मंत्री जी आप व्यस्त हैं। मैं आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।

**वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह)** : आपने कोई नई बात नहीं कही हैं।

**प्रो. सुशान्त चक्रवर्ती** : आपकी तरफ से कुछ नया नही किया गया है। आप कार्य संस्कृति की बात करते हैं, आप निष्पादन और काम करने वाली सरकार की बात करते हैं। परन्तु रिपोर्ट में 383 परियोजनाओं के कार्यक्रम की स्थिति के बारे में बताया गया है। इनमें से 213 परियोजनाओं में विलम्ब हुआ है; 143 परियोजनाएं निर्धारित समयानुसार चल रही हैं और 22 परियोजनाओं के कार्यान्वयन की तिथि के बारे में अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। विलम्बित परियोजनाएं 213 थीं और इस विलम्ब के कारण परियोजना लागत 9,963 करोड़ रुपये से बढ़कर 13,638 करोड़ रुपये हो गई अर्थात 24 प्रतिशत बढ़ गई। इस भार को कौन वहन करेगा? मैं जानता हूँ कि इसके लिए आप जिम्मेदार नहीं हैं। परन्तु सरकार सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त पर कार्य करती हैं। इस कुल अतिरिक्त लागत में से 22 करोड़ रुपये विलंबित परियोजनाओं के कारण बढ़े हैं। इन परियोजनाओं का निर्माण क्यों किया जाए? इसके लिए बजट प्रावधान है। ऐसी रिपोर्ट तैयार करते हैं कि संसाधनों की कमी के कारण परियोजनाओं में विलम्ब हुआ है। अत: बजट में घोषित परियोजनाओं, आरम्भ की गई है परियोजनाओं की लागत को वहन करने के लिए आपके पास कोई संसाधन नहीं है। क्या यह अच्छी सरकार है? क्या यहां वित्त और देश का अच्छा प्रबन्धन हैं? यह प्रश्न है।

महोदय, अंत में मैं यह कहना चाहता हूँ कि देश की आर्थिक नीति हमारी आर्थिक स्थिति को इस मुकाम पर ले पहुंची है जहां गरीबी, बेरोजगारी, आन्तरिक और बाह्य ऋण में वृद्धि हो रही है। इस नीति ने देश को ऋण-जाल में फंसा दिया है। अत: वित्त मंत्री ने विश्व बैंक के निर्देश पर संसद में जिन सुधार कार्यक्रमों की घोषणा की है, उनमें परिवर्तन की आवश्यकता है। मेरे विचार में एक अलग वैकल्पिक नीति की आवश्यकता है। हमने उस वैकल्पिक नीति के बारे में इस सभा में कई बार चर्चा की हे। हमें आशा है कि माननीय वित्त मंत्री इस ओर ध्यान देंगे और देश का कुछ भला करेंगे। यह देश विनाश के कगार पर है। परन्तु लोग डा. मनमोहन सिंह अथवा उनकी सरकार को देश का विनाश नहीं करन देंगें वह इसके खिलाफ संघर्ष करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि लोग उन्हें पराजित कर देंगे। डा. मनमोहन सिंह जी, यदि चुनाव के पूर्व लोगों की सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के नाम पर पैसा फेंकते भी हैं तो भी आपको वोट नही मिलेंगे। आगामी चुनावों में आपकी पार्टी निश्चित रूप से पराजित होगी और लोग आपको माकूल जवाब देंगे।

**उपाध्यक्ष महोदय** : राव साहब इस विषय के लिए दो घंटे का समय आबंटित किया गया है और चार घंटे पहले ही हो गए हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपनी बात आपको आबंटित समय में ही कहें।

**श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा)** : महोदय, मैं संक्षेम में अपनी बात कहूंगा।

इस सभा में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा की जा रही है। विदेशी ऋण लगभग 100 बिलियन डालर हो गया है तथा आन्तरिक ऋण बढ़कर लगभग 4,80,000 करोड़ रु. हो गया है। इसके साथ ही यह बात आश्चर्यजनक है कि विदेश सहायता से संबधित परियोजनाओं के लिए निर्धारित 16 बिलियन डालर का अभी तक उपयोग नही किया गया है। मैं माननीय वित्त मंत्री से आग्रह करूंगा कि वे इस धनराशि का यथाशीघ्र उपयोग करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं ताकि धन का उपयोग हो सके, परियोजनाएं पूरी की जा सकें तथा इस देश के लोग उनसे लाभान्वित हो सकें। व्यापार संबंधी घाटा बढ़ता जा रहा है, निर्यात लगभग 15 प्रतिशत की दर से बढ़ रहे है जबकि आयात में लगभग 20 प्रतिशत की दर से वृद्धि हो रही है।

हम देख रहे हैं कि इस देश में इतनी सारी नई कारें जो कि सभी लक्जरी कारें है लाने की अनुमति दी जा रही है भले ही इनके खरीददार कम हो किन्तु इस तरह से भारी विदेशी मुद्रा खर्च की जा रही है। इसके साथ ही वित्त मंत्री जो निस्संदेह किसानों के मित्र हैं - दिल ही दिल में वह किसानों के प्रति प्रेमभाव रखते हैं - किन्तु आश्चर्य की बात यह है कि वह छोटे ट्रैक्टरों के आयात की अनुमति नहीं दे रहे। मुझे इसके कारणों की जानकारी नही है। जब वे मर्सिडीज मेंज, लिमुजिन जैसी विदेशी कारों और यदि कोई कीमत वहन कर सके हो रोल्स रॉयस के आयात के लिए भी अनुमति दे रहे हैं तो फिर वे छोटे ट्रैक्टरों के आयात की अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं।

**श्री मनोमाहन सिंह** : हम किसी भी कार के आयात की अनुमति दे रहे हैं।

**श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : किन्तु आप यह कह कर मशीनों अथवा इंजन के आयात की अनुमति दे रहे हैं कि कुछ सालों तक इंजनों का आयात किया जायेगा और बाद में हम उन्हें स्वयं यहां पर बनायेंगे। मारूति के मामले में भी ऐसा ही हुआ था। अंब भी उसके अधिकांश पुर्जों का आयात किया जा रहा है।

मैं सभा के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूँ कि झल ही में योजना आयोग ने जो मध्यवधि मूल्यांकन प्रस्तुत किया है उसमें बताया गया है कि न तो प्रत्याशित दर के अनुसार निर्धनता कम हो रही है और न ही रोजगार का सृजन हो रहा है जिसका वायदा माननीय वित्त मंत्री ने कई बार इस सभा में किया है। मैं माननीय वित्त मंत्री से यह कहना चाहता हूँ कि निसंदेह इसका श्रेय आपको और स्वर्गीय श्री राजीव को भी जाता है क्योंकि जब वह प्रधान मंत्री थे तो उन्होंने उदारीकरण

प्रक्रिया आरम्भ की थी। अब आपने विनियमन और लाइसेंसस इत्यादि समाप्त करने की प्रक्रिया आरम्भ की है जो सिद्धान्त में तो बुरी नहीं है, लेकिन हुआ यह कि उदारीकरण के नाम पर आंतरिक क्षमताओं तथा अपने देशीय उद्योगों की कार्यकुशलता को सुदृढ़ करने के बजाय तथा अपने उत्पादों को विदेशी बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के बजाय उदारीकरण नीतियों के माध्यम से आप देशीय उद्योगों को समाप्त होने दे रहे हैं तथा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को उनकी पूरी शक्ति के साथ देश में प्रविष्ट होने की अनुमति दे रहे हैं। आप एक महीने से भूखे अथवा उपवास कर रहे किसी व्यक्ति से यह आशा कैसे कर सकते हैं कि वह किसी पहलवान से लड़ सकेगा। मैं इसे नहीं समझ पा रहा। विपुल धन के बल पर इन उत्पादों का प्रचार टी.वी. जैसे अत्यधिक शक्तिशाली संचार माध्यम के द्वारा किया जा रहा है जिससे ये बाजार पर कब्जा कर लेंगे और हमारी भारतीय कम्पनियां जो ऐसे उत्पादों का निमार्ण कर रही है, उनके साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकेंगी।

आप जानते होंगे कि निरमा नामक एक धुलाई के साबुन की कम्पनी है। बाद में प्रोक्टर एंड गैम्बल नामक एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी ने व्हील नाम का साबुन बनाना शुरू कर दिया। तीन साल तक उसे घाटा होता रहा। इस कुछ करोड़ रु. के घाटे उस पर प्रभाव नहीं हुआ क्योंकि सारे विश्व में उसका लाखों करोड़ों रु. का कारोबार है। उस समय वह कम्पनी उतना घाटा सह सकती थी और तीन वर्षों की अवधि के बाद वह बाजार में अपना स्थान बनाने में सफल हो गयी है।

मेरा कहना यह है कि माननीय वित्त मंत्री और सरकार कम से कम इस आखिरी समय पर भी समझें और विश्लेषण करें कि ये नीतियां हमें कहां पहुंचा रही हैं, हमारा अन्तिम उद्देश्य अपने देश को सबल बनाना होना चाहिए। हम उन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों पर निर्भर नहीं कर सकते। उनके मन में हमारे प्रति कोई प्रेम नहीं है। यहां लगभग 25 करोड़ मध्यवर्गीय परिवार हैं। वे लोग इस बाजार का फायदा उठाने के लिए आ रहे हैं।

मुझे हैरत होती है कि जबकि लगभग 2 लाख ऐसे गांव है जहां सभी मौसमों के लिए उपयुक्त या पक्की सड़कें तक नहीं हैं वहां हमारी सरकार यूरोप अथवा अमरीका जैसे सुपरहाईवे बनाने के नाम पर बिलियनों डालर खर्च करने का प्रस्ताव रख रही है। मैं इसका कारण नहीं समझ पा रहा। आप किसकी सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं ? क्या जनता की और जनता द्वारा बनाई गई यही सरकार है ? आप सुपरहाईवे बनाने के लिए विदेशी कम्पनियों से ऋण ले रहे हैं। इसके साथ गांवों को नजर अंदाज कर रहे हैं। क्या यह स्थिति वास्तव में शर्मनाक नहीं है कि 47 वर्षों के बाद दो लाख गांवों में सभी मौसमों के लिए उपयुक्त सड़कें नहीं हैं ? या फिर वहां रह रहे लोगों की सहायता की जानी अपेक्षित नहीं है ?

किसी वृद्ध को कहीं जाना पड़ता है। गर्भवती महिला को प्रसव के लिए जाना पड़ता है। वहां तो पीने का पानी भी नहीं है। वहां सफाई की सुविधाएं तक नहीं हैं। योजना आयोग ने स्वयं स्वीकार किया है कि आठवीं योजना के बाद भी मुश्किल से 15 प्रशित ग्रामीण लोगों के पास ही पर्याप्त सफाई सुविधा उपलब्ध होंगी। हम उदारीकरण के खिलाफ नहीं हैं। हमारी उदारीकरण नीति अपने लोगों की मदद के लिए होनी चाहिए। हम यही कहना चाहते हैं।

इसी तरह पेट्रोलियम उत्पादों के संबंध में भी क्या हुआ है ? ओ. एन.जी.सी. ने लाखों रु. का निवेश किया है। कृष्णा-गोदावरी घाटी में उन्होंने तेल की खोज के लिए 300 करोड़ रु. का निवेश किया है। तेल रावा तेल क्षेत्र में मिला। आपको हैरानी होगी। धान लाने, इसका छिलना उतारने, इसे कूटने और भोजन तैयार करने में इतना समय लग गया और भोजन परोसने के समय पर कोई और उस भोजन को ले जाने के लिए आ रहा है। उन्होंने इसे विडियोकॉन कान्सॉटियम को दे दिया है। पश्चिमी तट दूर क्षेत्रों में पन्ना और मुक्ता के तेल क्षेत्र रिलायंस कम्पनी को दे दिए गए हैं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि क्या आई.ओ.सी., भारत पेट्रोलियम, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम जैसी भारतीय तेल कम्पनियां इस कार्य के लिए सक्षम नही हैं ? क्या ओ.एन.सी.जी. इस कार्य को करने के लिए सक्षम नहीं है ? ओ.एन.जी.सी. कोरिया में इतना कार्य कर रही है। फिर आपने इसे कौड़ियों के मोल वीडियोकॉन को क्यों दे दिया ? केवल 300 करोड़ रु. के लिए आप उन्हें हजारों करोड़ रूपए का लाभ कमाने दे रहे हैं।

माननीय मंत्री ने अभी-अभी यहां एक वक्तव्य दिया है। श्री राजीव गांधी ने श्री सैम पित्रोदा को आमंत्रित किया था। उन्होंने भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल प्रोद्यागिकी विकसित की है। लगभग 200 उद्यमियों ने दूरसंचार विभाग से प्रौद्योगिकी लेकर लघु उद्योग आरम्भ किए थे, और अब हमारे महान सुखराम हजारों उद्योगों को समाप्त होने दे रहे हैं। वह बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को आमंत्रित कर रहे हैं। इसकी वजह क्या है ? यह हम नहीं जानते।

उन्होंने कहा कि टेलीफोन को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। क्या यह एक अति आवश्यक वस्तु हैं ?

अब मैं विद्युत के बारे में बात करूंगा। भारत हैवी इलैक्ट्रिकल लिमिटेड बहुत अच्छा काम कर रही है। अनेक बार यह अन्य बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए खुली बोलियों में सफल रही है .... (व्यवधान) यदि आप धैर्य रखें तो मैं प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दूंगा। यदि हमारी सरकार बी.एच.ई.एल. को प्रोत्सासहित करें तो यह स्वयं भी एक बहुत बड़ी बहुराष्ट्रीय कम्पनी बन सकती है। मैं ऐसा महत्वपूर्ण कदम उठाने के लिए महराष्ट्र सरकार को बधाई देता हूँ। महाराष्ट्र सरकार द्वारा कड़ा रवैया अपनाए जाने के कारण एनरॉन जैसी बड़ी कम्पनी को अपनी लागत में 1000 करोड़ रु. से अधिक की कमी करने के लिए बाध्य होना पड़ा। महाराष्ट्र विद्युत बोर्ड को सप्लाई की जाने वाली विद्युत की प्रति यूनिट लागत काफी कम हो गई है। यदि वे ऐसा नहीं करते तो देश भर में इसकी पुनरावृत्ति हो

सकती थी।

मेरा यह कहना है कि हम अपने स्वदेशी उद्यमों और उद्योगों को अधिकतम अवसर दे सकते हैं और जब हम पर्याप्त उत्पादन करने में असमर्थ रहे तो हम विदेशी कम्पनियों से सहायता ले सकते हैं और उनके उत्पादन ले सकते हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री का बहुत आदर करता हूं। यह चौथा साल है और कार्यकाल की अवधि समाप्त होने जा रही है। कृषि के क्षेत्र में भी भी आर्थिक सुधार क्यों नहीं किए जा रहे? महोदय यह क्षेत्र सकल घरेलू उत्पादन में 30 प्रतिशत का योगदान कर रहा है।

**श्री मनमोहन सिंह** : आप आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में जा कर देखें कि ए.पी.ई.डी.ए. किस प्रकार का कार्य कर रहा है।

**श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : आप सही कह रहे हैं। छोटे किसानों या स्थानीय मछुआरों या उद्यमियों की उद्यमी प्रकृति के कारण ऐसा हुआ है। मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि ए.पी.ई.डी.ए. ने केवल 5 प्रतिशत उद्यमियों की ही सहायता की है। अपना भाषण समाप्त करने से पहले यही बात मैं कहने वाला था। चूंकि मुझे बोलने का थोड़ा अवसर मिला है। मैं उस मुद्दे के बारे बताना चाहूंगा। आजकल बैंक आम तौर पर सहयोग नहीं कर रहे हैं। वे छोटे लोगों को छोटे किसानों या छोटे उद्यमियों को ऋण नहीं देते हैं। बैंक सरकारी योजनाएं जैसे डी.आर.डी.ए. एस.ई.पी.यू.पी तथा बहुत सी अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन के सबंध में भी सहयोग नहीं देते हैं। कुल मिलाकर वे सहयोग नहीं दे रहे हैं। चार साल पहले हमारे माननीय प्रधान मंत्री ने कहा था कि सरकार पुरानी व्यापक फसल बीमा योजना के स्थापन पर एक नई फसल बीमा योजना शुरू करेगी जिसके अंतर्गत किसानों की प्राकृतिक आपदाओं और उन्हें होने वाली हानियों की समस्याओं पर वास्तविक में ध्यान दिया जायेगा। लेकिन आज तक वे उस नई फसल बीमा योजना को नहीं लाये हैं। कम से कम इस योजना को प्रत्येक राज्य के एक जिले में परीक्षण आधार पर शुरू किया जाना चाहिए जैसा कि प्रधान मंत्री जी ने और वित्त मंत्री जी ने भी स्वयं वायदा किया था। आज मैंने कुछ बैंकों के मार्गनिर्देश पढ़े हैं। उच्चे प्राधिकारियों ने अपनी शाखाओं से मुर्गीपालन एककों की जिनके पास 2000 या 4000 से कम तक की मुर्गे-मुर्गियां हैं ऋण न देने के लिए लिख रहे हैं लेकिन वही शाखा बड़े लोगों को जिन्होंने अपना कार्य 10,000 या 20,000 मुर्गे मुर्गियों से शुरू किया है को करोड़ों रुपये दे रही है। कई बार, उनके पास पर्याप्त गारन्टी या सम्पत्ति भी नहीं होती लेकिन जैसे तैसे वे लोग अपनी राजनैतिक पहुंच से या बैंक मैनेजर या क्षेत्रीय मैनेजर या जनरल मैनेजर तक अपनी पहुंच के कारण करोड़ों रुपये प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन निःसंदेह हम जानते हैं कि कुछ समय पश्चात् क्या होगा। यही हाल बीमा कम्पनियों का भी हैं। मैं वित्त मंत्री से मिला था और खारे पानी में झींगा मछली की खेती करने वालों किसानों के बारे में उनहें बताया था, महोदय, यदि सब कुछ ठीक है तो फिर बीमा योजना जरूरी क्यों है ? बीमा योजना केवल ऐसी आकस्मिकताओं से निपटने के लिए और गरीब तथा छोटे किसानों की कठिनाई के समय सहायता करने और उन्हें अपने पैरों पर दुबारा करने और उन्हें अपने आर्थिक कार्य करने में सहायता देने के लिए है। दुर्भाग्य से, यह कार्य खारे पानी में खेती करने वाले उन झींगा मछली पालने वालों के लिए नहीं किया जा रहा है जो लगभग 2500 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा दे रहे हैं। उन्होंने बहुत ही मूल्यवान विदेशी मुद्रा दी है। कृपया इन बातों पर ध्यान दीजिए। और यह देखिए कि आपके उदारीकरण संबंधी प्रयास सार्थक हों और इन प्रयासों से आम आदमी को मदद मिले। केवल तभी इससे अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे और लोगों की खरीद क्षमता बढ़ेगी। जिससे इस देश में समस्त विकास होगा। यही समय है कि सरकार को इस वर्तमान नीति पर पुर्नविचार करना चाहिए। आर्थिक सुधार करने के ढंग को दुरूस्त किया जाना चाहिए। जब तक आप कृषि तथा तत्संबंधी गतिविधियों को प्रथम तथा प्राथमिकता नहीं देते, दूसरी प्राथमिकता, ग्रामीण छोटे तथा मध्यवर्ती उद्योगों को तथा इसके बाद उच्च उद्योगों को प्राथमिकता नहीं देते तो अन्य देशों से करोड़ों रुपये या बिलियन डालर का जो ऋण आप ले रहे हैं, इससे इस देश के लोगों की स्थिति में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। इन शब्दों के साथ, मुझे बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवावद करता हूं।

**श्री के.पी. रेड्डय्या यादव** (मछलीपटनम) : महोदय, मैं केवल कुछ मिनट का समय लूंगा। महोदय, देश में वर्तमान आर्थिक स्थिति पर बहुत से सदस्य बोले हैं। छोटी-छोटी बातों पर ध्यान दिये बिना तथा किसी पक्षपात के बिना कुल मिलाकर मैं सदन के समक्ष कुछ तथ्य रखना चाहता हूं जिससे पिछले साढे चार वर्षों के दौरान वास्तव में क्या हुआ है उसका पता चलेगा। ऐसा करने से पहले, मैं माननीय प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था को समृद्धि के रास्ते पर ला दिया है जो 1991 में चरमराने की स्थिति में पहुंच गई थी। 1991 में क्या स्थिति थी और अब क्या स्थिति है। इन दोनों अवधियों की तुलना करके हमारे सामने स्पष्ट तस्वीर आ सकती है। प्रत्येक माननीय सदस्य ने कहा है कि 1991 में अर्थव्यवस्था बहुत खराब थी, हमारा आर्थिक विकास बहुत कम हो गया था, हम एक हफ्ते के कच्चे तेल के आयात का भुगतान करने की स्थिति में भी नहीं थे। हमारे पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा नहीं थी तथा अफसरशाही के हौंसले पस्त थे। 1991 में, प्रथम कार्य जो हमारे प्रधान मंत्री तथा माननीय वित्त मंत्री .....

**श्री हरि किशोर सिंह** (शिवहर) ..... और आपने

**श्री के. पी. रेड्डय्या यादव** : कृपया मेंरी बात धैर्य पूर्वक सुनिये। कृपया बीच में मत बोलिये। मैं स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। उन्होंने भारतीय नौकरशाही को आश्वासन देते हुए कहा था ठीक है हम यहां हैं, आप अपने निर्णय लीजिए।। स्थिति को फिर से

सामान्य कीजिए हम आपके साथ हैं। यही पहली बात हमारे देश के इन दो बड़े नेताओं ने की थी। यह सब हमारे अधिकारीगण इनजीनियरिंग और अन्य व्यवसायों से से संबंधित व्यक्ति ही हैं जो यह कार्य कर रहे हैं। हमें उन्हें दिशा दिखानी है। इसलिए हम संसद में बैठे हैं। हमें लोगों को सही दिशा तथा रास्ता दिखाना है और वह माननीय प्रधान मंत्री और माननीय वित्त मंत्री ने किया है।

महोदय, वर्ष 1992 और 1993 में आर्थिक स्थिति मेंसुधार हुआ है। सभी नेताओं को अनुभव प्राप्त हुआ है। प्राइवेट क्षेत्र में सीमेन्ट उद्योग का काफी विकास हुआ है। इस उद्योग ने 65 मिलियन टन सीमेन्ट का उत्पादन किया है। सी.आई.आई. जो एक सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है, में काफी नुकसान हुआ है और अभी भी घाटे में चल रहा है, हमारे प्रधान मंत्री ने आर्थिक तथा औद्योगिक उदारीकरण को चुना था। इसके अच्छे परिणाम सामने आये हैं। हमारे प्रधान मंत्री ने देश से वायदा किया था कि वे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को जिस स्थिति में वे हैं, उस स्थिति में उन्हें सुरक्षित रखेंगे। ऐसे मामलों में जहां उनके पुनुर्द्धार के लिए कोई संसाधन नहीं हैं, केवल ऐसे सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को निजी पार्टियों का विदेशी उद्यमियों को सौंपा जायेगा।

महोदय, हम सब 1991 में भुगतान संतुलनों की समस्याओं के बारे में जानते हैं। हम 36,000 करोड़ रुपये का निर्यात कर रहे थे। अब, आयात और निर्यात के बीच का अन्तर बहुत कम रहा गया है। 1994-95 में, हमने लगभग 60,000 - 70,000 करोड़ रुपये के निर्यात का लक्ष्य पूरा किया है। हमारे भुगतान संतुलन की स्थिति के बीच अनतराल में भी कमी आई है। माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि हमने आई.एम.एफ. तथा विश्व बैंक के ऋणों का पहले से ही भुगतान कर दिया है। ये सब कैसे हुआ। केवल अलग-अलग तुलना करके आप इसे सरकार की आर्थिक नीति की आलोचना नही कर सकते। हमने कुछ छोटी-मोटी गलतियां की होगी; हम कतिपय मामलों में लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाये होंगे। लेकिन प्रधान मंत्री के नेतृत्व में सरकार की समूची आर्थिक उपलब्धियों को समझने के लिए, हमें राज्य सरकारों की उपलब्धियों को भी समझना होगा।

महोदय, आन्ध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश तथा अन्य बहुत सी राज्य सरकारों के पास धन की कमी है। वे वेतन तक का भी भुगतान नहीं कर पा रही हैं। आपको इस बात पर शर्म महसूस करनी चाहिए। बिहार, आन्ध्र प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की सरकारें केन्द्र से अनुमति लिये बिना ग्रामीण विकास कार्यों के लिए दिये गए धन को दूसरे कार्यों में लगा रही हैं। यह बहुत शर्म की बात है।

(व्यवधान)

**श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :** जहां तक आन्ध्र प्रदेश का संबंध है, यह बात सही नहीं है ..(व्यवधान)

**श्री के. पी. रेड्यया यादव :** मैं यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं आपके राज्य की स्थिति जानता हूं। आप वेतन देने की स्थिति में नहीं हैं .... (व्यवधान)

**श्री हरि किशोर सिंह :** आप बिहार के मुख्य मंत्री के सबसे बड़े प्रशंसक हैं .....(व्यवधान)

**श्री के.पी. रेड्यया यादव :** आप केवल केन्द्रीय सरकार के विरूद्ध आरोप लगा रहे हैं तथा उस पर ऊंगली उठा रहे हैं। आपको यह बात समझनी चाहिए। देश की आर्थिक स्थिति को समझने के लिए आपको राज्य सरकारों के कार्य-निष्पादन और केन्द्रीय सरकार के कार्य - निष्पादन की तुलना करनी चाहिए। आप समझ पाएंगे कि आप कहां हैं ..... (व्यवधान)

**श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे :** दिल्ली में डी.टी.सी. पर किसका नियंत्रण है। भारत सरकार का डी.टी.सी. पर नियंत्रण है। उन्हें पिछले दो महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। ..... (व्यवधान)

**श्री के. पी. रेड्यया यादव :** हमारे पास लगभग 62,000 से 70,000 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा का भण्डार है।.....(व्यवधान)

**श्री हरि किशोर सिंह** (शिवहर) : ऐसा किसने कहा था!.... (व्यवधान)

**श्री के. पी. रेड्येया यादव :** हमारा कृषि उत्पादन पर्याप्त है। इन साढे चार वर्षों के दौरान कृषि उत्पादन अधिकतम हो गया है और स्थिति यह है कि हम अन्य देशों को अपना अनाज निर्यात करने के लिए परिवहन सुविधाएं उपलब्ध नहीं कर पा रहे हैं। इसका अभिप्राय है हमने खाद्यान्न के मामले में अपने लक्ष्य प्राप्त लिये हैं। औद्योगिक मामलों में भी उत्पादन में लगभग 8 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। हमारे सभी इस्पात उद्योग अच्छे चल रहे हैं तथा भारतीय इस्पात प्राधिकरण ने प्रति वर्ष 600 करोड़ रुपये का लाभ दिखाया है। इसी तरह, अन्य बहुत से उद्योग लाभ काम कर रहे हैं। इसलिए, महोदय, हमारा .....(व्यवधान) हमारे प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री ने केवल एक निणर्य लिया है अर्थात इस देश की समस्याओं को सुलझाने का एक मात्र इलाज प्रोद्योगिकी है। इसीलिए, उन्होंने 'गेट' समझौते, विश्व व्यापक समझौते पर हस्ताक्षर करने को कहा है। जब तक हम प्रोद्योगिकी आयात करते रहेंगे, इस देश की गरीबी की समस्या इन जैसे नारे बाजों से कभी भी सुलझाई नहीं जा सकती। केवल प्रौद्योगिकी ही हमारी समस्या को सुलझा सकती है। इसीलिए, महोदय, हमने 'गेट' समझौते पर डब्ल्यू.टी.ओ. समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। जिससे हम कुछ उन्नत धान के बीच तथा गेहूं के बीच तथा अन्य बहुत सी सब्जियों के बीज प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हमारा उत्पादन 1000 प्रतिशत तक स्वत: ही बढ़ सकता है। इसीलिए इस लम्बे अनुभव से और एक अच्छे राजनैतिक के रूप में हमारे वित्त मंत्री ने अन्य देशों के साथ समझौते किये हैं।

इसलिए, महोदय, मैं वित्त मंत्री और प्रधान मंत्री को बधाई देता हूँ। .....(व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय :** श्री रावले, केवल पांच मिनट के लिए बोलिए।

**श्री के. पी. रेड्डयया यादव :** मुझे विश्वास है कि देश के लोग हमारे प्रधान मंत्री और वित्त मंत्री को आने वाले चुनावों में भी समर्थन देंगे। आप सब सपना देख रहे हैं कि आपके अच्छे दिन आयेंगे। लेकिन भविष्य में आप अलग-थलग हो जायेंगे।

**उपाध्यक्ष महोदय :** मेरी परेशानी यह है कि इसे पूरा करना चाहिए। इसके लिए आबंटित समय 2 घंटे था। (व्यवधान)

**एक माननीय सदस्य :** महोदय, हम इस पर कल चर्चा कर सकते है। (व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय :** नहीं, कल का सवाल नहीं है।(व्यवधान)

**श्री निर्मल कान्ति चटर्जी :** क्या आप बीच में मुझे एक बात बोलने की अनुमति देंगे? (व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय :** मेरे साथ दिक्कत यह है कि कार्य मंत्रणा समिति में इस बारे में निर्णय लिया गया है। यदि कार्य मंत्रणा समिति द्वारा लिए गए निर्णय का पालन नही किया जाता तो उसके निर्णय का कोई महत्व नहीं होगा। अत: हमें इसके निर्णय का पालन करना चाहिए। कृपया ऐसा ही करें।

**श्री निर्मल कान्ति चटर्जी :** महोदय, क्या मै आपका ध्यान इस विषय में लिए गए निर्णय की ओर आकृष्ट कर सकता हूँ ? जब यह तय हुआ था कि कुछ महत्वपूर्ण मामले हैं जिन पर यहां चर्चा होनी है, तो माननीय अध्यक्ष ने यह संकेत दिया था कि यह चर्चा ठीक नियम 193 के अंतर्गत होने वाली चर्चा की तरह नहीं है। उन्होंने विशेष रूप से निम्नलिखित शब्द कहे थे जिनका मै यहां उल्लेख कर रहा हूँ।

"कि यदि अप्रासंगिक न हो तो जो भी सदस्य जो बोलना चाहें, उसे अपनी पूरी बात कहने की अनुमति दी जाएगी।" उस वक्त यही दृष्टिकोण था।

**उपाध्यक्ष महोदय :** श्री निर्मल कान्ति चटर्जी जी, आप आंतरिक रूप से स्वतंत्र हैं और बाहय रूप से संप्रभु हैं कि आपको जैसी सर्वाधिक अपने अनुकूल लगे वैसी ही व्याख्या आप कर लें।

**श्री निर्मल कान्ति चटर्जी :** महोदय, मैं इस विषय में व्याख्या नहीं कर रहा हूँ। मैं इसे आक्षरश: उद्धृत कर रहा हूँ। जब श्री चाको पीठासीन थे तो उन्हें भी गलतफहमी हो गई थी।

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य तथा खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) :** उपाध्यक्ष महोदय, इस चर्चा में अनेक माननीय सदस्यों ने भाग लिया है। माननीय वित्त मंत्री भी बोलना चाहेंगे तथा अनेक महत्वपूर्ण विधेयक और मामले हैं जिस पर सदन में चर्चा होनी है। अत: मै आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप माननीय वित्त मंत्री जी से उत्तर देने का अनुरोध करें।

**उपाध्यक्ष महोदय :** मंत्री जी द्वारा की गई टिप्पणी वास्तव में सही है।

**श्री निर्मल कान्ति चटर्जी :** महोदय, मुझे इस बात का बहुत दु:ख इसलिए नहीं है कि मेरी बात का बल्कि अध्यक्ष महोदय की बात का कई माननीय सदस्य उल्लघंन कर रहे हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय :** श्री निर्मल कान्ति चटर्जी, प्रत्येक राजनीतिक नेता ने अपना बहुत योगदान किया हैं। माननीय मंत्री जी उनकी बातें बहुत धैर्यपूर्वक सुन रहे है। मै सोचता हूँ कि उनके साथ भी न्याय होना चाहिए।

**श्री जसवन्त सिंह :** महोदय, अब चूंकि आपने कहा है और वस्तुत: अध्यक्ष महोदय ने इस मामले को सही करने हेतु यह निर्देश दिया है कि बहस आज अवश्य होनी चाहिए। अत: आज माननीय मंत्री को उत्तर देने की अनुमति प्रदान की जाये। (व्यवधान)

**श्री निर्मल कान्ति चटर्जी :** कृपया मेरी बात सुनिए। उस समय तो स्थिति यही थी, परन्तु इसी बीच आज कई बातें हुई है जिससे हमारे पास समय कम बचा है। इसी कारण यह समस्या उत्पन्न हुई है। वे माननीय सदस्यों को बोलने का समय देना चाहते थे और उसके आधार पर यह अनुमान लगाया गया था कि यह बहस आज पूरी हो जाएगी। यदि मंत्री महोदय ये वक्तव्य और अन्य चर्चाए नहीं होती तो यह बहस आज पूरी हो गई होती।

**उपाध्यक्ष महोदय :** आपने बड़े कुशल ढंग से अपने विचार सदन में व्यक्त किए हैं। अब आप कृपया बैठ जाएं।

[हिन्दी]

**श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) :** उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार 1991 में जब सत्ता में आयी थी तो उसके पहले चुनाव घोषणा पत्र में कहा गया था कि सत्ता में आतें ही 100 दिन के अंदर मंहगाई कम कर देंगे तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आज सब चीजों के दाम देखिये। मूंग की दाल 23 रुपये किलो, उड़द 26 रुपये किलो.

[अनुवाद]

**उपाध्यक्ष महोदय :** श्री रावले, आप वही बात दुहरा रहे हैं। कोई नई बात हो तो कृपया बताएं।

[हिन्दी]

**श्री मोहन रावले :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही बताना चाहूंगा कि हमें अपने फाईनेंस मिनिस्टर के क्लीन होने पर गर्व है लेकिन जब इस सरकार ने सत्ता संभाली तो देश की आर्थिक नीति बहुत कमजोर थी लेकिन आज मुद्रास्फीति की दर बढ़ गयी है। सरकार को प्राईस इंडेक्स के बढ़ते रहने के तथ्य को स्वीकार करना चाहिये और मानना चाहिये कि हम फेल हो गये हैं। मैं फाईनेंस मिनिस्टर से जवाब चाहूंगा। अभी श्री वी.एस. राव ने कहा तो बताना चाहूंगा कि हमने एनरान प्रोजेक्ट में बिजली के दाम कम कर दिये और 1000 करोड़ रुपये का

मुनाफा कर दिया। मै आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब यहां पर चीनी की कमी थी तो उस समय इन्टरनेशनल मार्किट में चीनी का रेट 450 डालर प्रति टन हो गया।

उस वक्त आपने चीनी क्यों नहीं खरीदी ? उस वक्त हमारे पास चीनी का स्टाक था, लेकिन क्योंकि चीनी के दाम बढ़ गए इसलिए आपने चीनी खरीदी। क्या इसमें सरकार का कुछ तालमेल था ? क्या चुनाव का पैसा बाहर निकालने के लिए आपने कुछ योजना बनायी ? हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि जब चीनी के भाव कम थे तब आपने चीनी क्यों नहीं खरीदी ? सरकार कम दाम पर चीनी खरीद सकती थी लेकिन जिस वक्त चीनी के दाम एकदम ऊंचे हो गए, उस वक्त आपने चीनी इंपोर्ट की।

एक और स्कैण्डल के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि जो बोफोर्स से भी बड़ा है। यूरिया के लिए एक पार्टी को अप्रैल में 202 डालर प्रति टन के हिसाब से कौनट्रैक्ट दिया था, लेकिन उन्होंने एक लाख साठ हजार टन यूरिया सप्लाई नहीं किया था। उसके साथ उन्होंने अप्रैल में कौनट्रैक्ट किया और उसने पूरी सप्लाई भी नही दी थी, तब एम. एम. टी. सी. के चैयरमैन ने 246 डालर प्रति टन के हिसाब से उनको आर्डर दिया। इसमें तीन हजार करोड़ रूपए का घोटाला हुआ जो बोफोर्स से भी ज्यादा है।

[अनुवाद]

**श्री पी. सी. चक्को** (त्रिचूर) : उपाध्यक्ष महोदय, बेहतर यह होगा कि आप उन्हें आर्थिक नीति पर बोलने की इजाजत देते।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

**श्री मोहन रावे** : यह डायरेक्टली इकोनोमिक पॉलिसी पर है। पांच हजार करोड़ रूपए चले गए। क्या इससे इकोनौमी पर असर नहीं पड़ता है ? पांच हजार करोड़ रूपए हर्षद मेंहता ले गया। वह पैसा कहां है ? वित्त मंत्री बताएं कि वह पैसा कहां है ? पैसा कहां जा रहा है क्या इनको पता नहीं था ? उस वजह से गरीब लोगों की हालत बिगड़ी है। भारत में आज 40 प्रतिशत जनता ऐसी है जो कुछ नहीं खा पा रही है। ये लोग किसके लिए सरकार चला रहे हैं ? ये लोग के लिए सरकार चला रहे हैं या सरकार के लिए चला रहे हैं ? बहुत सी बातें यहां कही गई हैं।

टैक्सटाइल मिलों की भी बड़ी समस्या है। टैक्सटाइल मिलें क्यों घाटे में जा रही हैं और पब्लिक सेक्टर क्यों घाटे में जा रहा है ? क्योंकि वहां के अधिकारी लोग जान-बूझकर करप्शन कर रहे हैं। जो बातें कहीं गई हैं, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। मैं एम. एम. टी. सी. के बारे में वित्त मंत्री से क्लेरिफिकेशन मांगता हूँ कि यह हुआ है या नहीं। जब अप्रैल में एक लाख साठ हजार टन यूरिया सप्लाई नहीं किया था तो भी उसे कोनट्रैक्ट क्यों दिया गया, यह मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

[अनुवाद]

**श्री निर्मल कान्ति चटर्जी** : महोदय, अध्यक्ष महोदय, द्वारा अपने कथन में मुझे दिए गए अधिकार का में प्रयोग करना चाहता हूँ..... (व्यवधान)

**सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद)**: महोदय, मैं यह बताना चाहता हूँ कि जब उनका नाम पुकारा गया था तो, उन्होंने स्वयं कहा कि उनके दल की ओर से श्री चक्रवर्ती बोलेंगे?

(व्यवधान)

वह एक वरिष्ठ सदस्य हैं, उन्हें ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए।

**श्री निर्मल कान्ती चटर्जी** : मैंने यह अवश्य कहा है कि मुझ से पहले यह बोलेंगे, परन्तु मैंने यह नहीं कहा कि मैं नहीं बोलूंगा। मैंने तो यही कहा है कि दी गई सूची में मेरे उपनेता का नाम पहले था उनका दूसरे तथा मेरा नाम तीसरी स्थान पर था। मैं अपने अधिकार का प्रयोग करना चाहता हूँ। महोदय, यदि आप मुझे बोलने की इजाजत नहीं देंगे तो मैं सदन से बहिर्गमन करूंगा। (व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय** : आपको कभी सदन का बहिर्गमन नहीं करना चाहिए। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं।

**श्री निर्मल कान्ति चटर्जी** : महोदय, यदि आप इस चर्चा को पूरा करना चाहते हैं तो हमें समय बढ़ाना चाहिए। (व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय** : क्या आप अपनी बात पांच मिनट में पूरी कर सकेंगे ?

**श्री निर्मल कान्ति चटर्जी** : देखता हूँ ..... प्रयास करता हूँ।

(व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह, श्री तेज नारायण सिंह, प्रत्येक विषय पर प्रत्येक दल का प्रत्येक माननीय सदस्य चर्चा में भाग नहीं ले सकता। राजनीतिक दलों के नेताओं के नाम दिये हैं और उसी आधार पर नामों की सूची तैयार की गई है। सूची के अनुसार ही, नाम पुकारे जा रहे हैं।

श्री निर्मल जी, इस विषय के आप विशेषज्ञ हैं। कृपया अपनी बात को इस प्रकार संक्षेप में कह डालिए और ऐसा करने की क्षमता आप में हैं -- कि यह पांच मिनट में समाप्त हो जाये। मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। (व्यवधान)

[हिन्दी]

**श्री तेजनारायण सिंह** (वक्सर) : जब हमारा बोलने का मौका आता है तो आप नियम की बात करते हैं। क्या नियम सिर्फ हमारे लिए ही रह गए हैं ?

[अनुवाद]

**श्री निर्मल कांति चटर्जी** : मैं अपना भाषण संक्षेप में दूंगा। वस्तुत: मेरा आशय बिल्कुल सरल है। वित्त मंत्री के साथ मेरी समस्या बहुत

सामान्य सी है। हम सभी उनका एक अर्थशास्त्री की रूप में आदर करते हैं। परन्तु वह अयोग्य लोगों के बीच फंस गए हैं और इसी से समस्याएं पैदा होती हैं। मैं डा. मनमोहन सिंह के एक पक्ष का समर्थन करूंगा और उनके दूसरे पक्ष का विरोध। इससे उन्हें उत्तर देने में सुविधा होगी।

मैं यह कहूंगा कि महोदय, पहली बात यह है कि मैं यह क्यों कह रहा हूं इसका संकेत मिल जाएगा। वे मंहगाई के बारे में कुछ कहते हैं। ये सामान्य आंकड़े हैं। मैं उनको नहीं दोहराऊंगा। मेरे पास कुछ नवीनतम आंकड़े हैं। जिन्हें मैं देना चाहता हूं। मई, जून, जुलाई और अगस्त हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दो अंक पार कर चुका है। वे यह सुझाव दे रहे थे कि जब यह सूचकांक घटता है तो बड़ी तेजी से घटता है। उन्होंने कहा कि वे थोक मूल्य सूचकांक में विश्वास करते हैं क्योंकि यह व्यापक सूचकांक है। एक दूसरा भी व्यापक मूल्य सूचकांक है। जिसका उन्होंने जिक्र नहीं किया है। वह सकल घरेलू उत्पाद अपस्फायक है। जैसा कि हम जानते हैं कि वस्तु क्षेत्र के अलवा सेवा क्षेत्र में यदि आप हवाई हजाज को देखें तो पाएंगे कि सकल घरेलू उत्पाद व्यापक थोक मूल्य सूचकांक से भी अधिक हैं। दूसरी ओर, जैसा कि मैंने संकेत दिया था। यह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है जो गत चार वर्षों से थोक मूल्य सूचकांक से अधिक तेजी से बढ़ रहा है।

मैं नहीं दोहराऊंगा क्योंकि मूल्य वृद्धि पर हमने चर्चा कर ली है। मैं यह बताना चाहता हूं कि हम छात्रों को दोपहर के भोजन से वंचित कर रहे हैं। दूसरी वस्तुओं के बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा। अब प्राथमिक शिक्षा की मूलभूत आवश्यकता कागज होती है। अब कागज का मूल्य किस प्रकार बढ़ा है ? वे यह बताएं वर्ष 1991 में यह 14 रु. प्रति कि.ग्रा. था 1994 में यह बढ़कर 32 रु. प्रति कि.ग्रा. हो गया। वर्ष 1995 के अप्रैल माह में, यह 42 रु. प्रति कि.ग्रा. था जो तीन गुणा अधिक था। आप छात्रों को दोपहर का भोजन देते हैं, पर कागज नहीं देते जिस पर वह न सिर्फ लिखता है बल्कि उसके लिए किताबें भी छपती हैं। इस अर्थव्यवस्था में यही सब हो रहा है। मूल्यों के बारे में मैं यही बताना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इस विषय पर वे सदन को अपने उत्तर से संतुष्ट करें।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि यहां रोजगार की बात की गई है। मैंने मूल्य वृद्धि पर चर्चा के दौरान डा0 मनमोहन सिंह की सही भूमिका के संबंध में विशेष रूप से उल्लेख किया था। क्या वे यह नहीं महसूस करते हैं। कि उन्हें देश के समक्ष सफाई पेश करनी चाहिए। उन्होंने एक वचन दिया था किन्तु वे इसे पूरा नहीं कर सकें हैं। मूल्य वृद्धि और कीमतें कम करने के संबंध में यही कहा गया है और वे यह कह कर बचाव भी करने का प्रयास कर रहे हैं कि मुद्रास्फीति की दर इतनी ऊंची नहीं है। ऐसा कहने से उन्हें कोई रोक नहीं सकता क्योंकि उनकी कम्पनी ही ऐसी है।

बेरोजगारी की स्थिति के संबंध में, उन्होंने 10 मिलियन व्यक्तियों को वायदा किया था कि प्रति वर्ष रोजगार दिया जाएगा। योजना आयोग ने आठवीं योजना में कहा था कि यदि पांच वर्षों में 50 मिलियन नहीं तो 43 मिलियन व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया जाएगा। वर्तमान स्थिति यह है कि तीन वर्ष से भी अधिक समय बीत जाने के बाद उनके वक्तव्य के अनुसार, केवल 19 मिलियन लोगों को ही रोजगार प्रदान किया गया है। इस वक्तव्य पर भी सवाल खड़ा होता है। वर्ष 1992 के बैकलाग में संबंध में एक प्रश्न में यह बताया गया था कि 17 मिलियन का अनुमान है जबकि अब यह बताया गया है कि वर्तमान अनुमान 18.7 विलियन व्यक्तियों का है। अब इन आंकड़ों में एक सामान्य कारण से शंका पैदा होती है। जो गणना की गई है वह महज एक मजाक है। डा0 मनमोहन सिंह जानते हैं कि हम जवाहर रोजगार योजना पर इतनी अधिक धनराशि खर्च कर रहे हैं।

7.00 म0 प0

गणना की नई दरें बहुत ऊंची है, बहुत अधिक कार्यदिवसों का सृजन किया जाएगा। अत: यदि हम दैनदिन आधार पर कार्य दिवसों को भाग दें तो इससे पता चलेगा कि बहुत से लोगों को रोजगार मिला है। गणना करने का तरीका यही है हमारे साथ-साथ वे स्वयं भी इस बात को जानते हैं कि इस प्रकार से खर्च किए गए सौ रूपयों में से सही व्यक्ति के पास तीस से सत्तर रूपए के बीच ही पहुंच पाते हैं। इस प्रकार ये अनुमान भी शंका पैदा करते हैं। वे शालीन भी हैं और ईमानदार भी है फिर भी उन्हें देश को सफाई तो देनी ही चाहिए।

तीसरा प्रश्न जो मैं उठाना चाहता हूं वह बहुत ही सरल है। मूल्यों के दबाव और रोजगार की इस स्थिति के कारण क्या घटित हो रहा है ? यह सब बताया जा चुका है, मैं तो सिर्फ इसे उससे जोड़कर ही कर रहा हूं। गत तीन चार वर्षों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि ही हुई है। इसके आंकड़ों पर वाद-विवाद किया जा सकता है। किन्तु इसकी गणना करने वाले विशेषज्ञों का निष्कर्ष यही है कि पिछले कुछ वर्षों में यह संख्या बढ़ी ही है। इस संबंध में किए गए दावे में यह भी कहा गया कि अस्सी के दशक में इसमें कमी आई थी। किन्तु सभी का यही कहना है कि इसमें वृद्धि हुई है और कोई भी इसे आसानी से समझ सकता है कि ऐसा क्यों हुआ और यह कैसे होना चाहिए।

मेरा अगला प्रश्न अवमूल्यन के संबंध में है। अवमूल्यन के संबंध में भी काफी चर्चा की जा चुकी है। हमें पता है कि कई अवस्थाएं पार की जा चुकी हैं। एक अवस्था तो स्थिरता की थी। अगली अवस्था वह थी जब इस स्थिरता को बनाए रखने के लिए किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी। अगला चरण यह भी था जब वास्तव में हस्तक्षेप किया गया था और वर्तमान तथा पिछला चरण हमारे लिए लाभप्रद रहा। यह हमारे लिए लाभप्रद क्यों है, यह इसलिए कि इससे आयात में कमी आएगी और निर्यात में वृद्धि होगी। अब मैं उन्हें इसका उत्तर देने चाहता हूं। यह भी सत्य है कि यदि रूपए का अवमूल्यन होता है,

तो इससे आयात पर शिकंजा कसा जाता है। मैं उनसे यही पूछूंगा कि भिन्न-भिन्न निर्यात/आयात पर शिकंजा कसा जाएगा। क्या वे यह सोचते हैं कि 20 लाख रूपए मूल्य की मर्सिडिज बेंज कार खरीदने वाले व्यक्ति को इसे खरीदने से रोका जा सकेगा ? नहीं महोदय ! वह नहीं रूकेगा। इससे कौन रूकेगा ? ये तो डा0 मनमोहन सिंह और भारत सरकार ही हैं। जब बाहर से दालों और खाद्य तेलों के आयात की जरूरत होगी, तो वे कहेंगे कि हम राजसहायता प्रदान नहीं कर सकते हैं। यह बात दो प्रकार से लागू होती है और इस तरह विभिन्न बातों पर भिन्न-भिन्न प्रकार से लागू होती हैं।

कृपया निर्यात के मामले को लें। किन-किन निर्यात से लाभ होगा? केवल उन्हीं चीजों के निर्यात से लाभ होगा जिनका अधिक मात्रा में आयात नहीं किया जाता। चूंकि आयात लागत में वृद्धि हो रही है, अत: इसका निर्यात मूल्यों पर भी प्रभाव पड़ेगा और इससे निर्यात में अड़चनें भी आएंगी। जिन क्षेत्रों में अधिक आयात नहीं किया जाता, उनके निर्यात में वृद्धि हो सकेगी। वह क्षेत्र कौन सा है ? वह क्षेत्र हमारी कृषि का क्षेत्र है। वह क्षेत्र हमारे कुटीर और लघु उद्योगों का क्षेत्र है। और होता क्या है ? व्यापार और भुगतान संतुलन तथा निर्यात की समस्याओं से निपटने के लिए हम पर दबाव बढ़ेगा। हम जो आयात कर रहे हैं वे केवल विलासिता की वस्तुएं नहीं हैं। अभी-अभी वे किसी के प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। हम आयात नहीं कर रहे हैं। जबकि ऐसा नहीं है।

डा0 मनमोहन सिंह की यह सबसे बड़ी कमजोरी है जिसका हमें पता चला है। हम मर्सिडिज बेंज का आयात नहीं कर रहे हैं। हम मर्सिडिज बैंज का आयात नीलामी की कीमत अथवा अर्द्ध नीलामी की कीमत पर कर रहे हैं और फिर इन्हें इसैम्बल कर रहे हैं। पूर्ण मर्सिडिज और इस प्रकार के आयात में अंतर तो होगा। फिर हम ऐसा क्यों कहते हैं कि हमें कार में लगने वाले पुर्जों का स्वदेश में ही निर्माण करना चाहिए? मैं साधारण सी इस बात को पुन: दोहराता हूं कि जिन व्यक्तियों के लिए रेफ्रिजरेटर कंपनियां 2 लाख, 3 लाख और 4 लाख की कीमत वाले रेफ्रिजरेटर बना रही हैं, उन पर ऊब मूल्यन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिन लोगों को सोनी और अन्य टेलीविजन 3 अथवा 4 लाख में बेचे जा रहे हैं। उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका प्रभाव तो केवल उन साधारण लोगों पर ही पड़ेगा जिनके लिए कभी-कभी आयात करना जरूरी हो जाता है। हम इस बात पर जोर देते हैं कि दालों के मामले में आयात पर हस्तक्षेप जारी रहना चाहिए। पिछली बार हमने कहा था कि चीनी के आयात पर हस्तक्षेप जारी रहना चाहिए। किन्तु इस पर आप यही कहेंगे कि इन मदों पर राजसहायता देने हेतु आपके पास पर्याप्त धन नहीं हैं। अत: साधारण लोगों पर ही इसका प्रभाव पड़ेगा।

अब मैं अगले प्रश्न पर आता हूं। यह एक ऐसी विचित्र स्थिति है जब कोई व्यक्ति अवमूल्यन चाहेगा। वे यह कह रहे थे कि क्या हमारे पूर्वजों ने अन्य क्षेत्र में प्रयास नहीं किए-एक शिलिंग में छ: पेन्स। यह बात सही है। फिर यदि हम ऐतिहास पर दृष्टिपात करें तो पाएंगे कि एक समय ऐसा भी था जब विश्व में पौंड सबसे मंहगी मुद्रा थी। ऐसा क्यों था? क्योंकि ग्रेट ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था सबसे सुदृढ़ अर्थव्यवस्था थी। इसके बाद डालर का जमाना आ गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अमरीका की अर्थव्यवस्था सबसे सुदृढ़ अर्थव्यवस्था बन गई। आज वही डालर गिर रहा है—ऐसा भी नहीं है कि गत दो या तीन महीने से ही गिर रहा है। आज सबसे सुदृढ़ मुद्रा किस देश की है? ये मुद्रा मार्क और येन हैं। ये मुद्रा इसलिए सुदृढ़ हैं क्योंकि इनके मूल देशों की अर्थव्यवस्था मजबूत है, फिर अवमूल्यन क्यों होना चाहिए? किंतु यह संभव है कि मूल तत्व के अभिप्राय भिन्न लोग भिन्न ढंग से लेते हैं। मैं इसका भी उल्लेख करूंगा।

एक और समस्या भी है। हमें यह बताया गया है कि निर्यात प्रतिशत के मामले में हमारी स्थिति में सुधार हो रहा है। यह बात सही है। इसमें और भी सुझाव हो सकता है। जो बात वे भूल रहे है वह एक साधारण सी बात है आज निर्यात से हमें न केवल अपने आयात की पूर्ति करनी है बल्कि अन्य बातों के साथ-साथ हमें निर्यात से अपने कर्जे भी अदा करने है। हमें केवल आयात ही नहीं करना है। बल्कि हमने जो कर्ज लिया है वह भी अदा करना है। अब हमारे ऊपर कितना ऋण हो गया है? विदेशी ऋण 3,00,000 करोड़ रुपए के लगभग है। आर्थिक सर्वेक्षण से मुझे पता चला है कि यह ऋण 2,70,000 करोड़ रुपये है। अत: यह देनदारी भी तो है। जब वे ऋण के बारे में बात कर रहे थे तब इसका उल्लेख भी किया गया था। क्या आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि सकल घरेलू उत्पादन के प्रतिशत के रूप में हमारे ऊपर कितना ऋण है? 1994-95 हेतु हमारा कुल सकल घरेलू उत्पाद 7,00,000 करोड़ रुपए था। आज यह आंकड़ा 800,000 करोड़ रुपये तक हो सकता है हालांकि यह आंकड़ा उन्होंने नहीं दिया है। हमारे ऊपर 3,00,000 करोड़ रुपये के विदेशी और 4,00,000 करोड़ रुपये के आंतरिक ऋण का भार है हमारा ऋण हमारे सकल घरेलू उत्पाद के बराबर है स्थिति बहुत ही भयावह हो रही है और हमें ब्याज भी देना है। विदेशी ऋण के लिए हमारे पास विदेशी मुद्रा होनी चाहिए और आंतरिक ऋण के लिए हमारे पास आय होनी चाहिए। उन्होंने इस समस्या का सामना करने के बजाय नये शब्द की खोज करने हेतु शब्द कोश का सहारा लिया है।

बजट घाटे के संबंध में एक नया शब्द उछाल दिया गया है। यह शब्द "प्राथमिक घाटा" है। इसे 'प्राथमिक घाटा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कि इससे ब्याज को अलग कर दिया गया है, जैसे ब्याज का भुगतान हमारे दायित्व में न आता हो। मानते हैं कि यदि वे "प्राथमिक" शब्द का इस्तेमान करेंगे तो बच जाएंगे। किंतु ऐसा नहीं हो पाएगा।

अत: जो सुझाव मैं दे रहा हूँ वह यह है कि यह तो समसया का एक स्वरूप है जिस ओर अन्य लोगों ने संकेत किया है और शायद मैं ये बातें संक्षेप में बता रहा हूँ। मैं एक बात का उल्लेख करना चाहता हूँ। कल अनुपूरक मांगों पर चर्चा के दौरान मुझे खर्च की प्रक्रिया को देखकर बहुत खेद हुआ। बहुत अधिक, अनियन्त्रित वित्तीय घाटा है। जैसे-जैसे चुनाव निकट आते जायेंगे, यह घाटा और भी अधिक होता जायेगा। ऐसा क्यों है? उन्हें यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि वित्तीय घाटा ही अधिक विनाशकारी है। यह घाटा इस तथ्य के बावजूद भी हो रहा है कि मूल रूप से हमारा पूंजी व्यय अधिक महत्वपूर्ण था और घाटा होने के बावजूद उसमें कटोती की जा रही है। यही आधारभूत बात थी। जैसा कि कल मैंने अनुपूरक मांगों पर वाद-विवाद के दौरान कहा था, मैं यह देखने का प्रयास कर रहा था कि कम से कम इस खर्च की मांग करने से पूंजीगत व्यय की ओर झुकाव बढ़ेगा। किन्तु अफसोस है कि मुझे यह पता चला कि राजस्व व्यय पुन: बढ़ गया है। उनकी मांग पूंजी व्यय की अपेक्षा राजस्व व्यय के लिए अधिक है।

महोदय, मैं जानता हूँ कि आप घड़ी की ओर देख रहे है।

**उपाध्यक्ष महोदय :** यदि आप सहयोग करेंगे तो मुझे खुशी होगी। कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

**श्री निर्मल कांन्ति चटर्जी :** जी हाँ, महोदय, मैं अपनी बात जल्दी ही समाप्त कर रहा हूँ।

महोदय, मेरा एक आसान सा प्रश्न हैं। लोग मुझसे इसके बारे में पूछते हैं। ऐसा क्यों है कि यह अनियंत्रित होता जा रहा है? महोदय, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं एक दस्तावेज सभा पटल पर रखना चाहता हूँ क्या हमारे राजस्व में वृद्धि नहीं हो रही है? उसमें वृद्धि हो रही है। मुझे इस पर गर्व है। किन्तु एक बात कभी नहीं कहेंगे। उनकी आत्मा चाहती है कि वह यह बात कहे परन्तु उनका मन नहीं चाहता कि वह यह बात कहें कि राजस्व में जो कुछ भी वृद्धि हो रही है वह पर्याप्त नहीं है। यह पर्याप्त क्यों नहीं है? निश्चित तौर पर राजस्व में वृद्धि हो रही है। ऐसा अंशत: वास्तविक विकास के कारण है तथा अधिकांशत: मुद्रास्फीति की दर के कारण हुआ है। यहां 5,000 कंपनियों की एक सूची है, जिसके बारे में मैंने उन्हें पहले बताया था, इनमें से प्रत्येक कंपनी एक करोड़ रुपये का लाभ अर्जित कर रही है। क्या आप जानते है कि वे कितना आय कर देती हैं? महोदय, एक अन्य जगह यह कहा गया था कि रिलायन्स कंपनी ने कभी भी आय कर नहीं दिया। क्या आप सोचते है कि यही एक मात्र कंपनी है? यह एक सूची है। 5000 कंपनियां हैं, जो बिल्कुल भी कर नहीं देती हैं। इस सूची में कुछ ऐसी कंपनियों हैं, जो कराधान आदि की बहुत ऊंची दरों के बारे में हायतोबा क के कर देती हैं। यहां कराधान की अधिकतम दर मात्र ४ प्रतिशत है। क्या उनके पास संसाधन नहीं हैं? आप अपने कर प्रस्तावों में ऐसी रियायतें क्यों रखते हैं? वित्तीय घाटे के रूप में भारी दबाव के बावजूद आप इसमें संशोधन नहीं कर रहे हैं और वस्तुत: यह कोई नया प्रावधान नहीं है।

श्री प्रणव मुखर्जी यहां नहीं हैं। मैं उन्हें बधाई देता। जब वह वित्त मंत्री थे, उन्होने एक बात शुरू की थी। उस समय सलाहकार समिति की बैठकों में हम उनके साथ बार-बार लड़ते रहते थे वह इस बात पर सहमत हो गए थे कि सकल लाभ का 30 प्रतिशत कर देना होगा। दुर्भाग्यवश दो वर्ष बाद इस खंड को हटा दिया गया और हमें बताया गया कि हम धन नहीं जुटा सकते हैं।

मैं इस दस्तावेज को सभा पटल पर रख सकता हूँ। इसमें गोपनीय कुछ नहीं है। यदि आप अनुमति दें तो मैं इसे सभा पटल पर रख दूंगा।

एक और समस्या है। अर्थव्यवस्था में यह कहा गया है कि बैंकिग और वित्तीय क्षेत्र में भारी संकट है। यह सही है। इसमें संदेह नहीं है और इसकी प्रतिक्रिया में मांग मुद्रा (काल मनी) की दर 135 प्रतिशत तक हो गई। कुछ दायित्वों को पूरा करने के लिए अन्य बैंकों से लिये गये बैंक ऋणों का भुगतान करना पड़ा। इसका उल्लेख कोई नहीं करेगा। धन की कमी है। आपसे कभी कोई यह बात नहीं कहेगा और मैं यह पत्र सभा पटल पर तभी रखूंगा बशर्ते कि उपाध्यक्ष महोदय इसकी अनुमति दें। इसमें कहा गया कि बैंक में 37,000 करोड़ रुपये का अशोध्य ऋण है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि 37,000 करोड़ रुपये के ऋण बैंक में फंस गए हैं। क्यों?

महोदय उदारीकरण की बात की गई है। उदारीकरण की शर्तें जैसाकि बताया गया है, पारदर्शिता है। गत कुछ वर्षों के दौरान उन्होंने गोपनीय खंड अन्त:स्थापित करके बैंककारी विनियमन अधिनियम में प्रतिकूल संशोधन किए हैं। कुल मिलाकर यह विवशता की स्थिति नहीं है। मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता कि भारतीय लोग असहाय हैं। मैं इस बात पर विश्वास नहीं करता कि विदेशी मालिकों, बहुराष्ट्रीय कंपनियों और उनकी संस्थाओं के समक्ष हम अपना सिर झुकाएं। ये बातें संभव हैं। केवल एक शर्त है। हम अर्थव्यवस्था में किसे खुश करना चाहते हैं? क्या आप यहां पर लोगों, 75 अथवा 80 प्रतिशत जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं अथवा बहुराष्ट्रीय कंपनियों, भारत के बड़े औद्योगिक घरानों, तस्करों और शेयर बाजार के दलालों को संन्तुष्ट करने के लिए हैं? इस बात का निर्णय करना है। ऐसा करने से, यदि उनकी आत्मा उनके मन पर हावी हो जाए तो, इस समस्या का समाधान हो सकता है।

महोदय, मैं एक या दो बातों का उल्लेख और करूंगा। कभी-कभी यह कहा जाता है कि मूल तत्व ठीक हैं। कैसे? उद्योग का विकास हो रहा है। मुझे आश्चर्य होता है और जब ऐसे विरोधाभासी वक्तव्य दिये जाते हैं तो मुझे उनसे ऊब होती है। गत वर्ष यह कहा गया था कि हमारे आयात अच्छे हैं और उनमें वृद्धि हो रही है, किन्तु मुख्यरूप से पूंजीगत वस्तुए ही आ रही थीं। इस वर्ष यह कहा गया है कि अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है, क्योंकि पूंजीगत माल का आयात नहीं किया जा रहा है। यह अरुचिकर बात है। कोई भी समझदार अर्थशास्त्री ऐसी बातें नहीं करेगा। जो आज हो रहा है वही

आधारभूत बात नहीं है। इसका निर्धारण मुख्यत: आप की निवेश दर मे होता है।

महोदय, वे कृषि की बात करते हैं और कहते है कि कृषि उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि हुई है। मेरे पास एक वक्तव्य है और में उसका उल्लेख करना चाहता हूँ। निवेश दर में व्यापक वृद्धि नहीं हो रही है। इसमें कमी आ रही है। कृषि की ओर देखिये। हमें दिए गये उत्तरों की गुणवत्ता को देखिये। इसमें कहा गया है कि 1981 की कीमतों पर कृषि निवेश 1980-81 में 4,864 करोड़ रुपये से घटकर 1989-90 में 4,792 करोड़ रह गया। इससे संभवत: विगत में काफी नुकसान हुआ है। इसके बाद इसमें कमी आई। तथापि, 1993-94 के त्वरित आकलन के अनुसार यह बढ़कर 5,228 करोड़ रुपये हो गया। इन बातों का श्रेय लेते हुए लोगों को शर्म नहीं आती है। चार वर्षों में विकास में अंतर नौ प्रतिशत रहा है। चार वर्षों में निवेश में वृद्धि नौ प्रतिशत हुई है जबकि इन चार वर्षों में मूल्य वृद्धि लगभग 40 और 50 प्रतिशत के बीच रही है। इस तरह का वक्तव्य हमारे जैसे देश के सत्ताधारी दल से आ सकता है क्योंकि उन्हें देश की कोई चिंता नहीं है। इस प्रकार के तथ्यों के आधार पर कोई भी जिम्मेदार और समझदार व्यक्ति श्रेय लेने का प्रयास नहीं करेगा। महोदय, मैं यह सामान्य सा वक्तव्य देकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री निर्मल कान्ति जी.....

**श्री निर्मल कांन्ति चटर्जी** : महोदय, क्या आप मुझे अपना भाषण समाप्त करने की अनुमति भी नही देंगे?

**उपाध्यक्ष महोदय** : निर्मल कांन्ति जी, यदि आप वास्तव में एक मिनट में अपना भाषण समाप्त करने की कृपा करेंगे, तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हाऊंगा।

**श्री निर्मल कान्ति चटर्जी** : महोदय, मैं एक सामान्य सी बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। इस बात को सभी जानते हैं, मुझे यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि विकास पर्याप्त संकेतक नहीं है। विकास सहायक है। प्रत्येक जिम्मेदार अर्थशास्त्री ने यह बताया है कि विकास के साथ—मैं यहां केरल का उदाहरण देता हूँ—यदि वहां अर्थव्यवस्था में समानता है अथवा असमानता कम है, यदि वहां पर्याप्त साक्षरता है, यदि वहां बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा है तथा मृत्यु दर कम है तभी एशियाई चीते फलफूल सकते हैं। जब उन्होंने उदारीकरण शुरू किया, तो उन्होंने यह देखने का प्रयास किया कि ये चीजें प्राप्त कर ली जाएं। इसी समानता और शिशु मृत्यु दर में कमी को महत्व दिया गया है। अब बात यह है कि वे सभी इस बात पर बल दे रहे हैं, जैसा की मेरे सहयोगी ने कहा है, कि समानता का आसान तरीका भूमि सुधार के संदर्भ में है। किन्तु आप शायद ऐसा नहीं कर सकते और उन्होंने इसे पुस्तक में रेखांकित किया। यह एक प्रसिद्ध पुस्तक है—वह इसका नाम जानते हैं—जिसमें कहा गया है कि केरल की ओर देखें। समानता और जनता के संघर्ष के कारण ही केरल में चीन की अपेक्षा महिला साक्षरता अधिक है। केरल में चीन की अपेक्षा शिशु मृत्यु दर कम है। केरल में चीन की अपेक्षा बेहतर स्वास्थ्य के प्रावधान है। ऐसा क्यों है? इसका सीधा-सा कारण यह है कि लोगों ने संघर्ष किया है। जनता के निर्धनता वर्गों के संगठन का समर्थन पाने के लिए कांग्रेस के भीतर एक तीव्र वामपंथी आंदोलन पैदा हुआ है।

मैने पश्चिम बंगाल का उल्लेख नहीं किया। परन्तु क्योंकि ममता बनर्जी यहां नहीं हैं मुझे उसका उल्लेख भी करने दीजिए। उन्होंने पश्चिम बंगाल का नाम भी लिया है कि बरगा आपरेशन पंचायत प्रणाली जैसे सीमित सुधारों से ही उन्होंने एक तरह का ग्रामीण बाजार तैयार कर लिया है जो इस तरह की शुरूआत करने का आधार हो सकता है। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, यदि आप उदारीकरण करने की कोशिश करते हैं तो उसका परिणाम यह होगा कि एक क्षेत्र में समृद्धि होगी और दूसरे क्षेत्र में बिल्कुल निर्धनता। ब्राजील में ऐसा हो रहा है और यही स्थिति मैक्सिकों की भी है।

धन्यवाद। महोदय, कृपया मुझे इसका उत्तर दिया जाए।

**उपाध्यक्ष महोदय** : बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री तेज नारायण सिंह और श्री राम आश्रय प्रसाद, कृपया इस बार क्षमा कीजिएगा। तीन राजनैतिक दलों ने अपनी बातें रखी हैं। अब माननीय वित्त मंत्री बोलेंगे

**श्री मनमोहन सिंह** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन माननीय सदस्यों का आभारी हूँ जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया।

मेरे विचार में इस चर्चा में उन्हीं तर्कों की पुनरावृत्ति की गई है जिन्हें हम इस सभा में पहले ही सुन चुके हैं। आरंभ में मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारा ऐसा दावा नहीं है कि अर्थव्यवस्था की स्थिति बिल्कुल ठीक है। अर्थव्यवस्था की मूलभूत खराबियों को दूर करने में काफी और महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। हमने खराब अर्थव्यवस्था को संभाल लिया है और यदि हम आने वाले वर्षों में भी इसी पथ पर चलते रहे तो हम गरीबी हटाने, बेरोजगारी दूर करने और अपने लोगों के जीवन स्तर बेहतर बनाने के कार्यों को पहले से कहीं अधिक कारगरता से कर सकेंगे।

श्री निर्मल चटर्जी ने मुझे याद दिलाया है कि विकास ही काफी नहीं है। मैं उनसे पूर्णतया सहमत हूँ। किन्तु जैसा कि उन्होंने स्वयं कहा कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथवा अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए मूलभूत शर्तों में से एक शर्त अधिक नौकरियों का सृजन करना है—जो केवल अधिक विकास से ही संभव हैं, हालांकि विकास अपने आप आप में एक आवश्यक शर्त नहीं है। किन्तु मेरे विचार में विकास से आवश्यक संसाधन, कर राजस्व उपलब्ध होंगे जिनसे हम वह सब कर सकेंगे जिस ओर उन्होंने हमारा ध्यान दिलाया है और जो जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनिवार्य है अर्थात स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवार, साक्षरता इत्यादि पर अधिक व्यय करना। यह सब कुछ तभी किया जा सकता है, यदि अर्थव्यवसथा सुदृढ़ हो और यदि राज्य के राजस्वों में वृद्धि हो रही हो। यही हमारी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य है। अपने

देश के करोड़ों लोगों जो निर्धनता, अज्ञानता और रोगों के इस प्राचीन अभिशाप से त्रस्त हैं उन्हें मुक्ति दिलाने के लिए हमने अपने दिलों में जो सपने संजोए हैं हम उन राष्ट्रीय उद्देश्यों का त्याग नहीं कर रहे हैं। अब वास्तविक मुद्दा यह है कि इस उद्देश्य की प्राप्ति हम कैसे करें।

मैंने जसवंत सिंह जी की बात सुनी है, मैंने निर्मल बाबू की बात भी सुनी है, मैंने बहुत से अन्य वक्ताओं को भी सुना है। मेरे विचार में उने से कुछ लोगों ने कुछ कमियों की ओर ध्यान दिलाया है और मैं उनका खंडन नहीं कर रहा। किन्तु मैं यह कहना चाहूंगा कि उन सभी लोगों की बात सुनने के बाद यदि आप आर्थिक नीतियों की आयोजना के लिए एक संगत दृष्टिकोण की तलाश करें तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ भी कहा तथा उसमें वह दृष्टिकोण दिखाई नहीं देता। लेकिन इससे मुझे कोई परेशानी नहीं है क्योंकि मैं जानता हूं कि चुनाव निकट आ रहे हैं इसलिए लोग अपनी बातु बढ़ा-चढ़ा कर कहते हैं। किन्तु इस सभा के बाहर जो हो रहा है, उससे मुझे खुशी मिलती है। तीन दिन पहले ही द टाइम्स ऑफ इंडिया में श्री वी.पी. सिंह द्वारा हारवर्ड सेमिनार में दिए गए भाषण का उद्धरण दिया गया था जिसमें उन्होंने कहा है कि "यदि आर्थिक नीतियों के बारे में जो मैं वास्तव में महसूस करता हूं, उसे कहूं तो मैं विरोधी दल का नहीं रहूंगा।" इससे पता चलता है कि कितना परिवर्तन आया है तीन दिन पहले द टाइम्स ऑप इंडिया से श्री चन्द्रशेखर के साथ साक्षात्कार प्रकाशित हुआ था। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, मैं उनका बड़ा आदर करता हूं, मैंने उनके अधीन कार्य भी किया है। साक्षात्कार में उन्होंने भी यही कहा कि जो कुछ हुआ है वह उसे उल्टाना नहीं चाहते और और यह कि वह गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाना चाहते हैं—हमारा रास्ता भी यही है। प्रधान मंत्री भी यही कह रहे हैं। कल श्री अटल बिहारी वाजपेयी एफ.आई.सी.सी. आई. के सेमिनार में बोले थे। मैं यह कहना चाहूंगा कि जब मैंने उनका वक्तव्य पढ़ा तो जो कुछ हमारे भा.ज.पा. के मित्र प्राय: सभा में कहते हैं और जो वे कभी-कभी सभा के बाहर कहते हैं, उसमें बहुत अंतर है। मेरे विचार में देश में बहुत मामलों में समान विचार है। तथा वामपंथियों में भी यदि आप श्री ज्योति बसु को अमरीकी श्रोताओं से बात करते हुए सुनें तो उनकी बातें उससे बहुत भिन्न होती है जो श्री निर्मल बाबू इस सभा में कहते हैं। सौभाग्य से परिवहन और संचार के क्षेत्र में इतनी तरक्की हो चुकी है कि लोग इन सब बातों को जानते हैं।

मैं श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा कल दिए गए भाषण का उल्लेख कर रहा था। श्री जसवंत सिंह ने बहुत जोरदार ढंग से अपनी बात कही है। अब यदि हम इस 'स्वदेशी' शब्द को ले तो कांग्रेस ही वह दल है जिसने देश की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। भारत की स्वतंत्रता की प्राप्ति में कांग्रेस द्वारा निभाई गई भूमिका पर हमें गर्व है स्वदेशी ही राष्ट्रीय पु·जागरण का साधन था। पंडितजी ने स्वयं एक बार पछा था "आज हम जिस संसार में रह रहे हैं जहां कोई राष्ट्र कभी भी आत्मनिर्भर नहीं हो सकता, वहां स्वदेशी का क्या अर्थ है?" और तब उन्होंने कहा था कि "हम जिस परस्पर आश्रित संसार में रहते हैं वहां स्वदेशी का अर्थ आत्मनिर्भरता है और यह कि पूंजी के सामान्य अंतर्वाह और निर्यातों द्वारा हम अपने देशीय प्रयासों से अपने सभी आयातों के लिए वित्त जुटाने में समर्थ हों।"

भा.ज.पा. के मेरे मित्र शोर मचाते रहे हैं लेकिन यह एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में उनका मूल सुधार श्री मोहन रावले जैसे उच्च नेता ने किया है। जिन्होंने उन बातों की अप्रासंगिकता की ओर ध्यान दिलाया है जो भा.ज.पा. के मित्र कहते रहते हैं। मैं बालासाहेब ठाकरे की बात को उद्धृत करना नहीं चाहता। लेकिन जो कुछ भी उन्होंने इस बारे में कहा है उस पर सभी का समान अधिकार है। उन्होंने इस विषय पर कई साक्षात्कार दिए हैं। कल जब मैंने अटल जी का भाषण पढ़ा तो मैंने पाया कि उन्होंने 'स्वदेशी' की परिभाषा बिल्कुल वैसी ही दी थी जैसी परिभाषा मैं बार-बार इस सभा में देता आया है कि जिस परस्पर आश्रित संसार में हम रह रहे हैं, इन बदले हुए संदर्भों में आज के संसार में 'स्वदेशी' शब्द का वास्तविक अर्थ आत्मनिर्भरता के लिए प्रयास करना है। मैं यह कहने का साहस कर रहा हूं कि हमने इस दिशा में कार्य किया है। जब हमने सत्ता संभाली थी तो 60 प्रतिशत से भी कम आयातों के लिए हमें वित्त निर्यातों से प्राप्त हो रहा था। लेकिन आज हमारे निर्यातों से लगभगन 90 प्रतिशत आयातों के लिए वित्त उपलब्ध हो रहा है जो आत्म निर्भरता की ओर एक सही कदम है।

जब हम सत्ता में आये तो हम विदेशों से ऋण ले रहे थे। 1991 में हमारा चालू खाता घाटा 10 विलियन डालर था जो हमारे सकल घरेलू उत्पाद के साढ़े तीन प्रतिशत के बराबर था। पिछले वर्ष यह केवल 0.6 प्रतिशत रह गया। मैं यह नहीं कह रहा कि हमने ऋण की समस्या से निजत पा ली है। ऋण बढ़ गया है। लेकिन हमने एक ऐसी प्रक्रिया आरंभ कर दी है कि यदि हम इस पथ पर चलते रहें तो ऋण सेवा अनुपात जो कम हो रहा है—1991 से ही इसमें काफी कमी आई है, यह और कम हो जायेगा। इसलिए अगले पांच या छ: सालों में भारत इस ऋण को बहुत अधिक कम कर पाने या इससे मुक्ति पाने के काबिल हो जायेगा। यह काम थोड़े से समय में नहीं किया जा सकता। उदाहरण स्वरूप यदि मैं एक बार में ही ऋण को चुकता करना चाहता तो इस देश में इतनी अधिक बेरोजगारी हो जाती जो आपने पहले कभी देखी न होती। इसलिए हमने जानबूझकर निर्यात की स्थिति को सुदृढ़ करने और ऋण लेने को अपनाया है। हमें इसमें काफी सफलता मिली है और मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि हमने देश की सभी समस्याओं का समाधान कर लिया है। भारत जैसे विशाल और जटिल देश की समस्याओं का समाधान चार वर्ष की अवधि में नहीं हो सकता। परन्तु मेरा यह दावा है कि हमने जो काम किया है, ठीक किया है। मैं समझता हूं कि जिस दिशा में हम 1991 में अग्रसर थे, यदि उसी में चलते रहते तो भारत संभवत: आज उसी

स्थिति में होता जिस स्थिति में इस समय रूस है। हमने अपनी अर्थव्यवस्था को बिगड़ने से बचाया है हमने विकास की भावना को सुदृढ़ किया हैं। हमने सबको रोजगार देने का लक्ष्य भले ही न प्राप्त किया हो, परन्तु हमने वे स्थितियॉं पैदा की है जिनमें रोजगार के अवसरों का वर्ष प्रति वर्ष तेजी से सृजन किया जा सकता है। मैं उन लोगों के तर्क स्वीकार नहीं करता जो बढ़ा-चढ़ कर आंकड़े प्रस्तुत करते हैं। मैं सोचता हूँ कि वे आंकड़े आधारहीन हैं। साथ यह कहना चाहता हूँ कि गरीबी बढ़ रही है और कृषि मजदूरी की हालत भी बिगड़ चुकी है। हमने 'इकानामिक सर्वे' में आंकड़े दिए हैं कि मूल्यों में वृद्धि के बावजूद-मेरी उन लोगों के प्रति सहानुभूति है, जो मेरे विचार से मंहगाई से पीड़ित हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कृषि मजदूरी में वृद्धि करने, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को सुदृढ़ बनाने, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार करने का कार्य नहीं हुआ है, जिसके कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि 1991-92 में खेतिहर मजदूरों की वास्तविक मजदूरी में आरंभिक गिरावट आने के बाद उनकी हालत पुन: खराब हो गई है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि मूल्य के मोर्चे पर अथवा रोजगार के मोर्चे पर अथवा वित्तीय मोर्चे पर अथवा भुगतान संतुलन के मोर्चे पर हम ठहराव के चरण में पहुंच गए है। ठहराव का कोई चरण हो ही नहीं सकता। हमारे पास उन कार्यों की एक सूची है जो देश में पूरे नहीं किए जा सके हैं और गरीबी, अज्ञानता और रोगों से मुक्त होने की लिए लक्ष्य की प्राप्ति हेतु हम कार्य करते रहेंगे।

महोदय, मूल्यों के संबंध में मैंने एक व्यापक वक्तव्य दिया है। चालू वर्ष में मुद्रास्फीति की दर में गिरावट बिल्कुल स्पष्ट है। यह सच है कि थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में अंतर है। परन्तु मेरा यह पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार से थोक मूल्य सूचकांक बदल रहा है, इसका असर उपभोक्ता मूल्यों में भी परिलक्षित होगा। परन्तु मैंने यह भी कहा है कि मुद्रास्फीति नियंत्रण में हुई प्रगति से मैं संतुष्ट नहीं हूँ। यही कारण है कि कर्मचारियों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए हमारी सरकार जो कुछ कर सकती थी, उसने किया। गत वर्ष वेतन आयोग ने अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसने कहा कि हमारे पेंशन कर्मचारियों का अंतरिम राहत दिए जाने की आवश्यकता है। यद्यपि हमारी वित्तीय व्यवस्था की हालत अच्छी नहीं थी, तथापि सरकार ने उनकी कठिनाइयां कम करने हेतु 1650 करोड़ रु. की अतिरिक्त राशि प्रदान की।

उसी प्रकार, जैसा कि मैंने कल अपने भाषण में उल्लेख किया था, हमने गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम को सुदृढ़ किया है। हमने सामाजिक सहायता कार्यक्रम को सुदृढ़ किया है। यद्यपि प्रो. निर्मल चटर्जी ने दोपहर के भोजन की योजना की आलोचना की है, तथापि मैं समझता हूँ कि देशभर में इस बात पर सभी एकमत हैं कि यदि हम साक्षरता बढ़ाना चाहते हैं तो संभवत: यह कदम बहुत मददगार होगा। इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि कागज के मूल्यों के बारे में उनकी चिंता में मैं सम्मिलित नहीं हूँ। परंतु मैं समझता हूँ। मैं यह नहीं कह सकता कि सभी काम पूरे हो जाएंगे। कुल मिलाकर आशय यह है कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं।

जहां तक वित्तीय घाटे का प्रश्न है। पूरे 1980 के दशक में खासकर इसके उत्तरार्द्ध में, हमारा वित्तीय घाटा 8.5 प्रतिशत रहा। हम घरेलू बाजार से उधार लेने में समर्थ थे। हम विदेश से भी ऋण लेने में समर्थ थे। हम विदेश से भी ऋण लेने में समर्थ थे। परन्तु वर्ष 1990-91 में हमारी ऐसी स्थिति हो गई कि बाहर के देश हमें कर्ज देना नहीं चाहते थे। ब्याज बढ़ जाने से भी घरेलू ऋण की समस्या उठ खड़ी हुई। अब हम इससे कैसे निपटेंगे? हम रातोंरात इससे नहीं निपट सकते। पहले हमने विदेश के संबंध में चालू खाता घाटे को कम किया है। हमने चालू खाता घाटे को कम करने का कार्य किया। जब हमने काम शुरू किया तो यह सकल घरेलू उत्पादन का 3.5 प्रतिशत था, परन्तु यह इस वर्ष सकल घरेलू उत्पादन का 1.5 प्रतिशत से अधिक नहीं रहेगा। यदि हमने विगत में चालू खाते घाटे की अधिकांश राशि का वित्तपोषण वाणिज्यक ऋणों की सहायता से किया होता तो इस समय हम जहां तक संभव होता, इसका वित्त पोषण गैर ऋण राशि से कर रहे होते। जहां तक घरेलू ऋण का संबंध है, हम वित्तीय घाटे को नियंत्रित करने का प्रयास भी कर रहे हैं। परन्तु इसकी सीमाएं हैं।

अब राजस्व घाटें को उल्लेख किया गया है। राजस्व घाटे को नियंत्रित करना मेरे लिए आसान होता। केन्द्र द्वारा राज्यों को दिया जाने वाला लगभग पचास प्रतिशत धन अनुदान के रूप में जाता है। यह सब राजस्व व्यय का हिस्सा प्रतीत होता है। इसी प्रकार, ग्रामीण विकास पर किया जाने वाला अधिकांश व्यय राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान के रूप में होता है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर होने वाले सभी व्यय राजस्व व्यय का हिस्सा हैं और इसलिए भारतीय परिस्थितियों में, जब भारतीय राज्य महत्वपूर्ण सामाजिक व्यय को वित्त पोषित करने का काम करता है, तो राजस्व खातें और पूंजी खाते के बीच कुछ अंतर की अपनी सीमाएं होती हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि में यह कहना चाहता हूँ कि यह देश अनिवार्य राजस्व घाटा इकट्ठा कर सकता हैं? हम राजस्व घटा कैसे कम कर सकते है? श्री निर्मल चटर्जी ने कर राजस्व में वृद्धि करने की आवश्यकता के बारे में बताया। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि कर की उदार दर-प्रणाली को लागू रखकर हम कराधान के आधर को भी व्यापक बनाएंगे। हमें अधिक राजस्व प्राप्त होगा। हम सभी कर अपवंचको के खिलाफ कार्यवाही करेंगे। मैंने पहले भी सभा को आश्वासन दिया है और मैं समझता हूँ कि इस वचन से पीछे नहीं हटेंगे।

कुछ सुझाव भी दिए गए हैं। में सभी अच्छे सुझावों का स्वागत करूंगा और गैर-मुद्रास्फीति के रूप में संसाधन जुटाने के साधन के तौर पर हम अपनी कर प्रणाली भी सुदृढ़ करेंगे। इससे देश में बचत और निवेश को बढ़ावा मिलेगा तथा जोखिम पूर्ण कार्यों को प्रोत्साहन

भी मिलेगा। एक रास्ता तो यह है। हम इस दिशा में कार्य कर रहे हैं और सौभाग्य से इस वर्ष आयात शुल्क में की गई भारी कमी के बावजूद हमारा आयात राजस्व बजट अनुमान से काफी अधिक है। वैयक्तिक आयकर के साथ भी यही बात है। अप्रैल से अक्तूबर तक के महीनों में वैयक्तिक आयकर की उगाही में 38 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इससे सबसे अधिक फायदा राज्यों को होता है क्योंकि इसकी 77.5 प्रतिशत राशि राज्यों को जाती है। उसी प्रकार निगमित कर के संबंध में अनुमान की तुलना में काफी वृद्धि हुई है। यदि वर्तमान प्रवृत्ति जारी रहती है तो बजट में लगाए गए अनुमान की तुलना में हम लगभग छः से सात हजार करोड़ रु. की अधिक वसूली कर सकते हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हम कर प्रणाली में सुधार लाने का प्रयास कर रहे हैं।

इस सोपान का दूसरा चरण है खर्च का नियंत्रण। खर्च के कौन-कौन से घटक हैं। इसका पहला घटक है राज सहायता। मैंने हमेंशा कहा है, प्रधान मंत्री ने भी कहा है कि हम सभी प्रकार की राजसहायता समाप्त नहीं कर सकते। इसके लिए हमें समुचित लक्ष्य निर्धारित करने की आवश्यकता है। परंतु समाज के कमजोर वर्गों की सहायता वाले कार्यक्रमों के लिए हमें राज सहायता की जरूरत पड़ती है। खाद्य राज सहायता की अहम भूमिका होती है, सीमित उर्वरक राज-सहायता की भी अपनी भूमिका है और हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे कि हमारे समाज के गरीब तबकों के कल्याण को कोई नुकसान पहुंचे। अतः मैं सीमाओं में बंधा हूँ। अतः मैं राज सहायता समाप्त नहीं कर सकता।

जहां तक सार्वजनिक क्षेत्र का प्रश्न है, हमारे देश में सार्वजनिक क्षेत्र के अनेक उपक्रम है उनकी संसाधन सृजन क्षमता से माननीय सदस्य भलीभांति परिचित हैं। परन्तु हम सार्वजनिक क्षेत्र की संसाधन सृजन क्षमता में रातोंरात परिवर्तन नहीं कर सकते। किसी विशेष कालावधि के बाद हमें सार्वजनिक क्षेत्र को पुनः चालू करना होगा, ताकि यह अधिक संसाधन सृजन कर सके। साथ ही, जो उपक्रम घाटे में चल रहे हैं और जो बजट पर बोझ बने हुए हैं, हमें उनका घाटा कम करना चाहिए। माननीय सदस्यगण इस सदन में एक बात कहते हैं परन्तु माननीय सदस्य श्री निर्मल चटर्जी और उनके साथियों ने घाटें में चलने वाली इकाइयों के समर्थन में जो दबाव डाला है कि इन्हें राज सहायता दिया जाना जारी रहना चाहिए, मैं सोचता हूँ इसे भी नोट किया जाए। मेरा कहना है कि हमारी सरकार सार्वजनिक क्षेत्र को पुनर्गठित करेगी, पर इसमें समय लगता है। इसी बीच हमने यह कहा है कि हम कर्मचारियों की छंटनी नहीं करेंगे। हमने कहा है कि घाटे में चल रही इकाइयों में कामगारों हितों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यदि उद्यम घाटे में भी चल रहे हों तो हम कर्मचारियों को मजदूरी, वेतन और बोनस देते रहेंगे। यदि हमें सारे वचन पूरे करने हों, तो कटौती करने की भी हमारी सीमाएं हैं कि कहां-कहां कटौती करें। वित्तीय घाटे की इन समस्याओं का एक ही स्थायी समाधान है और यह है कर प्रणाली के आधार को व्यापक बनाना। यह प्रक्रिया पूरी तरह चालू है। पिछले तीन या चार वर्षों में सीमा-शुल्क, उत्पादन शुल्क प्रणाली, वैयक्तिक आय कर, निगमित कर में सुधार के प्रयास किए जा चुके हैं। मेरा विश्वास है कि आने वाले वर्षों में राजस्व में वृद्धि से जिसका कि स्पष्ट रूप से पता चलता है, काफी लाभ होगा। इसके अतिरिक्त, ब्याज एक संविदात्मक बाध्यता है, मैं वित्तीय घाटे को कम करके ही ब्याज भार को काफी कम कर सकता हूं। इस पर भी यदि थोड़े समय में ही व्यय को प्रभावी रूप से नियंत्रित नहीं किया जा सकता, तो हमें धीरे-धीरे एक सुधारात्मक रास्ता अपनाना होगा। यही एक ऐसा रास्ता है जिसे हमने जान बूझकर अपनाया है। एक तरीका यह हो सकता है कि हम निजीकरण का एक व्यापक तथा महत्वकांक्षी कार्यक्रम अपनाएं। यही रास्ता मैक्सिको जैसे देशों ने अपनाया है। निजीकरण के एक व्यापक कार्यक्रम द्वारा उन्होंने सरकारी क्षेत्र को उनके प्रबंधन सहित निजी क्षेत्र को बेच दिया, अधिक संसाधान जुटाये, उसका उपयोग करके स्थिति का मुकाबला किया। लेकिन स्पष्टतया हमारे देश में उस दिशा में आम सम्मति नहीं है। इसलिए हम विनिवेश के बारे में बहुत सचेत रहे हैं।

श्री जसवंत सिंह जी ने विनिवेश के मामले को उठाया है। मैं विनिवेशन से सम्बद्ध रहा हूँ। हम करके सीख रहे हैं। इसमें त्रुटियां रही हैं। जिन्हें हम सुधार रहे हैं। लेकिन मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि जिस कार्यक्रम को हमने अपनाया है, वह घपलों से मुक्त है।

मेरे विचार से यदि कोई व्यक्ति कोई विशेष उदाहरण मेरे नोटिस में लाता है तो मैं उस विशेष उदारहण पर बड़ी खुशी से ध्यान दूंगा. ....(व्यवधान)

**श्री हरि किशोर सिंह :** आप दूरसंचार क्षेत्र को देखिये। आपको मालूम होगा उसमें जो कुछ हो रहा है....(व्यवधान)

**श्री मनमोहन सिंह :** उसका विनिवेश से कोई कुछ संबंध नहीं है।

मेरे विचार से, रुपये के विदेशी मूल्य के बारें में एक मुद्दा उठाया गया है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप अन्य देशों के इतिहास पर नजर डालिए। श्री निर्मल चटर्जी ने विभिन्न देशों के इतिहास को उद्धृत किया है। उन्होंने कहा है कि आज जापान एक शक्तिशाली देश है। लेकिन जापान को यह दर्जा कैसे मिला? आपमें से जिसने जापान का आधुनिक इतिहास पढ़ा है, वे उन्नीसवी सदी के उतरार्ध की मेजी क्रांति के बारे में जानते होगें, लगभग पचास से साठ वर्षों से जापान ने जानबूझकर कम मूल्य वाली मुद्रा से औद्योगिकीकरण किया। इस तरह जापान ने अपनी प्रतिस्पर्धा क्षमता को मजबूत बनाया है। इस तरह जापान ने विश्व बाजार में अधिक हिस्सा प्राप्त किया। लेकिन जब मैं अपने कट्टर दक्षिणपंथी और कट्टर वामपंथी मित्रों की बात सुनता हूँ तो मुझे केन्स की प्रसिद्ध कहावत याद आती है। अक्सर व्यवहारिक व्यक्ति कुछ निष्क्रिय अर्थशास्त्रियों के दास होते हैं। यह एक उत्कृष्ट मामला है,

जहां मेरे विचार से हमारे देश की आवश्यकताएं श्री निर्मल चटर्जी के विचारों से मेल नहीं खाती हैं।

मैं समझता हूँ कि जनसंख्या नियंत्रण तथा रुपये का मूल्य ऐसे दो मुद्दे हैं जिन पर मेरे विचार से कट्टर दक्षिणपंथी और कट्टर वामपंथी सदस्य सहमत होते हैं। लेकिन मेरे विचार से आज तक काफी चर्चा हो चुकी है और लोगों को मालूम है इस देश को आत्मनिर्भर बनाने का एक ही रास्ता है, वह है पूर्ण विकास क्षमता को पुन: सक्रिय करना, सहायता राशियों जैसे कृत्रिम आधारों पर निर्भरता समाप्त करना, एक गतिशील, स्पर्धात्मक अर्थव्यवस्था बनाना तथा हमें अपने सभी निर्यात प्रयासों से आयातों पर धन लगाने में समर्थ होना चाहिए। अत्यधिक विनिमय दर आत्मनिर्भरता में बाधक है। अत्यधिक विनिमय दर से भारत विदेशियों पर निर्भर हो रहा है। इस तरह से आत्मनिर्भर बनाने की सलाह देना ठीक नहीं है। यह भारत के अल्प विकास को चिरस्थायी बना देगा। अत: यह ऐसी चीज है जिसे देश को जानना चाहिए। तथ्य सभी के सामने हैं।

हमने आयात शुल्कों को कम कर दिया है। हमने अपनी अर्थव्यवस्था को प्रतिस्पर्धा के लिए मजबूत बनाया है। कुछ सदस्य कह रहे थे कि हमने भारतीय उद्योग का विनाश कर दिया है। वास्तव में भारतीय उद्योग के सभी क्षेत्र पिछले दो वर्षों से फलफूल रहे हैं। पिछले वर्ष, पूंजीमाल उद्योग से 24 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई है। हमने विनाश की भविष्य वाणी करने वाले को झूठा सिद्ध कर दिया है। मैंने इसी सदन में श्री निर्मल चटर्जी को आयात उदारीकरण के विनाशकारी परिणामों की भविष्यवाणी करते हुए सुना है, चार वर्ष बीत गये है अब भावी विपत्ति की सूचना देने वाले व्यक्ति गलत सिद्ध हो गये हैं। कम से कम यह मान लेने में उन्हें साहस होना चाहिए था कि उनकी भविष्यवाणी सही सिद्ध नहीं हुई है। भारतीय अर्थव्यवस्था उस संकट से उबर चुकी है। हमें अब पिछले चार वर्ष की उपलब्धियां पर उम्मीद लगानी होगी। हमें गरीबी, अज्ञानता तथा व्याधि के अभिशाप से निकलने के लिए अन्य पांच वर्ष के समय की आवश्यकता है।

महोदय, श्री जसवन्त सिंह जी ने पूंजी बाजार का मामला उठाया है। मैं समझता हूँ कि भारतवर्ष के इतिहास में, दूसरी किसी सरकार ने पूंजी बाजार के कार्यकरण को सुव्यवस्थित बनाने का काम नहीं किया है जैसा कि इस सरकार ने किया है। हमने पूंजी निर्गम नियंत्रण समाप्त कर दिया है। मैं वित्त मंत्रालय का सचिव भी रहा हूँ। मैंने देखा है कि सरकार के शासन काल में उद्योग को हर छोटे से छोटे काम के लिए वित्त मंत्रालय के पास जाना पड़ता था। यदि वे धन जुटाना चाहते थे तो भी उन्हें वित्त मंत्रालय के पास जाना पड़ता था।

यदि उन्हें प्रीमियम निर्धारित करनी होती थी तो भी उन्हें वित्त मंत्रालय के पास आना पड़ता था। यदि उन्हें किसी खास समय में बाजार जाना होता था, तो उसकी भी स्वीकृति प्राप्त करनी होती थी। मैं आर्थिक प्रक्रियाओं के बहुत अधिक नौकरशाहीकरण के पक्ष में नहीं था। कभी-कभी इससे मनमानी की शिकायतें भी सुनने को मिलती थी और इसमे अनिश्चितता और भ्रष्टाचार पनपता था। अत: हमने पूंजी निर्गम नियंत्रण समाप्त कर दिया ताकि अब से ये निर्णय हमारे उद्यमियों द्वारा जा सकें जहां इन्हें, अर्थात बोर्ड रूम में, लिया जाना चाहिए। साथ ही, हमने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड को भी सांविधिक शक्तियां दे रखी हैं। अब भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने पूंजी बाजार में सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं-दलालों, पूंजी निर्गमकर्ताओं, भागीदारों और उप-दलालों हेतु नियम और आचार संहिताएं निर्धारित की हैं। अब, पूंजी बाजार की संस्कृति बदलने में समय तो लगता ही है। मैंने कई अवसरों पर कहा है कि पहले भारतीय पूंजी बाजार असली निदेशकों के हितों का समुचित ध्यान नहीं रखते थे वे निर्गमकर्ताओं और दलालों के हितों से अधिक प्रेरित हुए हैं। परन्तु वे अब इसमें परिवर्तन ला रहे हैं। यह प्रक्रिया जारी है। श्री जसवन्त सिंह जी ने डुप्लीकेट शेयरों के बारे में उल्लेख किया है। डुप्लीकेट शेयर स्वत: अवैध नहीं हैं। कंपनी कानून में ऐसे स्पष्ट प्रावधान हैं जिनके अंतर्गत कंपनियां डुप्लीकेट शेयर जारी कर सकती हैं परन्तु यदि कोई नियमों और विनियमनों का उल्लंघन कर डुप्लीकेट शेयर जारी करता है तो मैं निश्चित रूप से इसे माननीय मंत्री के ध्यान में लाऊंगा कि इसकी जांच की जाए। श्री जसवन्त सिंह जी ने भारतीय यूनिट ट्रस्ट बोर्ड से कहा है कि वह इसकी जांच करे और वह स्वयं को तथा मुझे इस बात से संतुष्ट करें कि शेयरों के लेनदेन के मामले में भारतीय यूनिट ट्रस्ट की तरफ से कोई अनियमितता नहीं बरती गई है।

इसी प्रकार भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड स्टाक होल्डिंग कारपोरेशन—जो कि श्री जसवन्त सिंह जी द्वारा किए गए उल्लेख के अनुसार इन शेयरों का अभिरक्षक है, की भूमिका की जांच करने जा रहा है। वे इन सौदों में लिप्त लोगों की भूमिका की भी जांच करने जा रहे हैं। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूँ कि मैं पूंजी बाजार में अत्यंत पारदर्शिता, साम्यता, निष्पक्षता और निवेशक की सुरक्षा चाहता हूँ। हम इसी दिशा में अग्रसर हैं और फिर भी मैं यह नहीं कहूंगा कि और सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। यह विकास प्रक्रिया है, परन्तु रास्ता तो रास्ता है, हम महसूस करते हैं कि हम सही रास्ते पर हैं।

अब, श्री जसवन्त सिंह जी ने आर्थिक प्रबंधन में भ्रष्टाचार और आर्थिक प्रक्रियाओं में नौकरशाही के आधिपत्य को कम करने का व्यापक मामला उठाया है। मैं उनसे इस बात पर सहमत हूँ कि हमें इसी दिशा में बढ़ना चाहिए। उदारीकरण हमारे निर्माताओं और उत्पादकों के लिए लोक हित के विरुद्ध काम करने का लाइसेंस नहीं है। उदारीकरण भारतीय उपभोक्ताओं का शोषण करने का लाइसेन्स नहीं है। उदारीकरण देश के हित के विरुद्ध काम करने का लाइसेंस नहीं है और यदि विदेशी कंपनियों हमारे यहां आती भी हैं तो उन्हें हमारे देश में निर्धारित सभी कानूनों, नियमों और प्रक्रियाओं के अंतर्गत ही कार्य करना पड़ेगा।

अब मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहूंगा कि औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली को समाप्त कर नियंत्रण समाप्त किया जाना भ्रष्टाचार समाप्त करने का पहला कदम होगा। यहां अभी भी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां अवशिष्ट औद्योगिक लाइसेंस हैं। मैं सोचता हूँ कि कुछ समय के बाद हमें इससे भी मुक्ति पानी होगी। बड़े पैमाने पर आयात लाइसेंस का समाप्त किया जाना भी भ्रष्टाचार समाप्त करने की दिशा में एक कदम हैं। हमने पूंजीगत माल और मध्यवर्ती माल से आयात नियंत्रण समाप्त कर दिया है। मैं जानता हूँ कि पुराने जमाने में व्यापारी उन लोगों को भारी रकम का भुगतान करते थे जो यह पता लगाकर बताते थे कि 'रेड बुक' अर्थात आयात निर्यात पुस्तिका में क्या-क्या बचाव के रास्ते हैं। हमने इस प्रकार की चीजों की गुंजाइश समाप्त कर दी है। उपभोक्ता वस्तुएं अभी भी प्रतिबंधित सूची में हैं। मैंने यही कहा है कि यह एक ऐसा मामला है जिस पर इस सभा में चर्चा की जानी चाहिए क्योंकि मेरा विश्वास है कि हम अपने उपभोक्ता वस्तु निर्माता उद्योगों का शुल्क और विनियम नियंत्रणों के माध्यम से ही संरक्षण कर सकते हैं। किन्तु यदि आप ये आयात नियंत्रण जारी रखेंगे ओर इन्हें स्वदेशी कह कर न्यायोचित बताएंगे तथा इस तरह की बातें करेंगे तब मेरे विचार से हमारे व्यापार क्षेत्र में भ्रष्टाचार की व्यापक गुंजाइश भी रहेगी जबकि हमारे व्यापार में भ्रष्टाचार अभी भी व्याप्त हैं। मेरा इस सभा से विनम्र निवेदन है कि हमें इस पर विचार करना चाहिए। हमने उत्पादन शुल्क और आयात शुल्क में कमी कर दी है। अब माननीय सदस्यों ने यह शिकायत की है कि इसका कीमतें कम करने के संबंध में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। अब मैं यह तो नहीं कहूंगा कि सभी कंपनियों ने अपनी कीमतें कम नहीं की हैं। कई कंपनियों ने अपनी कीमतें कम कर दी हैं। किन्तु कुछ ऐसी कंपनियां है जिन्होंने अपनी कीमतें कम नहीं की हैं क्योंकि वे यह महसूस करती हैं कि हमने एक ऐसी प्रणाली का सृजन किया है जिसने आदानों की लागत तो कम हो जाती है किन्तु उन पर बाजार की ओर से पर्याप्त दबाव नहीं है, क्योंकि यदि हमारा तंत्र ही ऐसा है जिसके अंतर्गत आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाता है तो उनकी लगभग एकाधिकार की स्थिति हो जाती है। अत: उनके आदानों की कीमतें तो कम हो जाती हैं किन्तु उन पर अपने तैयार माल की कीमतों में कमी करने के लिए कोई दबाव नहीं होता। कुछ लोगों ने यह कहा है और मेरे विचार से भी चक्रवती ने भी यही कहा है कि उनके लाभ में वृद्धि हो गई है। उनके लाभ में स्पष्ट रूप से इसीलिए वृद्धि हुई है क्योंकि आपकी विचारधारा ही त्रुटिपूर्ण है कि हमारा तंत्र इस प्रकार का नहीं होना चाहिए जिसमें उपभोक्ता वस्तुओं का उदारीकरण नहीं किया गया हो।

मुझे यह कहना है कि जब मैं उपभोक्ता वस्तुओं के उदारीकरण की बात करता हूँ, तो मेरे कहने का अभिप्राय यह नहीं है कि भारत में आयात उपभोक्ता वस्तुओं की बाढ़ आनी चाहिए। मेरे विचार से हमारे पास विदेशी व्यापार नीति, शुल्क और विनिमय नियंत्रण नीति तो होनी ही चाहिए जो भारतीय उद्योगों को उचित संरक्षक प्रदान करे और यह नीति हमारे पास अभी भी है। किन्तु हमारे पास ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। जैसी पूर्व में थी जिसमें उपभोक्ता वस्तुएं तो थीं किन्तु वे अवैध रूप से तस्करी करके लाई गई थीं। जो व्यक्ति मुम्बई, मद्रास और कलकत्ता में रहा है वह आपको बता सकता है कि गत 20 वर्षों से इन महानगरों में आयात की गई प्रत्येक उपभोक्ता वस्तु उपलब्ध थी किन्तु ये अवैध रूप से तस्करी करके लाई गई थीं। 50 वर्षों से आप लोग यह झूठा दावा करते रहे हैं कि भारत को सोने का आयात करने की आवश्यकता नहीं है और वर्ष दर वर्ष भारी मात्रा में सोने की तस्करी की जाती रही है, तस्करों ने खूब धन कमाया है और सोने की तस्करी के बल पर अत्यधिक प्रभाव बना लिया है। मेरे विचार से हमारी सरकार ने तस्करी की गुंजाइश कम करने के लिए प्रयास किया है। आयात शुल्क कम करने के लिए प्रयास किया है। आयात शुल्क में कमी, आयात नियंत्रण हटाया जाना, सोने के आयात का उदारीकरण ये सभी बातें इस प्रक्रिया का ही अंग हैं किन्तु मेरे विचार से अभी भी काफी कुछ किया जाना शेष है।

अब हमने बुनियादी क्षेत्र में गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी का मार्ग खोल दिया है। मैं माननीय सदस्यों की इस बात से सहमत हूँ कि चूंकि हम बुनियादी क्षेत्र में सही प्रतियोगिता की परिस्थितियां पैदा नहीं कर पाएंगे इसलिए विनियमन प्राधिकरणों की आवश्यकता होगी। किन्तु इन विनियमन प्राधिकरणों को प्रवेश की शर्तों का पालन करना चाहिए, सभी को समान अवसर सुनिश्चित किए जाएं और प्रतियोगिता संबंधी नियम, जितना हो सके, पारदर्शी होने चाहिए। हो सकता है जब हमने विद्युत प्रणाली का मार्ग खोला है तो इसमें कुछ त्रुटियां भी हुई हों। किन्तु कोई व्यक्ति कुछ करने से ही सीखता है। मेरे विचार से हमने सबक तो सीखा है। उदारीकरण प्रक्रिया की निंदा करने की बजाए हम सब मिलकर कार्य करें और ऐसी प्रणाली विकसित करें जिसमें जैसा मैंने कहा है, अपने देश के साथ धोखा न होने पाए, इसमें चाहे घरेलू उत्पादक हो या फिर विदेशी उत्पादक हों परन्तु ये सभी हमारे देश के लोगों की सेवा के लिए हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कार्य करें और हम एक ऐसी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ें जिसमें हमारे लोगों का व्यापक हित संभव हो सके।

महोदय, हमारी सरकार आर्थिक नीतियों के मुद्दे पर इन्हीं बातों पर अधिक जोर दे रही है। मैं माननीय सदस्यों से इसी अनुरोध के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा कि विश्वास पैदा करने में वर्षों लग जाते है जबकि यही विश्वास पल भर में बिखर जाता है। हमारे दलों के विचार भिन्न हो सकते हैं क्योंकि राजनीति तो जीवन का सत्य है। यह ऐसी चीज है जो संसदीय प्रजातंत्र में नई स्फूर्ति पैदा करती है किन्तु हमारे राष्ट्र की उपलब्धियों को खराब बताने और इनकी अनदेखी करने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। गत चार वर्षों की उपलब्धियां केवल कांग्रेस पार्टी की उपलब्धियां नहीं है। सच यह है कि हमें

चरमराती हुई अर्थव्यवस्था का एहसास हुआ और हमने इस संकट को एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने के अवसर में बदल दिया।

8.00 म.प.

इसके लिए भारत के किसान बधाई के पात्र हैं। भारत के श्रमिक बधाई के पात्र हैं। भारत के श्रमिक बधाई के पात्र हैं। भारत के उद्यमी बधाई के पात्र हैं। अभी कुछ समय पहले इस सभा ने एक स्वर से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकी विदों को बधाई दी हैं। मैं समझता हूँ, इसी तरह से हमारे किसान, हमारे श्रमिक और हमारे उद्यमी भी इस सभा के बधाई के पात्र हैं।

विश्व में बैंकिंग समुदाय में मेरे कई मित्र हैं। जून, 1991 में, वे सभी कह रहे थे कि छः महीने में आपका देश दिवालिया घोषित हो जायेगा। उस स्थिति से हम ऐसी स्थिति में आ गये हैं जहां आज भारत का नाम एक सफल कहानी के रूप में विश्व की शीर्ष पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में आता है। इस प्रकार के वाद-विवाद से भारत के लोगों का आत्मविश्वास कम नहीं होता।

मैं समझता हूँ भारत प्रगति के पथ पर अग्रसर है। पश्चिम बंगाल में भी, मैं पश्चिम बंगाल के युवा श्री ज्योति बसु को बधाई देता हूँ, जो युद्ध और शोषण के भय से मुक्त नया पश्चिम बंगाल बनाने के लिए मार्ग-दर्शन कर रहे हैं। मैं समझता हूँ आज सभी मुख्य मंत्रियों का विचार मूलतः एक ही है। कल गुजरात के माननीय मुख्य मंत्री द्वारा सी.आई.आई. में कही गई बातों और मेरे द्वारा कही गई बातों में मुझे कोई खास भिन्नता नहीं लगती है।

उपभोक्ता वस्तुओं पर बल देने के बारे में थोड़े मतभेद हो सकते हैं। किन्तु मैं समझता हूँ इसके लिए स्वस्थ परम्परा है। मैंने 'कोका कोला' के संबंध में श्री जसवंत सिंह के विचार जानने के लिए उनसे पूछे गये एक प्रश्न पर उनका मत सुना है। यदि मुझे सही याद है तो उन्होंने कहा था : आप चिन्तित क्यों हो रहे हैं? हमारे पास और भी पसंद होंगी। हमारे पास अधिक पेय हैं।

मेरे विचार से यह हमारे राष्ट्र की प्रगति का सूचक है। जैसा कि मैंने कहा है कि कल 'फिक्की' में श्री वी. पी. सिंह, श्री चन्द्रशेखर, श्री अटल बिहारी वाजपेयी के वक्तव्यों को पढ़कर तो मुझे यह विश्वास हुआ है कि एक नए भारत का निर्माण होने जा रहा है। हम इस प्रयास को सफल बनाएं ताकि इस दशक के अंत तक हम भविष्य को खुशमय बना लें। यह हम सभी की इच्छा है और हमारे देश की जनता का संकल्प है और मैं समझता हूँ, सभा को इस दृढ़ संकल्प को मजबूत करना चाहिये।

**श्री निर्मल कान्ति चटर्जी** : हम उनके उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं।

**(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय वित्त मंत्री ने आपको बधाई दी है।

**(व्यवधान)**

**उपाध्यक्ष महोदय** : आपका योगदान प्रशंसनीय रहा है।

**श्री निर्मल कान्ति चटर्जी** : मैंने बिना बाधा डाले उन्हें धैर्यपूर्वक सुना है। यह अत्यधिक दुर्भाग्य की बात है। पहले हमने स्पष्ट तौर पर प्रश्न उठाए और उन्होंने उत्तर देने से इंकार कर दिया है। अतः हम विरोध स्वरूप सदन से बहिर्गमन करते हैं।

8.02 म.प.

**तत्पश्चात श्री निर्मल कान्ति चटर्जी और कुछ अन्य माननीय संदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।**

[हिन्दी]

**श्री तेज नारायण सिंह** : हम सरकार के जबाव से सन्तुष्ट नहीं हैं, इसलिए हम सदन से बाहर जाते हैं।

8.03 म.प.

**तत्पश्चात श्री तेज नारायण सिंह सभा भवन बाहर चले गए।**

**श्री मोहन रावले** (मुम्बई दक्षिण मध्य) : उपाध्यक्ष जी, यूरिया के बारे में क्लैरिफिकेशन नहीं किया है। इसकी वजह से एग्रोकल्चर के दाम बढ़ गये हैं।....(व्यवधान)

[अनुवाद]

**श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : आप किसानों प्रति केवल दिखावटी सहानुभूति जता रहे हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप माननीय वित्त मंत्री के उत्तर से काफी प्रभावित हुए हैं।

[हिन्दी]

**श्री मोहन रावले** : यूरिया 246 रुपये प्रतिटन के हिसाब से लिया गया जबकि एक लाख साठ हजार टन यूरिया जिस कंपनी ने 202 रुपये टन के हिसाब से सप्लाई नहीं किया उसको कन्टैक्ट दिया गया। हम इस बारे में स्पष्टीकरण चाहते हैं।

[अनुवाद]

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री मोहन रावले, हम अभी सभा में बैठे हुए है। संबंधित मंत्री यहां आयेंगे।

...(व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय** : ठीक है, आपको अवसर दिया जायेगा। अब डा. सत्यनारायण जटिया बोलेंगे।

[हिन्दी]

**श्री मोहन रावले** : इसकी वजह से ऐग्रीकल्चर के दाम बढ़ गए हैं। खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ गए हैं। करप्शन की वजह से यह सब हो रहा है। इसमें तीन हजार करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है जो बोफोर्स से भी ज्यादा है।

**डा. सत्यनारायण जाटिया** (उज्जैन) : उपाध्यक्ष जी, मेरा कहना है कि जिस प्रकार से वित्त मंत्री जी ने सारी बात कही हैं, उसको हमने ध्यान से सुना है परन्तु सामान्य आदमी के जीवन में परिवर्तन लाने के

लिए जो उपाय होने चाहिए थे, और उसको महंगाई की मार से बचाने के लिए जो उपाय किए जाने चाहिए थे, उसका प्रभाव उस पर नहीं पड़ा और इस बात से आपने बहुत अच्छा वायुमंडल खड़ा करने की कोशिश की है किन्तु उसका लाभ उस आदमी तक नहीं पहुंचा है जिस तक पहुंचना चाहिए। गांव के गरीब किसान और मजदूर की हालत बिगड़ी है। टैक्सटाइल में बहुत मजदूर काम कर रहे हैं लेकिन वह उद्योग मिट रहा है।

विदेशी लोगों को हम बुला रहे है, उनके साथ कोलोबोरेशन कर रहे हैं तो इसका परिणाम सामान्य जन-जीवन पर अच्छा होना चाहिए था। किन्तु इसका परिणाम उस प्रकार से नहीं आ रहा है जिस प्रकार से कल्पना की जा रही थी। इसलिए हम चाहते हैं कि आर्थिक परिस्थितियों के कारण आम आदमी को जो मुश्किलें पैदा हो गई हैं उससे निजात पाने लिए सरकार को प्रभावी उपाय करने चाहिए जिससे कि जन-सामान्य सुखी हो सके। इसलिए इस प्रकार के कुछ ठोस उपाय बतायें कि जिससे कुछ राहत मिल सके।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय वित्त मंत्री ने सुविस्तृत उत्तर दिया है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

**श्री मोहन रावले** : एक लाख 60 हजार टन उन्होंने जो सप्लाई नहीं किया था तो ज्यादा दाम पर 246 डालर पर क्यों लिया?...(व्यवधान)

[अनुवाद]

**श्री मनमोहन सिंह** : इसका आर्थिक नीति से कुछ भी लेना-देना नहीं है। आप यह प्रश्न सम्बद्ध मंत्री से पूछें।

**श्री मोहन रावले** : महोदय, यह आर्थिक नीति के अंतर्गत आता है।

**उपाध्यक्ष महोदय** : यदि आप अपने प्रश्न का कोई विशेष उत्तर चाहते हैं, तो आप समुचित प्रक्रिया अपना कर यह प्रश्न पूछें, इसे सभा पटल पर रखें और संतोषजनक उत्तर प्राप्त करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

**श्री मोहन रावले** : मुझे इसका सही जवाब नहीं मिल सका, इसलिए मैं शिव सेना की तरफ से इसके विरोध में वाक आउट कर रहा हूं।

8.04 म.प.

तत्पश्चात श्री मोहन रावले सभा भवन से बाहर चले गए। सदन से बहिर्गमन किया।

**डा. सत्यनारायण जाटिया** : सर, मैं यह पूछना चाहता हूँ कि पावर सैक्टर में जो कमी है उसकी पूर्ति करने के उपाय जो हम नहीं कर पाए और इस दृष्टि से जो बात हम कर रहे हैं बिजली के संकट के कारण सारे उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, किसान सब परेशान हैं। लेकिन आप उस तरह के प्रावधान नहीं कर पाए हैं, इसलिए आज आम आदमी कष्ट में हैं...(व्यवधान)

**उपाध्यक्ष महोदय** : अत: आप सभी प्रसन्न हैं कि माननीय वित्त मंत्री ने वाद-विवाद का विस्तृत उत्तर दिया है।

अब हम अनुपूरक कार्यसूची को लेंगे अर्थात सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे।

8.04 म.प.

## सभा पटल पर रखे गये पत्र

### सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन अधिसूचना

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति)** : महोदय, मैं सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के खंड 159 के अधीन 'दक्षेस' देशों से भारत में आयातित विशिष्ट वस्तुओं पर मूल सीमा-शुल्क की निर्धारित अधिमान्य दरों को बताने वाले एक व्याख्यात्मक ज्ञापन के साथ 7 दिसम्बर, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 165/95 सीमा शुल्क (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रंथालय में रखा गया देखिये संख्या एल.टी. 8409/95]

**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप काफी समय तक बैठे रहे और आपने बड़े प्रेम व स्नेह से कार्य पूरा किया।

अब सभा 8 दिसम्बर, 1995 को 11 बजे प्रात: पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

8.05 म.प.

तत्पश्चात लोकसभा शुक्रवार, 8 दिसम्बर, 1995/17 अग्रहायण, 1917 (शक) को ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।